त्रयोदश माला, खंड 11, अंक 5

NOT TO BE ISSUED
FOR REFERENCE ONLY

शुक्रवार, 24 नवम्बर, 2000
3 अग्रहायण, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

51
11/12/01

(खंड 11 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

यशपाल कृष्ण अबरोल
मुख्य सम्पादक

डॉ. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 11, पांचवां सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 5, शुक्रवार, 24 नवम्बर, 2000/3 अग्रहायण, 1922 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 81, 82, 84 और 85	4-29
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 83 और 86 से 100	29-54
अतारांकित प्रश्न संख्या 915 से 1143	54-359
सभा पटल पर रखे गए पत्र	359-367
याचिका संबंधी समिति	
चौथा प्रतिवेदन	367
पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति	
आठवां प्रतिवेदन	367-368
सभा का कार्य	368-372
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
दिल्ली के मास्टर प्लान में संशोधन न करने के कारण विभिन्न लघु और कुटीर उद्योगों का बन्द होना	372-410
श्री मदन लाल खुराना	372, 383, 397
श्री जगमोहन	375, 398
श्री रामजीलाल सुमन	386
श्री कमलनाथ	388
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	391
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	393
श्री चन्द्रशेखर	408
सरकारी विधेयक	414
(एक) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक—पुर:स्थापित	414
(दो) माल बहुविध परिवहन (संशोधन) विधेयक—पारित	415
विचार करने के लिए प्रस्ताव	415
श्री अरूण जेटली	415
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	418
श्री गिरधारी लाल भार्गव	421
श्री वरकला राधाकृष्णन	422
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु	424
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	425
श्री हरिभाऊ शंकर महाले	427

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
खण्ड 2 से 11 और 1	428
पारित करने के लिए प्रस्ताव	429
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के नौवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	429-430
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक - *पुर:स्थापित*	430-474
(एक) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा 8 का संशोधन)	
श्री रमेश चेन्नितला	430
(दो) दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक	
श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल	430
(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 31 का अंत:स्थापन)	
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	431
(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 130 का संशोधन)	
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु	432
(पांच) आय-कर (संशोधन) विधेयक (धारा 10 का संशोधन)	
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल	432
(छह) भारत का उच्चतम न्यायालय (हैदराबाद में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक	
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी	475
(सात) पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक-वापस लिया गया	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	439
प्रो. रासा सिंह रावत	439
श्री सुकदेव पासवान	443
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	444
श्री खारबेल स्वाइं	446
श्रीमती रमा पायलट	449
श्री बालकृष्ण चौहान	451
श्री अब्दुल रशीद शाहीन	453
श्री हरिभाऊ शंकर महाले	455
श्री माणिकराव होडल्या गावित	456
श्री राम टहल चौधरी	458
श्री रमेश चेन्नितला	459
श्री ब्रह्मानन्द मंडल	462
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	464
श्री अरूण शौरी	467
श्री सुबोध मोहिते	473
(आठ) **संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 75क आदि का अंत:स्थापना)—*विचाराधीन***	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	476
श्री अनंत गंगाराम गीते	476

लोक सभा

शुक्रवार, 24 नवम्बर, 2000/3 अग्रहायण, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में मुसलमानों के घर में घुस कर उनका कत्ल कर दिया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया यह समझने की कोशिश करें, आपने सूचना दी है, आप इसे शून्यकाल में उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: उसमें 6 लोग मारे गए। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। अभी तक किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर खुलेआम लोगों का कत्ल हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय: आपने एडजर्नमेंट दिया है। हमने वह रिजैक्ट कर दिया। आप इस मामले को जीरो आवर में रेज करें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अब कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपको जीरो आवर में बोलने का मौका दिया जाएगा। आप क्वश्चन आवर को डिस्टर्ब न करें। रोज ऐसे चलेगा तो हाउस कैसे चलेगा? कल एक पार्टी और आज दूसरी पार्टी क्वश्चन आवर को डिस्टर्ब करती है।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, आप नाराज न हों। हम समस्या का समाधान चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम आपकी मदद कर रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: हम इस बात को समझते हैं कि उधर के दल के सदस्यों को भी बोलना पड़ सकता है। बारहवीं कक्षा के विद्यार्थी को मारा गया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, आप इस मुद्दे को जीरो आवर में उठा सकते हैं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): अध्यक्ष महोदय, सदन के नियम हैं, प्रक्रिया है और उसके अनुसार सदन चलना चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव: हम प्रश्न काल चलाने की बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इन्होंने एडजर्नमैंट मोशन दिया है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: हम इस मुद्दे की गम्भीरता पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सदन का कोई नियम है, प्रक्रिया है, तौर-तरीका है और सदन को चलाने का एक ढंग है। इनकी जब मर्जी आएगी, क्या यह कोई भी इशू उठा कर खड़े हो जाएंगे?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लड़ाई न करें।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: हमारे पास भी बहुत से महत्वपूर्ण मामले हैं। हम भी उन्हें उठाना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सही हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जो आपने कहा वह सही है। मैं सभी पार्टियों से अपील कर रहा हूँ कि प्रश्नकाल में बाधा न डालें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: हम नियमों के तहत ही आपकी बात उठा रहे हैं। हमें नियमावली न पढ़ाई जाए। नियमावली के तहत हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव रखा है और यह सवाल उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रश्नकाल चले।

अध्यक्ष महोदय: आप इस मामले को जीरो आवर में उठाएं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप इसे जीरो आवर में रेज करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप दोनों हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: समान दलों पर समान व्यवस्था लागू होनी चाहिए। हम भी अपना मुद्दा उठा कर खड़े हो जाएंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: यह फिर शुरू हो गए।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: यह कौन होते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: जब नेता प्रतिपक्ष मामला उठा रही थी उस समय आपने इनके दल के सदस्यों का व्यवहार देखा। आप चाहते हैं कि हम हर जगह कोआपरेट करें। हमारा भी कोई सम्मान है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी इस तथ्य को समझने की कोशिश करें कि उन्होंने प्रश्नकाल को निलंबित करने की सूचना दी है। मैं आप सभी से अपील कर रहा हूँ कि आप अपने-अपने स्थान पर बैठें। मैंने सूचना अस्वीकार की है और उन्हें इस मामले को शून्यकाल के दौरान उठाने को कहा है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, हमें सरकार के खिलाफ लड़ना है, यह अन्याय कर रहे हैं...*(व्यवधान)*..कक्षा 12 का छात्र मारा गया, वह मुस्लिम था...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव आप इसे शून्यकाल के दौरान उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. की सरकार ने *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

पूर्वाह्न 11.06 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

गरीबी उन्मूलन

***81. श्री. पी.आर. खुंटे:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी रिपोर्ट 'वर्ल्ड इकोनामिक आउटलुक' के द्वारा भारत सरकार का ध्यान देश में असंतुलित विकास और गरीबी की उच्च दर की ओर दिलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की आलोचनाओं पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) असंतुलित विकास और गरीबी की उच्च दर की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत किया गया है।

विवरण

(क) और (ख) अपने प्रकाशन 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक' (मई और अक्तूबर, 2000) में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को गत दो दशकों में विश्व में सर्वाधिक तीव्र गति से प्रगति करती अर्थव्यवस्थाओं में से एक कहा है। इसमें आगे कहा गया है कि "लेकिन इन लाभों के बावजूद, निर्धनता दरें ऊंची बनी हुई हैं, तथा जनसंख्या का एक-तिहाई से अधिक भाग अभी भी आधिकारिक तौर पर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहा है। यह असमान प्रगति 1980 के दशक के मध्य से कार्यान्वित किए गए आर्थिक और संरचनात्मक सुधारों के भारत में हुए विकास पर प्रभाव तथा निर्धनता कम करने में किए जा सकने वाले और उपायों के बारे में सवालिया निशान लगाती है।"

(ग) भारत सरकार को समान आर्थिक वृद्धि और तेजी से निर्धनता कम करने की जरूरत का पूरा अहसास है।

(घ) सरकार संतुलित योजनाबद्ध विकास और निर्धनता को समाप्त करने के लिए एक व्यापक रणनीति कार्यान्वित कर रही है जिसमें निम्नलिखित पर जोर दिया गया है:-

(1) रोजगार प्रधान क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए त्वरित आर्थिक विकास;

(2) आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के जरिए मानव और सामाजिक विकास; और

(3) स्व-रोजगार, अनुपूरक वेतन-रोजगार और रक्षात्मक सामाजिक सुरक्षा के जरिए आय का सृजन करने के लिए लक्षित निर्धनता-रोधी कार्यक्रम।

[हिन्दी]

श्री पी.आर. खुंटे (सारंगढ़): अध्यक्ष महोदय, देश को आजादी मिले आज लगभग 53 वर्ष हो गये हैं। इस लम्बी अवधि में कांग्रेस पार्टी ने हिन्दुस्तान में 44 साल तक राज किया है और इस दौरान गरीबी हटाने के नाम पर खूब राजनीति हुई है। स्व. पं. नेहरू ने 17 साल, स्व. इन्दिरा ने 17 साल, स्व. राजीव ने पांच साल और अन्य नेताओं ने राज किया है लेकिन देश में गरीबी दूर नहीं हुई। गरीब और गरीब हो गया और जो धनवान था, वह इतना धनवान हो गया कि स्विस बैंकों में उनका 3500 करोड़ रुपया जमा हो गया। गरीब को रोटी, कपड़ा, मकान और दवाई के लिये तरसना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार गरीबी उन्मूलन के असंतुलित विकास और गरीबी की उच्च दर की स्थिति को सुधारने के लिये कोई सर्वे कराकर रोटी, कपड़ा और मकान तथा हर हाथ को काम उपलब्ध कराने के लिये कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम चालू करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो यह कब करेगी और इसे कब तक लागू करने का विचार है?

श्री यशवंत सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर इस देश में आज तक जितनी योजनायें बनी हैं, उन सब का केन्द्रीय मुद्दा गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय रहा है। इसके लिए समय समय पर जो भी सरकार उस समय सत्ता में रही, वह एक तरफ तो गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम बनाकर लागू करती रही और दूसरी तरफ सबको सामाजिक न्याय मिले, इसका प्रयास करती रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। आज गरीबी रेखा की जो परिभाषा है, उसे 1973-74 के आंकड़ों के अनुसार 1977 में तय किया गया था। मेरे पास पिछले 20 वर्षों के जो आंकड़े हैं, उनसे प्रतीत होता है कि उस परिभाषा के अनुसार देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जो संख्या 1973-74 में 54.9 प्रतिशत थी, वह 1983-84 में घटकर 44.5 प्रतिशत रह गई और पिछले 5 साल पहले जो सर्वे किया गया था, उसके अनुसार यह घटकर 36 प्रतिशत रह गयी है। इसलिये विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि सरकार की जो नीतियां रही हैं, उनके चलते गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में निरंतर कमी आई है।

श्री पी.आर. खुंटे: माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न के उत्तर का सटीक जवाब नहीं आया है लेकिन मेरा पूरक प्रश्न यह है कि इंदिरा आवास योजना के स्थान पर सामान्य जाति के गरीब हितग्राहियों को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना, अनुसूचित जाति और जनजातियों के हितग्राहियों को डॉ. अंबेडकर आवास योजना के नाम पर आवास आबंटित करने, तथा भूमिहीनों, आवासहीनों को भूमि पट्टा प्रदान करने की कोई कार्य योजना केन्द्र सरकार के विचाराधीन है? यदि है तो कब तक इस कार्यक्रम को लागू करने का विचार है?

श्री यशवन्त सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, यह एक विशिष्ट सवाल है जो इस प्रश्न से कितना ताल्लुक रखता है उसका निर्णय आपको करना है, लेकिन यह वित्त मंत्रालय से संबंधित प्रश्न नहीं है, इसलिए मैं तत्काल इसका उत्तर नहीं दे सकता।

[अनुवाद]

डा. रंजीत कुमार पांजा: अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि गरीबी कम करने के लिए ग्रामीण जनसंख्या को प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जैसी न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने को मुख्य महत्व दिया जाना चाहिए। इस संबंध में, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या उनका विचार ग्रामीण जनता के लिए जलापूर्ति, सड़क और आवास जैसी अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के अलावा प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए अगले बजट में आवंटन में वृद्धि करने का है। क्या सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी जो मेरे विचार से वांछित स्तर से नीचे है? क्या अगले बजट में प्राथमिक स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा के लिए आवंटन में वृद्धि की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: मूल प्रश्न 'गरीबी उन्मूलन' के बारे में है।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मेरे पास कुछ आंकड़े उपलब्ध हैं जिन्हें मैं सभा के समक्ष रखना चाहता हूँ। यह सच है और मैं माननीय सदस्य से इस बात से पूर्णत: सहमत हूँ कि गरीबी उन्मूलन केवल व्यक्ति या परिवार के स्तर पर गरीबी उन्मूलन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें सामुदायिक स्तर पर भी गरीबी की भावना को समाप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए। जिन बुनियादी आवश्यकताओं का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है वे गरीबी की भावना को समाप्त करने में सक्षम होने के लिए अपरिहार्य है। सामाजिक सेवाओं के लिए सरकार ने विभिन्न कार्यक्रम चलाए है जिनमें स्वास्थ्य व शिक्षा कार्यक्रम भी शामिल हैं। सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाए हैं। सरकार ने न्यूनतम बुनियादी सेवाएं कार्यक्रम चलाया है जिसे अब प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के नाम से जाना जाता है। मेरे पास कुछ आंकड़ें हैं। इसमें वर्ष 1991-92 के आंकड़ें शामिल नहीं हैं क्योंकि वह एक विशेष वर्ष था। वर्ष 1992-93 से 1995-96 तक कांग्रेस सरकार के चार वर्षों में कुल 13926 रुपए व्यय किए गए, अगली सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में यह राशि 22,778 रुपए तक पहुंच गई है और हमारी सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल में यह राशि 32,682 रुपए तक पहुंच गई। अत: सामाजिक सेवाओं और ग्रामीण विकास पर व्यय में भारी वृद्धि हुई जो मुख्यतया गरीबी विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की समस्या से निपटने के लिए हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, वित्त मंत्री ने अपने उत्तर में रोजगार प्रधान क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक विकास में गति लाने का उल्लेख किया है। मंत्री महोदय अच्छी तरह जानते हैं कि कृषि सर्वाधिक रोजगार प्रधान क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र में हमारी साठ प्रतिशत से अधिक श्रमशक्ति नियोजित है। मैं अतीत में जाना नहीं चाहता हूं। मैं वर्तमान की बात करना चाहता हूं। न ही मैं दोषारोपण करना चाहता हूँ।

सच यह है कि, जैसा कि कुछ दिन पूर्व वाद-विवाद के दौरान उल्लेख किया गया है, कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरावट आई है। लागत में वृद्धि हुई है फलत: कृषि क्षेत्र में अप्रत्याशित गरीबी और दरिद्रता छा गई है। तथा रोजगार के अवसर कम हुए है। मैं नहीं समझता कि इस नए घटनाक्रम को मद्देनजर गरीबी के बारे में आंकड़े सही पाए जाएंगे। क्या मंत्री जी इस समस्या पर ध्यान देंगे।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, गरीबी की समस्या दो प्रकार की है एक ढांचागत समस्या है और दूसरी चक्रीय समस्या है। हम दोनों ओर से इस समस्या से निपटने का प्रयास कर रहे हैं, ढांचागत समस्या इसलिए है कि हमें गरीबी विरासत में मिली है, यह समस्या का ढांचागत हिस्सा है। फिर समय-समय पर कतिपय चक्रीय घटनाक्रम होते है इनका भी गरीब लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, चक्रीय समस्यां से निपटने के लिए भी तात्कालिक कदम उठाए गए हैं। अत: गरीबी की समस्या से निपटने के लिए अपनाई जाने वाली हमारी रणनीति में ये दोनों पहलू शामिल हैं।

मैं माननीय सदस्य से पूर्णत: सहमत हूँ कि विगत वर्षों में कृषि में सरकारी निवेश में कमी आई है क्योंकि राज्य सरकारों के बजट में और केन्द्र सरकार के बजट में कृषि के लिए उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार की राजसहायता सहित तात्कालिक मांगें रखी गई और उन्हें पूरा किया गया किंतु दुर्भाग्यवश उन्हें चालू व्यय माना गया। ये व्यय परिसंपत्ति नहीं बनाते अत: उन्हें दीर्घकालीन सरकारी निवेश नहीं माना गया। यही कारण है कि परिसंपत्ति अर्जित करने वाले व्यय की तुलना में चालू व्यय को पूरा करने के लिए संसाधन लगाए गए। परिसंपत्ति अर्जित करने के लिए कृषि में निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि हुई है। विगत समय में उद्योग की तुलना में कृषि व्यापार की शर्तों में सुधार हुआ है। इस वर्ष चक्रीय समस्या पैदा हुई। इस पर सभा में वाद-विवाद हुआ है। मेरे सहयोगी कृषि मंत्री ने सभा को वर्तमान में सरकार द्वारा किसानों की सहायता के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों के बारे में बताया। इनमें देश के विभिन्न भागों में विभिन्न फसलों के लिए मूल्य समर्थन उपायों सहित अनेक उपाय शामिल हैं। अत: हम समस्या के प्रति जागरूक है और समस्या से निपटने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं।

श्री समीक लाहिड़ी: अध्यक्ष महोदय, अपने उत्तर में मंत्री महोदय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट "वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक" से सहमत है कि हालांकि हमारे देश में ढांचागत सामंजस्य करना आरंभ कर दिया गया है। किंतु अभी भी निर्धनता दर ऊंची है, महोदय ये ढांचागत सामंजस्य कांग्रेस शासन के दौरान शुरू किए गए थे। उस समय से वही नीति अपनाई जा रही है तो क्या भारत सरकार द्वारा यह जानने के लिए कोई अध्ययन कराया गया कि हमारे देश में विशेष रूप से उदारीकरण की प्रक्रिया आरंभ करने के समय से वह कितनी सफल रही है? मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह भी कहा कि सामाजिक क्षेत्र में निवेश में कमी आ रही है। इसके आलोक में मैं यदि मंत्री महोदय दे सकें तो उनसे प्रतिशतवार आंकड़ों के बारे में जानना चाहता हूँ।

श्री यशवन्त सिन्हा: सबसे पहले एक-दो बातें सही करनी होंगी। मैंने यह नहीं कहा कि सामाजिक निवेश या सामाजिक क्षेत्र में निवेश में कमी आई है। वस्तुत: मैं कह रहा था कि इसमें वृद्धि हुई है। मात्र श्री जयपाल रेड्डी के प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि विगत वर्षों में कृषि क्षेत्र में लोक निवेश में कमी आई है जो सच है किंतु जहां तक गरीब लोगों के जीवन पर ढांचागत और आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के प्रभाव का संबंध है, मैंने कहा है कि हमारे पास गरीबी आकलन के बारे में वर्ष 1993-94 तक के आंकड़े हैं। हम सभी जानते हैं कि ढांचागत सामंजस्य कार्यक्रम 1991-92 में शुरू किया गया था। मैंने यह भी कहा था कि 1991-92 एक विशेष वर्ष था। अत: हमें वर्ष 1992-93 से आगे के वर्षों के परिणामों पर गौर करना चाहिए।

यदि आप 1993-94 के परिणामों को देखें तो इनसे भी पता चलता है कि विगत दस वर्षों की तुलना में गरीबी अनुपात में कमी आई है। इस समय हमारे पास वर्तमान आकलन नहीं है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने पंचवर्षीय सर्वेक्षण पूरा कर दिया है। इसका योजना आयोग द्वारा सरलीकरण किया जा रहा है। मेरे विचार से आगामी कुछ माहों में योजना आयोग 1998-99 के अद्यतन गरीबी आकलन के बारे में अपना मूल्यांकन प्रकाशित कर देगा। किंतु भारतीय आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली के निर्देशक श्री प्रवीण विसारिया, जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अध्यक्ष हैं, तथा जो इस सर्वेक्षण के प्रभारी थे, ने इस सर्वेक्षण के आधार पर कुछ लेख लिखे हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं तथा जिनमें उन्होंने कहा कि अद्यतन सर्वेक्षण बताता है कि गरीबी अनुपात में तीव्र गिरावट आकर यह 36 प्रतिशत से लगभग 27 प्रतिशत रह गया है। इसलिए अपने उत्तर में मैंने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सीखने की आवश्यकता नहीं है। हम गरीबी कम करने की आवश्यकता के बारे में संवेदनशील हैं। इसलिए हमने स्वतंत्रता के समय से इस दिशा में प्रभावी कार्यक्रम चलाए हैं। किंतु ढांचागत सांमजस्य कार्यक्रमों और आर्थिक सुधार कार्यक्रमों का क्या प्रभाव रहा है इस बारे में हम इस अद्यतन सर्वेक्षण के परिणामों के सार्वजनिक होने के बाद अधिक सार्थक वाद-विवाद कर पाएंगे।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से दो बातों की जानकारी चाहता हूं। आपने कहा कि 27 फीसदी लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। हो सकता है कि ये आपके सरकारी आंकड़े हों लेकिन हमारे पास जो आंकड़े हैं, उसके अनुसार यह संख्या 38 से लेकर 40 फीसदी के आसपास है। लेकिन जैसा कि अभी जयपाल रेड्डी जी ने भी यह प्रतिशत 27% से अधिक माना है। 26 करोड़ से लेकर 29 करोड़ तक के लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा के ऊपर हैं, मगर खेती पर निर्भर हैं। ये कभी बाढ़ से, कभी समुद्र के तूफान से, कभी ओलों से या कभी सूखे से प्रभावित हो जाते हैं। इससे इनको मजदूरी नहीं मिलती या इनकी पैदावार काफी घट जाती है। ऐसे लोग भी गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं। क्या आपने इसकी समीक्षा कराई है? अगर समीक्षा कराई है तो बताने का कष्ट करें। और यदि नहीं कराई है तो क्या आप उसे कराने की कृपा करेंगे?

दूसरी तरफ आपने प्रति व्यक्ति सालाना आमदनी का आधार भी बनाया हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि देश की प्रति व्यक्ति सालाना आमदनी क्या है? इस वक्त कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपने गरीबी रेखा से नीचे रखने का अनुमान लगाया है या आंकड़े दिये हैं। उनकी प्रति व्यक्ति सालाना आमदनी क्या है? यदि इनका सर्वे नहीं किया गया है तो आप हमें इसका उत्तर बाद में भिजवा दें। लेकिन 26 करोड़ से लेकर 29 करोड़ तक गांव के किसान और खेतीहर मजदूर ऐसे हैं जो कि दैवी आपदा में गरीबी रेखा से नीचे जाते हैं, क्या आपने उनकी समीक्षा कराई है? क्या उनको गरीबी रेखा के नीचे शामिल किया है? अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, इसको भी बताने की कृपा करें।

श्री यशवन्त सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जो आंकड़े मैं यहां बता रहा हूं, वे आंकड़े कोई ऐसे नहीं हैं कि हमने उनका आविष्कार करके यहां सदन में रखने की धृष्टता की है। जिस प्रकार आंकड़े अतीत से कलैक्ट या संग्रहित होते चले आ रहे हैं, उसी प्रकार आज भी हो रहे हैं। उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है जिससे इन आंकड़ों पर कोई संदेह या आंच आये। मैं यहां पर श्री प्रवीण विसारिया के एक आर्टिकल को कोट करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा है कि:

[अनुवाद]

"भारतीय आंकड़ा पद्धति में इसकी त्रुटियों के बावजूद हेर फेर नहीं किया जा सकता है।"

[हिन्दी]

क्योंकि इसमें हजारों की तादाद में लोग लगते हैं और किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है कि वह इन आंकड़ों को मैनुपलेट करे और जो चाहे, वह इसमें लिखवा ले। इसके अलावा आंकड़ों के कलैक्शन और उसके विश्लेश्वण में स्वतंत्र लोग भी लगे हुए हैं। जहां तक प्राकृतिक आपदा का प्रश्न श्री मुलायम सिंह जी ने उठाया तो वह सही है। जैसा कि मैं जयपाल रेड्डी जी के प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि समय-समय पर इस प्रकार की बातें होती हैं जिससे हो सकता है कि जो लोग गरीबी रेखा के ऊपर हों, वे लोग भी गरीबी रेखा के नीचे आ जायें।

इसके चलते जो तात्कालिक कदम हमें उठाने होते हैं, वे कदम सरकार उठाती है। मैं यहां कहना चाहूंगा कि जो गरीबी रेखा की परिभाषा है, वह परिभाषा आय में कम है और जो कंजम्पशन है, उसमें ज्यादा है। जैसे 1973-74 में यह तय हुआ था कि गांव में रहने वाले लोग 2,400 किलो कैलोरी का कंजम्पशन करें और यदि शहर में रहने वाले लोग 2,100 किलो कैलोरी का कंजम्पशन करें तो उनको गरीबी रेखा से ऊपर रखेंगे और इसके नीचे कंजम्पशन करते हैं, उनको गरीबी रेखा से नीचे माना जायेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगो: यह केवल कैलोरी है।

श्री यशवंत सिन्हा: जी नहीं यह किलो कैलोरी है। किलो कैलोरी एक तकनीकी शब्दावली है। मैं सभा में बोल रहा हूँ इसलिए मुझे तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करना होगा। इसे आमतौर पर कैलोरी रूप में जाना जाता है। लेकिन वास्तव में यह किलो कैलोरी ही है।

[हिन्दी]

मैं यह कह रहा था कि समय-समय पर जो उपाय होते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकारें उपाय करती हैं, केन्द्र सरकार भी मदद करती है, वह तात्कालिक है लेकिन यह जो किलो कैलोरी का कंजम्पशन है, इसके बारे में समय-समय पर विचार हो रहा है। प्लानिंग कमीशन इसकी क्या समीक्षा करेगा? वह इसकी समीक्षा करेगा कि आज का जो प्राइस लेवल है, उसको देखते हुए आज कितना कंजम्पशन होना चाहिए और उस कंजम्पशन पर कितना खर्च आयेगा, उसके बाद वह तय करेंगे। यही टैबुलेशन से निकलकर सामने आयेगा, वह गरीबी रेखा की परिभाषा है। जैसे मैंने कहा कि समय-समय पर कुछ विशेष परिस्थिति बनती है तो हम उसका मुकाबला करते हैं।

प्रति व्यक्ति सालाना आय के बारे में आपने कहा। मेरे कागजों में कहीं वह फिगर हैं लेकिन मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता इसलिए मैं आपको वह आंकड़े बाद में भिजवा दूंगा।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू: स्वतंत्रता प्राप्ति के 54वें वर्ष में भी भारत की एक-तिहाई जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। सभी सरकारें गरीबी दूर करने के लिए योजनाएं बना रही हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या केंद्र सरकार इस देश में गरीबी दूर करने के लिए कोई ठोस योजना अथवा समयबद्ध कार्यक्रम बनाने पर विचार कर रही है।

दूसरे बात यदि कोई राज्य सरकार अपने यहाँ में निर्धारित अवधि के भीतर गरीबी दूर करने के लिए कोई योजना बनाने की इच्छुक है तो क्या भारत सरकार प्रोत्साहनों के रूप में उस राज्य सरकार को वित्त प्रदान करने के लिए तैयार होगी?

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं पहले ही बता चुका हूँ कि व्यापक नीति में सबसे पहले अर्थव्यवस्था की विकास दर में वृद्धि शामिल होती है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसपर मैं ज्यादा बल नहीं दे सकता। हमें उच्च स्तर पर विकास करना चाहिए ताकि गरीबी की समस्या से निपटा जा सके। इस प्रयोजनार्थ इस देश के प्रधान मंत्री ने हमारे लिए पहले ही लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। प्रधान मंत्री जी ने इस वर्ष 15 अगस्त को लाल किले की प्रचीर से दिए अपने भाषण में कहा कि अगले दस वर्षों में इस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में एक सौ प्रतिशत वृद्धि अर्थात् प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह लक्ष्य नई सहस्राब्दी के पहले दशक के लिए निर्धारित किया गया है। इससे प्रतिवर्ष विकास दर में 9 प्रतिशत की वृद्धि होगी। हम सरकार में अब एक ऐसी नीति तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे हम उस उच्च विकास दर को प्राप्त कर सकेंगे। यह इसका एक भाग है। दूसरे शब्दों में हमारे पास इतना धन हो कि हम दूसरों में बांट सकें। हमें लोगों में गरीबी नहीं बांटनी। हमें लोगों में धन-दौलत बांटनी है। इसलिए हम उच्च विकास दर प्राप्त करके धन-दौलत के सृजन में सक्षम हो।

इस नीति का दूसरा भाग गरीबी की समस्या पर सीधा प्रहार करना है। जब मैं सामाजिक न्याय की बात कर रहा था तो मेरा आशय इसी से था। हम उन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबी पर सीधा प्रहार कर सकें जो पहले से ही चल रही हैं और जिन्हें बाद में शुरू किया जा सकता है। सरकार का प्रयास यह सुनिश्चित करना होगा कि ये 30 प्रतिशत अथवा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों उनका चाहे जो भी प्रतिशत हो, गरीबी पर सीधा प्रहार करके, रोजगार के अवसरों का सृजन करके, रोजगारोन्मुखी योजनाओं तथा विभिन्न सामुदायिक योजनाओं द्वारा गरीबी रेखा से ऊपर उठे। हम यह सब कुछ करेंगे।...*(व्यवधान)*

मेरा एक भाग रह गया है।

श्री के. येरननायडु: केंद्र सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि कोई राज्य सरकार गरीबी दूर करने के लिए कोई व्यापक योजना शुरू करने की इच्छुक है तो उसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका है?

श्री यशवंत सिन्हा: राज्य सरकार द्वारा की गई ऐसी पहल के संबंध में केंद्र सरकार की भूमिका सदैव सकारात्मक रही है। प्रचलित फार्मूले के अनुसार केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों की सहायता करने का प्रयास कर रही है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री बैसीमुथियारी, आपको मौका मिलेगा लेकिन पहले आप अपना बिहेवियर चेंज कीजिए। आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कुछ अनुरोध करना चाहता हूं। वह देश में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर आधे घंटे की चर्चा के बजाय पूरी चर्चा करने पर सहमत क्यों नहीं हैं?

श्री यशवंत सिन्हा: महोदय इस सरकार को मैं यह बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं किसी भी समय किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने से कोई हिचक नहीं है। इसका निर्णय आपको लेना है। हम अन्य मुद्दों की भांति इस मुद्दे पर कभी भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: कृपया कोई तारीख नियत कर दें।

अध्यक्ष महोदय: इसके लिए उचित रूप से सूचना दी जाये। उसके बाद ही तारीख नियत की जा सकती है।

[हिन्दी]

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के समझौते का प्रभाव

***82. मोहम्मद शहाबुद्दीन:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्यों ने सरकार का ध्यान विश्व व्यापार संगठन के (डब्ल्यू.टी.ओ.) समझौते के कतिपय प्रावधानों की ओर आकर्षित किया है जिनसे भारतीय किसानों और लघु उद्योगों तथा घरेलू कृषि उत्पादों के विपणन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के समझौते के ऐसे प्रावधानों का ब्यौरा क्या है जिनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ग) ऐसे भारतीय उत्पादों का ब्यौरा क्या है जिन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए विश्व व्यापार सगंठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के समझौते के उक्त प्रावधानों के कारण भारतीय किसान, उद्योग और उत्पाद प्रभावित न हों, क्या कदम उठाये गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) कुछ राज्य सरकारों ने भारत सरकार का ध्यान विश्व व्यापार संगठन के कुछेक करारों के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया है विशेषकर कृषि संबंधी करार (ए.ओ.ए.) सेनिटरी और फाइटोसेनिटरी उपायों के अनुप्रयोग संबंधी करार (एस.पी.एस.) व्यापार संबंधी बौद्धिक सम्पदा करार (ट्रिप्स) तथा टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार (जी.ए.टी.टी.)।

सरकार का ध्यान अन्य बातों के साथ-साथ इस ओर भी दिलाया गया है-कृषि—क्षेत्र में विकसित देशों की व्यापार में व्यवधान डालने वाली नीतियाँ, अर्थपूर्ण बाजार पहुँच की मनाहीं, गैर-टैरिफ बाधाओं के रूप में एस.पी.एस. उपायों का उपयोग, मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने के कारण घरेलू उत्पादों पर पड़ने वाला विपरीत प्रभाव, किसानों के अधिकार अनिवार्य औषधि एवं बीजों के लिए अनिवार्य लाइसेंस देने में लोचशीलता की आवश्यकता, जैव-विविधता का संरक्षण इत्यादि।

घरेलू उत्पादों पर संभावित विपरीत प्रभाव के संबंध में मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के प्रभाव का मूल्यांकन करने और उपयुक्त सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक अन्तरमंत्रालयी समूह की स्थापना की गई है। यदि घरेलू उत्पाद बुरी तरह से प्रभावित होते हैं तो उपायों का पता लगाने के लिए निकट से निगरानी की जा रही है। टैरिफ बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार विभिन्न उत्पादों की लागू टैरिफ दरों पर निकट से निगरानी रख रही है। अनेक मदों पर लागू सीमाशुल्कों में वृद्धि की है जहाँ आयातों में वृद्धि नोट की गई अथवा जहाँ वृद्धि की आशंका थी। उदाहरण के लिए, सुपारी तथा कुक्कुट उत्पादों पर लागू सीमाशुल्क को 35% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है, गेहूँ पर 0% से 50% तक, सेब पर 35% से 50%, स्किम मिल्क पाउडर पर 0% से 60% तक (10,000 टन के टी.आर.क्यू. से परे), अर्द्ध रूप से मिल में तैयार अथवा पूर्ण रूप से मिल में तैयार चावल पर 0% से 70% तक, बाजरा, ज्वार, सोरगम तथा मक्का पर 0% से 50% तक तथा शिशुओं के उपयोग में आने वाले आहार चाय तथा कॉफी पर 15% से 35% तक, चीनी पर 27.5% से 60% तक, नारियल पर 15% से 35% तक नारियल तेल पर 35% से 45%, सोयाबीन तेल पर 35% से 45%, परिष्कृत पाम ऑयल पर 45% से 65% तक, सनफ्लावर ऑयल पर 35% से 45% तक इत्यादि।

घरेलू उत्पादों को होने वाली क्षति के खतरे का भी निराकरण पाटनरोधी कार्रवाई, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाकर तथा सम्बद्ध डब्ल्यू.टी.ओ. करारों के तहत रक्षोपायों के जरिए किया जा रहा है। विशेष परिस्थितियों के कारण पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्कों के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कुछ विशिष्ट वस्तुओं अर्थात् ड्राई बैट्रीज, बैट्री से चलने वाले खिलौने तथा खेल कूद के जूतों पर स्वत: कार्रवाई की शुरूआत की है।

भारत भी अनिवार्य वार्ताओं की अंतर्निहित कार्यसूची को तैयार करने तथा उनकी समीक्षा करने तथा अन्य डब्ल्यू.टी.ओ. कार्यक्रमों पर डब्ल्यू.टी.ओ. सक्रिय रूप से संलग्न है। समान विचारों वाले देशों के साथ भारत ने भी विभिन्न डब्ल्यू.टी.ओ. करारों में आई असमानता एवं विषमताओं के उर्ध्वगामी सुधार की मांग की है जिन्हें सामान्य रूप से कार्यान्वयन संबंधी चिन्ता कहा जाता है।

[हिन्दी]

मोहम्मद शहाबुद्दीन: अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर दिया गया है, वह अपने आप में पूर्ण नहीं है। मैंने पूछा था कि क्या कई राज्यों ने सरकार का ध्यान विश्व व्यापार संगठन के समझौते के कतिपय प्रावधानों की ओर आकर्षित किया है जिनसे भारतीय किसानों और लघु उद्योगों तथा घरेलू कृषि उत्पादों के विपणन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। यह पूछा गया कि कौन-कौन से राज्य हैं और उनके द्वारा कौन-कौन से सुझाव आए हैं। मंत्री जी कृपया बताएं कि किन-किन राज्यों से किस तरह का प्रस्ताव आया है और उनके सुझावों पर सरकार अमल करना चाहती है या नहीं?

[अनुवाद]

श्री उमर अब्दुल्ला: महोदय, जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का संबंध है, उन्होंने पूछा है कि क्या हमें विश्व व्यापार संगठन के समझौते के मुद्दे और उस समझौते के प्रावधानों और उनके प्रभाव यदि कोई पड़ा है के बारे में राज्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

मैंने माननीय सदस्य और सभा को जो जानकारी दी है, उसमें हमने राज्य सरकारों द्वारा उठाये गये विभिन्न मुद्दों पर बात की है। हमने कृषि संबंधी करार के बारे में जानकारी मांगी है। हमने सेनिटरी और फाइटोसेनिटरी उपायों के अनुप्रयोग संबंधी करार, व्यापार संबंधी बौद्धिक सम्पदा करार तथा टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार "गैट" के बारे में जानकारी मांगी है।

इसके अलावा सरकार का ध्यान अन्य बातों के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में विकसित देशों की उन नीतियों की ओर दिलाया गया है जो हमारे व्यापार पर प्रतिकूल असर डालती है और अर्थपूर्ण बाजार पहुंच तथा एस.पी.एस. उपायों के उपयोग का निषेध करती है।

मोटे तौर पर राज्य सरकारों की चिन्ता को चार भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है-कृषि सम्बन्धी पहुंच हमारे साथ किया जाने वाला, अन्याय, मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाना और इसका प्रभाव, आयात में वृद्धि यदि कोई है तो तथा ऐसे आयातों का मूल्यों पर प्रभाव। सरकार इस स्थिति की सतत रूप से निगरानी कर रही है। जब कभी भी स्वदेशी उद्योग की चिंताओं को दूर के लिए कदम उठाना आवश्यक होता है, तो हम कदम उठाते हैं।

आज ही वाणिज्य मंत्रालय अधिसूचनाएं जारी कर रहा है। जिसमें इस बात पर बल दिया गया है कि देश में किये जाने वाले सभी आयात बी.आई.एस. मानदंडों को पूरा करें। इस आदेश में लगभग 131 उत्पाद शामिल किए जायेंगे। ताकि भारतीय बाजारों में घटिया माल को प्रवेश करने की अनुमति न मिल सके।

इसके अलावा, हमने इस बात पर भी बल दिया है कि उपभोक्ता बाजार में आने वाली उपभोक्ता वस्तुओं की पैकिंग पर अधिकतम खुदरा मूल्य मुद्रित होने चाहिए ताकि उपभोक्ता को उत्पाद की कीमत सीमाशुल्क स्तर पर ही पता चल जाये।

इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी निदेशालय, जो एक अर्धन्यायिक निकाय है, ने स्वत: ही यह निर्णय लिया है कि तीन उपभोक्ता वस्तुओं के विरुद्ध पाटनरोधी कार्यवाही शुरू की जाये। ऐसा पहली बार हुआ है कि पाटनरोधी निदेशालय ने स्वत: ही उपभोक्ता वस्तुओं पर ध्यान दिया है।

उनकी नजर ड्राई बैटरी सैलों, इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों और खेलकूद के सामान पर है। अत: इस दृष्टि से मैं सभा को और माननीय सदस्य को यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सरकार इस स्थिति से भली-भांति परिचित है। हम आयात के स्तर की निरंतर निगरानी कर रहे हैं और जब कभी भी उद्योग क्षेत्र में विश्वास पैदा करने के लिए निर्णय लेने की आवश्यकता होगी तो हम निर्णय लेने में कभी भी नहीं हिचकिचाएगें।

[हिन्दी]

मोहम्मद शहाबुद्दीन: अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले अखबारों में आया है कि अमेरिका 10 लाख टन सोयाबीन निर्यात करने का प्रयास कर रहा है। उस सोयाबीन को जापान और यूरो के कई देशों ने नकार दिया है, इस वजह से कि वह सोयाबीन इस लायक नहीं है कि उसका इस्तेमाल किया जाये, क्योंकि उसकी गुणवत्ता इतनी गिरी हुई है। ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका प्रयास कर रहा है, इसमें सत्यता है और सरकार को इस बात की जानकारी हो गई है तो उस स्थिति में उस प्रयास को निष्फल बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है? उस तरह की कई चीजें हैं, जैसे खराब बीज का आयात करना और खराब चीजों का आयात करना, जिससे हमारे देश के किसानों और उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सरकार इस तरह के आयात पर रोक लगाने के लिए क्या कर रही है?

[अनुवाद]

श्री उमर अब्दुल्ला: महोदय, जहां तक घटिया सोयाबीन जिसके बारे में माननीय सदस्य ने बताया है के आयात का संबंध है मेरे विचार से यह कहना उचित है कि हमने कठोर सैनिटरी और फाइटोसेनिटरी के उपाय नहीं अपनाए हैं। हम देश में आने वाले उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करते हैं। यदि हमें ऐसा महसूस हो कि घटिया सोयाबीन को देश में लाने का प्रयास किया जा रहा है तो हम उसे देश में लाने की अनुमति नहीं देंगे।

अध्यक्ष महोदय, एस.पी.एस. उपाय गैर-टैरिफ बाधाओं में से एक हैं जिसका विश्व व्यापार संगठन देश को उपयोग करने की अनुमति देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घटिया माल देश में न आ सकें। यह उन उपायों में से एक हैं जिसे हम सुदृढ़ बनाने का सतत प्रयास कर रहे हैं और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि घटिया बीजों, घटिया अनाज और अन्य वस्तुओं से भारतीय अर्थव्यवस्था को पाटने की अनुमति न दी जाये।

श्री पवन कुमार बंसल: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में हमें बताया था कि घरेलू उत्पादों पर संभावित विपरीत प्रभाव के संबंध में मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के प्रभाव को मूल्यांकन करने और उपयुक्त सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक अन्तरमंत्रालयी समूह की स्थापना की गई है। महोदय, यह तो उल्टी गंगा बहाई जा रही है। 1429 वस्तुओं पर से प्रतिबंध हटा लेने के बाद, और वह भी यहां देश में ही नहीं विदेश में इस आशय का करार किया गया था लेकिन आज वे लोगों को बता रहे हैं कि वे उसके प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। पहला प्रश्न उन नीतियों के प्रभाव से संबंधित है जिनका सरकार बिना सोचे समझे अनुसरण कर रही है। इसका देश के लोगों पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। क्या हमें यहां यही बताना पर्याप्त होगा कि वे प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं?

महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार का वास्तव में कोई दृष्टिकोण है जब वह बार-बार हमें यह बताती है कि यह वही नीति है जो कांग्रेस ने बनाई थी और जो अपनाई जा रही है, इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमने किसी विशेष स्थिति में, किसी विशेष परिवेश में नीतियां बनाई थी जो कि समय की मांग के अनुरूप थी। आज सरकार क्या कर रही है।

यदि उन्हें सत्ता सौंपी गई है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वे बिना सोचे समझे इसका संचालन करें और लोगों को बरबाद करें?

महोदय मैं, वास्तव में सरकार से उसके द्वारा उठाए जा रहे उन कदमों के बारे में जानना चाहता हूँ जिससे यह सुनिश्चित हो कि सरकार की नीतियों के कारण अत्यधिक गरीब व्यक्ति को परेशानी न उठानी पड़े।

श्री उमर अब्दुल्ला: महोदय, मैं अपनी आरंभिक टिप्पणियों में सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों के बारे में बता चुका हूं। जैसा कि मैंने बताया है कि ये कदम बी.आई.एस. मानकों का पालन करने और उपभोक्ता वस्तुओं के लिए पैकिंग पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) मुद्रित करने के लिए उठाए गये हैं। लेकिन

महोदय, सबसे पहले मैं मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के मुद्दे के बारे में बताना चाहता हूं क्योंकि सभा में तथा सामान्य अर्थव्यवस्था में इस तथ्य के बारे में गलत फहमी व्याप्त है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने के उपायों को किसी दबाव में नहीं बल्कि जल्दबाजी में इस वजह से अपनाया है कि हम कतिपय विश्वव्यापी शक्तियों को खुश करना चाहते हैं। महोदय, सर्वप्रथम, पिछले कुछ वर्षों से मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं हटाए गए हैं। 1990 के आरंभ के पहले भी इसके लिए ठोस प्रक्रिया शुरू की गई है। हमने भुगतान संतुलन पर विपरीत प्रभाव के कारण अपने आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध बनाए रखा जिसकी अनुमति 'गेट' द्वारा दी गई।

कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के कारण हमारी भुगतान संतुलन की स्थिति में काफी सुधार हुआ और हमारे लिए आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध को न्यायसंगत ठहराना असंभव हो गया। इसलिए हमसे इन मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के लिए कहा गया और हमने इसके लिए एक अवधि नियत की वायदा किया कि हम 2003 तक ये प्रतिबंध हटा देंगे। यह तारीख अमरीका को स्वीकार्य नहीं थी। वे इस मामले को विवाद निपटान तंत्र में ले गए जहां हम हार गए। हमने अपील की और उसमें भी हमारी पराजय हुई। हमें सभी मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने के लिए 31 मार्च, 2001 की तारीख दी गई और हमने धीरे-धीरे प्रतिबंध हटाने शुरू किए।

श्री पवन कुमार बंसल: धीरे-धीरे नहीं, आपने अचानक ही ये प्रतिबंध हटाये हैं।

श्री उमर अब्दुल्ला: सभी मात्रात्मक प्रतिबंधों को एक ही बार में हटाना किसी भी सरकार की ओर से दु:साहस होगा। इसका विकल्प रहा होगा। हम 31 मार्च, 2001 को ही सभी मात्रात्मक प्रतिबंध पूरी तरह से हटा देते। लेकिन इससे अर्थव्यवस्था में जो तबाही आती वह सभी को पता है। बाद की सरकारों ने शुरू में धीरे-धीरे नियोजित रूप से उन मदों पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए जिनका अर्थव्यस्था पर कम प्रभाव पड़ रहा था लेकिन इसके बारे में हमने महसूस किया कि इन्हें अधिकतम सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए इस वर्ष हमने 715 मदों पर से प्रतिबंध हटाया। अगले वर्ष 714 मदों पर अंतिम रूप से प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। लेकिन मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने का अर्थ यह नहीं है कि हमें भारतीय अर्थव्यवस्था की परवाह नहीं है। हम निरन्तर, मैं फिर दोहराता हूं कि हम किए जा रहे आयात स्तर पर निरन्तर निगरानी रख रहे हैं। वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय एक साथ काम कर रहे हैं। हम शुल्क स्तर की निगरानी कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि शुल्क का स्तर घरेलू उद्योग की पर्याप्त सुरक्षा कर रहा है लेकिन मैं यह भी दोहराता हूँ इससे उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान नहीं होगा। यह एक नाजुक संतुलन है जिसे बनाए रखना है। हम इस सन्तुलन को बनाए रखने के लिए निरन्तर कार्य कर रहे हैं। जब उद्योग में आवश्यक आत्म-विश्वास पैदा करने के उपायों की आवश्यकता होती है तो आप देखेंगे कि हम कभी पीछे नहीं रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: अध्यक्ष महोदय, मेरी एक ही प्रार्थना है कि जो अधिकतम बाउंड रेट डब्ल्यू.टी.ओ. के अंतर्गत अलाऊ किया गया है, फिर भी कुछ आइटम्स पर सरकार ने डब्ल्यू.टी.ओ. का बंधन न होने के बावजूद कस्टम ड्यूटी कम कर दी है, जैसे कासमैटिक्स, खिलौने आदि हैं, तो क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी? इसके साथ ही मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जो इम्पोर्टेड आइटम्स होती हैं, उनके ऊपर काउंटर वीलिंग ड्यूटी कॉस्ट्स आन इम्पोर्टेड वेल्यू पर लगाई जाती है और इंडियन स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को अधिकतम प्राइस भरना पड़ता है, यह जो अन्याय है, क्या सरकार इसे दूर करेगी?

[अनुवाद]

श्री उमर अब्दुल्ला: महोदय, जहां तक यह सुनिश्चित करने का संबंध है कि अधिकतम खुदरा मूल्य पर शुल्क लगाया जाए, हमने इस बात जैसाकि मैंने कहा है कि उपभोक्ता वस्तुओं पर जोर दिया है पर अधिकतम खुदरा मूल्य मुद्रित किया जाए ताकि यह विसंगति न रहे। जहां तक निर्धारित दरों का संबंध है, जिस समय निर्धारित दरों पर विचार-विमर्श चल रहा था तो हमारी घरेलू बाध्यताओं के कारण निर्धारित दरें या तो शून्य अथवा बहुत कम दर पर तय हुई थी क्योंकि उस समय देश को इस माल अथवा इन उत्पादों की बहुत आवश्यकता थी। हमारी अर्थव्यवस्था में हुई प्रगति से हम अब इनमें से अनेक मदों के मामले में आत्मनिर्भर हैं। हमने अपने उद्योग को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने हेतु अपनी कुछ निर्धारित दरों पर धीरे-धीरे पुन: बातचीत करना शुरू किया है।

मैं कृषि संबंधी कुछ मदों की सूची पढ़ना चाहता हूं जिनमें हमने निर्धारित दरें बढ़ायी है। दूध पाउडर में यह दर शून्य से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है। मुर्गे का गोश्त तथा मुर्गे की संख्या पर यह दर 35 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक बढ़ाई गई है। धान और सेला चावल पर यह दर शून्य से 80 प्रतिशत तक बढ़ाई गई है। धान-कुट्टी अथवा पूर्णत: कुट्टा धान पर यह दर शून्य से 70 प्रतिशत की गई है। चीनी पर यह दर 27.5 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक बढ़ाई गई है।

इसी तरह गेहूँ पर यह दर शून्य से 50 प्रतिशत तक बढ़ाई गई है। उन उपभोक्ता वस्तुओं जो अन्य भागों से हमारे यहां आ रही हैं, और हमारे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रही हैं, के संबंध में शुल्क और आयातित माल की मात्रा पर निरंतर निगरानी कर रहे हैं। यदि हम महसूस करते हैं कि घरेलू उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुल्क संशोधन अंतिम विकल्प है तो वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने हेतु मिलकर काम करेंगे।

राजकोषीय घाटा

*84. श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री शिवाजी माने:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में हुई अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने हेतु कतिपय कठोर निर्णय लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत वर्ष की तुलना में इस समय राजकोषीय घाटे की स्थिति क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार ने आयोजना-भिन्न, गैर-विकासात्मक व्यय में वृद्धि को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं जैसे कि सभी मंत्रालयों/विभागों और स्वायत्त संस्थानों के आयोजना-भिन्न वेतन-भिन्न व्यय के लिए बजटीय आवंटन में 10 प्रतिशत की अनिवार्य कटौती; एक वर्ष तक नए वाहनों की खरीद पर पूर्ण प्रतिबन्ध; स्टाफ कारों के लिए पी.ओ.एल. पर व्यय हेतु निधियों के उपभोग और आवंटन पर 10 प्रतिशत की कटौती; एक वर्ष तक नए पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध; अध्ययन दौरों, सेमीनारों आदि के लिए विदेशी यात्रा पर प्रतिबन्ध।

(ग) 2000-2001 के पहले छह महीनों (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान केन्द्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा 42,592 करोड़ रुपए है और यह पिछले वर्ष अप्रैल-सितम्बर में 52,395 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे की तुलना में 18.7 प्रतिशत कम है।

[अनुवाद]

श्री राम मोहन गाड्डे: महोदय, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि छह माह में 10,000 करोड़ रुपए बचाए गए हैं। मैं इस संबंध में आपसे यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने पिछले छह महीनों में स्टाफ कारों की पेट्रोल खपत में कटौती करके वास्तव में कितनी बचत की है। हम देखते हैं दिल्ली के सभी बाजारों में स्टाफ कार जिसमें अधिकारियों के परिवारिक सदस्य दिन भर खरीददारी करते हैं।

मैं पिछले छह माह के दौरान अध्ययन दौरों तथा विचार गोष्ठियों में की गई कटौतियों के आंकड़ों के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री यशवन्त सिन्हा: व्यय प्रबंधन, वित्तीय दूरदर्शिता और मितव्ययिता संबंधी मार्गनिर्देश 24 सितम्बर, 2000 को जारी किए गए है और इस समय पेट्रोल अथवा व्यय की अन्य मदों पर हुई बचत के निश्चित आंकड़े देना जल्दबाजी होगी। कुछ समय व्यतीत हो जाने दीजिए और उसके बाद हम इसकी पुनरीक्षा कर पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय: दूसरा अनुपूरक प्रश्न।

श्री राम मोहन गाड्डे: दूसरा अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शिवाजी माने: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि जितने भी प्रयास सरकार की ओर से फिस्कल डैफिसिट कम करने के लिए किए गये हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं। हमारे देश में पैट्रोल कंजम्पशन बहुत ज्यादा है और बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे हैं जिनके पास 20-20, 25-25 कारें हैं। यह अननैसेसरी कंजम्पशन कम करने के लिए सरकार की ओर से क्या कोई प्रयास किये जा रहे हैं? हम देखते हैं कि एक-एक मंत्री के पीछे 10-12 गाड़ियां भागती हैं। इस सब खर्चे को कम करने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रयास किये जा रहे हैं या नहीं?

श्री यशवन्त सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्राइवेट सैक्टर का ताल्लुक है, उसमें जो मार्केट फोर्सेज ऑपरेट करती हैं, अगर कीमतें बढ़ती हैं तो शायद खपत कम होती हैं लेकिन हम उनके ऊपर कोई राशनिंग नहीं कर रहे हैं और ऐसा करने का सरकार का इरादा भी नहीं है। जहां तक सरकारी खर्च का सवाल है तो मैं बताना चाहता हूं कि सितम्बर में वित्त मंत्रालय की तरफ से जो आदेश जारी किये हैं, उनमें सख्त निर्देश दिये गये हैं कि इन

सारी चीजों के ऊपर बहुत सावधानी के साथ खर्च किया जाये और कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इसमें नहीं हो लेकिन जैसा मैंने कहा कि पैट्रोल का खर्चा सरकारी खर्च का एक छोटा सा ही अंश है। यह हम न सोचें कि सारा सरकारी खर्च तीन लाख 38 हजार करोड़ रुपये सारा पैट्रोल के ऊपर जाता है। उसमें बहुत प्रकार के दूसरे खर्चे हैं।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, इस तथ्य को देखते हुए कि सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क के संग्रहण में तेजी से गिरावट आई है और इस प्रकार संग्रहण लक्ष्य से काफी कम हुआ है। और दूसरी ओर वित्तीय घाटे में वृद्धि हुई है। सरकार का आगामी तिमाही वित्तीय घाटे को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, जैसाकि माननीय सभा को जानकारी है कि इस वर्ष के बजट में वित्तीय घाटे का बजटीय लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 5.1 प्रतिशत है। जबकि हम एक ओर व्यय पर कठोर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी ओर यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे सभी राजस्व भी लक्ष्य को पूरा करें। माननीय सदस्य का यह कहना ठीक है कि सीमाशुल्क संग्रहण के संबंध में जहां तक आरंभिक सात महीनों के आंकड़ों का संबंध है। उसमें कुछ कमी आई है लेकिन माननीय सभा को इस बात की भी जानकारी है कि हम पेट्रोलियम उत्पादों के कारण सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क के द्वारा करीब 4,000 करोड़ रुपए की रियायत देना चाहते हैं ताकि उपभोक्ता पर भार न पड़े। हम प्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम लक्ष्य से आगे है। उत्पाद शुल्क संग्रहण के संबंध में हम लक्ष्य के बहुत निकट है और इस समय मेरा अनुमान है कि व्यय तथा राजस्व दोनों के रुख को ध्यान में रखते हुए वित्तीय घाटे को बजटीय लक्ष्य के भीतर रखना संभव होगा। मैं माननीय सदस्य की शंका से सहमत नहीं हूं क्योंकि मैं उन्हें सहमति व्यक्त करते हुए देख रहा हूं। जब मैं बजट प्रस्तुत करूंगा तो हम इन तथ्यों को जान जायेंगे।

श्री रूपचन्द पाल: भुगतान संतुलन नियंत्रित करने में आपका आई.एम.डी.ए. भी सहायता नहीं करेगा।

श्री समीक लाहिड़ी: महोदय, पिछले वर्ष भी ऐसा ही हुआ था।

श्री यशवन्त सिन्हा: ऐसा 1980-81 से हो रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री समीक लाहिड़ी: आपके आश्वासन के बावजूद, ऐसा हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा: जी नहीं मैंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। मैं पहली बार शुरू के छह माह में व्यय के रुख तथा शुरू के सात माह में राजस्व संग्रहण के आधार पर विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि सरकार के लिए बजट प्राक्कलन पर कायम रहना संभव होगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने वित्तीय घाटा पूरा करने हेतु अपने नियंत्रण तंत्र में औचित्यपूर्ण ठहराने हेतु अपने वक्तव्य में अनेक बातों का उल्लेख किया है। नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध लगाना उनमें से एक है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या नए पदों के सृजन का तात्पर्य अधिकारी स्तर पर पदों का सृजन है अथवा यह सृजन या सभी रिक्त पदों को भरने पर प्रतिबंध से है। यदि सभी रिक्त पद नहीं भरे जायेंगे और उस पर प्रतिबंध है तो क्या मंत्री जी इस बात का आकलन और गणना करेंगे कि देशभर में कितने पद होंगे जिनसे पात्र लोगों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी से वंचित किया जाएगा?

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, हमने मितव्ययिता अनुदेशों में स्पष्ट रूप से नीति निर्धारित की है और ऐसी भी नीति रही है जो पहले से चली आ रही है। उदाहरण के लिए यदि कोई पद 12 माह से अधिक रिक्त पड़ा रहता है और जिसे किसी मंत्रालय द्वारा भरा जाना है तो इस पद को नया पद समझा जाएगा और तब नए पद के सृजन की पूरी प्रक्रिया की जांच की जाएगी। इसके साथ ही हमें अपवाद स्वरूप भी ऐसा करना पड़ता हैं क्योंकि कतिपय अत्यावश्यकता होती हैं अथवा कतिपय स्थितियां पैदा हो जाती हैं जिनके अंतर्गत पदों का सृजन अनिवार्य हो जाता है। तथापि सामान्य सिद्धान्त यह है कि यदि वे कोई मंत्रालय नए पद के सृजन के लिए कहता है तो हम संबंधित मंत्रालय से वित्त मंत्रालय का अनुसरण करते हुए समतुल्य बचत का पता लगाने के लिए कहते हैं और बहुत कम मामलों में इस नियम का अपवाद होता है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 85.

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अपने सीट पैर बैठ जाइए।

ग्यारहवां वित्त आयोग

*85. श्री के.पी. सिंह देव:
श्री सुरेश कुरूप:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(घ) क्या अनेक राज्य सरकारों ने उक्त रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) राज्य सरकारों के प्रस्तावों के प्रति केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) ग्यारहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2000-05 की अवधि के लिए अपनी प्रमुख रिपोर्ट 7.7.2000 को और अतिरिक्त विचारार्थ विषयों पर अपनी रिपोर्ट 31.8.2000 को प्रस्तुत कर दी थी। प्रतिवेदन की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणी के साथ प्रमुख रिपोर्ट 27 जुलाई, 2000 को सदन के पटल पर रख दी गई थी। अतिरिक्त विचारार्थ विषयों पर ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट 31.8.2000 को प्राप्त हुई है, जो सरकार की जांच के अधीन है।

(घ) जी, हां।

(ङ) कुछ राज्य सरकारों ने ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रतिक्रिया में एक दूसरे के मुकाबले राज्यों को करों और अनुदान सहायता के आबंटन के बारे में अपनी राय जाहिर की है।

(च) उपरोक्त (क) से (ग) के अनुरूप।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि श्री सिन्हा ने यह काम राज्यमंत्री को सौंप दिया है। अब उन्हें कोई शिकायत नहीं है। क्या राज्य मंत्रियों की कोई यूनियन बन गई है जिससे वरिष्ठ मंत्रीगण अब उन्हें सौंप काम सौंप रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: यह कार्य का विकेन्द्रीकरण है।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: मामला यह नहीं है। हमें हमेशा काम दिया गया है।

श्री के.पी. सिंह देव: महोदय, इस तथ्य के मद्देनजर कि ग्यारहवें वित्त आयोग ने बढ़िया काम किया है।...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव: वह क्या है।

श्री के.पी. सिंह देव: मैं उसी पर आ रहा हूँ, महोदय। प्रथम यह देखा गया कि राज्यों का राजस्व घाटा चौकानें वाली स्थिति में पहुंच गया है। इसलिए उन्हें अधिक कर लगाकर अधिक राजस्व जुटाना चाहिए। इसने उन राज्यों को फटकार लगाई है जो अपनी खामियों के कारण अपेक्षित राजस्व जुटाने में असफल रहे, जो कर्त्तव्य पालन में असफल रहे। इसमें राज्यों को उनकी वित्तीय स्थिति और उस पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव के लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया है।

इसमें मुख्य सचिव द्वारा कड़ी निगरानी रखे जाने का भी सुझाव दिया है।

महोदय, यह चक्र का पुनर्आविष्कार करने जैसा है। इसमें कुछ सुधारात्मक उपाय भी सुझाए हैं और इसमें यह सुझाव भी दिया है कि 37.5 प्रतिशत राजस्व का अन्तरण राज्यों को कर दिया जाए। मेरे प्रश्न के भाग (क) से (ग) के उत्तर में यह कहा गया है 'यह सरकार के विचाराधीन है'। यह कब तक विचाराधीन रहेगा? यह कब लागू होगा और क्या सरकार ने ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया है अथवा नहीं?

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, यदि माननीय सदस्य श्री प्रियरंजन दासमुंशी को आपत्ति न हो तो अपने राज्य मंत्री की अनुमति से, मैं उत्तर दूंगा।...*(व्यवधान)* महोदय पिछले वित्त आयोगों की तरह इस वित्त आयोग का लक्ष्य भी पांच वर्षों के अन्त में जो इस वित्त आयोग की सिफारिशों की वैद्यता की अवधि है, वित्तीय सन्तुलन को प्राप्त करने का है। इसलिए भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों दोनों के लिए वित्त आयोग ने राजस्व संबंधी कई नुस्खे सुझाए हैं। विभिन्न उपाय अपनाने का सुझाव दिया है जिसका अनुकरण करके सरकारें वित्तीय संतुलन का लक्ष्य प्राप्त करने में कामयाब रहेंगी।

इसलिए माननीय सदस्य यह न सोचे कि वित्त आयोग उपदेश दे रहा है या वित्त आयोग फटकार लगा रहा है। यह वित्त आयोग के दायित्व का एक हिस्सा है और साथ ही यह उनका अधिकार है कि हमें बताएं कि हमें क्या करना है।

प्रश्न का दूसरा भाग वित्त आयोग की अनुपूरक रिपोर्ट से संबंधित था जैसा कि हमनें मुख्य प्रश्न के उत्तर में कहा था "यह सरकार के विचाराधीन है।" महोदय आपके माध्यम से मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि सरकार इसी वित्तीय वर्ष में इस पर जल्दी ही उचित निर्णय लेगी ताकि अनुपूरक सिफारिशों के फलस्वरूप राज्य सरकारों को जो भी देय बने वह उन्हें इसी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध करा दिया जाएगा।

श्री के.पी. सिंह देव: महोदय, इस तथ्य के मद्देनजर कि ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट एक विशेषज्ञ संस्था की रिपोर्ट है। जिस क्षण सरकार इसे स्वीकार करेगी, यह राजनैतिक निर्णय बन जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि ग्यारहवें वित्त आयोग पर प्राप्त राज्य सरकारों की टिप्पणियों के परिणामस्वरूप जैसा कि (घ) और (ङ) के भागों में दिए उत्तर में स्वीकार किया गया है हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों ने जो सभी राज्य के सदस्य है और पश्चिम बंगाल ने भी अपनी टिप्पणियों में वास्तव में ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की आलोचना की है क्योंकि पहले वित्त आयोग से दसवें आयोग तक की तुलना में ग्यारहवां वित्त आयोग ने केन्द्र सरकार का राज्य सरकारों को दिए जाने वाले राजस्व अंश दान की दर में एक प्रतिशत कटौती करने का प्रावधान किया है। यह कटौती उड़ीसा पर और भी अधिक लागू होती है। यह पहली बार हुआ है कि उड़ीसा को अतिरिक्त केवल 9 करोड़ ही मिल पाएंगे जब कि उसका कर-आधार बहुत सीमित है और उसे पिछले 35 सालों से प्राकृतिक आपदाओं को झेलना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय: श्री सिंहदेव, समय बहुत कम है।

श्री के.पी. सिंह देव: महोदय उड़ीसा के मुख्य मंत्री, जो राजग का ही एक हिस्सा है ने इस संबंध में एक पत्र लिखा है और आपके सभी मुख्य मंत्रियों ने इसका विरोध किया। अब मैं यह जानना चाहता हूँ। अब यह राजनैतिक निर्णय होने वाला है- क्या मानक दृष्टिकोण है, या घाटा पूरा करने की प्रक्रिया अथवा केन्द्र सरकार इस संबंध में करेगी या नहीं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री को जवाब देने दीजिए।

श्री यशवन्त सिन्हा: ग्यारहवें वित्त आयोग ने विभिन्न राज्यों को राशि का आबंटन करने में कर राजस्व अन्तरण फार्मूला निर्धारण करने में कतिपय सिद्धांतो का अनुकरण किया है, और इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रत्येक राज्य के राजस्व घाटे का भी आकलन किया जिसके आधार पर आयोग ने यह निर्धारण किया है कि देश के कुछ राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान भी मिलेगा। हमने सभी वित्त आयोगों का अध्ययन किया है। प्रत्येक वित्त आयोग के सिद्धांत और परंपराएं पूर्व वित्त आयोगों से कुछ भिन्न रही हैं। इसलिए, मैं समझता हूँ कि सामान्य नियम के एक उपाय के रूप में हम पूर्व वित्त आयोगों को एक मापदण्ड के रूप में नहीं ले सकते।

मध्याह्न 12.00 बजे

इसे आधार नहीं समझना चाहिए क्योंकि प्रत्येक वित्त आयोग के अलग विचार होते हैं। इसलिए जब भी हमने वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया है। तो प्रत्येक राज्य की सरकार हमारे संपर्क में रही है और जब भी कहीं कोई विशेष स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत सरकार लीक से हट कर राज्य सरकार की मदद करती है।

अध्यक्ष महोदय: श्री कुरूप, कृपया स्पष्ट प्रश्न पूछिए।

श्री सुरेश कुरूप: मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार विभिन्न राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों से उठने वाली व्यापक आलोचना पर विचार करेगी। ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अपनाए गये मानदंड के अनुसार इन राज्यों को केन्द्र से कर राजस्व का कम हिस्सा मिलता है। इसलिए यह एक गलत धारणा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार राज्यों में होने वाली व्यापक आलोचना को देखते हुए इसमें सुधार करेगी।

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूँ कि अब समय नहीं बचा है।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं जल्दी ही उत्तर दूंगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है।

महोदय, ग्यारहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकार के कार्य निष्पादन और आवश्यकताओं का मूल्यांकन करते समय जनसंख्या, उच्चतम बिन्दु से आय अन्तर क्षेत्रफल आधारसंरचना का सूचकांक, कर प्रयास और वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखा है। हमने परंपरा का अनुपालन किया है और वित्त आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया। अगर सरकार किसी संवैधानिक संस्था की सिफारिशों का निर्णय करने बैठती है तो मैं समझता हूं कि हम इस प्रक्रिया के अंत तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: ऐसी बात विगत में हुई है।

श्री यशवन्त सिन्हा: नहीं ऐसा विगत में नहीं हुआ है। हमने पता लगाया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री कानूनगो अब समय नहीं बचा है।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, पिछले, सत्र में हमने सभा को यह बताया था कि हमने ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोय: प्रश्न काल समाप्त होता है। मंत्री महोदय, आप अपना उत्तर भेज सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र के नये बैंक

***83. श्री जी.जे. जावीया:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के नये बैंको को अनुमति देने वाले मानदण्डों की समीक्षा के लिए 1998 के दौरान एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है;

(ख) क्या उक्त समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) कौन सी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई है और अब तक क्रियान्वित कर दी गई है; और

(ङ) अन्य सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) समिति द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें ये हैं:

(1) ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने तथा सफल वित्तीय सेवाएं प्रदान करने हेतु बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा उत्पन्न करने के उद्देश्य से नए बैंकिंग संस्थानों के प्रवेश को प्रोत्साहन दिया जाना।

(2) आरंभिक पूंजी अपेक्षाओं को 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए किया जाना तथा आरम्भ से 10 प्रतिशत का जोखिम वाली पूंजी आस्ति अनुपात (सी.आर.ए.आर.) प्राप्त करना।

(3) 'प्रवत्तकों' और 'प्रवर्त्तक समूह' को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना।

(4) बैंक की स्थापना संबंधी सैद्धान्तिक अनुमोदन की वैधता को एक वर्ष के लिए सीमित किया जाना।

(5) शेयर धारकों में वोटिंग के अधिकार पर चालू प्रतिबंध/सीमा का हटाया जाना क्योंकि यह प्रतिबंधात्मक है और यह बैंक की स्थापना के लिए अपेक्षित पूंजी लाने का इच्छुक कम्पनी के हितों को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करेगा।

(6) नए गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बाजार में आने से पूर्व तीन वर्ष परिचालन के प्रतिबंध को हटाना।

(7) प्राथमिकता क्षेत्र उधार के 40 प्रतिशत से घटाकर 32 प्रतिशत करना जैसाकि विदेशी बैंकों के लिए है।

(8) स्थापित किए जाने वाले नए बैंक आदि के साथ प्रवर्तक समूह द्वारा निकट संबंध बनाए रखना।

(9) गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को बैंकों में बदले जाने की अनुमति देना बशर्ते कि वे निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हों।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक को इन सिफारिशों पर अभी अंतिम फैसला लेना है। कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरावट

***86. श्री समर चौधरी:**
श्री गंता श्रीनिवास राव:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयात की मात्रा पर प्रतिबंध तत्काल समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप देश में कृषि उत्पादों के मूल्यों में तत्काल तेजी से आयी गिरावट से सरकार अवगत है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि मूल्यों में तेजी से आयी गिरावट से लाखों किसानों, कृषि मजदूरों और आम व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति बुरी तरह चरमरा गयी है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार कृषकों के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करने हेतु निर्यात और आयात नीति की समीक्षा करेगी; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस विषय में सरकार के दृष्टिकोण का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ङ) 31.3.2000 को घोषित एग्जिम नीति के परिवर्तनों में कृषिजन्य उत्पादों जैसा चाय, काफी, रबड़, गेहूँ, चावल, दालें एवं खाद्य तेलों की आयात नीति के बारे में कोई परिवर्तन नहीं किए गए थे। निर्यात एवं आयात मदों के आई.टी.सी. (एच.एस.) वर्गीकरण, 1997-2002 के अध्याय-10 में यथा वर्गीकृत सभी प्रमुख खाद्यानों का आयात प्रतिबंधित है और भारतीय खाद्य निगम के जरिए इनका सरणीयन किया जाता है। निर्यात और आयात मदों का आई.टी.सी. (एच.एस.) वर्गीकरण, 1997-2002 के अध्याय-15 में यथा वर्गीकृत नारियल के तेल को छोड़कर सभी खाद्य तेलों का आयात वर्तमान में मुक्त है। नारियल के तेल, खजूर की गिरी के तेल, आर.बी.डी. खजूर तेल और आर.बी.डी. खजूर स्टीएरिन को छोड़कर सभी परिष्कृत खाद्य तेलों का आयात 1.4.1996 के पूर्व मुक्त कर दिया गया था। जैसाकि नीचे दिए गए खाद्य तेलों के आयात आंकड़ों से देखा जा सकता है, भारत हमेशा खाद्य तेलों का एक निबल आयातक रहा है:-

वर्ष	वनस्पति तेल (खाद्य)	
	मात्रा (टनों में)	मूल्य (करोड़ रु. में)
1995-96	1061988	2261.9
1996-97	1415794	2929.1
1997-98	1265753	2764.6
1998-99	2378566	7131.4
1999-2000 (अनंतिम)	4196000	7983.8
2000-2001 (अप्रैल-जुलाई) (अनंतिम)	1137770	1924.3

खाद्य तेलों के आयात को विनियमित करने हेतु इन पर सीमाशुल्कों में ऊर्ध्वगामी संशोधन किए गए हैं ताकि घरेलू तिलहनों के उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया जा सके। सरकार टैरिफ तंत्र के समुचित उपयोग के जरिए यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्णरूप से कृतसंकल्प है कि आयातों से घरेलू कृषकों को क्षति अथवा नुकसान नहीं पहुँचता है। इस उद्देश्य के लिए सरकार ने उन असंख्य कृषिजन्य मदों पर शुल्कों में वृद्धि कर दी है जिनके आयातों में वृद्धि देखी गई है अथवा वृद्धि होने की आशंका है। उदाहरणार्थ, सुपारी पर यह शुल्क 35% से बढ़ाकर 100%, कुक्कुट उत्पादों पर 35% से 100%, गेहूँ पर 0% से 50%, स्किम्ड दुग्ध पाउडर पर 0% से 60% सेब पर 35% से 50%, चावल पर 0% से 80%, नारियल पर 15% से 35% और नारियल तेल पर 35% से 45% तक बढ़ा दिया गया है। डब्ल्यू.टी.ओ. में अधिकांश कृषिजन्य मदों के लिए भारत की टैरिफ दरें काफी अधिक है और सीमाशुल्क की प्रभावी दरों में अनुकूल वृद्धि की जा सकती है यदि आयातों में पर्याप्त वृद्धि के कोई साक्ष्य मौजूद हों।

निर्यात/आयात में वृद्धि

*87. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में भारत के निर्यात में कुल मिलाकर कितनी वृद्धि हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन-किन वस्तुओं/क्षेत्रों में अलग-अलग सकारात्मक और ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई और यह कितनी-कितनी थी;

(ग) निर्यात की वर्तमान स्थिति के परिणामस्वरूप व्यापार घाटे में कितनी कमी आयी है;

(घ) आज की स्थिति के अनुसार व्यापार संतुलन की स्थिति क्या है;

(ङ) क्या इस अवधि के दौरान देश का आयात भी बढ़ा है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज की गई है और कितनी-कितनी वृद्धि दर्ज की गई है;

(छ) क्या सरकार आयात कम करने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ज) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) प्रथम छः महीनों अर्थात् अप्रैल-सितम्बर 2000 के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता से उपलब्ध नवीनतम अनंतिम आंकड़ों के अनुसार निर्यात 21310.56 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के हुए हैं जो अप्रैल-सितम्बर 1999-2000 के दौरान हुए 17461.40 मिलियन अमरीकी डालर के स्तर की अपेक्षा 22.04% अधिक है। रुपए के रूप में निर्यात 95483.76 करोड़ रुपए के हुए थे जो अप्रैल-सितम्बर 1999-2000 के दौरान हुए निर्यात मूल्यों से 26.67% अधिक है।

अप्रैल-अगस्त 2000-2001 के लिए उपलब्ध नवीनतम पृथक-पृथक आंकड़ों के अनुसार जिन प्रमुख वस्तुओं/क्षेत्रों ने अमरीकी डालर के रूप में सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की है उनमें हैं समुद्री उत्पाद (15.43%), अयस्क एवं खनिज (49.66%), चर्म एवं चर्म से निर्मित वस्तुएं (20.71%), रत्न एवं आभूषण (7.72%), रसायन एवं उससे जुड़े उत्पाद (23.63%), इंजीनियरिंग सामान (34.38%), इलैक्ट्रानिक सामान (20.23%), वस्त्र (21.98%) तथा कालीन (10.11%)। जिन वस्तुओं ने नकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की है वे हैं चाय (8.87%), कॉफी (35.99%), कृषि एवं संबद्ध उत्पाद (1.96%), खेल कूद का सामान (5.82%), हस्तशिल्प (0.24%), अपशिष्ट समेत कपास (22.54%), परियोजना सामान (76.30%) इत्यादि।

(ग) और (घ) अप्रैल-सितम्बर 2000-2001 के लिए व्यापार घाटा 4673.51 मिलियन अमरीकी डालर का होने का अनुमान है जो अप्रैल-सितम्बर 1999-2000 के दौरान हुए 5012.88 मिलियन अमरीकी डालर के घाटे के मुकाबले कम है।

(ङ) से (ज) अप्रैल-सितम्बर 2000-2001 के दौरान 25984.07 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का आयात हुआ था जो अप्रैल-सितम्बर 1999-2000 में हुए 22474.28 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात स्तर के मुकाबले 15.62% की वृद्धि प्रदर्शित करता है। आयातों में यह वृद्धि मुख्यत: तेल के आयातों के कारण हुई थी जिसमें इसी अवधि में 86.19% की वृद्धि दर प्रदर्शित हुई है। वस्तुत: गैर तेल के आयातों में 1.85% की गिरावट प्रदर्शित हुई है।

निर्यात उद्योगों के लिए ईंधन, कच्ची सामग्री और पूंजीगत सामान की हमारी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आयात आवश्यक हैं। तेल से भिन्न जिन वस्तुओं ने अप्रैल-अगस्त, 2000-01 की अवधि के लिए अमरीकी डालर के रूप में आयातों में सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की है वे हैं लोहा एवं इस्पात (12.23%), मोती, कीमती एवं अर्ध कीमती पत्थर (17.66%) और इलैक्ट्रिक मशीनरी (7.72%)।

मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज की बिक्री

*88. **श्री बसुदेव आचार्य:**
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को मॉडर्न फूड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड की 74 प्रतिशत सरकारी इक्विटी की बिक्री करने में बहुत अधिक विसंगतियां पायी गई हैं जिसके परिणामस्वरूप सरकार को बिक्री से प्राप्त होने वाली आय में से 22 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को देनी पड़ेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश भर में फैले 23 स्थानों पर मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करवाने पर विचार किर रही है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रियायती मूल्य पर अखबारी कागज की आपूर्ति

*89. **श्री बृजलाल खाबरी:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रमुख समाचार पत्रों को रियायती मूल्य पर अखबारी कागज उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश के प्रमुख समाचारपत्रों को कितनी मात्रा में अखबारी कागज उपलब्ध किया गया;

(घ) क्या सरकार द्वारा आवंटित अखबारी कागज के कोटे का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में कौन से उपचारात्मक उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अखबारी कागज की कीमतों पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है। समाचार-पत्र आयातित अखबारी कागज अथवा स्वदेश में निर्मित अखबारी कागज का उपयोग किए जाने के संबंध में मुक्त हैं।

(घ) से (च) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण

*90. **श्री वरकला राधाकृष्णन:**
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों में अपनी इक्विटी को 51 प्रतिशत से कम करके इनका निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकार की न्यूनतम शेयरधारिता को 51% से 33% करने के लिए अनुबंध में संशोधन करने की दृष्टि से बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम, 1970/1980 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में आवश्यक विधान संसद के चालू सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2000-01 के अपने बजट भाषण में यथा घोषित राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए और अधिक पूंजी प्रदान करने की उनके समक्ष बजट संबंधी बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन किया जा रहा है जिससे बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता के मानदण्डों को पूरा करने के लिए बाजार से यथा अपेक्षित पूंजी जुटाने में सक्षम हो सकेंगे। तथापि, बैंकों के सरकारी क्षेत्र के स्वरूप को बनाए रखा जाएगा। सरकार का राष्ट्रीयकृत बैंकों में अपनी इक्विटी विनिवेश करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गेहूं और चावल का निर्यात

*91. **श्री प्रभुनाथ सिंह:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गेहूं और चावल के अतिरिक्त भंडार का निर्यात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत छः महीनों के दौरान माहवार और देशवार कितनी मात्रा में गेहूं और चावल का निर्यात किया गया;

(ग) क्या सरकार ने गेहूं और चावल के निर्यात मूल्य को अत्यधिक कम दर पर निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है;

(ङ) क्या कतिपय देशों द्वारा खाद्यान्नों को स्वीकार नहीं किया गया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों का निर्यात करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) और (ख) सरकार ने अपने पास उपलब्ध अधिशेष स्टाक से गेहूं का निर्यात करने का निर्णय लिया है। पिछले 6 माह के दौरान केन्द्रीय पूल से गेहूं का कोई निर्यात नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्यात के लिए गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा पर इसका मूल्य गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए लागू केन्द्रीय निगम मूल्य से कम नहीं होगा। यह मूल्य फिलहाल 4150 रुपये प्रति टन है। गेहूं के निर्यात से अधिशेष स्टाक के निपटान में मदद मिलेगी और इससे स्टॉक की रखरखाव लागत आदि का खर्च भी बचेगा।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि गेहूं का निर्यात अभी किया जाना है।

(छ) भारतीय खाद्य निगम को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दिए गए हैं कि निर्यात के प्रयोजन का गेहूँ अच्छी गुणवत्ता का हो।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

*92. श्री सवशीभाई मकवाना:
श्री गुनीपाटी रामैया:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश से समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष किन-किन देशों की कितने-कितने मूल्य का निर्यात किया गया;

(ग) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान समुद्री उत्पादों के आंकड़ों की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, हाँ।

(ख) वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान प्रमुख बाजारों को निर्यात किए गए समुद्री उत्पादों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(मात्रा: मी.टन में; मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

देश	1997-98		1998-99		1999-2000	
	मा.	मू.	मा.	मू.	मा.	मू.
जापान	70955	641.67	67277	549.16	66990	528.18
यू.एस.ए.	32914	161.04	34472	147.68	36645	180.17
यूरोपीय संघ	34875	113.81	54261	163.78	65402	210.43
दक्षिण पूर्वी एशिया	218263	314.23	116610	183.27	147749	212.58
मध्य पूर्व	17618	39.91	17274	35.40	13274	26.75
अन्य	11193	25.20	13040	27.62	12971	30.03
कुल	385818	1295.86	302934	1106.91	343031	1189.09

स्रोत: एम्पीडा

(ग) और (घ) चालू वित्तीय वर्ष के पूर्वार्ध के दौरान समुद्री उत्पादों का निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए 530.30 मिलियन अमरीकी डालर के निर्यात की तुलना में 672.96 मिलियन अमरीकी डालर (अनंतिम) तक पहुँच गया है जोकि 26.9% वृद्धि दर्शाता है।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा), जो विभिन्न निर्यात संवर्धन उपायों का कार्यान्वयन करता है, विभिन्न राज्य सरकारों के मत्स्य विभागों के साथ समन्वयन करता है ताकि वह विभिन्न राज्यों में श्रीम्प बीज उत्पादन, अवस्थापना संबंधी सुविधाओं का विकास, प्रशिक्षार्थी को प्रशिक्षण इत्यादि जैसे कार्यकलापों को कर सके। हाल ही में सरकार ने श्रीम्प/स्वच्छ जाम वाली झींगा पालन में विषाणु/जीवाणु संक्रमण का पता लगाने के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना करने हेतु राज्य सरकारों को इमदाद की सुविधा प्रदान की है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम/केन्द्रीय भाण्डागार निगम की भण्डारण क्षमता

***93. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**
श्री खारबेल स्वाईं:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्न की अपर्याप्त भण्डारण सुविधाओं की वजह से देश को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अपर्याप्त भण्डारण-सुविधाओं के कारण कितनी मात्रा में खाद्यान्न का नुकसान हुआ;

(घ) आज की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम/केन्द्रीय भण्डारण निगम में उपलब्ध भण्डारण की राज्यवार कुल क्षमता कितनी है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भण्डारण पर गोदाम-वार कितना व्यय आया; और

(च) स्थिति का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) और (ख) 1.10.2000 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास 26.64 मिलियन टन भंडारण क्षमता उपलब्ध थी। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम की ओर से वसूली कर रही अथवा विकेंद्रीकृत वसूली कर रही राज्य एजेंसियों के पास 20 मिलियन टन क्षमता थी। उक्त तारीख को स्टाक की स्थिति निम्नानुसार थी:

(मिलयिन टन में)

चावल	13.21
गेहूँ	26.95
जोड़	40.85

(ग) संगत अवधि के दौरान असामान्य भंडारण हानि होने के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं है।

(घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण । और ॥ में दी गई है।

(ङ) पिछले 3 वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम और केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा वहन की गई भंडारण लागत संलग्न विवरण ॥। में दी गई।

(च) सरकार ने खाद्यान्न हैंडलिंग की अवसंरचना में वृद्धि करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, घरेलू और विदेशी, दोनों संसाधनों का उपयोग करने की दृष्टि से राष्ट्रीय भंडारण नीति तैयार की है।

विवरण I

1.10.2000 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम की राज्यवार भंडारण क्षमता बताने वाला विवरण

(लाख टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ढकी हुई क्षमता अपनी	ढकी हुई क्षमता किराये की	ढकी हुई क्षमता जोड़	कैप क्षमता अपनी	कैप क्षमता किराये की	कैप क्षमता जोड़	सकल जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
अरुणाचल प्रदेश	0.18	0	0.18	0	0	0	0.18
आंध्र प्रदेश	11.82	8.7	20.52	2.79	1.20	3.99	24.51
असम	1.99	0.99	2.98	0	0.00	0	2.98
बिहार	4.36	1.45	5.81	0.28	0	0.28	6.09

1	2	3	4	5	6	7	8
गोवा	0.15	0	0.15	0	0	0	0.15
गुजरात	4.80	3.98	8.78	2.36	2.08	4.44	13.22
हरियाणा	7.64	3.93	11.57	2.89	0.24	3.13	14.70
हिमाचल प्रदेश	0.11	0.15	0.26	0	0	0	0.26
जम्मू व कश्मीर	0.77	0.24	1.01	0	0	0	1.01
कर्नाटक	2.86	2.11	4.97	1.25	0.04	1.29	6.26
केरल	5.36	0.16	5.52	0.21	0	0.21	5.73
मध्य प्रदेश	8.30	5.89	14.19	1.45	1.75	3.20	17.39
महाराष्ट्र	11.77	4.24	16.01	1.44	0.85	2.29	18.30
मणिपुर	0.18	0.02	0.20	0	0	0	0.20
मेघालय	0.10	0.07	0.17	0	0	0	0.17
मिजोरम	0.18	0	0.18	0	0	0	0.18
नागालैंड	0.08	0.13	0.21	0	0	0	0.21
उड़ीसा	2.68	2.13	4.81	0	0	0	4.81
पंजाब	21.37	38.94	60.31	4.98	20.37	25.35	85.66
राजस्थान	7.07	2.96	10.03	1.54	1.15	2.69	12.72
सिक्किम	0.07	0.01	0.08	0	0	0	0.08
तमिलनाडु	5.87	3.18	9.05	1.05	0	1.05	10.10
त्रिपुरा	0.17	0.17	0.34	0	0.00	0	0.34
उत्तर प्रदेश	15.28	5.98	21.26	3.15	0.25	3.40	24.66
पश्चिम बंगाल	8.64	1.93	10.57	0	0	0	10.57
चंडीगढ़	0.40	0.43	0.83	0.08	0.29	0.37	1.20
दिल्ली	3.36	0.05	3.41	0.34	0	0.34	3.75
पांडिचेरी	0.41	0	0.41	0.08	0.50	0.58	0.99
जोड़	125.97	87.84	213.81	23.89	28.72	52.61	266.42*

*इसमें केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भांडागारण निगमों से किराये पर ली गई 47.11 लाख टन क्षमता शामिल है।

विवरण II

1.10.2000 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय भंडारण निगम की राज्यवार भंडारण क्षमता बताने वाला विवरण

(लाख टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ढकी हुई क्षमता अपनी	ढकी हुई क्षमता किराये की	ढकी हुई क्षमता जोड़	कैप क्षमता अपनी	कैप क्षमता किराये की	कैप क्षमता जोड़	सकल जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	10.07	1.04	11.11	0.27	0.10	0.37	11.48
असम	0.44	0.02	0.46	0	0.01	0.01	0.47
बिहार	1.17	0.36	1.53	0	0	0	1.53
गोवा	0.17	0	0.17	0	0	0	0.17
गुजरात	2.29	0.63	2.92	1.34	0.04	1.38	4.30
हरियाणा	1.66	1.05	2.71	0	0	0	2.71
हिमाचल प्रदेश	0.05	0	0.05	0	0	0	0.05
जम्मू व कश्मीर	0	0.06	0.06	0	0	0	0.06
कर्नाटक	1.74	0.81	2.55	0	0.44	0.44	2.99
केरल	0.68	0	0.68	0	0	0	0.68
मध्य प्रदेश	5.96	1.50	7.46	0.09	0.07	0.16	7.62
महाराष्ट्र	4.75	1.80	6.55	3.87	0.72	4.59	11.14
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0.02	0	0.02	0	0	0	0.02
नागालैंड	0.13	0	0.13	0	0	0	0.13
उड़ीसा	1.36	0.15	1.51	0.02	0	0.02	1.53
पंजाब	4.88	1.72	6.60	0	0	0	6.6
राजस्थान	1.47	0.95	2.42	0.13	0.12	0.25	2.67
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	5.23	0.58	5.81	0.29	0	0.29	6.10

1	2	3	4	5	6	7	8
त्रिपुरा	0.24	0	0.24	0	0	0	0.24
उत्तर प्रदेश	8.46	0.86	9.32	0.11	0.27	0.38	10
पश्चिम बंगाल	3.27	1.68	4.95	0.59	0.01	0.60	5.55
चंडीगढ़	0.10	0.03	0.13	0.02	0	0.02	0.15
दिल्ली	*	0.23	1.26	0.11	0	0.11	1.37
पांडिचेरी	0.07	0.03	0.10	0	0.03	0.03	0.13
जोड़	55.24	13.50	68.74	6.84	1.81	8.65	77.39

विवरण III

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा वहन की गई कुल भंडारण लागत बताने वाला विवरण

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	भारतीय खाद्य निगम (भा.खा.नि.)	केन्द्रीय भंडारण निगम (के.भ.नि.)
1997-98	665.16	185.61
1998-99	730.00	214.54
1999-2000	794.61	228.04

टिप्पणी: केन्द्रीय स्तर पर गोदाम-वार खर्च का हिसाब नहीं रखा जाता है।

[अनुवाद]

मितव्ययिता उपाय

*94. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:**
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रशासनिक खर्च को कम करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ कुछ मितव्ययिता उपाय किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये मितव्ययिता उपाय किस तारीख से अपनाये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) परिहार्य प्रशासनिक व्यय को नियंत्रित और परिसीमित रखना सरकार की सतत प्राथमिकता रही है। इस संबंध में पहले भी समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते रहे हैं और सरकार ने हाल ही में 24.9.2000 को अनेक मितव्ययिता मापकों को विशिष्ट रूप से चिन्हित करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए थे। इन उपायों में सभी मंत्रालयों/विभागों में गैर-योजनागत अवैतनिक व्यय के बजटीय आबंटन में 10 प्रतिशत की अपरिहार्य कटौती, 1.1.92 को यथा-स्वीकृत पदों में 10 प्रतिशत कटौती के अनुदेश का क्रियान्वयन और एक साल से अधिक समय तक रिक्त पड़े पदों की समाप्ति, एक साल के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों/स्वायत्तशासी संस्थानों में नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध, स्टाफ कार और सरकारी वाहनों के प्रयोग में अधिकतम किफायत, एक साल तक नए वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध, विदेश यात्रा को अपरिहार्य सरकारी आस्थिति तक प्रतिबंधित करने और अध्ययन संबंधी दौरों और सेमीनारों इत्यादि के लिए विदेश यात्रा पर प्रतिबंध, अनिवार्य विदेशी यात्राओं पर जाने वाले सरकारी प्रतिनिधिमंडल का आकार न्यूनतम रखना, विदेश यात्रा के स्वीकृत दैनिक भत्तों में 25 प्रतिशत की कमी, सभा/सेमीनार/कार्यशालाओं के आयोजन में कमी आदि शामिल हैं। सरकारी व्यय की सम्पूर्ण परिधि की पुनर्समीक्षा हेतु एक व्यय सुधार आयोग का भी गठन किया गया है।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों हेतु नई योजना

*95. श्री त्रिलोचन कानूनगो:
डा. संजय पासवान:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को खाद्यान्न प्रदान करने के लिए "अन्त्योदय योजना" नामक नई योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ाया जा सका;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस मामले को हल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या उनका मंत्रालय खाद्यान्नों के अतिरिक्त भण्डार की समस्या को हल करने के लिए अब दूसरे तरीके अपनाने पर विचार कर रहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) से (छ) अन्त्योदय योजना दरिद्र नारायण के लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से एक करोड़ परिवारों की पहचान करने और उन्हें उनकी 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की सामान्य पात्रता के अलावा अतिरिक्त मात्रा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा इन पहचान किए गए परिवारों को आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों की दरें दरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू दरों से कम होंगी। इस योजना को क्रियान्वित करने के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

केन्द्रीय पूल में अधिशेष स्टाक को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) 11.07.2000 से घटी हुई कीमतों पर गेहूं की खुली बिक्री प्रारंभ की गई है।

(2) 4.9.2000 से चावल की खुली बिक्री प्रारंभ की गई है।

(3) 25.7.2000 को गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में संशोधन कर इन्हें कम किया गया था।

(4) गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य आर्थिक लागत के 100% या समय-सयम पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित किए गए खुली बाजार बिक्री के मूल्य, जो भी कम न हो, पर निर्धारित किए गए हैं। खुली बाजार दरों के आर्थिक लागत से कम होने की स्थिति में राज्य इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं और गरीबी रेखा से ऊपर की जनसंख्या को कम दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करा सकते हैं।

(5) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को खाद्यान्नों का आवंटन 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति महीने की दर से 1995 की प्रक्षेपित जनसंख्या की बजाय अब 1.3.2000 को महापंजीयक द्वारा प्रक्षेपित जनसंख्या के आधार पर किया जा रहा है।

(6) राज्य सरकारों और भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रायोजित भिक्षु गृहों/अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए छात्रावासों/नारी निकेतनों आदि जैसी कल्याणकारी संस्थाओं में रहने वाले निराश्रित लोगों को कवर करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्न 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास के हिसाब से राज्य सरकारों को आवंटन के लिए उपलब्ध हैं। अन्नपूर्णा योजना के अधीन खाद्यान्न का आवंटन उन अकिंचन वृद्धि व्यक्तियों को भी किया जा सकता है जो राज्य सरकारो से वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

(7) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लागू की गई सभी कल्याण योजनाओं के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य खाद्यान्नों का आवंटन किया जाएगा।

(8) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू दरों पर राज्य सरकारों को "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम तथा हरित भारत अभियान के लिए भी खाद्यान्नों का आवंटन किया जाएगा।

(9) राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित तथा भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रायोजित गैर-सरकारी संगठनों, तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा कार्यान्वित विकास योजनाओं (जिनमें लाभभोगी गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग से संबंध रखते हों) के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्नों का आवंटन किया जाएगा।

(10) भारतीय खाद्य निगम को उस मूल्य पर गेहूं के निर्यात की पेशकश करने की अनुमति दी गई है जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य, जो वर्तमान में 4150 रुपये प्रति टन है, से कम न हों।

रुपए की कीमत

*96. श्री अशोक ना. मोहोल:
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान विशेषकर अगस्त और अक्तूबर, 2000 के महीनों में प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपये की कीमत अपने न्यूनतम स्तर तक गिर गई थी;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रुपये की कीमत में किस सीमा तक गिरावट आई और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने मई, 2000 के दौरान कुछ अमेरिकी डालरों की बिक्री की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या उद्देश्य थे;

(ङ) सरकार द्वारा भारतीय रुपये की गिरावट को रोकने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या भारतीय मुद्रा के मूल्य में आई गिरावट के कारण अनेक उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय उद्योगों की इस स्थिति से रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) और (ख) अगस्त और अक्तूबर, 2000 माह में प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपए की औसत विनिमय दर नीचे दी गई है:-

महीना	रुपए/ अमरीकी डालर	रुपए/ यूरो	रुपया/ पौंड स्टर्लिंग	रुपया/ 100 जापानी येन
अगस्त, 2000	45.68	41.38	68.02	42.30
अक्तूबर, 2000	46.34	39.71	67.34	42.76

भारत में रुपए की विनिमय दर मुख्य रूप से बाजार की ताकतों द्वारा निर्धारित होती है और वह विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और आपूर्ति की स्थितियों और अन्य अल्पावधि कारकों के आधार पर दिन-प्रतिदिन आधार पर घटती और बढ़ती रहती है।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने मई, 2000 के दौरान 4.1 बिलियन अमरीकी डालर की सीमा तक अमरीकी डालरों की बिक्री की। इसके साथ ही इसने 3.2 बिलियन अमरीकी डालरों की खरीद की। अत: मई, 2000 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा की खरीद व बिक्री दोनों करता है, जिसका निवल प्रभाव अलग-अलग समय पर अलग-अलग हो सकता है। भारत और विदेशों में वित्तीय बाजारों के घटनाक्रम को सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों द्वारा निकटता से मॉनीटर किया जाता है और विनिमय दर में अत्यधिक अस्थिरता को कम करने, अस्थिरता-कारी सट्टा गतिविधियों के उभार को रोकने, सुव्यवस्थित मुद्रा स्थिति का विकास करने और विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार के पर्याप्त स्तर को बनाए रखने के लिए समय-समय पर जब भी जरूरी हो उचित उपाय किए जाते हैं।

(च) और (छ) भारतीय रुपए का अवमूल्यन निर्यात-मुखी उत्पादन में संलग्न उद्योगों और आयात प्रतिस्थापन गतिविधियों को प्रोत्साहित/प्रेरित करता है। तथापि, विभिन्न कारणों से उद्योग के कतिपय क्षेत्रों में मन्दी आने के संकेत हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में तीव्र वृद्धि शामिल है। सरकार के निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में उपाय किए हैं इण्डिया मिलेनियम डिपोजिटों के जरिए 5 बिलियन से अधिक डालर जुटाना, दूर-संचार और वस्त्र उद्योग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में तेजी से सुधार और सुदृढ़ राजकोषीय प्रबन्ध शामिल हैं।

[हिन्दी]

चंदन का निर्यात

*97. डा. रामकृष्ण कुसमरिया: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997, 1998 और 1999 के दौरान किन-किन देशों को कितनी-कितनी मात्रा में चंदन और चंदन के तेल का निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसके वर्षवार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) सरकार द्वारा चंदन और चंदन के तेल का व्यापक पैमाने पर निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) तथा (ख)

(1) निर्यात संबंधी आंकड़े वित्तीय वर्षवार रखे जाते हैं। निर्यात किए गए चंदन की लकड़ी के तेल की मात्रा तथा मूल्य निम्नानुसार है:

वर्ष	मात्रा (कि.ग्रा. में)	मूल्य (रु. करोड़ में)
1996-97	5469	6.47
1997-98	8298	12.10
1998-99	7387	8.69

(2) निर्यात किए गए चंदन की लकड़ी के टुकड़े तथा उसके बुरादे की मात्रा एवं मूल्य निम्नानुसार हैं:

वर्ष	मात्रा (कि.ग्रा. में)	मूल्य (रु. करोड़ में)
1996-97	887322	31.52
1997-98	237196	12.86
1998-99	679296	18.10

स्रोत: डी.जी.सी.आई.एंड एस.

देशवार आंकड़े डी.जी.एस.आई.एंड एस. के प्रकाशन अर्थात् "भारत के विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े में उपलब्ध है।"

(ग) सभी निर्यातकों को उपलब्ध सामान्य प्रोत्साहन चंदन की लकड़ी के तेल तथा चंदन की लकड़ी के उत्पादों के निर्यातों के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा, सरकार विदेशी मेलों, प्रदर्शनियों में भागीदारी करके तथा व्यापार प्रतिनिधिमंडलों को बढ़ावा देकर विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने हेतु निर्यात संवर्धन परिषदों के माध्यम से निर्यातकों को बाजार विकास सहायता प्रदान कर रही है।

औद्योगिक घरानों के विरुद्ध बकाया कर

*98. श्री जयभान सिंह पवैया:
श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने औद्योगिक घरानों के विरुद्ध एक करोड़ रुपए से अधिक आयकर/उत्पाद शुल्क की धनराशि बकाया है;

(ख) उक्त धनराशि की वसूली नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस धनराशि की वसूली करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) ऐसी 2002 कम्पनियां हैं, जिनमें से प्रत्येक के प्रति दिनांक 30.6.2000 की स्थिति के अनुसार एक करोड़ रुपए से अधिक का आयकर बकाया था। जहां तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का संबंध है ऐसी 386 पार्टियां/कर निर्धारिती हैं जिनमें से प्रत्येक के प्रति एक करोड़ रुपए से अधिक की उत्पाद शुल्क की सम्पुष्ट मांगें बकाया पड़ी हैं।

(ख) बकाया दरों की वसूली न करने के कारणों में मामलों का अपीलों में फंसा रहना, अपीलीय प्राधिकारियों और न्यायालयों द्वारा स्थगन प्रदान करना, समझौता आयोग अथवा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित आवेदन पत्र और अदायगियों के सत्यापन के लिए मामलों का लंबित रहना शामिल हैं।

(ग) कर की वसूली एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सांविधिक उपबंधों का प्रयोग भी किया जाता है जिनमें ब्याज लगाना, अर्थ दण्ड लगाना और चल तथा अचल सम्पत्तियों की कुर्की और बिक्री शामिल है। अधिक मांगों वाले मामलों की उच्च प्राधिकारियों द्वारा भी नियमित आधार पर आवधिक समीक्षा और निगरानी की जाती है और बकाया करों की वसूली करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

विदेशी प्रिंट मीडिया की भागीदारी

*99. श्री पवन कुमार बंसल:
श्री भीम दाहाल:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विदेशी प्रिंट मीडिया को प्रवेश नहीं दिए जाने संबंधी अपनी नीति में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में भारतीय प्रिंट मीडिया के विचार मांगें हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केबल टेलीविजन नेटवर्क से पहले से ही पीड़ित भारतीय प्रिंट मीडिया के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय खाद्य निगम के मानदण्डों को शिथिल करना

*100. **डा. जसवंत सिंह यादव:**
श्री रघुनाथ झा:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में धान की खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम के गुणवत्ता संबंधी मानदण्डों को शिथिल किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनाज बाजार में अपनी फसल को बेचने में असफल रहने के कारण कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं तथा पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए सरकार द्वारा जिस राहत-पैकेज की घोषणा की गई है, उसका ब्यौरा क्या है;

(च) क्या अन्य राज्यों विशेषकर जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं, ने भी ऐसे ही किसी पैकेज की मांग की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) और (ख) किसानों की दिक्कतों को दूर करने और भारतीय खाद्य निगम तथा इसकी एजेंसियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की वसूली करने की अनुमति देने के लिए भारत सरकार ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों के संबंध में एकल (उचित औसत किस्म) विनिर्दिष्टियों के अधीन मुहैया की गई 3 प्रतिशत की सीमा के प्रति अधिकतम 8 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त, बदरंग, उगे हुए और घुन लगे अनाज वाली धान की वसूली करने की अनुमति दी है।

(ग) और (घ) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों द्वारा धान की खरीद करने में असफल रहने के कारण किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की है।

(ङ) पंजाब और हरियाणा को निम्नलिखित रियायतें दी गई हैं:-

(1) वसूली के लिए धान की विनिर्दिष्टियों में ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार छूट दी गई है।

(2) उपर्युक्त विनिर्दिष्टियों के अनुरूप धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वसूली की जाएगी।

(3) ऐसी धान की कस्टम मिलिंग के लिए धान से चावल प्राप्ति (आउट टर्न) अनुपात रॉ के लिए 64 प्रतिशत और सेला चावल के लिए 65 प्रतिशत होगा।

(4) राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे धान की मिलिंग करवाएं और एकल विनिर्दिष्टियों के अनुरूप चावल की चालू खरीफ विपणन मौसम में सुपुर्दगी करें।

उपर्युक्त के अलावा, इस पर सहमति हुई है कि पंजाब के किसानों जिनके धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर खरीद की गई थी उनके मूल्य के अंतर को राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा। इस अंतर से उत्पन्न कुल खर्च अधिकतम 100 करोड़ रुपये तक सीमित होगा। वित्त मंत्रालय इस खर्च के लिए पंजाब सरकार को 50 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति करेगा।

(च) और (छ) हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश को भी इसी तरह की रियायतें दी गई हैं। इस संबंध में आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान की सरकारों से भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इन पर विचार किया जा रहा है।

सोयाबीन का उत्पादन

915. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में कितने उद्योग सोयाबीन के उत्पादन में कार्यरत है;

(ख) इस समय इनमें से कितने उद्योग बंद हैं;

(ग) इनमें से कितने उद्योग घाटे में चल रहे हैं;

(घ) क्या सरकार इन रुग्ण उद्योगों को कोई सहायता प्रदान कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) मध्य प्रदेश में 81 विलायक निष्कर्षण इकाइयां हैं, जो अन्य तैलीय पदार्थों के अलावा सोयाबीन का भी प्रसंस्करण करती हैं। इनमें से वर्तमान समय में 41 इकाइयां बंद पड़ी हैं।

(ग) से (ङ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश की 19 वनस्पति तेल की औद्योगिक इकाइयां औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण ब्यूरों में पंजीकृत हैं। रुग्ण इकाइयां औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण ब्यूरो के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

निर्यात संवर्धन परिषदों की सदस्यता संबंधी मानदंड

916. श्री सुबोध मोहिते: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात संवर्धन परिषदों की सदस्यता संबंधी मानदंड में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन परिषदों को सुदृढ़ करने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) निर्यात संवर्धन परिषदों (ई.पी.सी.) की चुनाव प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने के पहलुओं और ई.पी.सी. के पुनर्गठन हेतु अपनाए जाने वाले मापदंडों की जांच करने के लिए गठित समिति ने ई.पी.सी. के कार्य चालन को सरल और कारगर बनाने एवं उसका सुदृढ़ीकरण करने हेतु सिफारिशें की हैं ताकि वैश्वीकरण तथा आर्थिक उदारीकरण के संदर्भ में राष्ट्रीय निर्यात प्रयासों के अनुरूप उनकी प्रासंगिता बनी रहे। सरकार ने समिति की सिफारिशों को अब स्वीकार कर लिया है और सभी ई.पी.सी. को अपनाए जाने हेतु आदर्श मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर दिए हैं। ई.पी.सी. की सदस्यता संबंधी मापदंडों से संबंधित और ई.पी.सी. को सरल एवं कारगर बनाने एवं सुदृढ़ करने हेतु प्रस्तावित उपाय निम्नानुसार है:-

1. सदस्यता संबंधी मापदंड

केवल ऐसे सदस्यों जिनके पास न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि से भी अधिक अवधि का स्थापित आधार हैं, को ई.पी.सी. में विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने का अधिकार और मतदान का अधिकार प्रदान करने की दृष्टि से यह निर्धारित किया गया है कि सदस्यों की दो श्रेणियां होंगी अर्थात संबद्ध सदस्य और सामान्य सदस्य संबद्ध सदस्य के रूप में परिषद में प्रवेश पाने के लिए कोई व्यक्ति उस उत्पाद के बारे में डी.जी.एफ.टी. से आयात निर्यात कोड़ संख्या प्राप्त होने के बाद पात्र होगा, जिस उत्पाद से उक्त परिषद संबंधित है। कम से कम तीन लगातार वर्षों तक परिषद का संबद्ध सदस्य रहा कोई व्यक्ति परिषद की सामान्य सदस्यता के लिए पात्र बन जाएगा किन्तु उसके प्रतिनिधित्व वाली कंपनी को अपने खाते में तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्त वर्षों के दौरान लघु उद्योगों के लिए 10 लाख रु. और लघु उद्योग की कंपनियों से भिन्न कंपनियों के लिए 25 लाख रु. से अधिक का औसत निर्यात करना होगा। सामान्य सदस्य को परिषद की बैठकों में वोट देने और परिषद में विभिन्न पदों के चुनावों में स्वयं को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित करने का अधिकारी होगा।

2. खास-खास मौजूद और उभरते औद्योगिक खंडों पर अधिक ध्यान देना

किसी मौजूदा उद्योग समूह के भीतर कुछ खास खंडों पर अधिक ध्यान दिए जाने और वर्तमान में किसी भी ई.पी.सी. के अंतर्गत न आने वाली वस्तुओं या वस्तु क्षेत्रों को उसके दायरे में लाने की दृष्टि से एक नया मंच अर्थात निर्यात संवर्धन मंच (ई.पी.एफ.) के सृजन का प्रस्ताव किया गया है। निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर किसी ई.पी.एफ. के सृजन की अनुमति दिए जाने पर विचार किया जा सकता है। तथापि, इस प्रकार की अनुमति निम्नलिखित के अधीन होगी:

(क) सदस्य, सोसाइटी के पंजीकरण के समय 1.00 करोड़ रु. की संग्रह निधि बनाने की सहमत होंगे जो 4 साल के भीतर बढ़कर 3.00 करोड़ रु. हो जानी चाहिए। संग्रह निधि के मूलधन को सुरक्षित रखा जाएगा और ई.पी.एफ. द्वारा अपने खर्चों की व्यवस्था प्राप्त ब्याज आय, सदस्यता शुल्क आदि से की जाएगी।

(ख) ई.पी.एफ. के सदस्य संबंधित ई.पी.एफ. के सदस्य बने रहेंगे और जब तक उक्त ई.पी.एफ. किसी ई.पी.एफ. में परिवर्तित नहीं हो जाता तब तक वे संबंधित ई.पी.सी. को सदस्यता शुल्क का भुगतान करते रहेंगे। (यह किसी ई.पी.सी. के अंतर्गत न आने वाले उद्योग खंड पर लागू नहीं होगा)

(ग) कर्मचारियों की भर्ती संबंधी संरचना पूर्णतया व्यावसायिक होनी चाहिए और जहां तक संभव हो स्टाक को संविदा के आधार पर लगाया जाना चाहिए। ई.पी.एफ. अपने प्रशासनिक खर्चे अपने स्रोतों से पूरा करेगा। इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा उन्हें कोई निधि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले दिशानिर्देशों के आधार पर संतोषजनक निष्पादन रहने पर उक्त ई.पी.सी. किसी ई.पी.सी. के रूप में अपने पंजीकरण के चार वर्ष के पूरे होने के बाद एक पूर्ण ई.पी.एफ. के रूप में परिवर्तित होने के योग्य बन जाएगा। तथापि, किसी मौजूदा ई.पी.सी. के अंतर्गत न आने वाले उद्योग खंड हेतु किसी ई.पी.सी. के मामले में कोई न्यूनतम प्रतीक्षा अवधि नहीं होगी। किसी ई.पी.सी. में परिवर्तित होने के बाद यह केवल निर्यात संवर्धन कार्यकलापों के लिए एम.डी.ए. अनुदान प्राप्त करने का पात्र बन जाएगा। यह मौजूदा ई.पी.सी. को उपलब्ध सभी अन्य लाभों/सुविधाओं को प्राप्त करने का हकदार भी बन जाएगा।

3. मौजूदा ई.पी.सी. द्वारा अपनाएं जाने वाले सिद्धांत

मौजूदा ई.पी.सी. को इस आशय के मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं कि जहां तक संभव हो, कर्मचारियों की नियुक्तियां संविदा शर्तों के आधार पर की जाएं और पांच वर्ष की एक निश्चित अवधि में कर्मचारियों की भर्ती संबंधी संरचना को पूर्णतया व्यावसायिक बनाया जाए। मौजूदा ई.पी.सी. को यह भी सलाह दी गई है कि वे ई.पी.एफ. पर यथा लागू पांच वर्ष की एक निश्चित अवधि में 3 करोड़ रु. की एक न्यूनतम संग्रह निधि की स्थापना करें और इस संग्रह निधि की मूल राशि को सुरक्षित रखे और अपने खर्चों की व्यवस्था ब्याज से प्राप्त होने वाली आय, सदस्यता शुल्क इत्यादि से करे।

4. सेवा उद्योग के लिए सामान्य ई.पी.एफ.

सेवा उद्योग के खास खंडों के लिए एक सामान्य ई.पी.एफ. का गठन किया जाए। जैसी ही अलग-अलग सेवा निर्यात उद्योगों द्वारा पृथक ई.पी.एफ. के लिए पर्याप्त मांग और स्रोतों की व्यवस्था कर ली जाएगी। वैसी ही उन्हें उक्त सामान्य ई.पी.एफ. से अलग होने की अनुमति दी जा सकती है।

5. एक सेवा प्रकोष्ठ का गठन

निर्यात संभावना वाले सेवा उद्योगों की जरूरतों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए मंत्रालय में एक सेवा प्रकोष्ठ का सृजन किया जाए। अन्य बातों के साथ-साथ यह सेवा प्रकोष्ठ अलग-अलग सेवा क्षेत्रों के लिए ई.पी.एफ. के गठन से संबंधित सलाह भी देगा।

6. चुनाव

ई.पी.सी. की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों की अवधि समाप्त होने से काफी पूर्व रिक्त स्थानों के लिए चुनाव आयोजित कर लिए जाएं। चुने गए सदस्य अपने कार्यकाल की समाप्ति पर स्वत: ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

7. मतदान का अधिकार

ई.पी.सी. की प्रबंध समिति के केवल निर्वाचन सदस्यों को मतदान का अधिकार होगा और नामित/सहयोजित सदस्यों को ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

आवश्यक वस्तुओं पर राजसहायता

917. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले:**
श्री पी.आर. खुंटे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कतिपय आवश्यक वस्तुओं पर राजसहायता में कमी करने अथवा इन्हें समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन वस्तुओं के मूल्यों में किस हद तक वृद्धि की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार कतिपय वस्तुओं में निहित राजसहायता में कमी करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या राज्यों को खाद्य उत्पादों की खरीद में राजसहायता प्रदान करने के संबंध में हाल ही में कोई अध्ययन कराया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) राज्यों को राज्यवार कितनी राजसहायता प्रदान किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये आपूर्ति की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडि को कम करने अथवा उसे समाप्त करने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है। तथापि, सरकार ने नवम्बर, 1997 में निर्णय किया था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आपूर्ति किए जाने वाली मिट्टी के तेल पर सब्सिडि 2001-2002 तक चरणबद्ध रूप में कम करके आयात समतुल्य मूल्य के 33.33% तक की जाएगी। मिट्टी के तेल पर सब्सिडि वर्ष 2002 से वित्तीय बजट में अंतरित की जाएगी।

(ग) सरकार 1.4.2000 से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों के आवंटन की पात्रता को दुगुना करते समय यह भी निर्णय किया था कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का केन्द्रीय निर्गम मूल्य इक्नामिक लागत का 50% निर्धारित किया जाए और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए यह मूल्य इक्नामिक लागत का 100% निर्धारित किया जाए। तथापि, व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों पर 25.7.2000 से इन केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में कमी कर दी गई है।

लेवी चीनी का खुदरा निर्गम मूल्य 12.00 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 1.3.2000 से 13.00 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया था जोकि बहुत ही मामूली वृद्धि है।

स्थानीय लेवी आदि पर निर्भर करते हुए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मिट्टी के तेल के खुदरा मूल्य में 30.9.2000 से संशोधन करके उसे 2.70 रुपये से 2.98 रुपये प्रति लिटर के बीच किया था। सरकार ने अब 22.11.2000 से खुदरा बिक्री मूल्य में लगभग 1.00 रुपये प्रति लिटर की कमी की है।

(घ) और (ङ) खाद्यान्नों और लेवी चीनी पर अलग-अलग सब्सिडि नहीं है। मिट्टी के तेल पर दी जाने वाली सब्सिडि बजटीय समर्थन का भाग नहीं होती है और इसे अन्य पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रतिस्थापना सब्सिडि से पूरा किया जाता है। सरकार ने नवम्बर, 1997 में निर्णय किया था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आपूर्ति किए जाने वाली मिट्टी के तेल पर सब्सिडि 2001-2002 तक चरणबद्ध रूप में कम करके आयात समतुल्य मूल्य के 33.33% तक की जाएगी। मिट्टी के तेल पर सब्सिडि वर्ष 2002 से वित्तीय बजट में अंतरित की जाएगी।

(च) जी, नहीं।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठते।

भारी उद्योगों की स्थापना

918. श्री पुष्प जैन: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योगों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र में कोई नया उद्योग स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

एन.सी.सी.एफ. द्वारा कम्प्यूटर की खरीद

919. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल कोआपरेटिव कनज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड उत्पादकों अथवा उनके प्राधिकृत वितरकों के स्थान पर आम क्रयादेश आपूर्ति के आधार पर कम्प्यूटरों की खरीद कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा उत्पादकों अथवा प्राधिकृत वितरकों से न केवल कम्प्यूटरों बल्कि अन्य ब्रांड के मदों की खरीद किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इन कम्प्यूटरों की आपूर्ति एन.सी.सी.एफ. के भंडारों में नहीं की जाती है बल्कि इसके सरकारी कार्यालयों से प्राप्त मांग सूची के आधार पर सीधे ही भेजा जाता है; और

(घ) यदि हां, तो एन.सी.सी.एफ. सही सामान की आपूर्ति को किस प्रकार सुनिश्चित करती है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ एक स्वायत्तशासी सहकारी समिति

है। अपने कारोबार तथा अन्य प्रशासनिक मामलों में निर्णय लेने के लिए इसका निदेशक मंडल है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि वे कम्प्यूटरों की खरीद विनिर्माताओं अथवा वितरकों/डीलरों से करते हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुसार मांग करने वाले संगठन की विशिष्ट आवश्यकता/विनिर्देशनों के अनुसार मदों की डिलीवरी के लिए अपने प्राधिकृत सप्लायरों को डिलीवरी आदेश राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा दिए जाते हैं। उसके बाद आपूर्ति सीधे वितरकों/डीलरों के गोदामों से की जाती है। सामानों की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए उपयोगकर्ता मंत्रालयों/विभागों के साथ संपर्क तथा गुणवत्ता संबंधी सभी शिकायतों पर कार्रवाई राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा तत्परता से की जाती है।

नीतिगत सुधार संबंधी कार्यक्रमों हेतु एशियाई विकास बैंक का ऋण

920. श्री रामदास आठवले: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने पहली बार भारत के विभिन्न राज्यों में नीतिगत सुधार संबंधी कार्यक्रमों के लिए धन देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऋण दिए जाने संबंधी प्रक्रिया में किए गए परिवर्तन के साथ-साथ बैंक ने देश को दिए जाने वाले 600 मिलियन डालर के वर्तमान ऋण के स्थान पर वर्ष 1999 से प्रतिवर्ष एक बिलियन डालर ऋण देने का भी निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस धन से कितने राज्यों के लाभान्वित होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) वर्ष 1996 में एशियाई विकास बैंक ने गुजरात लोक संसाधन प्रबंध कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण का अनुमोदन किया और वर्ष 1999 में एशियाई विकास बैंक ने मध्य प्रदेश लोक संसाधन प्रबंध कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण का अनुमोदन किया।

(ग) चालू वर्ष 2000 के दौरान, एशियाई विकास बैंक ने 730 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के ऋणों का अनुमोदन किया है और 600 मिलियन अमरीकी डालर की दो परियोजनाओं के लिए वार्ताएं भी आयोजित की गई हैं।

(घ) गुजरात और मध्य प्रदेश अब तक एशियाई विकास बैंक के राज्य स्तर के प्रचालनों से लाभान्वित हुए हैं। एशियाई विकास बैंक ने सिद्धान्त रूप में राज्य-स्तर के प्रचालनों के लिए तीसरे राज्य के रूप में केरल का चयन किया है।

फिल्म समारोह

921. श्री टी. गोविन्दन: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में अन्य देशों के कितने फिल्म समारोह आयोजित किए गए;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारत द्वारा अन्य देशों में कितने फिल्म समारोहों में भाग लिया गया; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रत्येक फिल्म समारोह के आयोजन पर कितनी धनराशि व्यय की गई?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा भारत में आयोजित विदेशी फिल्म समारोहों का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) उन फिल्म समारोहों का ब्यौरा फिल्म समारोह निदेशालय ने विगत तीन वर्ष के दौरान अन्य देशों में जिन फिल्म समारोहों में भाग लिया था, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भागीदारी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित समारोहों के आयोजन पर फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा किए गए व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

विगत तीन वर्ष के दौरान भारत में आयोजित विदेशी फिल्म समारोहों का ब्यौरा

1997-1998

1. तुर्किमिस्तान
2. थाईलैण्ड
3. दक्षिणी कोरिया

1998-1999

1. बेल्जियम
2. श्रीलंका
3. डी.पी.आर. कोरिया
4. उजबेकिस्तान
5. रोमानियां
6. यूरोपियन संघ फिल्म समारोह

1999-2000

1. फिनलैण्ड
2. स्वीडन
3. सायप्रस
4. इटली
5. नीदरलैण्ड
6. चीन
7. आस्ट्रेलिया

विवरण II

विगत तीन वर्ष के दौरान अन्य देशों में फिल्म समारोहों का ब्यौरा जिनमें फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा भाग लिया गया

क्र.सं.	समारोह का नाम
1	2
1997-1998	
1.	सिगांपुर इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल
2.	न्यू डायरेक्टर्स/न्यू फिल्म फेस्टीबल यू.एस.ए.
3.	मीडिया वेव इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, हंगरी
4.	सैन फ्रान्सिस्को फिल्म फेस्टीबल
5.	मुनिक इन्टरनेशनल डाकुमेंटरी फिल्म फेस्टीबल
6.	9वां वूमेन मेक वेव्स फिल्म एण्ड वीडियो फेस्टीबल, तालवान
7.	औगसवर्ग फिल्म फेस्टीबल, जर्मनी
8.	शेबूद इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, ईरान
9.	सोरेह इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल तेहरान, ईरान
10.	केन्नेस इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल
11.	कॉमनवेल्थ फिल्म फेस्टीबल ग्रीक
12.	जामी मैनीफेस्टेशन फेस्टीबल, सिडनी, आस्ट्रेलिया
13.	मिनीस्क वूमेन्स इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, तेसुराइड, यू.एस.ए.
14.	19वां अन्युअल माउन्टेन फिल्म फेस्टीबल तेलुराइड, यू.एस.ए.
15.	ताशकन्त फिल्म फेस्टीबल, रशिया
16.	सिनेफेस्ट, 97, क्वतार
17.	त्रिरोआ इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, इटली
18.	मुनिक इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल जर्मनी
19.	प्लासरो फिल्म फेस्वीबल, इटली
20.	27वां रोशड इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, ईरान
21.	एनवायरमेंटल इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, प्रिटोरिया
22.	11वां फूकोका एशियन फिल्म फेस्टीबल
23.	मास्को इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल
24.	फिल्म एवं वीडियो, 97 फिल्म फेस्टीबल, इटली
25.	यू.सी.एल.ए. फिल्म फेस्टीबल, यू.एस.ए.
26.	मॉन्ट्रयल फिल्म फेस्टीबल, कनाडा
27.	वेवी इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, स्वाजिरलैण्ड
28.	वीनिस इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल
29.	6वां बृसनाने इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, आस्ट्रेलिया
30.	कारलोची वरी फिल्म फेस्टीबल, प्रगुई
31.	नापोली इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, इटली
32.	2 अलची इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, जापान

1	2
33.	फिल्म साउथ एशिया काठमांडु, नेपाल
34.	फोकस ऑन एशिया फकोका इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टबल, जापान
35.	बेकूवर इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, कनाडा
36.	फिल्म फ्राम साइथ डेनमार्क
37.	एलैक्सैंप्रे फिल्म फेस्टीबल, कैरो
38.	फेस्टीबल इन्टरनेशनल डी सिनेमा, पुर्तगाल
39.	आस्ट्रेलियन फिल्म फेस्टीबल, आस्ट्रेलिया
40.	5वां इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल ऑफ पर्स्टफीचर फिल्म ब्राट्रसल्वा
41.	इन्टरनेशनल वूमेन फिल्म फेस्टीबल, जकार्ता
42.	संघाई इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, चीन
43.	पुसन इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, कोरिया
44.	बाइट वी मैन्गो फिल्म फेस्टीबल, यू.के.
45.	बेरूट इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, बेरूट
46.	यामागता डाकुमेंट्री इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, जापान
47.	दमसकुस इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल
48.	लन्दन इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, यू.के.
49.	हावल इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, यू.एस.ए.
50.	13वां मार मार डेल प्लाटा इन्टरनेशनल
51.	फेस्टीबल 3 कन्टीनेट्स, फ्रान्स
52.	वूमेन्स फिल्म वीक, टोक्यो, जापान
53.	4वां हनोई इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, हनोई
54.	कैरो इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, कैरो
55.	5वां ढ़ाका इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, बंगलादेश
56.	क्वेजान इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, मनीला, फिलीपीन्स
57.	फर्स्ट इन्टरनेशनल आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स फिल्म फेस्टीबल नायूर, बेल्जियम
58.	रोट्टडाम इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, नीदरलैण्ड
59.	21वां गोटबोर्ग, इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, स्वीडन
60.	16वां फर्ज इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, तेहरान, ईरान
61.	यू.सी.एल.ए. इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, कैलीफोर्निया, यू.एस.ए.
62.	बर्लिन इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, जर्मनी
63.	12वां इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल ऑफ फ्रीबोर्ग, स्वरजरलैण्ड
64.	14वां इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, ऑफ ऊरुग्वे
65.	9वां इन्टरनेशनल वूमेन फिल्म फेस्टीबल, मनीला

1998-99 के दौरान विदेशी भारतीय फिल्मों की भागीदारी

क्र.सं.	समारोह का नाम
1	2
1.	हांग कांग इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल
2.	सिगांपुर इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल
3.	इस्तानबुल इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल
4.	XVI फेस्टीबल सिनेमाटोग्राफिल्को इन्टरनेशनल डेल ऊरुग्वे
5.	इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल ऑफ केरल
6.	चलचित्र फिल्म फेस्टीबल
7.	ढ़ाका इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल
8.	सिनेफेस्ट, 98 दोहात वबतार
9.	41वां सैन्सफ्रासिस्को इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल
10.	कैन्नेरा इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल
11.	नापोली इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, नाप्लेस इटली
12.	वाटलक इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, पेरुगुआ, इटली
13.	मुनिच इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल

1	2
14.	कॉमन वैल्थ इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, एथिन्स
15.	5वां रूस्ता इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल तेहरान
16.	33वां कारलोवी वरी इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, क्जेच रिपब्लिक
17.	7वां बृजबाने इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, आस्ट्रेलिया
18.	7वां इन्टरनेशनल स्टूडेन्ट फिल्म
19.	हेलसिंकी इन्टरनेशनल फिल्म
20.	मोन्ट्रयल इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, कनाडा
21.	7वां इन्टरनेशनल एनीमेशन फेस्टीबल इन जापान, हीरोसीमा
22.	बैंकाक इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल
23.	एलैक्सेन्द इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, कैरी
24.	आस्ट्रलियन फिल्म फेस्टीबल, कैनबरा
25.	फकोका इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल जापान
26.	बाईट दी मैन्गो इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, यू.के.
27.	आर्टावा इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, कनाडा
28.	प्रबोंगयांग इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, नार्थ कोरिया
29.	बैंकोबर इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, कनाडा
30.	कॉमनवैल्थ इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, क्वालालामपुर
31.	पहला इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल ऑफ जिम्बाबे
32.	पुसान इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल
33.	27वां इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल ऑफ फिगुरिरा डा फोज पुर्तगाल
34.	2वां बैरूट इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल लिबनान
35.	17वां सिनेमाटोग्राफिक्स डे ऑफ कारथागे, तुनिस
36.	फर्स्ट एशियन आर्ट फिल्म फेस्टीबल
37.	5वां हनोई इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल हनोई वियतनाम
38.	लन्दन इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल
39.	हावाली इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल
40.	लौडेरडेल इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, यू.एस.ए.
41.	50वां ह्यूमन राइट इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, ब्रुसैल, बेलजियम
42.	बिरमिंगम इन्टरनेशनल फिल्म एण्ड टेलीविजन फेस्टीबल, यू.के.
43.	नान्टेस इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, फ्रान्स
44.	येस्सोलोल्की इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, ग्रीक
45.	फर्स्ट एशियन फिल्म फेस्टीबल, सिओल
46.	43वां एशिया पैस्फिक इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, ताईवान
47.	3वां यूथ फिल्म फेस्टीबल वारसो
48.	ईडनवर्ग फिल्म फेस्टीबल
49.	ग्लासगो फिल्म फेस्टीबल, यू.के.
50.	नार्दैल वाल्य स्प्रिंग इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, कैलीफोर्नियां
51.	गोल्डन जुबली इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, फिलाडेल्फा
52.	फेस्टीबल ऑफ इण्डिया फिल्म कारडिफ
53.	फिल्म फ्राम इण्डिया एट मानचैस्टर
54.	फाजर इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, ईरान
55.	ढ़ाका इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल
56.	बर्लिन इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल
57.	10वां अन्युअल इन्टरनेशनल वूमेन्स फिल्म फेस्टीबल, मनीला
58.	फ्रीबर्ग इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, स्विटजरलैण्ड
59.	एशियन इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल इन थाईलैण्ड (बैंकाक)
60.	18वां टू. एथिनग्राफिक इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल एट मुसी डेल होम इन पेरिस

क्र.सं.	समारोह का नाम
1	2
1999-2000	
1.	कैलीफोर्निया शार्ट फिल्म फेस्टीबल, यू.एस.ए.
2.	हेलसिंकी इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल
3.	हांगकांग इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल
4.	सिंगापुर इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल
5.	वूमेन इन इण्डियन सिनेमा फेस्टीबल, स्मिथसल्न, यू.एस.ए.
6.	सैन्सफ्रान्सिस्को इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल
7.	सान डियागो इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल
8.	कैन्नस इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल
9.	मुनिय इन्टरनेशनल डाक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टीबल, जर्मनी
10.	क्लेवेलैण्ड सिनेमायैक फिल्म फेस्टीबल
11.	सिनेफेस्ट, 99 क्वतार
12.	सेन्टीमाना इन्टल फिल्म फेस्टीबल बरोना, इटली।
13.	बेनोडेट इन्टल फिल्म फेस्टीबल्स, फ्रान्स
14.	फेस्टीबल ऑफ फेस्टीबल्स, सेंट पीटरस बर्ग, रूस
15.	एनवायरन '99 इन्टल फिल्म फेस्टीबल, स्लोवाक
16.	सिनेमनीला इन्टल फिल्म फेस्टीबल
17.	मास्को इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल
18.	50वां फिल्म एवं वीडियो फिल्म फेस्टीबल, इटली
19.	कारलोनी बरी इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, ब्रगुई
20.	मॉन्ट्रियल इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, कनाडा
21.	10 एस्पो इन्टल फिल्म फेस्टीबल, फिनलैण्ड
22.	ईडनबर्ग इन्टल फिल्म फेस्टीबल
23.	एलैक्जेन्ड्रिया फिल्म फेस्टीबल, कैरो
24.	फिल्म फ्राम साउथ फिल्म फेस्टीबल, कोवेनहैगन, डेनमार्क
25.	फिलोटैक्टा फिल्म फेस्टीबल, मैड्रिड, स्पेन
26.	बैंकाक इन्टल फिल्म फेस्टीबल
27.	बैंकूवर इन्टल फिल्म फेस्टीबल
28.	4वां इन्टल शार्ट फिल्म फेस्टीबल, ईरान
29.	जिम्बाबे इन्टल फिल्म फेस्टीबल
30.	फुकोका इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीबल, जापान
31.	डेनिस फिल्म फेस्टीबल, डेनमार्क
32.	सार्क फिल्म फेस्टीबल, श्रीलंका
33.	यामागाटा शॉर्ट फिल्म फेस्टीबल, जापान
34.	पुसान इन्टल फिल्म फेस्टीबल, कोरिया
35.	शंघाई इन्टल फिल्म फेस्टीबल, चीन
36.	फेस्टीबल ऑफ इरानियन यंग सिनेमा, ईरान
37.	शिकागों इन्टल फिल्म फेस्टीबल, यू.एस.ए.
38.	ई.सी.ओ. फिल्म फेस्टीबल, फ्रान्स
39.	नमस्ते फिल्म फेस्टीबल, टोक्यो
40.	एन.वाई. यूनीवर्सिटी इन्टल स्टूडेंट फिल्म फेस्टीबल
41.	साउथ एशिया, फिल्म फेस्टीबल, नेपाल
42.	फर्स्ट साउथ अफ्रीका इन्टल फिल्म फेस्टीबल, जोन्सबर्ग
43.	नान्टेस इन्टल फिल्म फेस्टीबल, फ्रांस
44.	हनोई इन्टल फिल्म फेस्टीबल, वियतनाम
45.	लन्दन इन्टल फिल्म फेस्टीबल, यू.के.
46.	कैरो इन्टल फिल्म फेस्टीबल, फ्रांस
47.	दमसकस इन्टल फेस्टीबल, सीरिया
48.	बिरयिथम इन्टल फिल्म फेस्टीबल, यू.के.
49.	रोशड इन्टल फिल्म एवं वीडियो फेस्टीबल ईरान

1	2
50.	5वां अन्युअल वूमेन इन सिनेमा फेस्टीबल, सिट्टेले, यू.एस.ए.
51.	कलकत्ता इन्टल फिल्म फेस्टीबल
52.	44वां एशियन पैस्फिक फिल्म फेस्टीबल, बैंकाक
53.	16वां एग्रो इन्टल फिल्म फेस्टीबल, प्रगुई
54.	सैकेण्ड इन्टल मीटिंग ऑफ सिनेमा एण्ड हिस्ट्री, इस्तानबुल
55.	6वां ढ़ाका इन्टल फिल्म फेस्टीबल, बंगलादेश
56.	फेस्टीबल ऑफ फिल्म मेकर्स मिलन, इटली
57.	बर्लिन इन्टल फिल्म फेस्टीबल
58.	फजर इन्टल फिल्म फेस्टीबल
59.	31वां हंगेरियन फिल्म फेस्टीबल, हंगरी
60.	हॉस्टन-पान कल्चर्ल फिल्म फेस्टीबल, यू.एस.ए.
61.	टांक्यूस ऑन फायर 2000 फेस्टीबल, लन्दन
62.	ताम्पेरे शार्ट फिल्म फेस्टीबल, फिनलैण्ड
63.	एथिनग्राफिक्स पॅनोरमा फिल्म फेस्टीबल, पेरिस
64.	पनाल्सा फिल्म फेस्टीबल, पेरिस
65.	नेशनल फिल्म एवं थिएटर फेस्टीबल, लन्दन
66.	फ्रीबार्ग इन्टल फिल्म फेस्टीबल, स्वजरलैण्ड

विवरण III

विगत तीन वर्ष के दौरान फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा किए गए खर्च का ब्यौरा

वर्ष	भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	राष्ट्रीय फिल्म समारोह	विदेशी फिल्म समारोहों में भागीदारी	सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत समारोह
1997-98	89.19	44.94	3.48	3.35
1998-99	115.00	64.00	1.36	1.67
1999-2000	136.61	67.16	2.33	5.05

बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड की परिसंपत्तियां

922. **श्री महबूब जहेदी:** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड के प्रबन्धन ने बी.आई.एफ.आर. की नियम और शर्तों का उल्लंघन करके अपनी भूमि और मशीनों की बिक्री करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड का प्रबन्धन अपनी केन्द्रीय परियोजना डिवीजन की एक 'मैनीटोक' क्रेन को 1.11 करोड़ रुपए में बेचने जा रहा है;

(घ) क्या यह क्रेन वर्तमान में इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के हल्दिया स्थल में तैनात है तथा बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड को भारतीय तेल निगम से इस क्रेन को किराये पर देने के एवज में 1.32 करोड़ रुपए वार्षिक आधार पर प्राप्त हो रहे हैं; और

(ङ) क्या बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड अपनी परिसंपत्तियों को अपनी इच्छानुसार बेच सकती है जबकि यह कंपनी बी.आई.एफ.आर. के अंतर्गत पुनरुद्धार प्रक्रिया में है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ङ) बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्वीकृत बी.एस.सी.एल. की पुनरुद्धार योजना में घाटा उठाने वाली 7 रिफ्रैक्टरी इकाइयों (एल.आर.यू.) सहित जेलिंघम यार्ड स्थित कंपनी के अपतटीय प्रभाग (ऑफशोर डिवीजन) के पुनरुद्धार की व्यवस्था नहीं की गई। पुनरुद्धार योजना में, वी.आर.एस. के अंतर्गत, अजैव्य इकाइयों के सभी कर्मचारियों के पृथक्करण के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, योजना 2 साल के लिए 18 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता जिसे अजैव्य इकाइयों की परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त किया जाना था, उपलब्ध कराती है। अत: परिसंपत्तियों यथा भूमि एवं मशीनरी की बिक्री स्वीकृत योजना का उल्लंघन नहीं करती है। प्रश्न से संबंधित क्रेन जेलिंघम यार्ड स्थित अपतटीय प्रभाग से संबंधित है और इसने 1996 से इंडियन आयल कारपोरेशन से किराया लिया है जो उद्धृत आंकड़ों से काफी कम है।

[हिन्दी]

भारत संचार निगम लिमिटेड को करावकाश

923. **श्री जय प्रकाश:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूर संचार विभाग ने हाल ही में गठित भारत संचार निगम लिमिटेड को आगामी पांच वर्षों तक करावकाश दिए जाने के संबंध में कोई अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार इस पर विचार कर रही है। सरकार का यदि कोई प्रत्युत्तर हुआ तो उसे बजट 2000-2001 को प्रस्तुत करते समय दर्शाया जाएगा।

[अनुवाद]

स्टेट बैंक आफ इंदौर में धोखाधड़ी के मामले

924. **श्री राजैया मल्याला:**
श्री राधा मोहन सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टेट बैंक आफ इंदौर की दिल्ली स्थित शाखाओं में फर्जी खाते खोले जाने सहित धोखाधड़ी के कितने मामले प्रकाश में आये हैं;

(ख) प्रत्येक मामले में शामिल धनराशि सहित तत्संबंधी शाखावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक मामले में लिप्त कर्मचारियों तथा अधिकारियों की जिम्मेवारी निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इसमें लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (च) स्टेट बैंक आफ इंदौर ने सूचित किया है कि चालू वर्ष के दौरान उनकी दिल्ली स्थित शाखाओं में धोखाधड़ी के किसी मामले की न तो कोई सूचना दी गई है, न ही पता लगाया गया है। तथापि, कारपोरेशन बैंक ने स्टेट बैंक आफ इंदौर को इस बात की जानकारी दी थी कि उसके एक कर्मचारी ने स्टेट बैंक आफ इंदौर की रजौरी गार्डन शाखा में अपने संबंधियों के नाम से कई खाते खोलकर कतिपय लेनदेन करके उनके बैंक के साथ धोखाधड़ी की थी। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) जिसे कारपोरेशन बैंक ने यह मामला सौंपा है, इस मामले की जांच कर रहा है। यह सूचित किया गया है कि कारपोरेशन बैंक के उक्त कर्मचारी को दिनांक 15.9.2000 को गिरफ्तार कर लिया गया है। सी.बी.आई. ने इस मामले में स्टेट बैंक आफ इंदौर के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई मामला दर्ज नहीं किया है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को अंतरिम सहायता

925. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत अंतरिम राहत दिए जाने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा इनके नाम क्या-क्या हैं;

(ग) क्या उक्त अंतरिम राहत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की सौंपी गई रुग्ण इकाइयों तथा घाटे में चल रही अन्य इकाइयों के कर्मचारियों को भी प्रदान की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) सरकार ने 19-8-1998 को औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न अपनाने वाले केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को कतिपय शर्तों के अधीन तत्कालीन मूल वेतन के 10% की दर से समायोज्य अंतरिम राहत, न्यूनतम 280/- रुपए प्रति माह, के भुगतान की घोषणा की थी। इनमें से कुछ शर्तें निम्न प्रकारेण हैं:-

(i) अंतरिम राहत के रूप में प्रदत्त राशि पूर्णत: समायोज्य होगी और इसे अंतिम वेतन संशोधन पैकेज में मिला दिया जाएगा।

(ii) अंतरिम राहत सम्बन्धी देनदारियों के भुगतान के लिए सरकारी उपक्रमों को कोई बजटीय सहायता नहीं दी जाएगी।

(iii) अंतरिम राहत की स्वीकृति 1-1-1997 से दी जा सकती है।

(iv) सरकारी उपक्रमों के प्रबंधन को उद्यम-विशेष की वित्तीय स्थिति तथा ऐसी अंतरिम राहत के भुगतान से जुड़े अन्य मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मूल वेतन के 10% की दर से (न्यूनतम 280/- रुपए प्रति माह) अंतरिम राहत मंजूर करने के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी।

(v) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को सौंपे गए रुग्ण उद्यमों, जिनमें 1-1-1992 से वेतनमान संशोधन नहीं हुआ है, के कर्मचारियों को कोई अंतरिम राहत नहीं दी जाएगी।

[अनुवाद]

साल्ट कमीशन की भूमि

926. **श्री किरीट सोमैया:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र राज्य सरकार से मुम्बई स्थित साल्ट कमीशन की 5,500 एकड़ भूमि का संयुक्त रूप से दोहन किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय है;

(घ) क्या इस भूमि का प्रयोग निम्न आय वर्ग के आवास हेतु रेल लाइन के निकट मलिन बस्तियों को बसाने हेतु किया जायेगा; और

(ङ) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त प्रस्ताव, संबंधित मंत्रालय में सरकार के विचाराधीन हैं।

'नॉन टैरिफ' संबंधी बाधाएं

927. **श्री मोहन रावले:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय निर्यात को कई अमरीकी विधानों के अंतर्गत अनेक प्रकार की "नॉन टैरिफ" बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है जिसमें से कतिपय विधान वर्ष 1933 में बनाए गए थे; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इन बाधाओं को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ताकि अमरीका को किए जाने वाले निर्यात में वृद्धि की जा सके?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) गैर टैरिफ बाधाओं के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को संबंधित अमरीकी प्राधिकारियों के साथ विधिवत उठाया जाता है ताकि आपसी सन्तुष्टि के अनुसार उनका शीघ्र समाधान किया जा सके। इन समस्याओं के बावजूद हाल के वर्षों में अमरीका को होने वाले भारत के निर्यातों में अच्छी वृद्धि हुई है तथा जनवरी से अगस्त 2000 तक की अवधि में हमारे निर्यातों में 24.37% तक की वृद्धि हुई है।

उपभोक्ता उत्पादों पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित करना

928. **श्री शीश राम सिंह रवि:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मूल्यों में वृद्धि पर नियंत्रण रखने हेतु उपभोक्ता उत्पादों पर कारखाना-बाह्य मूल्य अंकित करने को अनिवार्य बनाये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उपभोक्ता उत्पादों का अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करने हेतु मानदंड का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार अधिकतम खुदरा मूल्य अथवा कारखाना-बाह्य मूल्य पर उत्पाद शुल्क लगाती है;

(ङ) क्या अधिकतम खुदरा मूल्य को अधिक निर्धारित किए जाने से निपटने हेतु कोई कानून है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) पैकेज में रखी वस्तुएं नियम, 1977 के अन्तर्गत पैकेज में रखी वस्तुओं पर खुदरा बिक्री मूल्य की घोषणा करना अनिवार्य है।

(ग) पैकेज में रखी वस्तुएं नियम, 1977 के उपबंधों के तहत पहले से पैक की गई वस्तुओं की बिक्री, वितरण अथवा डिलीवरी से पूर्व उन पर की जाने वाली घोषणाओं में एक घोषणा खुदरा बिक्री मूल्य की होती है। अधिकतम खुदरा मूल्य विनिर्माता/पैकर द्वारा नियत किया जाता है और उक्त नियमों के तहत इसके लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि यह काम उसके कार्यक्षेत्र से बाहर है।

(घ) सरकार अधिकतम खुदरा मूल्य पर उत्पादन शुल्क नहीं लेती है। तथापि, उत्पादन शुल्क योग्य कुछ उपभोक्ता वस्तुओं के मामले में, जिनके संबंध में खुदरा पैकेजों पर खुदरा बिक्री मूल्य इंगित करना एक सांविधिक अपेक्षा है और जिन्हें इस संबंध में सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, खुदरा मूल्य पर उत्पादन शुल्क लिया जाता है जिसमें से उत्पादन शुल्क के लिए स्थानीय कर तथा उन पर दिए गए व्यापार मार्जिनों को घटा दिया जाता है। कारखानों पर बनाई जाने वाली अन्य वस्तुओं के मामले में, उत्पादन शुल्क, ऐसी वस्तुओं पर देय करों को घटाकर कारखाने के दरवाजे पर सौदा मूल्य पर लिया जाता है।

(ङ) पैकेज में रखी वस्तुएं नियम, 1977 के तहत अधिकतम खुदरा मूल्य विनिर्माता/पैकर द्वारा नियत किया जाता है। उक्त नियमों में केवल अधिकतम खुदरा मूल्य की घोषणा अपेक्षित है। इस तरह से नियत किए गए अधिकतम खुदरा मूल्यों की संगतता के बारे में निश्चय करना इन नियमों के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में एफ.सी.आई. के डिपो

929. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न गोदामों को खोलने की अनुमति इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के बावजूद नहीं प्रदान की जा रही है;

(ख) माननीय न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के मौजूदा गोदामों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के और गोदामों को खोलने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो इन्हें कब तक खोल दिये जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के अपने मौजूदा डिपुओं की कुल संख्या 83 है।

(घ) से (च) सिमली (पहाड़ी क्षेत्र) में भारतीय खाद्य निगम का एक डिपु निर्माण की अग्रिम अवस्था में है।

[अनुवाद]

भारतीय साइकिल निगम का पुनरुद्धार

930. श्री सुनील खां: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय साइकिल निगम के पुनरुद्धार पैकेज को अंतिम रूप से तैयार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं और इसे कब तक अंतिम रूप से तैयार कर लिए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) जी, नहीं। दिनांक 10.7.2000 को हुई अपनी सुनवाई में बी.आई.एफ.आर. ने सी.सी.आई.एल. को बंद करने के आदेश पारित कर दिए हैं।

न्यू इंडिया एश्योरेंश कंपनी में अनियमितताएं

931. श्री शमशेर सिंह दूलो: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान न्यू इंडिया एश्योरेंश कंपनी लिमिटेड के डिवीजनल अधिकारी-310900 के अधीनस्थ कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और जालसाजी के जरिये भुगतान, नकली कैश-मेमों/वाउचरों पर भुगतान, क्रास-चेकों को निरस्त करके बैंक से नकदी की निकासी इत्यादि से संबंधित अनेक शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उक्त मामलों में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किया जाने का प्रस्ताव है;

(ग) कंपनी द्वारा जारी किये गये क्रास-चेकों को रद्द करने के संबंध में कंपनी में किस प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है;

(घ) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान डिवीजनल कार्यालय द्वारा भुगतान किये गये दावों के बीच तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आंतरिक लेखा परीक्षा और अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी के मामलों को नहीं पकड़ पाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी हां। कम्पनी को अध्यक्ष, अखिल भारतीय राष्ट्रीय साधारण बीमा कर्मचारी संघ, उत्तरी क्षेत्र से दिनांक 12.1.2000 की एक शिकायत प्राप्त हुई है। कम्पनी ने दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय के सतर्कता अधिकारी को मामले की जांच करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी है। जांच चल रही है। रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(ग) आमतौर पर कम्पनी द्वारा जारी किए गए चेकों पर क्रासिंग को रद्द करने की अनुमति नहीं दी जाती जब तक कि इस पर दो प्राधिकृत हस्ताक्षर-कर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाते।

(घ) दावों की तुलना के ब्यौरे निम्नानुसार है:

सम्बन्धित	1998-99		1999-2000	
	दावों की संख्या	राशि (रु.)	दावों की संख्या	राशि (रु.)
अग्नि	7	2450705	4	9137735
समुद्री	37	2962956	25	1302999
मोटर ओ.डी.	953	23689767	926	24788633
मोटर टी.पी.	24	8000225	19	5070333
विविध	211	4210802	186	6467324
जोड़	1232	41314455	1160	46767024

(ङ) कथित धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए जांच के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं और पता न लगने के कारणों को तय करना असामयिक होगा।

जी.आई.सी. का सतर्कता विभाग

932. श्री भेरूलाल मीणा: क्या वित्त मंत्री जी.आई.सी. के सतर्कता विभाग के बारे में 12.5.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7249 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यू इंडिया एश्योरेंश कंपनी लिमिटेड के सतर्कता विभाग के खिलाफ कर्मचारी संगठनों और संसद सदस्यों से अधिकारियों, सर्वेक्षणकर्ताओं और बीमाकर्ताओं द्वारा धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के साबित मामलों में देरी करने या उन्हें दबाने से संबंधित शिकायतें मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनी के सतर्कता विभाग को हाल ही में डिवीजनल कार्यालय-310900 के अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई या किये जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या 31.3.2000 की तिथि के अनुसार लंबित मामलों की जांच सतर्कता विभाग द्वारा पूरी की जा चूकी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। "दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (एन.आई.ए.सी.) को संसद सदस्य श्री भेरुलाल मीणा द्वारा अग्रेषित अखिल भारतीय साधारण बीमा कर्मचारी संघ (पंजी) से दिनांक 6.9.2000 की एक शिकायत प्राप्त होने के साथ-साथ न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि. के वर्तमान प्रभारी अधिकारी श्री. ए.पी. प्रधान को संबोधित संसद सदस्य श्री भेरुलाल मीणा का दिनांक 5.10.2000 के अ.शा. पत्र की प्रति भी प्राप्त हई है। ये शिकायतें कम्पनी के सतर्कता और अन्य विभागों के कतिपय अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों से सम्बन्धित थीं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। न्यू इंडिया एश्योरेंश कम्पनी लि. के सतर्कता विभाग को अध्यक्ष, अखिल भारतीय राष्ट्रीय साधारण बीमा कर्मचारी संघ, उत्तरी क्षेत्र से एन.आई.ए.सी. मंडल कार्यालय-310900 के कतिपय अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय के सतर्कता अधिकारी को पहले ही इस मामले की जांच करने तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी है। जांच चल रही है। रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) और (च) दि. 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार, 78 जांच-कार्य लम्बित थे, जिनमें से 40 मामलों से संबंधित जांच कार्य पूरा हो चुका है। शेष 38 मामले (78 मामलों में से) जांच प्रक्रिया के अन्तिम चरण में है।

[हिन्दी]

आई.डी.बी.आई. की औद्योगिक विनिवेश योजना

933. **श्री तूफानी सरोज:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक(आई.डी.बी.आई.) किसी औद्योगिक निवेश योजना को शुरू करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी अनुमानित धनराशि आरक्षित रखी गई है;

(घ) क्या आई.डी.बी.आई. ने भी सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं को प्रदान करने के लिए एक पृथक कम्पनी, 'आई.डी.बी.आई. इनफोटेक' का गठन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके द्वारा इस क्षेत्र में अभी तक प्रदान की गई सेवाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) ने सूचित किया है कि उसने 'औद्योगिक निवेश योजना' नामक कोई योजना शुरू नहीं की है। तथापि, उसने पूंजीगत लाभ के माध्यम से बैंक की दीर्घावधि लाभप्रदत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से पात्र कंपनियों को इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिए 1 अगस्त, 2000 से 'ईक्विटी निवेश योजना' शुरू की है। आई.डी.बी.आई. ने दो वर्ष की अवधि में 1000 करोड़ रुपए अभिनियोजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(घ) और (ङ) आई.डी.बी.आई. ने सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कारोबार शुरू करने के लिए हाल ही में एक नई कम्पनी, अर्थात् आई डी बी आई इन्टेक लिमिटेड (इन्टेक) प्रवर्तित की है। कम्पनी का इन्टरनेट, ई-कामर्स और नेटवर्क सेवा, बेव-आधारित समाधान, सतत सक्रिय (आनलाइन), पोर्टल और विषय संबंधी जानकारी कान्टेंट आफरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) सहायता सेवा, परियोजना के कार्यान्वयन परामर्श, सूचना प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान की सेवा और उत्पाद के अनुकूलन (प्रोडक्ट कस्टाइजेशन) एवं विकास आदि के क्षेत्रों में वित्तीय क्षेत्र के लिए उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

आई.सी.ए.एम.टी. द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं

934. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संवर्धन केन्द्र ने आगरा में फाउन्ड्री उद्योग और बंगलौर में मशीन टूल्स उद्योग की विनिर्माण प्रक्रिया के उन्नयन हेतु प्रायोगिक परियोजना के आधार पर कतिपय परियोजनाओं की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो इस तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) फाउंड्री उद्योग के कामगारों के लाभ हेतु प्रशिक्षण प्रणाली को लागू और उसे विकसित करने के लिये क्या पहल की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ग) जी, हां।

अन्तराष्ट्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संवर्धन केन्द्र ने आगरा में ''फाउन्ड्री'' उद्योग की विनिर्माण प्रक्रियाओं के उन्नयन के लिए प्रायोगिक परियोजना के आधार पर राष्ट्रीय उद्योग और वाणिज्य संघ, आगरा (एन.सी.आई.सी.) के घनिष्ठ सहयोग से एक परियोजना की शुरूआत की है। इस परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यकलापों की परिकल्पना की गयी है:-

- मुख्य प्रौद्योगिकियों के संबंध में प्रशिक्षण/सेमिनार/कार्यशालाएं।
- सर्वोत्तम विनिर्माण प्रक्रियाएं अपनाने में उद्योग की मदद करने के लिए राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की नियुक्ति करना।
- विकसित देशों में अपनायी जा रही विनिर्माण प्रक्रियाओं से अवगत कराने में उद्योग को सुविधा प्रदान करना।
- उपयुक्त प्रौद्योगिकी की पहचान करने तथा इन्हें अपनाने में उद्योग की मदद करना।

एन.सी.आई.सी. के सहयोग से आगरा फाउन्ड्री उद्योग के लिए प्रशिक्षण मापदण्ड विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए क्षेत्रों की पहचान की जा रही है।

[हिन्दी]

खाद्य तेल की जांच

935. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सभी प्रकार के खाद्य तेलो की जांच करने को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस पर कब तक कार्रवाई किये जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (घ) सभी खाद्य तेलों का खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार गुणवत्ता के मापदण्डों के अनुरूप होना अपेक्षित है। यह केवल संगत विश्लेषणात्मक लक्षणों की जांच के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है।

[अनुवाद]

रबड़ का निर्यात

936. **श्री के. फ्रांसिस जार्ज:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश से रबड़ और रबड़ उत्पादों के निर्यात में संवर्धन करने हेतु क्या उपाय किये गए हैं; और

(ख) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रबड़ का उत्पादन, खपत और निर्यात कैसा रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) एग्जिम नीति (1997-2002) के तहत रबड़ का निर्यात मुक्त है। इसके अलावा, रबड़ बोर्ड विभिन्न संवर्धनात्मक उपायों के जरिए प्राकृतिक रबड़ के निर्यात को प्रोत्साहित करता आ रहा है।

रबड़ उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के अलावा, अनेक उपाय किए जा रहे हैं जैसे:- निर्यात से जुड़ी समस्याओं का पता लगाने तथा उनसे निपटने के लिए व्यापार एवं उद्योग जगत के साथ लगातार सम्पर्क बनाए रखना, व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए निर्यातक समुदाय को बाजार विकास सहायता प्रदान करना, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करना तथा अन्य बाजार संवर्धन क्रियाकलाप करना।

पिछले दो वर्षों के दौरान रबड़ का उत्पादन, खपत तथा निर्यात निम्नानुसार रहा था:-

वर्ष	उत्पादन (लाख टनों में)	खपत (लाख टनों में)	निर्यात (टनों में)
1998-99	6.05	5.92	1840
1999-2000	6.22	6.28	5989

एफ.सी.आई. के कर्मचारियों की शिकायतें

937. **श्री आर.एस. पाटिल:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक राज्य की एफ.सी.आई. मजदूर यूनियन/एसोशिएशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके अभ्यावेदनों में उल्लिखित मुख्य शिकायतें क्या हैं; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) अध्यक्ष फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लोडिंग एंड अनलोडिंग वर्कर्स यूनियन (कर्नाटक) से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) अभ्यावेदन में उल्लेख की गई मुख्य शिकायतें निम्नलिखित के लिए थीं:-

(1) गंगावती स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में कार्यरत कामगारों की निविदा मजदूरी दर में 1.5.98 और 12.5.2000 से वृद्धि करना और भारतीय खाद्य निगम के दिनांक 27.7.94 के परिपत्र के अनुसार अतिरिक्त लाभ प्राप्त करना।

(2) के.आर.पुरम, व्हाइट फील्ड, उकल हुबली, के.आर. नगर और नानजुंगुड स्थित गोदामों के कामगारों को 1.11.90 से नियमित करना और बकाया राशि का भुगतान करना तथा 160 कामगारों को उनकी पिछली मजदूरी के साथ नियुक्त करना।

(3) कर्नाटक राज्य में भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न गोदामों में ठेका श्रम प्रणाली को निषेध करना।

अभ्यावेदन में भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के विरुद्ध सांविधिक श्रम लाभों की कटौती किए बिना ठेकेदार के बिलों का भुगतान करके और के.जी.एफ., बंगारापेट तथा हुबली-बोम्मापुरा स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में कामगारों के सहकारी समितियों के नाम पर बेनामी कारोबार करके और दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापना अधिनियम के दायरे से भारतीय खाद्य निगम की छूट का दावा करके अपने व्यक्तिगत और गलत लाभों के लिए अपने सरकारी पद का दुरूपयोग करने के आरोप भी है। अत: यूनियन ने भारतीय खाद्य निगम के कथित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सी.बी.आई. जांच / कोर्ट आफ इन्क्वायरी गठित करने की मांग की है।

(ग) प्रत्येक शिकायत/मांग के संबंध में भारतीय खाद्य निगम द्वारा सूचित वास्तविक स्थिति यूनियन को भेजी गई है।

निगम क्षेत्र के ऋण की पुनर्संरचना

938. श्री रामचन्द्र बैंदा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने निगम क्षेत्र की ऋण पुनर्संरचना के मुद्दों पर ऋणदाताओं के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए अग्रणी वित्तीय संस्थानों और बैंकों की एक स्थायी समन्वयन समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के विचारणीय विषय क्या हैं; और

(ग) इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं और बैंकों की स्थाई समन्वय समिति (एस.सी.सी.), भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) के तत्वावधान में सितम्बर 1999 में गठित की गई जिसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समिति के संयोजक होंगे।

(ख) और (ग) एस.सी.सी. की निरंतर आधार बैठक होती है और अपनी बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श होता है:

- वित्तीय संस्थाओं (एफ.आई.) और बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित परियोजनाओं से संबंधित अनसुलझे मुद्दे।
- वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से संबंधित मामले जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार और अन्य सांविधिक प्राधिकारियों के साथ उठाया जाना है।
- सामान्य हित का कोई अन्य मामला।
- एस.सी.सी. को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करना है।

झींगा फार्म में विषाणु

939. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.पी.ई.डी.ए. ने आंध्र प्रदेश में झींगा फार्म को बार-बार प्रभावित कर रहे विषाणुओं का पता लगाने के लिए किसी वैज्ञानिक दल को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो एम.पी.ई.डी.ए. ने किस तारीख को विभिन्न राज्यों का दौरा किया है और उक्त दल किन-किन क्षेत्रों में गया;

(ग) एम.पी.ई.डी.ए. दल के क्या निष्कर्ष हैं;

(घ) क्या एम.पी.ई.डी.ए. टीम द्वारा राज्य के झींगा फार्म को कोई सुझाव दिये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ङ) एम्पीडा ने एशिया-प्रशान्त क्षेत्र में जलकृषि केन्द्रों के नेटवर्क (एन.ए.सी.ए.), थाईलैंड के सहयोग से देश में झींगा फार्मों को प्रभावित करने वाली बीमारी के संबंध में तीन चरणों में एक विस्तृत अध्ययन किया है, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक दलों ने अगस्त-नवम्बर, 2000 के दौरान आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के निम्नलिखित स्थानों पर स्थित फार्मों का दौरा किया था:

क्रम सं.	दौरे की तारीख	वे स्थल जिनका दौरा किया गया
1.	26 अगस्त, 2000	चैन्नई के नजदीक महाबलीपुरम (तमिलनाडु)
2.	27-31 अगस्त, 2000	काकीनाडा, भीमावरम, नेल्लौर तथा कांडालेरू क्रीक (गुडुर) (आंध्र प्रदेश)
3.	31 अक्तूबर, 2000 तथा 1 नवम्बर, 2000	सिरकाजी तालुक, नागाई जिला (तमिलनाडु)

इसके अलावा, प्रारम्भिक सर्वेक्षण संबंधी आंकड़े एकत्र करने के लिए एम्पीडा के अधिकारियों ने 15 सितम्बर से 22 अक्तूबर, 2000 तक की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश के कांडालेरू क्रीक क्षेत्र (नेल्लौर जिला) तथा पश्चिम गोदावरी जिले तथा तमिलनाडु के नागाई जिले में स्थित फार्मों का भी दौरा किया। वैज्ञानिक दल के विश्लेषण एवं निष्कर्षों के बारे में किसानों को अध्ययन के दूसरे तथा अंतिम चरण में एम्पीडा द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कक्षाओं के जरिए जानकारी प्रदान की जाएगी।

[हिन्दी]

टी.ए.एफ.सी.ओ. का आयुध कारखाने में विलय

940. श्री चन्द्रकान्त खैरे: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "टैनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड" (टैफ्को) का विलय आयुद्ध कारखाने में करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आई.डी.बी.आई. ऋण

941. श्री राजो सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार के उद्यमियों से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने आवेदनों को स्वीकृति दी गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) द्वारा बिहार के उद्यमियों को वर्ष-वार और इकाई-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार के उद्यमियों के लिए प्रत्यक्ष वित्त योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए/मंजूर किए गए आवेदनों की संख्या तथा मंजूर की गई सहायता निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	आवेदनों की संख्या		स्वीकृत राशि
	प्राप्ति	मंजूरी	
1997-98	14	8	371
1998-99	17	8	674
1999-2000	14	11	241

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में प्रचलित प्रथाओं और रीतिरिवाजों तथा वित्तीय संस्थाओं को शासित करने वाली सांविधियों के प्रावधानों (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम 1983 के अनुसार इकाई-वार सूचना नहीं दी जा सकती है।

[अनुवाद]

धन का गबन किया जाना

942. श्री समीक लाहिड़ी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा मौजूदा कानूनों के अधीन काले धन के स्रोत और गबन को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान फिरौती, नशीले पदार्थों की तस्करी और हथियार व्यापार के अलावा काले धन के अन्य स्रोतों की पहचान के लिए कोई व्यवस्थित अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) आयकर अधिनियम, 1961 में अप्रकटित धन को बाहर निकालने और उसके द्वारा काले धन के सृजन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बहुत से उपबंध निहित हैं। इन उपबन्धों में धारा-44-कक और 44. कख के अन्तर्गत उल्लिखित मामलों में खातों का अनिवार्य अनुरक्षण और लेखा परीक्षा, धारा 40 क(3), 269-धध और 269-न के अंतर्गत नकद लेनदेनों पर प्रतिबन्ध, अध्याय **ग के अन्तर्गत संपत्तियों की पूर्व क्रयाधिकार खरीद, सर्वेक्षण और तलाशी, कर अपवंचकों को दण्डित करने के लिए अर्थदण्ड और अभियोजन और संवीक्षा के लिए चुने गए मामलों में जांच शामिल हैं। ये उपबन्ध उचित मामलों में लागू किए जाते हैं। इनके अलावा आयकर विभाग के कार्य के कम्प्यूटरीकरण सहित सभी कर निर्धारितियों को धारा 139-क के अन्तर्गत स्थाई खाता संख्या का आवंटन तथा निर्धारित लेनदेनों में ऐसे स्थाई खाता संख्या के अनिवार्य उल्लेख को उच्च प्राथमिकता दी गई है। उन व्यक्तियों जो छः आर्थिक सूचकों में से एक को पूरा करते हैं, द्वारा अनिवार्य विवरणी दाखिल करने से सम्बन्धित धारा 139 (1) के उपबन्धों को देश के 133 शहरों में लागू किया गया है। यह स्कीम आयकर विभाग के रिकार्ड में उन व्यक्तियों को लाती है जिनके पास अचल संपत्तियां आदि हैं काले धन के निवेश की गुंजाइश रहती है।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

चीनी के उत्पादन में गिरवाट

943. **श्रीमती रेणूका चौधरी:**
श्री माधवराव सिंधिया:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान चीनी का उत्पादन गन्ना उत्पादकों को उनकी बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने के कारण घटा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके परिणामस्वरूप चीनी के उत्पादन में कितनी गिरावट आई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (घ) पिछले तीन चीनी मौसमों (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान देश में चीनी का उत्पादन निम्नानुसार था:

चीनी मौसम	उत्पादन (लाख टन में)
1997-98	128.44
1998-99	155.20 (अ)
1999-2000	181.41 (अ)

(अ) अनंतिम

उपरोक्त आंकड़ों से विदित होता है कि देश में चीनी के उत्पादन में कमी नहीं आई है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने किसानों को देय गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि के भुगतान के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(1) 01.01.2000 से चीनी फैक्ट्रियों की लेवी देयता 40% से कम करके 30% कर दी गई है।

(2) देश में आयातित चीनी की आमद को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 09.2.2000 से आयातित चीनी पर 850 रुपये प्रति टन के मौजूदा प्रतिशुल्क के साथ सीमा शुल्क बढ़ाकर 60% कर दिया है।

(3) सरकार खुली बिक्री की चीनी के कोटा की विवेकपूर्ण ढंग से निर्मुक्तियां करके घरेलू बाजार में चीनी के मूल्यों को स्थिर रखने तथा उन्हें उचित स्तर पर बनाये रखने की नीति का अनुसरण कर रही है।

(4) जरूरतमंद चीनी फैक्ट्रियों को खुली बिक्री की चीनी की अग्रिम निर्मुक्तियां की जा रही हैं ताकि वे गन्ने के मूल्य की देय धनराशि का भुगतान कर सकें।

(5) चीनी फैक्ट्रियों के पास पड़े चीनी के अधिशेष स्टाक को कम करने के लिए सरकार ने 10 लाख टन चीनी का निर्यात करने की अनुमति देने का निर्णय किया है।

लेवी चावल की खरीद

944. श्री के. येरननायडू: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से होने वाली चावल की खरीद के संबंध में आन्ध्र प्रदेश के किसानों के प्रति भेदभाव करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र द्वारा अपनाई जा रही निर्यात-आयात नीति के परिणामस्वरूप गत दो वर्षों के दौरान देश के किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि आंध्र प्रदेश के किसानों को भी पंजाब के किसानों की तरह भी लाभ मिले, क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) सरकार को भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से लेवी चावल की वसूली के संबंध में आंध्र प्रदेश में किसानों के प्रति भेदभाव के बारे कोई जानकारी नहीं हैं। तथापि, आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपनाई जा रही चावल वसूली की साधारण प्रणाली पंजाब की प्रणाली से अलग है। हालांकि आंध्र प्रदेश में चावल की वसूली लेवी के माध्यम से मिल-मालिकों से की जाती है जबकि पंजाब के मामले में इसकी वसूली अधिकांशत: भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों द्वारा वसूल की गई धान की कस्टम मिलिंग के माध्यम से की जाती है। बेमौसमी वर्षा और ब्लीट, जिससे फसलें प्रभावित हुई थी, के कारण पंजाब के धान की विनिर्दिष्टियों और कस्टम मिल्ड चावल की धान से चावल प्राप्ति (आउट टर्न) के मामले में कुछेक छूट दी गई हैं।

इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (आई.पी.सी.एल.) की बिक्री

945. श्री इन्द्रजीत गुप्त: क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिये इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (आई.पी.सी.एल.) की बड़ोदरा, गांधार और नेगोधाने स्थित तीन इकाइयों की बिक्री करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) और (ख) सरकार ने इन्डियन पैट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.पी.सी.एल.) के विनिवेश के मामले में अपने पहले के निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया है कि आई.पी.सी.एल. के बड़ोदरा संयंत्र, जिसमें भारतीय तेल निगम लि. की गुजरात रिफाइनरी के साथ सहयोग है, को उपयुक्त मूल्य निर्धारण के बाद भारतीय तेल निगम लि. को हस्तांतरित कर दिया जायेगा। शेष आई.पी.सी.एल. का पहले लिए गए निर्णय के अनुसार 25 प्रतिशत इक्विटी की अनुकूल बिक्री के माध्यम से विनिवेश कर दिया जाएगा।

पी.एम.आर.वाई. के अंतर्गत ऋण का दुरुपयोग

946. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह पता चला है कि बेरोजगार शिक्षितों को ऋण देने की महत्वाकांक्षी योजना लक्ष्य पाने में सफल तो रही है लेकिन इस योजना का लाभ अयोग्य लोगों ने उठाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ मामलों में जांच से पता चला है कि कुछेक बैंकों में इस योजना के अन्तर्गत भ्रष्टाचार जारी है; और

(ग) यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को कुल कितना ऋण दिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, शिक्षित बेरोजगार युवकों को ऋण उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) ने बड़ी मात्रा में अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक को पी.एम.आर.वाई. के अन्तर्गत बैंकों से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो सामान्य प्रकार की हैं। इन शिकायतों में अन्य बातों के साथ-साथ ऋण की मंजूरी से पहले विभिन्न एजेंसियों से विभिन्न दस्तावेजों के प्राप्त होने में कठिनाईयां, बैंकों द्वारा समर्थक प्रतिभूति की मांग करना ऋण की स्वीकृति में विलम्ब, आवेदन की गई

राशि से कम राशि की मंजूरी, बैंक स्टाफ का व्यवहार और ऋण के संवितरण में देरी सम्मिलित है। जब बैंक अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाए जाते हैं, तो अपने स्टाफ विनियमों के अनुसार बैंक जांच कार्यवाही प्रारम्भ करते हैं। अलग-अलग बैंक के नियमों के अनुसार, अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक को वार्षिक विवरण भेजें जिसमें प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत उधार देने में कर्मचारियों द्वारा की गई चूकों की प्रकृत्ति दर्शाई गई हो।

पी.एम.आर.वाई. के अन्तर्गत बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये गए ऋण निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	संवितरित ऋण	
	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
1993-94 से 1996-97	6,52,264	3740.78
1997-98 से 2000-2001 (अगस्त 2000 तक-अनंतिम)	5,36,727	3127.14

सोने की छड़ों की तस्करी

947. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एअर इंडिया की उड़ानों में सोने की छड़ों की तस्करी के कितने मामले पकड़े गये;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने मामलों में 20 किलो से अधिक सोने की छड़ पकड़ी गई;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, कितने मामलों में अपराधियों/तस्करों की पहचान की गई, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें सजा दी गई; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या निरोधात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) गत तीन वर्षों के दौरान एयर इंडिया के विमानों में सोने की छड़ों की तस्करी के 11 मामलों का पता चला, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	मामलों की संख्या
1997-98	5
1998-99	1
1999-2000	3
2000-2001 (अक्तूबर, 2000 तक)	2

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त "क" में बताए गए मामलों में से 2 मामलों में 20 किलों से अधिक सोने की छड़ें पकड़ी गई।

(ग) उन मामलों की संख्या नीचे दी गई है जिनमें गत तीन वर्षों के दौरान अपराधियों/तस्करों की पहचान की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया तथा उन पर मुकदमा चलाया गया:-

वर्ष	मामलों की संख्या
1997-98	शून्य
1998-99	1-1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया
1999-2000	2-3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया
2000-2001 (अक्तूबर 2000 तक)	

(घ) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के अधीन आने वाले सभी क्षेत्रीय कार्यालय आमतौर पर निषिद्ध तथा विशेष रूप से सोने की तस्करी का पता लगाने तथा उसे रोकने के लिए चौकस तथा सजग रहते हैं।

पंजाब में धान और चावल का भंडार

948. श्री विनय कुमार सोराके: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब सरकार के पास शीघ्र बिक्री के लिए इस समय धान/चावल का पर्याप्त भंडार है;

(ख) यदि हां, तो भंडारण स्थल के संदर्भ में भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने बफर स्टाक के निर्माण हेतु ऐसे खाद्यान्न भंडारों के एक हिस्से को जमा करने के क्षमता कितनी है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम का विचार इस समय पंजाब के धान/चावल बाजार में सीधे हस्तक्षेप करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) 31.10.2000 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार तथा इसकी एजेंसियों के पास पंजाब क्षेत्र में धान और चावल का स्टाक निम्नानुसार था:-

(आंकड़े लाख टन में)

एजेंसी	चावल	धान
भारतीय खाद्य निगम	46.69	21.43
राज्य एजेंसियां	–	59.34
जोड़	46.69	80.77

(ख) फिलहाल 1.11.2000 को स्थिति के अनुसार पंजाब में भारतीय खाद्य निगम के पास कुल भंडारण क्षमता (अपनी और किराये की/ढकी हुई और कैप) 100.99 लाख टन है जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(आंकड़े लाख टन में)

एजेंसी	क्षमता	पास रखा स्टाक
क. ढ़की हुई क्षमता		
भारतीय खाद्य निगम की अपनी से किराये पर	21.77	17.35
राज्य सरकार	7.04	5.93
केन्द्रीय भंडारण निगम	4.11	3.39
राज्य भांडागारण निगम	12.73	12.56
निजी पार्टियां	15.36	11.56
जोड़ (ढकी हुई)	61.01	50.81
ख. कैप (खुली) क्षमता		
भारतीय खाद्य निगम की अपनी	5.43	6.64
किराये की	34.55	29.74
जोड़ (कैप)	39.98	36.38
सकल जोड़ (ढ़की हुई और कैप)	100.99	87.19

(ग) और (घ) पंजाब में वर्तमान खरीफ विपणन मौसम के दौरान भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार/एजेंसियां 21.9.2000 से न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधीन राज्य में धान की वसूली कर रही हैं। 21.11.2000 को स्थिति के अनुसार पंजाब क्षेत्र में 86.08 लाख टन धान की वसूली कर ली गई है (भारतीय खाद्य निगम 27.79 लाख टन, राज्य सरकार/एजेंसियां = 58.29 लाख टन)। भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब में 3.61 लाख टन लेवी चावल की वसूली भी की है और इस प्रकार पंजाब में चावल और चावल के रूप में धान की कुल वसूली 70 लाख टन हो गई है जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 61.54 लाख टन की वसूली हुई थी।

अमरीकी सीमाशुल्क विभाग द्वारा बरामदगी

949. श्री बी.के. पार्थसारथी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी सरकार ने कतिपय कंपनियों द्वारा निर्मित सी.डी. रोम्स की चोरी की गई खेपों की बरामदगी और शुल्क प्राधिकार पास-बुक योजना के विरुद्ध धोखाधड़ी में संलिप्त होने के मामलों के बारे में भारत सरकार को जानकारी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कामराज ग्रामीण बैंक द्वारा वेतन का भुगतान न किया जाना

950. श्री अनादि साहू: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कश्मीर के कामराज ग्रामीण बैंक के कर्मचारी घाटी से जम्मू को प्रवास कर गये और उन्हें गत चार महीनों से वेतन भी नहीं मिला है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने उन्हें उनके वेतन प्रदान करने और जम्मू और कश्मीर के बाहर किसी भी "नाबार्ड" कार्यालय में उनकी सेवाओं का लाभ उठाने हेतु क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) कामराज ग्रामीण बैंक के 43 अधिकारी/लिपिक कश्मीर घाटी से जम्मू प्रवास कर/विस्थापित हो गए थे। जम्मू और कश्मीर बैंक लि., जो कामराज ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक है, द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कामराज ग्रामीण बैंक द्वारा अक्तूबर, 2000 तक का वेतन अपने प्रवासी कर्मचारियों को संवितरित किया जा चुका है।

(ग) भारत सरकार ने प्रायोजक बैंक को अनुदेश जारी किए थे जिसमें उन्हें यह सलाह दी गई थी कि वे कामराज ग्रामीण बैंक को प्रवासी कर्मचारियों का वेतन जारी करने का निदेश दें। इन अनुदेशों को समय-समय पर दुहराया जाता रहा है। जम्मू और कश्मीर से बाहर उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के किसी कार्यालय में उपयोग किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में प्रसारण सुविधा

951. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के किन शहरों/कस्बों में दूरदर्शन/आकाशवाणी की प्रसारण सुविधायें अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन स्थानों में भी प्रसारण सुविधा स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो अब तक इस प्रयोजन हेतु किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(घ) यह सुविधा शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में गढ़चिरौली, रत्नागिरी, कोल्हापुर और सिन्धु दुर्ग जिलों में कुछ हिस्सों में पर्याप्त रेडियो कवरेज प्राप्त नहीं हो रही है। यद्यपि थाणे, अलीबाग, कुदाल और लातूर में दूरदर्शन ट्रान्समीटर की सुविधा नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के सभी शहरों/कस्बों में स्थानीय ट्रान्समीटर या नजदीकी ट्रान्समीटर के द्वारा पर्याप्त टी.वी. कवरेज प्राप्त हो रही है।

(ख) से (घ) रेडियो कवरेज के और अधिक विस्तार के लिए सिन्धु दुर्ग जिले के औरस में 1 कि.वा. का मी.वे. ट्रान्समीटर और एक स्टूडियो स्थापित करने और नागपुर स्थित 100 कि.वा.किमी. वे ट्रा. को 300 कि.वा. के मी.वे. ट्रा. में उन्नयन करने का प्रस्ताव है। इन दोनों स्कीमों को वर्ष 2001-2002 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

महाराष्ट्र में. टी.वी. कवरेज के और विस्तार के लिए निम्नलिखित स्थानों पर 12 ट्रान्समीटर परियोजनाएं (डी.डी. 1-8 डी.डी. 2-4) कार्यान्वित की जा रही है:-

(1) डीडी-1 ट्रान्समीटर

उ.श.ट्रा.	-	चन्द्रपुर, जलगांव तथा रत्नागिरी
अ.श.ट्रा.	-	भद्रागढ़, थड़गांव और रावर
अ.अ.श.ट्रा.	-	अन्बर और सकली

(2) डीडी-2 ट्रान्समीटर

उ.श.ट्रा.	-	पुणे एवं औरंगाबाद
अ.श.ट्रा.	-	शोलापुर एवं नासिक

कवर न किए गए क्षेत्रों को निधियों एवं आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए भविष्य की योजनाओं में शामिल किया जाएगा।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि

952. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये सभी राज्यों, विशेषकर केरल में आपूर्ति किये जाने वाले चावल और गेहूं की कीमतों में वृद्धि के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली बुरी तरह प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों को खाद्यान्न जारी किये जाने में हुई देरी के कारण भारतीय खाद्य निगम को कितना घाटा हुआ; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) न्यूनतम समर्थन मूल्य/वसूली मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप वित्तीय भार को निष्प्रभावी करने और खाद्य राजसहायता बजट को उचित स्तर तक नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित किए जा रहे खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य 1.4.2000 को बढ़ाए गए थे जिसे 25.7.2000 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (केरल सहित) के लिए पुन: संशोधित कर घटाया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों के मूल्य विशेषत: गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए लागू मूल्य, अभी भी, खुले बाजार मूल्य से कम हैं। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन 1995 के पूर्व प्रक्षेपित जनसंख्या के बदले अब 1.3.2000 को महापंजीयक की जनसंख्या प्रक्षेपण के आधार पर 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमास के हिसाब से किया जाता है।

(ग) स्टॉक को निर्मुक्त करने में भारतीय खाद्य निगम की ओर से कोई विलंब नहीं होता है। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के संबंध में उचित दर दुकानों से खाद्यान्नों का उठान प्रभावित नहीं हुआ है। तथापि, 1.4.2000 से केन्द्रीय निर्गम मूल्य में वृद्धि के पश्चात् कुछ राज्यों में गरीबी रेखा से ऊपर के खाद्यान्नों का उठान घट गया है। गरीबी रेखा से ऊपर की जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों पर राजसहायता हटा ली गई है। अत: इस मद में भारत सरकार को कोई हानि नहीं है।

(घ) सरकार ने केन्द्रीय पूल से अत्यधिक स्टॉक को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) 11.07.2000 से घटी हुई कीमतों पर गेहूं की खुली बिक्री प्रारंभ की गई है।

(2) 4.9.2000 से चावल की खुली बिक्री प्रारंभ की गई है।

(3) 25.7.2000 को गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में संशोधन कर इन्हें कम किया गया था।

(4) गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य आर्थिक लागत के 100% या समय-समय पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित किए गए खुली बाजार बिक्री के मूल्य, जो भी कम न हो, पर निर्धारित किए गए हैं। खुली बाजार दरों के आर्थिक लागत से कम होने की स्थिति में राज्य इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं और गरीबी रेखा से ऊपर की जनसंख्या को कम दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करा सकते हैं।

(5) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को खाद्यान्नों का आवंटन 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति महीने की दर से 1995 की प्रक्षेपित जनसंख्या की बजाय अब 1.3.2000 को महापंजीयक द्वारा प्रक्षेपित जनसंख्या के आधार पर किया जा रहा है।

(6) राज्य सरकारों और भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रायोजित भिक्षु गृहों/अ.जा./अ.ज.जा/पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए छात्रावासों/नारी निकेतनों आदि जैसी कल्याणकारी संस्थाओं में रहने वाले निराश्रित लोगों को कवर करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्न 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास के हिसाब से राज्य सरकारों को आवंटन के लिए उपलब्ध है। अन्नपूर्णा योजना के अधीन खाद्यान्न का आवंटन उन अकिंचन वृद्धि व्यक्तियों को भी किया जा सकता है जो राज्य सरकारों से वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

(7) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लागू की गई सभी कल्याण योजनाओं के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर खाद्यान्नों का आवंटन किया जाएगा।

(8) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू दरों पर राज्य सरकारों को काम के बदले अनाज कार्यक्रम तथा हरित भारत अभियान चलाने के लिए भी खाद्यान्नों का आवंटन किया जाएगा।

(9) राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित तथा भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रायोजित गैर-सरकारी संगठनों, तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम जैसे अंतराष्ट्रीय संगठनों द्वारा कार्यान्वित विकास योजनाओं (जिनमें लाभभोगी गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग से संबंध रखते हों) के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्नों का आवंटन किया जाएगा।

(10) भारतीय खाद्य निगम को उस मूल्य पर गेहूं के निर्यात की पेशकश करने की अनुमति दी गई है जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य, जो वर्तमान में 4150 रुपये प्रति टन हैं, से कम न हों।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर श्वेत पत्र

953. **श्री नरेश पुगलिया:**
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री सुकदेव पासवान:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपके मंत्रालय के अधीन सभी सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर श्वेत पत्र लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो श्वेत पत्र की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके कब तक लाये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार द्वारा पिछले कुछ महीनों में सरकारी क्षेत्र के कमजोर उद्यमों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) जी, हां। भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर श्वेत पत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सुदृढ़ बनाने तथा उनकी जैव्यता में सुधार लाने के लिए किए गए प्रयासों में शामिल है:-

(1) नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (एन.आई.एल.), कलकत्ता की पुनरुद्धार स्कीम को दिनांक 15.11.99 को मंजूरी दे दी गई थी और वह कार्यान्वयनाधीन है।

(2) सरकार ने एच.एम.टी. लि. (एच.एम.टी.) की टर्नअराउन्ड योजना को दिनांक 18.7.2000 को मंजूरी दे दी थी। टर्नअराउन्ड प्लान में सभी मुख्य समस्याओं को दर्शाया गया है जिन्होंने कंपनी को जकड़ रखा है, वे हैं:- उच्च श्रमिक लागत, उच्च ब्याज भार और इन इकाइयों को सतत् घाटे ने अजैव्य बनाया है और सरकार ने 2000-2001 के दौरान 265.10 करोड़ रुपये के नये निवेश को लगाने का अनुमोदन कर दिया है।

(3) लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड (एल.जे.एम.सी.) को संयुक्त उद्यम की कंपनी में बदल दिया गया है तथा इसके प्रबन्धन को 4 जुलाई, 2000 को मैसर्स मुरलीधर रतनलाल एक्सपोर्ट लिमिटेड को सौंप दिया गया है।

(4) वैगन का निर्माण करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को रेल मंत्रालय द्वारा 2000-2001 के लिए दिए गए 8917.5 चौपहिया के आदेश के मुकाबले 1999-2000 में दिए गए 5560 चौपहिया के आदेश से 60.39% अधिक है।

नई "नाबार्ड" योजना

954. **श्री होलखोमांग हौकिप:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने मणिपुर राज्य के ग्रामीण कारीगरों और अनुसूचित जनजातियों के लिये एक नई योजना बनाई है;

(ख) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इस बैंक द्वारा राज्य को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत मणिपुर में कितने लोग लाभान्वित हुये?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने मणिपुर राज्य सहित देश के सभी राज्यों में ग्रामीण, आदिवासी और अनुसूचित जनजाति के लोगों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए योजनाएं बनाई हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, निवेश ऋण के अंतर्गत मणिपुर में विभिन्न बैंकों को संवितरित किए गए नाबार्ड के पुनर्वित्त की राशि नीचे दी गई है:-

(लाख रुपये में)

बैंक	1997-98	1998-99	1999-2000
वाणिज्यिक बैंक	258.00	325.00	156.00
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-	-	47.00
सहकारी बैंक	-	-	-
जोड़	258.00	325.00	203.00

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चीनी उद्योग का आधुनिकीकरण

955. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:**
श्री भाल चन्द्र यादव:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में चीनी उद्योग की राज्यवार स्थिति कैसी है; और

(ख) देश में चीनी उद्योग के आधुनिकीकरण और तेज विकास के लिये क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) 30.9.2000 को स्थिति के अनुसार सार्वजनिक निजी तथा सहकारी क्षेत्रों में संस्थापित चीनी मिलों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। 1999-2000 चीनी मौसम के दौरान देश में चीनी का कुल उत्पादन 181.41 लाख टन (अनंतिम) तक पहुंच गया है जबकि 1998-99 चीनी मौसम के दौरान 155.20 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था।

(ख) आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए चीनी मिलों को चीनी विकास निधि से ब्याज की रियायती दर पर ऋण मुहैया किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने देश में चीनी उद्योग की व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(1) 1.1.2000 से लेवी और खुली बिक्री चीनी के अनुपात को 40:60 से बदलकर 30:70 कर दिया गया है।

(2) 9.2.2000 से आयातित चीनी पर शुल्क को बढ़ाकर 60% कर दिया गया है ताकि आयातित चीनी की आमद को नियंत्रित किया जा सके।

(3) आयातित चीनी को रिलीज व्यवस्था के तहत लाया गया है।

(4) 17.2.2000 से, आयातकों के पास उपलब्ध आयातित चीनी के स्टाक पर 30% की दर से लेवी लगाई गई है।

(5) 10 लाख टन चीनी का निर्यात करने की अनुमति दी गई है।

विवरण

30.9.2000 को स्थिति के अनुसार संस्थापित चीनी मिलों और चीनी मौसम 1999-2000 के दौरान चालू चीनी मिलों की राज्य-वार संख्या

क्रम सं.	राज्य	संस्थापित चीनी मिलों की कुल संख्या				उन चीनी मिलों की संख्या जिन्होंने चीनी मौसम 1999-2000 के दौरान कार्य किया
		सार्वजनिक	निजी	सहकारी	जोड़	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1.	पंजाब	–	6	16	22	21
2.	हरियाणा	–	3	10	13	13
3.	राजस्थान	1	1	1	3	2
4.	उत्तर प्रदेश	35	61	32	128	109
5.	मध्य प्रदेश	2	4	3	9	7
6.	गुजरात	–	–	22	22	18
7.	महाराष्ट्र	–	6	128	134	124

1	2	3	4	5	6	7
8.	बिहार	15	13	–	28	10
9.	असम	–	1	2	3	1
10.	उड़ीसा	–	4	4	8	7
11.	पश्चिम बंगाल	1	1	–	2	2
12.	नागालैंड	1	–	–	1	–
13.	आंध्र प्रदेश	6	17	18	41	35
14.	कर्नाटक	3	15	19	37	34
15.	तमिलनाडु	3	19	15	37	37
16.	पांडिचेरी	–	1	1	2	2
17.	केरल	–	1	1	2	1
18.	गोवा	–	–	1	1	1
	जोड़	67	153	273	493	424

जूनागढ़ में एफ.एम. रेडियो स्टेशन

956. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जूनागढ़ में एफ.एम. रेडियो स्टेशन स्थापित करने का फैसला काफी पहले ले लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो एफ.एम. स्टेशन की स्थापना पर आने वाली वास्तविक लागत कितनी है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इसके कब तक काम शुरू कर देने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) जूनागढ़ में एक एफ.एम. रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव 9वीं योजना में शामिल किया गया था। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि 16.95 लाख रुपए की लागत से भूमि के अधिग्रहण और घेराबन्दी का कार्य कर लिया गया है। चूंकि प्रसार भारती की अन्य अनवरत प्रतिबद्धताएं है जिन्हें पूरा किया जाना है अत: स्टेशन शुरू करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा देना संभव नहीं होगा।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों का निर्यात

957. श्री रामटहल चौधरी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पादों के निर्यात में भारत का हिस्सा कितना है;

(ख) क्या कृषि उत्पादों का निर्यात अब भी काफी पिछड़ा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो अब तक निर्यात किये जाने वाले उत्पादों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) विश्व बाजार में कृषि उत्पादों के निर्यात में भारत का हिस्सा लगभग 1% है। कृषि उत्पादों का निर्यात अनेक कारकों पर निर्भर होता है जैसाकि घरेलू उत्पादन और खपत, निर्यात योग्य बेशी मात्रा, उपभोक्ता, अधिमान, बेची गई किस्में, गुणवत्ता, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, स्टोर, प्रक्रिया, परिवहन एवं पोषण हेतु बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता।

(ग) देश से निर्यातित कृषि उत्पादों में शामिल हैं- चावल (बासमती और गैर-बासमती), काजू द्रव्य, तेल खाद्य, मसाले, मांस एवं मांस से बने उत्पाद, अनिर्मित एवं निर्मित तम्बाकू, ग्वारगम खाद्य, दालें, ताजी सब्जियां, ताजे फल, प्रसंस्कृत फल एवं जूस, विविध प्रसंस्कृत मदें, तिल और रामतिल, प्रसंस्कृत सब्जियां, चमड़ा, मूंगफली, स्पिरिट एवं पेय, कुक्कुट एवं डेयरी उत्पाद, पुष्पोत्पाद, शिरा, फल एवं सब्जी बीज, अन्य अनाज, चीनी, गेहूं। 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान समुद्री उत्पाद चाय, तेल अरण्डी के तेल और कपास सहित निर्यात किए गए कृषि उत्पादों का कुल मूल्य निम्नानुसार रहा था:-

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु.)
1997-98	24626
1998-99	25387
1999-2000 (अ)	23823

(अ)-अनंतिम (स्रोत: डी.जी.सी.आई. एंड एस. कलकत्ता)

निर्यातों के मात्रा-वार और उत्पाद वार ब्यौरे वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई. एंड एस.), कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारत की विदेश व्यापार सांख्यिकी के मासिक/वार्षिक अंक में दिए गए हैं, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(घ) कृषि उत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कुछ कदमों में शामिल हैं:-

1. अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए छोटी और बड़ी पौध शालाएं लगाने के लिए सहायता प्रदान-करना, प्रदर्शनों, प्रशिक्षणों और प्रचार के माध्यम से किसानों की तकनीकी जानकारी को बढ़ाना, पुराने बागानों का नवीकरण, क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता में सुधार लाना तथा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना;

2. उन्नत पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण तथा प्रसंस्करण इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

3. क्रेता विक्रेता बैठकों और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सह-भागिता जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना;

4. आंकड़ा आधार के विकास तथा बाजार सूचना के प्रसार में सहायता प्रदान करना;

5. गुणवत्ता सुनिश्चित करने, सम्मिश्रण को खत्म करने और जीवाणु एवं फफूंदी से मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों की जांच हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करना।

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार

958. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत 6 महीनों के दौरान देश में विदेशी मुद्रा के अवैध कारोबार के कई मामले पकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितनी राशि की विदेशी मुद्रा बरामद की गई; और

(घ) सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा के अवैध कारोबार को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) 42 मामले।

(ग) राज्यवार सूचना निम्नानुसार है:-

राज्य	जब्त की गई विदेशी मुद्रा की राशि
1	2
गुजरात	8794 अमरीकी डालर
महाराष्ट्र	33,06,871/- रुपये की विदेशी मुद्रा
दिल्ली	88.20 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा
हिमाचल प्रदेश	4.01 लाख की विदेशी मुद्रा
चैन्नई	3213 अमरीकी डालर
	2878 मलेशियाई डालर

1	2
	4963 सिंगापुर डालर
	9238 सउदी डालर
	617 यू.ए.ई. दिरहम
	8,30,000 इटालियन लीरा
	10 श्रीलंका रुपया
	50,000 इन्डोनेशिया रुपया

(घ) जब कभी विदेशी मुद्रा में किसी गैर कानूनी लेन देन का पता चलता है तो कानून के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार न्यायनिर्णयन, मुद्रा/राशि जब्त करके तथा अर्थदण्ड लगाकर, और अभियोजन कार्रवाई करके दोषी को सजा दी जाती है।

एम.एम.टी.सी. में धन के दुरुपयोग के मामले

959. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एम.एम.टी.सी. द्वारा सोने के दुरूपयोग, निर्यात में अनियमितताओं, बैंक गारंटी का सत्यापन न किये जाने और उपभोक्ताओं को न वापस होने वाले ऋण संबंधी कितने मामले सी.बी.आई./सी.वी.सी. को भेजे गये हैं;

(ख) कितने मामलों में अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित किया गया; और

(ग) एम.एम.टी.सी. को विभिन्न मामलों में अनुमानत: कितनी धनराशि का घाटा हुआ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) एम.एम.टी.सी./सी.वी.सी. को भेजे गए मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) सोने से संबंधित	24
(ii) निर्यातों में अनियमितताएं	3
(iii) बैंक गारंटियों का सत्यापन न किया जाना	1
(iv) ग्राहकों को प्रदत्त अप्रत्याभूत ऋण	5
कुल	33

(ख) अब तक 26 मामलों में अर्थदण्ड लगाया गया है।

(ग) तीन मामलों में लगभग दो करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। शेष मामलों में समुचित कानूनी और/अथवा विवाचन की कार्यवाही की जा रही है। वास्तविक घाटे की मात्रा का पता कानूनी/विवाचन की कार्यवाहियों के पूरा होने के बाद ही चल सकता है।

डी.ए.वी.पी. द्वारा जारी किये गये विज्ञापन

960. **श्री पी.डी. एलामगोवन:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों में प्रकाशित विज्ञापनों का भुगतान न करने के कारण सरकार द्वारा कुछ अग्रणी दैनिक समाचार पत्रों को जारी बकाया राशि का भुगतान करना है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख के अनुसार समाचार पत्र-वार विभिन्न समाचार पत्रों को किये जाने वाले कुल भुगतान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने शीघ्रातिशीघ्र अपने बकाये के भुगतान के लिये कोई प्रयास किये है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा डी.ए.वी.पी. के जरिये गत तीन वर्षों के दौरान जारी किये गये विभिन्न विज्ञापनों पर समाचार पत्र-वार और वर्षवार कितना खर्च हुआ; और

(च) डी.ए.वी.पी. द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख तमिल दैनिक समाचार पत्रों में जारी विज्ञापनों का ब्यौरा क्या है और आज की तारीख के अनुसार इन तमिल दैनिक समाचार पत्रों को कितना भुगतान किया जाना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) 21 नवम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय को विभिन्न दैनिक समाचारपत्रों को उनके विज्ञापन के बिलों के लिए 76.83 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करना है। देय राशि का समाचारपत्र-वार ब्यौरा काफी विशाल है और इसलिए प्रयास करने पर भी इसको संकलित नहीं किया जा सकता।

(ग) और (घ) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार विभिन्न समाचार पत्रों को लम्बित बकाया राशियों का निपटान एक सतत प्रक्रिया है। सामान्यतया, समाचार पत्रों के जिलों के भुगतान में देरी का कारण बताते हुए लम्बित जिलों की सूचना फ्लॉपी पर उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे बिलों में गलतियों को सुधार सकें। भविष्य में बिलों के भुगतान में देरी से बचने के लिए विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय ने भुगतान करने वाले कार्यालयों के विज्ञापनों को उनसे धनराशि प्राप्त होने पर ही जारी करने की प्रणाली लागू की है। जिन कार्यालयों पर धनराशि शेष है उन्हें अनुस्मारक भेज दिया गया है।

(ङ) और (च) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के जरिए 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान विज्ञापन जारी करने के बारे में हुए वर्ष का विवरण संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध इस मंत्रालय को वार्षिक रिपोर्टों में उपलब्ध है। उपरोक्त तीन वर्षों के दौरान प्रमुख तमिल दैनिकों को जारी विज्ञापनों की सूचना भी वार्षिक रिपोर्टों में उपलब्ध है। 21.11.2000 की स्थिति के अनुसार, तमिल दैनिकों को भुगतान की जाने वाली बकाया राशि 1.02 करोड़ रुपये हैं।

[हिन्दी]

बिहार में गैर-बैंकिंग कंपनियां

961. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:**
श्री सुकदेव पासवान:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में कितनी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां काम कर रही हैं;

(ख) 1996 और 1998 के बीच इन गैर-बैंकिंग कंपनियों में कितने लोगों ने कितना-कितना धन जमा किया है;

(ग) उक्त गैर-बैंकिंग कंपनियों में से कितनी कंपनियां जमाकर्ताओं से धन एकत्रित करके गायब हो गई और उस धन का बिहार में निवेश नहीं किया;

(घ) सरकार द्वारा जमाकर्ताओं से धन इकट्ठा करके गायब हो गई उन गैर-बैंकिंग कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) गैर-बैंकिंग कंपनियों के ऐसे कदाचार को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 507 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.) जो बिहार राज्य में निगमित हैं, ने पंजीकरण प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन भेजा है, उनमें से 288 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एन.बी.एफ.सी.) श्रेणी ''क'' में थी अर्थात् जनता से जमाराशियां स्वीकार करने वाली कंपनियां। भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध सूचना के अनुसार, जो एन.बी.एफ.सी. द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों पर आधारित है, दिनांक 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार, जमाराशियों की कुल राशि 6987.69 लाख रु. थी। भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाकर्ताओं की संख्या का विवरण उपलब्ध नहीं है। श्रेणी ''क'' के अंतर्गत पंजीकरण के लिए एन.बी.एफ.सी. से प्राप्त 288 आवेदन-पत्रों में से, भारतीय रिजर्व बैंक ने उन 239 कंपनियों के आवेदन-पत्रों को अस्वीकार कर दिया है जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रों का उत्तर नहीं दिया था। उन कंपनियों की एक सूची जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसी कंपनियों के रूप में माना है, जो गायब हो गई है, राज्य सरकार को भेजी गई है।

(घ) और (ङ) इसके स्थान पर विस्तृत विनियामक ढांचा रखा गया है जिसका उद्देश्य जमाकर्ताओ के हितों की रक्षा करना है और यह सुनिश्चित करना है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां सुदृढ़ और स्वस्थ तरीके से कार्य करें। विनियामक ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ अनिवार्य पंजीकरण, चल आस्तियों का रख-रखाव, आरक्षित निधि में निवल लाभ का कम से कम 20% का अंतरण और भारतीय रिजर्व बैंक को यह शक्ति प्रदान करना कि वह एन.बी.एफ.सी. को निदेश जारी कर सके, सम्मिलित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, विभिन्न चूकों के लिए चूक करने वाली एन.बी.एफ.सी. और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम और उसके अंतर्गत जारी किए गये उपबंधों का उल्लंघन करने वाली विभिन्न एन.बी.एफ.सी. के विरुद्ध विभिन्न कार्रवाई करता है।

[अनुवाद]

मीडिया नेटवर्क का विनियमन

962. **डा. वी. सरोजा:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मलेशिया की तरह देश में मीडिया नेटवर्क को विनियमित करने के लिए ''कनवर्जेंस'' कानून अधिनियमित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) अभिसरण से संबंधी मंत्रियों का एक दल अभिसरण से संबंधित मुद्दों पर विचार कर रहा है। इसकी सिफारिशों का इंतजार किया जा रहा है।

विनिवेश संबंधी लंबित प्रस्ताव

963. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 15 नवम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार सरकार के पास स्वीकृति हेतु कितने विनिवेश संबंधी प्रस्ताव लंबित पड़े हैं;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों में और विनिवेश हेतु कोई प्रयास किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी का विनिवेश एक सतत प्रक्रिया है और गैर महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की शेयरधारिता को 26 प्रतिशत तक या सामान्य मामलों में इससे नीचे लाने के लिए सरकार की घोषित नीति के अनुसार विनिवेश किया जा रहा है। विनिवेश प्रक्रिया के एक भाग के रूप में सरकार अलग-अलग विभागों में मामलों पर विचार करती है और तब मंत्रिमंडल द्वारा विचार करने से पूर्व अन्तर मंत्रालय मंच पर विचार करती है। इन परिस्थितियों में सरकार के पास विभिन्न स्तरों पर लंबित प्रस्तावों की सही संख्या को समेकित करना संभव नहीं है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रुग्ण और बंद इकाइयां

964. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवीनतम अनुमानों के अनुसार देश में क्षेत्र-वार रुग्ण और बन्द हो गई इकाइयों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) इन इकाइयों पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की कितनी धनराशि बकाया है;

(ग) क्या इन इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए कोई उपाय किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए गये आंकड़ों के अनुसार, मार्च, 1999 के अंत में (नवीनतम उपलब्ध) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त औद्योगिक एककों की संख्या तथा बन्द गैर-लघु उद्योग (रुग्ण/कमजोर) एककों की बकाया राशि के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

मार्च, 1999 के अंत की स्थिति के अनुसार गैर-लघु उद्योग (रुग्ण/कमजोर) के बन्द एककों के देश-वार आंकड़े निम्नलिखित हैं:-

(करोड़ रुपए)

क्षेत्र	गैर लघु उद्योग (रुग्ण/कमजोर) के बन्द एककों की संख्या	बकाया राशि
सरकारी (केन्द्र)	25	145.03
सरकारी (राज्य)	51	126.94
सहकारी	4	3.82
गैर-सरकारी	1111	4361.87
संयुक्त	67	195.04
कुल	1258	4832.70

वित्तीय संस्थाओं के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) रुग्ण उद्योगों को सहायता देने और उन्हें पुन: अर्थक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गये उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल थे:-

- रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) की स्थापना।

- प्रत्येक राज्य में राज्य-स्तरीय अन्तर संस्थागत समिति की स्थापना।
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा संस्थापित रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनर्वास के लिए पुनर्वित्त योजनाएं
- संभावित रूप से अर्थक्षम रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के लिए बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा पुनर्वास, पुनर्गठन एवं देयराशियों का एकबारगी निपटान।

विवरण

मार्च 1999 के अंत की स्थिति (अद्यतन उपलब्ध) के अनुसार राज्यवार बन्द किए गए गैर लघु क्षेत्र उद्योग (रुग्ण/कमजोर)

(करोड़ रुपये)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एककों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	127	293.13
2. असम	7	7.58
3. बिहार	39	124.80
4. चण्डीगढ़	4	16.40
5. दादरा एवं नगर हवेली	5	8.78
6. दमन एवं दीव	3	19.57
7. दिल्ली	24	242.69
8. गोवा	9	12.25
9. गुजरात	116	566.81
10. हरियाणा	60	308.06
11. हिमाचल प्रदेश	16	13.97
12. जम्मू और कश्मीर	4	7.56
13. कर्नाटक	86	398.19
14. केरल	23	99.14
15. मध्य प्रदेश	58	344.60
16. महाराष्ट्र	220	984.85
17. मणिपुर	1	2.44
18. मिजोरम	1	5.31
19. नागालैण्ड	1	5.11
20. उड़ीसा	32	80.22
21. पाण्डिचेरी	3	1.24
22. पंजाब	44	113.00
23. राजस्थान	45	102.40
24. सिक्किम	1	6.35
25. तमिलनाडु	93	279.39
26. त्रिपुरा	1	7.43
27. उत्तर प्रदेश	117	350.17
28. पश्चिम बंगाल	118	431.26
योग	1258	4832.70

[अनुवाद]

घटिया खाद्यान्नों की खरीद

965. **श्री जार्ज ईडन:**
श्री हरिभाई चौधरी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने गत मौसम के दौरान पंजाब से घटिया खाद्यान्न की खरीद की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसा कितना खाद्यान्न खरीदा गया;

(घ) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) यदि नहीं, तो किस प्रकार ऐसे खाद्यान्नों की बिक्री किये जाने का विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, नहीं। विगत मौसम के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा पंजाब में किसी भी प्रकार की रियायत प्राप्त विनिर्दिष्टियों/घटिया खाद्यान्नों की वसूली नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कीट जंतुबाधा से मुक्त और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानकों के अनुरूप पाए गए खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाती है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

आलू का निर्यात

966. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री आर.एस. पाटिल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सहित कुछ दक्षिणी राज्य आलू का निर्यात कर रहे हैं अथवा निर्यात की योजना बना रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या है जिनमें चालू वित्त वर्ष के दौरान आलू का निर्यात किया गया है अथवा निर्यात किये जाने का प्रस्ताव है और कितना चालू निर्यात किया गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) निर्यात के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) से उपलब्ध सूचना के अनुसार कर्नाटक के संगठन आलू का निर्यात करने की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं।

(ख) चालू वर्ष (अप्रैल से अगस्त 2000) के दौरान जिन प्रमुख देशों को आलू का निर्यात किया गया है, उनमें शामिल हैं- मीरीशस, मलेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, यू.ए.ई. और यू.एस.ए.। चालू वर्ष की उपरोक्त अवधि, जिसके बारे में सूचना उपलब्ध है, के दौरान आलू की लगभग 13,866 की मात्रा (अनन्तिम आंकड़े) का निर्यात किया गया है।

नौवीं योजना का विकास लक्ष्य

967. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्पादन क्षेत्र नौवीं पंचवर्षीय योजना के 7.1% विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त योजना के दौरान इस विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2000 के पहले तीन वर्ष के दौरान स्थिर मूल्यों पर मूल्य वर्द्धित उत्पादन के रूप में विनिर्माण क्षेत्र की संवृद्धि दर क्रमश: 4.0 प्रतिशत, 3.6 प्रतिशत और 8.5 प्रतिशत रही है। चालू वित्तीय वर्ष (2000-2001) की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2000) के दौरान, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुमानों के अनुसार विनिर्माण मूल्य वर्द्धित उत्पादन में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। हाल ही में महीनों में कई कारणों जैसे कि तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में तेजी में वृद्धि, अपेक्षाकृत कम मध्यवर्ती मांग और निवेश के माहौल में सुस्ती की वजह से औद्योगिक विकास में मंदी के संकेत हैं।

(ग) से (ङ) सरकार ने निवेश साख में बढ़ोत्तरी के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें भारतीय सहस्त्राब्दी जमा (आई.एम.डी.) के माध्यम से बिलियन अमरीकी डालर से अधिक राशि जुटाना, प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि दूरभाष और वस्त्र उद्योग में त्वरित सुधार तथा सुदृढ़ वित्तीय प्रबंध शामिल हैं।

[हिन्दी]

दूरदर्शन पर फिल्म

968. श्री राम सिंह कस्वां:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि टेलीविजन पर दिखाई जाने वाली फिल्मों का स्तर ऐसी नहीं है कि सारा परिवार एक साथ बैठ कर उन्हें देख सके; और

(ख) यदि हां, तो दूरदर्शन के माध्यम से हमारी संस्कृति को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) दूरदर्शन परिवार के साथ देखे जाने योग्य फिल्मों और कार्यक्रमों को ही प्रसारित करता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए, दूरदर्शन प्रसारण तथा विज्ञापन संहिता के प्रावधानों के अनुसार अपने कार्यक्रमों का पूर्वदर्शन करता है, ताकि उनमें कोई अवांछनीय हिंसा या अश्लीलता न हो। इसके अलावा, दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए केवल उन्हीं फिल्मों का चयन किया जाता है जिन्हें केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित किया है।

(ख) दूरदर्शन का निरन्तर यह प्रयास रहा है कि इसके विभिन्न केन्द्रों और राष्ट्रीय नेटवर्क पर भारतीय संस्कृति तथा विरासत सहित विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम प्रसारित किए जाएं।

[अनुवाद]

बैंक डकैतियां

969. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार विशेषत: मध्य प्रदेश में सरकारी बैंकों में हुई डकैतियों में बैंक कर्मचारियों सहित कुल कितने व्यक्ति मारे गए और घायल हुए;

(ख) मारे गए/घायल व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में कितनी राशि अदा की गई; और

(ग) मध्य प्रदेश में प्रत्येक सरकारी बैंक द्वारा मृत व्यक्तियों के आश्रितों को दिए गए रोजगार का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 1997-98 की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हुई बैंक लूटपाटों में मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा तथा बैंकों द्वारा दिए गए मुआवजे/पारितोषिक का ब्यौरा दर्शानेवाला विवरण संलग्न है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में हुई लूटपाट/डकैती की वारदातों में कोई भी व्यक्ति मारा नहीं गया था।

विवरण

1997 से 1999 की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हुई लूटपाटों/डकैतियों में मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या तथा दिए गए मुआवजे/पारितोषिक का ब्यौरा दर्शानेवाला विवरण

राज्य का नाम	व्यक्तियों की संख्या		दिया गया मुआवजा/पारितोषिक
	मारे गए	घायल	
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	–	05	रु.1 लाख+चिकित्सा खर्च
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
असम	03	05	रु. 6.10 + लाख एक घायल कर्मचारी को 3 वेतनवृद्धियां + चिकित्सा खर्च
बिहार	07	26	रु. 4.28 लाख+आश्रित को रोजगार+चिकित्सा खर्च
दिल्ली	01	–	–
गुजरात	–	–	–
गोवा	–	–	–
हरियाणा	–	01	–

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	–	–	–
जम्मू और कश्मीर	–	–	–
कर्नाटक	–	–	–
केरल	–	–	–
मध्य प्रदेश	–	02	रु. 50,000/-
महाराष्ट्र	–	03	–
मणिपुर	01	02	–
मेघालय	06	05	रु. 12.5 लाख
मिजोरम	–	–	–
नागालैण्ड	–	–	–
उड़ीसा	–	06	–
पंजाब	–	–	–
राजस्थान	01	–	रु. 1 लाख+परिवार के सदस्य को रोजगार
सिक्किम	–	–	–
तमिलनाडु	–	–	–
त्रिपुरा	–	–	–
उत्तर प्रदेश	10	23	रु. 6.4 लाख+परिवार के सदस्यों को रोजगार+चिकित्सा खर्च+घायल कर्मचारी को पदोन्नति
पश्चिम बंगाल	–	07	रु. 50,000/-

(आंकड़े अनन्तिम)

[हिन्दी]

गरीबों को आवास ऋण

970. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल:**
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/अनूसचित जनजाति के लोगों के लिए आवास इकाइयों के निर्माण हेतु ऋण प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो प्रदान किए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है और सामान्य लोगों की तुलना में उक्त लोगों से किस दर पर ब्याज लिया जाता है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार विशेषकर मध्य प्रदेश और गुजरात में बैंकों द्वारा ऐसे ऋण कितने लोगों को दिए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा गरीबी रेखा ने नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को कम ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अ.जा./अ.ज.जा. के व्यक्तियों को आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए प्रदान करने के लिए अलग से कोई ऋण योजना तैयार नहीं की गई है। तथापि, 32,000 रु. वार्षिक तक की आय वाले अ.जा./अ.ज.जा. सहित ग्रामीण लोगों के लिए दिनांक 01.04.1999 से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण आवास के लिए "ऋण-सह-सब्सिडी योजना" नामक योजना लागू की गई है। वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रत्येक राज्य को सब्सिडी के रूप में इस योजना के अंतर्गत आबंटित निधि का न्यूनतम 60 प्रतिशत अ.जा./अ.ज.जा. तथा मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के लिए आवासों के निर्माण का वित्तपोषण करने में उपयोग किया जाएगा। इस योजना के अधीन दी जा सकने वाली सब्सिडी की अधिकतम सीमा प्रति परिवार 10,000 रु. है और इस योजना के अधीन स्वीकार्य निर्माण ऋण की उपरी सीमा प्रति परिवार 40,000 रु. है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य को 207.53 लाख रु. के केन्द्रीय आबंटन (सब्सिडी भाग) में से वर्ष 1999-2000 के दौरान गुजरात ग्रामीण आवास बोर्ड को इस योजना के अधीन 103.77 लाख रु. की पहली किस्त (50 प्रतिशत) जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश में 582.73 लाख रु. के केन्द्रीय आबंटन में से वर्ष 1999-2000 के दौरान 400.04 लाख रु. की राशि राज्य की विभिन्न जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को जारी कर दी गई है। उपयोग संबंधी प्रमाण-पत्र जमा न होने के कारण अतिरिक्त निधियां जारी नहीं की जा सकी। वर्ष 2000-2001 के दौरान 847.09 लाख रु. के केन्द्रीय आबंटन में से मध्य प्रदेश में विभिन्न डी.आर.डी.ए. को 172.02 लाख रु. की राशि जारी की जा चुकी है।

(ख) और (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अपेक्षित सूचना संकलित की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दूरदर्शन का कश्मीरी चैनल

971. **श्री रामचंद्र पासवान:**
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर के लोगों को देश के शेष हिस्से के साथ एकजुट करने और पाकिस्तान द्वारा भारत-विरोधी दुष्प्रचार का सामना करने के उद्देश्य से दूरदर्शन द्वारा शुरू किया गया कश्मीरी चैनल एक वर्ष के दौरान के भीतर ही प्राय: बंद हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चैनल को पुन: चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एफ.एम. चैनलों के लिए बैंक गारन्टी का भुगतान

972. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 अक्तूबर, 2000 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" समाचार पत्र में "बिल्डर्स होल्डिंग मिनिस्ट्री टु रैनसम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में प्रकाशित तथ्य क्या है;

(ग) क्या निजी लाइसेंसधारियों ने न केवल बैंक गारन्टी लेने की अंतिम तिथि को बढ़ावा लिया है अपितु वार्षिक लाइसेंस-शुल्क के चूककर्त्ता होने की स्थिति में अनुबंध की शर्तों को भी उन्होंने अपने पक्ष में परिवर्तित करवा लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैंक-गारन्टी की अंतिम तिथि बढ़वाने तथा अनुबंध की शर्तों को परिवर्तित करने का क्या औचित्य है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इतनी बड़ी राशि के लिए बैंक की औपचारिकताएं पूरी करने में चूंकि निविदा में निर्धारित 15 दिन की अवधि से अधिक समय लगता है और चूंकि अनुबंध में कुछ उपबन्ध निविदा दस्तावेज में निर्धारित शर्तों के अनुरूप नहीं थे इसलिए निजी एफ.एम. चैनल संचालकों ने निर्धारित समय सीमा को बढ़ाने और अनुबंध में दिए गए इन उपबन्धों को संशोधित करने का अनुरोध किया था। उनके अनुरोध पर विचार किया गया था और अनुबंध प्रपत्र में इसे अधिसूचित निविदा शर्तों के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक परिवर्तन किए गए थे। वार्षिक लाइसेंस शुल्क के भुगतान के चूक के मामले में किसी भी प्रत्याशित निजी प्रसारक के हित में निबंधन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अनुबंध/संविदा में किए गए परिवर्तनों का विवरण संलग्न है।

विवरण

(1) धारा-9, मुख्य करार-वाक्य ''ऐसे प्रतिसंहरण.....और उनके प्रचालन।'' का विलोपन करें।

(2) धारा-13, मुख्य करार- ''अर्जित करने हेतु'' के स्थान पर ''सामान्यतया अर्जन के उद्देश्य द्वारा शासित किया जाएगा'' जोड़े।

(3) धारा-15, मुख्य करार-पहले वाक्य से ''और कार्यक्रम सम्पर्क'' तथा अंतिम वाक्य से ''लाइसेंसधारी को किसी पूर्व सूचना के बिना और लाइसेंसधारी की सेवा, प्रणाली एवं आधारभूत सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से अधिगृहीत और नियंत्रित करना'' का विलोपन करना।

(4) करार की अनुसूची ''ग'' में विभिन्न अनुच्छेदों में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:-

(क) अनुच्छेद 2.2-''कार्यक्रम सम्पर्क सहित'' का विलोप करके स्वामित्व केवल ट्रांसमीटर तक सीमित किया गया है।

(ख) अनुच्छेद 2.3- शब्द ''प्राप्त करना'' के स्थान पर ''के लिए आवेदन'' प्रतिस्थापित करें।

(ग) अनुच्छेद 4.3- नीचे उल्लिखित अंतिम भाग का विलोप किया गया है:-

''किसी पूर्व सूचना के बिना। इस प्रकार की समाप्ति पर, लाइसेंसदाता तत्काल प्रभाव से लाइसेंसधारी की सेवाओं, प्रणालियों तथा आधारभूत सुविधाओं का अधिग्रहण एवं नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा''

(घ) अनुच्छेद 9.1- अंतिम वाक्य में ''आवश्यक सुविधाएं प्रदान'' तथा ''सतत मानीटरिंग के लिए के बीच'' ''उनके प्रतिष्ठानों में'' जोड़े।

(ङ) अनुच्छेद 11.1- अनुच्छेद के अंत में ''आदि'' के बाद ''लेखों, अनुमान, प्रतिलाभों'' का विलोचन किया गया है और ''लाइसेंसधारी की सतत पात्रता की जांच हेतु यशा अपेक्षित'' जोड़े।

(च) अनुच्छेद 12.4-''प्रसारण'' तथा ''लाइसेंस जारी'' के बीच वाक्य ''लाइसेंसधारी के एफ.एम. रेडियो प्रसारण केन्द्र के अधिग्रहण अथवा'' का विलोपन करें। साथ ही, अंतिम वाक्य ''लाइसेंसधारी सेवा की निरंतरता हेतु आवश्यक सभी परिसम्पत्तियों के नए लाइसेंसधारी या लाइसेंसदाता द्वारा अधिग्रहण में सहायता करेगा'' का विलोपन करें।

(छ) अनुच्छेद 13- दूसरे वाक्य ''तथापि, विवाद की स्थिति में..... इस लाइसेंस के'' का विलोपन करें।

(ज) अनुच्छेद 16.2- समस्त धारा का विलोपन करें।

राष्ट्रीय आपदा-राहत कोष

973. **श्री रूपचन्द पाल:**
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री इंद्रजीत गुप्त:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने, ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप, राष्ट्रीय आपदा-राहत कोष स्थापित किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस कोष के स्थापन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) पश्चिम बंगाल जैसे बाढ़ प्रभावित राज्यों को आवश्यक और तत्काल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इसे कब तक स्थापित किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) असाधारण किस्म की सघन कठोरता वाली आपदाओं की स्थिति में राहत व्यय के वित्त पोषण के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग (ई.एफ.सी.) ने अलग से एक ''राष्ट्रीय आपदा राहत आकस्मिकता कोष'' (एन.सी.सी.एफ.) बनाने की सिफारिश की थी। कृषि मंत्रालय भारत को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा महालेखा नियंत्रक के परामर्श से एन.एफ.सी.सी. के संघटन तथा प्रशासन के लिए एक स्कीम शीघ्र ही तैयार की जा रही है। चूंकि ई.एफ.सी. की सिफारिश है कि इस कोष से किया गया कोई भी आहरण एक सीमित अवधि के लिए केन्द्रीय करों पर विशेष अधिभार के अधिरोपण द्वारा काट लिया जाएगा। अत: अधिभार की वसूली के लिए सरकार को सक्षम बनाने की दृष्टि से आवश्यक विधेयक को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना शेष है। तथापि पश्चिम बंगाल में बाढ़ स्थिति के संदर्भ में राहत तथा पुनर्वास कार्यों में राज्य सरकार के प्रयासों की अनुपूर्ति तथा कोष उपलब्ध कराने के लिए व्यवहार्य निर्गमों के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को 460.35 करोड़ रुपए मुहैय्या कराए गए हैं। यह आवश्यक सेवाओं की तुरन्त बहाली तथा पुनर्वास के संबंध में भूतल परिवहन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालयों जैसे केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा जारी की गई धनराशियों के अतिरिक्त है।

बैंकों में और अधिक ए.टी.एम. मशीनों की सुविधा

974. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में राज्य-वार किन-किन स्थानों पर आटोमेटिक टेलर-मशीन (ए.टी.एम.) सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा निकट भविष्य में और अधिक आटोमेटिक टेलर-मशीनें लगाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

975. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी सहायता प्राप्त कितनी परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) इन परियोजनाओं में राज्य-वार कुल कितनी धनराशि की लागत आई है; और

(ग) 1 अप्रैल, 1996 से लेकर 31 मार्च, 1999 तक मंजूर की गई पूर्णत: विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं में गुजरात और महाराष्ट्र का अंश कितना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) कृपया विवरण-I देखिए जो राज्य-वार विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या तथा परियोजनाओं में लगी धनराशि दर्शाता है।

(ग) कृपया विवरण-II देखिए जो 1 अप्रैल, 1996 से 31 मार्च, 1999 तक मंजूर की गई विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं में लगी कुल राशि में से गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों का हिस्सा दर्शाता है।

विवरण I

विदेशी सहायता प्राप्त चालू परियोजनाओं की संख्या तथा परियोजनाओं में राज्यवार लगाई गई धनराशि दर्शाने वाला विवरण

(मिलियन में आंकड़े)

क्र.सं. राज्य	परियोजना की संख्या	स्वीड क्रोनर	अमरीकी डालर	जापानी येन	यूके पौण्ड	यूरो	डच गिल्डर	नार्वे क्रोनर	डेनिश क्रोनर	कुवैत दीनार	ड्यूश मार्क	कनेडी डालर	भारतीय रुपया
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. आन्ध्र प्रदेश	25	0	1938	82188	191	0	0	0	0	0	0	0	0
2. असम	2	0	126	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. बिहार	3	0	269	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0
4. दिल्ली	2	0	3	14760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. गुजरात	9	0	326	22806	0	0	126	0	0	0	0	0	0
6. हरियाणा	6	0	334	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0
7. हिमाचल प्रदेश	2	0	10	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
8. कर्नाटक	16	0	188	46801	23	0	0	0	216	0	43	0	86
9. केरल	8	0	49	17109	11	59	0	0	0	0	0	0	0
10. मध्य प्रदेश	10	0	318	22489	0	0	0	0	149	0	0	0	0
11. महाराष्ट्र	16	0	487	11498	16	31	0	0	0	0	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.	मणिपुर	1	0	0	3962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	मेघालय	1	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	उड़ीसा	16	0	717	7760	78	11	0	40	145	0	60	0	0
15.	पाण्डिचेरी	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
16.	पंजाब	1	0	0	6193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	राजस्थान	17	220	538	21083	0	45	0	0	0	0	156	15	78
18.	तमिलनाडु	16	60	625	30422	0	25	0	0	437	0	2	0	0
19.	उत्तर प्रदेश	21	0	1292	29658	2	35	19	0	0	0	0	0	0
20.	पश्चिम बंगाल	16	0	4	112405	55	0	0	0	0	0	110	0	0
	जोड़	189	280	7223	430109	381	279	145	40	947	0	465	15	164

विवरण II

1 अप्रैल, 1996 से 31 मार्च, 1999 तक मंजूर की गई विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं में लगी कुल राशि में से गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों का हिस्सा दर्शाने वाला विवरण

(मिलियन में आंकड़े)

क्र.सं.	राज्य	अमरीकी डालर	जापानी येन	यूके पौंड	यूरो	डच गिल्डर	डेनिश क्रोनर	ह्यूशमार्क	भारतीय रुपया
1.	गुजरात	325.8	0	0	0	125.545	0	0	0
	गुजरात का हिस्सा (%)	7.37	0	0	0	86.84	0	0	0
2.	महाराष्ट्र	183	83.8	0	0	0	0	65	0
	महाराष्ट्र का हिस्सा (%)	4.14	0.045	0	0	0	0	32.82	0
	सभी राज्य (गुजरात, महाराष्ट्र सहित)	4423.44	185846.6	280.663	37.85	144.57	572.78	198	77.84

उपर्युक्त आंकड़ों में बहुराज्य, केन्द्रीय क्षेत्र और प्रोटोकोल/उप-परियोजनाएं शामिल नहीं हैं।

पश्चिम बंगाल में दूरदर्शन केन्द्र

976. श्री बीर सिंह महतो: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार वर्तमान में पश्चिम बंगाल में दूरदर्शन के कितने केन्द्र काम कर रहे हैं;

(ख) राज्य में अति निम्न शक्ति प्रसारण (वी.एल.पी.टी.) केन्द्रों को निम्न शक्ति प्रसारण (एल.पी.टी.) केन्द्रों के रूप में स्तरीन्वयन करने के संबध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) वी.एल.पी.टी. केन्द्रों को एल.पी.टी. केन्द्रों में कब तक परिवर्तित कर दिया जाएगा, ताकि क्षेत्रीय भाषा के प्रसारण को सुना जा सके?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) पश्चिम बंगाल में तीन स्टूडियो केन्द्र और अलग-अलग शक्ति के बत्तीस ट्रान्समीटर फिलहाल कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) झालदा स्थित के अति अल्प शक्ति ट्रान्समीटर के स्थान पर एक अल्प शक्ति ट्रान्समीटर लगाने का विचार है। अल्प शक्ति ट्रान्समीटर को 2001-2002 के दौरान स्थापित कर दिए जाने की आशा है। अति अल्प शक्ति ट्रान्समीटर केन्द्रों को अल्प शक्ति ट्रान्समीटर केन्द्र में बदलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

स्वैच्छिक-आय-घोषणा योजना

977. श्री विजय गोयल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी वी.डी.आई.एस. (स्वैच्छिक आय घोषणा योजना) या ऐसी ही अन्य कोई योजना शुरू करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों पर नियंत्रण

978. श्री जी.एस. बसवराज:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के संकट को समाप्त करने और उनकी गतिविधियों को विनियमित करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस संबंध में एक विधान लाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो यह विधान कब तक लाया जाएगा; और

(घ) गैर-बैंकिंग कम्पनियों की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए अन्य और क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) अधिनियम को 1997 में संशोधित किया गया था ताकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर विनियमन की शक्तियां बढ़ाई जा सकें और जमाकर्त्ताओं के हितों के संरक्षण के सम्बन्ध में उपायों को सुदृढ़ किया जा सके तथा दोषी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक संशोधन अधिनियम, 1997 के बाद एक कृतिक बल ने विनियामक ढांचे की पुनरीक्षा की थी ताकि कार्यान्वयन में कमियों को दूर किया जा सके एवं विनियामक ढांचे में सुधार किया जा सके। कृतिक बल ने विनियामक ढांचे में और परिवर्तन करने की सिफारिश की थी, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक और साथ ही सरकार ने स्वीकार कर लिया है तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन के लिए संसद में एक पृथक विधान लाने का प्रस्ताव है।

व्यापक विनियामक ढांचा पहले ही बना दिया गया है, जिसका उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण करना एवं यह सुनिश्चित करना है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां सही एवं स्वस्थ तरीके से कार्य कर सकें। विनियामक ढांचे में, अन्य बातों के साथ-साथ अनिवार्य पंजीकरण, चल आस्तियों का रख-रखाव, शुद्ध लाभ का कम से कम 20% आरक्षित निधि में अंतरित करना तथा भारतीय रिजर्व बैंक को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करना शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न चूकों एवं भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों एवं उसके तहत जारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए चूककर्ता गैर-बैंकिंग कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई भी करता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं और चावल की आपूर्ति

979. **श्री सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान की खरीद न किए जाने से किसानों को दूसरी फसल उपजाने पर बाध्य होना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खुले बाजार की तुलना में घटिया दर्जे की सामग्री की आपूर्ति के कारण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा दिए जाने वाले गेहूं और चावल की मांग में काफी कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) किसानों की मदद करने के उद्देश्य से सभी राज्यों में धान की अधिक खरीद करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, नहीं। ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) भारत सरकार की मूल्य समर्थन योजना के अधीन राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों के सहयोग से भारतीय खाद्य निगम वसूली प्रचालन चलाता है। भारतीय खाद्य निगम प्रत्येक विपणन मौसम शुरू होने से पूर्व काफी पहले राज्य सरकारों से परामर्श करते हुए पर्याप्त संख्या में क्रय केन्द्र खोलता है ताकि किसानों द्वारा की जाने वाली मजबूरन बिक्री और उन्हें होने वाली असुविधा से बचा जा सके। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2000-2001 के दौरान 20.11.2000 तक कुल 101 लाख टन धान वसूल की गई जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 87 लाख टन धान वसूल की गई।

बी.आई.एफ.आर. के हवाले की गई चीनी मिलों का मामला

980. **श्री सुशील कुमार शिंदे:**
श्री माधवराव सिंधिया:
श्रीमती रेणूका चौधरी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़रौना बथकूरियन चीनी मिलों को उनके शेयरों की कीमत प्रति इकाई 60 रु. से घटाकर 2 रु. करके, 1998 में औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के माध्यम से मैं. गंगोत्री इन्टरप्राइजेज को बेच दिया गया, जिससे इन मिलों के कामगारों, किसानों तथा गन्ना-उत्पादकों के हितों को नुकसान हुआ, जिन्हें उक्त दोनों मिलों द्वारा बकाया राशि दी जाती थी;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में उन कामगारों, किसानों अथवा अन्य प्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया और प्रत्युत्तर है, साथ ही मिलों के अंतरण की तिथि के अनुसार, किसानों को कितनी कीमत के गन्ने का बकाया भुगतान तथा पडरौना और बथकूरियन चीनी मिलों के कामगारों के वेतन, मजदूरी और अन्य बकाया के रूप में कितनी राशि का भुगतान शेष है, कितने बकाया या निपटान अभी तक कर दिया गया है तथा इस समय कितना भुगतान किया जाना बाकी है; और

(घ) इस बकाया राशि का सुनिश्चित निपटान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क), (ग) और (घ) जी नहीं। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) ने सूचित किया है कि पडरौना और बथकूरियन चीनी मिलों के आधुनिकीकरण, संतोलन सहित मैसर्स कानपुर सुगर वर्कर्स लि. (सी.एस.डब्ल्यू.एल.) के पुनर्वास को 23 दिसम्बर, 1998 को बोर्ड द्वारा मंजूरी दी गई थी। इस योजना में मैसर्स ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि. (बी.आई.सी.) से मैसर्स गंगोत्री इंटर-प्राइजेज लि. द्वारा सी.एस.डब्ल्यू.एल. की सभी इकाइयों के साथ-साथ इस कंपनी का चालू कम्पनी के रूप में अधिग्रहण किए जाने की परिकल्पना की गई है।

फैक्टरियों को शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी मंजूर करते समय भारतीय स्टेट बैंक ने यह शर्त रखी थी कि बी.आई.सी. द्वारा गिरवी सी.एस.डब्ल्यू.एल. के शेयरों को 8.41 रु. प्रति शेयर के मूल्य पर जारी किया जाएगा जो कि पिछले दस वर्ष का औसत बाजार मूल्य था। कम्पनी 8.41 रु. के शेयर विनिमय मूल्य से सहमत नहीं हुई और सिर्फ 2 रु. मूल्य पर जोर देती रही। भारतीय स्टेट बैंक इस शर्त से सहमत था बशर्ते कि नए प्रबंधन द्वारा खरीदे गए शेयरों बैंक के पास पुन: गिरवी रखा गया होता।

इस मामले की दिनांक 28.9.2000 को बोर्ड द्वारा आखिरी बार सुनवाई की गई थी जिसमें वर्ष 1998 में मंजूर पुनर्वास योजना को असफल घोषित कर दिया गया था। आई.एफ.सी.आई. लि. परिचालन ऐजेंसी को प्रबंधन में परिवर्तन के लिए विज्ञापन जारी करने का निदेश दिया गया था। विचार-विमर्श के दौरान कार्यकर्ताओं के प्रतिनधि ने प्रस्ताव पेश करने की पेशकश की थी और स्वयं मिल को चलाने का प्रस्ताव किया था।

(ख) जी, हां। बी.आई.एफ.आर. ने सूचित किया है कि वेतन बकायों, सांविधिक देय राशियों आदि के सम्बन्ध में कामगारों, ट्रेड यूनियनों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

विदेशी प्रिन्ट-मीडिया

981. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विदेशी प्रिन्ट-मीडिया को क्या-क्या सुविधाएं दी गई है;

(ख) क्या विश्व के विकसित और विकासशील देशों में हमारे देश के प्रिन्ट-मीडिया को भी ऐसी ही सुविधाएं प्राप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस विषय में देश के हितों का संरक्षण करने के हेतु क्या सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) विदेशी प्रिन्ट-मीडिया के प्रतिनिधियों को भारत सरकार के मुख्यालय से प्रत्यायन प्रदान किया जाता है। प्रत्यायित पत्रकारों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं:-

1. व्यावसायिक उपकरणों के आयात पर 1 लाख रु. के लागत बीमा प्रभार (सी.आई.एफ.) मूल्य तक सीमा शुल्क छूट।

2. राजधानी और शताब्दी एक्सप्रैस को छोड़कर अन्य गाड़ियों में प्रतिवर्ष 30,000 कि.मी. की दूरी तक रेल किराए में 50% छूट।

3. प्राथमिकता पर टेलीफोन कनेक्शन।

4. प्रैस सामग्री की आपूर्ति।

(ख) और (ग) विकसित एवं विकासशील देशों में भारतीय प्रिंट-मीडिया को मुहैया कराई गई सुविधाएं प्रत्येक देश के अनुसार अलग-अलग हैं। विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि कुछ देशों में प्रत्यायन के अलावा और कुछ नहीं किया जाता जबकि कुछ देशों में उन्हें हमारे दूतावासों के भारत-स्थित गैर-दूतावास कर्मचारियों के समतुल्य माना जाता है और इस प्रकार उन्हें सामान के कर-मुक्त आयात की अनुमति दी जाती है। कुछ देशों में भारतीय प्रिंट मीडिया को निम्नलिखित सुविधाएं दी गई हैं:-

1. पहचान पत्र जारी करना।

2. प्रमुख शीर्ष सम्मेलनों के समय प्रैस केन्द्र खोलना।

3. सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की व्यवस्था।

4. विदेशी संवाददाता संस्था की सदस्यता।

(घ) विदेशी मीडिया के प्रतिनिधियों को विधिवत जांच और गृह मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के विदेश प्रचार प्रभाग की सिफारिश के बाद प्रत्यायन प्रदान किया जाता है।

[हिन्दी]

तम्बाकू का निर्यात

982. चौधरी तेजवीर सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश से तम्बाकू का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों में भारतीय तम्बाकू की मांग अधिक है; और

(ग) 1997, 1998 और 1999 के दौरान कितनी मात्रा और मूल्य का तम्बाकू का निर्यात किया गया और उक्त अवधि के दौरान किन-किन देशों को इसका निर्यात किया गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) भारत से तंबाकू का निर्यात रूस, यू.के. बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, उक्रेन, यमन, यू.ए.ई. नेपाल, बंगलादेश, मिस्र, जोर्डन को किया जा रहा है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के लिए तंबाकू का कुल निर्यात नीचे दिया गया है:-

(मात्रा टनों में; मूल्य करोड़ रु. में)

वर्ष	अनिर्मित तम्बाकू		विनिर्मित तम्बाकू		कुल	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1997-98	134,072	917.48	10,625	152.76	144,697	1070.24
1998-99	77,298	591.00	13,825	188.11	91,123	779.11
1999-2000	123,185	800.12	14,837	192.80	138.022	992.92

स्रोत: डी.जी.सी.आई. एण्ड एस.

वर्ष 1997, 1998 और 1999 के दौरान निर्यातित तंबाकू के देशवार आंकड़े, उसकी मात्रा और मूल्य संबंधी ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई. एण्ड एस.) द्वारा प्रकाशित भारत की विदेश व्यापार सांख्यिकी के मासिक/वार्षिक अंक में उपलब्ध हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

हीरे का निर्यात

983. **प्रो. दुखा भगत:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हीरे के निर्यात की अच्छी संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान देशवार कितनी मात्रा और मूल्य के हीरे का निर्यात किया गया; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन हुआ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (घ) जी, हां। हीरा भारत की अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्यात मदों में से एक मद है। वर्ष 1999-2000 के दौरान हुए 6647.82 मिलियन अमरीकी डालर के हीरों के निर्यातों का हिस्सा इसी अवधि के दौरान हुए 37538 मिलियन अमरीकी डालर के भारत के समूचे निर्यातों का 17.71% बनता था। पिछले दो वर्षों के दौरान निर्यातित हीरों की मात्रा तथा मूल्य विदेशी मुद्रा में, (अमरीकी डालर में) के देश-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

देश	1998-99 में हुए निर्यात		1999-2000 में हुए निर्यात	
	मात्रा (लाख कैरेट में)	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)	मात्रा (लाख कैरेट में)	मूल्य (मिलियन अमरीकी (डालर में)
अमरीका	122.53	1900.18	138.03	2440.28
हांगकांग	57.21	1219.69	84.40	1803.37
बेल्जियम	37.63	872.59	41.31	915.98
जापान	17.50	345.82	20.42	452.76
इजराइल	8.13	242.28	11.34	368.65
अन्य	24.99	445.55	35.67	666.78
कुल	267.99	5026.11	331.17	6647.82

स्रोत: रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जी.जे.ई.पी.सी.), मुम्बई।

[अनुवाद]

वित्तीय अनुशासन

984. **श्री साहिब सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय अनुशासन के घटक/संकेतक कौन-कौन से हैं और देश में इनका अनुपालन कैसे किया जाता है;

(ख) वर्तमान में इनके मान क्या हैं अगले पांच वर्षों के लिए तत्संबंधी क्या अनुमान है;

(ग) क्या इन घटकों/संकेतकों के लिए कोई लघु-अवधि/दीर्घावधि नीति है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार के राजकोषीय निष्पादन का मुख्य संकेतक सकल राजकोषीय घाटा (जी.एफ.डी.) है। यह कतिपय गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों सहित राजस्व प्राप्तियों और वापसी अदायगियों को घटाकर, ऋणों सहित कुल व्यय के बीच का अंतर है। जी.एफ.डी. कुल ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है। वर्ष 2000-2001 के बजट में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशतांक के रूप में जी.एफ.डी. 9.1 प्रतिशत अनुमानित है। 2000-2001 के पहले छह महीनों के दौरान (अप्रैल-सितम्बर) राजकोषीय घाटा 42592 करोड़ रु. था जो कि अप्रैल-सितम्बर, 1999 के दौरान 52395 करोड़ रु. के राजकोषीय घाटे की तुलना में 18.7 प्रतिशत कम था। सरकार सरकारी वित्त के प्रभावी प्रबंध की आवश्यकता को पहचानती है और आर्थिक स्थिति तथा नीतिगत उद्देश्यों के अनुरूप राजस्व और व्यय की बीच उचित संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर नीतियां बनाई जाती है। कराधान क्षेत्र में मूल दृष्टिकोण ऐसे कर ढांचे को विकसित करने का रहा है जो सरल हो, सुदृढ़ आर्थिक सिद्धान्तों का पालन करता हो, संतुलित कर दरों पर आधारित हो और जिसमें विस्तृत आधार और बेहतर प्रवर्तन पर बल दिया गया हो।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में निर्यातोन्मुखी इकाइयां

985. **श्री उत्तमराव पाटील:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों को महाराष्ट्र में पहले ही स्थापित किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में ऐसी और इकाइयां स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, हां। 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में 184 निर्यात अभिमुख एकक (ई.ओ.यू.) प्रचालनरत थे।

(ग) से (ङ) ई.ओ.यू. की स्थापना निजी प्रवर्तकों द्वारा की जाती है। तथापि, स्थापना हेतु अनुमोदन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त किया जाता है। 30.10.2000 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में निर्यात अभिमुख एककों की स्थापना हेतु 41 प्रस्ताव विचाराधीन थे।

[अनुवाद]

भारतीय जनसंचार संस्थान

986. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मंत्रालय भारतीय जनसंचार संस्थान के कार्यकलापों की संवीक्षा कर रहा है और दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर स्थित इस संस्थान के अन्य केन्द्र बन्द किए जाने की कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर इस संस्थान की उड़ीसा में ढेकानाल स्थित शाखा के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पिछले कई महीनों के दौरान, भारतीय संस्थान का आम निकाय और अधिशासी निकाय निष्क्रिय रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो कुप्रबंधन को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) भारतीय जनसंचार संस्थान के अध्यक्ष और निदेशक की पूर्णाधिकरण नियुक्ति कब तक किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) भारतीय जनसंचार संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यकलापों की मंत्रालय में नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है। संस्थान के किसी भी केन्द्र को बन्द करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) भारतीय जनसंचार संस्थान समिति तथा समिति की कार्यकारी परिषद की अवधि 5 जुलाई, 2000 को समाप्त हो गई है। ये दोनों समितियों का 9 नवम्बर, 2000 को पुनर्गठन किया जा चुका है।

(ङ) भारतीय जनसंचार संस्थान के अध्यक्ष की नियुक्ति 9 नवम्बर 2000 को की जा चुकी है। भारतीय जनसंचार संस्थान के निदेशक का चयन करने के लिए भारतीय जनसंचार संस्थान समिति की नवगठित कार्यकारी परिषद द्वारा मामले पर विचार किया जाएगा।

बैंक-कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति-आयु

987. **श्री चन्द्र भूषण सिंह:**
डा. एस. वेणुगोपाल:
श्री बी. वेंकटेस्वरलु:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय बैंक एसोसिएशन ने, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दो स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अनुमोदन मांगने संबंधी एक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्मचारियों की संख्या सरल बनाने और सेवानिवृत्ति आयु को घटाकर 58 वर्ष करने की भारतीय बैंक एसोसिएशन के पैनल की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या इस संबंध में सरकार को आल इंडिया बैंक इम्पलाइज एसोसिएशन की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकारी की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) सरकारी क्षेत्रों के बैंकों में मानव संसाधन प्रबंधन के सभी पहलुओं पर सिफारिशें करने के लिए जून, 2000 में गठित भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.), सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों की एक समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना एवं सबैटिकल के लिए एक योजना लागू किए जाने की सिफारिश की थी।

(ख) इन योजनाओं की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) ने इन दोनों योजनाओं को सरकारी क्षेत्र के बैंकों में उनके विचार करने एवं अपनाने के लिए परिचालित करने हेतु सरकार की सहमति मांगी थी। सरकार ने भारतीय बैंक संघ को दिनांक 29.8.2000 को अपनी सहमति दे दी थी। इसके बाद इन दोनों योजनाओं को भारतीय बैंक संघ द्वारा बैंकों में उनके बोर्डों द्वारा विचार करने एवं अपनाने के लिए परिचालित किया गया है। समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की कि सरकार सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से घटाकर वापिस 58 वर्ष करने पर विचार करे। समिति की इन सिफारिशों की अभी भी जांच की जानी है।

(घ) और (ङ) भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) को अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ सहित बैंक संघों के संयुक्त मंच (यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स) से एक दिन की हड़ताल का नोटिस प्राप्त हुआ जो, अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के बैंकों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना तथा सेवानिवृत्ति आयु को 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने की समिति की सिफारिश के विरोध में था। हालांकि समझौता कार्यवाही अभी लंबित थी फिर भी सभी यूनियन 15.11.2000 को हड़ताल पर चले गए।

विवरण

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना और विश्राम (सबैटिकल) छुट्टी की महत्वपूर्ण विशेषताएं

पात्रता	15 वर्ष की सेवा वाले या 40 वर्ष की आयु वाले सभी स्थायी कर्मचारी अपात्र: विशेषज्ञ अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने सेवा बांड प्रस्तुत किया है लेकिन इसे पूरा नहीं किया है, कर्मचारी/अधिकारी जो विशेष व्यवस्था/बांडों के अंतर्गत विदेश में कार्यरत हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वी.आर.एस.) के पात्र नहीं होंगे। तथापि निदेशक मंडल बांड/अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति के अध्यधीन इससे छूट दे सकता है। कर्मचारी जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है/लम्बित है या जो निलम्बनाधीन है। करार के आधार पर नियुक्त कर्मचारी। कर्मचारियों की कोई अन्य श्रेणी जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट हो।
अनुग्रह राशि	प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए 60 दिन का वेतन (वेतन के साथ-साथ गत्यावरोध वेतनवृद्धि तथा विशेष भत्ते एवं महंगाई राहत) या उतने महीनों का वेतन जितनी सेवा बची हो, इनमें से जो भी कम हो।
अन्य लाभ	1. ग्रेच्यूटी अधिनियम/सेवा ग्रेच्यूटी के अनुसार ग्रेच्यूटी जैसा भी मामला हो। 2. पेंशन (पेंशन के संराशीकृत मूल्य सहित) पी.एफ. के पक्ष मे बैंक का अंशदान, जैसा भी मामला हो। 3. नियमानुसार छुट्टी की भुनाई।
अन्य विशेषताएं	1. बैंक की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए बैंक के प्रबंधन के लिए वी.आर.एस. के अनुरोध को स्वीकार करना या उसे अस्वीकार कर देना उसका विशेषाधिकार होगा। 2. यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखना होगा कि उच्च दक्षता और अर्हता वाले कामगारों और कर्मचारियों को यह विकल्प न दिया जाए। 3. वी.आर.एस. के कारण हुई रिक्तियों के बदले कोई भर्ती नहीं की जाएगी। 4. वी.आर.एस. लागू करने से पूर्व बैंकों की अपनी श्रमशक्ति की योजना को अवश्य पूरा कर लेना चाहिए और उन अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या का पता लगा लेना चाहिए जिन पर इस योजना के अंतर्गत विचार किया जा सकता है। 5. वी.आर.एस. और किसी नई भर्ती की मंजूरी श्रमशक्ति योजना के अनुसार ही होनी चाहिए।
योजना का निधियन	(क) अपनी वित्तीय स्थिति और नकदी के प्रवाह के अनुरूप बैंक आंशिक रूप से नकदी में और आंशिक रूप से बांड़ों या किसानों में भुगतान का निर्णय ले सकते हैं लेनिक न्यूनतम 50 प्रतिशत नकदी का तत्काल भुगतान किया जाना चाहिए और शेष 50% का निर्धारित अवधि के भीतर। (ख) इस योजना का निधियन बैंकों द्वारा स्वयं या तो अपनी स्वयं की निधि से या अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं या किसी अन्य स्रोत से ऋण लेकर किया जाएगा।
आवधिकता	इस योजना को दिनांक 31.3.2001 तक खुला रखा जा सकता है।
विश्राम छुट्टी (सबैटिकल)	कर्मचारी/अधिकारी जो तत्काल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का इच्छुक नहीं है, 5 वर्ष के लिए विश्राम छुट्टी (सबैटिकल) की सुविधा का लाभ उठा सकता है जिसे पांच वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया या सकता है। विश्राम छुट्टी (सबैटिकल) के समाप्त होने पर वह उसी पद पर और वेतन के उसी चरण में जहां वह विश्राम छुट्टी (सबैटिकल) लेने के समक्ष था, कार्यभार ग्रहण कर सकता है। विश्राम छुट्टी की अवधि वेतनवृद्धि या पेंशन, छुट्टी आदि के लिए अर्हता सेवा के रूप में मान्य नहीं होगी।

[हिन्दी]

उपभोक्ता-सामग्री का आयात

988. श्री मानसिंह पटेल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चुनिंदा उपभोक्ता-सामग्री के आयात के लिए अनुमति देने हेतु कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसी सामग्री के आयात के लिए सरकार द्वारा कोई नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) घरेलू उत्पादन और लघु क्षेत्र पर इसका क्या असर पड़ने की संभावना है; और

(च) घरेलू बाजार के हितों का संरक्षण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) भारत आयातों पर से प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटाने के लिए वर्ष 1991 से एक सतत नीति का अनुसरण कर रहा है। टैरिफ लाइनवार आयात नीति की घोषणा पहली बार 31.3.1996 को की गई थी। उस तिथि के अनुसार कुल 10202 टैरिफ लाइनों में से 6161 टैरिफ लाइनों (10 अंक स्तरीय) का आयात मुक्त था। 448 टैरिफ लाइनों पर से आयात प्रतिबंध 1.4.96 से 31.3.97 तक की अवधि के दौरान हटाए गए थे। इसके अलावा, 391 टैरिफ लाइनों (8 अंक स्तरीय) को 1.4.97 से 13.4.98 की अवधि के दौरान मुक्त किया गया था और 894 टैरिफ लाइनों (8 अंक स्तरीय) को 1.4.99 को मुक्त किया गया था। 31.3.2000 को 714 टैरिफ लाइनों पर से आयात प्रतिबंध हटा लिया गए थे। कुछ मदें जिन पर से आयात प्रतिबंध हटाए गए हैं, वे उपभोक्ता वस्तुएं हैं।

आयात प्रतिबंध 1991 से अपनायी जा रही आर्थिक उदारीकरण की नीति के अनुरूप और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रति देश की वचनबद्धता के अनुसार हटाए गए हैं।

(ग) से (च) तथापि, देश में सभी आयात सीमाशुल्कों की लागू दरों के अधीन हैं और ये घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं पर लागू घरेलू कानूनों, नियमों, आदेशों, विनियमों, तकनीकी विनिर्देशनों, पर्यावरणीय और सुरक्षा मानकों के भी अधीन होते हैं। इससे घरेलू उद्योग को पर्याप्त संरक्षण मिलेगा।

सरकार एस.एस.आई. एककों के उभरते हुए परिदृश्य के बारे में जागरुक है तथा उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए जाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल हैं:- प्रौद्योगिकी उन्नयन जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना, सामूहिक दृष्टिकोण के द्वारा बुनियादी सुविधा संबंधी सहायता, समय पर ऋण सुविधा, आधुनिक प्रबंधन प्रणाली को अपनाना, इलैक्ट्रानिक अवस्थापना का इस्तेमाल, विपणन एवं समय पर सूचना प्रसार जिनमें व्यापार उदारीकरण की उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए लघु उद्योगों को जागरुक बनाना भी शामिल है।

इसके अलावा, सरकार टैरिफ और अन्य तंत्रों के समुचित प्रयोग के जरिए यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूप से कृत संकल्प है कि आयातों पर से प्रतिबंध हटाने के कारण घरेलू उद्योग को आयातों से कोई गंभीर क्षति अथवा नुकसान नहीं होता है। इस उद्देश्य के लिए सरकार ने उन अनेक मदों पर शुल्कों में पहले ही वृद्धि कर दी है, जिनके आयातों में वृद्धि देखी गई थी अथवा वृद्धि होने की आशंका थी।

[अनुवाद]

भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन प्राधिकरण (फेरा) का उल्लंघन

989. श्री कीर्ति झा आजाद: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिडनी ओलम्पिक, 2000 के दौरान भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा तथाकथित उल्लंघन के लिए भारतीय ओलम्पिक संघ के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) कितनी विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग किया गया और मूल रूप से कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई थी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरगी एन. रामचन्द्रन): (क) कुछ भी प्रतिकूल, प्रवर्तन निदेशालय के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने सिडनी ओलम्पिक्स में भाग लेने के लिए भारतीय ओलम्पिक संघ को 64,40,175/- रुपए की राशि संस्वीकृत की थी। इसमें से जेब खर्च, औपचारिक ड्रैस की लागत और किश्तियों को किराए पर लेने के प्रभार को पूरा करने के लिए 58 लाख रुपए की राशि की पहली किस्त दी गई थी, परिणामस्वरूप 1,61,150 अमरीकी डालर की राशि में से कुछ 8 कार्मिकों और 14 धावकों के पासपोर्ट के माध्यम से और कुछ बैंक के माध्यम से सिडनी ले जाई गई थी। इस कार्य के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी।

फिल्मी सितारों के यहां आयकर विभाग के छापे

990. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष के सितम्बर माह में आयकर अधिकारियों ने फिल्मी हस्तियों के यहां छापा मारा था;

(ख) यदि हां, तो मारे गये छापों का ब्यौरा क्या है और छापों के दौरान उन्हें आपत्तिजनक दस्तावेजों, नकद राशि आदि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के लिए फिल्मी हस्तियों द्वारा आयकर विवरणी का सूक्ष्म रूप से मूल्यांकन करने और आयकर अधिकारियों द्वारा हाल ही में उन पर मारे गये हाल के छापों के परिणाम का उनके साथ मिलान करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान बालीवुड उद्योग में काले धन में वृद्धि हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा बालीवुड उद्योग में काले धन के खतरे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए अथवा प्रयास किये गये?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) विदेशी मुद्राओं और परिसम्पत्तियों में निवेश को दर्शाने वाले कागजात एवं दस्तावेजों सहित 488.73 लाख रु. के मूल्य की परिसम्पत्तियां जब्त की गई हैं। जब्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) तलाशी के पूरा होने के बाद, उस माह जिस माह में तलाशी पूरी कई थी, से समाप्त होने वाले 10 वर्ष की अवधि के लिए कर-निर्धारण कार्रवाईयों को कानून के उपबंधों के अनुसार शुरू किया जाता है। अप्रकिटत आय का निर्धारण किया जाता है और दस वर्ष की अवधि के ब्लाक कर-निर्धारण में उस पर कर लगाया जाता है।

(ङ) और (च) बॉलीवुड उद्योग में कर-निर्धारितियों के मामले में अप्रकिटत आय के बारे में विशेष और विश्वसनीय जानकारी के आधार पर सर्वेक्षण एवं तलाशी संबंधी कार्रवाईयां की गई हैं ताकि ऐसी लेखा-बाह्य आय पर कर लगाया जा सके।

विवरण

क्रमांक	फिल्मी हस्तियों के नाम	तलाशी की तारीख	नकदी का ब्यौरा	जब्ती आभूषण	अन्य परिसंपत्तियां (लाख रु. में)	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	ऐश्वर्य राय	26 09.2000	4.95	10.22	0.76	15.93
2.	सलमान खान	26.09.2000	–	4.77	–	4.77
3	सलीम खान (सलमान खान के पिता)	26.09.2000	1.20	18.27	–	19.47
4.	यश चौपड़ा और यशराज फिल्म्स	26.09.2000	8.50	2.58	–	11.08
5.	यश जौहर और करण जौहर	26.09.2000	–	53.38	–	53.38
6.	रानी मुखर्जी	26.09.2000	22.50	13.05	–	35.55
7.	उर्मिला मातोन्डकर	26.09.2000	–	2.56	302.70	305.26
8.	इन्टरनेशनल फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर प्रा. लि. (एम.एन. सवानी)	26.09.2000	15.00	18.29	–	33.29

1	2	3	4	5	6	7
9.	अमरीश पुरी	26.09.2000	10.00	–	2367 यू.एस. डालर 740 यू.के.पाउंड 860 फ्रेंच फ्रेंक 360 यू.ए.ई. डिरहम	10.00 2367 यू.एस. डालर 740 यू.के. पाउंड 860 फ्रेंच फ्रैंक 360 यू.ए.ई. डिरहम
		योग	62.15	123.12	303.46 2367 यू.एस. डालर 740 यू.के. पाउंड 860 फ्रेंच फ्रेंक 360 यू.ए.ई. डिरहम	488.734 2367 यू.एस. डालर 740 यू.के. पाउंड 860 फ्रेंच, फ्रेंक 360 यू.ए.ई. डिर हम

बकाया कर

991. **श्री मणि शंकर अय्यर:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर कितना आयकर और निगमित कर बकाया है; और

(ख) इसी प्रकार का बड़े औद्योगिक घरानों और बहुराष्ट्रीय निगमों पर क्रमश: कितना तुलनात्मक कर बकाया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) दिनांक 30.6.2000 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विरुद्ध 2507.56 करोड़ रुपये का आयकर और निगम कर बकाया है।

(ख) अन्य निगमित कर निर्धारितियों (उपर्युक्त केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को छोड़कर) के विरुद्ध 19,576 करोड़ रु. बकाया है।

रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का पुनरुद्धार

992. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को रुग्ण औद्योगिक इकाईयों के पुनरुद्धार के लिए कुछ राज्य सरकारों से राज्यवार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक कितने प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार कितने प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

परिवहन शुल्क

993. श्री भान सिंह भौरा: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों को लेवी चीनी पर खुदरा विक्रेताओं को परिवहन शुल्क की अनुमति प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान खुदरा विक्रेताओं को राज्यवार कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। सरकार विभिन्न राज्यों के लेवी के खुदरा विक्रेताओं को परिवहन प्रभार की अनुमति देती है। 1.4.96 से प्रभावी संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए परिवहन प्रभार संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित पिछले वर्ष के व्यय के लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर एक समान दर पर निश्चित किये जाते हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार संबंधित राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर चीनी के खुदरा विक्रेताओं को देय लागतों की विभिन्न मदों के लिए मार्जिन निश्चित करती है। भारत सरकार चीनी के खुदरा विक्रेताओं को भुगतान की गई कुल राशि से संबंधित आंकड़ों का हिसाब नहीं रखती है। साथ ही इस जानकारी को एकत्रित करने में किए गए प्रयास के अनुरूप लाभ प्राप्त नहीं होंगे।

[हिन्दी]

नयी आयकर योजना

994. डा. अशोक पटेल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयकर दाताओं में पारस्परिक विश्वास का वातावरण स्थापित करने के उद्देश्य से आयकरदाता अनुकूल योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां। दो नई स्कीमें "सुविधा" और "सहायता" (हेल्पलाइन आयकर) को 1 अगस्त, 2000 से प्रारंभ किया गया है।

(ख) और (घ) "सुविधा" स्कीम के अन्तर्गत छः में से एक स्कीम के द्वारा शामिल किए गए 133 कस्बों और शहरों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की सभी कम्प्यूटरीकृत शाखाओं को 1 अगस्त, 2000 से प्रत्यक्ष कर भुगतानों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। साथ ही साथ "हेल्पलाइन-इनकैम टैक्स" ने दिल्ली में तुरन्त कार्रवाई करने के लिए व्यक्तियों और निगम करदाताओं की तात्कालिक और गम्भीर समस्याओं को विभाग के ध्यान में लाने के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया है। यह स्कीम आयकर आयुक्त स्तर के एक अधिकारी की देख रेख में कार्य कर रही है। "हेल्पलाइन-इनकैम टैक्स" का कालान्तर में अन्य केन्द्रों तक विस्तार किया जाएगा। ये स्कीमें कर प्रशासन को करदाताओं के अधिक अनुकूल बनाने के लिए सरकार के प्रयासों की हिस्सा हैं।

[अनुवाद]

बाढ़ पीड़ित लोगों को सहायता

995. श्री मोइनुल हसन: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य में बाढ़ पीड़ित परिवारों को भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) भंडारों से खाद्यान्न जारी करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का कितना भंडार जारी किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा खाद्यान्नों के इस प्रकार से जारी किये जाने के लिए क्या नियम और शर्तें निर्धारित की हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) बाढ़ प्रभावित परिवारों (गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर दोनों के परिवार) में वितरण करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को गरीबी रेखा से नीचे के लिए लागू दर पर प्रति प्रभावित परिवार प्रतिमाह 20 किलोग्राम के हिसाब से 87080 टन (सत्तासी हजार अस्सी टन) चावल का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। इसके अलावा, जैसाकि राज्य सरकार ने मांग की है, बाढ़ से प्रभावित परिवारों को वितरित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए लागू दर पर 65000 टन (पैंसठ हजार टन) चावल दिया गया है।

दूरदर्शन के धारावाहिकों से बच्चों पर पड़ने वाला प्रतिकूल प्रभाव

996. डा. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विद्यालय जाने वाले बच्चों को बाक्सिंग और कुश्ती दिखाने वाले डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. संबंधी दूरदर्शन धारावाहिकों के देखने पर हाल ही में उनमें हिंसात्मक व्यवहार उत्पन्न होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दूरदर्शन के इन कार्यक्रमों से बच्चों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से संबंधित कोई जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) सरकार ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है। लेकिन यूनेस्को ने 1996 से 1997 में मीडिया हिंसा पर एक विश्वव्यापी अध्ययन किया था। इसके तुरन्त बाद 1998 में यूनेस्कों के तत्वावधान में सेंटर फार एडवोकेसी एण्ड रिसर्च के द्वारा भारत में टी.वी. कार्यक्रमों का मानीटरन अध्ययन किया गया था। यूनेस्को ने इन दोनों अध्ययनों को सार-संक्षेपित करके "टी किलिंग स्क्रीन" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।

रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि आधुनिक प्रचार माध्यमों और नैतिक मूल्यों और हालातों के बीच मजबूत सह-संबंध है। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि बच्चों में उत्तेजक प्रवृत्ति और अनुभूति उनके वास्तविक वातावरण के अनुभव का दर्पण है। रिपोर्ट में बच्चों के मन एवं व्यक्तितत्व पर टेलीविजन कार्यक्रमों में हिंसा के विश्वव्यापी प्रतिकूल प्रभाव पर चिन्ता व्यक्त की है। रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि:-

* राजनीतिज्ञों, निर्माताओं अध्यापकों के बीच सार्वजनिक बहस और सामान्य आधार वार्ता।

* निर्माताओं के लिए व्यावसायिकता, आचार संहिता और स्व-अनुशासन का विकास।

* सुयोग्य एवं समालोचक मीडिया उपभोक्ता बनाने के लिए मीडिया शिक्षा का नवीनतम सूत्र।

भारत में प्रसारण का विनियामक ढांचा अभी तक कमजोर है क्योंकि इस प्रकार की विनियामक प्रणाली की स्थापना के लिए कोई प्रसारण कानून नहीं है। टी.वी. कार्यक्रम, फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। तथापि, यह स्थिति पूर्णरूप से अनियंत्रित नहीं है। दूरदर्शन पर विज्ञापन इसकी वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता द्वारा विनियंत्रित किए जाते हैं। भारत से अपलिंक किए गए निजी उपग्रह चैनलों को सरकारी अनुमति की शर्तों के तहत इस संहिता का अनुपालन करना अनिवार्य है। संशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत भारत के बाहर से अपलिंग किए जाने वाले सभी उपग्रह चैनल इस अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट विज्ञापन संहिता के अधीन है। संशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 इन विज्ञापनों का निषेध करता है जो बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं अथवा जो बच्चों में गलत आदतों के प्रति रूझान पैदा करते हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को बजट सहायता

997. श्री शंकरसिंह वाघेला:
श्री आर.एस. पाटिल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2000 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों को बैंकवार और वर्षवार कितनी सहायता प्रदान की गयी; और

(ख) 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2000 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों को बैंकवार और वर्षवार कितनी धनराशि जमा की गयी और अग्रिम दी गयी तथा ऋण जमा अनुपात कितना प्रतिशत रहा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के लिए जमाराशियों, अग्रिमों तथा ऋण अनुपात तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों (बैंक-वार) के लिए सरकार द्वारा दी गई सहायता से संबंधित सूचना को संलग्न विवरण I, II और III में दर्शाया गया है।

विवरण-I

(राशि करोड़ रुपए में)

बैंक का नाम	1997-98			
	जमाराशियां	अग्रिम	ऋण जमा अनुपात	पूंजी अंशदान
इलाहाबाद बैंक	13540.76	5723.92	42.27	0
आन्ध्रा बैंक	7920.73	3296.27	41.62	0
बैंक आफ बड़ौदा	39125.73	19803.49	50.62	0
बैंक आफ इंडिया	39338.62	22020.72	55.98	0
बैंक आफ महाराष्ट्र	9134.3	3620.46	39.64	0
केनरा बैंक	38045.02	16824.68	44.22	600
सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	26373.49	10677.94	40.49	0
कार्पोरेशन बैंक	9351.56	4302.79	46.01	0
देना बैंक	10115.28	5147.24	50.89	0
इंडियन बैंक	15422.73	7260.43	47.08	1750
इंडियन ओवरसीज बैंक	19328.64	8667.18	44.84	0
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	13058.02	6318.46	48.39	0
पंजाब एंड सिंध बैंक	35173.56	16042.64	45.61	0
पंजाब नेशनल बैंक	7609.56	3186.42	41.87	0
सिंडिकेट बैंक	17816.15	6959.98	31.39	0
यूको बैंक	23055.63	10276.19	44.57	350
यूनियन बैंक आफ इंडिया	12037.56	3371.45	28.01	0
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	14462.46	5610.54	38.79	0
विजया बैंक	8215.82	3225.00	39.25	0
राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए योग	359125.6	162335.9	49.33	2700

विवरण-II

(राशि करोड़ रुपए में)

बैंक का नाम	1998-99			
	जमाराशियां	अग्रिम	ऋण जमा अनुपात	पूंजी अंशदान
1	2	3	4	5
इलाहाबाद बैंक	15510.36	6984.8	45.03	0
आन्ध्रा बैंक	10438.74	4523.93	43.34	0
बैंक आफ बड़ौदा	44614.04	21091.53	47.28	0
बैंक आफ इंडिया	44430.23	24327.02	54.75	0

1	2	3	4	5
बैंक आफ महाराष्ट्र	10928.52	4061.84	37.17	0
केनरा बैंक	41958.61	19530.11	46.55	0
सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	30649.31	12799.84	41.76	0
कार्पोरेशन बैंक	12601.43	6286.19	49.88	0
देना बैंक	11795.35	6395.7	54.22	0
इंडियन बैंक	17155.92	7496.52	43.7	100
इंडियन ओवरसीज बैंक	21914.31	10117.47	46.17	0
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	16804.88	7707.56	45.87	0
पंजाब एंड सिंध बैंक	40777.12	19047.37	46.71	0
पंजाब नेशनल बैंक	9496.6	4099.93	43.17	0
सिंडिकेट बैंक	19914.34	9312.83	46.76	0
यूको बैंक	28135.65	11308.77	40.19	200
यूनियन बैंक आफ इंडिया	14516.28	3844.32	26.48	0
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	16251.21	6222.21	38.29	100
विजया बैंक	9690.23	3767.2	38.88	0
राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए योग	417583.1	188925.1	45.24	400

विवरण-III

(राशि करोड़ रुपए में)

	1999-2000			
बैंक का नाम	जमाराशियां	अग्रिम	ऋण जमा अनुपात	पूंजी अंशदान
1	2	3	4	5
इलाहाबाद बैंक	17642.1	8240.06	46.71	0
आन्ध्रा बैंक	14417.95	5573.6	38.66	0
बैंक आफ बड़ौदा	51308.19	24392.91	47.54	0
बैंक आफ इंडिया	47743.89	25231.05	52.85	0
बैंक आफ महाराष्ट्र	13406.55	5252.21	39.18	0
केनरा बैंक	48001.36	23546.73	49.05	0
सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	35871.71	15804.92	44.06	0
कार्पोरेशन बैंक	14279.63	7777.47	54.47	0
देना बैंक	13286.62	7117.88	53.57	0
इंडियन बैंक	19113.5	8203.4	42.92	0

1	2	3	4	5
इंडियन ओवरसीज बैंक	24317.75	11573.2	47.59	0
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	22095.21	9325.53	42.21	0
पंजाब एंड सिंध बैंक	47483.23	22571.72	47.54	0
पंजाब नेशनल बैंक	10555.98	4764.82	45.14	0
सिंडिकेट बैंक	23655.42	12206.31	51.6	0
यूको बैंक	31105.36	14613.23	46.98	0
यूनियन बैंक आफ इंडिया	16787.68	4562.78	27.18	0
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	18359.95	7630.26	41.56	0
विजया बैंक	11592.88	4687.61	40.44	0
राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए योग	481025	223075.7	46.38	0

दूरदर्शन द्वारा अर्जित आय

998. **श्री दिलीप संघाणी:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99 से आज की तिथि तक विभिन्न धारावाहिकों और विज्ञापनों के प्रसारण से दूरदर्शन ने वर्षवार कितनी आय अर्जित की; और

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान दूरदर्शन ने कौन-कौन से धारावाहिकों से अधिकतम आय अर्जित की?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य लेखा कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार, 1998-99 एवं 1999-2000 की अवधि हेतु दूरदर्शन की वास्तविक आय निम्नलिखित है:-

वर्ष	राशि (रुपयों में)
1998-99	419.00 करोड़
1999-2000	496.23 करोड़

अप्रैल, 2000 से 20.11.2000 तक की अवधि के लिए, प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उनके द्वारा अर्जित वाणिज्यिक राजस्व 370.74 करोड़ रुपए था।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि "जय हनुमान" धारावाहिक के प्रसारण से अधिकतम राजस्व (24.53 करोड़ रुपए) अर्जित किया गया था।

लौह अयस्क का निर्यात

999. **श्री अनन्त नायक:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश से लौह अयस्क का निर्यात करने के संबंध में सरकार को कितने निर्यात आदेश प्राप्त हुए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश से लौह अयस्क का कितना निर्यात किया गया और कितनी धनराशि का निर्यात किया गया; और

(ग) उन खानों के नाम क्या हैं जिनसे निर्यात हेतु लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है और विभिन्न पत्तनों से कितने लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी एजेंसियों के रूप में सरकार की ओर से खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी), कुद्रेमुख लौह अयस्क निगम लि. (केआईओसीएल), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) द्वारा प्राप्त निर्यात आर्डरों के ब्यौरे निम्नानुसार है:

एजेन्सी का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
एम.एम.टी.सी.	116.50	113.00	120.95
के.आई.ओ.सी.एल.	63.0	61.0	63.20
एन.एम.डी.सी.	-	-	1.27
कुल	179.5	174.0	185.42

(स्रोत एम.एम.टी.सी./के.आई.ओ.सी.एल./एन.एम.डी.सी.)

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी एजेंसियों अर्थात् एम.एम.टी.सी., के.आई.ओ.सी.एल, एन.एम.डी.सी. तथा निजी निर्यातकों द्वारा देश से निर्यात किए गए लौह अयस्क की मात्रा तथा मूल्य निम्नानुसार है:

वर्ष	मूल्य	मात्रा
1997-98	363.51	2372.56
1998-99	316.74	2316.39
1999-2000 (अनंतिम)	333.03	2296.41

(स्रोत एम.एम.टी.सी./एन.एम.डी.सी./के.आई.ओ.सी.एल.)

(ग) लौह अयस्क के निर्यात के पत्तनवार ब्यौरा तथा उन खानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं जिनसे सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्यात के लिए लौह अयस्क की खरीद की जाती है।

विवरण

(इस विवरण पत्र में निजी निर्यातकों के स्वामित्व वाली खानों के संबंध में ब्यौरे शामिल नहीं है)

राज्य	खानों के नाम
1	2
उड़ीसा	जजांग, जिलिंग, ऊचबली, गुनरुबेडा, जुरूडी, सुरूगुटालियां, बैतरनी, मुर्गाबेडा चमकपुर, दैतरी खाने (उड़ीसा खनिज निगम), जलहारी, गंधगर्धन, सानिदपुर, नौगांव, पुतलुपानी, रोहडा, ठाकुरानी, नादीदीह, कारिया, ओराघाट
बिहार	न्यू कर्मपाडा, बिजॉय, बाराइबुरा, ततिबा, घाटकुर, नोआमुंडी, लौह अयस्क खाने (टिस्को) बिहार लोह खानें (मोआगुडी)
कर्नाटक	सिद्धपुरम लौह अयस्क खानें विभूति गड्डा लौह अयस्क खानें, ब्लेगन खानें जानीकुन्ता व्यसनकेरे लौह अयरन खान, स्वामीमलाई लौह अयस्क खानें जम्बूनाथ धनी लौह अयस्क खानें एस.वी.के. लौह आयरन खानें (व्यसनकेरे) नेव जयसिंहपुर लौह अयस्क खानें, रामगढ़ खानें, दोनी मलाई खानें (राजापुर) इटिना हाटी खानें, नंदी हाली खानें, राम दुर्ग खाने, गाला गोला खानें, सन्ना जोगी खानें, कार्तिकेश्वर खानें (देवगिरि), हरिगनी डोमी कवाए गुडा, कर्डी कोला, संकलापुरम इंगालिगि, तिम्मापन गुडी, कुडरेगुन खाने (कुडरेमुख लौह अयस्क लि.) (के आई ओ सी एल)
गोवा	कोडली खानें, चेलगुएम खानें, तोलेन खानें, ओड्डामल खानें, सालिफो पाले खानें, बिम्बोल खानें, मैना खानें
मध्य प्रदेश	बैलाडिला खाने (राष्ट्रीय खनिज विकास निगम)

निर्यात किए गए लौह अयस्क की मात्रा के संबंध में पत्तनवार ब्यौरे

मद / पत्तन	1997-98		1998-99		1999-2000	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
एम.एम.टी.सी.						
विजाग	37.57	303.74	37.94	338.58	38.10	307.73
पारादीप	9.94	63.63	6.29	46.66	9.45	64.41
चैन्नई	56.71	392.53	47.53	389.35	48.72	362.78
गोवा	10.37	70.70	11.46	82.81	19.88	121.71
कुल	114.59	830.60	103.22	857.40	116.15	856.63
के.आई.ओ.सी.एल.						
न्यू मैंगलौर	61.46	587.16	50.26	543.26	60.54	620.46
कुल	61.46	587.16	50.26	543.26	60.54	620.46

1	2	3	4	5	6	7
एन.एम.डी.सी.						
गोवा	–	–	–	–	0.67	4.70
चैन्नई	–	–	–	–	0.60	3.60
कुल	–	–	–	–	1.27	8.30
निजी निर्यातक						
जी.एम.ओ.ई.ए.	182.45	906.11	155.85	864.12	142.17	721.18
पंजिम						
एस.ई.एस.ए.	2.07	20.12	2.80	19.50	6.46	44.99
गोवा चैन्नई						
एम.एस.पी.एल.	2.94	28.57	4.61	32.11	6.44	44.85
चैन्नई						
कुल	187.46	954.8	163.26	915.73	155.07	811.02
कुल योग	363.51	2372.56	316.74	2316.39	333.03	2296.41

उपभोक्ता कल्याण कोष

1000. श्रीमती निवेदिता माने: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक राज्य में उपभोक्ता कल्याण कोष गठित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कोष से राज्यवार कितने गैर सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान का जा चुकी है; और

(घ) इससे उपभोक्ता कितना लाभान्वित होंगे?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (घ) सूचना राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि

1001. श्री मंजय लाल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषकर बिहार के राष्ट्रीयकृत बैंकों में कितनी धनराशि जमा की गयी;

(ख) संबंधित राज्य के विकास पर कितना धन खर्च किया गया और इस पर खर्च किये धन का क्या अनुपात रहा;

(ग) क्या सरकार का विचार संबंधित राज्य के विकास के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा धनराशि से खर्च की जाने वाली धनराशि में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) बिहार सहित सभी राज्यों की पिछले तीन वर्षों की राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की राज्यवार जमाराशि, ऋण राशि और ऋण जमा अनुपात संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जिन राज्यों में ऋण जमा अनुपात कम है, उन राज्यों में बैंक, ऋण के प्रवाह में सुधार करने के लिए उपाय करते रहे हैं और संबंधित राज्यों की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में इससे संबंधित स्थिति की निगरानी की जाती है। बिहार के संबंध में, राज्य में उद्योग से संबंधित समस्याओं पर एक विशेष कृतिक बल और ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने की परिचालनात्मक समस्याओं पर एक उप-समिति का गठन किया गया था। इन दोनों समितियों ने जनवरी 2000 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उपर्युक्त समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समय समय पर राज्य स्तरीय बैंकर्स की बैठकों में निगरानी की जा रही है।

विवरण

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण, जमाराशि और ऋण जमा अनुपात

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	राशि लाख रुपए में						ऋण जमा अनुपात (%)		
	मार्च 1998		मार्च 1999		मार्च 2000		मार्च 1998	मार्च 1999	मार्च 2000
	जमा राशि	ऋण	जमा राशि	ऋण	जमा राशि	ऋण			
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. आंध्र प्रदेश	3161864	2280970	3797128	2600492	4646470	2955095	72.1	68.5	63.6
2. अरुणाचल प्रदेश	41276	5420	48444	6814	53694	8896	13.1	14.1	16.6
3. असम	602158	197824	703501	221405	847803	266890	32.9	31.5	31.5
4. बिहार	2566789	706127	3089358	777394	3687126	830442	27.5	25.2	22.5
5. गोवा	455606	112019	547574	137124	620494	149913	24.6	25.0	24.2
6. गुजरात	3482337	1679161	4121596	2016489	4751767	2368755	48.2	48.9	49.8
7. हरियाणा	1218827	522769	1433682	605009	1705250	706138	42.9	42.2	41.4
8. हिमाचल प्रदेश	437348	94471	525499	115437	617464	141372	21.6	22.0	22.9
9. जम्मू एवं कश्मीर	580584	216888	716853	277217	865785	350738	37.4	38.7	40.5
10. कर्नाटक	3188243	2175261	3782054	2440479	4580860	2794913	68.2	64.5	61.0
11. केरल	2720087	1204461	3326318	1365676	3893263	1646501	44.3	41.1	42.3
12. मध्य प्रदेश	2329851	1198607	2679079	1296571	3078797	1513435	51.4	48.4	49.2
13. महाराष्ट्र	11755138	8497704	13570826	9883276	15299610	12820100	72.3	72.8	83.8
14. मणिपुर	28343	16657	40622	16923	46073	16780	58.8	41.7	36.4
15. मेघालय	101934	15459	114704	19131	140917	22148	15.2	16.7	15.7
16. मिजोरम	21356	4949	30476	6278	31801	7732	23.2	20.6	24.3
17. नागालैंड	54490	9986	73939	11607	76733	11845	18.3	15.7	15.4
18. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	6133932	3796259	7450792	5485385	8870874	6822604	61.9	73.6	76.9
19. उड़ीसा	881754	398440	1023954	435259	1273396	506215	45.2	42.5	39.8
20. पंजाब	2751761	1062823	3279786	1269168	3857207	1506296	38.6	38.7	39.1
21. राजस्थान	1684276	798791	2053196	925990	2378442	1110506	47.4	45.1	46.7
22. सिक्किम	27991	5788	34227	6857	51068	7049	20.7	20.0	13.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	तमिलनाडु	3925861	3772299	4614525	4290899	5594317	4922967	96.1	93.10	88.0
24.	त्रिपुरा	83225	28267	105061	30910	126599	32603	34.0	29.4	25.8
25.	उत्तर प्रदेश	5875991	1680530	7079994	1924476	8196036	2253840	28.6	27.2	27.5
26.	पश्चिम बंगाल	4440122	2047208	5235580	2294225	6059339	2737058	46.1	43.8	45.2
27.	अंडमान एवं निकोबार	23727	3583	28008	4648	33431	5604	15.1	16.6	16.8
28.	चंडीगढ़	497499	288739	516787	433275	629712	331111	58.0	83.8	52.6
29.	दादरा नागर हवेली	10015	2141	13513	2874	16824	3648	21.4	21.3	21.7
30.	दमन एवं द्वीप	24536	5054	28779	5071	36630	5787	20.6	17.6	15.8
31.	लक्षद्वीप	3224	319	5254	407	6137	474	9.9	7.7	7.7
32.	पांडिचेरी	96661	34733	116006	39235	139359	45716	35.9	33.8	32.8
	अखिल भारत	59206807	32863710	70187116	38946002	82213277	46903171	55.5	55.5	57.1

नशीली दवाओं की जब्ती

1002. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष में आज की तिथि तक गुजरात में तैयार की गयी कितनी नशीली दवाएं जब्त की गयी;

(ख) गुजरात में नशीली दवाओं के अधिक अवैध व्यापार के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त राज्य में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) महोदय, विभिन्न मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरों को दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2000 के दौरान (अक्तूबर तक) गुजरात राज्य में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार के 108 मामले दर्ज किए गए हैं।

(ख) गुजरात राज्य में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार के लिए सुगम्य क्षेत्र है जिसका मुख्य कारण यह है कि इसका तटीय क्षेत्र विस्तृत है और भौगोलिक दृष्टि से यह दक्षिण-पश्चिम एशिया में प्रमुख पोस्त उत्पादक क्षेत्रों के निकट पड़ता है।

(ग) राज्य में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार की रोकथाम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण उपायों में लगातार निगरानी रखना, प्रवर्तन प्रयासों में तेजी लाना, आसूचना तंत्र को चुस्त बनाना, सीमा पर नशीली दवाओं की रोकथाम करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल और तटरक्षक को शक्तियां प्रदान करना, सीमा के आर-पार समय-समय पर बैठकें आयोजित करना जिनमें भारत और पाकिस्तान की स्वापक एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं और स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत नशीली दवाओं के अवैध व्यापार के सिलसिले में गिरफ्तार सभी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना शामिल है।

जी.आई.सी. की सहायक कंपनियों का विलय

1003. **प्रो. ए.के. प्रेमाजम:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साधारण बीमा निगम (जी.आई.सी.) की चारों स्वतंत्र कंपनियों की सभी यूनियनें और संघ आपस में प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने और निजी बीमाकर्त्ताओं से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से एक कंपनी के रूप में विलय करने के लिए दबाव डाल रहे हैं ताकि विलय की गयी कंपनी के निवल लाभ में वृद्धि हो;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या मामले की जांच करने के लिए नियुक्त किये गये परामर्शदाताओं और पोद्दार समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो जनता को ये रिपोर्टें कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सरकार को साधारण बीमा निगम की चार अनुषंगी कम्पनियों का विलय करके एक ही बीमा कम्पनी बना देने के लिए सिर्फ साधारण बीमा निगम और नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी की अधिकारी एवं कर्मचारी एसोसिएशनों से ही अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

साधारण बीमा निगम की चार अनुषंगी कम्पनियों के विलय से सम्बन्धित सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार ने बीमा कम्पनियों की अवसंरचना पर गौर करने के लिए किसी परामर्शदाता की नियक्ति नहीं की है। साधारण बीमा निगम को इसकी अनुषंगी कम्पनियों से अलग कर दिए जाने के बाद समन्वय कार्य-प्रणाली के तौर-तरीके तय करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री ए.एन. पोद्दार की अध्यक्षता में दिनांक 30.8.2000 को एक आंतरिक समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। पोद्दार समिति केवल एक आंतरिक समिति थी और इसकी रिपोर्ट आंतरिक उपयोग के लिए है।

उड़ीसा को आबंटित धन

1004. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा सरकार को कितना धन आबंटित किया गया;

(ख) क्या उड़ीसा के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की मंजूरी का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इस पैकेज को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) उड़ीसा राज्य सरकार के लिए 1996-97 के मूल्यों पर अनुमोदित नौवीं पंचवर्षीय योजना का परिव्यय 15000 करोड़ रुपए का है जिसमें केन्द्रीय सहायता का आबंटन 8022.31 करोड़ रुपए का है।

उड़ीसा सरकार द्वारा (क) शुरू किए जा रहे राजकोषीय सुधारों (ख) नकद खातों में असंतुलन समस्या होने तथा (ग) आपदा के राहत और पुनर्वास कार्यों की दिशा में किए गए प्रयासों में अनुपूरक सहायता के तौर पर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न उपाय किए जाते रहे हैं।

औचित्य पूर्ण आबंटनों, ऋण वापसी और ब्याज की पुनर्अदायगी के पुन: सयोजन तथा एक सीमित समयावधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अर्थोपाय सीमा में अभिवृद्धि आदि के माध्यम से पर्याप्त वित्तपोषण सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्य सरकार को राजकोषीय सुधार सुविधा के तहत उनके द्वारा शुरू किए गए राजकोषीय सुधार प्रक्रिया के जरिए राजकोषीय स्थायित्व पाने के लिए मध्यम आवधिक सहायता के रूप में उन्हें 300 करोड़ रुपए की राशि भी उपलब्ध कराई गई है।

[हिन्दी]

लघु औजार कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्र

1005. श्री कांतिलाल भूरिया: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में लघु औजार कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की कोई योजना चल रही है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख में राज्यवार किन स्थानों पर ये औजार कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा चुके हैं;

(ग) क्या कुछ और स्थानों पर विशेषकर मध्य प्रदेश में ऐसे लघु औजार कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसी किसी योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर तथा भोपाल में लघु औजार कक्षों की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। लघु औजार कक्षों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता की योजना को सरकार द्वारा अन्तिम रूप दिए जाने के बाद इन प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

[अनुवाद]

तम्बाकू उद्योग में लगे श्रमिक

1006. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भारत के तंबाकू उद्योग में लगे श्रमिकों के आंकड़े हैं और भारत में तंबाकू का उत्पादन करने वाले कितने किसान हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अक्टूबर, 2000 के दौरान इस संबंध में जिनेवा में मोटे तौर पर आंकड़े प्रस्तुत किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विश्व स्वास्थ्य संगठन को इस संबंध में गलत सूचना दिये जाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) भारतीय तम्बाकू उद्योग निजी क्षेत्र में है। यह क्षेत्र लगभग 7.5 मिलियन परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाता है। भारत में लगभग 63056 किसान फ्लयू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू (एफ.सी.वी.) का उत्पादन करते हैं। गैर-एफ.सी.वी. किस्म का तम्बाकू उगाने वाले किसानों की संख्या लगभग 4 लाख होने का अनुमान है।

(ग) से (ङ) अक्तूबर, 2000 के दौरान तम्बाकू उद्योग में कार्यरत श्रमिकों/कामगारों की संख्या भारत में तम्बाकू उगाने वाले किसानों की संख्या के आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की बकाया रिक्तियां

1007. **श्री रमेश सी. जीगाजीनागी:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डॉ. अम्बेडकर जन्मशती समारोह समिति वर्ष 1993 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की आरक्षित रिक्तियों के बकाया पदों को भरे जाने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय से संबंधित बकाया रिक्तियों के संदर्भ में उनके मंत्रालय द्वारा इस पर वर्ष 1993 से क्या कार्यवाही की गई है और तत्संबंधी परिणाम क्या रहे;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए ऐसी कितनी रिक्तियां आरक्षित है जो 1 जनवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार उनके मंत्रालय के अधीन प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में बिना भरे पड़ी है और इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में आरक्षित रिक्तियों का बैकलॉग कितना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ग) महोदय, डा. अंबेडकर जन्मशती समारोह समिति ने सिफारिश की है कि ऐसे मामलों में, जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पिछली बकाया रिक्तियां संख्या में अधिक है और विनिर्धारित योग्यता रखने वाले आरक्षित समुदायों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ पर न्यूनतम योग्यताओं में छूट दी जाए। किन्तु, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण से संबंधित नोडल विभाग, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने टिप्पणी की है कि मूल शैक्षिक योग्यता/न्यूनतम योग्यता में छूट देना संभव नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 335 की भावना के विरुद्ध होगा।

(घ) श्रेणी I, II, III और IV से संबंधित उन रिक्तियों की संख्या, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी, किन्तु 1 जनवरी, 1993 तक भरी नहीं गयी थी, संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित श्रेणी I, II, III और IV की पिछली बकाया रिक्तियों की संख्याएं, 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार संलग्न विवरण-II में दी गयी हैं।

विवरण-I

1.1.93 की स्थिति अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षित श्रेणी I, II, III और IV की उन रिक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण जो भरी नहीं गयी

श्रेणी	वर्ग	
	अ.जा.	अ.ज.जा.
श्रेणी-I	08	03
श्रेणी-II	31	22
श्रेणी-III	51	68
श्रेणी-IV	10	11

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए भरी न गयी अनेक आरक्षित रिक्तियों को बाद में भर लिया गया है।

विवरण-II

29 अगस्त, 1997 की स्थिति-अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. के लिए श्रेणी I, II, III और IV की पिछली बकाया रिक्तियों को दर्शाने वाला विवरण

श्रेणी	वर्ग	
	अ.जा.	अ.ज.जा.
श्रेणी-I	03	04
श्रेणी-II	39	20
श्रेणी-III	58	67
श्रेणी-IV	01	03

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित पीड़ितों को उत्पाद शुल्क में रियायत

1008. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित लोगों के पैटर्न पर हिमाचल प्रदेश के बाढ़ पीड़ित लोगों को भी आवासों के निर्माण हेतु सीमेंट, स्टील और टिन की चादरों के संबंध में उत्पाद शुल्क में रियायत दिये जाने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो अनुरोध का ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित व्यक्तियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं:-

(1) श्री प्रेम कुमार धूमल, मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश; और

(2) श्री महेश्वर सिंह, सांसद (लोक सभा)

सरकार द्वारा इन अनुरोधों की जांच की जा रही है।

घटी दर पर गेहूं

1009. **श्री धावरचन्द गेहलोत:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर वाले कार्डधारियों को घटी दर पर गेहूं उपलब्ध कराने के संबंध में घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दरें निर्धारित की हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस तरह की असमानता के क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य आर्थिक लागत के 100 प्रतिशत अथवा समय-समय पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रत्येक जोन के लिए खुली बाजार बिक्री के मूल्य, जो भी कम हो, पर निर्धारित किए गए हैं। ऐसी दरों में अन्तर विभिन्न जोनों में गेहूं की आर्थिक लागत में अन्तर होने के कारण है जिसके लिए उत्पादक राज्यों से उपभोक्ता राज्यों को की गई ढुलाई के लिए भाड़ा प्रभारों को भी हिसाब में लिया जाता है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक रबड़ का आयात

1010. **श्री पी.सी. थामस:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने प्राकृतिक रबड़ के लेटेक्स का आयात किया गया और जिस मूल्य पर व जिस देश से यह आयात किया गया उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विदेश व्यापार महानिदेशक ने प्राकृतिक रबड़ के आयात पर प्रतिबंध हटा लिया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई है।

(ख) से (घ) दिनांक 22.5.2000 से अग्रिम लाइसेंस धारकों के लिए निर्यात उद्देश्य हेतु प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स के आयात की अनुमति प्रदान की गयी थी। तथापि, दिनांक 24.10.2000 से लेटेक्स का सीधे आयात करने की अनुमति देना बंद कर दिया गया है। अत: निविष्टियों में से एक निविष्टि के रूप में सभी प्रकार के प्राकृतिक रबड़ वाले अग्रिम लाइसेंस धारकों के लिए इसे एस.टी.सी. के माध्यम से खरीदना अपेक्षित है।

विवरण

वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 (नवम्बर, 99 तक) के दौरान प्राकृतिक रबड़ के लेटेक्स के आयात को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

मद	वर्ष	देश	मात्रा (मी.टन)	मूल्य (करोड़ रु.)	प्रति इकाई मूल्य (रु.)
पूर्ववल्कनीकरण	1997-98	मलेशिया	6495.43	24.28	37.39
रहित तथा		नाइजीरिया	134.40	0.48	36.17
पूर्ववल्कनीकृत		सिंगापुर	482.20	1.65	34.42
प्राकृतिक रबड़		श्रीलंका	1460.80	6.15	42.15
लेटेक्स		थाइलैंड	8398.22	29.66	35.32
		अन्य	974.76	4.11	42.19
		कुल	17945.81	66.33	
	1998-99	मलेशिया	2657.39	8.53	32.12
		म्यांमार	1362.51	3.63	26.67
		सिंगापुर	1349.09	3.96	29.36
		थाईलैंड	6170.16	18.34	29.72
		श्रीलंका	564.45	2.16	38.43
		यू.एस.ए.	566.89	1.54	27.27
		अन्य	497.58	1.80	36.35
		कुल	13168.07	39.06	
	1999-2000 (नवम्बर 1999 तक)	मलेशिया	894.54	2.44	27.29
		म्यांमार	539.73	1.25	23.33
		श्रीलंका	514.90	1.36	26.42
		थाईलैंड	2768.35	7.61	27.49
		यू.एस.ए.	388.20	1.12	28.92
		अन्य	204.88	0.71	34.68
		कुल	5310.60	14.49	

स्रोत: डी.जी.सी.आई. एंड एस. कलकत्ता

[हिन्दी]

सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क अधिकारियों की सुरक्षा

1011. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क कार्मिकों के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रबंध का इंतजाम किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या समुचित सुरक्षा प्रबंध न होने के कारण अधिकारी कर की चोरी करने वालों को नहीं पकड़ पाते हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ङ) जी हां। जब सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को तस्करीरोधी एवं प्रवर्तन गतिविधियों में लगाया जाता है तब उनकी सुरक्षा के लिए विभाग पर्याप्त उपाय करता है। प्रवर्तन गतिविधियों में अंतर्ग्रस्त सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को उनके द्वारा अनुरोध करने पर निजी सुरक्षा के लिए सर्विस पिस्टल्स/रिवाल्वर्स मुहैया कराये जाते हैं। तस्करीरोधी एवं निवारक गतिविधियों में अंतर्ग्रस्त अधिकारियों को भी विशेष तलाशियों/छापों के दौरान निजी सुरक्षा के लिए विभिन्न आयुक्तालयों को मुहैया कराए गए शस्त्रागार से सर्विस रिवाल्वर्स/पिस्टल्स/राइफल्स जारी किए जाते हैं। जब कभी भी आवश्यक समझा जाता है तब संवेदनशील क्षेत्रों/इलाकों में तलाशियों/छापों को क्रियान्वित करने से पहले ऐसी तलाशियों/छापों से संबंधित विभाग के अधिकारियों की सुरक्षा के उपाय के तौर पर पर्याप्त पुलिस सहायता की मांग की जाती है।

तम्बाकू बोर्ड

1012. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तम्बाकू बोर्ड का गठन किस तिथि को किया गया था और इसके उद्देश्य क्या थे;

(ख) यह तम्बाकू बोर्ड देश में विशेषकर बिहार में, तम्बाकू उत्पादकों को किस तरह सहायता कर रहा है;

(ग) क्या तम्बाकू बोर्ड को बंद करने व तम्बाकू में निजी पार्टियों को व्यापार करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) तंबाकू बोर्ड का गठन संसद के एक अधिनियम, तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1957 (1975 का 4) द्वारा किया गया था और यह 1.1.1976 से अस्तित्व में आया था जिसका उद्देश्य संघ के नियंत्रण में वर्जीनियां तंबाकू के उत्पादन और उसकी क्यूरिंग को विनियमित करके तंबाकू उद्योग का विकास करना था।

(ख) बिहार में एफ.सी.वी. का उत्पादन नहीं किया जाता है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मानव संसाधन प्रबंधन समिति

1013. श्री जी.एम. बनातवाला: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए किसी मानव संसाधन प्रबंधन समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निदेश पद क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या है; और

(ङ) इन सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में मानव संसाधन प्रबन्धन के सभी पहलुओं पर सिफारिशें करने के लिए जून, 2000 में गठित भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.), सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों की एक समिति ने वित्त मंत्री को दिनांक 9.10.2000 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है।

(घ) समिति द्वारा की गई सिफारिशों का सार बताते हुए एक विवरण संलग्न है।

(ङ) सिफारिशों की जांच अभी की जानी है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में मानव संसाधन प्रबंधन समिति द्वारा की गई सिफारिशों का सारांश

1. श्रम-शक्ति को कम करने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र के बैंक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, विश्राम (सबैटिकल) योजना लागू कर सकते हैं और सरकार को चाहिए कि वह अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति की अवधि वापस 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने के लिए कदम उठाए।
2. भर्ती नियमों के विरुद्ध अनियत/अस्थायी कर्मचारियों को काम पर लगाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।
3. रख-रखाव/स्वच्छता (सफाई) जैसी सहायक सेवाओं को बाह्य स्रोत को दिया जा सकता है।
4. कार्य के आबंटन तथा कर्मचारी की उत्पादकता संबंधी मानदण्डों की पुनरीक्षा की जाए।
5. अधिकारियों की सीधी भर्ती की आयु 30 वर्ष से घटाकर 28 वर्ष की जाए और उच्चतर शैक्षिक योग्यता/उम्मीदवारों की मध्य प्रबंधन ग्रेड में भर्ती की जाए।
6. वर्तमान के स्केल-I में केवल 25% की बजाए जे.एम.जी. स्केल-I की भर्तियों का 50 प्रतिशत तथा स्केल-II में भर्तियों का 25 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरा जाए।
7. लिपिकीय संवर्ग में स्थानीय भाषा की जांच (अर्हकारी) लागू किया जाए।
8. अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती संबंधी अधिकतम अर्हता को गैर मैट्रिक से बढ़कार मैट्रिक/एस.एस.सी. या इसके समकक्ष किया जाए।
9. कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल-I से शीर्ष कार्यपालक ग्रेड-VII तक की कैरियर प्रोग्रेशन की समयावधि को 25 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष किया जाए और अधिकारी ग्रेड में स्केलों की संख्या में कटौती करके उसे सात से पांच किया जाए।
10. पदोन्नति के लिए फास्ट ट्रैक चैनल लागू किया जाना और ग्रामीण सेवा को प्रोत्साहनोन्मुख बनाना।
11. श्रम-शक्ति का अधिकतम उपयोग करने के लिए ग्राहकों को अतिरिक्त सेवाएं/सुविधाएं प्रदान करना।
12. आधुनिक प्रौद्योगिकी और अपेक्षा के अनुरूप बनाने के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं और कार्यनीति की पुनरीक्षा करना।
13. कार्यनिष्पादन से जुड़े पारितोषिक/प्रोत्साहन और गैर-कार्यनिष्पादन हेतु निवारक के लिए स्थानान्तरण नीति तैयार करना।
14. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की बजाए मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को उपयुक्त आर्थिक सहायता/अनुग्रह राशि प्रदान किया जाना।
15. स्थानान्तरण और नियोजन को व्यापक आधार वाला बनाना।
16. कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रणाली और फार्मों की पुनरीक्षा करना।
17. अनुशासनिक मामलों का तेजी से निपटान।
18. भत्तों और अनुलाभों को बैंक की लाभप्रदता तथा भुगतान करने की क्षमता से जोड़ा जाना चाहिए।
19. एल.टी.सी. मेडिकल सहायता आदि जैसी अनुलाभों के लिए बिलों के आधार पर प्रतिपूर्ति के स्थान पर एकमुश्त राशि का भुगतान।
20. बैंकों को एक से अधिक कार्यपालक निदेशक रखने की अनुमति प्रदान करना।
21. अध्यक्ष/कार्यपालक निदेशकों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करना ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके कि नीतियों और कार्यक्रमों को जारी रखने के उद्देश्य से प्रत्येक नियुक्त व्यक्ति को पर्याप्त लम्बा कार्यकाल प्रदान किया जाना चाहिए।
22. पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात अधिकारियों को दिए जाने वाले विशेष तदर्थ प्रोत्साहन और आवास निर्माण अग्रिम की अधिकतम सीमा को बढ़ाया जाना।

[हिन्दी]

पर्यटन को बढ़ावा

1014. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शन पर पर्यटन से संबंधित धारावाहिक फिल्मों का नियमित रूप से प्रसारण किया जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सिरड़ी-सिंगमापुर, अहमद नगर में चांद बीबी का महल फिल्मों तथा पर्यटकों की रुचि से जुड़े स्थानों/स्मारकों को इसमें शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब से यह कार्यवाही किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम

1015. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को छोटी इकाइयों में बांटने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ये नई इकाइयां किस प्रकार की होंगी तथा उनके वित्त पोषण का जरिया क्या होगा;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों के विचार मांगें हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

आई.एफ.सी.आई. की शेयर पूंजी

1016. **डा. सी. कृष्णन:**
श्री वैको:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में आई.एफ.सी.आई. की शेयर पूंजी कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष आई.एफ.सी.आई. को वास्तविक रूप में कितना नुकसान/लाभ हुआ है;

(ग) क्या गत वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित किया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष आई.एफ.सी.आई. की अनुप्रयोज्य आस्तियां क्या थी;

(च) क्या अस्थाई आंकड़ों के अनुसार अनुप्रयोज्य आस्तियां घट रही हैं या बढ़ रही हैं;

(छ) निकट भविष्य में आई.एफ.सी.आई. को पुनरुत्थान या पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव हैं; और

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) दिनांक 30 सितम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार आई.एफ.सी.आई. की प्रदत्त शेयर पूंजी 1096.45 करोड़ रुपए है जिसमें 639.53 करोड़ रुपए की इक्विटी शेयर पूंजी और 456.92 करोड़ रुपए की अधिमान शेयर पूंजी शामिल है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आई.एफ.सी.आई. का लाभ निम्नलिखित है:-

वर्ष	शुद्ध लाभ (करोड़ रुपए में)
मार्च 1997-98	370.50
मार्च 1998-99	23.50
मार्च 1999-2000	59.37

(ग) और (घ) दिनांक 31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के दौरान आई.एफ.सी.आई. ने इक्विटी शेयरों पर कोई लाभांश घोषित नहीं किया था और अधिमान शेयरों पर ही लागू दर पर लाभांश दिया गया था।

(ङ) और (च) पिछले तीन वर्षों के दौरान आई.एफ.सी.आई. की अनुपयोज्य आस्तियां निम्नलिखित हैं:-

(करोड़ रुपए में)

को समाप्त वर्ष	धनराशि
31 मार्च, 1998	2663.28
31 मार्च, 1999	4257.58
31 मार्च, 2000	4102.55

दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार अनुपयोज्य आस्तियां 31.3.1999 को अनुपयोज्य आस्तियों की तुलना में मामूली कम रही हैं।

(छ) और (ज) आई.एफ.सी.आई. की पुनर्गठन योजना और भावी कार्यनीतियों पर भारतीय स्टेट बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री डी. बसु की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है।

मक्का का आयात

1017. **श्री एच.जी. रामुलू:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में मक्का का आयात किया गया है;

(ख) क्या बड़े पैमाने पर मक्के के आयात से मक्का उगाने वाले किसान प्रभावित हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के हितों की रक्षा हेतु देश में मक्के के आयात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) चालू वर्ष (अप्रैल से जून 2000) के दौरान आयातित मक्का की मात्रा 28,656 रही है।

(ख) से (घ) मक्का के बीजों (दाना) का आयात प्रतिबंधित है जबकि अन्य श्रेणियों की मक्का को आयात हेतु भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) और पी.ई.सी. लिमिटेड के जरिए सरणीकृत किया जाता है। कुक्कुट अथवा पशुओं के चारे के विनिर्माताओं को वास्तविक उपयोक्ता शर्त तथा नैफेड, जो वास्तविक आयातों की निगरानी भी करेगा, के पास आयात संविदा/साख पत्र के पंजीकरण के अधीन रहते हुए लाइसेंस के बिना मक्का का आयात करने की अनुमति प्रदान की जाती है। घरेलू उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से सरकार ने मक्का के आयात पर सीमाशुल्क की लागू दर को 0% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए और हमारी अंतर्राष्ट्रीय बचनबद्धताओं के मद्देनजर सरकार मक्का के आयात को प्रतिबंधित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की खरीद के लिए खरीद केन्द्र

1018. **डा. संजय पासवान:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद के लिए सरकार द्वारा जितनी संख्या में खरीद केन्द्र खोले जाने की घोषणा की गई थी दरअसल उतनी संख्या में ये केन्द्र नहीं खोले जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश भर में कुल कितने खरीद केन्द्र खोले गए हैं; और

(ग) गत एक वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले हैं जिनमें खरीद केन्द्रों पर किसानों को जारी किए गए चेक अमान्य हो गए हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, नहीं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरे देश में खोले गए वसूली केन्द्रों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	रबी मौसम	खरीफ मौसम
1997-98	7615	4803
1998-99	7980	5432
1999-2000	8276	5937
2000-2001	8110	-

(ग) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई घटना नहीं आई है।

[अनुवाद]

शुल्क छूट पास बुक योजना में विसंगतियां

1019. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शुल्क छूट पास बुक योजना में किसी तरह की विसंगतियों का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में निर्यातोन्मुखी इकाइयों व निर्यात संवर्द्धन जोनों से सामानों की खरीद के लिए अनुमति प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) डी.ई.पी.बी. योजना का उद्देश्य निर्यात उत्पाद हेतु आयात की जाने वाली वस्तु पर लगने वाले सीमाशुल्क के प्रभाव को निष्प्रभावी करना है। कुछ ऐसी घटनाएं जानकारी में आई हैं जिनमें निर्यातकों ने निर्यात उत्पाद का अधिक बीजक बनाने अथवा एफ.ओ.बी. मूल्य की अपेक्षा आयातों के अधिक सी.आई.एफ. मूल्य का उपयोग करने का प्रयास किया है। इन घटनाओं को रोकने के लिए कतिपय उत्पादों पर मूल्य संबंधी सीमाएं निर्धारित की गई हैं। इस बात की भी पाबंदी लगाई गई है कि सी.आई.एफ. मूल्य एफ.ओ.बी. मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ग) तथा (घ) जी नहीं। डी.ई.पी.बी. हकदारी का उपयोग आयातों पर सीमाशुल्क के भुगतान के लिए किया जाना है और इसलिए इसका उपयोग निर्यात अभिमुख इकाइयों तथा निर्यात संसाधन जोन से निविष्टियों की खरीद पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को समायोजित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

चीनी मिलों की उत्पादन क्षमता

1020. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की कुछ चीनी मिलों ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये चीनी मिलें कौन-कौन सी हैं; और

(ग) इस आग्रह पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) चीनी उद्योग 11.9.1998 से लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई.ई.एम.) प्रस्तुत करके उद्यमी अपनी चीनी मिलों में विस्तार करने के लिए स्वतंत्र हैं।

31.10.2000 की स्थिति के अनुसार विद्यमान इकाइयों में विस्तार करने के लिए महाराष्ट्र राज्य से 28 आई.ई.एम. प्रस्तुत किए गए थे जबकि मध्य प्रदेश राज्य से कोई आई.ई.एम. प्रस्तुत नहीं किया गया। महाराष्ट्र राज्य में स्थित जिन चीनी मिलों ने आई.ई.एम. प्रस्तुत किए हैं उनके नाम दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

11.9.1998 से चीनी उद्योग को लाइसेंसमुक्त किए जाने के पश्चात् महाराष्ट्र की जिन चीनी मिलों ने अपनी मौजूदा क्षमताओं के विस्तार के लिए आई.ई.एम. प्रस्तुत किये हैं उनके नाम दर्शाने वाला विवरण

(31.10.2000 की स्थिति के अनुसार)

क्रम. सं.	फैक्ट्री का नाम
1	2
महाराष्ट्र	
1.	मैसर्स मानगंगा एस एस के लि., अटपदी, जिला सांगली
2.	श्री छत्रपति साहू एस एस के लि., कागल, जिला कोल्हापुर
3.	श्री सतपुड़ा तापी परिसर एस एस के लि., सहादा, जिला धुले

1	2
4.	श्री संत एकनाथ एस एस के लि., पेथान, जिला औरंगाबाद
5.	श्री चांगदेव शुगर मिल्स लि., शिराला, जिला सांगली
6.	मैसर्स मुला एस एस के लि., सोनाय, जिला अहमदनगर
7.	मैसर्स भोगवती एस एस के लि., बारधी, शोलापुर
8.	मैसर्स हुतात्मा किसान अहीर एस एस के लि., वाल्वा, जिला सांगली
9.	मैसर्स अजिंक्यात्रा एस एस के लि., शेन्द्रे, जिला सतारा
10.	श्री वारना एस एस के लि., वारनानगर, जिला कोल्हापुर
11.	मैसर्स विश्वासराव नायक एस एस के लि., चिखाली, जिला सांगली
12.	श्री दत्ता एस एस के लि., असूरले पुर्ले, जिला कोल्हापुर
13.	गाधिगलाज टीके एस एस के लि., गाधिगलाज, जिला कोल्हापुर
14.	श्री दत्ता शेतकारी एस एस के लि., शिरोल, जिला कोल्हापुर
15.	मैसर्स निफाड एस एस के लि., निफाड, जिला नासिक
16.	दि संजीवनी तकली एस एस के लि., कोपरगांव, अहमदनगर
17.	दि काडवा एस एस के लि., मालेगांव, जिला नासिक
18.	संगमनेर भाग एस एस के लि., संगमनेर, अहमदनगर
19.	मैसर्स मालेगांव एस एस के लि., बारामती, जिला पुणे
20.	मैसर्स इंदापुर एस एस के लि., इंदापुर, पुणे
21.	श्री जगदम्बा एस एस के लि., कारजात, अहमदनगर
22.	श्री गजानन एस एस के लि., गजानन, जिला बीड
23.	मैसर्स राजारामबापू पाटिल एस एस के लि., वाल्वा, सांगली
24.	प्रावरा एस एस के लि., प्रावरानगर, अहमदनगर
25.	मैसर्स जवाहर शेतकारी एस एस के लि., हापड़ी जिला कोल्हापुर
26.	मैसर्स छत्रपति राजाराम एस एस के लि., कसाबा बावड़ा, कोल्हापुर
27.	मैसर्स आदिनाथ एस एस के लि, करमाला, शोलापुर
28.	मैसर्स पांडुरंग एस एस के लि., श्रीपुर, शोलापुर

धान की खरीद

1021. **श्री पुष्प जैन:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान प्रत्येक राज्य में विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा अब तक कितनी मात्रा में धान खरीदा गया है;

(ख) 31 अक्तूबर, 2000 तक विभिन्न गोदामों में कितनी मात्रा में ऐसा धान पड़ा हुआ है जिनकी खरीद दो वर्ष पहले की गई थी;

(ग) 31 अक्तबूर, 2000 तक कितनी मात्रा में ऐसा धान है जो गोदाम में न होकर खुले में पड़ा हुआ है; और

(घ) देश में धान की संग्रह प्रणाली और खाद्यान्नों की खरीद प्रणाली में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें खरीफ विपणन मौसम 1999-2000 और 2000-2001 (21.11.2000 की स्थिति के अनुसार) के दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा धान की राज्यवार वसूली का ब्यौरा दिया गया है।

(ख) 31 अक्तूबर, 2000 की स्थिति के अनुसार पंजाब और हरियाणा के विभिन्न गोदामों में 2.32 लाख टन धान पड़ा है जिसकी वसूली दो वर्ष से अधिक समय पहले की गई थी।

(ग) 31 अक्तूबर, 2000 की स्थिति के अनुसार पंजाब और हरियाणा में 23.46 लाख टन धान खुले गोदामों में पड़ा था।

(घ) पंचवर्षीय योजनाओं में किए गए बजटीय आवंटनों पर निर्भर करते हुए भारतीय खाद्य निगम महत्वपूर्ण स्थानों पर अपने गोदामों का निर्माण करता है। सामान्यतया केन्द्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम, राज्य सरकारों और प्राइवेट पार्टियों से भंडारण क्षमता किराये पर लेकर बढ़ी हुई वसूली के लिए भंडारण आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं।

विवरण

1999-2000 और 2000-2001 खरीफ विपणन मौसमों के दौरान विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा की गई धान की राज्यवार वसूली बताने वाला विवरण

(आंकड़े टन में)

		1999-2000	2000-2001 (21.11.2000 तक)
1.	पंजाब	82,70,373	86,05,710
2.	हरियाणा	3,47,958	13,33,689
3.	उत्तर प्रदेश	61,582	57,228
4.	राजस्थान	24,439	30,232
5.	चण्डीगढ़ (संघ शासित)	17,179	24,547
6.	हिमाचल प्रदेश	-	636
7.	आन्ध्र प्रदेश	-	1,509
8.	मध्य प्रदेश	4,66,928	49,756
9.	महाराष्ट्र	123	6,072
10.	बिहार	1,407	-
	जोड़	91,89,989	101,09,379
	राज्य खाता	13,72,125	5,41,200
	तमिलनाडु	-	-
	सकल जोड़	105,62,114	106,50,579

[अनुवाद]

केरल के वी.एल.पी.टी./एल.पी.टी.

1022. श्री टी. गोविन्दन: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल राज्य में निर्माणाधीन अत्यधिक अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर/अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे केन्द्रों की संख्या कितनी हैं जहां अभी तक कार्य संभव नहीं हुआ है;

(ग) कार्य पूरा करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन कार्यों के कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) केरल में चार अल्प शक्ति/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों की परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

(ख) से (घ) जबकि एक केन्द्र पर ट्रांसमीटर की स्थापना का कार्य पूरा हो चुका है और अन्य दो केन्द्रों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है, चौथे केन्द्र पर कार्य शीघ्र शुरू होने की आशा है। इन परियोजनाओं के 2001 के दौरान पूरा हो जाने की आशा है।

[हिन्दी]

सुपर बाजार की आस्तियां

1023. श्री जय प्रकाश: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुपर बाजार नई दिल्ली की करोड़ों रुपए की आस्तियां अप्रयुक्त पड़ी हुई हैं तथा इनमें से कुछ पर अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन अतिक्रमणों को हटाने हेतु कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) क्या सरकार का विचार सुपर बाजार की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने हेतु सुपर बाजार की इन आस्तियों को जिन पर अतिक्रमण नहीं किया गया है, निकट भविष्य में बेचने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (च) सुपर बाजार की परिसम्पत्तियों अन्य बातों के साथ-साथ स्वामित्व, पट्टा/लाइसेंस आधारित, सांकेतिक प्रतिफल पर कब्जा आदि जैसे विभिन्न श्रेणियों में आती है। राजेन्द्र प्लेस तथा नरेला में स्थित क्रमश: 677.61 वर्ग मी. और 1453.40 वर्ग मी. के दो भूखंडों के फिलहाल अप्रयुक्त पड़े होने की सूचना है। राजेन्द्र प्लेस में स्थित भूखण्ड इस समय मुकदमेबाजी में फंसा है लेकिन उस पर अतिक्रमण नहीं हुआ है। सुपर बाजार कोआपरेटिव स्टोर्स लि. का अपना निदेशक मंडल है, जो किसी भी अतिक्रमण यदि कोई हो, को हटाने और परिसम्पत्तियों का निपटान करने के साथ-साथ उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के हेतु सक्षम है।

बिहार में बैंक का ऋण-जमा अनुपात

1024. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऋण-जमा अनुपात के मुद्दे पर विचार-विमर्श करने हेतु एक उच्च स्तरीय केन्द्रीय दल ने बिहाल का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में बिहार का ऋण-जमा अनुपात सबसे कम है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) ऋण से सम्बन्धित विषयों पर विचार-विमर्श के लिए बिहार से संबंधित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस.एल.बी.सी.) की एक विशेष बैठक जनवरी, 1999 में आयोजित की गई थी जिसमें केन्द्रीय वित्त मंत्री भी उपस्थित थे। इस बैठक में बिहार में उद्योगों से संबंधित समस्याओं पर एक विशेष कृतिक बल तथा राज्य में ऋण प्रवाह को बढ़ाने की परिचालनात्मक समस्याओं पर एक उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। दोनों समितियों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और बैंक उनके द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित कर रहे हैं।

(ग) जी, नहीं। बिहार में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात देश का न्यूनतम ऋण-जमा अनुपात नहीं है।

(घ) बिहार में ऋण के प्रवाह में सुधार लाने के लिए बैंक गम्भीर प्रयास करते रहे हैं और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में समय-समय पर इसमें हुई प्रगति की निगरानी की जा रही है।

[अनुवाद]

निजी चैनलों को सुविधाएं

1025. डा. जसवंत सिंह यादव:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन का विचार तीन निजी चैनलों को नि:शुल्क आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निजी चैनल आधारभूत सुविधाओं के एवज में अपने कार्यक्रम उपलब्ध कराने पर सहमत हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कार्यक्रमों के आधार पर दूरदर्शन को कितने दर्शक प्राप्त होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नही उठते।

स्टैन्डर्ड और पुअर्स द्वारा निर्धारित रेटिंग

1026. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेटिंग एजेंसी "स्टैन्डर्ड एण्ड पुअर्स" ने अपने दृष्टिकोण के अनुसार भारत की दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा की रेटिंग को "सकारात्मक" स्तर से हटाकर "स्थिर" स्तर पर कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उक्त एजेंसी द्वारा उद्धृत कथन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) स्टैन्डर्ड एण्ड पुअर्स, संयुक्त राज्य अमरीका (एस.एण्ड पी.) ने अक्तूबर, 2000 में भारत की विदेशी मुद्रा सार्वभौम उधार दर्जा निर्धारण की समीक्षा की और दर्जा "ख ख" पर रखते हुए दीर्घावधिक विदेशी मुद्रा दर को धनात्मक से स्थिर रखते हुए अपने दृष्टिकोण को संशोधित किया है।

स्टैन्डर्ड एण्ड पुअर्स ने सूचित किया है कि "दृष्टिकोण में संशोधन आर्थिक सुधारों की गति को बढ़ाने में सरकार की असमर्थता पर आधारित है"। स्टैन्डर्ड एण्ड पुअर्स द्वारा पुन: कहा गया था कि जहां उदार विदेशी निवेश नियमों सहित निरन्तर सुधार को सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की गति बनाई रखनी चाहिए वहीं बेहतर ऋण स्थिति राजकोषीय घाटों को कम करने पर निर्भर करती है।

दृष्टिकोण के इस संशोधन से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ की शाखाएं

1027. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ की कितनी शाखाएं कार्य कर रही हैं;

(ख) इनमें कार्य कर रहे कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ग) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ ने अपने कर्मचारियों के लिए कौन सी स्थानांतरण नीति अपनाई है;

(घ) एक वर्ष पूरा होने पर भी किन कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया गया है; और

(ङ) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ की बिक्री और खरीद संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लि. एक स्वायत्व सहकारी समिति है। अपने कारोबार तथा अन्य प्रशासनिक मामलों में निर्णय लेने के लिए इसका अपना निदेशक मंडल है। राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार वे 16 शाखाएं, 14 उप शाखाएं और 2 औद्योगिक इकाइयां चला रहे हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों में अवस्थित हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ में काम कर रहे कुल कर्मचारियों की वर्गवार संख्या इस प्रकार है:-

1.	प्रबंधक और उससे ऊपर	14
2.	उपप्रबंधक और सहायक प्रबंधक	136
3.	फील्ड अधिकारी/उच्च श्रेणी लिपिक/ अवर श्रेणी लिपिक	356
4.	ड्राइवर, दफ्तरी, चपरासी आदि	98
	योग	604

(ग) और (घ) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की कोई विशेष तबादला नीति नहीं है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ में कर्मचारियों का तबादला प्रशासकीय आवश्यकताओं और कारोबार को ध्यान में रखते हुए किया जाता है और आमतौर पर कर्मचारियों का वार्षिक आधार पर तबादला नहीं किया जाता है।

(ङ) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा जिन वस्तुओं का व्यापार किया जाता है उनकी खरीदारी करने के मामले में अलग-अलग नीतियां है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा जिन वस्तुओं का व्यापार किया जाता हैं उन्हें मोटे तौर पर किराना, आम पण्य वस्तुओं, कपड़ा, जल्दशुदा वस्तुओं, निर्यात तथा प्रसंस्करण इकाइयों में उपयोग के लिए अधिप्राप्त की गई वस्तुओं की श्रेणियों में बांटा जा सकता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को इन वस्तुओं को प्रतिस्पर्धी दरों पर बेचना होता है। क्रय मूल्य पर इसका मार्जन 1% से 5% तक अथवा सरकार द्वारा लेवी चीनी के वितरण के संबंध में यथा अनुमोदित लागत ढांचे पर बदलता रहता है।

[हिन्दी]

बिहार में पेय जल परियोजनाएं

1028. श्री राजो सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार बिहार में पेय जल परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार को बिहार से पेय-जल परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता लेने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आधारभूत विकास हेतु विश्व बैंक से ऋण

1029. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने देश की आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु कुछ राशि स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने कर्नाटक राज्य की आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु सहायता स्वीकृत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विश्व बैंक सहायता से देश के विभिन्न राज्यों में आधारभूत सुविधाओं के विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां। विश्व बैंक द्वारा कुल मिलाकर 13 चल रही आधारभूत परियोजनाओं को, जिनका कुल ऋण मूल्य 2577.02 मिलियन अमरीकी डालर है अनुमोदित किया गया है।

(ख) इसमें आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, प. बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और बिहार राज्य शामिल हैं।

(ग) और (घ) नहीं। तथापि, कर्नाटक को 13 अन्य राज्यों सहित सड़कों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए तकनीकी सहायता परियोजना में शामिल किया गया है।

(ङ) सरकार एक स्थापित प्रणाली और प्रक्रियाओं के अनुसार केन्द्रीय क्षेत्र और राज्य क्षेत्रों में विभिन्न आधारभूत विकास परियोजनाओं को निष्पादित करती है और उनको मानीटर करती है। सहायता देने वाले स्रोतों में विश्व बैंक सहायता भी ऐसा स्रोत है जिससे आधारभूत ढांचे जैसे कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाता है। विश्व बैंक की सहायता से उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित राज्यों के लिए स्वीकृत परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

राज्य के स्वामित्व वाली तेल कंपनियों का विनिवेश

1030. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:**
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे को समाप्त करने हेतु राज्य के स्वामित्व वाली तेल कंपनियों में पुन: संरचना और इक्विटी की बिक्री के माध्यम से 2000 करोड़ रुपए जुटाने में अंतत: असफल रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में प्रस्तावित पुन: संरचना योजना के मुख्य बिन्दु क्या-क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, नहीं। राज्यों के स्वामित्व वाली तेल कम्पनियों में पुनर्संरचना और इक्विटी की बिक्री की प्रक्रिया समय-समय पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसरण में क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) अकेले खड़े तेल कारखानों की दीर्घ कालीन व्यवहार्यता में सुधार लाने के उद्देश्य से और पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के बीच परस्पर व्यापार सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने सितम्बर 2000 में अनुकूल सहयोगियों के माध्यम से पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की निम्नलिखित पुनर्संरचना का अनुमोदन किया है:-

(1) भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) कोची रिफाइनरी लिमिटेड (के.आर.एल.) में भारत सरकार की 55.04 प्रतिशत की समस्त शेयर धारिता को खरीदेगी और कोची रिफाइनरी लि. को अपनी सहायक कम्पनी बनाएगी।

(2) भारतीय तेल निगम लि. चेन्नई पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि. में भारत सरकार की 52.5 प्रतिशत और बोंगाईगांव रिफाइनरी एवं पैट्रोलियम लि. में 74.46 प्रतिशत की समस्त शेयरधारिता को खरीदेगी और उन्हें अपनी सहायक कंपनियां बनाएगी।

(3) बी.पी.सी.एल. आई.बी.पी. से नुमालीगढ़ रिफाइनरी की इक्विटी के 19 प्रतिशत का क्रय करेगी और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. को अपनी सहायक कम्पनी बनाएगी।

(4) तेल इन्डिया लि. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. के इक्विटी पूंजी के अपूर्वकृत हिस्से से नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. की इक्विटी के 10 प्रतिशत की खरीद करेगी; और

(5) के.आर.एल., सी.पी.सी.एल. बी.आर.पी.एल. और एन.आर.एल. में सरकार की शेयरधारिता की बिक्री के लिए शेयरों का मूल्य निर्धारण, वित्त मंत्रालय के परामर्श से पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय द्वारा किया जाएगा। कीमतों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

धान की बिक्री में अपेडा की भूमिका

1031. **श्री विनय कुमार सोराके:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब में धान के किसानों की परेशानी को दूर करने हेतु अपेडा द्वारा क्या भूमिका निभाई जा रही है;

(ख) क्या पंजाब के किसानों के पास वर्तमान चावल के भंडार में से कुछ हिस्से का उपयोग त्वरित निर्यात कार्यक्रमों के लिए किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) एपीडा का कार्य मुख्य रूप से उसके अनुसूचित उत्पादों और उसे निर्दिष्ट किए गए अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात का विकास और संवर्द्धन करना है। इसलिए घरेलू बाजार में चावल के स्टॉक को उठाने/उसका निपटान करने में एपीडा की भूमिका नगण्य है जिससे पंजाब में धान के किसानों की परेशानी दूर हो सके।

(ख) और (ग) एग्जिम नीति के अनुसार, चावल का निर्यात एपीडा के पास पंजीयन के अधीन रहते हुए मुक्त है। चावल का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय मांग और आपूर्ति की स्थिति, घरेलू मांग और आपूर्ति की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कीमतों, उपभोक्ता अधिमानों तथा बेची गई किस्मों पर निर्भर करेगा। तथापि, चावल के निर्यात के बारे में कोई त्वरित एवं मुकम्मल कार्यक्रम नहीं है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों का पाटा जाना

1032. **श्री पी.आर. खुंटे:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई आयात-निर्यात नीति, 2000-2001 के मद्देनजर प्राकृतिक रबड़, नारियल तथा अन्य नगदी फसलों जैसे उत्पादों के संरक्षण हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी कृषि उत्पादों के पाटे जाने को रोकने हेतु कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (घ) 31.3.2000 को घोषित एग्जिम नीति के परिवर्तनों में कृषिजन्य उत्पादों जैसे रबड़ नारियल तेल, अनाज दालें, चाय और काफी आयात नीति के बारे में कोई परिवर्तन नहीं किए गए थे। रबड़ का आयात प्रतिबंधित है और सन् 1996 से इसके आयात की अनुमति विशेष आयात लाइसेंस (एस.आई.एल.) की सुपुर्दगी पर दी जाती है। सार्क से भिन्न देशों से सूखे हुए नारियल से भिन्न नारियल का आयात प्रतिबंधित है। कोपरा और नारियल के तेल के आयात का सरणीयन स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि. और हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल कारपोरेशन लि. के जरिए किया जाता है।

सरकार टैरिफ तंत्र के समुचित उपयोग के जरिए यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्णरूप से कृतसंकल्प है कि आयातों से घरेलू कृषकों को क्षति अथवा नुकसान नहीं पहुंचता है। इस उद्देश्य के लिए सरकार ने उन अनेक कृषिजन्य मदों पर शुल्कों में वृद्धि कर दी है जिनके आयातों में वृद्धि देखी गई है अथवा वृद्धि होने की आशंका है। उदाहरणार्थ, सुपारी पर यह शुल्क 35 प्रतिशत से बढ़कर 100 प्रतिशत, कुक्कुट उत्पादों पर 35 प्रतिशत से 100 प्रतिशत, गेहूं पर 0 प्रतिशत से 50 प्रतिशत, स्किम्ड दुग्ध पाउडर पर 0 प्रतिशत से 60 प्रतिशत, सेब पर 35 प्रतिशत से 50 प्रतिशत, चावल पर 0 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। खाद्य तेलों के आयात को विनियमित करने हेतु 21 नवम्बर, 2000 को इन पर सीमाशुल्कों में ऊर्ध्वगामी संशोधन किए गए हैं। इससे घरेलू तिलहलों के उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण मिलना चाहिए। डब्ल्यू.टी.ओ. में अधिकांश कृषिजन्य मदों के लिए भारत की टैरिफ दरें काफी अधिक हैं और सीमाशुल्क की प्रभावी दरों को उस स्थिति में उन स्तरों तक बढ़ाया जा सकता है यदि आयातों में पर्याप्त वृद्धि का कोई साक्ष्य मौजूद हो।

चीनी सामान का पाटा जाना

1033. **मोहम्मद शहाबुद्दीन:**
श्री रघुनाथ झा:
श्री रामचन्द्र बैंदा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन द्वारा निर्मित घरेलू सामान को स्वदेशी सामान की तुलना में भारतीय बाजार में सस्ते दामों में बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत का व्यापारी वर्ग घरेलू बाजार में ऐसे समान की भारी मांग के मद्देनजर चीनी सामान का वैध या अवैध रूप से आयात करने पर मजबूर है;

(ग) यदि हां, तो क्या चीनी उत्पादों के पाटे जाने के कारण घरेलू उद्योग बंद होने के कगार पर हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या चीन विश्व व्यापार समझौता संगठन का सदस्य होने के बावजूद भारत को वैध या अवैध तरीके से सामान निर्यात कर रहा है;

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(च) चीन द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत को निर्यात किए गए/निर्यात की जा रही मदें क्या-क्या हैं तथा भारतीय उद्योगों पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे;

(छ) चीन के ऐसे सस्ते सामान के निर्यात में लगे व्यापारियों/आयातकर्त्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है; और

(ज) भारत के लघु उद्योगों के हितों के सुरक्षोपायों हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) चीन से सस्ते उपभोक्ता वस्तुओं के आयातों में होने वाली गलत व्यापार कार्यों के संबंध में सरकार को सूचना प्राप्त हुई है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होती है।

(घ) से (ङ) यह तथ्य कि चीन विश्व व्यापार का सदस्य नहीं है, इससे उसे भारत के साथ व्यापार करने से रोका नहीं जा सकता।

(च) वर्ष 1998-99 से चीन से आयात की गई वस्तुओं की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	वस्तु की श्रेणी	मूल्य (करोड़ रुपये में)		
		1998-99	1999-2000	2000-2001 (अप्रैल-जुलाई)
1.	भेषज, रसायन और पैट्रो-रसायन	1405.13	1412.52	507.46
2.	मशीनरी, इलैक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य उपकरण	1104.15	1202.81	454.64
3.	धातुएं, खनिज तथा अयस्क	228.25	1210.00	379.01
4.	फैब्रिक्स एवं संबद्ध मदें	500.10	672.90	165.62
5.	कृषि उत्पाद	63.49	290.54	64.02
6.	अन्य	391.53	252.28	147.28
	कुल जोड़	4424.70	5041.05	1718.03

(छ) और (ज) सरकार द्वारा नियुक्त किए गए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9क, 9ख और 9ग के तहत भारत में पाटनरोधी जांच शुरू की है। पाटनरोधी नियमों के अनुसार, पाटनरोधी जांच की शुरूआत तब की जाती है जब घरेलू उद्योग आयातित वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग की क्षति के बीच पाटन, क्षति तथा कारणात्मक संबंध का प्रथम दृष्टया साक्ष्य निर्दिष्ट प्राधिकारी को पूरी तरह से प्रलेखित याचिका दायर करता है। तथापि, 1995 के सीमाशुल्क टैरिफ नियमावली के नियम 5(4) के तहत, निर्दिष्ट प्राधिकारी स्व:प्रेरणा से जांच शुरू तभी करते हैं जब उन्हें सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत नियुक्त किए गए सीमाशुल्क समाहर्त्ता से प्राप्त सूचना से संतुष्ट होते हैं अथवा किसी अन्य स्रोत से जिसमें विदेशी वस्तुओं, घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति तथा दोनों के बीच कारणात्मक संबंध में बारे में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हो।

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय ने चीन के विरुद्ध 25 मामलों में अंतिम शुल्क लगाने की सिफारिश की है। चीन के विरुद्ध 3 मामलों में अनंतिम शुल्क लगाने की सिफारिश की है और चीन के विरुद्ध 6 मामलों में प्रारंभिक निष्कर्षों की जांच चल रही है। इन 6 मामलों में से निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 3 मामलों अर्थात् ड्राई बैटरी, टॉएज और स्पार्ट्स शूज में स्व: प्रेरणा से जांच शुरू की है।

[अनुवाद]

अमेरिका को वस्त्र निर्यात पर शुल्क संरचना

1034. **श्री राम मोहन गाड्डे:**
श्री हन्नान मोल्लाह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका को वस्त्र निर्यात संबधी शुल्क संरचना वर्तमान में बहुत जटिल है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार शुल्क संरचना की समीक्षा करना तथा इसे आसान बनाना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले विभिन्न किस्मों के वस्त्रों पर वर्तमान शुल्क दर क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं। टेक्सटाइल उत्पादों के निर्यात पर कोई निर्यात शुल्क नहीं लगता है।

(ख) से (घ) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

नए दूरदर्शन चैनलों का आरम्भ किया जाना

1035. **श्री के.पी. सिंह देव: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के समक्ष वर्तमान डी.डी. 1, डी.डी. न्यूज तथा डी.डी. वर्ल्ड के अतिरिक्त कुछ नए चैनलों के आरंभ करने संबंधी प्रस्ताव विचारार्थ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन्हें कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(ग) अन्य विदेशी टी.वी. चैनलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने हेतु दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन के डी.डी. 1, डी.डी. 2, डी.डी. (समाचार), डी.डी. खेल और डी.डी. (वर्ल्ड) पांच प्रमुख चैनल हैं। इनके अतिरिक्त उसके 15 क्षेत्रीय भाषा चैनल और एक शैक्षिक चैनल (ज्ञान दर्शन) है। मौजूदा चैनलों से अलग नए चैनल शुरू करने के लिए सरकार के विचारार्थ कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कार्यक्रमों की विषयवस्तु निरूपण और निर्माण महत्व का नियमित रूप से पूर्वदर्शन किया जाता है और अपेक्षित परिवर्तन किये जाते हैं। प्रसारण से पहले, प्रत्येक कार्यक्रम का उसकी तकनीकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पूर्वदर्शन भी किया जाता है। प्रसारण गुणवत्ता की रोज समीक्षा की जाती है और जब भी कोई कमी नजर आती है, उसके सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

कम विकसित/विकासशील देशों को खाद्यान्न

1036. **श्री बसुदेव आचार्य: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना देश के गोदामों में अतिरिक्त खाद्यान्नों को विश्व के खाद्यान्नों की कमी वाले कम विकसित तथा विकासशील देशों को देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) सरकार ने निर्णय लिया है कि वह उसके पास उपलब्ध अधिशेष स्टाक से गेहूं का निर्यात करेगी।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्यात के लिए गेहूं उस मूल्य पर उपलब्ध कराएगा जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य से कम नहीं होगा। फिलहाल गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य 4150/- रुपये प्रति टन है।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कारपोरेशन लि. को बन्द किया जाना

1037. **श्री बृजलाल खाबरी:**
श्री भीम दाहाल:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कारपोरेशन लि. को बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कम्पनी द्वारा पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान अर्जित किये गये लाभ एवं उठाई गई हानि का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्तमान में कम्पनी में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त कम्पनी के कर्मचारियों के समक्ष स्वैच्छिक सैवानिवृत्ति योजना का प्रस्ताव रखने का निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कारपोरेशन 1991-92 से हानियां उठा रहा है। औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड ने हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कारपोरेशन को एक रुग्ण औद्योगिक कम्पनी घोषित किया है। सरकार ने औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड को सूचित किया है कि वह हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कारपोरेशन को पुनरुज्जीवित करने/पुनर्स्थापित करने के प्रयास को व्यवहार्य नहीं समझती है और हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कारपोरेशन के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक पृथक्करण योजना की पेशकश की गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में हुई हानि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	हानि (करोड़ रुपये में)
1997-98	28.23
1998-99	07.69
1999-2000	26.30 (अनंतिम)

(घ) 15.11.2000 की स्थिति के अनुसार इस कम्पनी में 1391 कर्मचारी काम कर रहे थे।

(ङ) से (छ) सरकार ने निर्णय लिया है कि लोक उद्यम विभाग द्वारा अधिसूचित पैटर्न के आधार पर निगम के कर्मचारियों को स्वैच्छिक पृथक्करण योजना की पेशकश की जाए। इन प्रयोजन के लिए हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कारपोरेशन को 75 करोड़ रुपये का गैर-योजना ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

[अनुवाद]

पामोलीन का आयात

1038. **श्री वरकला राधाकृष्णन:**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा:
श्री के. मुरलीधरन:
श्री आर.एस. पाटिल:
श्री पी.सी. थामस:
श्री जार्ज ईडन:
श्री सुरेश रामराव जाधव:
डा. जसवन्त सिंह यादव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितनी मात्रा में और किन देशों से पामोलीन का आयात किया गया है और ऐसे आयात के क्या कारण हैं;

(ख) क्या पामोलीन तेल के आयात से कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के तेल उत्पादकों में असंतोष व्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को देश के तेल उत्पादकों और नारियल उत्पादकों के हितों की रक्षा के के लिए पामोलीन के आयात पर भारी प्रशुल्क लगाने के खिलाफ कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (च) 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान पामोलीन की आयात की गई कुल अनुमानित मात्रा क्रमश: 14.70 लाख टन, 26.77 लाख टन और 22.14 लाख टन है। भारत को पामोलीन उपलब्ध कराने के लिए मलेशिया मुख्य निर्यातक रहा है। आयात का मुख्य कारण घरेलू उत्पादन और खाद्य तेलों की मांग में कमी होना है।

खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, इन अभ्यावेदनों को ध्यान में रखे हुए, खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को 20 और 21 नवम्बर, 2000 को संशोधित कर दिया गया है।

सुपर बाजार/एन.सी.सी.एफ. में भ्रष्टाचार

1039. **श्री प्रभुनाथ सिंह:**
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री 4 मई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5992 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुपर बाजार के उप महाप्रबंधक के खिलाफ प्रत्येक मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) उप महाप्रबंधक के खिलाफ क्या कार्यवाही शुरू की गई है;

(ग) क्या नेशनल कोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.सी.सी.एफ.) में भ्रष्टाचार के कुछ मामलों की सूचना सरकार को प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा आपूर्तिकर्त्ताओं और एन.सी.सी.एफ के अधिकारियों की सांठ-गांठ को तोड़ने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या एन.सी.सी.एफ. की नीति ऐसे आपूर्तिकर्त्ताओं से ब्रांड मदों की आपूर्ति कराने की अनुमति नहीं देने की है जिनके पास विनिर्माताओं का अनुमोदन प्रमाणपत्र और इन मदों को अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचने की अनुमति नहीं है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या उस सरकारी आदेश को वापिस लिए जाने का कोई प्रस्ताव है जिसमें एन.सी.सी.एफ. को सरकारी विभागों में लेखन सामग्री और अन्य मदों की आपूर्ति की अनुमति दी गई थी; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) एक मामले में जांच पूरी होने के बाद यह निर्णय किया गया कि सुपर बाजार को हुई हानि की वसूली का दंड लगाया जाए। अन्य दो मामलों में जांच चल रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) 30 सितम्बर, 2000 को समाप्त तिमाही के अंत में राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के सतर्कता सैल द्वारा तीन मामलों की जांच की जा रही थी और दो मामलों की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही थी। छः मामलों में राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के सतर्कता सैल द्वारा संघ के विभिन्न अधिकारियों के विरुद्ध बड़ा दंड देने की कार्रवाई शुरू की गई थी, जिनमें से तीन मामलों को अब अंतिम रूप दे दिया गया है। तथापि, ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिससे आपूर्तिकर्ताओं तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के अधिकारियों के बीच किसी सांठ-गांठ का पता चलता हो।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ अब सभी प्रमुख ब्रांड वाली मदें अपने यहां रजिस्टर्ड विनिर्माताओं/वितरकों/डीलरों से खरीदता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के पास पंजीकृत वितरकों/डीलरो के पास संबंधित ब्रांड वाली मदों का व्यापार/आपूर्ति करने के लिए उपयुक्त प्राधिकार है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ सरकारी विभागों को अनेक वस्तुएं सप्लाई करता है, जिनमें से कुछेक को ही अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचा जा सकता है, हालांकि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की नीति वस्तुओं की आपूर्ति उचित तथा प्रतिस्पर्द्धी दरों पर करने की है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की दरें 30 दिन तक की अवधि तक उधार की सुविधा के साथ गंतव्य पर वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय भाषाओं में समाचारों का प्रसारण

1040. **श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली दूरदर्शन से फिलहाल कौन-कौन सी भाषाओं में समाचार बुलेटिन प्रसारित होते हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा दिल्ली दूरदर्शन से क्षेत्रीय भाषाओं में भी समाचार प्रसारित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सभी क्षेत्रीय भाषाओं में समाचारों के प्रसारण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) दिल्ली दूरदर्शन से हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू तथा संस्कृत में समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राज्यों की राजधानियों में स्थित दूरदर्शन केन्द्रों से क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार बुलेटिन प्रसारित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

दूरदर्शन टावरों से प्रसारण शुरू किया जाना

1041. **श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई स्थानों पर निर्मित दूरदर्शन टावरों से अभी प्रसारण चालू नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या विदर्भ के कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर केवल 4 से 5 घंटे का ही प्रसारण करते हैं और इनसे पूरे दिन प्रसारण नहीं किया जा सकता; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) चौबीस ट्रांसमीटर संस्थापन पूरा करने के बाद शुरू किए जाने के लिए तकनीकी रूप से तैयार हैं। इन ट्रांसमीटरों का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

आंध्र प्रदेश-6, बिहार-1, छत्तीसगढ़-1, जम्मू और कश्मीर-2, झारखण्ड-1, केरल-2, मिजोरम-1, उड़ीसा-1, राजस्थान-2, तमिलनाडु-2, त्रिपुरा-2, उत्तर प्रदेश-2, पश्चिमी बंगाल-1

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आवश्यक स्टाफ को तैनात करने और इन ट्रांसमीटरों को शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है।

(घ) विदर्भ क्षेत्र में सभी अल्प शक्ति ट्रांसमीटर पूरा प्रसारण रिले कर रहे हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नई आयात-निर्यात नीति का निर्यात पर प्रभाव

1042. **श्री जयभान सिंह पवैया:**
श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई आयात-निर्यात नीति का हमारे निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) 1 अप्रैल, 2000 से आज तक विभिन्न सैक्टरों से किए गए निर्यात का मूल्य कितना है;

(ग) क्या एक समान मुद्रा वाले देशों को हुए निर्यात में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) संशोधित एक्जिम नीति (आर.ई.-2000), 1997-2000 दिनांक 31.3.2000 को अधिसूचित की गई थी जिसमें सरकार ने निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की थी। इनमें शामिल है:- विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना करना; मौजूदा निर्यात संवर्धन योजनाओं (ई.पी.सी.जी. एवं शुल्क छूट/माफी योजना) को युक्तिसंगत बनाना; गुणवत्ता/ ब्रांड युक्त वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना; क्रियाविधिक सरलीकरण, निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण, विभिन्न पत्तन कार्यालयों में आवेदनों की इलैक्ट्रॉनिक फाइलिंग की सुविधा के जरिए निर्यातकों और सरकारी संगठनों के बीच संपर्क को कम करना। अप्रैल-सितंबर, 2000 के दौरान डालर के रूप में निर्यातों में 22.04 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में रुपए के रूप में अप्रैल-सितम्बर, 2000 के दौरान 26.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई थी।

(ख) से (घ) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-मार्च, 1999 की तुलना में अप्रैल-मार्च, 2000 के दौरान कुछ प्रमुख क्षेत्रों में निर्यातों में हुई वृद्धि निम्नानुसार है:-

उत्पाद	अप्रैल-मार्च 1999 (मिलियन अमरीकी डालर में)	अप्रैल-मार्च 2000 (मिलियन अमरीकी डालर में)
रसायन एवं संबद्ध उत्पाद	4164.81	4734.63
इंजीनियरिंग सामान	3804.83	4372.55
वस्त्र	8322.77	9253.36
रत्न एवं आभूषण	5929.35	7636.04
हस्तशिल्प	633.11	670.29
कालीन	543.54	606.39
समुद्री उत्पाद	1038.39	1180.11

(ङ) सरकार का प्रस्ताव निर्यात सौदों के समय और उनकी लागत में कमी करना तथा इलैक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज की शुरूआत करके क्रियाविधियों का सरलीकरण करने का है।

[अनुवाद]

नई आयात-निर्यात नीति

1043. श्री होलखोमांग हौकिप:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक नई आयात-निर्यात नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इन नीति की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं;

(ग) प्रत्येक सैक्टर में विश्व व्यापार सगंठन के साथ हमारी वचनबद्धताओं/समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इन वचनबद्धताओं/समझौतों को पूरा करने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) हमारे उद्योग/अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(च) सरकार द्वारा अपने उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, हां। संशोधित एक्जिम नीति (आर.ई.-2000), 1997-2000 दिनांक 31.3.2000 को अधिसूचित की गई थी जिसमें सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न कदमों की घोषणा की है। इनमें ये शामिल हैं—विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना करना, मौजूदा निर्यात संवर्धन योजनाओं (ई.पी.सी.जी. तथा शुल्क छूट/कमी योजना) को तर्कसंगत बनाना, गुणवत्ता वाले/ब्रांडिड के निर्यात को बढ़ावा देना, प्रक्रियात्मक सरलीकरण, निर्णय लेने का विकेन्द्रीकरण तथा विभिन्न पत्तन कार्यालयों में आवेदनों की इलैक्ट्रानिक फाइलिंग की सुविधा के माध्यम से निर्यातकों तथा सरकारी संगठनों के बीच कार्य को कम करना।

(ग) से (ङ) उरूग्वे दौर की वार्ताओं के पश्चात् तथा इसके परिणामों को मूर्त रूप देते हुए अंतिम करार पर हस्ताक्षर करके भारत डब्ल्यू.टी.ओ. तथा कृषि, वस्त्र सेवा व्यापार संबंधित निवेश उपायों तथा व्यापार से संबंधित बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित करारों सहित कई संबद्ध करारों को स्थापित करते हुए माराकेश करार का एक पक्ष बन गया।

विभिन्न करारों को क्रियान्वित करने के लिए अनुवर्ती कदम उठाए गए हैं। जहां भी आवश्यक समझा गया है वहाँ हमारी वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए नियम बनाए गए हैं अथवा वे विचार किए जाने की प्रक्रियाधीन हैं। कुछ मामलों में क्रियान्वयन अवधि 2005 तक की है।

उरूग्वे दौर करार डब्ल्यू.टी.ओ. के सदस्यों द्वारा सहमत अधिकारों और छूटों के संतुलन को प्रदर्शित करता है। बढ़ी हुई बाजार पहुँच, और अधिक व्यापार उदारीकरण, व्यापार उपायों का अधिक अनुशासनीकरण तथा बढ़ा हुआ पूर्वानुमान करना उरूग्वे दौर के करार की कुछ विशेषताएं हैं।

(च) देश में आयात सीमाशुल्कों की लागू दरों के अधीन होते हैं और वे घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं के लिए लागू घरेलू कानूनों, नियमों, आदेशों, अधिनियमों, तकनीकी विनिर्देशनों, पर्यावरणिक एवं सुरक्षा संबंधी मानदंडों के अधीन होते हैं। इन उपायों से घरेलू उद्योग को पर्याप्त सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, आयातों की कड़ी निगरानी रखी जा रही है और सरकार टैरिफ तंत्र के समुचित इस्तेमाल के जरिए यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़संकल्प है कि आयातों से घरेलू उद्योग को कोई गंभीर हानि/क्षति न पहुँचे।

भुगतान में विलम्ब

1044. श्री पवन कुमार बंसल:
श्री नरेश पुगलिया:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रसार भारती को उन कम्पनियों की सूची प्रकाशित करने के लिए कहा है, जिन पर भुगतान बकाया है और जिन्हें अब भी कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कम्पनी पर कार्यक्रम-वार कितनी-कितनी राशि कब से बकाया है;

(ग) भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) इन चूककर्ताओं के कारण इस सार्वजनिक प्रसारण संस्था को कितनी हानि हुई है; और

(ङ) सरकार द्वारा बकाया राशि की वसूली के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) सरकार ने चूककर्ता कम्पनियों की सूची प्रकाशित करने के लिए प्रसार भारती को कोई निर्देश नहीं दिया है। प्रसार भारती ने देयों की वसूली की मानीटरिंग के प्रयोजनार्थ स्वयं ही इस प्रकार की एक सूची बनायी है। दूरदर्शन और आकाशवाणी से संबंधित इस प्रकार की सूची की एक प्रति क्रमश: संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दी गई है।

(ग) सामान्यतया, भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए एजेंसियों द्वारा दिया गया कारण यह है कि उन्हें अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रसार भारती को बकाया देय वसूल किए जाने की आशा है। इसलिए अभी तक प्रसार भारती को कोई घाटा नहीं निर्धारित किया जा सकता।

(ङ) देयों की वसूली हेतु प्रसार भारती द्वारा उठाए गए कदमों में देयों की नियमित मानीटरिंग, सामान्य आकलन अवधि का निलम्बन, अग्रिम भुगतान के लिए आग्रह, चूककर्ता कम्पनियों का अ-प्रत्यायन, कानूनी और मध्यस्थता की कार्रवाई शामिल है।

विवरण-I

15.11.2000 की स्थिति के अनुसार विभिन्न निजी निर्माताओं/एजेंसियों पर दूरदर्शन का बकाया देय

क्र.सं.	एजेन्सी का नाम	बकाया मूल धन (15.11.2000 की स्थिति के अनुसार) (लाख रुपयों में)
1	2	3
1.	आलिया प्रोडक्शंस	60
2.	ए.बी.सी.एल.	1982
3.	एड फैक्टर एडवर्टाइजिंग	7
4.	एडवान्स टी.वी. नेटवर्क	248
5.	आनन्द एडवर्टाइजिंग	140
6.	ए.पी.सी.ए.	57
7.	बी.वाई. पाध्या	13
8.	बालाजी टेलीफिल्म्स	16
9.	बैग फिल्म्स	16
10.	बिधान एडवर्टाइजिंग	11
11.	चैत्र एडवर्टाइजिंग	3
12.	सिनेमा विजन	18
13.	क्लैरिआन एडवर्टाइजिंग	17
14.	कन्सैप्ट एडवर्टाइजिंग	208
15.	कन्ट्रैक्ट एडवर्टाइजिंग	10
16.	कॉपी डैस्क	20
17.	कोर्म कम्यु.	21
18.	क्रेयांन एडवर्टाइजिंग	6
19.	क्रिएटिव आई	539
20.	डाउनमोड एडवर्टाइजिंग	506
21.	दृष्टि इंडिया	350
22.	इन्टरप्राइज एडवर्टाइजिंग	20

1	2	3
23.	एवरेस्ट एडवर्टाइजिंग	20
24.	फिल्म क्राफ्ट	239
25.	फर्स्ट ओप्सन टेलीफिल्म्स	36
26.	फ्यूचर कम्यु.	14
27.	ग्लोबल इन्टरटेनर	51
28.	जी.एन. कम्यु.	25
29.	गुरुजी एडवर्टाइजर्स	150
30.	एच.टी.ए.	50
31.	हंसा विजन	108
32.	इन्नोविजन फिल्म एंड टी.वी. डिस्ट.	25
33.	जेटियार पब.	25
34.	जया एडवर्टाइजिंग	54
35.	जॉस्टिलन कम्यु.	42
36.	किने स्कॉप	70
37.	के.एल.आई.	19
38.	लहर पब्लिसिटी सर्विस	24
39.	मां बोजेल	7
40.	मैग्ना विजन	108
41.	मार्केट मूवर्स	329
42.	मैजिक बॉक्स	14
43.	माया इन्टरटेन्मेन्ट	140
44.	एम.बी.ए.	222
45.	मीलडिया एशिया	146
46.	मल्टी चैनल	1500
47.	नेशनल सेविंग ऑर्गेनाइजेशन	2
48.	मौलिस एडवर्टाइजिंग	14
49.	रा.बा.चि. समिति, भारत	11
50.	नीरजा फिल्म्स	40
51.	एन.एफ.डी.सी.	6303
52.	निम्बस कम्यु.	612
53.	न्यूमेरो यू.एन.ओ.	219
54.	पी.एन.सी.	250
55.	पास इन्टरनेशनल	73
56.	ऐन "ए" ट्रेट	4
57.	प्लस चैनल	1205
58.	प्रेमिनेन्ट	72
59.	प्राइम टाइम मीडिया	52
60.	राधा पब्लिसिटी	18
61.	आर.के. स्वामी	10
62.	रीजनेबल एडवर्टाइजिंग	30
63.	सागर इन्टरप्राइजिज	244
64.	सम्वाद वीडिया	31
65.	श्री माधव	1230
66.	स्ट्राकॉन	48
67.	ट्रीटॉन कम्यु.	68
68.	यूनीवर्सल	88
69.	यूरानस	30
70.	यू.टी.वी.	45
71.	विज्ञापन	12
72.	डब्ल्यू.डी. कन्ज्यूमर	25
73.	वर्ल्ड मीडिया	128
74.	वर्ल्ड कॉम एम./एम.	58
75.	फेम कम्यु.	169

विवरण-II

सितम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार आकाशवाणी के चूककर्ता एजेंसियों की सूची

क्र.सं.	एजेन्सी का नाम	बकाया राशि (लाख रु. में)
1	2	3
	केन्द्रीय विक्रय एकक	
1.	मै. मुजिरेक्का कैसिट्स इन्क.	14.03
2.	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय	127.95
3.	मै. रेणुके एडवर्टाइजिंग कं.	32.55
4.	मैं. प्रोफड एडवर्टाइजिंग	13.72
5.	मैं. मां. कम्यु. एंड बोज्धेल प्रा.लि.	15.28
6.	मैं. सुचन्द्रा एंड मीडिया	2.71
7.	मैं. हिन्दुस्तान थॉम्प्सन एसोशिएट्स लि.	53.37
8.	मैं. आर.के. स्वामी एडवर्टाइजिंग लि.	11.01
9.	मैं. रेडियो टी.वी. कॉमर्शियल	68.19
	वाणिज्यिक प्रसारण सेवा, चेन्नै	
10.	मैं. एड एअर एडवर्टाइजिंग, कोयम्बतूर	7.33
11.	मै. मंत्रालय महम एड्स कोयम्बतूर	8.01
12.	मै. रेयर कम्युनिकेशंस, कोयम्बतूर	13.02
13.	मै. श्री एडवर्टाइजिंग, कोयम्बतूर	9.07
14.	मै. श्री राघवेन्द्र, कोयम्बतूर	18.93
15.	मै. वी.आर.जी. एजेन्सीज, चेन्नै	13.05
	वाणिज्यिक प्रसारण सेवा, भोपाल	
16.	मै. स्वास्तिक एडवर्टाइजिंग, अहमदाबाद	5.96
	वाणिज्यिक प्रसारण सेवा, जयपुर	
17.	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जयपुर, सरकारी विभाग	5.29
	वाणिज्यिक प्रसारण सेवा त्रिवेन्द्रम	
18.	मै. जेलिट्टा कोट्टायम वाणिज्यिक प्रसारण सेवा कलकत्ता	7.44
19.	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय	6.57
	वाणिज्यिक प्रसारण सेवा, हैदराबाद	
20.	मैं. हिन्दुस्तान थॉम्प्सन एसोशिएट्स, मुम्बई वाणिज्यिक प्रसारण सेवा, हैदराबाद	5.58
	वाणिज्यिक प्रसारण सेवा, मुम्बई	
21.	मै. हिन्दुस्तान थॉम्प्सन एसोशिएट्स	25.21
22.	मै. नोट्रे एडवर्टाइजिंग	5.69
23.	मै. आर्म्स कम्युनिकेशंस	5.15
24.	मै. ट्विन एडवर्टाइजिंग	7.33
25.	मै. आर.टी.वी.सी.	10.01
26.	मै. सम्युजिरिक्का कैसेट्स	17.90
27.	संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, पुणे	20.65

निर्यात प्रसंस्करण जोन/विशेष आर्थिक जोन

1045. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:
श्री शंकर सिंह वाघेला:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निर्यात प्रसंस्करण जोनों को विशेष आर्थिक-जोनों में बदलने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार देश में स्थापित निर्यात प्रसंस्करण जोनों और विशेष आर्थिक जोनों की संख्या कितनी है और ये किन-किन स्थानों पर हैं;

(घ) क्या सरकार का इरादा मौजूदा निर्यात प्रसंस्करण जोनों और विशेष आर्थिक जोनों के अलावा और अधिक जोन बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मौजूदा निर्यात प्रसंस्करण जोनों के कार्यकरण की समीक्षा की गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी निर्यात प्रसंस्करण जोन-वार और विशेष आर्थिक जोनवार क्या निष्कर्ष निकला और मन्द कार्य-निष्पादन के क्या कारण हैं; और

(ज) वर्ष 2000-2001 के दौरान मौजूदा निर्यात प्रसंस्करण जोनों के कार्यकरण का पुनर्गठन/पुन: अनुकूलन और नए निर्यात प्रसंस्करण जोनों और विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना सहित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित अन्य नीतिगत पहल करने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) दिनांक 1.11.2000 को सांताक्रुज (महाराष्ट्र), कोचीन (केरल), कांडला तथा सूरत (गुजरात) में स्थित चार निर्यात संसाधन जोनों को विशेष आर्थिक जोनों में परिवर्तित किया गया है।

(ग) दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार सरकार द्वारा देश में स्थापित सात निर्यात संसाधन जोन (ई.पी.जेड.) कांडला (गुजरात), सांताक्रुज (महाराष्ट्र), नोंएडा (उत्तर प्रदेश), मद्रास (तमिलनाडु), कोचीन (केरल), फाल्टा (पश्चिम बंगाल) तथा विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में स्थित थे।

इसके अलावा, सूरत में एक निजी निर्यात संसाधन जोन (ई.पी.जेड) की स्थापना की गई है। दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार किसी विशेष आर्थिक जोन (एस.ई.जेड.) की स्थापना नहीं की गई थी।

(घ) और (ङ) वर्ष 1992 में यह निर्णय लिया गया था कि भारत सरकार के अंतर्गत किसी नए ई.पी.जेड. की स्थापना नहीं की जाए। इसी प्रकार, केन्द्र सरकार द्वारा किसी नए एस.ई.जेड. की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, ई.पी.जेड/एस.ई.जेड. की स्थापना सार्वजनिक, निजी, संयुक्त क्षेत्र में अथवा राज्य सरकारों द्वारा की जा सकती है।

(च) से (ज) ई.पी.जेड. योजना के कार्य की समीक्षा इसकी उपादेयता में सुधार लाने के लिए प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर की जा रही है। ई.पी.जेड. के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात एवं आयात नीति में लागू किए गए कुछ उपायों में शामिल हैं:- निर्यात तथा निर्यात निष्पादन संबंधी अपेक्षा के प्रतिशत के रूप में निवल विदेशी मुद्रा अर्जन को युक्तिसंगत बनाना तथा उसमें कमी लाना, पूंजी गहन एककों के लिए सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जन को निर्धारित करना, उप संविदा के निष्पादन को उदार बनाना, निर्यात के एफ.ओ.बी. मूल्य के 50% तक की बिक्री घरेलू बाजार में करने की सुविधा प्रदान करना तथा एककों के क्रियाकलापों को आगे और नियंत्रण मुक्त करना।

ई.पी.जेड. से हो रहे निर्यात उत्साहवर्द्धक रहे हैं और पिछले तीन वर्षों के निर्यात संबंधी आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	निर्यात (करोड़ रुपये में)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
1997-98	4817.30	11
1998-99	5252.48	9
1999-2000	6707.92	28

राज्य व्यापार निगम में सरकार की इक्विटी

1046. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राज्य व्यापार निगम में सरकारी इक्विटी कम करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एस.टी.सी. द्वारा किए जाने वाले कई कार्य एम.एम.टी.सी. भी करता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा एस.टी.सी. के कार्यकलापों को युक्तिसंगत बनाने के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) एस.टी.सी. और एम.एम.टी.सी. के जरिए पहले सरणीकृत किए गए अनेक मदों के आयात एवं निर्यात के गैर-सरणीयन के परिणामस्वरूप, दोनों निगमों ने उदारीकृत अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धी वातावरण के अनुकूल अपनी व्यापार संबंधी कार्य योजनाओं को पुन: तैयार किया है। इसलिए दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने कुल कारोबार और लाभप्रदत्ता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे ऐसे कुछ सामान्य क्षेत्रों में व्यापारिक कार्यकलाप शुरू कर सकें जो कि एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक अनुपूरक स्वरूप के हैं।

चीनी का आयात-निर्यात

1047. डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
मोहम्मद अनवारूल हक:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री वी.के. पार्थसारथी:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्रीमती कान्ति सिंह:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आयात और निर्यात की गई चीनी का देश-वार मूल्य और मात्रा कितनी है;

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान और आज की स्थिति के अनुसार चीनी के आयात और निर्यात के कारण कितनी हानि हुई;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा व्यय और अर्जित की गई;

(घ) क्या सरकार ने हाल ही में पाकिस्तान को चीनी निर्यात किए जाने की अनुमति दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने चीनी और अन्य वस्तुओं के निर्यात के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) गत तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देशवार आयात तथा निर्यात की गई चीनी की मात्रा तथा उसके मूल्य का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I तथा II में दिया गया है।

(ख) चीनी का निर्यात तथा आयात निजी पार्टियों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने वाणिज्यिक विवेक के अनुसार किया जा रहा है। अत: सरकार को हानि होने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

(ग) चूंकि सरकारी खाते पर चीनी का कोई निर्यात तथा आयात नहीं हुआ है, इसलिए खर्च/अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) चीनी का निर्यात पाकिस्तान सहित विभिन्न देशों को किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 2000-2001 (17.11.2000 तक) के दौरान पाकिस्तान को लगभग 1.72 लाख टन (अनन्तिम) चीनी का निर्यात करने के लिए पंजीकरण एवं आवंटन प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं। तथापि, वास्तविक निर्यात का कार्य प्रगति पर है।

(च) और (छ) कृषि उत्पादों के निर्यात की अनुमति देने की सरकार की नीति मुख्य रूप से भारत की खाद्य सुरक्षा, कृषि आय को अधिकतम करने तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है। कृषि उत्पादों के निर्यात में हुई प्रगति की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है तथा तद्नुसार कृषि उत्पादों के निर्यात को अधिक से अधिक व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार नीति में परिवर्तन किया जाता है। निर्यात नीति को लगातार अद्यतन बनाया जा रहा है तथा कृषि उत्पाद के संदर्भ में निर्यात प्रणाली को उदार बनाया गया है। अब बहुत ही कम वस्तुओं का निर्यात निषिद्ध है अथवा उनका निर्यात प्रतिबन्धित है अथवा उनका निर्यात प्रतिबन्धित है अथवा उनका निर्यात मात्रात्मक सीमा की शर्त के अध्यधीन है।

देश में चीनी के अधिशेष उत्पादन तथा स्टाक के कारण सरकार ने वर्तमान वर्ष के दौरान निर्यात के लिए 10 लाख मीटरी टन तक चीनी की मात्रा रिलीज की थी तथा पंजीकरण एवं आवंटन प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अपेडा को निदेश दिया गया था। 17.11.2000 की स्थिति के अनुसार, अपेडा ने 4.29 लाख टन चीनी (अनन्तिम) की मात्रा के लिए पंजीकरण एवं आवंटन प्रमाण-पत्र जारी किए हैं तथा शर्करा निदेशालय द्वारा इस मात्रा के लिए रिलीज आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

सरकार ने अपने पास उपलब्ध अधिशेष स्टाक से गेहूं का निर्यात करने का निर्णय लिया है। निर्यात करने के लिए गेहूं भारतीय खाद्य निगम द्वारा जिस मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा वह गरीबी की रेखा से नीचे के वर्गों के लिए निर्धारित केन्द्रीय निर्गम मूल्य से कम नहीं होगा, जो इस समय 4150/- रुपये प्रति मीटरी टन है।

विवरण-I

वित्त वर्ष के आधार पर चीनी के देश-वार आयात का ब्यौरा (स्रोत: डी.जी.सी.आई.एस.-कलकत्ता)

क्रम सं.	देश का नाम	1997-98 (अंतिम)		1998-99 (अंतिम)		1999-2000*	
		मात्रा टनों में	मूल्य करोड़ रु. में	मात्रा टनों में	मूल्य करोड़ रु. में	मात्रा टनों में	मूल्य करोड़ रु. में.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आस्ट्रेलिया	97	0.17	–	–	–	–
2.	बेल्जियम	2021	3.16	3743	4.76	4161	4.56
3.	ब्राजील	175936	235.12	106645	116.78	542296	519.27
4.	फ्रांस	30291	41.80	–	–	–	–
5.	कनाडा	–	–	27	0.08	43	0.11
6.	चीन गणराज्य	–	–	8666	10.95	135741	145.95
7.	डेनमार्क	–	–	शून्य	शून्य	86	0.08
8.	इक्वाडोर	–	–	शून्य	शून्य	344	0.29
9.	फ्रांस	–	–	35078	45.73	8133	6.87
10.	जर्मन संघ गणराज्य	7790	10.87	12316	15.48	9053	8.48
11.	इंडोनेशिया	96	0.21	72	0.35	607	1.44
12.	इरान	–	–	430	0.49	शून्य	शून्य
13.	कोरिया गणराज्य	–	–	5	0.05	27400	26.83
14.	मलेशिया	–	–	1526	1.89	शून्य	शून्य
15.	मेक्सिको	6250	8.35	38927	49.28	21727	21.37
16.	म्यांमार	2099	2.62	–	–	–	–
17.	नेपाल	–	–	22	0.03	822	1.11
18.	नीदरलैंड	–	–	539	0.69	215	0.22
19.	पाकिस्तान	33226	47.71	596402	749.64	56955	55.07
20.	फिलीपीन्स	476	0.41	–	–	–	–
21.	सिंगापुर	5215	7.22	3525	4.27	1562	1.38

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	सऊदी अरब	423	0.55	–	–	–	–
23.	दक्षिण अफ्रीका	16497	23.14	234	0.35	6335	5.72
24.	सूडान	–	–	8500	12.37	शून्य	शून्य
25.	थाइलैंड	20600	27.42	35817	39.66	206576	204.41
26.	स. अरब अमीरात	29333	39.45	39062	47.14	77938	89.18
27.	यू.के.	2281	3.25	8935	11.23	11138	10.26
28.	यूक्रेन	–	–	शून्य	शून्य	2149	1.77
29.	सं.रा. अमेरिका	14274	18.81	शून्य	शून्य	1659	1.47
	जोड़	346905	470.26	900471	1111.22	1114940	1105.84

*अनन्तिम

विवरण-II

वित्तीय वर्ष के आधार पर चीनी के देश-वार निर्यात का ब्यौरा (स्रोत: डी.जी.सी.आई.एस.-कलकत्ता)

क्रम सं.	देश का नाम	1997-98 (अंतिम)		1998-99 (अंतिम)		1999-2000*	
		मात्रा टनों में	मूल्य करोड़ रु. में	मात्रा टनों में	मूल्य करोड़ रु. में	मात्रा टनों में	मूल्य करोड़ रु. में
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आस्ट्रेलिया	33	0.06	3	0.00	16	0.03
2.	आस्ट्रिया	–	–	27	0.06	23	0.04
3.	बहरीन	39	0.08	350	0.71	14	0.02
4.	बंगला देश	99	0.12	60	0.07	283	0.33
5.	बार्बडोस	–	–	3	0.00	33	0.06
6.	बेल्जियम	9	0.03	20	0.04	शून्य	शून्य
7.	भूटान	2429	2.58	2040	2.30	891	1.23
8.	ब्राजील	–	–	300	0.37	शून्य	शून्य
9.	कनाडा	344	0.55	132	0.24	148	0.22
10.	चीनी तेइपी	–	–	185	0.23	शून्य	शून्य
11.	चीन गणराज्य	–	–	50	0.07	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मिश्र अरब गणराज्य	–	–	191	0.25	–	शून्य
13.	फिजी द्वीप	–	–	21	0.03	शून्य	शून्य
14.	फ्रांस	10032	27.79	11	0.06	शून्य	शून्य
15.	जर्मन संघ गणराज्य	14	0.11	34	0.06	69	0.17
16.	गिनी	72	0.10	–	–	–	–
17.	इंडोनेशिया	–	–	शून्य	शून्य	92	0.15
18.	आयरलैंड	9	0.03	–	–	–	–
19.	इजरायल	3	0.01	–	–	–	–
20.	इटली	8	0.01	58	0.18	शून्य	शून्य
21.	जापान	9	0.03	20	0.03	शून्य	शून्य
22.	केनिया	16	0.06	18	0.04	1	0.01
23.	कोरिया गणराज्य	–	–	61	0.16	44	0.09
24.	कुवैत	42	0.09	85	0.21	81	0.15
25.	मालावी	22	0.03	3	0.01	शून्य	शून्य
26.	मलेशिया	2689	3.15	5142	5.36	2358	2.99
27.	म्यांमार	2550	2.98	–	–	–	–
28.	माले	–	–	शून्य	शून्य	438	0.55
29.	मेक्सिको	–	–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30.	नेपाल	45	0.10	145	0.23	297	0.33
31.	नीदरलैंड	52	0.05	7	0.01	शून्य	शून्य
32.	न्यूजीलैंड	41	0.09	62	0.08	51	0.10
33.	ओमान	61	0.12	139	0.27	168	0.30
34.	पाकिस्तान	103250	132.70	351	0.39	शून्य	शून्य
35.	पेरू	–	–	शून्य	शून्य	22	0.04
36.	पुर्तगाल	10500	16.19	148	0.22	85	0.12
37.	कतर	42	0.08	21	0.04	4	0.01
38.	रूस	125000	18.15	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	रियूनियन	–	–	2	0.01	5	0.01
40.	सऊदी अरब	54	0.11	135	0.24	189	0.37
41.	सशल्स	–	–	30	0.04	12	0.02
42.	सिंगापुर	157	0.25	121	0.20	19	0.10
43.	दक्षिण अफ्रीका	10	0.02	46	0.10	44	0.10
44.	स्पेन	49	0.07	–	–	–	–
45.	श्रीलंका	9633	10.73	62	0.15	39	0.08
46.	स्विटजरलैंड	–	–	200	0.54	शून्य	शून्य
47.	तंजानिया	–	–	84	0.16	शून्य	शून्य
48.	तुर्की	–	–	शून्य	शून्य	18	0.04
49.	सं. अरब अमीरात	568	1.08	1166	1.83	695	1.25
50.	यू.के.	681	1.36	329	0.58	299	0.60
51.	यूक्रेन	–	–	50	0.09	शून्य	शून्य
52.	सं.रा. अमेरिका	17160	25.43	540	1.20	500	1.11
53.	वियतनाम स. गणराज्य	–	–	10	0.05	शून्य	शून्य
54.	यमन	55	0.09	273	0.45	103	0.14
55.	जिम्बाबवे	–	–	शून्य	शून्य	4	0.01
56.	अन्य देश	5	0.02	–	–	–	–
	जोड़	173282	244.45	12735	17.36	7043	10.77

*अनंतिम

सोने और हीरे के सौदों में हुई चूकों के मामलों की समीक्षा के लिए कृतिक बल

1048. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सोने, हीरे आदि की विभिन्न योजनाओं के तहत भुगतान के मामलों की समीक्षा और वसूली के मामलों में की गई प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए एक कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हाँ, तो कृतिक बल द्वारा अपनी रिपोर्ट में दी गई टिप्पणियों/सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा चूककर्त्ताओं के खिलाफ और भुगतान वसूल करने के लिए आगे क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) भारत सरकार, वाणिज्य विभाग ने दिनांक 7 जुलाई, 2000 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12/23/97-ई.पी. (जी. एंड जे.) के द्वारा एक तीन सदस्यीय कृतिक बल का गठन किया है जिसमें वाणिज्य विभाग और राजस्व विभाग का एक-एक प्रतिनिधि तथा प्रमुख सतर्कता अधिकारी, एम.एम.टी.सी. लि. शामिल हैं। यह कृतिक बल अन्य बातों के साथ-साथ यह जांच करेगा कि क्या एम.एम.टी.सी. ने अपने द्वारा निर्यातकों और अन्य को आपूर्ति किए गए स्वर्ण के भुगतान में चूकों की पुनरावृत्ति की रोकथाम को सुनिश्चित करने के लिए एक दोषरहित प्रणाली स्थापित कर ली है और यह भी कि क्या एम.एम.टी.सी. द्वारा अपनी बकाया धनराशि की वसूली के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। कृतिक बल को इस बात की भी जांच कर रिपोर्ट देनी होगी कि क्या एम.एम.टी.सी. द्वारा वसूली संबंधी सभी मामलों पर कारगर ढंग से अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए एक उपयुक्त समीक्षा प्रणाली स्थापित कर ली गई है और यह भी कि क्या सभी अपराधियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एम.एम.टी.सी. द्वारा सभी मामलों में अपनी बकाया धनराशि की वसूली के लिए विवाचन कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है और उसने चूक के मामलों को चूककर्त्ताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए विभिन्न प्रवर्तन और जांच एजेंसियों जैसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो, राजस्व आसूचना महानिदेशालय, प्रवर्त्तन निदेशालय तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय के पास भी भेज दिया है। एम.एम.टी.सी. द्वारा अपनी बकाया धनराशि की वसूली के लिए की गई कार्रवाई की सरकार द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जा रही है।

यू.टी.आई. पर दीपक पारीख समिति की रिपोर्ट

1049. श्री किरीट सोमैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीपक पारीख समिति ने यू.टी.आई. और यू.टी.आई. 64 के पुनरुद्धार/पुनर्गठन के लिए क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की हैं;

(ख) अब तक कौन-कौन सी सिफारिशें लागू की गई हैं;

(ग) समिति की शेष सिफारिशों को कब तक लागू कर दिया जाएगा;

(घ) क्या सरकार का विचार यू.टी.आई. की सभी योजनाओं को सेबी के कार्य क्षेत्र में लाने के लिए यू.टी.आई. अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट स्वेच्छा से पहले ही अपनी सभी योजनाओं (यू.एस.-64 तथा जी.सी.जी.आई.पी. को छोड़कर) को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के विनियामक अधिकार क्षेत्र में ला चुका है। इसके अतिरिक्त, भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने कारपोरेट पोजिशिनिंग समिति का गठन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यू.टी.आई. अधिनियम में संशोधनों की आवश्यकता वाले मुद्दे शामिल होंगे।

विवरण

क्रियान्वित की जा चुकी सिफारिशें

* प्रारंभिक अंशदाताओं द्वारा कम से कम 500 करोड़ रुपए की स्थायी निधि का योगदान।
* एक विशेष यूनिट योजना 99 (एस.यू.एस. 99) का सृजन।
* दिनांकित भारत सरकार प्रतिभूतियों के निर्गम द्वारा एस.यू.एस. 99 को सरकारी क्षेत्र उपक्रम स्टाकों तथा सरकार के अभिदानों का अन्तरण।
* यू.एस. 64 द्वारा वितरित आय पर तथा इक्विटी में 50 प्रतिशत से अधिक का निवेश करने वाली योजनाओं पर कर हटाना।
* सूचना प्रौद्योगिकी फार्मा तथा एफ.एम.सी.जी. क्षेत्रों में वृद्धि स्टाकों की इक्विटी में निवेश हेतु एक नई भारतीय यूनिट ट्रस्ट योजना का प्रारंभ।
* न्यासियों के द्वारा अधिकतर उत्तरदायित्व तथा ज्यादा प्राधिकार धारण।
* प्रत्येक योजना के लिए पृथक तथा स्वतंत्र निधि प्रबन्धकों की नियुक्ति द्वारा अभेद्य सुरक्षोपाय।
* स्वतंत्र निर्णयों तथा संबंधित निधि प्रबन्धकों तथा बाजार निर्धारित मूल्यों पर प्रभावी होने वाले अन्तर-योजना अन्तरण।

* पूर्ण उत्तरदायित्व तथा विश्वसनीयता सहित यू.एस.-64 के लिए स्वतंत्र निधि प्रबन्धक।

* निधि प्रबन्धक की सुदृढ़ अनुसंधान दल द्वारा मदद की जानी चाहिए तथा अनुसंधान क्षमता को मजबूत किया जाना चाहिए।

* निवेश/विनिवेश निर्णयों अनुसंधान विश्लेषक की सिफारिशों पर आधारित किया जाना है—विश्लेषक को प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व मिलना।

* बाजार की अवधारणा तथा अनुसंधान निविष्टियों पर आधारित निर्णय करने में निधि प्रबन्धकों को अंतिम प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व प्राप्त होना।

* लाभांश वितरण नीति को यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्णत: पुनर्जीवित किया जाए कि योजना बदलती बाजार परिस्थितियों के लिए उत्तरदायी हो। अच्छे कार्यनिष्पादन की अवधियों के दौरान प्रचुर भंडार बनाने के एक अधिक संरक्षणात्मक दृष्टिकोण के अनुपाल की आवश्यकताएं। नियमानुसार, लाभांश को जब अपर्याप्त आय हो, समाप्त किए जाने की आवश्यकता हो।

* निवेशकों को दी जाने वाली आय की दर की आवधिक आधार पर पुनर्समीक्षा की जानी है।

क्रियान्वयन के लिए पहले ही विचार की गई सिफारिशें

* उच्चतम बोलीदाता को, जहां भी व्यवहार्य हो, बातचीत में माध्यम से महत्वपूर्ण इक्विटी धारिताओं की सामरिक बिक्री।

* न्यासियों के प्रारिश्रमिक में वृद्धि तथा वार्षिक रिपोर्ट में न्यासियों की उपस्थिति रिकार्ड का प्रकाशन।

* लघु निवेशकों पर विशेष ध्यान को सुदृढ़ किया जाना तथा कार्पोरेट निवेशकों की तरफ विशेष ध्यान में कमी किया जाना।

* लघु अवधि निवेशकों को रोकने के लिए बिक्री तथा पुनर्खरीद मूल्यों के बीच की दूरी को धीरे-धीरे बढ़ाया जाए।

* योजना उद्देश्यों के सुसंगत यू.एस.-64 में ऋण को अधिक महत्व प्रदान करने के लिए पोर्टफोलियो संघटन को बदल दिया जाए।

* यू.एस.-64 के प्रचालनों को शीघ्रातिशीघ्र सेबी के क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाए। इससे यूनिट धारकों को पारदर्शिता सुनिश्चित होगी तथा निवेशक के भरोसे में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी होगी।

* परिसंपत्ति प्रबन्ध प्रक्रियाओं जिनमें बैक ऑफिस, अन्तर-योजना अन्तरण तथा निवेशक सेवा शामिल हैं, की विस्तृत पुनर्समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र व्यावसायिक फर्म की सेवा लेना।

सिफारिशें जिन्हें अभी क्रियान्वित किया जाना है:

* बोर्ड द्वारा सहयोजित किए जा रहे अतिरिक्त 5 सदस्यों के साथ भारतीय यूनिट ट्रस्ट बोर्ड के आकार को 15 तक बढ़ाना। भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम के संशोधन की आवश्यकता।

* निवेशकों के एक स्वतंत्र बोर्ड सहित यू.एस.-64 के लिए पृथक परिसंपत्ति प्रबन्ध कंपनी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम के संशोधन की आवश्यकता।

* यू.एस.-64 एन.ए.वी. को तीन वर्षों में प्रारंभ करना—भारतीय यूनिट ट्रस्ट यू.एस.-64 एन.ए.वी. को विनिर्दिष्ट अवधि में प्रारंभ करने के लिए कदम उठा रहा है।

व्यापार में प्रगति

1050. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यापार विश्लेषकों के मतानुसार भारत इस वर्ष व्यापार में 18 प्रतिशत प्रगति हासिल कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान इस संबंध में सरकार का अनुमान क्या है; और

(ग) चालू वर्ष की प्रथम तिमाही के वास्तविक आंकड़े क्या हैं और वार्षिक अनुमान की तुलना में इनकी क्या स्थिति है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) सरकार ने वर्ष 2000-2001 के लिए पिछले वर्ष के अनंतिम अनुमानों की तुलना में अमरीकी डालर के रूप में निर्यातों में 18% की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है।

डी.जी.सी.आई. एंड एस. के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, अप्रैल-सितम्बर, 2000 के दौरान निर्यातों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अमरीकी डालर के रूप में 22.04% तक की वृद्धि हुई है। माह की शेष अवधि के लिए, हमें केवल 14.5% की वृद्धि को प्राप्त करना होगा।

मुद्रा स्फीति की दर

1051. **श्री माधवराव सिंधिया:**
श्री ब्रह्मानन्द मंडल:
श्रीमती रेनु कुमारी:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्रीमती रेणूका चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन महीनों के दौरान मुद्रास्फीति की दर खतरनाक रूप से बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान मुद्रा स्फीति की साप्ताहिक दर क्या रही;

(ग) इस वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने मुद्रा स्फीति की दर को नियंत्रण में लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) पिछले तीन महीनों के दौरान थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) पर आधारित मुद्रा स्फीति दर नीचे सूचीबद्ध है:-

	थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित	
	वार्षिक मुद्रास्फीति (%) (बिन्दु दर बिन्दु)	52 सप्ताह का औसत (%)
1	2	3
05.08.2000	6.3	4.6
12.08.2000	6.3	4.7
19.08.2000	5.7	4.7
26.08.2000	6.2	4.8
02.09.2000	6.2	4.9
09.09.2000	5.7	4.9
16.09.2000	5.6	4.9
23.09.2000	6.1	5.0
30.09.2000	7.6	5.1
07.10.2000	7.0	5.2
14.10.2000	6.9	5.2
21.10.2000	6.8	5.3
28.10.2000	6.9	5.4
04.11.2000	7.3	5.4

(ग) 2000-2001 के दौरान मूल्यों में वृद्धि मुख्य रूप से पहले मार्च, 2000 में फिर दुबारा इस वर्ष सितम्बर में ईंधन उत्पादों के नियंत्रित मूल्यों में वृद्धि के कारण हुई। ऊर्जा उत्पादों के नियन्त्रित मूल्यों में किया गया यह समायोजन कच्चे तेल की बढ़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों को देखते हुए नितान्त जरूरी था।

मुद्रास्फीति इस वर्ष सितम्बर तक 6 प्रतिशत से थोड़ा अधिक बनी रही जब केरोसीन, डीजल, पेट्रोल और एल.पी.जी. की नियन्त्रित कीमतों में और अधिक वृद्धि ने मुद्रास्फीति दर को 7 प्रतिशत से अधिक कर दिया। 4 नवम्बर, 2000 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए मुद्रास्फीति की अद्यतन दर 7.27% है। ईंधन समूह इस समय मुद्रास्फीति के 70% के लिए उत्तरदाई है लेकिन प्राथमिक और विनिर्मित उत्पाद समूहों की कीमतों में स्थिरता का मुद्रास्फीति दर पर सन्तुलनकारी प्रभाव पड़ा है।

(घ) सरकार मुद्रास्फीति के मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर नजदीकी नजर रख रही है। जहां खाद्यान्न और आम उपभोग की अन्य वस्तुओं की उचित मूल्य पर पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति पक्ष को नजदीकी से मानीटर किया जाता है, वहीं मांग पक्ष के उपायों में बेहतर राजकोषीय अनुशासन और मौद्रीकृत घाटे और वृहत मुद्रा (एम. 3) में वृद्धि की नियमित रूप से मानीटरिंग शामिल है।

सीमेंट और कागज उद्योग

1052. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सीमेंट और कागज उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान इन उद्योगों में हुए उत्पादन और बिक्री का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को तमिलनाडु में इन उद्योगों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) सरकार ने उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम को जोड़ने वाले 6000 कि.मी. की दूरी के 4/6 लेन वाले एक्सप्रेस मार्गों/राजमार्गों और बड़े महानगरों को जोड़ने वाले 7000 कि.मी. दूरी के राजमार्गों का निर्माण करने की घोषणा की है। कागज के मामले में, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से तथा विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग के माध्यम से प्रौद्योगिकी का समावेश करने की अनुमति है। केन्द्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान रासायनिक पुनः प्राप्ति (रिकवरी) प्रणाली जैसे अनुसंधान और विकास क्षेत्रों के माध्यम से कागज उद्योग की सहायता कर रहा है।

(ग) कागज के राज्यवार उत्पादन के आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान कागज और गत्ते का उत्पादन नीचे दर्शाया गया है:-

वर्ष	उत्पादन (लाख टन में)
1997-98	29.22
1998-99	31.38
1999-2000	34.57

पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमेंट का उत्पादन और बिक्री संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है।

(घ) और (ङ) सीमेंट और कागज उद्योग को लाइसेंसमुक्त और नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है। उद्यमियों को मंत्रालय में औद्योगिक सहायता सचिवालय में औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर करना होता है। वर्ष 1999 के दौरान तथा अक्तूबर, 2000 तक कागज के विनिर्माण के लिए तमिलनाडु के संबंध में दस औद्योगिक उद्यमियों के ज्ञापन दायर किए गए हैं। सीमेंट के मामले में, उक्त अवधि के दौरान आठ औद्योगिक उद्यमियों के ज्ञापन दायर किए गए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमेंट का उत्पादन और बिक्री

(000 टन)

क्षेत्र/राज्य	1999-2000		1998-99		1997-98	
	सीमेंट का उत्पादन	सीमेंट प्रेषण	सीमेंट का उत्पादन	सीमेंट प्रेषण	सीमेंट का उत्पादन	सीमेंट प्रेषण
1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी क्षेत्र						
पंजाब	1474.26	1459.54	1163.49	1172.34	1135.42	1135.28
दिल्ली	शून्य	1.60	10.74	9.71	20.34	23.90
हरियाणा	शून्य	0.14	0.01	0.21	1.27	2.11
हिमाचल प्रदेश	3410.42	3401.59	3146.94	3150.39	2884.21	2864.53
जम्मू और कश्मीर	96.14	96.44	112.03	112.26	75.08	75.46

1	2	3	4	5	6	7
राजस्थान	14851.53	14829.58	12667.12	12695.94	10868.61	10778.80
उत्तर प्रदेश	1510.34	1507.88	692.57	694.35	747.02	749.04
योग उत्तर	21342.69	21296.77	17792.90	17834.20	15731.95	15629.12
पूर्वी क्षेत्र						
बिहार	3002.02	3002.33	2484.33	2479.38	2845.28	2857.92
उड़ीसा	2080.07	2071.76	1952.71	1949.54	2054.45	2063.25
पश्चिम बंगाल	864.45	864.20	673.56	670.72	697.66	700.16
असम	118.32	112.70	127.02	126.68	138.37	143.14
मेघालय	114.71	114.85	107.15	108.12	101.50	102.72
योग पूर्व	6179.57	6165.84	5344.77	5334.44	5837.26	5867.19
दक्षिणी क्षेत्र						
तमिलनाडु	7859.73	7846.83	7291.62	7324.78	6544.86	6504.81
आन्ध्र प्रदेश	14316.54	14291.16	11742.04	11789.31	10577.78	10530.77
कर्नाटक	6290.54	6292.03	5445.48	5451.81	5689.31	5669.23
केरल	436.44	429.69	359.96	361.49	381.17	397.82
योग दक्षिण	28903.25	28859.71	24839.10	24927.39	23193.12	23084.63
पश्चिमी क्षेत्र						
महाराष्ट्र	6028.32	6026.87	5564.80	5566.42	6083.45	6093.99
गुजरात	9286.71	9256.82	9071.57	9061.47	7407.19	7392.55
एम.पी.	22466.49	22392.49	19053.89	19108.87	18482.55	18500.61
योग पश्चिम	37781.52	37676.18	33690.26	33736.76	31973.19	31987.15
कुल योग	94207.03	93998.50	81667.03	81833.79	76735.52	76568.09

[हिन्दी]

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में विनिवेश

1053. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:**
श्री पवन कुमार बंसल:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया में अपनी इक्विटी को हटाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है, और इस प्रस्ताव की कार्यविधि क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) इसकी सौदेबाजी के लिए सलाहकारों की नियुक्ति कर दी गई है। अपेक्षित लेनदेन दस्तावेजों के मसौदे तैयारी के विभिन्न चरणों में है। प्रमुख समाचार पत्रों/पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित विज्ञापनों के माध्यम से संभावित निवेशकों के हितों की अभिव्यक्तियां प्राप्त कर ली गई है।

[अनुवाद]

चीनी मिलें

1054. **श्री बी.के. पार्थसारथी:**
श्री मानसिंह पटेल:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकारी, निजी और सहकारी क्षेत्रों में चीनी मिलों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) केन्द्र सरकार देश में चीनी मिलें स्थापित नहीं करती है। चीनी उद्योग 11.9.98 से लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। उद्यमी अपनी परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार विद्यमान चीनी फैक्ट्रियों से 15 कि.मी. की दूरी को बनाये रखते हुए चीनी मिलें स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

जीवन बीमा निगम का चार कम्पनियों में विभाजन

1055. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:**
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में भारतीय जीवन बीमा निगम के पालिसी धारकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या मित्तल समिति की रिपोर्ट में जीवन बीमा निगम को चार अलग-अलग कम्पनियों में विभाजित करने का प्रस्ताव किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की क्या स्थिति है;

(घ) क्या जीवन बीमा निगम को बेहतर प्रबंध योग्य इकाइयों में विभाजित करने पर बेहतर प्रशासन हो सकेगा; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने जीवन बीमा निगम में बेहतर प्रबंधन लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) ने सूचित किया है कि 31 मार्च 2000 की स्थिति के अनुसार पॉलिसी-धारकों की संख्या 8.31 करोड़ थी।

(ख) जीवन बीमा निगम ने आगे यह भी सूचित किया है कि उन्हें मित्तल समिति नामक किसी ऐसी समिति, जिसने जीवन बीमा निगम के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की हो अथवा जीवन बीमा निगम को चार पृथक कम्पनियों में विभाजित करने की सिफारिश की हो, की जानकारी नहीं है।

(ग) जीवन बीमा निगम को पृथक कम्पनियों में विभाजित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) बेहतर प्रशासन के लिए, जीवन बीमा निगम के 7 आंचलिक कार्यालय हैं जो केन्द्रीय कार्यालय के मार्ग-दर्शन में कार्य करते हैं। आंचलिक/मंडल/शाखा कार्यालयों को पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

(ङ) व्यावसायिक क्षेत्रों से निदेशकों के रूप में विशेषज्ञ लेकर जीवन बीमा निगम के निदेशक बोर्ड को मजबूत बनाया जा रहा है। बोर्ड द्वारा प्रबंधित निगम के रूप में कारगर तौर पर कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए जीवन बीमा निगम को पर्याप्त स्वायत्ता दी गई है।

हिन्दी फिल्मों का दिखाया जाना

1056. **श्री राजैया मल्याला:**
श्री जार्ज ईडन:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन और प्रसार भारती बोर्ड ने अपने दूरदर्शन-1 राजकीय नेटवर्क पर क्षेत्रीय भाषा की फीचर फिल्मों को हटाने और जनता में लोकप्रिय हिन्दी फिल्में ही दिखाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को ऐसे कदम के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) प्रसार भारती बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार दूरदर्शन के राजस्व में वृद्धि करने तथा विशालदर्शक संख्या को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रायोजित मनोरंजक कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए 15.10.2000 से राष्ट्रीय नेटवर्क पर क्षेत्रीय फीचर फिल्मों का प्रसारण बन्द कर दिया गया था।

(ग) और (घ) विभिन्न मंचों से प्राप्त कई अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए प्रसार भारती ने अब अपने पहले के निर्णय की पुनरीक्षा की है और निर्णय लिया है कि दूरदर्शन तीन वर्ष के लिए राष्ट्रीय चैनल सहित विभिन्न चैनलों पर प्रसारण के लिए पुरस्कार प्राप्त क्षेत्रीय फिल्मों के बहु-प्रसारण अधिकार (स्थलीय तथा उपग्रह द्वारा पूरे विश्व में) प्राप्त करेगा। रायल्टी की दर भी बढ़ा दी गई है।

[हिन्दी]

यू.टी.आई. और एच.डी.एफ.सी की आवास योजना

1057. **श्री शिवराज सिंह चौहान:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विचार आवास वित्त निगम के सहयोग से आवास योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त योजना पर कितनी अनुमानित लागत आएगी;

(घ) ये मकान किन-किन स्थानों पर बनाए जाएंगे;

(ङ) कितने मकान बनाए जाने की संभावना है; और

(च) इस योजना के अन्तर्गत किन आय समूहों को शामिल किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में विनिवेश

1058. **श्री सुनील खां:** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय इस्पात निगम को कितना मुनाफा/घाटा हुआ;

(ख) क्या विनिवेश की प्रक्रिया राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम में पहले ही शुरू कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त कम्पनी का पुनर्गठन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई निवल हानि इस प्रकार है:

वर्ष	निवल हानि (करोड़ रुपए में)
1997-98	177.00
1998-99	457.00
1999-2000	568.00

(ख) से (घ) विनिवेश आयोग ने अपनी अगस्त 1999 की बारहवीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि सरकार को किसी अनुकूल क्रेता को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में इसकी शेष इक्विटी होल्डिंग के 51 प्रतिशत से अनधिक विनिवेश प्रक्रिया को साथ-साथ आरम्भ करने के उद्देश्य से इसके तुलन-पत्र से इसे हटाने के लिए आवंटन तथा अधिमानी शेयर पूंजी और इक्विटी पूँजी के लम्बित रहते हुए इसके समस्त शेयर धन को ध्यान में रख कर कम्पनी की सम्पूर्ण संचित हानि को बट्टे खाते में डाल देना चाहिए। सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

विदेशी वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना

1059. **श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री जोरा सिंह मान:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश ने अनेक विदेशी वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1999 के अन्त तक ऐसे कितने ऋण प्राप्त किए गए जिनका अमरीकी डालर में पुनर्भुगतान किया जाना था;

(ग) क्या विदेशी ऋण की उक्त धनराशि अमेरिकी डालर की तुलना में रुपये के मूल्य में गिरावट के कारण स्वत: बढ़ गई है; और

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष 2000 के दौरान आज की तारीख के अनुसार इस ऋण में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) 31 दिसम्बर, 1999 के अंत तक की स्थिति के अनुसार सरकारी खाते में अमरीकी डालर के रूप में बकाया विदेशी ऋण 43179 मिलियन अमरीकी डालर (188091 करोड़ रु.) था।

(ग) और (घ) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है:-

	विदेशी ऋण (के रूप में)		
	रुपये (करोड़)	अमरीकी डालर (मिलियन)	विनिमय दर
दि. 31.12.1999 की स्थिति के अनुसार	188091	43179	43.56 रु. प्रति डालर
दि. 30.06.2000 की स्थिति के अनुसार	189755	42451	44.70 रु. प्रति डालर
प्रतिशत परिवर्तन	0.9% ()	1.69% ()	

इस प्रकार दि. 31.12.1999 की तुलना में दि. 30.06.2000 को अमरीकी डालर के रूप में विदेशी ऋण में 1.69 प्रतिशत की गिरावट आई और रुपयों के रूप में 0.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

एच.एम.टी. कलामेसरी का हस्तान्तरण

1060. **श्री जार्ज ईडन:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एच.एम.टी.) कलामेसरी का प्रशासनिक नियंत्रण रक्षा मंत्रालय को सौंपने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) एच.एम.टी. की पुनर्गठन योजना का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) जी, नहीं। कलामेसरी इकाई न केवल रक्षा संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करती है बल्कि अन्य क्षेत्रों की भी अपेक्षाओं को पूरा करती है।

(घ) टर्नअराउन्ड प्लान की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गई है:-

(1) भारत सरकार का 39.70 करोड़ रुपये का ऋण इक्विटी में बदल गया है और उस पर बने 12.74 करोड़ रुपये के ब्याज को माफ किया गया है।

(2) 250 करोड़ रुपये की नई इक्विटी उपलब्ध कराई गई है।

(3) पाँच अजैव्य यूनिटों को बंद करने का नोटिस दिया गया है और अपने 454 कर्मचारियों को वी.आर.एस. का प्रस्ताव दिया है।

(4) सरकार ने दो वर्ष के भीतर 6493 कर्मचारियों के लिए वी.आर.एस. को वित्तपोषित करने हेतु 469 करोड़ रुपये एच.एम.टी. द्वारा बान्ड्स जारी करने के लिए गारंटी फीस छोड़ते हुए 50% की ब्याज सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी।

(5) मशीन टूल और वाच बिजनेस ग्रुप को 31.12.2000 तक सहायिकाओं में बदला जाएगा। इन सहायिकाओं और ट्रैक्टर बिजनेस ग्रुप में 74% तक का विनिवेश किया जाएगा।

(6) वॉच फैक्ट्री, श्रीनगर को सहायिका के रूप में गठित किया जाएगा और इसे तीन वर्ष की अवधि के लिए मजदूरी और वेतन की जरूरत को पूरा करने के लिए वार्षिक बजट सहायता मुहैया कराई जाएगी।

(7) इसके अलावा, सरकार ने वाच फैक्ट्री को बैंकों से कार्यशील पूंजी हेतु ऋण लेने के लिए और पूंजीगत व्यय के लिए 15.10 करोड़ रुपये की सुविधा का लाभ उठाने के लिए उपलब्ध कराई गई है।

शेयर धारकों के हितों की रक्षा करना

1061. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंपनी कार्य विभाग ने ऐसी कंपनियों जो शेयर धारकों को शेयर न भेजने और लाभांश न देने में लिप्त हैं के विरुद्ध कोई कार्रवाई का कोई अधिकार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेयर धारकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सेबी ने सूचित किया है कि कंपनी कार्य विभाग ने उपर्युक्त अधिनियम की धारा 113 के अन्तर्गत नियत समय के अन्दर शेयर प्रमाणपत्रों की सुपुर्दगी न हो पाने के मामलों तथा इसके बारे में घोषणा होने के 42 दिनों के भीतर लाभांश का भुगतान न हो पाने के मामले में कंपनी अधिनियम की धारा 621 के अनुसार अभियोजन प्रारंभ करने के लिए सेबी के कतिपय अधिकारियों को प्राधिकृत किया है।

(ग) सेबी ने सूचित किया है कि कुछ उपाय, जो शेयर धारकों के हितों की रक्षा के लिए किए गए हैं, निम्नलिखित हैं:

(1) निधियों के उपभोग के संबंध में शेयरधारकों को सूचित रखने के उद्देश्य से, स्टाक एक्सचेंजों ने सूचीकरण करार के खंडों 32 तथा 43 को संशोधित किया है जिसके द्वारा (क) सूचीबद्ध कंपनियों को प्रतिवर्ष तुलनपत्र तथा लाभ तथा हानि लेखे के साथ संबंधित नकदी विवरणों को स्टाक एक्सचेंजों में दाखिल कराना अपेक्षित होता है, (ख) सूचीबद्ध कंपनियों को वार्षिक आधार पर निधियों के अनुमानित उपभोग तथा/अथवा वास्तविक लाभदायकता के बीच भिन्नता दर्शाने वाला विवरण स्टाक एक्सचेंज को प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। ऐसे विवरणों को अनांकेक्षित/अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के साथ-साथ समाचारपत्रों में भी प्रकाशित करना चाहिए। यदि वास्तविक तथा अनुमानित राशियों के बीच ठोस अन्तर हो तो कंपनी विज्ञापन में एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगी। यह तुलना निदेशक की रिपोर्ट में भी उपलब्ध कराई जानी है।

(2) प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद के संबंध में कंपनी द्वारा शेयरों की वापसी-खरीद के पूर्व सभी ठोस सूचना विहित करते हुए एक सार्वजनिक घोषणा की जानी होगी। वापसी-खरीद विनियमों में पेशकश दस्तावेज में व्यापक प्रकटीकरण यथा क्या प्रवर्तक अपने शेयरों की पेशकश करना चाहते हैं, वापसी-खरीद का मूल्य, वापसी-खरीद पूर्व एवं पश्च धारिता आदि तथा आम बैठक के लिए सूचना की व्यवस्था है।

(3) तरजीही आवंटनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सेबी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173 की शर्तों के अनुसार आम बैठक की सूचना के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी में विभिन्न प्रकटीकरणों यथा तरजीही पेशकश के माध्यम से निर्गम का उद्देश्य, पेशकश में अभिदान करने की प्रवर्तकों/निदेशकों/ महत्वपूर्ण प्रबन्धन व्यक्तियों की इच्छा, पेशकश के पूर्व एवं पश्चात् शेयरधारिता ढांचा तथा आवंटन को पूरा करने के लिए प्रस्तावित समय एवं प्रस्तावित आवंटिती का परिचय आदि की शर्त रखता है।

(4) सेबी (शेयरों का भारी संख्या में अधिग्रहण एवं अर्जन) विनियम, 1997 के अन्तर्गत मतदान अधिकार वाले 15 प्रतिशत या इससे अधिक शेयरों के अधिग्रहण अथवा 15 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के बीच धारिता रखने वाले अधिग्राहक द्वारा 5 प्रतिशत से अधिक शेयरों के धीरे-धीरे अधिग्रहण लक्षित कंपनी में प्रबन्ध नियंत्रण अधिग्रहण के मामले में न्यूनतम 20 प्रतिशत शेयरों की अधिप्राप्ति के लिए अनिवार्य पेशकश की जानी होती है। पेशकश मूल्य का निर्धारण बाजार मूल्य, शुद्ध आस्तियों पर प्रतिलाभ आदि पर आधारित मानदंडों पर किया जाता है। सभी शेयरधारकों को अधिकतम अधिग्रहण मूल्य का भुगतान किया जाना होता है।

(5) द्वितीयक बाजार में स्टाक एक्सचेंजों में वृहत्तर पारदर्शिता को प्रोत्साहित कर, लेन-देनों की गति बढ़ाकर तथा द्वितीयक बाजार लेन-देनों में सुरक्षा में वृद्धि कर निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर राज्यों हेतु विश्व बैंक का ऋण

1062. श्री भीम दाहाल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समेत पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक विकास हेतु विश्व बैंक से 6.49 करोड़ डालर की सहायता की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त राज्यों में इस धनराशि का उपयोग किस ढंग से किए जाने की संभावना है;

(घ) तृतीय तकनीकी शिक्षा परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां। तकनीशियन शिक्षा प्रणाली की क्षमता-विस्तार, गुणवत्ता तथा दक्षता सुधार हेतु उत्तर-पूर्वी राज्यों के साथ-साथ सिक्किम, जम्मू और कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह की मदद करने के लिए विश्व बैंक के साथ तृतीय तकनीशियन शिक्षा परियोजना हेतु 64.9 मिलियन डालर की सहायता मुहैया कराने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित व्यय निम्नानुसार है:-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमानित व्यय (मिलियन रुपए)
1. अण्डमान और निकोबार	216.48
2. अरुणाचल प्रदेश	235.61
3. जम्मू और कश्मीर	647.46
4. मेघालय	531.91
5. मिजोरम	349.31
6. नागालैण्ड	466.96
7. सिक्किम	573.39
8. त्रिपुरा	123.47

(ग) से (ङ) इस परियोजना में 6 नए पॉलिटेक्नीकों की स्थापना और 12 मौजूदा पॉलिटेक्नीकों का विकास किया जाना है। तृतीय तकनीशियन शिक्षा परियोजना 6 वर्ष की समयावधि में कार्यान्वित की जाएगी। परियोजना की कुल लागत 80.10 मिलियन डालर होना का अनुमान है जिसमें से विश्व बैंक (आई.डी.ए.) की ब्याज-रहित सहायता 64.9 मिलियन डालर की होगी। इस परियोजना के 3 प्रमुख घटक होंगे: (1) तकनीशियन शिक्षा की प्राप्ति को अधिकाधिक सुसाध्य बनाने के लिए क्षमता का विकास/विस्तार करना; (2) बेहतर प्रशिक्षित तकनीशियन तैयार करने के लिए शिक्षा के स्तर को सुधारना; और (3) बेहतर योजना, प्रशासन और व्यवस्था के उपयोग के जरिए दक्षता में सुधार करना तथा श्रम-बाजार की उभरती जरूरतों के प्रति अपनी अनुक्रिया-शीलता को बढ़ाना।

पांच सौ रुपए के नकली नोट का परिचालन

1063. श्री राम सिंह कस्वां: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पांच सौ रुपए के नकली नोटों का परिचालन अचानक बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखा दी जाएगी।

खिलाड़ियों को तोहफे

1064. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खिलाड़ियों के लिए विदेशों से प्राप्त तोहफों की घोषणा करना अनिवार्य बनाने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कानून के कब तक लागू हो जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक

1065. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले तदर्थ अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने मामलों में पूर्व अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक को बने रहने के लिए कहा गया है और ऐसे मामले का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामलों में जारी औपचारिक आदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) औपचारिक आदेशों के बिना कार्य कर रहे अध्यक्ष/प्रबन्ध-निदेशकों का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में बीमा

1066. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में बीमा की और अधिक संभावनाओं का पता लगाने के लिए जीवन बीमा निगम से कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अब तक कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि दि. 10.8.2000 को आरंभ की गई "जनश्री बीमा योजना" नामक नई योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, जिनमें कृषि क्षेत्र भी शामिल है, में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग शामिल हैं।

इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे तथा गरीबी रेखा से कुछ ऊपर जीवन यापन करने वाले ग्रामीण और शहरी निर्धन व्यक्तियों को जीवन बीमा सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी यदि वे चयनित व्यावसायिक समूह के संबंध रखते हों। इस योजना के अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम 200 रु. है जिसमें से 100 रु. "सामाजिक सुरक्षा कोष" से लिए जाएंगे और शेष राशि सदस्य/केन्द्रक अभिकरण से ली जाएगी।

इस योजना के लाभ निम्नानुसार प्राप्त होंगे:-

(1) स्वाभाविक मृत्यु होने पर 20,000 रु.।

(2) दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु/संपूर्ण स्थायी अपंगता होने पर 50,000 रु.।

(3) दुर्घटना के कारण आंशिक/स्थायी अपंगता होने पर, 25,000 रु.।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का निर्यात

1067. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का खाद्यान्न निर्यात करने का प्रयास पूर्णतया विफल हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या कई देश ने भारतीय खाद्यान्नों का आयात करने से इंकार कर दिया है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) एग्जिम नीति के अनुसार, गेहूँ का निर्यात विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी.जी.एफ.टी.) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाने वाली मात्रात्मक सीमाओं तथा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा जारी किए गए पंजीकरण-सह-आवंटन प्रमाण पत्र के अधीन मुक्त है। वर्ष 2000-2001 के लिए गेहूँ की 2 मिलियन टन की उच्चतम मात्रा तथा गेहूँ-उत्पादों की असीमित मात्रा घोषित की गई है। गेहूँ का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय मांग एवं पूर्ति की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू कीमत, उपभोक्ता अधिमानों तथा व्यापार की गई किस्मों पर निर्भर करेगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

सामान का मूल्यांकन

1068. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष हेतु अपनी रिपोर्ट में पृष्ठ 44-46 पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सहयोगी इकाइयों के समान के अशुद्ध मूल्यांकन के परिणामस्वरूप सरकार को हुए करोड़ों रुपये के राजस्व घाटे का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के उपबंधों को उचित रूप से लागू न करने और राज्य को हुए नुकसान के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और राज्य को नुकसान पहुंचाने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मार्च, 1999 को समाप्त हुई अवधि के लिए नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लेखा परीक्षा पैरा सं. 8.3 में 6 मामलों का उल्लेख किया गया है जिनमें उत्पाद शुल्क योग्य माल का अशुद्ध मूल्यांकन करके सहयोगी इकाइयों को निकासी की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को काफी अधिक हानि हुई थी। उत्पादन के कारखाने के बाहर निकासी किए गए माल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों को निर्माता द्वारा स्वयं निर्धारित करना होता है और सहयोगी इकाइयों को निकासी किए जाने से पहले इन्हें अदा करना होता है। यदि तुलनीय माल का मूल्य ज्ञात न हो तो मूल्य निर्धारितियों द्वारा उत्पादन की लागत और समुचित लाभ मार्जिन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करना होता है। इस प्रकार निर्धारित शुल्क और अदा किए शुल्कों को 5 मामलों में उत्पादन की लागत आदि के बारे में निर्धारितियों द्वारा की गई घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। छठे मामले में निर्धारण अभी अनन्तिम थे। इन निर्धारितियों के रिकार्डों की संवीक्षा के दौरान लेखा परीक्षा ने बताया था कि शुल्क अदायगी के लिए लागत के कतिपय कारकों पर विचार नहीं किया गया और अत्यधिक हानि का आरोप लगाया गया है। जांच-पड़ताल करने पर विभाग ने पाया कि निर्धारितियों द्वारा तथ्यों को दबाया गया और गलत घोषणा की गई थी जिसके फलस्वरूप निर्धारितियों द्वारा पहले अदा किए गए शुल्कों को स्वीकार कर लिया गया था। सभी मामलों में लगाए गए कम शुल्क की वसूली और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत अर्थ-दण्ड लगाने के लिए 'कारण बताओ नोटिस' जारी किए गए थे।

चार मामलों में, 4.79 करोड़ रुपये की राशि के शुल्कों की पहले ही पुष्टि की जा चुकी है और सूचित किया गया है कि 1.29 करोड़ रुपये का माडवेट क्रेडिट प्रत्यावर्तित कर दिया गया है और 3.90 करोड़ रुपये का अर्थ-दंड भी लगाया गया है। अन्य मामले न्याय-निर्णयन के तहत है।

जांच-पड़ताल से आधिकारिक उत्पाद शुल्क अधिकारियों की ओर से किसी चूक का पता नहीं चलता है जिसके लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई अपेक्षित हो, क्योंकि सभी मामलों में निर्धारितियों ने तथ्यों को दबाया था और शुल्क प्रयोजनों के लिए कर-निर्धारण योग्य मूल्यों को जानबूझ कर गलत घोषित किया था।

संस्थाओं का निजीकरण

1069. श्री महबूब जहेदी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सत्यजीत रे फिल्म संस्थान, कलकत्ता का निजीकरण करने का है;

(ख) क्या सरकार उनके मंत्रालय के तहत आने वाले अन्य विभिन्न विभागों/संस्थाओं का निजीकरण करने की भी योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार बाल फिल्म सोसायटी को किसी स्वैच्छिक संगठन को सौंपने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) इस मंत्रालय के अधीन किसी भी विभाग/संस्थान का निजीकरण करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक मंदी

1070. श्री जी.एस. बसवराज: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक मंदी पर काबू पाने के लिए हाल ही में भारतीय उद्योग जगत की अग्रणी हस्तियों को पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो देश के उद्योगपतियों के साथ वित्त मंत्री की बैठक में किन अन्य विषयों पर चर्चा की गई है;

(ग) क्या अधिक सीमा शुल्क की आवश्यकता और सस्ते आयात की बाढ़ को रोकने हेतु पाटन रोधी उपायों पर भी चर्चा हुई; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान औद्योगिक मंदी पर काबू पाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र की सहायता करने हेतु सरकार किन उपायों पर विचार कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) वित्त मंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति रूप से उद्योग और आधारढांचा क्षेत्रों के निष्पादन पर विचार-विमर्श करने के लिए उद्योग और वाणिज्य जगत के चुनिंदा संघों के साथ 9.10.2000 को बैठक की। वित्त मंत्री ने बैठक में भाग लेने वालों को ऐसे विशेष उपायों का सुझाव देने का अनुरोध किया जो औद्योगिक उत्पादन और समग्र आर्थिक विकास में वृद्धि करने के लिए अल्पाविध और मध्यावधि में किए जाने जरूरी है।

(ग) और (घ) उद्योग संघों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं जिनमें उच्चतर सीमा शुल्कों की आवश्यकता और सस्ते निर्यातों के प्रवाह को रोकने के लिए जमावड़ा निरोधी (एंटी डम्पिंग) उपाय शामिल हैं। उद्योग संघों और अन्यों द्वारा दिए गए सुझावों को सरकार द्वारा उपयुक्त नीतिगत उपाय करते समय ध्यान में रखा जाता है।

बैंकों के निवेशों का वर्गीकरण और आकलन

1071. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्पोरेट बांडों और पूंजी बाजारों में बैंकों के निवेशों के वर्गीकरण और आकलन के बारे में नए दिशा-निर्देश जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नए दिशा-निर्देशों के कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बाजार में अधिक धन प्रवाह को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत में ऋण बाजार के विकास हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने बैंकों द्वारा निवेश के वर्गीकरण एवं मूल्यांकन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं जो 30 सितम्बर, 2000 को समाप्त छमाही से प्रभावी हो चुके हैं। इन दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:-

(1) बैंकों को 30 सितम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार अपनी समस्त निवेश सूची को तीन वर्गों अर्थात ''परिपक्वता तक के लिए रोके गए'', ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' एवं ''व्यापार के लिए रोके गए'' के अन्तर्गत वर्गीकृत करना अपेक्षित है।

(2) ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' वर्ग के अन्तर्गत निवेशों को वर्ष की समाप्ति पर अथवा थोड़े-थोड़े अन्तराल पर बाजार में लाया जाए तथा ''व्यापार के लिए रोके गए'' वर्ग के अन्तर्गत अलग-अलग स्क्रिप का मूल्य मासिक अथवा थोड़े-थोड़े अन्तराल पर निकाला जाए।

(3) ''परिपक्वता तक के लिए रोके गए'' वर्ग के अन्तर्गत निवेशों को वैसे बाजार में लाने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि वर्तमान में ''स्थायी'' प्रतिभूतियों के मामले में किया जाता है।

(4) निवेशों का वर्गीकरण, तीनों वर्गों में निवेशों का अन्तरण, निवेशों का मूल्यन, निवेशों की बिक्री पर लाभ-हानि दर्ज करने की पद्धति जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए।

(5) वर्तमान में विभिन्न प्रतिभूतियों के लिए निर्धारित जोखिम-भारत, जिसमें ''बाजार जोखिम'' के लिए निर्धारित ''जोखिम-भार'' भी शामिल है, में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(6) सही रूप से वर्गीकरण एवं मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए डिबेन्चरों/बाण्डों में निवेश को उन श्रेणियों में अलग-अलग किया जाएगा जो अग्रिम के रूप में तथा जो निवेश के रूप में मानी जाती है।

(7) तीनों वर्गों में किए गए वर्तमान निवेश का वर्गीकरण 30 सितम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार सम्बन्धित प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने समर्पित उपहार निधियों के लिए विशेष चल नकदी सहायता देने की घोषणा की है। बैंकों को बिक्री एवं खरीद के बीच की अवधि पर बिना कोई प्रतिबन्ध लगाए सरकारी प्रतिभूतियों का एकमुश्त आधार पर निर्बाध रूप से क्रय एवं विक्रय करने तथा सरकारी प्रतिभूतियों को बैंकेतर ग्राहकों को खुदरा बेचने की अनुमति दी जा चुकी है।

विश्व बैंक ऋण

1072. **श्री साहिब सिंह:**
डा. एस. वेणुगोपाल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में विश्व बैंक का भारत पर कुल कितना ऋण बकाया है और इसका कितना ब्याज देय है;

(ख) ब्याज सहित इस ऋण को चुकाने की समयावधि क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गरीबी दूर करने हेतु विभिन्न परियोजनाओं में परियोजना-वार कितनी ऋण राशि का उपयोग किया गया है और इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या विशेषकर गरीबी उन्मूलन योजनाओं में धनराशि का अन्यत्र उपयोग या उसका दुरूपयोग किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) दि. 31.10.2000 की स्थिति के अनुसार, विश्व बैंक से लिए गए ऋण की कुल बकाया मूल राशि 26.150 बिलियन अमरीकी डालर है। आईडीए के ऋणों में ब्याज-अदायगी शामिल नहीं होती। जहां तक आईबीआरडी के बकाया ऋणों पर ब्याज का संबंध हैं, वर्ष 2000-2001 के लिए यह 330.141 मिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है।

(ख) आईडीए के ऋणों की पुन:अदायगी 10 वर्ष की छूट-अवधि सहित 35 वर्ष की अवधि में की जाती है। (1987 से पहले के ऋण दस वर्ष की छूट अवधि सहित 50 वर्ष के लिए दिए जाते थे) और आईबीआरडी के ऋणों की पुन:अदायगी 5 वर्ष की छूट अवधि के साथ 20 वर्ष की अवधि में की जाती है। ऋण के मुद्रा-संघठन तथा ऋण-करार के निष्पादन के वर्ष के आधार पर आईबीआरडी के ऋणों पर प्रति वर्ष ब्याज की वर्तमान दर 5.11 प्रतिशत से 7.18 प्रतिशत के बीच होती है।

(ग) जिला निर्धनता उपक्रम परियोजना (आंध्र प्रदेश : 111 मिलियन अमरीकी डालर, राजस्थान : 100.5 मिलियन अमरीकी डालर) के लिए दिनांक 12.5.2000 तथा 19.5.2000 को दो आईडीए ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिनका सीधा लक्ष्य निर्धनता को समाप्त करना है। इन परियोजनाओं का परिणाम अभी ज्ञात होना शेष है क्योंकि ये अभी हाल ही में कार्यान्वित की गई हैं।

(घ) ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा भंडार

1073. **श्री उत्तमराव पाटील:**
श्री मोहन रावले:
श्री चाडा सुरेश रेड्डी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्ष की तुलना में 31 अक्टूबर, 2000 तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है;

(ख) देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश के विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार (स्वर्ण और एसडीआर सहित) 31 अक्तूबर, 1999 के 33,805 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 31 अक्तूबर, 2000 की स्थिति के अनुसार 34,899 मिलियन अमरीकी डालर है। इसका अर्थ यह है कि 31 अक्तूबर, 1999 से 31 अक्तूबर, 2000 की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा भण्डार में 1094 मिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई। विदेशी मुद्रा भण्डार में घट-बढ़ भारत के भुगतान शेष के चालू और पूंजीगत खातों, दोनों में अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन से उत्पन्न विदेशी मुद्रा बाजार में माँग आपूर्ति अन्तरालों को दर्शाते हैं। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक भुगतान शेष तथा देशी और विदेशी वित्तीय बाजारों की गतिविधियों को बारीकी से मानीटर करते हैं तथा निर्यातों और भेजी गई रकम सहित अदृश्य प्राप्तियों में वृद्धि करने, पूंजी प्रवाह विशेष रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा बाजार की स्थितियों को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए समय-समय पर आवश्यक उपाय करते हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंक

1074. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की बैंक-वार शाखाएं कितनी है;

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान इन बैंकों में कितनी धनराशि जमा है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन बैंकों द्वारा कितना ऋण मंजूर किया गया;

(घ) क्या उक्त अवधि के लिए इन बैंकों द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की बैंक-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल बकाया जमाराशियां और कुल बैंक ऋणों की राशि क्रमश: 11,009 करोड़ रुपए और 4,255 करोड़ रुपए थी।

(घ) और (ङ) वर्ष 1999-2000 की वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत, उड़ीसा में बैंकों द्वारा उधार दिए जाने के लिए 1549.59 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें से, बैंकों की उपलब्धि 1386.78 करोड़ रुपए थी, जो लक्ष्य का 89.5 प्रतिशत बैठती है और पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के दौरान 84.0 प्रतिशत की उपलब्धि की तुलना में अधिक है। बैंक वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गम्भीर प्रयास कर रहे हैं।

विवरण

31.3.2000 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या

क्रम सं.	बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
1.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	2
2.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	5
3.	भारतीय स्टेट बैंक	468
4.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	1
5.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	1
6.	इलाहाबाद बैंक	53
7.	आन्ध्रा बैंक	75
8.	बैंक आफ बड़ौदा	34
9.	बैंक आफ इंडिया	113
10.	बैंक आफ महाराष्ट्र	1
11.	केनरा बैंक	39
12.	सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	49
13.	कार्पोरेशन बैंक	5
14.	देना बैंक	3
15.	इंडियन बैंक	46
16.	इंडियन ओवरसीज बैंक	73
17.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	7
18.	पंजाब एंड सिंध बैंक	2
19.	पंजाब नेशनल बैंक	51
20.	सिंडिकेट बैंक	28
21.	यूको बैंक	159
22.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	47
23.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	95
24.	विजया बैंक	7

राज्य व्यापार निगम (एसटीसी) के पास रबर का भंडार

1075. श्री सुरेश कुरूप: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में राज्य व्यापार निगम के पास रबर का कुल भंडार कितना है;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम वर्तमान में बाजार से रबर की खरीद कर रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो राज्य व्यापार निगम का रबर के अपने वर्तमान भंडार को किस तरह से उपयोग करने/निपटाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया 1997 से बाजार से रबड़ की खरीद कर रही है। भारत सरकार की बाजार हस्तक्षेप संबंधी योजना के पहले तीन चरणों के दौरान एस.टी.सी. द्वारा खरीदी गई रबड़ की कुल 49,000 मी. टन की मात्रा अग्रिम लाइसेंस धारकों को बेची जा चुकी है।

चूँकि वर्तमान में एस.टी.सी. के पास अग्रिम लाइसेंस धारकों द्वारा प्रस्तुत किए गए मांग-पत्रों पर निगम द्वारा 20,000 मी. टन रबड़ की खरीद की जा रही है, इसलिए एस.टी.सी. द्वारा अब रबड़ का स्टॉक रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

डा. भीमराव अम्बेडकर पर फिल्म

1076. श्री रामदास आठवले: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार और केन्द्र सरकार के सहयोग से डा. भीमराव अम्बेडकर पर कोई फिल्म बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस फिल्म को क्षेत्रीय भाषाओं में "डब" करने के लिए धनराशि आबंटित करने का है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न संगठनों और जन प्रतिनिधियों से ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इन अभ्यावेदनों पर क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) जी, हां। डा. बाबा साहेब अम्बेडकर पर फिल्म को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (भारत सरकार) तथा महाराष्ट्र सरकार दोनों ने कार्यकारी निर्माता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ संयुक्त रूप से वित्तपोषित किया है।

(ग) भारत सरकार ने इस फिल्म को 6 क्षेत्रीय भाषाओं में डब करने के लिए 60 लाख रुपये आबंटित किए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) उपरोक्त (घ) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी ऋण

1077. **श्री रामचन्द्र बैंदा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 जुलाई, 2000 तक भारत पर कितना विदेशी ऋण था और उन देशों एवं संस्थानों का ब्यौरा क्या है जिनसे ऋण लिया गया था;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष विदेशी ऋण पर कितना ब्याज दिया जा रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा देश के ऋण बोझ को कम करने हेतु क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक सरकारी खाते पर अदा की गई ब्याज की राशि निम्नानुसार है:-

अदा किया गया ब्याज	1997-98	1998-99	1999-2000
(बिलियन अमरीकी डालर में)	1.10	1.04	1.04

(घ) 1990 के दशक की शुरूआत से भारत के विदेशी ऋण की स्थिति में आया सुधार सरकार द्वारा अपनाई गई सुविचारित ऋण प्रबंध नीति के कारण है जो परिपक्वता ढांचे व कुल वाणिज्यिक ऋण को प्रबंध योग्य सीमाओं में रखते हुए, अल्पावधि ऋण को सीमित रखते हुए तथा गैर-ऋण सृजक प्रवाहों को प्रोत्साहित करते हुए निर्यात की ऊंची वृद्धि दर पर केन्द्रित है।

विवरण

अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 2000 को भारत का कुल बकाया विदेशी ऋण 98.44 बिलियन अमरीकी डालर था। पिछले तीन वर्षों (31 मार्च, 1998 से 31 मार्च, 2000 तक) के लिए प्रमुख ऋणदाता स्रोतों के अनुसार ऋण की संरचना दी गई है:-

(बिलियन अमरीकी डालर)

		31.3.1998 की स्थिति के अनुसार	31.3.1999 की स्थिति के अनुसार	31.3.2000 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5
1.	बहुपक्षीय:	29.55	30.54	31.32
	जिसमें से*			
	आई.डी.ए.	17.54	18.30	18.70
	आई.बी.आर.डी.	8.34	8.11	8.03
	ए.डी.बी.	3.15	3.63	4.09

1	2	3	4	5
2.	द्विपक्षीय	16.97	17.46	18.06
	जिसमें से*			
	जापान	6.93	8.05	9.59
	जर्मनी	3.45	3.46	2.99
	यू.एस.ए.	1.69	1.57	1.44
	फ्रांस	1.01	0.98	0.84
3.	आई.एम.एफ	0.66	0.29	0.03
4.	निर्यात ऋण	6.53	6.89	6.65
5.	वाणिज्यिक ऋण:	16.99	21.04	19.37
6.	एन. आर. आई. एण्ड एफ. सी. (बी. एंड ओ.) डिपोजिट	11.91	12.34	14.58
7.	रुपया ऋण	5.87	4.73	4.39
9.	अल्पावधि ऋण	5.05	4.39	4.04
	जोड़	93.53	97.68	98.44

*सरकारी और गैर-सरकारी खाते पर

[अनुवाद]

व्यावसायिक वाहनों का निर्यात

1078. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998, 1999 और 2000 के दौरान आज तक व्यावसायिक वाहनों सहित विभिन्न प्रकार के कितने वाहनों का निर्यात किया गया;

(ख) इससे देश-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) ऐसे वाहनों का निर्यात बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 (अप्रैल-सितंबर, 2000) के दौरान 2/3 पहिए वाले वाहनों को छोड़कर वाणिज्यिक वाहनों सहित विभिन्न प्रकार के वाहनों के निर्यातों की संख्या क्रमश: 38230 (संख्या), 38331 (संख्या) और 17791 (संख्या) रही थी [स्रोत: एस.आई.ए.एम.]

(ख) 2/3 पहिए वाले वाहनों को छोड़कर वाणिज्यिक वाहनों सहित, वाहनों के देशवार निर्यातों को मूल्य के रूप में दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) वाहनों के निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई विशेष स्कीम नहीं है। तथापि, इंजीनियरिंग क्षेत्र में अन्य वस्तुओं के समान वाणिज्यिक वाहनों सहित, वाहनों के निर्यात को बढ़ाने का सरकार का निरंतर प्रयास रहा है। वाणिज्यिक वाहनों सहित वाहनों के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपायों में शामिल हैं- शुल्क छूट योजना, निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना, शुल्क हकदारी योजना, आयकर अधिनियम की धारा 80 एच.एच.सी. के अधीन छूट, बाजार संवर्धन कोष से सहायता इत्यादि सहित निर्यात आयात नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रावधान।

विवरण

तैयार वाहनों के निर्यात का मूल्य वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान स्रोत: डी.जी.सी.आई. एंड एस.

(लाख रु. में एफ.ओ.बी. मूल्य)

देश	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4
अफगानिस्तान	-	-	6.02
अल्जीरिया	415.77	100.07	127.34
अर्जेण्टीना	1880.41	188.36	233.28
अंगोला	508.23	-	24.05

1	2	3	4
आस्ट्रेलिया	2611.71	554.53	286.01
आस्ट्रिया	337.91	332.54	3.36
बहरीन	170.1	144.9	49.61
बहमास	4.72	–	–
बंगलादेश	6406.62	10501.14	2255.22
बरबाडोस	–	5.36	5.15
बेल्जियम	823.35	1840.55	373.36
बरमुडा	169.55	51.72	–
भूटान	77.46	86.84	–
बोत्सवाना	12.44	–	–
ब्राजील	–	–	3.83
बोलीविया	48.67	20.5	89.84
बुल्गारिया	–	61.33	69.14
कैमेरून	8.4	–	–
कनाडा	6.61	29.63	–
चिली	1110.66	1093.94	543.67
कोलम्बिया	–	404.65	2.13
कांगो	273.82	–	28.55
क्यूबा	–	9.11	–
साइप्रस	108.8	131.36	32.88
डेनमार्क	2086.07	5831.83	1.71
दजिबूटी	51.39	68.34	10.94
डोमिनिक रिप.	270.95	–	–
मिस्र	2091.18	1201.56	232.14
अल्सल्वाडोर	42.98	–	22.87
इक्वेडोर	251.74	–	0
इथियोपिया	1.03	4.12	9.4
फिजी	153.13	–	–
फिनलैंड	–	143.58	484.74

1	2	3	4
फ्रांस	493.46	101.15	245.83
गैबॉन	43.06	11.33	–
जाम्बिया	–	–	326.25
जर्मनी	7293.67	3094.8	621.45
घाना	1143.04	83.85	183.35
ग्रीस	387.02	2370.4	559.27
गुएनिया	200.51	–	–
ग्वाटेमाला	25.5	97.1	–
होंडूरास	–	8.84	53.37
हांगकांग	–	248.22	16.8
हंगरी	249.71	122.32	98.19
इंडोनेशिया	65.66	16.22	–
आयरलैंड	191.39	342.25	172.52
ईरान	1766.44	137.56	–
ईराक	–	780.75	–
ईजरायल	69.97	295.13	3.54
इटली	8712.48	10570.59	4727.34
आइवरी कास्ट	406.13	43.02	–
जापान	126.02	318.86	40.2
जार्डन	855.62	62.24	1.61
केन्या	914	191.97	233.55
कोरिया डी पी	26.18	7.15	6.01
कोरिया आर पी	–	188.83	–
कुवैत	1023.52	3191.13	324.7
लेबनान	585.26	162.19	74.46
लग्जेमबर्ग	5.13	21.5	–
मैकोरनीया	–	244.58	31.74

1	2	3	4
मालागासी	94.51	–	–
माली	8.48	–	–
मालावी	–	567.02	–
मालदीव	–	47.51	–
माल्टा	681.81	1561.58	268.97
मलेशिया	12.05	1320.91	634.42
मारीशस	1020.05	733.81	707.08
मैक्सिको	1220.05	733.81	707.08
मोरक्को	–	1.73	–
मोजाम्बिक	1399.12	1076.77	150.4
म्यामांर	3.26	0.09	–
नामीबिया	226.27	159.31	53.84
नेपाल	4467.93	85895.38	667.74
नीदरलैंड	11531.11	6819.79	3834.32
न्यूजीलैंड	9.47	6.22	–
निकारागुआ	–	–	57.62
नाइजीरिया	1316.84	246.45	29.51
ओमान	488.31	536.13	158.04
पनामा	316.32	104.67	–
पापुआ एन जी	–	33.23	–
पराग्वे	559.25	219.64	174.33
पेरू	347.91	8.75	1.3
पोलैंड	–	1.29	–
पुर्तगाल	332.71	2640.82	842.84
पोर्तु तिमोर	–	–	720.18
कतर	360.26	116.8	227.32
रूमानिया	192.23	6.39	–
रूस	7.42	1.69	–
सउदी अरब	104.51	510.51	7.14
सेनेगल	135.7	104.09	49.38
सिचेलेस	168.98	10.86	18.17
सिंगापुर	124.71	16.43	247.7
स्लोवाक रिप.	9.28	–	–

1	2	3	4
दक्षिण अफ्रीका	2276.5	132.52	83.32
स्पेन	11109.17	7542.66	2022.56
श्रीलंका	14887.09	14158.07	6969.63
सेंट लुईस	2.04	18.93	7.5
सेंट वनातु	53.72	–	–
सूडान	165.4	155.58	–
सूरीनाम	71.75	–	–
स्वीडन	–	1607.22	1159.64
स्विटजरलैंड	98.37	638.6	–
सीरिया	20.93	22.13	–
ताइपेई	–	5.21	–
तंजानिया	979.22	557.87	45.48
थाइलैंड	–	16.95	–
टोगो	47.26	–	–
त्रिनिडाड	32.94	48.94	19.25
ट्यूनीशिया	–	1.49	–
टर्की	98.64	1548.47	2207.99
यू.ए.ई.	4904.18	3624.8	1335.41
यू.के.	9336.94	5891.79	4507.57
युगांडा	672.25	151.67	147.93
उरूग्वे	984.96	222.67	88.11
यू.एस.ए.	346.87	433.15	51.8
उज्बेकिस्तान	20.47	–	–
वेनेजुएला	21.6	–	–
वियतनाम	4.62	–	–
वालिस	–	4.34	–
यमन रिप.	1.3	21.52	–
युगास्लाविया	50.36	–	22.2
जैरे	57.02	34.95	–
जाम्बिया	568.54	414.71	106.69
जिम्बाम्बे	10.53	–	–

तेल कम्पनियों में विनिवेश

1079. श्री मोइनुल हसन:
श्री पुष्प जैन:
श्री राजो सिंह:
श्री रामचन्द्र बैंदा:

क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों का विनिवेश एजेंडा में था और इसे विनिवेश संबंधी कैबिनेट समिति द्वारा मंजूर किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा नियुक्त अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकारों की राय विभिन्न तेल क्षेत्रों में विनिवेश के मामले में प्राप्त कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां सहित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश प्रस्तावों पर विचार करना एक सतत प्रक्रिया है। अत: विनिवेश पर मंत्रिमंडल समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के बारे में समय-समय पर विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया है। अकेले खड़े तेल शोधक कारखानों की दीर्घ कालीन व्यवहार्यता में सुधार लाने के उद्देश्य से और पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के बीच परस्पर व्यापार सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने सितम्बर 2000 में अनुकूल सहयोगियों के माध्यम से पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की निम्नलिखित पुनर्संरचना का अनुमोदन किया है:-

(1) भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) कोची रिफाइनरी लिमिटेड (के.आर.एल.) में भारत सरकार की 55.04 प्रतिशत की समस्त शेयर धारिता को खरीदेगी और कोची रिफाईनरी लि. को अपनी सहायक कम्पनी बनाएगी।

(2) भारतीय तेल निगम लि. चेन्नी पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि. में भारत सरकार की 52.5 प्रतिशत और बोंगाईगांव रिफाइनरी एवं पैट्रोकेमिकल्स लि. में 74.46 प्रतिशत की समस्त शेयरधारिता को खरीदेगी और उन्हें अपनी सहायक कम्पिनयाँ बनाएगी।

(3) बी.पी.सी.एल. आई.बी.पी. से नुमालीगढ़ रिफाइनरी की इक्विटी के 19 प्रतिशत का क्रय करेगी और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. को अपनी सहायक कम्पनी बनाएगी।

(4) तेल इन्डिया लि. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. के इक्विटी पूंजी के अपूर्वकृत हिस्से से नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. की इक्विटी के 10 प्रतिशत की खरीद करेगी; और

(5) के.आर.एल., सी.पी.सी.एल., बी.आर.पी.एल. और एन.आर.एल. में सरकार की शेयरधारिता की बिक्री के लिए शेयरों का मूल्य निर्धारण, वित्त मन्त्रालय के परामर्श से पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। कीमतों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

(ग) से (ङ) किसी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के संबंध में सरकार द्वारा निर्णय लेने के बाद ही आमतौर पर लेन-देन के लिए सलाहकारों की नियुक्ति की जाती है। केवल विशिष्ठ निर्णयों के क्रियान्वयन के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए सलाहकारों की नियुक्ति को अनिवार्य बनाया गया है।

चाय की गुणवत्ता में सुधार

1080. श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चाय के लिए गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) जी, हां। चाय बोर्ड ने तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में 11.7.2000 से प्रायोगिक आधार पर एक गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम पहले से ही शुरू किया है। यह कार्यक्रम युनाईटिड प्लांटर्स एसोसिएशन आफ साऊथ इंडिया (यू.पी.ए.एस.आई.) की सहायता से शुरू किया जिसका उद्देश्य छोटे उपजकर्त्ताओं तथा चाय के विनिर्माताओं के बीच फाइनर प्लाकिंग स्डेर्ड अपनाए जाने का महत्व उनके अंत्य-उत्पाद के लिए लाभकारी कीमतें प्राप्त करने के लिए चाय विनिर्माण प्रक्रिया के सुधार करने के महत्व के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना है। कार्यक्रम की अन्य मुख्य विशेषताओं में ये शामिल हैं: भिन्न-भिन्न गाँवों में गुणवत्ता जागरूकता अभियान, विज्ञापनों, फिल्में, पोस्टर्स, नोटिस आदि सहित प्रचार तथा उपजकर्त्ताओं और फैक्टरी के प्रबंधकों के लिए संगोष्टियाँ/सम्मेलन/किसानों का अधिवेशन आदि आयोजित करना।

गैर-सरकारी संगठन, असम कृषि विश्वविद्यालय और उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय को भी असम तथा पश्चिम बंगाल के अन्य चाय की खेती करने वाले क्षेत्रों में कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में सहयोजित किया गया है।

जी.आई.सी. की अनुषंगी कम्पनियों के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग

1081. श्री शमशेर सिंह दूलो: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) न्यू इंडिया एश्योरेंश कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंश कंपनी लिमिटेड में आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग का संगठनात्मक ढांचा क्या है;

(ख) विभाग में पंद्रह वर्षों से अधिक समय से कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान संबंधित कंपनियों के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग और सरकारी लेखा परीक्षा विभाग द्वारा कितनी वसूली दर्शायी गई;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों से संबंधित कंपनियों के लेखा परीक्षा रिपोर्टों में वसूली हेतु भारी धनराशि लंबित है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आंतरिक लेखा परीक्षा/सरकारी लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उल्लिखित वसूली के लिए संबंधित कम्पनियों द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) न्यू इंडिया एश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड और यूनाइटेड इश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड, दोनों के आन्तरिक लेखा-परीक्षा विभाग की क्षेत्रीय तथा मुख्य कार्यालय स्तर पर स्थापित दो स्तरीय व्यवस्था है।

(ख) सूचना निम्नानुसार है:-

	कर्मचारियों की कुल संख्या	विभाग में 15 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
न्यू इंडिया	88	14
यूनाइटेड इंडिया	148	शून्य

(ग) और (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) इन दोनों बीमा कम्पनियों ने यह सूचित किया है कि उल्लिखित वसूलियों के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है:-

(1) प्रत्येक क्षेत्र में नियमित लेखा-परीक्षा समीक्षा बैठकें हुई हैं जिसमें लेखा-परीक्षा अधिकारियों तथा प्रचालन कार्यालयों के मुख्याधिकारियों के बीच आपसी बातचीत हुई।

(2) लेखा-परीक्षा के संबंध में बोर्ड उप-समिति है, जो नियमित आधार पर लंबित वसूली स्थिति की समीक्षा करती है और संबंधित क्षेत्रीय मुख्याधिकारियों को आवश्यक अनुदेश जारी करती है।

(3) संबंधित कंपनियों के बोर्डों को आन्तरिक लेखा-परीक्षा और सरकारी लेखा-परीक्षा, दोनों की लंबित स्थिति की सूचना दी जाती है।

(4) जहां तक सी.ए.जी. लेखा-परीक्षा पैरों का संबंध है, लंबित प्रश्नों के निपटान हेतु निरन्तर मानीटरिंग प्रणाली है तथा सी. ए. जी. कार्यालय के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत होती है। दीर्घावधि लंबति लेखा-परीक्षा पैरों का समाधान करने के लिए वाणिज्य लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक के साथ लेखा परीक्षा समिति की बैठकें भी हुई हैं।

विवरण

भाग ''ग''

न्यू इंडिया एश्योरेंश कंपनी लि.

वित्तीय वर्ष	आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रश्न		सी.ए.जी. पैरा*
	संख्या	राशि (लाख रु.)	संख्या
1997-98	11597	955.66	122
1998-99	9539	2213.52	155
1999-2000	8795	1207.97	193

यूनाइटिड इंडिया इंश्योरेंश कम्पनी लि.

वित्तीय वर्ष	आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रश्न		सी.ए.जी. पैरा*
	संख्या	राशि (लाख रु.)	संख्या
1997-98	14760	353.11	338
1998-99	18203	1158.46	208
1999-2000	14382	1292.06	81

*सी.ए.जी. पैरों में दर्शाई गई राशि निश्चेय नहीं है।

भाग ''घ''

वित्तीय वर्ष	न्यू इंडिया		यूनाइटेड इंडिया	
	संख्या	राशि (लाख रु.)	संख्या	राशि (लाख रु.)
1997-98	4030	956.01	41315	3305.79
1998-99	4199	784.42	44557	3358.81
1999-2000	22722	5520.91	47913	4070.44

एफ.एम. न्यूज चैनेल्स

1082. श्री अनन्त नायक: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कतिपय चयनित शहरों में चौबीसों घंटे एफ.एम. न्यूज चैनेल शुरू करने का है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2000-2001 से एफ.एम. न्यूज चैनल के अंतर्गत कितने शहरों को शामिल किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या न्यूज चैनेल्स क्षेत्रीय भाषाओं में भी समाचार प्रसारित करेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) सरकार को इस संबंध में प्रसार भारती से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, प्रसार भारती से सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सीमेंट का उत्पादन

1083. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सीमेंट उत्पादन से संबंधित अपनी नीति में कोई बदलाव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय सीमेंट निगम में उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) भारतीय सीमेंट निगम में सीमेंट की बिक्री हेतु कितने डम्पिंग स्थल उपलब्ध हैं और इन डम्पों द्वारा बिक्री से संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के प्रथम छमाही के दौरान लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1998-99 से भारतीय सीमेंट निगम का उत्पादन निम्नानुसार है:-

1998-1999	-	9.47 लाख मीट्रिक टन
1999-2000	-	6.56 लाख मीट्रिक टन
2000-2001 (अक्तूबर तक)	-	1.75 लाख मीट्रिक टन

(घ) भारतीय सीमेंट निगम में सीमेंट की बिक्री हेतु 72 डम्पिंग स्थल उपलब्ध हैं और इनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) शुद्ध लाभ/हानि	(रुपये लाख में)
1998-99	(-) 18494.33
1999-2000 (अनन्तिम)	(-) 21691.36
2000-2001 (सितम्बर, 2000 तक) (अनन्तिम)	(-) 10852.00

विवरण

भारतीय सीमेंट निगम में सीमेंट की बिक्री हेतु उपलब्ध डम्पिंग स्थलों का विवरण।

क्षेत्र	डिम्पिंग स्थलों की संख्या	1998-1999	1999-2000	2000-2001 (सितम्बर 2000 तक)
उत्तर	22	115256	98306	23945
पूर्व	12	57199	42131	25705
पश्चिम	23	254949	122679	21940
हैदराबाद	4	69744	55005	9038
चेन्नई	11	194930	64365	2992
योग	72	692078	382486	83620

[अनुवाद]

पत्तन आधारित उद्योगों की स्थापना

1084. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उड़ीसा के पारादीप और गोपालपुर में कुछ पत्तन आधारित उद्योगों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न चरणों में विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन प्रस्तावों को क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) जहाजरानी मंत्रालय (पत्तन स्कंध) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार इस समय उड़ीसा के पारादीप अथवा गोपालपुर में पत्तन आधारित किसी उद्योग की स्थापना करने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

सिडनी ओलम्पिक खेल

1085. **श्री के. येरननायडू:**
श्री रामजी मांझी:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिडनी में ओलम्पिक खेलों के कवरेज के लिए दूरदर्शन के 15-सदस्यीय दल पर उनके 15 दिन के ठहराव के दौरान कितना व्यय हुआ;

(ख) ओलम्पिक खेलों के प्रसारण अधिकार सुनिश्चित करने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों की सिडनी यात्रा पर कितनी राशि व्यय हुई;

(ग) इस संबंध में प्रचार पर कितना व्यय किया गया;

(घ) इस उद्यम पर दूरदर्शन द्वारा कितने लाभ अर्जन का अनुमान था और कितना लाभ अर्जित किया गया; और

(ङ) सरकार द्वारा दूरदर्शन को हुई वित्तीय हानि के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि सिडनी ओलम्पिक खेल, 2000 के कवरेज के लिए 3 सितम्बर, 2000 से 3 अक्तूबर, 2000 के दौरान सिडनी में 15 सदस्यीय दल की प्रतिनियुक्ति पर 62.25 लाख (लगभग) रु. की राशि खर्च हुई थी।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि ओलम्पिक खेल 2000 के केवल टी.वी. अधिकारों के सौदे के लिए किसी भी अधिकारी को सिडनी के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया गया था। दूरदर्शन एशिया प्रशांत प्रसारण संघ (एबीयू) का एक सदस्य होने के नाते, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती की अध्यक्षता में एक-चार सदस्यीय दल ने एशिया प्रशांत संघ की आम सभा की। 28 अक्तूबर से 5 नवम्बर, 1999 तक आयोजित 36वीं बैठक में भाग लेने के लिए सिडनी का दौरा किया जहां एबीयू द्वारा अपने सदस्यों की तरफ से ओलम्पिक खेल के अधिकारों को सामूहिक रूप से प्राप्त करने पर भी विचार-विमर्श किया गया था। इन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर कुल 8.46 लाख रु. (लगभग) खर्च हुआ।

(ग) सिडनी ओलम्पिक के प्रचार पर लगभग 1.20 करोड़ रुपये खर्च हुए।

(घ) मैसर्स प्रितीश नन्दी कम्युनिकेशन्स लिमिटेड को 15.01 करोड़ रु. की न्यूनतम गारंटी राशि पर सिडनी ओलम्पिक के विपणन का अनुबंध दिया गया था। तथापि, चूंकि वे अपनी प्रतिबद्धताओं से हट गए, इसलिए 7.505 करोड़ रु. की बैंक जमानत को भुना लिया गया। प्रसार भारती को समारोह के बीच में इसके विपणन के लिए स्वयं प्रयास करने पड़े थे। तद्नुसार विज्ञापनदाताओं से सम्पर्क किया गया लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि खेलों का लगभग एक सप्ताह पहले ही पूरा हो गया है, बहुत कम विज्ञापनदाता विज्ञापन देने के इच्छुक थे। इन प्रयासों के फलस्वरूप दूरदर्शन ने 1.08 करोड़ रु. का राजस्व अर्जित किया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कल्याणकारी कार्पस निधि का बनाया जाना

1086. **श्री जी.एम. बनातवाला:**
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उन पत्रकारों के लिए कल्याणकारी कार्पस निधि बनाने का है जो युद्ध आतंकवाद और हिंसा का कवरेज करते समय मारे गए, अपाहिज हुए या घायल हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन स्रोतों का पता लगाया है जहां से ऐसी राशि दिए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्पस निधि की कुल राशि कितनी है; और

(ङ) प्रस्तावित कल्याणकारी निधि कब तक प्रभावी हो जाएगी?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) इस मामले की जांच की जा रही है।

(ङ) इस समय कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना

1087. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना जारी करने हेतु कतिपय चयनित कंपनियों को अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन कंपनियों के क्या नाम हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने 24 जून, 1999 को कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना एवं कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश उन कंपनियों पर लागू होते हैं, जिनके शेयर भारत के किसी भी स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। दिशानिर्देशों के अन्तर्गत कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी) जारी करने के लिए कंपनियों को सेबी से अनुमति/अनुमोदन लेने अथवा सेबी के पास अपने ईएसओपी योजनाओं की प्रतियां दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सामाजिक विकास मेला, 2000

1088. श्री गुनीपाटी रामैया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में इस वर्ष 15 मई से 21 मई तक भारतीय व्यापार संवर्द्धन संगठन (आई.टी.पी.ओ.) के तत्वावधान में सामाजिक विकास मेला, 2000 आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त मेले के क्या उद्देश्य थे और उन्हें किस हद तक प्राप्त किया गया;

(ग) क्या सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पादों का मेले में प्रदर्शन किया गया था और उन्हें बिक्री हेतु रखा गया था; और

(घ) यदि हां, तो इन उत्पादों की किस हद तक बिक्री हुई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, हां।

(ख) सामाजिक विकास मेला, 2000 का आयोजन सरकार, बहुपक्षीय अभिकरणों, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्यों के प्रयासों को समन्वित करने के लिए किया गया था जो सामाजिक विकास तथा समुदाय कल्याण संबंधी मुद्दों के बारे में था। विशेष रूप से इस मेले का उद्देश्य समाज तथा समुदाय विकास के बहुविध मुद्दों जैसे महिलाओं को अधिकार देना, लिंग समानता, स्वास्थ्य सम्बन्धी हित जिसमें प्रजनक तथा बाल स्वास्थ्य, युवा तथा किशोरावस्था, साक्षरता तथा शिक्षा, शहरी विकास तथा गरीबी, स्थानीय सरकार तथा ग्रामीण विकास सड़क पर काम करने वाले बच्चे, जनसंख्या स्थायीकरण तथा विकास, एचआईवी तथा एड्स, औषधि और नारकोटिक्स, पर्यावरणीय को एक ही स्थान पर लाना था। जिसे आर्थिक उदारीकरण और सतत मानव विकास के संदर्भ में देखा गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) मेले में हुए व्यापार की मात्रा को बताना संभव नहीं है। तथापि लगभग 95% सहभागियों ने मेले में प्राप्त किए गए परिणामों पर संतोष व्यक्त किया।

कर्नाटक से मक्के की खरीद

1089. श्री एच.जी. रामुलू: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कर्नाटक में मक्के का मूल्य काफी गिर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने मक्के के खरीद के मानदण्डों में छूट की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय खाद्य निगम ने कर्नाटक से मक्के की खरीद की है;

(च) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम ने अब तक कुल कितने मीट्रिक टन मक्के की खरीद की है; और

(छ) कर्नाटक से, विशेषकर कोप्पल जिले से मक्के के पूरे भण्डार की खरीद हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (छ) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम और कर्नाटक सरकार ने मामले की समीक्षा की है और मक्का खरीदने के लिए 22 केन्द्रों की पहचान की है। 20 नवम्बर, 2000 तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा 8,859 टन मक्का की वसूली की गई है। कर्नाटक में मक्का की वसूली करने के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार द्वारा सभी प्रबंध कर लिए गए हैं।

उचित औसत किस्म की विनिर्दिष्टियों के अनुरूप सारे स्टाक की वसूली कर ली गई है। कोप्पल में, बाजार में 11,143 टन मात्रा की आमद हुई थी जिसमें से अब तक विनिर्दिष्टियों के अनुरूप पाई गई 871 टन मात्रा की वसूली कर ली गई है।

मक्के की वसूली के लिए विनिर्दिष्टियों में छूट देने विषयक राज्य सरकार का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

चावल की गुणवत्ता

1090. **श्री टी. गोविन्दन: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय राशन डीलर एसोसिएशन, केरल से मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त गुणवत्ता वाले चावल के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, हां। अखिल भारत राशन डीलर्स एसोसिएशन, केरल से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जो अन्य समस्याओं के साथ, घटिया गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों की आपूर्ति के बारे में है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केरल को जारी किया गया चावल जन उपभोग के लिए उपयुक्त है और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानकों के अनुरूप है।

(ख) केरल में भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1997-98 में रियायत प्राप्त विनिर्दिष्टियों के अधीन वसूल किए गए चावल (यू.एस.आर. चावल) की आपूर्ति रोक दी गई है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के अनुरूप अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु भारतीय खाद्य निगम को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया में अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति

1091. **डा. जसवंत सिंह यादव: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोक उद्यम चयन बोर्ड ने सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक के पद के लिए किसी उम्मीदवार का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति के लिए चयन हेतु 10 व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करना एक सामान्य प्रथा है;

(घ) यदि हां, तो सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया में अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति हेतु केवल एक नाम की सिफारिश किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या वर्तमान अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक सतर्कता आयोग द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो क्या इस मामले में सरकार को सतर्कता आयोग से स्वीकारोक्ति नहीं मिली है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (क) जी, हां। लोक उद्यम चयन बोर्ड ने सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए एक उम्मीदवार की सिफारिश की है।

(ग) और (घ) लोग उद्यम चयन बोर्ड सामान्यत: नियुक्ति के लिए योग्यता क्रम से एक अथवा दो नामों की सिफारिश करता है।

(ङ) से (छ) इस मामले, में सतर्कता आयोग की अंतिम सिफारिश की प्रतीक्षा है।

आयकर में छूट

1092. **श्री सुबोध मोहिते: क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को निगमित निकायों और व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई धनराशि पर आयकर में छूट देने के लिए केन्द्रीय सर्तकता आयोग से सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। उक्त सुझाव यह है कि व्यक्तियों अथवा निगमित निकायों द्वारा चुनावों को धन और राजनैतिक दलों को चंदा देने को स्वतंत्र रूप से अनुमति दी जानी चाहिए और अधिनियम के अंतर्गत ऐसे चंदे को कर में कटौती मिलनी चाहिए। दूसरा यह है कि राजनैतिक दलों को अपने खातों की उचित रूप से लेखा-परीक्षा करानी चाहिए ताकि धन देने की प्रक्रिया में पूर्णतया पारदर्शिता आ सके। यदि इन उपायों को अपनाया जाता है तो इससे देश में काले धन की आवा-जाही की काली छाया समाप्त हो जाएगी।

(ग) इस मामले पर सरकार विचार कर रही है। यदि सरकार का कोई प्रत्युत्तर हुआ तो उसे वित्त विधेयक, 2001 में निहित बजट प्रस्तावों में दर्शाया जाएगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

1093. **श्री पी.आर. खुंटे:**
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संघ राज्य क्षेत्र/राज्य स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए उपाय करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अंतर्गत चलाई जाती है। केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिंसों की वूसली, भंडारण और केन्द्रीय गोदामों तक ढुलाई करने और इन्हें राज्य सरकारों को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। उचित दर दुकानों के माध्यम से इनका वितरण करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रशासन का दायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से उपभोक्ताओं तक आवश्यक वस्तुओं को प्रभावी रूप से पहुंचाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मॉडल सिटीजन चार्टर तैयार किया गया है और इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है कि ताकि वे इसे अपना सकें। इस विश्वास के आधार पर कि राज्य नौकरशाही की तुलना में सच्ची लोकतांत्रिक संस्थाएं सभी के लिए बेहतर रूप से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, सरकार ने राज्य सरकारों को यह भी परामर्श दिया है कि वे सामाजिक लेखापरीक्षा के उपाय के रूप में विशेष रूप से उचित दर दुकान स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पर्यवेक्षण और मानीटरिंग में ग्राम पंचायतों को प्रभावी रूप से शामिल करें।

राज्य सरकारों से नियमित रूप से अनुरोध किया जाता है कि वे उचित दर दुकान और अन्य स्तरों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निकट मानीटरिंग करने और पारदर्शी तथा जवाबदेह तरीके से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिंसों का वितरण करने की व्यवस्था करें। उनसे यह भी कहा गया है कि वे जाली राशन कार्डों को समाप्त करें और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन उचित दर दुकानों के दोषी मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई करें।

भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित विभाग के कार्यों के किसी भी पहलू से संबंधित शिकायत को सुनने के लिए सार्वजनिक वितरण विभाग में लोक शिकायत निपटान कक्ष स्थापित किया है।

भारत सरकार ने विपथन की शिकायतों सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य की मानीटरिंग करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्षेत्र अधिकारी नियुक्त किए हैं। क्षेत्र अधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणियों को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा जाता है।

सरकार ने खाद्यान्न प्रबन्धन और सार्वजनिक वितरण संबंधी पारमर्शदात्री परिषद के क्षेत्राधिकार के अधीन राज्य सरकारों से चर्चा की थी। जिसमें प्रणाली को बेहतर रूप से लक्षित करने, मूल्यों को युक्तियुक्त बनाने, प्रणाली की प्रभावी मानीटरिंग के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधी अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

[हिन्दी]

चावल निर्यातकों की समस्याएं

1094. **मोहम्मद शहाबुद्दीन:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चावल निर्यातकों को विदेशों में बासमती चावल के मानक अधिसूचित न होने के कारण पेटेन्ट प्राप्त करने में कानूनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय चावल निर्यातकों को किन-किन देशों में इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समिति गठित की थी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस समिति की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार चावल निर्यातकों की समस्याओं के समाधान के लिए और क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) चावल के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदमों में शामिल हैं: प्रचार अभियान चलाना, विदेशों में शिष्टमंडल भेजना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना, संभावित क्रेताओं को आमंत्रित करना और उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग सुधार, ब्रांड संवर्धन तथा बाजार सर्वेक्षण करने के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता मुहैया कराना।

[अनुवाद]

विदेशों/विदेशी वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त सहायता

1095. **श्री राम मोहन गाड्डे:**
श्री शिवाजी माने:
श्री रामजी मांझी:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
डा. अशोक पटेल:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश को विदेशों/विदेशी वित्तीय संस्थाओं से कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान विदेशी वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त सहायता का पूर्ण उपयोग किया गया;

(ग) यदि नहीं, तो मार्च, 1999 तक अप्रयुक्त सहायता राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान सरकार ने विभिन्न देशों/विदेशी वित्तीय संस्थाओं को कितने बाध्यता प्रभारों का भुगतान किया; और

(ङ) उक्त सहायता के समय पर उपयोग हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी वित्तीय संस्थाओं/देशों से प्राप्त सहायता राशि निम्नानुसार है:

(आंकड़े करोड़ रु. में)

1997-98	1998-99	1999-2000
8498.38	9924.92	11101.22

(ख) और (ग) चूंकि परियोजनाएं किसी एक समयावधि में कार्यान्वित की जाती हैं, इसलिए किसी समय विशेष में असंवितरित निधियों का अपरिहार्य-स्टॉक जमा हो जाता है। दिनांक 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार उपयोग में न लाए गए ऋण और अनुदान क्रमश: 47700 करोड़ रुपए तथा 6428 करोड़ रुपए थे।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भुगतान किए गए वचनबद्धता प्रभार इस प्रकार थे:

(आंकड़े करोड़ रु. में)

1997-98	1998-99	1999-2000
49.65	47.59	41.79

(ङ) सरकार द्वारा सहायता के उपयोग में सुधार के लिए अपनाए जाने वाले कुछ उपायों में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था का सुनिश्चय करना, अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाना, केन्द्र के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दी जाने वाली विदेशी सहायता के प्रवाह में मध्यस्थता को समाप्त करना, कार्यकारी एजेंसियों के साथ तिमाही-समीक्षा, आर्थिक कार्य विभाग में परियोजना प्रबन्ध एकक की स्थापना, नौ राज्यों तथा पांच केन्द्रीय मंत्रालयों में परियोजना प्रबन्ध एककों/परियोजना मॉनीटरिंग प्रकोष्ठों को सुदृढ़ बनाना, राज्यों के लिए केन्द्रक अधिकारी की नियुक्ति तथा प्रारम्भिक गुणवत्ता के संबंध में परियोजना की नियमित समीक्षा करना शामिल है। महत्वपूर्ण गतिविधियों की तिमाही समीक्षा के आधार पर परियोजनाओं की मॉनीटरिंग व्यवस्था भी प्रारम्भ की गयी है।

कुपोषण की शिकार आबादी के लिए अतिरिक्त खाद्य

1096. श्री बसुदेव आचार्य: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकासशील देशों में कुपोषण के शिकार लगभग 80 प्रतिशत बच्चे उन देशों में हैं जहां अतिरिक्त खाद्य उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में कुपोषण के शिकार बच्चों का प्रतिशत कितना है;

(ग) देश के गोदामों में अतिरिक्त खाद्य कितना प्रतिशत है; और

(घ) देश में कुपोषण का शिकार आबादी में अतिरिक्त खाद्य वितरण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) ऐसी कोई विशेष सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-I (1998-99) ने 3 वर्ष से कम आयु के अल्पपोषित बच्चों की निम्नलिखित प्रतिशतता की जानकारी दी थी:-

कम वजन (आयु के हिसाब से वजन)	-	46.7%
अविकसित (आयु के हिसाब से ऊंचाई)	-	44.9%
क्षय रोग ग्रस्त (आयु के हिसाब से वजन)	-	15.7%

(ग) बफर स्टॉक के मानदण्डों के अनुसार हर वर्ष पहली अक्तूबर को 65 लाख टन चावल और 116 लाख टन गेहूं रखा जाना अपेक्षित है जबकि पहली अक्तूबर, 2000 को केन्द्रीय पूल में 132.14 लाख टन चावल और 268.50 लाख टन गेहूं उपलब्ध था।

(घ) सरकार ने गरीबों के लिए राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सरकार ने अप्रैल, 2000 से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन 10 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमास से बढ़ा कर 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमास कर दिया है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन 1995 के प्रक्षेपित जनसंख्या के पूर्व आधार के बदले अब 1.3.2000 को महापंजीयक की जनसंख्या प्रक्षेपण के आधार पर निर्धारित किया गया है।

(2) सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित निर्णय भी लिए हैं:-

(i) राज्य सरकारों और भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रायोजित भिक्षुगृह, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जानजाति/पिछड़े वर्ग के छात्रों के छात्रावासों/नारी निकेतनों आदि जैसी कल्याण संस्थाओं में रहने वाले अकिंचन व्यक्तियों की श्रेणियों को कवर करने के लिए 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्न आवंटित करना।

(ii) अकिंचन वृद्धि व्यक्तियों और राज्य सरकारों से वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे अकिंचन वृद्ध व्यक्तियों को भी अन्नपूर्णा योजना के अधीन खाद्यान्न आवंटित करना।

(iii) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित की जा रही सभी कल्याण योजनाओं के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर खाद्यान्न आवंटित करना।

(iv) राज्यों में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम चलाने के लिए और हरित भारत अभियान के लिए राज्य सरकारों को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू दर पर खाद्यान्न आवंटित करना।

(v) राज्य सरकारों और भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालयों तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रायोजित गैर-सरकारी संगठनों द्वारा क्रियान्वित की जा रही उन विकास योजनाओं के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्न आवंटित करना जिनमें लाभभोगी गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित हो।

खाद्यान्नों का अतिरिक्त भण्डार

1097. श्री वरकला राधाकृष्णन:
श्री प्रियरंजन दास मुंशी:
श्री भीम दाहाल:
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्री रामचन्द्र पासवान:
श्री रूपचन्द पाल:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री अरुण कुमार:
श्री लाल बिहारी तिवारी:
श्री थावरचन्द गेहलोत:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री पवन कुमार बंसल:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रतिवर्ष कितने खाद्यान्न का उत्पादन हुआ;

(ख) भारतीय खाद्य निगम के पास कितना खाद्यान्न भण्डार है और कितना अतिरिक्त खाद्यान्न भण्डारण किया गया है और आज की तारीख में इसका मूल्य क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितना भण्डार उठाया गया है;

(घ) सरकार का विचार खाद्यान्नों के अतिरिक्त खाद्यान्नों के अतिरिक्त भण्डार का किस प्रकार निपटान करने का है;

(ङ) खुले बाजार में और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को ये खाद्यान्न बेचने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है;

(च) क्या सरकार मूल्यों की अधोमुखी पुनरीक्षा पर विचार कर रही हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन निम्नानुसर है:-

(आंकड़े मिलियन टन में)

1997-98	1998-99	1999-2000 (अग्रिम अनुमान)
192.26	203.0	4205.91

(ख) केन्द्रीय पूल में रखे जाने वाले खाद्यान्नों के स्टाक के लिए बफर मानदंड सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष त्रैमासिक आधार पर अर्थात् पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई और पहली अक्तूबर को निर्धारित किए जाते हैं। पहली अक्तूबर, 2000 को केन्द्रीय पूल में 18.1 मिलियन टन के बफर मानदंड के बदले 40 मिलियन टन खाद्यान्नों का स्टाक था। 22 मिलियन टन के अधिशेष स्टाक का मूल्य लगभग 17230 करोड़ रुपये है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली/ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उठाए गए स्टाक निम्नानुसार हैं:-

(आंकड़े मिलियन टन में)

1997-98	1998-99	1999-2000
16.8	18.4	15.7

(घ) खाद्यान्नों के अधिशेष स्टाक को निपटाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) गेहूं और चावल की खुली बिक्री क्रमश: 11.7.2000 और 4.9.2000 से प्रारंभ की गई है।

(2) गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए चावल और गेहूं के केंद्रीय निर्गम मूल्य आर्थिक लागत के 100% या भारतीय खाद्य निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए खुला बाजार बिक्री के मूल्य, जो भी कम हो, पर निर्धारित किए गए हैं।

(3) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमास के हिसाब से 1995 को प्रक्षेपित जनसंख्या की बजाए अब 1.3.2000 को प्रक्षेपित जनसंख्या के आधार पर किया जा रहा है।

(4) गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्नों का आबंटन (1) निराश्रित पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की जरूरतों को पूरा करने वाली कल्याणकारी संस्थाओं को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास की दर से और (2) "काम के बदले अनाज कार्यक्रम" सहित भारत सरकार की सभी कल्याण योजनाओं के लिए किया जाएगा।

(5) भारतीय खाद्य निगम को उस मूल्य पर गेहूं को निर्यात की पेशकश करने की अनुमति दी गई है जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य, जो वर्तमान में 4150 रुपये प्रति टन है, से कम न हो।

(ङ) 10 टन की न्यूनतम मात्रा की खरीद की शर्त के अधीन खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत किसी भी उपभोक्ता, व्यापारी, रोलर फ्लोर मिल, चक्की, को-आपरेटिव, सुपर बाजार, नागरिक आपूर्ति निगम आदि के लिए गेहूं की बिक्री खुली है। सभी क्षेत्रों के लिए मूल्य अलग से निर्धारित किए गए हैं।

(च) और (छ) जी, नहीं।

ऋण योजनाएं

1098. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधान मंत्री रोजगार योजना और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लोगों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों को राज्यवार और योजनावार कितना ऋण उपलब्ध कराया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक तथा बिहार राज्य के लिए राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक बैंक, बैंक आफ इंडिया द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बिहार राज्य में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं अर्थात प्रधान मंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसे बाद में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नाम दिया गया था और जो 1 अप्रैल, 1999 से संचालन में है, के तहत लोगों को ऋण सुविधाएं दे रहे हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा संवितरित ऋण के ब्यौरे, राज्य-वार और योजना-वार संलग्न विवरण I, II और III में दर्शाए गए हैं (यथा उपलब्ध केवल दो वर्षों के लिये)।

विवरण-I

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के अधीन राज्यवार संवितरित ऋण को दर्शाने वाला विवरण

(राशि लाख रुपये में)

राज्य का नाम	1997-98		1998-1999		1999-2000	
	सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या	संवितरित राशि	सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या	संवितरित राशि	सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या	संवितरित राशि
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	67	15.99	450	74.38	2295	481.18
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–
असम	–	–	33	10.51	157	24.21
बिहार	7	2.28	277	45.75	1322	201.39
चण्डीगढ़	–	–	10	1.74	179	49.16
गोआ	–	–	15	5.14	179	82.27

1	2	3	4	5	6	7
गुजरात	92	16.28	2481	570.32	3676	907.24
हरियाणा	–	–	170	51.4	1355	340.28
हिमाचल प्रदेश	10	1.15	21	4.7	309	89.46
जम्मू एवं कश्मीर	–	–	990	364.05	1115	442.72
कर्नाटक	62	18	146	18.09	3746	591.39
केरल	4	1.15	58	6.56	1879	311.24
मध्य प्रदेश	892	167.18	13663	3062.87	10537	2663.19
महाराष्ट्र	74	11.67	1796	373.47	8844	1726.32
मणिपुर	–	–	–	–	11	2.2
मेघालय	–	–	–	–	45	8.65
मिजोरम	–	–	–	–	–	–
नागालैंड	–	–	–	–	6	2.85
उड़ीसा	–	–	1300	131.97	2505	427.5
पंजाब	6	0.64	102	36.91	2215	693.39
राजस्थान	75	9.04	1763	315.29	4436	920.06
सिक्किम	–	–	4	0.5	21	5.04
तमिलनाडु	33	2.85	71	8.65	3130	376.97
त्रिपुरा	–	–	–	–	46	7.5
उत्तर प्रदेश	12	3.61	17902	4805.16	16969	5530.17
प. बंगाल	–	–	192	25.64	924	101.18
अंडमान एवं निकोबार	–	–	1	0.1	5	0.65
दादर एंड नगर हवेली	–	–	1	.02	1	0.2
दमन एवं दीव	–	–	11	4.59	–	–
लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–
पाण्डिचेरी	–	–	79	7.07	87	6.04
उल्लिखित नहीं	–	–	219	62.09	79	10.18
कुल	1334	249.84	41755	9987.15	66144	15987.89

विवरण-II

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के अधीन राज्यवार संवितरित ऋण को दर्शाने वाला विवरण

(राशि लाख रुपये में)

राज्य का नाम	1997-98		1998-99		1999-2000	
	सं.	संवितरित राशि	सं.	संवितरित राशि	सं.	संवितरित राशि
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	20546	11552.90	12151	6788.24	7857	4513.01
असम	7437	5301.39	4273	3055.08	2004	1118.41
अरुणाचल प्रदेश	178	124.56	178	144.10	21	14.00
बिहार	12137	9104.18	6927	5298.99	3772	2790.19
गोआ	251	180.85	263	183.71	331	307.18
गुजरात	7110	3159.71	9882	4251.10	8509	3952.30
हरियाणा	4918	2634.58	4120	2240.97	3445	1971.98
हिमाचल प्रदेश	2009	1160.11	1478	953.54	1436	953.12
जम्मू एवं कश्मीर	1969	1349.41	1076	827.80	744	603.36
कर्नाटक	14021	8095.53	8655	5062.79	3641	2137.28
केरल	11541	6473.51	9543	5154.32	6958	3663.21
मध्य प्रदेश	22205	13922.62	12365	7441.48	8029	5616.25
महाराष्ट्र	30497	15954.03	21977	11793.76	15556	9078.24
मणिपुर	658	339.77	364	151.17	40	12.30
मेघालय	377	211.66	256	133.15	99	60.68
मिजोरम	334	252.68	210	126.00	1	0.95
नागालैंड	335	249.21	110	91.58	16	12.85
उड़ीसा	4903	2938.73	1623	875.35	308	168.80
पंजाब	7549	4586.24	5975	3489.04	6078	3755.65
राजस्थान	9681	4691.04	5817	2828.82	6578	3542.41
सिक्किम	58	27.89	58	29.84	27	19.16

1	2	3	4	5	6	7
तमिलनाडु	12741	6512.99	8028	4067.71	5931	3019.79
त्रिपुरा	211	114.98	49	22.66	41	25.57
उत्तर प्रदेश	31472	19469.93	28275	16696.83	25166	15634.33
प. बंगाल	4014	2525.01	2168	1340.64	1568	964.48
अंडमान एवं निकोबार	61	42.85	85	142.78	72	50.42
चण्डीगढ़	114	85.56	56	40.30	43	28.93
दादर एंड नगर हवेली	67	45.30	28	18.61	26	15.32
दिल्ली	755	423.95	376	205.90	429	265.55
दमन एवं दीव	23	13.71	21	14.05	11	5.85
लक्षद्वीप	40	31.47	31	25.59	9	7.27
पाण्डिचेरी	308	127.49	207	75.87	136	47.85
कुल	208520	12170.3	1465257	83571.77	108882	64356.66

विवरण-III

वर्ष 1997-98 और 1998-99 के लिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) (जिसे 1 अप्रैल 1999 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना का नाम दिया गया है) के अधीन राज्य-वार संवितरित ऋण को दर्शाने वाला विवरण

(राशि लाख रुपये में)

राज्य का नाम	1997-98		1998-99	
	सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या	संवितरित राशि	सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या	संवितरित राशि
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	162117	15572.83	140880	14251.22
अरुणाचल प्रदेश	12799	263.65	12432	221.72
असम	39585	3089.93	47364	3964.16
बिहार	196685	20884.97	176213	24021.30
गोआ	897	62.24	895	78.55
गुजरात	41822	4870.71	39598	4986.64
हरियाणा	10853	1651.54	16743	2797.42
हिमाचल प्रदेश	5548	1143.21	7331	1925.59

1	2	3	4	5
जम्मू एवं कश्मीर	13643	1115.76	13992	1372.08
कर्नाटक	94688	9220.80	88007	6607.76
केरल	44191	6885.80	39836	6607.76
मध्य प्रदेश	138810	20452.89	126617	19899.41
महाराष्ट्र	147640	18837.23	145667	21551.25
मणिपुर	4258	18.00	1638	0.00
मेघालय	5167	220.81	4219	268.83
मिजोरम	2876	35.25	3138	22.82
नागालैंड	835	–	3502	189.47
उड़ीसा	75343	12016.58	105008	12792.84
पंजाब	6107	903.71	10357	1647.07
राजस्थान	60819	13238.95	62922	15305.21
सिक्किम	1792	226.88	1937	250.23
तमिलनाडु	180696	14498.18	142813	14169.69
त्रिपुरा	4911	811.93	18816	1800.63
उत्तर प्रदेश	351146	47201.04	391832	53469.03
प. बंगाल	91733	7480.25	71134	6480.70
अंडमान एवं निकोबार	628	41.07	604	41.34
दादर एंड नगर हवेली	179	26.37	119	11.49
दमन एवं दीव	188	19.17	71	7.92
लक्षद्वीप	27	2.94	9	2.43
पाण्डिचेरी	1107	74.88	1317	83.81
कुल	1697090	199067.51	1674911	217337.37

चाय की उत्पादन लागत

1099. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चाय की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उत्पादन लागत में भारी बढ़ोत्तरी के कारण दक्षिणी क्षेत्र में चाय उद्योग को गम्भीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उत्पादन लागत कम करने और बागान मालिकों पर बुरे आर्थिक प्रभाव को रोकने के लिए दक्षिणी क्षेत्र में बागान मालिकों के लिए आवश्यक सहायता हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1999 की तुलना में चालू वर्ष के दौरान विभिन्न कारकों जैसे श्रमिक जमदूरी में वृद्धि, कामगारों को इमदाद शुदा खाद्यानों के रूप में अप्रत्यक्ष श्रम लागत में वृद्धि उर्वरक इमदाद की आंशिक वापसी, फरनेस ऑयल, विद्युत, ईंधन आदि की लागत में वृद्धि आदि के कारण चाय की उत्पादन लागत में 4.25/- रुपये प्रति कि.ग्रा. तक की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) दक्षिणी क्षेत्र में चाय उद्योग नीलामी केन्द्रों पर चाय की अलाभकारी कीमत मिलने के कारण समस्या का सामना कर रहा है। चाय की कीमतों में गिरावट को रोकने के लिए इस मंत्रालय के अधीन चाय बोर्ड ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

— दिनांक 1.5.2000 से एक योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत चाय के लघु उपजकर्त्ताओं (जिनके पास 10.12 हेक्टेयर तक के क्षेत्र में चाय बगान हैं) को इमदाद प्रदान की जा रही है जो नीलामी कीमत और 55 रु. प्रति किग्रा. के बीच की कमी के बराबर की राशि होगी। ऐसी इमदाद की राशि अधिकतम 8 रुपए प्रति किग्रा. तक सीमित होगी।

— चाय बोर्ड द्वारा तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में लघु उपजकर्त्ताओं द्वारा तैयार की गई चाय की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम शुरू किया गया है।

— चाय के आयात पर मूल सीमाशुल्क को 15% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है।

— 100% निर्यात-अभिमुख इकाईयों तथा निर्यात संसाधन क्षेत्रों की इकाइयों द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में चाय की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।

भारतीय खाद्य निगम का पुनर्गठन

1100. **श्री त्रिलोचन कानूनगो**: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रस्ताव पेश किया गया है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम को और अधिक कुशल बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं जिससे खरीद, भण्डारण और परिवहन के मामले में यह लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) भारत सरकार ने संगठनात्मक पुनर्संरचना के संबंध में भारतीय खाद्य निगम को दिनांक 20.4.2000 को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं जिसमें निगम के कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं होने (एक्यूट स्टेगनेशन) की गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए श्रम शक्ति प्रबंधन, कैडर प्रबंधन और कैरियर प्रोग्रेशन पर विशेष जोर दिया गया है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर, भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन ने दिनांक 29.4.2000 को एफ.सी.आई.ई.एस.यू. के साथ 'समझौता ज्ञापन' पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ग) मंत्रालय और निगम की ओर सं संगठन में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है ताकि निगम सरकार की खाद्य नीति के उद्देश्यों को पूरा कर सके। उक्त प्रयोजन के लिए सरकार पहले ही संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करते हुए पहचान किये गये कुछेक राज्यों में विकेन्द्रीकृत वसूली का सहारा ले रही है। इसी प्रकार, विशेष रूप से खाद्यान्नों की बल्क हैंडलिंग के संदर्भ में भंडारण और ढुलाई क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, सरकार ने निगम को पहले ही आवश्यक क्लियरेंस दे दिया है कि वह स्वीकृत और मौजूदा स्टाफ को श्रम शक्ति योजना की हाल ही की योजना में प्रचालनों के वर्तमान आकार के आधार पर जरूरतमंद स्थानों पर भेज दे।

बैंकों की ऋण दरें

1101. **श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों द्वारा ऋण दरों में बढ़ोत्तरी के कारण बैंकिंग प्रणाली हेतु ऋण की उपलब्धता में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "एसोचैम" और कई वित्तीय विशेषज्ञों ने भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों की ऋण दरें और नकद भण्डार अनुपात कम करने का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, नहीं। वास्तव में वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान 20 अक्तूबर, 2000 तक अनुसूचित वाणिज्यि बैंकों से बकाया ऋण में 43,519 करोड़ रुपए (10 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 23,615 (6.4 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी।

(ग) से (ङ) एसोचैम ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:-

(1) भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक दर और आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सी.आर.आर.) को कम से कम 1 प्रतिशत कम करना चाहिए।

(2) मौद्रिक नीति में इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि दीर्घकाल में ऋण दरों में कम से कम 2.0 प्रतिशत कमी की जाए।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने इन सुझावों की जांच कर ली है और मौजूदा नीति, घरेलू एवं बाह्य आर्थिक वातावरण तथा मौद्रिक एवं नकदी की स्थितियों को देखते हुए उन पर विचार किया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न का अन्यत्र उपयोग

1102. **श्री पवन कुमार बंसल:**
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री रामदास आठवले:
श्रीमती रेणूका चौधरी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बिक्री हेतु निर्धारित खाद्यान्न और चीनी का कम से कम एक तिहाई हिस्सा अपेक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुंचता है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली की विफलता के क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इस तरह से अन्यत्र प्रयुक्त राशन की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) खाद्यान्न और चीनी के अन्यत्र उपयोग को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की अनुदान की मांगें (1996-97) पर अपनी दूसरी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसरण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिन्सों के विपथन की सीमा सुनिश्चित करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया गया था। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्नों, चीनी और खाद्य तेल के विपथन की सीमा का आकलन करने के लिए अध्ययन करने हेतु वर्ष 1997 में टाटा इकानामी कंसलटेन्सी सर्विस को नियुक्त किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं के मामले में 36% और चावल के मामले में 31% विपथन होने का अनुमान है।

(ख) इस अध्ययन में विपथन होने का मुख्य कारण गोदामों से बल्क में विपथन, राशनकार्डों में जाली यूनिटें, विभिन्न स्तरों पर कम तुलाई, उपभोक्ताओं की निरक्षरता, उचित दर दुकान के मालिकों के लिए लाभ का कम मार्जिन, जनसंख्या का अपना आवास परिवर्तन करना, जाली वितरण एजेंसियां, अनुपलब्धता/अनियमित आपूर्ति, पात्रता में भिन्नता तथा विजातीय तत्वों सहित घटिया गुणवत्ता होना बताया गया है।

(ग) इस अध्ययन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उन वस्तुओं के लक्षित समूहों के संदर्भ में विपथन की प्रतिशतता उपलब्ध नहीं है जिनके केन्द्रीय निर्गम मूल्य भिन्न हैं क्योंकि यह अध्ययन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरूआत के आसपास किया गया था। अत: धनराशि के संदर्भ में राजसहायता की हानि की मात्रा बताना संभव नहीं है।

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन क्रियान्वित की जाती है। केन्द्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की वसूली, भंडारण और केन्द्रीय गोदामों तक उनकी ढुलाई तथा इन्हें राज्यों को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। उचित दर दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को इनका वितरण करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों की है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि उचित दर दुकानों और अन्य स्तरों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मानीटरिंग करें और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की वितरण की पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था करें जिसके लिए वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन में पंचायती राज्य संस्थाओं आदि को शामिल करें। उनसे यह भी कहा गया है कि जाली राशनकार्ड समाप्त करें और उचित दर दुकान के चूककर्त्ता मालिकों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन कार्रवाई शुरू करें।

भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित सार्वजनिक वितरण विभाग के कार्यकरण के किसी भी पहलू के संबंध में शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए विभाग में लोक शिकायत निवारण सेल स्थापित किया है। लोक शिकायत निवारण सेल में जनता की शिकायतें प्राप्त करने के लिए सुविधा काउंटर के अलावा स्वतंत्र रूप से टेलीफोन-फैक्स और ई-मेल सुविधाएं मुहैया की गई हैं। लोक शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के लिए विभाग में जब कभी आवश्यक होता है, तत्काल और तत्पर जांच करने के लिए उड़नदस्ते के रूप में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी नामित किया है। भारत सरकार ने विपथन की शिकायतों सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की मानीटरिंग करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु क्षेत्राधिकारी नियुक्त किए हैं।

विजयवाड़ा में समाचार एकत्रण स्टेशन

1103. श्री ए. रहमनैया: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विजयवाड़ा में दूरदर्शन का एक पूर्ण सज्जित समाचार एकत्रण स्टेशन है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्टेशन में सभी आवश्यक तकनीकी उपकरण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्टेशन को और बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) दूरदर्शन केन्द्र विजयवाड़ा समाचार प्रवर्तक केन्द्र नहीं है। तथापि, केन्द्र के पास बाह्य कवरेज के लिए आवश्यक उपकरण हैं।

(घ) दूरदर्शन केन्द्रों में मौजूद सुविधाओं का विस्तार करना और आधुनिक बनाना एक सतत् प्रक्रिया है। विजयवाड़ा स्थित उच्च शक्ति ट्रान्समीटर पर प्लेबैक सुविधाएं स्थापित करने की एक स्कीम फिलहाल क्रियान्वित की जा रही है। वहां डीडी-2 के लिए एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर भी स्थापित किया जा रहा है।

एम.एम.टी.सी. में दावे/ऋण मामले

1104. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में लगाए गए एमएमटीसी में एक करोड़ रुपये से अधिक के दावों/ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने मामलों में विवाचन चल रहा है;

(ग) 31 अक्तूबर, 2000 की स्थिति के अनुसार एमएमटीसी ने कितने मामलों में आपराधिक कार्रवाई आरम्भ कर दी है; और

(घ) स्वर्ण परिचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए एमएमटीसी ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) 31.10.2000 की स्थिति के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान, एमएमटीसी में एक करोड़ रुपये से अधिक के ऐसे दावों/ऋणों से संबंधित मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं जो सरकार की जानकारी में लाए गए हैं जिनमें विवाचनाधीन तथा सी.बी.आई./सी.बी.सी. द्वारा जांच किए गए मामले शामिल हैं।

(घ) स्वर्ण संबंधी संकार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए एम एम टी सी द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं- स्वर्ण की लागत, ब्याज, सीमाशुल्क और करों समेत 100 प्रतिशत प्रतिभूति पर वास्तविक निर्यातकों/घरेलू ग्राहकों को स्वर्ण की आपूर्ति करना, अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत लंदन स्थित शर्राफा बाजार की दरों पर बिक्री करना, और शीघ्र शुरू होने वाली वेब समर्थित सूचना प्रणाली के जरिए निर्यात दायित्व की अवधि, बैंक गारंटी की वैधता इत्यादि समेत समूची खरीद/बिक्री संबंधी सौदों पर निगरानी रखना। इस प्रणाली के स्थान-वार धारित स्वर्ण वस्तु सूची प्रत्येक उपभोक्ता को की गई आपूर्तियों, किए गए निर्यातों का अवधि-वार विश्लेषण और बकाया दायित्वों के बारे में ऑन-लाइन सूचना प्रस्तुत की जाएगी।

विवरण

क्र.सं.	पार्टी का नाम	वस्तु	राशि (करोड़ रुपए में)	टिप्पणियां
1997-98				
1.	मैसर्स जे.एम. बक्सी, कांडला	उर्वरक और पैकिंग सामग्री	2.82	विवाचन पार्टी ने मैत्रीपूर्ण निपटान का सुझाव दिया है। पार्टी के इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।
2.	मैसर्स डी.एस. शिपिंग, मुम्बई	सल्फर	1.31	न्यायालय के समक्ष लंबित।
3.	मैसर्स वृद्धि श्री मार्केटिंग एंड सर्वसिज लि; पटना	उर्वरक	1.98	विवाचन और आपराधिक मामला प्रगति पर है।
4.	डोमेस्टिक सेल आफराइस कांडला	चावल	4.45	जांच की जा रही है।
5.	मैसर्स बालाजी एक्सपोर्टस	स्वर्ण	1.72	जांच/विवाचन की कार्रवाई की जा रही है।
6.	मैसर्स इलैक्ट्रा (इंडिया) लि.	तांबा	2.04	जांचाधीन/सिविल/आपराधिक कार्रवाई प्रगति पर है।
1998-1999				
7.	मैसर्स शक्ति क्लिरिंग एजेंसी, बेदी	सोया	6.01	विवाचनाधीन
1999-2000				
8.	मैसर्स माकन गोल्ड आवरसीज लि.	स्वर्ण	1.63	जांचाधीन/एमएमटीसी के पक्ष में डिक्री दी गई।

निवेशकों की सुरक्षा हेतु निगरानी प्रकोष्ठ

1105. श्री किरीट सोमैया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय में छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा हेतु निगरानी प्रकोष्ठ बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छोटे निवेशकों की शिकायतें सुनने और निपटाने के लिए नियामक निकायों की बहुलता का सरलीकरण किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) और (ख) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में निवेशक शिकायत समाधान प्रकोष्ठ गठित करने का निर्णय लिया गया है। प्रकोष्ठ के कार्यसंचालन के लिए अपेक्षित कर्मचारियों एवं अन्य आधारभूत ढांचे की व्यवस्था विभाग द्वारा की जा रही है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड तथा कंपनी कार्य विभाग अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली विषयवस्तुओं के अनुसार निवेशकों की शिकायतों का समाधान करते हैं। यह महसूस किया जाता है कि निवेशक शिकायत समाधान प्रकोष्ठ का गठन होने पर यह विनियामक अभिकरणों के प्रयासों के समन्वय में सहायता करेगा।

सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की विकास दर

1106. **श्री गंता श्रीनिवास राव:**
डा. संजय पासवान:
श्री रामदास आठवले:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छ: महीनों के दौरान लोक उद्यमों, विशेषकर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग कार्पोरेशन की विकास दर क्या थी;

(ख) प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में यदि कोई नकारात्मक विकास दर हो तो इसके अलग-अलग क्या कारण हैं;

(ग) विकास दर को सकारात्मक, उत्पादन को लाभकारी और विश्व स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के प्रचालनरत 235 उद्यमों में से 222 उद्यमों से उपलब्ध अनंतिम जानकारी के अनुसार वर्ष 1999-2000 के दौरान कुल कारोबार तथा लाभकारिता के रूप में समग्र वृद्धि विगत वर्ष की अपेक्षा धनात्मक रही है। वर्ष 1999-2000 में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने भी विगत वर्ष की अपेक्षा निवल लाभ में धनात्मक वृद्धि की दर दर्शाई है। तथापि, विगत 6 महीनों (1.4.2000 से 30.9.2000 तक) के दौरान बी.एच.ई.एल. की कुल कारोबार तथा निवल लाभ में वृद्धि की दर गत वर्ष की सदृश अवधि की तुलना में ऋणात्मक रही है।

सरकारी क्षेत्र में हिन्दुस्तान इंजिनियरिंग कारपोरेशन नामक कोई उद्यम नहीं है। हैवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन नामक एक उद्यम है, जिसने विगत 6 महीनों (अप्रैल, 2000 से सितम्बर, 2000) के दौरान उत्पादन, बिक्री तथा लाभकारिता में विगत वर्ष की संदृश अवधि की तुलना में वृद्धि की दर ऋणात्मक दर्शाई है।

(ख) एच.ई.सी. में ऋणात्मक वृद्धि के मुख्य कारण हैं- आदेश पुस्तिका की खराब स्थिति, निम्न वसूली तथा कार्यचालन पूंजी की कठिन स्थिति। बी.एच.ई.एल. के मामले में ऋणात्मक वृद्धि परियोजनाओं के आस्थगन के कारण कुछ क्षेत्रों से प्राप्त आदेश पूरे न होने तथा कारोबार के लिए नियोजित रूप से पूरे किए जाने वाले आनुमानित आदेश विलम्ब से प्राप्त होने के कारण हैं।

(ग) और (घ) सरकार/सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए समय-समय पर उद्यम विशेष उपाय किए जाते हैं, जो कि एक सतत प्रक्रिया है। कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए किए जाने वाले/प्रस्तावित रूप से किए जाने वाले उद्यमों में वित्तीय तथा व्यापार पुनर्गठन, संयुक्त उद्यमों का गठन प्रौद्योगिकी समुन्नयन, संयंत्र तथा मशीनरी का आधुनिकीकरण, अधिक क्षमता उपयोग, बेहतर विपणन रणनीतियां, लागत नियंत्रण, मालसूची का इष्टतमीकरण तथा कर्मचारियों की संख्या का यौक्तिकीकरण इत्यादि शामिल हैं।

1000 रुपए मूल्य का करेंसी नोट

1107. **श्री माधवराव सिंधिया:**
श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री बी.के. पार्थसारथी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 1000 रुपए मूल्य का करेंसी नोट जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे नोटों की जाली छपाई को रोकने के लिए अपनाई गई सावधानियां और सुरक्षोपायों सहित इस नोट की मुख्य विशेषताएं क्या होंगी;

(ग) पहली खेप में कितने रुपये मूल्य के नोट जारी किए गए; और

(घ) इतने अधिक मूल्य वर्ग के नोट जारी करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) नोट की समूची रंग योजना सामान्यत: गुलाबी है। महात्मा गांधी का चित्र धूसर (ग्रे) रंग में मुद्रित है जो सामान्य पृष्ठभूमि रंग योजना के वैषम्य में है। इसके अलावा, जालसाजी को कठिन बनाने के लिए निम्नलिखित विशेष सुरक्षा विशेषताएं शामिल की गई हैं:-

(1) "1000" अंक के मुख्य भाग पर रंग बदली (कलर शिफ्ट) विशेषता जिसकी वजह से "1000" का अंक नोट को सीधा रखने पर यह हरा दिखाई देता है और किसी कोण से देखने पर यह नीले में बदल जाता है। फोटो-कापियर अथवा स्केनर इस प्रत्यावर्ती रंग की प्रतिलिपि नहीं कर सकते हैं।

(2) 22 नोट निर्गम प्राधिकरणों और सैंट्रल बैंकों द्वारा विकसित नकल न की जा सकने वाली विशेषताओं को नोट के मुख्य भाग और पृष्ठ भाग में शामिल किया गया है जो छोटे-छोटे घेरों के समूहों के रूप में है। इन नकल न की जा सकने वाली विशेषताओं का आशय इन्हें रंगीन कापियरों के प्रयोग से अछूता रखना है ताकि 1997 के बाद के डिजाइन के फोटो कापियरों का प्रयोग करते हुए बैंक नोटों की प्रतिलिपियां न बनाई जा सकें।

(3) इसमें एक पठनीय विंडो प्रतिभूति धागा है जो मुखपृष्ठ पर एकान्तर रूप से दृष्टिगोचर होता है लेकिन पृष्ठ भाग में पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। इस प्रतिभूति धागे पर जब पराबैंगनी प्रकाश पड़ता है तो यह विभिन्न रंगों जैसे कि संतरी, नीला, पीला और लाल दिखाई पड़ेगा और इस पर भारत, 1000 और आर.बी.आई. लिखा हुआ है।

(4) नीले, हरे, पीले और लाल रंग में सन्निहित प्रकाशीय तन्तु नोट के मुखभाग और पृष्ठभाग पर फैले हुए हैं जो पराबैंगनी प्रकाश पड़ने पर चमकते हैं।

(5) सबसे ऊपर दायीं ओर नीले में और निचले भाग में बाईं ओर लाल रंग में छपे अंक पराबैंगनी प्रकाश पड़ने पर चकमने लगेंगे।

(ग) 14.11.2000 की स्थिति के अनुसार जारी किए गए नोटों का कुल मूल्य 623.80 करोड़ रुपए हैं।

(घ) नोटों के अधिक मात्रा में परिचालन पर रोक लगाने और लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 1000 रुपए के मूल्यवर्ग का नोट जारी किया गया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भर्ती

1108. श्री बी.के. पार्थसारथी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भर्ती पर लगी पाबंदी को वापस लेने के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) में श्रम शक्ति आयोजना सम्बन्धी कार्य दल की रिपोर्ट को देखते हुए इस मामले की जांच की जा रही है।

विदेशी वाणिज्यिक ऋण

1109. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय ऋणदाताओं द्वारा विदेशी वाणिज्यिक ऋणों की पूर्व आदायगी को बढ़ावा दिया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में विशेषकर भारतीय रुपए के विदेशी विनिमय मूल्य पर विदेशी वाणिज्यिक ऋणों की पूर्व अदायगी से क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी वाणिज्यिक ऋणों की पूर्व अदायगी पर निगरानी रखता है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन माह के दौरान विदेशी वाणिज्यिक ऋण पर की गई पूर्व अदायगी का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विदेशी विनिमय प्रबन्धन की सावधानीपूर्वक निगरानी के लिए अन्य क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) अब तक भारतीय रिजर्व बैंक विद्यमान विदेशी वाणिज्यिक उधार नीतियों के अनुसार ऋणदाताओं के अनुरोध पर पूर्व अदायगी प्रस्तावों पर कार्यवाही करता है।

(ख) विदेशी वाणिज्यिक उधारों की किसी प्रकार की पूर्व विदेशी मुद्रा की मांग करती है। इसलिए, पूर्व अदायगी से विदेशी मुद्रा की मांग करती है। इसलिए, पूर्व अदायगी से विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ेगी और उतनी सीमा तक विदेशी मुद्रा बाजार में उसका प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) जी, हां।

(घ) पिछले 3 महीनों के दौरान बकाया विदेशी वाणिज्यिक उधार के पूर्व भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है:-

माह	धनराशि मिलियन अमरीकी डालर में
अगस्त, 2000 के अन्त में	0.17
सितम्बर, 2000 के अन्त में	5.00
अक्तूबर, 2000 के अन्त में	1.20

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय बाजार में होने वाली गतिविधियों का अनुवीक्षण करता है और विदेशी मुद्रा प्रबन्धन के क्षेत्र में जैसा आवश्यक हो, वैसे कदम उठाता है।

पद आधारित रोस्टर

1110. **श्री राजैया मल्याला:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.ओ.पी.टी. ने आरक्षण नीति के क्रियान्वयन हेतु "रिक्ति आधारित रोस्टर" के स्थान पर "पद आधारित रोस्टर" शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या "रिक्ति आधारित रोस्टरों" के स्थान "पद आधारित रोस्टर" शुरू करते समय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा सभी स्वायत्तशासी/वैधानिक संगठनों/सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के तहत प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ सेवाओं की श्रेणी में अतिरिक्तता/कमी की पहचान करने की प्रक्रिया दिनांक 2 जुलाई 1997 के डी.ओ.पी.टी. कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/2/96/संस्थापना (आवास) के पैरा 5 के तहत यथानिर्धारित रूप में शुरू की गई थी;

(घ) यदि हां, तो 2 जुलाई, 1997 की स्थिति के अनुसार सेवाओं की सभी उक्त श्रेणियों में कितनी अतिरिक्तता/कमी पाई गई; और

(ङ) ऊपर लिखित कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत यथानिर्धारित रूप में अतिरिक्तता/कमी की पहचान की प्रक्रिया को पूरा किए बिना "रिक्ति आधारित रोस्टरों" के स्थान पर रोस्टर शुरू किए जाने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) आर.के. सबरवाल बनाम पंजाब राज्य और जे.सी. मलिक बनाम रेलवे मंत्रालय के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में पद आधारित आरक्षण रोस्टर प्रणाली को कार्यान्वित किया गया था जिसमें माननीय न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि पिछड़े वर्गों/अ.जातियों/अ. जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण पदों के लिए लागू होना चाहिए न कि रिक्तियों के लिए न्यायालय ने आगे यह कहा कि आरक्षित श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के अनुसार रिक्ति आधारित रोस्टर केवल उस समय तक लागू किया जा सकता है जब तक एक संवर्ग में आरक्षण के लिए निर्धारित प्रतिशत पूरा न हो जाए।

(ग) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/2/96-स्था. (रेस) के पैरा-5 में निहित निर्देशों का सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में ईमानदारी से अनुपालन किया गया है। इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाले स्वायत्तशासी/विधायी संगठनों, संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक सेवा उपक्रमों से सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) 2 जुलाई, 1997 की स्थिति के अनुसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय की केन्द्रीय सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा और समूह "घ" श्रेणी सेवाओं से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

27.97 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय के मुख्य सचिवालय की केन्द्रीय सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपि सेवा, केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा और समूह-4 से संबंधित अधिकता/कमियों को दर्शाने वाला विवरण

	अधिकता		कमी	
	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
श्रेणी-2	शून्य	शून्य	8	33
श्रेणी-3	शून्य	शून्य	8	25
श्रेणी-4	9	1	शून्य	शून्य

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर आने वाली प्रशासनिक लागत

1111. **श्री शिवराज सिंह चौहान:**
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर वार्षिक रूप से कितनी प्रशासनिक लागत आती है;

(ख) क्या सरकार का विचार इसमें शामिल सरकारी एजेंसियों की संख्या में कमी करके इस प्रणाली को सुचारू बनाने का है ताकि उपभोक्ताओं पर पड़ रहे वित्तीय भार को कम किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अंतर्गत चलाई जाती है। केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिंसों की वसूली, भंडारण और केन्द्रीय गोदामों तक ढुलाई करने और इन्हें राज्य सरकारों को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। उचित दर दुकानों के माध्यम से इनका वितरण करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रशासन का दायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का होता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर आई प्रशासनिक लागत की प्रमात्रा से संबंधित सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, विगत तीन वर्षों के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाई गई प्रशासनिक लागत तथा राज्य एजेंसियों के वसूली प्रचालनों में उठाई गई प्रशासनिक लागत निम्नानुसार है:

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

वर्ष	भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठायी गयी	केवल वसूली प्रचालनों के लिए राज्य एजेंसियों द्वारा उठाई गयी	कुल
1997-98 (अनंतिम)	979	87	1066
1998-99 (अनंतिम)	1076	107	1183
1999-2000 (संशोधित अनुमान)	1100	180	1280

(ख) और (ग) वसूल किए जाने वाले खाद्यान्नों की भारी मात्रा को देखते हुए वसूली कार्य कई एजेंसियों द्वारा किया जाना होता क्योंकि स्टाक एक अल्प अवधि के लिए प्राप्त करने और रखे जाने होते हैं। किसी एक एजेंसी के लिए पंजाब और हरियाणा आदि राज्यों में वसूल किए गए खाद्यान्नों की भारी मात्रा का रखरखाव करना कठिन है। अत: राज्य एजेंसियों को आवश्यक रूप से प्रशासनिक लागत उठानी पड़ती है। तथापि विकेन्द्रीकृत वसूली योजना के अधीन, कुछ राज्यों में राज्य के अंदर राज्य सरकारों स्वयं खाद्यान्नों की वसूली और जारी करने का काम करेंगी और यह आशा की जाती है कि प्रचालन का प्रति क्विंटल प्रशासनिक प्रभार कम हो जाएगा।

खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत वसूली की योजना के अधीन पश्चिम बंगाल ने खरीफ विपणन मौसम 1997-98 के दौरान चावल की वसूली प्रारंभ की है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने रबी विपणन मौसम 1999-2000 से गेहूं की वसूली प्रारंभ की है। खरीफ विपणन मौसम 1999-2000 से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के अधीन धान/चावल की भी वसूली प्रारंभ की है। इस संबंध में खाद्य राजसहायता में बचत की राशि नीचे दी गई है:

चावल

(रुपये प्रति क्विंटल)

राज्य	वर्ष	भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत (वास्तविक)	राज्य सरकार की आर्थिक लागत	राजसहायता में बचत (प्रति क्विंटल)
पश्चिम बंगाल	1997-98	939.33	824.35	114.98
	1998-99	974.86	868.40	106.46
	1999-2000	1075.45	946.30	129.15

गेहूं

(रुपये प्रति क्विंटल)

राज्य	वर्ष	भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत (वास्तविक) 50 किलोग्राम की बोरियां	राज्य सरकार की आर्थिक लागत 50 किलोग्राम की बोरियां	राजसहायता में बचत (प्रति क्विंटल)
उत्तर प्रदेश	1999-2000	820.00	779.01	40.99
मध्य प्रदेश	1999-2000	820.00	751.91	68.09

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश

1112. **श्री सुनील खां:**
श्री विजय गोयल:
श्री रामशकल
श्री बृज भूषण शरण सिंह:
श्री प्रभात सामन्तराय:
डा. बलिराम:
श्री गुनीपाटी रामैया:
श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के संबंध में कोई मानदंड निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे कितने और कौन-कौन से उपक्रम हैं जिनमें अब तक विनिवेश किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) विनिवेश से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमवार कितनी धनराशि अर्जित की गई है;

(ङ) इसके परिणामस्वरूप कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं या इनके बेरोजगार होने की संभवना है;

(च) इस विनिवेश के परिणामस्वरूप अवकाश प्राप्त कर चुके कर्मचारियों को अवकाश लाभ/अवकाशोत्तर लाभ मुहैया कराने में कितनी राशि खर्च हुई है या खर्च होने की संभावना है;

(छ) क्या कुछ मंत्रालयों ने इसके अन्तर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के विनिवेश पर आपत्ति जताई है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) विनिवेश नीति का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के सभी गैर-सामरिक उपक्रमों में सरकार की इक्विटी को 26 प्रतिशत तक नीचे लाना अथवा सामान्य मामलों में उससे भी कम करना है। सामरिक महत्व के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार अपनी अधिकतर होल्डिंग बनाए रखेगी।

यह भी निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के सामरिक उद्यम निम्न क्षेत्रों में से होंगे:-

1. हथियार और गोला-बारूद और रक्षा उपस्कर, सुरक्षा विमान और युद्धपोतों से संबद्ध मदें।

2. परमाणु ऊर्जा (अणु शक्ति के सृजन और विकिरण और रेडियों आइसोटोप का कृषि औषाधियों में उपयोग और महत्वपूर्ण उद्योगों से संबंधित क्षेत्रों को छोड़कर)

3. रेल यातायात।

इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के गैर-महत्वपूर्ण उद्यमों की सरकारी हिस्सेदारी में 26 प्रतिशत की कमी अपने आप नहीं होगी और ऐसा करने के ढंग और रफ्तार के बारे में मामले-दर-मामले के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

विनिवेश की प्रतिशतता अर्थात सरकार की हिस्सेदारी का 51 प्रतिशत से कम या 26 प्रतिशत तक नीचे लाने के संबंध में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रख कर निर्णय लिया जायेगा:

(1) क्या औद्योगिक क्षेत्र को निजी हाथों में शक्ति केन्द्रित होने से रोकने के लिए बराबर की शक्ति के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदगी की आवश्यकता होगी; और

(2) क्या औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण करने से पूर्व उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए एक उपयुक्त नियामक तन्त्र की आवश्यकता होगी।

(ग) उन कंपनियों की एक सूची, जिनमें अब तक विनिवेश किया जा चुका है। संलग्न विवरण-I पर दी गई है। विनिवेश प्रक्रिया के एक भाग के रूप में सरकार अलग-अलग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश के प्रस्तावों पर विचार करती रहती है। इस समय विनिवेश विभाग ऐसे लगभग 29 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सहायक कंपनियों के बारे में कार्रवाई कर रहा है जिनमें सरकार ने विनिवेश/संयुक्त

उद्यम भागीदारों की तलाश के लिए निर्णय लिए हैं। इन कम्पनियों में से भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लि., इंडियन पैट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, एच.टी.एल.लि., भारत लैदर कारपोरेशन लि., एयर इंडिया, इंडियन एयर लाइंस, इण्डियन टूरिज्म डवलपमेण्ट कारपोरेशन, आर.वी.एल. लि., स्कूटर्स इण्डिया लि., नेपा लि., हिन्दुस्तान केबल्स लि., इन्स्ट्रूमैन्टेशन लि. मद्रास फर्टिलाईजर्स लि., हिन्दुस्तान कॉपर लि., जे सॉप एंड कम्पनी लि., हिन्दुस्तान जिंक लि., हिन्दुस्तान इनसैक्टिसाइड लि., स्पोन्ज आइरन इंडिया लि., हिन्दुस्तान ऑरगेनिक केमिकल्स लि., भारत पम्पस एंड कम्प्रैसर्स, हिन्दुस्तान साल्टस और तुगंभद्रा स्टील्स लि. के लिए सलाहकारों की नियुक्ति की है। जिन कम्पनियों के विनिवेश के लिए सरकारी निर्णय उपलब्ध हैं उनमें आई.वी.पी.लि., मिनरल एण्ड मैटल ट्रेडिग कारपोरेशन लि., स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि., मैटल स्क्रैप ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि., पैरादीप फॉसफेट लि. और मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लि. सम्मिलित है, इन कम्पनियों में विनिवेश की प्रक्रिया कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

(घ) विनिवेश के माध्यम से जुटाई गई राशि को दर्शाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वार तालिका विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ङ) और (च) विनिवेश से संबंधित सरकार के सभी निर्णयों का सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी के कर्मचारियों की नौकरियों पर स्वत: कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। जब-जब निर्णय में प्रबन्धन और नियन्त्रण का हस्तान्तरण सम्मिलित होता है वहां कर्मचारियों से सम्बन्धित मुद्दे महत्वपूर्ण हो जाते है। ऐसे मामलों में इन हित चिन्ताओं का समुचित समाधान बिक्री के निबन्धन और शर्तों के अनुसार किया जाता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रभावित होने वाले संभावित कर्मचारियों की संख्या का परिकलन पहले कर पाना संभव नहीं है। इसी कारण सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति उपरान्त दिए जाने वाले लाभ पर खर्च की जाने वाली धनराशि का आंकलन करना भी सम्भव नहीं है। विनिवेश नीति में कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना शामिल है।

(छ) से (झ) किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में विनिवेश का निर्णय लेने से पूर्व सभी संबंधित विभागों/मंत्रालयों के विचार आमंत्रित किए जाते हैं और विभिन्न स्तरों पर अन्तर्मंत्रालय परामर्शों के माध्यम से उन पर विचार किया जाता है। विनिवेश पर मंत्रिमंडल समिति द्वारा अन्तिम निर्णय बैठकों में लिया जाता है, जिनमें संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय निश्चित रूप से भाग लेते हैं।

विवरण-I

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जिनमें 31.10.2000 तक विनिवेश किया गया

क्रम संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम
1	2
1.	एण्ड्रयू यूल
2.	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
3.	भारत इलेक्ट्रानिक लिमिटेड
4.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
5.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
6.	बोंगाईगांव रिफाइनरीज एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
7.	सी.एम.सी. लिमिटेड
8.	कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड
9.	कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
10.	ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
11.	इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड
12.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (त्रावनकोर) लिमिटेड
13.	गैस अथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
14.	एच.एम.टी. लिमिटेड
15.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
16.	हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड
17.	हिन्दुस्तान औरगेनिक केमिकल लिमिटेड
18.	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम लिमिटेड
19.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस मैनिफेक्चरिंग कारपोरेशन लिमिटेड
20.	हिन्दुस्तान जिन्क लिमिटेड
21.	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड
22.	इंडियन पैट्रो केमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड
23.	इरकोन इन्टरनैशनल लिमिटेड

1	2
24.	इंडियन टेलिफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
25.	इण्डिया टूरिज्म एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन
26.	कुद्रेमुख आयरन एण्ड ओर कम्पनी लिमिटेड
27.	मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड
28.	महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड
29.	मिनिरल एण्ड मैटल ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड
30.	मॉडर्न फूड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
31.	नेशनल एल्यूमूनियम लिमिटेड
32.	नेशनल फर्टि. लिमिटेड
33.	नेशनल मिनिरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
34.	नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन
35.	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन
36.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स
37.	शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इन्डिया लिमिटेड
38.	स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन
39.	स्टील अथोरटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
40.	विदेश संचार निगम लिमिटेड
41.	बाल्को (वित्तीय पुनर्संरचना)

विवरण-II

1991-1992 से विनिवेश के माध्यम से वर्ष-वार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमवार प्राप्त की गई धनराशि के ब्यौरे

(धनराशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	1991-92	1992-93	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	एन्ड्रयू यूल	**	–	–	–	–	–	–	–
2.	भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड	**	–	48.270	–	–	–	–	–
3.	भारत इलेक्ट्रानिक लिमिटेड	**	–	47.169	–	–	–	–	–
4.	भारत हैवी इले. लि.	**	8.21	301.336	–	–	–	–	–
5.	भारत पेट्रोलियम का. लि.	**	331.18	–	–	–	–	–	–
6.	बोंगाईगांव रिफाइनरीज लि.	**	45.40	–	–	–	–	–	–
7.	सी.एम.सी. लि.	**	–	–	–	–	–	–	–
8.	कोचीन रिफाइनरीज लि.	**	–	–	–	–	–	–	–
9.	ड्रेजिंग का. ऑफ इ. लि.	**	–	–	–	–	–	–	–
10.	फर्टि. केमि. (त्रावनकोर) लि.	**	1.30	–	–	–	–	–	–
11.	एच.एम.टी. लि.	**	23.38	–	–	–	–	–	–
12.	हिन्दुस्तान कैबल्स लि.	**	–	–	–	–	–	–	–
13.	हिन्दुस्तान कॉपर लि.	**	8.07	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	हिन्दुस्तान आर्गे. के. लि.	**	–	–	–	–	–	–	–
15.	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम लि.	**	331.85	563.111	–	–	–	–	–
16.	हिन्दुस्तान फोटो फि. लि.	**	–	–	–	–	–	–	–
17.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	**	81.55	–	–	–	–	–	–
18.	इंडि. पेट्रो. कैमि. कं. लि.	**	–	–	–	–	–	–	–
19.	इंडियन रेलवे कं. लि.	**	–	–	–	–	–	–	–
20.	इंडियन टेलि. इ. लि.	**	15.63	–	–	–	–	–	–
21.	मद्रास रिफाइनरीज लि.	**	–	–	–	–	–	–	–
22.	महानगर टे. नि. लि.	**	1322.168	135.899	–	–	910.00	–	–
23.	मिनरल एण्ड मेटलस	**	–	–	–	–	–	–	–
24.	नेशनल एल्यूमिनियम लि.	**	244.20	0.096	–	–	–	–	–
25.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	**	0.72	0.283	–	–	–	–	–
26.	एन.एम.डी.सी. लि.	**	17.88	–	–	–	–	–	–
27.	नवेली लिग्नाईट का. लि.	**	70.43	–	–	–	–	–	–
28.	राष्ट्रीय कैमि. फार्टि. लि.	**	30.36	–	–	–	–	–	–
29.	शिपिंग का. ऑफ इं. लि.	**	–	28.076	–	–	–	–	–
30.	स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन	**	2.25	–	–	–	–	–	–
31.	स्टील आर्थो. ऑफ इं. लि.	**	700.10	22.661	13.303	–	–	–	–
32.	विदेश संचार निगम लि.	**	–	–	–	379.67	–	783.68	75.00
33.	कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इं.	–	–	99.714	14.118	–	–	221.65	–
34.	इंडियन ऑयल का. लि.	–	–	1033.646	–	–	–	1208.96	162.79
35.	आ. एंड नेचुरल गैस लि.	–	–	1051.516	5.156	–	–	2484.96	296.48
36.	इंजीनियर्स इंडिया लि.	–	–	67.527	–	–	–	–	–
37.	गैस आथो. ऑफ इं. लि.	–	–	194.120	–	–	–	671.86	945.00
38.	इंडिया टू. डेव. कारपोरेशन	–	–	51.985	–	–	–	–	–
39.	कुद्रेमुख आ. ओ. क.	–	–	11.399	–	–	–	–	–
40.	मॉडर्न फूड इन्डस्ट्रीज लि.	–	–	–	–	–	–	–	105.45
41.	बाल्को (वित्तीय पुनर्संरचना)	–	–	–	–	–	–	–	244.52
	कुल	3038.00	1912.51	4843.077	168.476	379.67	910.00	5371.11	1829.24

**चूंकि 1991-92 में शेयरों की बिक्री इकट्ठे की गयी थी अत: सा. क्षेत्र के उद्यमवार राशि उपलब्ध नहीं है।

चीनी मिलों को वित्तीय सहायता

1113. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विद्युत उत्पादन के लिए महाराष्ट्र में चीनी मिलों को वित्तीय सहायता देने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध कराये जाने की संभावना है;

(घ) इस प्रकार की सहायता मांगने वाली चीनी मिलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सहायता कब तक स्वीकृत हो जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम महाराष्ट्र में चीनी मिलों सहित खोई आधारित विद्युत परियोजनाओं को सह-उत्पादन हेतु "सिद्धान्त रूप में" वित्तीय सहायता प्रदान करने को सहमत हुआ है बशर्ते कि विद्युत की खरीद के लिए एक व्यवहार्य और ऋण हेतु उचित व्यवस्था विद्यमान हो।

(ग) से (ङ) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम सामान्यत: परियोजनाओं के मूल्यांकन के पश्चात वित्तीय सहायता प्रदान करने में 3 से 4 महीने का समय लेता है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने अभी तक कोई वित्तीय सहायता अनुमोदित नहीं की है क्योंकि उन्हें अभी परियोजनाओं का मूल्यांकन करना है।

अर्थव्यवस्था में मंदी

1114. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री विनय कुमार सोराकेः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर के गिरकर 5.8 प्रतिशत तक आ जाने की घोषणा की थी;

(ख) क्या सेन्टर फॉर मानीटरिंग इंडियन इकॉनमी (सी.एम.आई.ई.) ने भी यह टिप्पणी कि थी कि यह अभी और नीचे आ सकती है;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) क्या मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में 8 प्रतिशत तक बढ़ने की आशा है और कृषि तथा औद्योगिक विकास के और धीमे हो जाने की संभावना है; और

(ङ) अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने वर्ष 2000-2001 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की अपनी मध्यावधिक समीक्षा में 2000-2001 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में वास्तविक वृद्धि को 6.0 से 6.5 प्रतिशत की सीमा में रखा है जबकि सेंटर फार मानीटरिंग इंडियन एकानोमी (सी.एम.आई.ई.) का 2000-2001 के लिए 5.8 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। 2000-2001 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी जी.डी.पी. में अद्यतन तिमाही अनुमानों के अनुसार क्रमश: 2.5 प्रतिशत और 5.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए कृषि (वानिकी और मछली पालन सहित) और विनिर्माण से प्राप्त जी.डी.पी. सहित समग्र जी.डी.पी. संवृद्धि के 5.8 प्रतिशत होने का अनुमान है। 4 नवम्बर, 2000 को थोक मूल्य सूचकांक के रूप में मापित मुद्रास्फीति की दर बिंदु दर बिंदु आधार पर 7.3 प्रतिशत थी। चालू मुद्रास्फीति का लगभग तीन चौथाई भाग ईंधन, विद्युत, प्रकाश और स्नेहक के मूल्यों में वृद्धि के कारण है। अन्यथा अधिकतर प्राथमिक और विनिर्मित उत्पादों के मूल्य स्थिर हैं और उनमें कोई उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई नहीं दी है। अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों की निकटता से मानीटरिंग की जाती है और उनकी लगातार समीक्षा की जाती है तथा जब भी जरूरी हो उभरती हुई प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में उचित उपाय किए जाते हैं। सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्न आर्थिक सुधार उपायों का अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की आशा है।

बीमा क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक का प्रवेश

1115. श्री भीम दाहाल:
श्री अशोक पटेल:
श्री टी. गोविन्दन:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक को बीमा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक इस प्रयोजनार्थ विदेशी संयुक्त भागीदार की खोज में है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) किन-किन अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं और कंपनियों को बीमा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति/लाइसेंस दिए गए हैं; और

(च) यह कंपनियां कब तक अपना कार्य आरम्भ कर देंगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने भारतीय स्टेट बैंक को एक अनुषंगी कम्पनी के माध्यम से जोखिम सहभागिता के आधार पर बीमा कारोबार शुरू करने के लिए "सिद्धान्त रूप में" अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जिसमें उसकी चुकता पूंजी 74% होगी।

(ग) और (घ) भारतीय स्टेट बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया है कि उसने एक उपयुक्त संयुक्त उद्यम भागीदार की पहचान करने के लिए मैसर्स मोरगन गारन्टी ट्रस्ट कम्पनी, न्यूयार्क की सेवाएं प्राप्त की हैं।

(ङ) और (च) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विदेशी तकनीक और आर्थिक सहयोग

1116. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी तकनीकी और आर्थिक सहयोग से संबंधित लगभग 550 परामर्श फर्मों को नामित किया है;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितनी अमरीका, आस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी से हैं; और

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान इस फर्मों से सरकार को कुल कितने राजस्व की प्राप्ति हुई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नेट सालवेज बेसिस पर मोटर दावे

1117. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **वित्त मंत्री** 5 मई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6092 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मांगी गई सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सूचना कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) क्या भारतीय सामान्य बीमा निगम की अनुषंगी कंपनियां बचे हुए माल के आधार पर नेट पर मोटर दावों का निपटान कर रही है? : (क) जी हां।

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान निपटाए गए दावों का ब्यौरा और संख्या क्या है और कंपनी-वार कुल कितनी धनराशि दी गई? : (ख) निवल बचाव आधार पर निपटाए गए मोटर संबंधी दावों के कंपनी-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

कम्पनी	1998-1999		1999-2000	
	संख्या	राशि (करोड़ रु.)	संख्या	राशि (करोड़ रु.)
नेशनल	624	8.87	798	10.82
न्यू इंडिया	शून्य	शून्य	1310	15.64
ओरियन्टल	15	0.52	24	1.18
यूनाइटेड इंडिया	1002	12.68	1207	14.84

(ग) क्या बीमा कंपनियों को बचे हुए माल के क्रेताओं की साठगांठ से अधिकारियों और सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा की गई भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं? और : (ग) जी, नहीं।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मोटर दावों का निपटान करने में भ्रष्टाचार के कार्यों को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है? : (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बासमती चावल का पेटेंट

1118. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री उत्तमराव ढिकले:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अमरीका में बासमती चावल के पेटेंट के मामले में भारत के हित संरक्षित रखने में विफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विदेशों द्वारा पेटेंट किए जा रहे भारतीय उत्पादों को बचाने के लिए सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संबंधित सरकारों द्वारा अपने-अपने पेटेंट कानूनों के अंतर्गत पेटेंट मंजूर किए जाते हैं। जब कभी ऐसे कुछ उत्पादों पर पेटेंट प्राप्त किए जाने के बारे में सूचना प्राप्त होती है, जो भारत के वाणिज्यिक हित के होते हैं और जो हमारे विचार से पेटेंटनीयता के मापदण्डों को पूरा नहीं करते हैं, तो यह आकलन करने के लिए कदम उठाए जाते हैं कि क्या पेटेंट की मंजूरी को चुनौती दी जा सकती है। पर्याप्त सामग्री एकत्र करने के पश्चात् उस देश में पेटेंट की पुन: जांच करने और उसे पूर्ण रूप से रद्द करने के लिए चुनौती याचिका दायर की जाती है।

[हिन्दी]

टी.वी. धारावाहिकों को स्वीकृति देने में कदाचार

1119. **डा. संजय पासवान:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टी.वी. धारावाहिकों को स्वीकृति देने में कुछ कदाचारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान धारावाहिकों के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(घ) कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई और इन्हें स्वीकृति देने के लिए क्या मानदंड अपनाया गया;

(ङ) क्या प्रसार भारतीय नए कलाकारों को बढ़ावा देती है और उनके द्वारा बनाए गए धारावाहिकों को प्रसारण हेतु अनुमति देने में प्राथमिकता देती है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

बकाया आयकर

1120. **श्री उत्तमराव पाटील:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन 100 अग्रणी कम्पनियों/व्यक्तियों पर अभी भी आयकर दी अधिकतम धनराशि बकाया है; और

(ख) इसकी वसूली के लिए उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) उन अग्रणी सौ कम्पनियों/व्यक्तियों जिनकी तरफ आयकर की अधिकतम बकाया है, के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) बकाया राशि की वसूली के लिए आयकर अधिनियम के अन्तर्गत किए गए उपबंधों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती हैं। ऐसी कार्रवाई में गैर-अदायगी के लिए ब्याज प्रभारित करना और अर्थदण्ड लगाना तथा चल एवं अचल परिसम्पत्तियों आदि की कुर्की करना शामिल है।

विवरण

दिनांक 30.06.2000 को अग्रणी सौ कम्पनियों/व्यक्तियों की सूची

क्रम सं.	नाम
1	2
1.	सहारा इंडिया फाइनेन्सियल कार्पोरेशन लि. (एस.आई.एस.आई.सी.ओ.एल.)
2.	विदेश संचार निगम लि.
3.	आयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन
4.	सहारा इंडिया म्युचूल बैनेफिट कं. लि.

1	2
5.	गणपति एक्सपोर्टस लि.
6.	आई.एफ.सी.आई. लि.
7.	गैस अथोरिटी आफ इंडिया लि.
8.	टाटा कैमिकल्स लि.
9.	ग्रोमोर रिसर्च एण्ड ऐसेट्स मैनेजमेंट लि.
10.	फेयरग्रोथ फाइनेन्सियल सर्विसेज लि.
11.	दि पियरलैस जनरल फाइनेन्स एण्ड इनवे. कं. लि.
12.	दि प्रीमियर आटोमोबाईल्स लि.
13.	एशिया सैटेलाईट टेलिकम्यूनिकेशन कं. लि.
14.	केनरा बैंक
15.	टाटा सन्स लि.
16.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कं. लि.
17.	गणपति कम्बाईन्स लि.
18.	टाटा पावर कं. लि.
19.	धनराज मिल्स प्रा. लि.
20.	ईस्ट वैस्ट ट्रेवल एण्ड ट्रेड लिंक्स लि.
21.	कासकेड होल्डिंग प्रा. लि.
22.	मिडईस्ट इंडिया प्रा. लि.
23.	कुबेर म्यूचूअल बैनेफिट्स लि.
24.	आर.ई.पी.एल. इंजि. लि.
25.	इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि. (आई.पी.सी.एल.)
26.	एन.ए.पी.सी. माइकोन लि.
27.	लार्सन एण्ड टूब्रो लि.
28.	केडिया कासल डिलोन इंडस्ट्रीज लि.
29.	राजेन्द्र स्टील लि.
30.	आर.एम. मशीनर्स (प्रा.) लि.
31.	बजाज आटो लि.
32.	केरिबजैट इन्क.
33.	सेबर ग्रुप
34.	ल्यूसेंट टेक्नोलॉजीज प्रा. लि.
35.	ग्रोमोर लीजिंग एण्ड इन्वेस्ट प्रा. लि.
36.	मारुति उद्योग लि.
37.	एरिक्शन रेडिया सिस्टम ए बी
38.	नोकिया नेटवर्क
39.	टाटा इंजि. एण्ड लोकोमोटिव कं. लि.
40.	एशिया ब्राऊन बोवेरी लि.
41.	इंडियन आयल कार्पोरेशन लि.
42.	महानदी कोल फील्ड्स (प्रा.) लि.
43.	आन्ध्रा वेली पावर सप्लाई कं. लि.
44.	शा वोलेस एण्ड कं. लि.
45.	काचीन रिफाईनरीज लि.
46.	एस्सार स्टील्स लि.
47.	मेट्रोपालिटन को. अप बैंक लि.
48.	नोर्दर्न कोल फील्डस लि.
49.	एशियनकान्सोलिडेटिड इन्डस्ट्रीज लि.
50.	सी.आर.बी. केपिटल मार्केट कं. लि.
51.	टाटा फाईनेन्स लि.
52.	इंडियन होटल कं. लि.
53.	बाम्बे बर्मा ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि.
54.	ओरसन इलेक्ट्रोनिक्स लि.
55.	ऋशभ कैपिटल एण्ड फाईनेन्स लि.
56.	स्पेक्ट्रम पावर जेनेरेशन लि.
57.	महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
58.	टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कं. लि.
59.	गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
60.	अरविन्द मिल्स लि.

1	2
61.	अपोलो ट्यूब्स एण्ड स्टील इन्डस्ट्रीज लि.
62.	ओकरा एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
63.	जे.वी.जी. फाइनेन्स लि.
64.	ट्राइडेन्ट स्टील लि.
65.	आई.डी.बी.आई.
66.	पटेल इंडिया प्रा. लि.
67.	वेस्टर्न कोल फील्डस लि.
68.	पथीजा फोर्जिगस एण्ड आटो पार्टस, मेन्युफैक्चरिंग कं. लि.
69.	चिनार सिगरेट्स प्रा लि.
70.	ए.एन.जेड. ग्रिन्डलेंज बैंक (फारेन बैंक)
71.	अम्डयूज मार्केटिंग
72.	अलाइड सिगनल इन्क.
73.	एस्सार प्रोजेक्टस लि.
74.	एयरपोर्ट एथोरिटी ऑफ इंडिया
75.	इंडियन ओवरसीज बैंक लि.
76.	विप्रो फाईनेन्स लि.
77.	हर्षद एस. मेहता
78.	हितेन पी. दलाल
79.	भूपेन्द्र सी. दलाल
80.	अश्विन एस. मेहता
81.	एस. रामस्वामी
82.	ज्योति एस. मेहता
83.	सुधीर एस. मेहता
84.	सुब्रतो राय
85.	हर्षद एस. मेहता (डब्ल्यू.टी.)
86.	जे.पी. गांधी
87.	निरंजन जे. शाह
88.	पल्लव एस. सेठ
89.	पी.के. शर्मा
90.	उदय एम. आचार्य
91.	सुरेन्द्र एम. खंडार
92.	श्रीष सी. शाह
93.	कलपेश एल. ठक्कर
94.	एस.के. जैन (डायरेक्टर आफ बी.ई.सी. लि.)
95.	बिमल एस. गांधी
96.	ए.डी. नरोत्तम
97.	लेफ्ट. कर्नल भवानी सिंह एण्ड अदर्स (आई.एन.डी.एल.) डब्ल्यू.टी.
98.	प्रतिमा एच. मेहता
99.	सुपर कैसेट्स इन्डस्ट्रीज लि.
100.	दीपिका ए. मेहता (श्रीमती)

[अनुवाद]

मादक द्रव्यों की तस्करी

1121. श्री भर्तृहरि महताब: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के तट के साथ ''झींगा पालन'' का कारोबार करने वालों और मादक द्रव्यों की तस्करी करने वालों के बीच मजबूत सांठगांठ की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सांठगांठ पर नियंत्रण पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) महोदय, ऐसी कोई सूचना अथवा आसूचना प्राप्त नहीं हुई है जिससे यह पता चलता है कि उड़ीसा के तट के साथ झींगा पालन का कारोबार करने वालों और मादक द्रव्यों की तस्करी करने वालों के बीच गरही सांठगांठ है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की चोरी

1122. श्री रामदास आठवले: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 सितम्बर, 2000 के हिन्दुस्तान (हिन्दी) में ''प्रति वर्ष साढ़े तीन हजार करोड़ का अनाज चोरी'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने खाद्यान्नों की चोरी को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, हां।

(ख) इसमें उल्लिखित तथ्य सही हैं।

(ग) और (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन क्रियान्वित की जाती है। केन्द्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की वसूली, भंडारण और केन्द्रीय गोदामों तक उनकी ढुलाई तथा इन्हें राज्यों को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। उचित दर दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को इनका वितरण करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों की है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि उचित दर दुकानों और अन्य स्तरों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मानीटरिंग करें और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की वितरण की पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था करें जिसके लिए वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन में पंचायती राज्य संस्थाओं आदि को शामिल करें। उनसे यह भी कहा गया है कि जाली राशनकार्ड समाप्त करें और उचित दर दुकान के चूककर्ता मालिकों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन कार्रवाई शुरू करें।

भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित सार्वजनिक वितरण विभाग के कार्यकरण के किसी भी पहलू के संबंध में शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए विभाग में लोक शिकायत निवारण सेल स्थापित किया है। लोक शिकायत निवारण सेल में जनता की शिकायतें प्राप्त करने के लिए सुविधा काउंटर के अलावा स्वतंत्र रूप से टेलीफोन, फैक्स और ई-मेल सुविधाएं मुहैया की गई हैं। लोक शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के लिए विभाग में जब कभी आवश्यक होता है, तत्काल और तत्पर जांच करने के लिए उड़नदस्ते के रूप में विभाग वरिष्ठ अधिकारियों को भेजता है। भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की मानीटरिंग करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु क्षेत्राधिकारी नियुक्त किए हैं।

विदेशी बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा धनराशि

1123. श्री रामचन्द्र बैंदा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 अक्तूबर, 2000 के 'पंजाब केसरी में' 'स्विस बैंकों में जमा भारतीयों का धन स्वदेश आने पर विदेशी ऋण से छुटकारा' प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) भारतीयों द्वारा स्विस और अन्य विदेशी बैंकों में अनुमानित कितनी धनराशि जमा कराई गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस धनराशि को भारत में वापस लाने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जब कभी फेरा उल्लंघन, जिसमें विदेशी बैंकों में अवैध बैंक खाते रखना शामिल है, के बारे में कोई विशेष सूचना जांच एजेन्सी की जानकारी में लाई जाती हैं, तो कानून के प्रावधानों के अनुसार जांच की जाती है।

(ग) और (घ) भारतीयों द्वारा ऐसे बैंकों में धन जमा करने से संबंधित कुछ मामलों का पता चला है और यह पाया गया है कि ऐसे बैंकों में लगभग 52,82,150 अमरीकी डॉलर, 44,40,242.90 पाउन्ड, 10,90,000 सिंगापुर डॉलर तथा लगभग 27 लाख बेल्जियम फ्रैंक्स जमा थे। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के तहत प्रावधान के अनुसार न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां चलाई गई हैं। इन मामलों में से एक में फेरा की धारा 56 के तहत एक शिकायत न्यायालय में भी दर्ज की गई है।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम का खरीद मूल्य

1124. श्री ए. नरेन्द्र: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, राज्य-वार भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल की विभिन्न किस्मों का खरीद मूल्य कितना निर्धारित किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम को गेहूं, चावल और चीनी, पर प्रतिवर्ष प्रति टन कितनी राजसहायता प्रदान की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान गेहूं, चावल और चीनी पर भारतीय खाद्य निगम को प्रति क्विंटल कितने हैंडलिंग प्रभार का भुगतान किया गया; और

(घ) सरकार द्वारा बढ़ते व्यय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों के लिए भारत सरकार द्वारा गेहूं और चावल के लिए निर्धारित वसूली मूल्य संलग्न विवरण I, II और II में दिए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गेहूं, चावल और चीनी पर भारतीय खाद्य निगम को प्रति टन निम्नानुसार सब्सिडि दी गई थी:

(रुपये प्रति टन)

वर्ष	गेहूं	चावल	चीनी
1997-98	2353.00	2341.40	1895.70
1998-99	3638.50	3142.40	1473.80
1999-2000	3506.80	3790.90	1639.30

भारतीय खाद्य निगम के लेखापरीक्षित लेखों को अंतिम रूप दिए जाने तक दर अनन्तिम है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान गेहूं, चावल और चीनी के वितरण में प्रति क्विंटल वहन किए गए हैंडलिंग प्रभार निम्नानुसार थे:-

(रुपये प्रति क्विंटल)

वर्ष	गेहूं	चावल	चीनी
1997-98	118.42	140.72	200.31
1998-99	151.13	161.84	199.28
1999-2000	137.73	170.88	201.28

(घ) बढ़ते हुए खर्च/खाद्यान्नों की हैंडलिंग लागत को कम/नियंत्रित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:-

(1) अनाज की वसूली मौसमी होने के बावजूद भी औसतन 75% क्षमता का उपयोग करना ताकि भंडारण लागत कम की जा सके।

(2) भारत सरकार द्वारा वसूली और संचलन के संबंध में यथानिर्धारित 1:1.35 के अनुपात के मानदंड का पालन करना ताकि भाड़े पर होने वाले खर्च को कम किया जा सके।

(3) खाद्यान्नों की हैंडलिंग में हानियों को कम करने के लिए निरन्तर प्रयास करना।

(4) रेलवे विलम्ब शुल्क को कम करने के प्रयास करना।

(5) पुराने स्टाक को जारी करना, "ग" और "घ" श्रेणी के स्टॉक का निपटान करना और खाद्यान्नों के संचलन पर सीधे निगरानी रखना शुरू करना ताकि मार्गस्थ और भंडारण हानियों की घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके।

(6) बोरियों की मशीन से सिलाई करना और 50 किलोग्राम की बोरियों में खाद्यान्नों की हैंडलिंग करना ताकि भंडारण और मार्गस्थ हानियों को कम किया जा सके।

(7) वसूली के दौरान कड़े गुण-नियंत्रण उपाय सुनिश्चित करना।

(8) क्षति को कम करने के प्रयास करना।

विवरण-I

खरीफ विपणन मौसम 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान लेवी चावल (कच्चा और सेला) के लिए वसूली मूल्य

क्षेत्र	1997-98				1998-99				1999-2000			
	सामान्य		ग्रेड 'ए'		सामान्य		ग्रेड 'ए'		सामान्य		ग्रेड 'ए'	
	रॉ	सेला	रॉ	सेला	रॉ	सेला	रॉ	सेला	रॉ	सेला	रॉ	सेला
पंजाब	736.60	740.20	786.00	788.80	788.40	791.20	838.00	840.10	870.90	872.50	920.40	921.30
हरियाणा	729.40	753.10	778.20	781.20	780.70	783.60	829.80	831.90	864.20	865.90	913.30	914.20
उत्तर प्रदेश	707.20	711.20	754.50	757.80	757.20	760.40	804.60	807.20	838.00	840.10	885.50	886.80
राजस्थान	729.20	724.00	768.40	771.50	767.70	770.80	815.90	818.20	849.70	851.60	897.90	899.10
दिल्ली	720.40	733.10	778.20	781.20	780.70	783.60	829.80	831.90	864.20	865.90	913.30	914.20
चण्डीगढ़	716.50	720.40	764.40	767.60	763.70	766.90	881.60	814.10	845.30	847.30	893.20	894.50
आन्ध्र प्रदेश	735.10	738.70	784.40	787.20	783.40	786.30	832.70	834.80	867.30	868.90	916.50	917.40
कर्नाटक	679.40	683.80	724.60	728.80	724.30	728.10	769.60	772.60	801.40	804.00	846.70	848.60
मध्य प्रदेश	679.40	683.80	724.60	728.80	724.30	728.10	769.60	772.60	802.90	805.50	848.20	850.10
महाराष्ट्र	680.50	684.90	725.70	729.40	725.50	729.20	770.60	773.70	802.50	805.10	847.70	849.60
पश्चिम बंगाल	676.30	680.70	721.30	725.00	721.00	721.80	766.00	769.20	797.80	800.40	812.80	811.80
पांडिचेरी	673.20	677.70	717.90	721.80	717.80	721.60	762.50	765.70	794.10	796.80	838.90	841.00
उड़ीसा	710.30	714.30	757.80	761.60	757.20	760.40	804.60	807.20	838.00	810.10	885.50	886.80
असम	691.80	696.00	737.90	741.40	737.50	741.00	783.60	786.40	816.10	818.50	862.50	863.90
बिहार	704.20	708.20	751.20	754.50	*	*	*	*	830.70	832.90	877.70	879.29
गुजरात	*	*	*	*	721.00	724.50	766.00	769.20	792.80	800.40	842.80	844.60

निश्चित नहीं

विवरण-II

1997-98 से 1999-2000 के दौरान कस्टम मिल्ड चावल (रॉ और सेला) के लिए वसूली मूल्य

क्षेत्र	किस्म	1997-98		1998-99		1999-2000	
		रॉ	सेला	रॉ	सेला	रॉ	सेला
1	2	3	4	5	6	7	8
पंजाब	सामान्य	797.21	785.82	860.39	914.99	873.64	869.27
	ग्रेड-ए	850.95	837.81	8484.59	901.41	925.09	919.53

1	2	3	4	5	6	7	8
हरियाणा	सामान्य	773.12	762.24	776.01	773.04	862.32	858.12
	ग्रेड-ए	825.46	812.85	826.75	822.53	913.04	907.66
उत्तर प्रदेश	सामान्य	729.46	726.47	764.91	762.21	823.33	811.3
	ग्रेड-ए	778.91	774.72	814.93	810.98	871.95	859.2
मध्य प्रदेश	सामान्य	693.39	691.57	732.88	730.96	840.19	836.22
(सभी अनंतिम)	ग्रेड-ए	740.16	737.22	780.57	777.49	890.15	882.77
उड़ीसा	सामान्य	713.66	711.81	748.78	746.44	*	*
(सभी अनंतिम)	ग्रेड-ए	762.73	759.35	797.85	794.32	*	*

टिप्पणी- उपर्युक्त दरें बोरियों के मूल्य ह्रास, बोरी की लागत और बोरियों की सिलाई के प्रभारों से रहित।

टिप्पणी- 1998-99 के दौरान केवल पंजाब के लिए प्रासंगिक खर्चों की दरें अंतिम है।

*निर्धारित नहीं।

विवरण-III

1990-91 से 2000-2001 तक गेहूं का वसूली मूल्य

विपणन वर्ष	दर प्रति क्विंटल
1990-91	215/- रुपये प्रति क्विंटल
1991-92	225/- रुपये प्रति क्विंटल
1992-93	250/- रुपये प्रति क्विंटल + 25 रुपये अप्रैल से जून, 1992 तक बोनस के रूप में
1993-94	305/- रुपये प्रति क्विंटल + 25 रुपये अप्रैल से जून, 1993 तक बोनस के रूप में
1994-95	350/- रुपये प्रति क्विंटल
1995-96	360/- रुपये प्रति क्विंटल
1996-97	380/- रुपये प्रति क्विंटल
1997-98	415/- रुपये प्रति क्विंटल + 60 रुपये अप्रैल से जून, 1997 तक बोनस के रूप में
1998-99	455/- रुपये प्रति क्विंटल + 55 रुपये 30.6.98 तक बोनस के रूप में
1999-2000	550/- रुपये प्रति क्विंटल
2000-2001	580/- रुपये प्रति क्विंटल

सिक्कों की ढलाई

1125. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक रुपए, दो रुपए और पांच रुपए मूल्य के 40 प्रतिशत सिक्कों की ढुलाई विदेशों में की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा स्वदेशी टकसालों की ढुलाई क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) यह सच है कि 1 रु., 2 रु. और 5 रु. मूल्य वर्ग के सिक्कों की हमारी आवश्यकता का एक भाग विदेश में ढाले गए सिक्कों से पूरा किया जाता है।

(ख) और (ग) भारत सरकार के 1 रु., 2 रु. और 5 रु. मूल्यवर्ग का सिक्काकरण करने के निर्णय के परिणामस्वरूप इन मूल्यवर्गों के नोटों की छपाई क्रमश: नवम्बर, 1994 फरवरी 1995 और नवम्बर 1993 से स्थगित कर दी गई है। अत: उक्त मूल्यवर्गों के सिक्कों की बढ़ती मांग और देश में सिक्कों को ढालने की क्षमता के बीच बढ़ते हुए अंतर को पूरा करने के लिए सरकार ने आयात का सहारा लिया है।

तथापि, देश में सिक्कों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए टकसालों को आधुनिकीकृत किया जा रहा है।

[हिन्दी]

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

1126. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया में लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प दिया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, हां।

(ख) डी.पी.ई. द्वारा तैयार मॉडल योजना पर आधारित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) 23.03.92 से सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया में लागू की गई है।

(ग) योजना के लागू होने से आज तक 605 कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को स्वायत्तता देना

1127. श्री प्रभात सामंतराय: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अधिक स्वायत्तता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वायत्तता में वाणिज्यिक स्वतंत्रता भी शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पूंजीगत व्यय करने के लिए समय-समय पर प्रत्यायोजित शक्तियां प्रदान करके अधिक स्वायत्तता की अनुमति पहले ही दे दी है। इसके अलावा, नवरत्न तथा मिनी रत्न उद्यमों को कुछ शर्तों के अध्यधीन अतिरिक्त वित्तीय तथा प्रचालनात्मक स्वायत्तता प्रदान की गई है। एक बड़े उपाय के रूप में स्वायत्तता प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उनके दिन-प्रतिदिन के कार्य में व्यावसायिक स्वतंत्रता प्राप्त है।

[हिन्दी]

पंजाबी कार्यक्रमों का प्रसारण

1128. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिमी पंजाब में पंजाबी भाषा के प्रति अत्यधिक रुचि पुन: उत्पन्न होने के मद्देनजर आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग द्वारा पाकिस्तान के लिए प्रसारित उर्दू कार्यक्रमों की तुलना में प्रसारित पंजाबी भाषा के कार्यक्रमों का अनुपात कितना है; और

(ख) पाकिस्तान द्वारा प्रसारित किये जाने वाले पंजाबी कार्यक्रमों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अनुपात कितना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी की विदेश सेवा प्रभाग द्वारा पंजाबी और उर्दू में प्रसारण का अनुपात 1:6 है।

(ख) पश्चिमी बंगाल (पाकिस्तान) की तरह के पंजाबी कार्यक्रमों में सांस्कृतिक विषय वस्तु का अनुपात प्रतिदिन कुल पंजाबी प्रसारण का आधा है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर

1129. श्री के. येरननायडू: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के यूनिट शेयरों में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शेयरों के मूल्यों में गिरावट के क्या कारण हैं; और

(घ) स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन 40 उपक्रमों में विनिवेश हुआ है, उनमें से सरकारी क्षेत्र के 29 उपक्रमों के सम्बन्ध में विगत 2 वर्षों के दौरान के शेयर मूल्य की प्रवृत्ति उपलब्ध है। सरकारी क्षेत्र के जिन 29 उपक्रमों की प्रवृत्ति उपलब्ध है, उनके मूल्य में परिवर्तन यह दर्शाता है कि वृद्धि की अपेक्षा अधिक कमी हुई है। इस प्रकार विगत 2 वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर मूल्यों में सामान्यत: घटती हुई प्रवृत्ति है।

(ग) और (घ) पूंजी बाजारों में शेयर मूल्यों में परिवर्तन किसी एक कारक के कारण नहीं हो सकता, इसलिए शेयर मूल्यों में कमी के लिए कोई स्पष्ट कारण अभिज्ञात करना सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

नारियल/नारियल तेल का आयात

1130. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले:**
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नारियल उत्पादों का बड़े पैमाने पर आयात करने की वजह से नारियल तेल की कीमतों में गिरावट आई है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू नारियल उत्पादकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश भर के नारियल उत्पादकों ने सरकार से इन उत्पादों के आयात पर रोक लगाने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (घ) विभिन्न उत्पादक परिसंघों तथा सार्वजनिक प्रतिनिधियों से नारियल एवं नारियल तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस समय सार्क के अलावा अन्य देशों से सूखे नारियल को छोड़ कर नारियल का आयात प्रतिबंधित है। कोपरा तथा नारियल तेल का आयात स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. तथा हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल कारपोरेशन लि. के जरिए सरणीकृत है। पिछले वर्ष के लिए तथा इस वर्ष के अगस्त माह तक के लिए नारियल एवं नारियल तेल का आयात निम्नानुसार है:-

(मूल्य लाख रु. में)

क्र.सं.	मद	आयात का मूल्य (1999-2000)	आयात का मूल्य (अप्रैल-अगस्त, 2000-2001)
1.	नारियल	0.52	13.28
2.	नारियल (कोपरा) तेल	1362.4	432.2

अनन्तिम, स्रोत: डी.जी.सी.आई. एंड एस. कलकत्ता।

जैसाकि वर्तमान आयात नीति तथा आयातों के वर्तमान स्तर से देखा जा सकता है कि नारियल एवं नारियल तेल की कीमतों में आई गिरावट के लिए आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

तथापि, देश में होने वाले सभी आयात सीमाशुल्क की लागू दरों के अधीन हैं और घरेलू तौर पर उत्पादित उत्पादों पर यथा लागू घरेलू कानून, नियमों, आदेशों, विनियमों, तकनीकी विनिर्देशनों तथा पर्यावरणीय एवं सुरक्षा मानदंडों के अधीन हैं। इससे घरेलू उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण मिलना चाहिए।

आयातों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और सरकार टैरिफ तंत्रों के समुचित उपयोग के जरिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि आयातों से घरेलू उत्पादकों को कोई गंभीर नुकसान अथवा क्षति नहीं पहुंचती है।

[अनुवाद]

बीमा ऑम्बड्समेन

1131. **श्री विनय कुमार सोराके:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में स्थापित ऑम्बड्समेन कार्यालय परेशान उपभोक्ताओं को बीमा कम्पनियों के साथ उनके विवादों के संबंध में सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन ऑम्बड्स्मेन के कार्यालय किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ग) ऑम्बड्स्मेन कार्यालय को कौन सी वित्तीय और अन्य शक्तियां प्रदान की गई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा प्रसार माध्यमों के द्वारा आम उपभोक्ता जो बीमा कम्पनियों के साथ कार्य में कठिनाइयों का सामना करता है को ऑम्बड्स्मेन द्वारा दी जा रही सेवा के लाभों से उन्हें अवगत कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) ऑम्बड्स्मेन के कार्यालयों के केन्द्र बारह स्थानों पर स्थित हैं अर्थात् दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, चंडीगढ़, कलकत्ता, भोपाल, मुम्बई, अहमदाबाद, कोचिन, गुवाहाटी, भुवनेश्वर और हैदराबाद।

(ग) भाग (II)-खण्ड 3-उप-खण्ड (i) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 670 दि. 11.11.1998 ऑम्बड्स्मेन की शक्तियों का ब्यौरा दिया गया है। इन शक्तियों में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) ऑम्बड्स्मेन किसी बीमाकर्ता द्वारा किए गए दावों की आंशिक या सम्पूर्ण अस्वीकृति पर, पॉलिसी की शर्तों के अनुसार अदा किए गए अथवा देय प्रीमियम के संबंध में किसी विवाद पर, दावों के निपटान में विलम्ब और प्रीमियम की प्राप्ति के बाद ग्राहकों को किसी बीमा दस्तावेज के जारी न किए जाने से संबंधित शिकायतें प्राप्त कर सकता है तथा उन पर विचार कर सकता है।

(2) ऑम्बड्स्मेन के पास अनुग्रह राशि और अन्य व्ययों सहित बीस लाख रुपए से अनधिक कोई भी क्षतिपूर्ति राशि का अधिनिर्णय देने का अधिकार है।

(घ) सभी केन्द्रों पर बीमा ऑम्बड्स्मेन के कार्यालयों ने अपना कार्य आरंभ करने के साथ ही प्रमुख प्रेस-सूचनाएं जारी की हैं। सरकार भी शिकायतकर्ताओं को शिकायतों के निवारण के लिए ऑम्बड्स्मेन की सेवाओं के उपलब्ध होने के बारे में समय-समय पर सूचित करती आ रही है।

द्विपक्षीय सहायता

1132. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत ने गत एक वर्ष के दौरान द्विपक्षीय सहायता पुन: शुरू करने के लिए किन देशों के साथ बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो भारत के साथ द्विपक्षीय सहायता पुन: शुरू करने वाले देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन देशों द्वारा भारत को द्विपक्षीय सहायता शुरू करने की कोई पूर्व शर्त नहीं है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राजस्थान में आधारभूत विकास परियोजना

1133. डा. जसवंत सिंह यादव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी, 1998 में एशियाई विकास बैंक द्वारा ऋण संस्वीकृत करने के बावजूद भी राजस्थान शहरी आधारभूत सुविधा विकास परियोजना लंबित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस परियोजना के लिए अपना हिस्सा दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) एशियाई विकास बैंक द्वारा राजस्थान शहरी आधारभूत ढांचागत विकास परियोजना के लिए अनुमोदित 250 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण 29 फरवरी, 2000 का प्रभावी हुआ है। एशियाई विकास बैंक का यह ऋण राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए व्यय के लिए प्रतिपूर्ति आधार पर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में जून, 2005 तक परियोजना कार्यान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिया जाएगा। यह ऋण 30 जून, 2005 को समाप्त होना तय है।

प्रसारण क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भागीदारी

1134. श्री पी.आर. खुंटे: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियां प्रसारण क्षेत्र में निवेश करने की इच्छुक हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में भागीदारी करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनके निवेश संबंधी प्रस्तावों में रुचि दिखाई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

रूस को चाय का निर्यात

1135. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या थोक और पैकबंद चाय के आयात संबंधी ढांचे में बहुत अधिक अंतर होने की वजह से पिछले कुछ महीनों में रूस को निर्यात की जाने वाली भारतीय चाय के कारोबार पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या रूस में रह रहे कुछ देशों के व्यापारी रूस में थोक मूल्य पर चाय का आयात कर रहे हैं और उसी चाय को पैकेट में बन्द करके स्थानीय बाजार में बेच रहे हैं। इस तरह वह इस पर केवल पांच प्रतिशत आयात शुल्क दे रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय चाय निर्यातकों को वहां ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है और उन्हें हमारे देश से निर्यात की जाने वाली पैकेट बन्द चाय पर 15 प्रतिशत आयात शुल्क देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले को रूस के राष्ट्रपति की भारत की यात्रा करने के दौरान उनके साथ उठाया गया था;

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस समस्या को हल करने के लिए क्या कारगर कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) जी, नहीं। भारतीय चाय का निर्यात रूस को मुख्यत:, बल्क चाय, चाय के पैकेट और चाय बैगों के रूप में किया जाता है। इंसटेंट चाय की बहुत छोटी मात्रा का भी रूस को निर्यात किया जाता है। 1998 से रूस बल्क रूप में चाय पर 5% का आयात शुल्क और पैकेट के रूप में चाय पर 20% आयात शुल्क लगता रहा है। बल्क चाय और पैकेट चाय के बीच शुल्क में अंतर के कारण, कई रूस के आयातकों ने रूस के अंदर ही ब्लैंडिंग और पैकेजिंग फैक्टरियों की स्थापना करना शुरू कर दिया है ताकि बल्क चाय पर कम आयात शुल्क का लाभ उठाया जा सके। चालू वर्ष के दौरान भारत से होने वाले चाय निर्यातों में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली गिरावट रही है। अप्रैल से अगस्त, 2000 के दौरान निर्यातित चाय की कुल मात्रा 1999 की इसी अवधि के दौरान हुए 35.23 मिलियन किग्रा. के निर्यात की तुलना में 34.45 मिलियन किग्रा. थी।

(घ) से (च) जी, हां। रूस पक्ष मामले पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है। भारत सरकार भी इस मामले का अनुसरण कर रही है।

[अनुवाद]

सरकारी व्यय की समीक्षा करने के लिए आयोग

1136. श्री राम मोहन गाइडे:
श्री के.पी. सिंह देव:
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री शिवाजी माने:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपने व्यय की समीक्षा करने के लिए कोई आयोग गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग के विचारार्थ विषय और संरचना क्या है;

(ग) क्या आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) व्यय सुधार आयोग के विचाराधीन विषय निम्नवत हैं:

(1) सरकार की बढ़ती हुई भूमिका को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों विभागों और संबद्ध संगठनों तथा राज्य सरकारों की भूमिका के क्रियाकलापों में दोहराव (ओवर लैपिंग) से बचने और समाभिरूपता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के तहत केन्द्रीय सरकार के प्रकार्यों, क्रियाकलापों और प्रशासनिक ढांचे में कमी लाने के लिए उचित मार्गदर्शन की सलाह देना।

(2) आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की सब्सिडी के ढांचे की समीक्षा करना, उनके जारी रहने के आर्थिक औचित्य की जांच तथा सब्सिडीज को पारदर्शी बनाने के लिए सिफारिशें एवं न्यूनतम लागत में लक्षित जनसंख्या पर इसके अधिकतम प्रभाव के उपाय की सलाह देना।

(3) विभागीय और वाणिज्यिक चीजों के उपभोक्ता प्रभार निर्धारण के ढांचे की समीक्षा और उपभोक्ता प्रभार के जरिये लागत वसूली की प्रभावी रणनीति की सलाह देना।

(4) केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों, संबद्ध कार्यालयों तथा संस्थानों के तह कर्मचारियों की संख्या की पर्याप्तता की समीक्षा और विभिन्न सेवाओं के संवर्ग और स्टाफ को तर्कसंगत बनाने के उपायों पर सलाह देना। इस संदर्भ में यह सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान पुनर्नियुक्ति तथा पुन: प्रशिक्षण की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा भी करना है ताकि अधिशेष कर्मचारियों को सरकारी गतिविधियों के नए क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त श्रमशक्ति की जरूरत के मुताबिक पुनर्नियुक्त किया जा सकें।

(5) सरकारी तौर पर वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थानों के गठन की प्रक्रिया और उनके वित्त पोषण के तौर-तरीकों की समीक्षा करना तथा उनके क्रियाकलापों के लिए बजटीय सहायता में कमी तथा सुधार को प्रभावी बनाने के लिए उपायों की सलाह देना।

(6) सरकार में व्यय प्रबंधन संबंधी अन्य प्रासंगिक मामलों पर विचार करना और उचित सिफारिशें देना।

(ग) से (च) आयोग ने अब तक दो रिपोर्टें तैयार की हैं। पहली रिपोर्ट खाद्यान्न सब्सिडी से संबंधित है और दूसरी रिपोर्ट निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित है:

(1) उर्वरक सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना।

(2) सरकारी कर्मचारियों की संख्या को न्यूनतम स्तर पर रखना—कुछ सामान्य मुद्दे।

(3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्यकलापों, गतिविधियों और संरचना को तर्गसंगत बनाना।

(4) कोयला मंत्रालय में कार्यकलापों, गतिविधियों और संरचना को तर्कसंगत बनाना।

जबकि पहली रिपोर्ट की गेहूं और चावल की आर्थिक लागत में सुधार संबंधी सिफारिश कार्यान्वित कर दी गई है, आयोग की अन्य सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

आंध्र प्रदेश में विद्युत पर शुल्क

1137. **श्री बसुदेव आचार्य:**
श्री हन्नान मोल्लाह:
श्री सुरेश कुरूप:
श्री मोइनुल हसन:
श्री रूपचन्द मुर्मू:
श्री तरित बरण तोपदार:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक का ऋण प्राप्तकर्ता होने के नाते इसके निदेश पर राज्य में विद्युत शुल्क में परिवर्तन किए हैं, जैसाकि विश्व बैंक के अध्यक्ष ने दावा किया है।

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक के अध्यक्ष की यह कार्यवाही भारतीय राज्य के आन्तरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप है और यह देश की आर्थिक संप्रभुता का भी उल्लंघन है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों द्वारा इस्पात पर पाटन रोधी शुल्क लगाया जाना

1138. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किस देश ने भारतीय इस्पात पर पाटन रोधी शुल्क लगाया है;

(ख) क्या भारत और दूसरे देशों के बीच इस प्रकार के व्यापारिक विवादों की संख्या बढ़ रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा विवादों के हल के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) यूरोपीय संघ, यू.एस.ए. कनाडा और इंडोनेशिया ने स्टेनलैस स्टील की गोलियों/व्राइट वार्स, कार्बन स्टील प्लेटों. गैर-अलाय स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पादों, हाड रोल्ड कॉयल/प्लेटों, स्टेनलैस स्टील फास्टनर और पार्ट, स्टेनलैस स्टील के परिष्कृत तारों, स्टील के बंटे हुए रस्सों और केबलों, तार की रौडों जैसे भारतीय इस्पात के उत्पादों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय उद्योग भारत सरकार के सक्रिय सहयोग से भारतीय इस्पात के उत्पादों के आयात के खिलाफ इन देशों द्वारा शुरू किए गए पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क संबंधी मामलों का बचाव करता आ रहा है। सरकार ने भी विभिन्न मंचों पर इन देशों के साथ मामले को उठाया है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड का कार्यनिष्पादन

1139. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड देश में और विदेशों में भी विद्युत संबंधी उपस्करों की बिक्री कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा उक्त उपस्करों के उत्पादन, बिक्री और निर्यात के संबंध में कार्य निष्पादन क्या रहा;

(ग) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्पादन और निर्यात के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) जी, हां। गत तीन वर्षों के लिए बी.एच.ई.एल. के निष्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(करोड़ रुपये में)

	1997-98	1998-99	1999-2000
पैरामीटर टर्नओवर पॉवर सैक्टर (ट्रांसमिशन सहित)	4050	4352	4537
उद्योग सेक्टर	2421	2443	2097
कुल	6471	6795	6634
भौतिक निर्यात	213.69	71.32	355.11

(ग) और (घ) जी, हां। बी.एच.ई.एल. के लिए 1996-97 में नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्पादन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। संबंधित वर्षों के दौरान वर्षवार प्रक्षेपण और वास्तविक उत्पादन निम्नानुसार था:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	उत्पादन के लिए प्रक्षेपण (नौंवी योजना)	वास्तविक
1997-98	5850	6158
1998-99	6700	6380
1999-2000	6750	5984
2000-2001	8750	-
2001-2002	10000	-

नौवी पंचवर्षीय योजना में निर्यात के लिए अलग से कोई प्रक्षेपण नहीं किया गया है। तथापि, निर्यात के लिए क्रयादेश समझौता ज्ञापन की मदों में से एक है और नौवी योजना अवधि बी.एच.ई.एल. द्वारा किए गए समझौता ज्ञापनों के अनुसार निर्यात क्रयादेश की उपलब्धि नीचे दी गई हैं:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	निर्यात क्रयादेश, एमओयू लक्ष्य	उपलब्धि
1997-98	150	91
1998-99	140	250
1999-2000	200	703
2000-2001	300	-
2001-2002	-	-

बीएचईएल ने अपने निर्माण की पद्धति में निगरानी, चक्र अवधि और लागत को कम करने, गुणवत्ता को सुधारने, इसकी निर्माणकारी प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी का समाकलन करने और निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न यूनिटों में सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के टी.वी. समाचारवाचकों के पदों को भरा जाना

1140. **श्री वनलाल जावमा:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा. अंबेडकर जन्मशती समारोह समिति ने वर्ष 1993 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की आरक्षित रिक्तियों के बकाया पदों को भरने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान टेलीविजन दूरदर्शन में वर्ष-वार कुल कितने समाचारवाचकों की नियुक्ति की गई है;

(घ) उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुल कितने व्यक्ति थे तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल की गई नियुक्तियों की तुलना में प्रति वर्ष उनकी प्रतिशतता कितनी थी; और

(ङ) सिफारिश को संतोषजनक रूप से लागू न किये जाने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) विशेष भर्ती अभियान के जरिये बकाया रिक्तियों को भरने के लिए कार्यवाही शुरू की गई थी।

(ग) संबंधित अवधि के दौरान समाचारवाचकों की श्रेणी में कोई नियमित नियुक्ति नहीं की गई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बकाया रिक्तियां

1141. **श्री के.एच. मुनियप्पा:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा. अंबेडकर जन्मशती समिति ने 1993 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्त पदों को भरने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो 1993 के बाद से सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस मंत्रालय से संबंधित बकाया रिक्त पदों के संबंध में क्या कार्यवाही की है और इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) 1 जनवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इसके स्वायत्तशासी/वैधानिक/संबद्ध कार्यालयों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद रिक्त थे और इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कार्यग्राही की गई है; और

(ङ) 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बकाया आरक्षित रिक्तियां कितनी हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) और (घ) 1 अप्रैल, 1993 की स्थिति के अनुसार भरी नहीं गई शेष अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों की संख्या से संबंधित सूचना उपलब्ध है और संलग्न विवरण में दी गई है। मंत्रालय ने पिछली रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान भी चलाया था और रिक्तियों के बारे में संबंधित भर्ती एजेंसियों जैसे संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और रोजगार कार्यालय को भी सूचित कर दिया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

विवरण

1.4.1993 की स्थिति के अनुसार पिछली रिक्तियों की संख्या

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
वर्ग-1	17	50
वर्ग-2	94	87
वर्ग-3	150	283
वर्ग-4	23	41

अ.जा./अ.ज.जा. समुदाय को पर्याप्त आरक्षण

1142. श्री ए. कृष्णास्वामी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के संसद-सदस्यों ने 17 दिसम्बर, 1996, 1 सितम्बर 1997 और 23 जुलाई, 1998 को प्रधानमंत्री को दिए गए अभ्यावेदनों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के स्वायत्तशासी, वैधानिक अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों के प्रबंधन बोर्ड/अधिशासी परिषदों में प्रमुख/अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा सरकारी/गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों की तैनाती/नियुक्ति करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एन.एफ.डी.सी.) के प्रबंध बोर्ड/अधिशासी परिषद के प्रमुख/अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, सरकारी/गैर-सरकारी सदस्यों की रैंक में कुल कितने पद हैं;

(घ) 1 जनवरी, 1996 और 1 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार इन पदों पर अ.जा./अ.ज.जा. समुदाय के कुल कितने व्यक्ति कार्यरत थे और कुल पदों की संख्या की तुलना में उनका प्रतिशत क्या था; और

(ङ) यदि अ.जा. और अ.ज.जा. वर्ग के संसद-सदस्यों की मांग को संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं किया जा रहा हो तो उसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) इस मंत्रालय को इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ज्ञापन के अनुच्छेद 78(1) और निगम के एशोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार निगम के बोर्ड में अधिकतम 15 और न्यूनतम 5 निदेशक नियुक्त किये जा सकते हैं। डी.पी.ई. द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार सरकारी निदेशकों की संख्या 2 व्यक्तियों तक सीमित की जानी चाहिए। निगम के प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के बोर्ड में कार्मिक निदेशक हैं।

(घ) 1993 से अब तक राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के बोर्ड में कोई भी गैर-सरकारी निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है। 1.1.96 और 1.1.2000 की स्थिति के अनुसार सरकारी अधिकारियों के निगम के बोर्ड में अंशकालिक निदेशक के रूप में कार्य किया है। कार्मिक निदेशकों से संबंधित स्थिति निम्न अनुसार है:-

नीचे दी गई तारीख तक की स्थिति के अनुसार	पद का नाम	पदों की संख्या	भरे गए पदों की संख्या	क्या अ.जा./अ.ज.जा. के हैं
1.1.96	प्रबंध निदेशक	1	1	कोई नहीं
1.1.96	निदेशक (वित्त)	1	रिक्त	-
1.1.2000	प्रबंध निदेशक	1	रिक्त	-
1.1.2000	निदेशक (वित्त)	1	रिक्त	-

(ङ) उत्तर उपरोक्त (क) में दिए अनुसार।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

1143. श्री बनलाल जावमा: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. जीआईडीईपीटी ऑफ पीईआर एंड एआर ओ एम नं. 36012/7/77-ईएसटी (एससीटी), दिनांक 2.1.1978 के अनुसार सभी मंत्रालयों/विभागों को प्रतिनियुक्ति से पदों को भरते समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के बारे में विधिवत विचार करने का निर्देश दिया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न विदेशी कार्यों के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों पर भारी उद्योग मंत्रालय से कुल कितने कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं;

(ग) इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) उक्त श्रेणियों में से कुल कर्मचारियों की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है; और

(ङ) अगर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न दिया गया हो तो उसके क्या-क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, हां।

(ख) इस मंत्रालय ने प्रारंभ से ही प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी से संबंधित स्टाफ को विभिन्न विदेशी पदों/नियुक्तियों हेतु प्रतिनियुक्ति पर किसी को नहीं भेजा हैं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:

(1) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनिमयन) अधिनियम, 1995 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत 8 सितम्बर, 2000 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि 710(अ) में प्रकाशित केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2000 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2398/2000]

(2) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 719(अ), जो 13 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिनका आशय केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनिमयन) अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) और (2) के अंतर्गत 20 अगस्त, 2000 को जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 597 (अ) को निरस्त करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिए**, संख्या एल. टी. 2399/2000]

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) सीमा शुल्क और टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 667(अ), जो 18 अगस्त 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय पोलैंड, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, रूस, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन संघ में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ओक्सो-अल्कोहल्स पर, छह विनिर्दिष्ट प्रकार के पदनामित प्राधिकारी द्वारा सिफारिश की गई दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 681(अ), जो 28 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय चीन में उद्भुत या वहां से निर्यातित पूर्ण दग्ध मैग्नेसाईट (डी.बी.एम.) पर 20 दिसम्बर, 1996 की अधिसूचना संख्या 98/96-सी.शु. को निरस्त करके अंतिम प्रतिपाटन शुल्क वापस लेना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 688(अ), जो 29 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय 1 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 18/2000-सी.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 696(अ), जो 31 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित सोडियम फैरोसाइनाइड के मामले में अभिहित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों की समीक्षा के आधार पर संशोधित दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 697(अ), जो 31 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय 20 दिसम्बर, 1996 की अधिसूचना संख्या 97/96-सी.शु. को निरस्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 698(अ), जो 31 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित किए गए मैट्रोनाइडाजोल पर पदनामित प्राधिकारी द्वारा सिफारिश की गई दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 699(अ) जो 31 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय 17 अप्रैल, 2000 की अधिसूचना संख्या 44/2000-सी.शु. को निरस्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 722(अ), जो 15 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय रूस और यूरोपीय संघ में उद्भूत या वहां से निर्यातित किए गए विटामिन 'सी' पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा सिफारिश की गई दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 723(अ), जो 15 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय 16 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 28/2000-सी.शु. को निरस्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 732(अ), जो 19 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय 29 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना संख्या 46/99-सी.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 751(अ), जो 27 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय पदनामित प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार कोरिया गणराज्य में उद्भुत अथवा वहां से निर्यातित एवं भारत में आयातित एथीलीन-प्रापीलिन-डाइन रबड़ पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 752(अ), जो 27 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय 19 मई, 2000 की अधिसूचना संख्या 70/2000-सी.शु. को निरस्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 762(अ), जो 29 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 37/96-सीमाशुल्क में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 763(अ), जो 29 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान एवं यूरोपीय संघ से उद्भूत या निर्यातित हाइड्रोक्सिल एमिन सल्फेट पर पदनामित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर अनन्तिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 722(अ), जो 6 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्भुत और वहाँ से निर्यातित एनिलाइन पर पदनामित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 773 (अ), जो 6 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय 10 अप्रैल, 2000 की अधिसूचना संख्या 41/2000-सी.शु. को निरस्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 785 (अ), जो 16 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय टैक्स्टाइलों संबंधी भारतीय-यूरोपीय संघ और भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका समझौता ज्ञापनों के अनुसार विनिर्दिष्ट प्रकार के फैब्रिकों पर मूल सीमा शुल्क घटाना/संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 793 (अ), जो 17 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 794 (अ), जो 17 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए और जिनका आशय चमड़े की विनिर्दिष्ट किस्मों पर निर्यात शुल्क की रियायती दर का उपबंध करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 797(अ), जो 18 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय पदनामित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ट्राइमेथोप्रिम पर अनन्तिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 845 (अ), जो 3 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय 29 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 40/97-सी.शु. को निरस्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 856 (अ), जो 9 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय 14 नवम्बर, 1995 की अधिसूचना संख्या 159/95-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए, संख्या एल. टी. 2400/2000]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 678(अ), जो 28 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय 8 जुलाई, 1999 की अधिसूचना संख्या 32/99-के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 699 (अ), जो 28 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 62/95-के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 680 (अ), जो 28 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 64/95-के.उ.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) 29 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 686 (अ), में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तेरहवां संशोधन) नियम, 2000 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) सा.का.नि. 703 (अ), जो 1 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय उसमें उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 734 (अ), जो 22 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 764(अ), जो 29 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 64/95-के.उ.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 767 (अ), जो 29 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय 1 मार्च, 2000, की अधिसूचना संख्या 6/2000-के.उ.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 801 (अ), जो 19 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय 1 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 6/2000-के.उ.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 803 (अ), जो 19 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय 26 मई, 2000 की अधिसूचना संख्या 41/2000-के.उ.शु. को अधिक्रांत करना है, तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र में आने वाली किसी इकाई द्वारा अधिप्राप्त समस्त उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) 18 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 669 (अ), में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2000 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (बारहवां संशोधन) नियम, 2000 जो 29 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 684 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 855 (अ), जो दिनांक 9 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, और जिनका आशय 8 जुलाई, 1999 की अधिसूचना संख्या 32/99-के.उ.शु. में संशोधन करना है।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए**, संख्या एल.टी. 2401/2000]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 687 (अ), जो 29 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय 1 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 16/2000-सी.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 700 (अ), जो 31 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय 1 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 16/2000-सी.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 725 (अ), जो 15 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र के प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय उनमें उल्लिखित मौजूदा 11 सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 766 (अ), जो 29 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय 1 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 16/2000-सी.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 771 (अ), जो 5 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, और जिनका आशय भारत से पहले निर्यातित तांबा रिक्टों के विदेश में टोल स्मेलटिंग अथवा टोल प्रोसेसिंग से प्राप्त तांबा कैथोडों, तार बारों और तार रॉडों को उन पर उद्ग्रहणीय मूल और अतिरिक्त सीमा शुल्क में छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 792 (अ), जो 17 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय 1 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 16/2000-सी.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 795 (अ), जो 17 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय उनमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं को निरस्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 796 (अ), जो भारत के राजपत्र में दिनांक 17 अक्तूबर, 2000 को प्रकाशित हुए थे, और जिनका आशय 1 मार्च, 1989 की अधिसूचना संख्या 100/89-सी.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 804(अ), जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय 26 मई, 2000 की अधिसूचना संख्या 79/2000-सी.शु. का अधिक्रमण करना तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित किसी इकाई द्वारा किसी निजी/सार्वजनिक बांडिड भण्डागार से आयायित अथवा अधि-प्राप्त उत्पादन शुल्क लगने योग्य सभी वस्तुओं को सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2402/2000]

(4) लोक ऋण (संशोधन), नियम, 2000 जो लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 28 की उपधारा (3) के अंतर्गत 21 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 670 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 2403/2000]

(5) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 798(अ), जो 18 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय इटली के शिष्टमंडल के सदस्यों को वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अधीन विदेश यात्रा करके भुगतान से छूट देना था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2404/2000]

अपराह्न 12.03 बजे

याचिका संबंधी समिति

चौथा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका संबंधी समिति (तेरहवीं लोक सभा) का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03$\frac{1}{2}$ बजे

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

आठवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल): अध्यक्ष महोदय, मैं रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की अनुदानों की मांगों 2000-2001 के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

सभा का कार्य

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार 27 नवम्बर, 2000 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:-

1. शुक्रवार, 24 नवम्बर, 2000 की संशोधित कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार।

2. कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार और पारित करना।

3. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक, 2000 पर विचार और पारित करना।

4. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:-

   (क) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) (संशोधन) विधेयक, 2000

   (ख) समपहरण (निरसन) विधेयक, 2000

   (ग) कोल इंडिया (हस्तान्तरण का विनियमन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2000

5. राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात आप्रवास (वाहकदायी) विधेयक, 1998 पर विचार और पारित करना।

6. निम्नलिखित अध्यादेशों का निरनुमोदन करने वाले साविधिक संकल्पों पर चर्चा और इन अध्यादेशों के

प्रतिस्थापन करने वाले विधेयकों पर विचार और पारित करना:-

(क) भारतीय विश्व कार्य परिषद् अध्यादेश, 2000

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 2000

(ग) केन्द्रीय सड़क निधि अध्यादेश, 2000

7. संविधान (91वां संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार और पारित करना।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैंने नारियल उत्पादकों की कठिनाइयों के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको 'सदस्यों द्वारा निवेदन' के बाद बोलने की अनुमति दूंगा अभी नहीं।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह सभा के कार्य में सम्मिलित किया जाए:-

1. भारत में चीनी माल के डम्पिंग के बारे में चर्चा,

2. महिला आरक्षण विधेयक

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या महिला आरक्षण विधेयक इस अधिवेशन में पेश करने वाले हैं या नहीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप केवल अपना निवेदन कर सकते हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह सभा के कार्य में सम्मिलित किया जाए:-

1. अल्पसंख्यक विरोधी तत्वों द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे अभियान, जिससे विश्वविद्यालय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, और विश्वविद्यालय की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उपयुक्त कार्यवाही करने की आवश्यकता के बारे में चर्चा।

2. विद्यालयों के लिए नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा गलत संकल्पना पर आधारित है। और इस पर चर्चा किए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

डा. सजय पासवान (नवादा): महोदय, देश में व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन एवं आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए कुछ सुविचारित चिंतन की आवश्यकता है। मैं खासकर के पूर्वोत्तर राज्य एवं बिहार के औद्योगिक रूप से पिछड़ापन को दूर करने के संबंध में तथा इन क्षेत्रों के प्रचुर प्राकृतिक संसाधन एवं मेधायुक्त मानव संसाधन के बेहतर उपयोग एवं विद्यमान समस्याओं के समाधान ढूंढने हेतु इसकी चर्चा सदन में करने हेतु अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करने का आग्रह करता हूं।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): महोदय, कृपया जनहित मे अधोलिखित मुद्दों को सदन की अगले सप्ताह की कार्यवाही में सम्मिलित करने का कष्ट करें:

1. गुजरात में पड़े भीषण सूखे की स्थिति से निपटने के लिए अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से विशेष प्रयासों की आवश्यकता।

2. ग्रामीण अंचलों में दिनोदिन बढ़ रही बेरोजगारी को रोकने के लिए समुचित प्रबंधों की आवश्यकता।

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): महोदय, दिल्ली में यमुना नदी बहती है जिसके किनारे पर अनेकों झुग्गी-झोंपड़ी बनी हुई हैं, इससे प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यदि इसके पन्द्रह किलोमीटर लम्बे किनारे के साथ वृक्षारोपण कर सुंदर बनाया जाए तो लोग इसमें सुबह-शाम सैर भी कर सकते हैं।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के पर्यावरण व पर्यटन मंत्री से मांग करता हूं कि इस योजना को शीघ्र शुरू किया जाए जिससे यहां के नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके और प्रदूषण भी खत्म किया जा सके।

[अनुवाद]

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक): महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह सभा के कार्य में सम्मिलित किया जाए:

1. महाराष्ट्र में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए राज्य में अधिक बिजली उत्पादन की आवश्यकता।

2. वर्ष 2003 में नासिक में कुम्भ मेला आयोजित किए जाने के दृष्टिगत नासिक के 'ओ.यू.डी.एच.' स्टेशन को पूर्ण विकसित रेलवे स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करने का कष्ट करें।

1. 10 वर्षों से बंद पड़े भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड की गोरखपुर इकाई के स्थान पर कृषक भारती कोओपरेटिव (कृषकों) द्वारा प्रस्तावित नई उर्वरक इकाई को स्थापित करने के संबंध में।

2. गोरखपुर उत्तर प्रदेश का प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक तथा औद्योगिक नगर होने के कारण तथा प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को देखते हुए नई दिल्ली-गोरखपुर के बीच हवाई यात्रा प्रारम्भ करने के संबंध में।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह सभा के कार्य में सम्मिलित किया जाए:-

1. हथकरघा उद्योग को बचाने के लिए हथकरघा उद्योग को वस्त्र प्रौद्योगिकी निधि से पर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता क्योंकि अकेले तमिलनाडु में ही इस उद्योग में लाखों परिवार लगे हुए हैं।

2. आवंला और अन्य ऐसे फलों को सूखा प्रवण क्षेत्रों में उगाने की आवश्यकता क्योंकि आवंला और कुछ अन्य ऐसे फल क्षारीय प्रतिरोधी और सूखा प्रवण क्षेत्रों में होते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, देश में विदेशी पूंजी के साथ-साथ विदेशी पूंजी प्रधान तकनीकी औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश करती जा रही है जिसके कारण देश की श्रमिक प्रधान तकनीकी औद्योगिक क्षेत्र से बाहर हो जाने से देश में बेरोजगारी एवं भुखमरी की समस्या पर विचार होना चाहिए।

सरकार द्वारा घोषित नई कृषि नीति देश की खेती की खामी एवं चेतावनी का हल निकालने में असमर्थ है। इसलिए कृषि नीति में व्यापक संशोधन हेतु चर्चा की जाए।

अपराह्न 12.09 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली के मास्टर प्लान में संशोधन न करने के कारण विभिन्न लघु और कुटीर उद्योगों का बंद होना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा ध्यानाकर्षण पर विचार करेगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): अध्यक्ष महोदय, मैं शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें:-

"दिल्ली के मास्टर प्लान में संशोधन न करने के कारण विभिन्न लघु और कुटीर उद्योगों के बंद होने से उत्पन्न स्थिति के परिणामस्वरूप कानून और व्यवस्था के ठप्प होने तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम"

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैंने नारियल उत्पादकों के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे आपके स्थगन प्रस्ताव की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: फिर भी सचिवालय के अधिकारी उस सूचना की स्थिति के बारे में पता कर रहे हैं। उस सूचना की स्थिति का पता करने के लिए कुछ समय दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए। ...*(व्यवधान)* मैं इस तरह नहीं बैठ सकता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इस मामले पर इस समय चर्चा नहीं कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय: ध्यानकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा आधे घंटे में पूरी हो जाएगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह आज की कार्य सूची में सूचीबद्ध है। कृपया यह समझने की कोशिश करें।

...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): महोदय, 'शून्य काल' प्रश्न काल के तुरंत बाद आरम्भ किया जाता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त होने पर हम 'शून्य काल' आरंभ करेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: महोदय, यह एक परम्परा है कि 'प्रश्न काल' के तुरन्त बाद 'शून्य काल' आरम्भ किया जाता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आज सप्ताह का अंतिम दिन है। मुझे आज 'शून्य काल' के लिए 44 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। हम इन सूचनाओं की सूची आज ही समाप्त करेंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना का क्या हुआ?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: महोदय, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है। मुझे स्थगन प्रस्ताव की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, यह अत्यावश्यक मामला है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी एक अत्यावश्यक प्रस्ताव है। उसके तुरंत बाद हम 'शून्य काल' आरंभ करेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: महोदय, 'शून्यकाल' प्रश्न काल के तुरंत बाद आरंभ किया जाता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त होने के बाद 'शून्य काल' आरंभ किया जाएगा। कृपया अब उनका समय नष्ट न करें।

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): महोदय, प्रश्नकाल के तुरंत बाद 'शून्यकाल' आरंभ किया जाता है।...*(व्यवधान)* इसके लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज की कार्य सूची में पहले ही सूचीबद्ध है। यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: महोदय, ध्यानाकर्षण शून्यकाल के बाद भी लिया जा सकता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर केवल आधे घंटे तक चर्चा का जाएगी और उसके बाद हम शून्य काल आरम्भ करेंगे। इसीलिए हमने संबंधित मंत्री को भी बुलाया है।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, पहले आप आधा घंटा शून्यकाल को दे सकते हैं और फिर आप ध्यानाकर्षण पर चर्चा आरंभ कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय नहीं किया गया था।...*(व्यवधान)* इसे सोमवार को भी लिया जा सकता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसके लिए हमने संबंधित मंत्री को बुलाया है। इसे आज ही लिया जाना है।

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): अध्यक्ष महोदय, 14 नवम्बर, 2000 को उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

"अत: हम सर्वप्रथम मुख्य सचिव, दिल्ली और आयुक्त दिल्ली नगर निगम को भी कारण बताने के लिए नोटिस जारी करते हैं कि क्यों न राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बारे में निरन्तर निष्क्रियता और आवासीय क्षेत्रों में प्रदूषणकारी इकाइयों को बंद करने के बारे में इस न्यायालय द्वारा 8 सितम्बर, 2000, 30 अगस्त, 2000 और 12 सितम्बर, 2000 के आदेशों सहित जारी किए गए विभिन्न आदेशों के अनुपालन के लिए न्यायालय अवमानना के लिए उन्हें दंडित किया जाए।"

तत्पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नगर निगम के अधिकारियों ने आवासीय क्षेत्रों में प्रदूषणकारी तथा अन्य उद्योगों को बंद करना शुरू कर दिया। इससे लोगों में असन्तोष फैल गया जिसके परिणामस्वरूप लोग सड़कों पर उतर आए यातायात रोक दिया तथा बसें जला दी आदि-आदि।

अपराह्न 12.16 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए।)

मौजूदा स्थिति को आसानी से समझने हेतु 2 फरवरी, 1996 से शुरू हुए घटनाक्रम का वर्णन करना आवश्यक है अर्थात् जिस तारीख से न्यायालय ने आवासीय क्षेत्रों के उद्योगों को बंद करने उन्हें दूसरे क्षेत्रों में स्थापित करने हेतु आदेश पारित करने शुरू किए। 2 फरवरी, 1996 का आदेश इस प्रकार है:

"विद्वान वकील (काउंसेल) इस बात से सहमत हैं कि एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया जाए जो इस बात की जांच करें कि आवासीय क्षेत्रों में किस तरह के उद्योग को चलाने की अनुमति दी जा सकती है। अत:, हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य सचिव को एक समिति गठित करने का निदेश देते हैं जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से एक-एक सदस्य होंगे। समिति का अध्यक्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली प्रशासन का प्रतिनिधि होगा। समिति का गठन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, प्रशासन द्वारा मुख्य सचिव के इस आदेश की प्राप्ति के दो माह के भीतर किया जाएगा।"

न्यायालय ने 4 अक्तूबर, 1996 को नोट किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के तत्कालीन प्रधान सचिव ने न्यायालय के आदेशानुसार गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति की प्रगति के बारे में बताते हुए शपथपत्र दायर किया था। इसमें यह बताया गया था कि 45,000 प्राप्त आवेदन पत्र में से एक ही आवेदन की दो प्रतियां हटाने के बाद 43,045 आवेदन पत्रों की संवीक्षा की गई। इनमें से 39,166 आवेदन पत्र मास्टर प्लान के अंतर्गत आवश्यक अनुमति प्रदान किए जाने के मानदण्ड को पूरा नहीं करते थे। शेष 3,879 एककों/आवेदन पत्रों की जांच दिल्ली नगर निगम, उद्योग विभाग, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण द्वारा गठित समिति ने की। समिति ने पाया कि केवल 376 एकक आवासीय क्षेत्र में चलाने हेतु अनुमति प्रदान किए जाने के मानदण्डों के अनुरूप हैं।

18 दिसम्बर, 1996 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के तत्कालीन प्रधान सचिव ने 18 दिसम्बर, 1996 को दायर शपथपत्र के माध्यम से न्यायालय को आश्वस्त किया कि दिल्ली सरकार 1300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करेगी। संबंधित उद्योगों को भूखण्ड आवंटन के आवेदन फार्म दिए जा रहे हैं। न्यायालय ने 18 दिसम्बर, 1996 के अपने आदेश में निम्नलिखित टिप्पण की:

"हम पुन: दोहराते हैं कि हम संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली प्रशासन दिल्ली के आवसीय/गैर-नियोजित क्षेत्रों में चल रहे उद्योगों को पुन: स्थापित करने की परियोजना पर गंभीरतापूर्वक कार्यवाही कर रहा है। हम इस बात से भी संतुष्ट है कि उद्योग भी सहयोग कर रहे हैं..... दिल्ली प्रशासन को मामले के महत्व को समझने और तदनुसार अपेक्षित प्रक्रिया शुरू करने में कुछ समय लगा। अब सरकार द्वारा मामले की गम्भीरता को समझने के पश्चात् यह वह समय है जबकि न्यायालय को स्वयं को मामले से अलग कर देना चाहिए और उक्त मामला सरकार पर छोड़ देना चाहिए जिस पर वह स्वयं कार्यवाही करे और न्यायायलय द्वारा बनाई गई योजना के अनुरूप उद्योगों को पुन: स्थापित करे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली प्रशासन प्रत्येक तीन माह में इस न्यायालय में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।"

तथापि, चूंकि न्यायालय ने तदन्तर कोई प्रगति नोट नहीं की इसलिए उसने अपने आदेशों का अनुपालन न किए जाने पर विपरीत टिप्पणियां करनी शुरू कर दी।

मौजूदा स्थिति बवाना तथा ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में उद्योगों को पुनर्स्थापित करने के लिए भूखण्ड विकसित करने में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली प्रशासन सरकार की विफलता के कारण पैदा हुई। इस संबंध में इस बात को महत्व दिए जाने की आवश्यकता है कि उच्चतम न्यायालय ने 2 फरवरी, 1996 से आदेश पारित करने शुरू कर दिए और 9 दिसम्बर, 1999 तक किसी ने भी मास्टर प्लान संशोधित करने के बारे में बात नहीं उठाई।

सरकार को आवासीय क्षेत्रों में चल रहे उद्योगों तथा इन दोनों के मकान मालिकों और इन आवासीय क्षेत्रों में रह रहे किरांएदारों/अधिभोगियों की समस्याओं की जानकारी है। सरकार ऐसा समाधान खोजने के लिए उत्सुक है जो सभी संबंधित पदों के लिए संभव और न्यायोचित हो। सरकार सैद्धान्तिक रूप से प्रदूषण मानदण्डों के संबंध में सुरक्षोपाय के अनुपालन के अध्यधीन, जगदीश सागर समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार घरेलू उद्योगों को पुनः परिभाषित करने पर सहमत है। ये मानदण्ड निम्न बातों से संबंधित हैं। घरेलू उद्योगों में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या, उद्योग के लिए स्वीकृत विद्युत क्षमता और प्रयुक्त क्षेत्र आदि...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राशिद अलवी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाए। उन्हें अपना वक्तव्य देने दीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान मत डालिए। उन्हें उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। आपको स्पष्टीकरण पूछने का अवसर मिलेगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राशिद अलवी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। इस तरह से व्यवधान उत्पन्न न करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राशिद अलवी, हद होती है। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मदन लाल खुराना, आप भी अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राशिद अलवी, यह क्या है? यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। ऐसा नहीं है कि आप खड़े हो गए और कुछ भी कहने लगे। अब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री जगमोहन: महोदय, यदि आवश्यक हुआ तो सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों को पुनर्स्थापित करने के लिए और अधिक भूमि अधिग्रहित करने हेतु मास्टर प्लान में भी संशोधन करेगी।

सरकार, उद्योगों को पुनर्स्थापित करने हेतु, उच्चतम न्यायालय से थोड़ा और समय देने का अनुरोध करेगी। इस समय मामला उच्चतम न्यायालय में है।

मैं इस माननीय सभा का ध्यान एक बड़े प्रश्न की ओर भी आमंत्रित करना चाहता हूं: हम किस तरह की दिल्ली में रहना चाहते हैं और किस तरह की वसीहत हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए छोड़ना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारा शहर अनधिकृत निर्माण का कबाड़खाना बन जाए जो नागरिक और नैतिक अव्यवस्था को प्रतिबिम्बित करे अथवा हमारा शहर उदीयमान गणतंत्र की एक व्यवस्थित और अनुशासित राजधानी बने जिसमें न्याय और ईमानदारी जैसे मूल्य हों जिसके आधार पर हमने सदैव संस्कृति और सभ्यता के लिए सर्वश्रेष्ठ होने का दावा किया है।

इस समय हमारे शहरों में प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है और स्वास्थ्य लागत में वृद्धि हो रही है। प्रदूषित हवा के कारण प्रतिवर्ष लगभग 40,000 समयपूर्व मौतें हो रही हैं। 170 लाख लोग श्वास संबंधी बीमारियों के कारण अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं और 1.2 बिलियन लोग निष्क्रिय होते जा रहे हैं। इन मौतों में से 44 प्रतिशत मौतें तीन शहर दिल्ली, मुम्बई और कलकत्ता में ही होती है। नई और अधिक घातक बीमारियां पैदा हो रही है। मौजूदा अस्वास्थकर परिस्थितियों के कारण 30.5 मिलियन 'निशक्तता समायोजित जीवन वर्ष' का वार्षिक नुकसान हुआ है। जो 36,600 करोड़ रुपए के बराबर है।

दिल्ली विश्व में तीसरा बदतर प्रदूषणकारी शहर होने में नाम कमा चुका है। 500 लाख गैलन औद्योगिक अपशिष्ट प्रतिदिन यमुना में जा रहा है और आज उसमें गंदे पानी का नाला और औद्योगिक अपशिष्ट के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। उदाहरण के लिए मार्च-अप्रैल, 2000 के दौरान ओखला में ही नदी में बायोकैमिकल ऑक्सीजन मांग स्तर 70 मि.ग्रा. प्रति लीटर था जबकि मानक 3 मि.ग्रा. प्रति लीटर है अर्थात् अनुमत्य स्तर से 25 गुना अधिक।

[श्री जगमोहन]

यदि मौजूदा रवैया और पद्धतियां जारी रहती है तो अगले कुछ वर्षों में दिल्ली के लगभग 300 लाख लोगों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाएगा और दिल्ली बदसूरत, अस्वास्थयकर; काम करने योग्य और रहने लायक शहर नहीं होगा। इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास पर होने वाले कुठाराघात से भी निपटना होगा जो तीन मुख्य पड़ोसी राज्यों अर्थात् हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पर्याप्त भाग से बना है।

इन नितांत वास्तविकताओं के संदर्भ में क्या हमें अपना दृष्टिकोण अल्पकालिक बनाना चाहिए? हमारे विचारकों का समय और स्थान के लिए सदैव व्यापक दृष्टिकोण रहा। हमें सलाह दी जानी चाहिए कि तत्कालिकता के लिए अपना सब कुछ खत्म न करो वस्तुओं को उसकी संपूर्णता में देखों और भविष्य को ध्यान में रखकर व्यापक दृष्टिकोण अपनाओ।...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैंने सूचना दी है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन, आप केरल विधानसभा में अध्यक्ष थे। आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में जानते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं लोक सभा सदस्य हूं; मैं अध्यक्ष नहीं हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको प्रक्रिया के बारे में पता होना चाहिए। कृपया अब व्यवधान मत डालिए। मैंने श्री मदन लाल खुराना को बोलने के लिए कहा है।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैंने एक महत्वपूर्ण मामला उठाने के लिए सूचना दी है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार किया जा चुका है। कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: मुझे माननीय अध्यक्ष ने बताया था कि मैं यह मुद्दा 'शून्य काल' में उठा सकता हूं। मुझे नारियल उत्पादकों की कठिनाइयों के बारे में बोलने की अनुमति दी जाए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप अब अपने स्थान पर बैठेंगे?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पहले ही शुरू किया जा चुका है और माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है। माननीय सदस्यों को स्पष्टीकरण चाहिए। आप कार्यवाही में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप इस मामले को 'शून्यकाल' के दौरान उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, आप कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं चाहता हूँ कि यह बात कार्यवाही में सम्मिलित की जाए कि श्री राधाकृष्णन सभा की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: उपाध्यक्ष महोदय, यही वक्तव्य राज्य सभा में दिया गया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठिए। अब कालिंग एटेंशन मोशन ले लिया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपने-अपने स्थान पर जाएँ।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.28 बजे

(इस समय श्री तूफानी सरोज और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: हमने पहले ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रारम्भ कर दिया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव, कृपया सभा चलाने में मेरी मदद करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, ये आपकी पार्टी के लोग हैं। इनको आप बुलाइए। इस प्रकार से इनको हाउस के वैल में नहीं आना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। मुसलमानों की हत्याएं की जा रही हैं। मुसलमान बरातियों को परेशान किया जा रहा है। परसों की पुलिस ने एक दूल्हे के नाना को मारा, मामा को मारा। कई लोग गायब हैं और कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमसे अध्यक्ष महोदय ने प्रश्नकाल में वायदा किया था कि इस मामले को मैं शून्य-काल में उठाऊं और आप मुझे इसे उठाने नहीं दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी आप अपनी पार्टी के लोगों को सीट पर जाने के लिए कहें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव, यह दुर्भाग्य है कि एक वरिष्ठ सदस्य जो एक पार्टी के नेता भी हैं, इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। बहुत हो गया। मुझे यह कहने में खेद है। आप अपने सदस्यों को सभा के बीच आ जाने के लिए बोल रहे हैं। यह क्या तरीका है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: ठीक है। आप लोग अपने-अपने स्थान पर चले जाइए।

अपराह्न 12.30 बजे

(इस समय श्री तूफानी सरोज और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या है? अध्यक्ष महोदय ने इस मद को पहले ही स्वीकार कर लिया है। अब आप अपने दल के सदस्यों को यहाँ परेड करने के लिए कह रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : वहाँ हत्याएं हो रही हैं।...*(व्यवधान)* उनको बचा लीजिए।...*(व्यवधान)* गृहमंत्री जी इस पर बयान दें। ...*(व्यवधान)* उनके घर लूटे जा रहे हैं। उनको मारा जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री मदन लाल खुराना। हम इस मद को समाप्त कर लेते हैं। हम लोग 'शून्यकाल' को भी उसके बाद आरंभ करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: हमें अध्यक्ष महोदय ने कहा था। आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं इसलिए गुस्सा हो रहा हूँ क्योंकि आपके मैम्बर गड़बड़ कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: क्या हमारे मैम्बर मरेंगे?...*(व्यवधान)* वहां लूट हो रही है।...*(व्यवधान)* उनको मारा जा रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: क्या यही तरीका है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं क्रोधित हो रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति जो यहाँ बैठेगा क्रोधित हो जाएगा। बहुत हुआ।...*(व्यवधान)*

श्री मोहन एस. देलकर (दादर और नगर हवेली): महोदय, क्या प्रक्रिया बदल गयी है? शून्यकाल पहले होना चाहिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: किन्तु यह कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निश्चित किया गया है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले इसी तरह का वक्तव्य राज्य सभा में दिया गया था। दिल्ली के लोग काफी उत्तेजित थे।...*(व्यवधान)* कल मैं केन्द्र सरकार के कुछ प्रमुख मुखिया लोगों से मिला था। मैं आशा करता था कि कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए आज वक्तव्य आयेगा लेकिन आज यह वक्तव्य आपने पुन: रिपीट किया है। आज के अखबार में छपा है कि दिल्ली में 38 हजार और औद्योगिक इकाइयों को सील करने की तैयारी और भारी संख्या में अर्द्ध सैनिक बल बुलाये गये। यह दो वक्तव्य कल जब अखबारों के अंदर आयेंगे तो उसके बाद दिल्ली को संभालना बहुत मुश्किल हो जायेगा इसलिए मेरा यह कहना है कि आज जो दिल्ली की...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राशिद अलवी, यह कोई तरीका नहीं है। आप सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं। क्या सभा में वर्ताव का यही तरीका है? वहाँ बैठकर आप टीका-टिप्पणी कर रहे हैं। मैं इस मद को यथासम्भव जल्दी समाप्त करना चाह रहा हूँ ताकि 'शून्यकाल' प्रारम्भ हो सके।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि आप दिल्ली की जनता को कोई ऐसा मैसेज न दें जिससे दिल्ली की जनता यह महसूस करे कि हमको तो तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि आप कोई रास्ता निकालें।

दूसरा, आपने अपने वक्तव्य में एक चीज बहुत स्पष्ट कही कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश यह था कि केवल पौल्यूटेड इंडस्ट्रीज को ही सील करना है और किसी पर कार्यवाही नहीं करनी। 1996 से लेकर अभी कुछ दिनों पहले तक जब दिल्ली सरकार ने या किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया तब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि दिल्ली के चीफ सैक्रेट्री और कार्पोरेशन कमिश्नर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अन्दर क्यों न सजा दी जाये। उस अफरा-तफरी के अंदर दिल्ली के चीफ सैक्रेट्री की तरफ से एक बयान अखबारों में छपा कि दिल्ली में जितने भी लघु उद्योग हैं, 1 लाख 26 हजार, उन सबको सील कर दिया जाये। यह कैसे-कैसे सील किये गये, इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र दिल्ली सदर के अंदर पुरानी सब्जीमंडी है। वहां लोग कच्ची मूंगफली लाते हैं और उसको भूनकर रेहड़ी लगाते हैं। उनको भी नोटिस आ गया कि क्यों न आपके ऊपर जुर्माना किया जाये, यह आदेश हुआ।...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: गरीब आदमी तो जगमोहन साहब को पसंद नहीं है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप क्लेरीफिकेशन पूछिये।

श्री मदन लाल खुराना: मैं यह जानना चाहता हूं कि आप दिल्ली के चीफ सैक्रेट्री और उन आफिसरों के खिलाफ कोई इंक्वायरी करेंगे जिन्होंने इस तरह के आदेश बिना अपने पोलिटिकल हैड से कुछ कहे दिये या वह किसके आदेश से हुए। दिल्ली में जो कुछ हुआ, क्या आप उसकी जांच करायेंगे?...*(व्यवधान)* अभी आपने कहा कि दिल्ली को कूड़ा घर, स्लम या गंदा शहर बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इमर्जेंसी के दौरान जब दिल्ली के सभी झुग्गी झोपड़ी बस्तियों को पुनर्वास कालोनियों में ले लाया गया।

जनता पार्टी के राज में जून 1977 तक की अनऔथोराइज्ड कालोनियों को नियमित कर दिया गया। 1980 से 1990 तक दिल्ली में किसका शासन था? दिल्ली में किसने सारी गंदगी डाली?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप सवाल पूछिए।

श्री मदन लाल खुराना: यह इतना बड़ा मसला है। मुझे मुश्किल से मौका मिला है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मौका सबको है। इसे आधे घंटे में खत्म करना है।

श्री कमलनाथ (छिन्दवाड़ा): आप इसमें कोई सीमा नहीं लगा सकते। यह ऐसा मुद्दा है। आपको मुद्दा भी समझना है।

उपाध्यक्ष महोदय: कॉलिंग अटैन्शन का आधा घंटा टाइम फिक्स किया हुआ है।

श्री कमलनाथ: कॉलिंग अटैन्शन आप भी बीस साल से देख रहे हैं और मैं भी बीस साल से देख रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय: इसमें दस मिनट इनको और बाकी सदस्यों को पांच-पांच मिनट मिलेंगे।

श्री कमलनाथ: क्यों, इनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है?

उपाध्यक्ष महोदय: कमलनाथ जी, आपका ही बनाया हुआ नियम है।

श्री कमलनाथ: आप भी जानते हैं कि यह कैसे होता है।

श्री मदन लाल खुराना: मास्टर प्लान की आवश्यकता क्यों पड़ी। दिल्ली में तीन मुख्य समस्याएं थीं-एक, दिल्ली में लगभग एक हजार से ऊपर अनऔथोराइज्ड कालोनियां बस गई थीं, दूसरा, जब लोगों को रिहायशी क्षेत्रों में रोजगार नहीं मिला तो उन्होंने दुकानें खोल लीं और तीसरा, इंडस्ट्री की प्रोबल्म। जब दिल्ली में बी.जे.पी. का शासन आया तो मुख्य मंत्री के नाते मैंने यह ऐफीडैविट दिया, दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाया कि हम दिल्ली के मास्टर प्लान में परिवर्तन करेंगे। यह मैंने अपनी ओर से नहीं कहा, यह दिल्ली में बी.जे.पी. के मैनीफैस्टो में था कि अगर दिल्ली में बी.जे.पी. का शासन आया तो हम इसके मास्टर प्लान को चेंज करेंगे। इसलिए आज जो दिल्ली के मास्टर प्लान को चेंज करने के लिए कह रहे हैं, वह अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब समाप्त कीजिए।

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): मान्यवर, यह बहुत महत्त्वपूर्ण मसला है, इन्हें बोलने दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: लेकिन बोलने का भी समय है। समय का पाबंद होना चाहिए।

श्री मदन लाल खुराना: जो आंकड़े दिए गए, क्या आज से दस, पन्द्रह साल पहले नहीं थे? क्या दिल्ली आज ही गन्दी हो रही है? मेरा कहना है कि जैसा मुझे विश्वास दिलाया गया, मैं फिर निवेदन करूंगा कि दिल्ली की पौल्यूटेड इंडस्ट्रीज को शिफ्ट किया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन जिस इंडस्ट्री में पांच-दस लोग काम कर रहे हैं, जिसमें पौल्यूशन कर कोई असर नहीं पड़ता, ऐसी इंडस्ट्रीज में पन्द्रह लाख लोग काम करते हैं, दिल्ली की पूरी इकोनौमी पर उसका असर है, इसलिए उनको हटाना और धमकी देना कि हम अर्ध-सैनिक बल लाएंगे, फिर से हटाएंगे, यह ठीक नहीं है। मैं मास्टर प्लान की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह बी.जे.पी. के मैनीफस्टों में था, मैंने ऐफिडैविट दिया हुआ है, साहिब सिंह जी ने ऐफिडैविट दिया हुआ है। इसलिए मास्टर प्लान में परिवर्तन करके बीच का कोई रास्ता निकाला जाए। यदि यह आज नहीं होगा तो मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं होगा सिवाए इसके कि मैं दिल्ली की जनता के इस आन्दोलन को लीड करूं और सबसे आगे आऊं।...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: ये गरीबों के दुश्मन हैं, गरीबों को मारने का काम कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राशिद अलवी, मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। आप सभा में परेशानियाँ उपस्थित कर रहे हैं। आप बार-बार खड़े हो रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राशिद अलवी, आप ऐसे ही कुछ भी नहीं कह सकते। किसी भी चीज की सीमा है। इस सभा के नियम हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया): जूनियर मैम्बर को सीनियर बना देते हैं इसलिए सब गड़बड़ होती है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप क्या कर रहे हैं।

डा. मदन प्रसाद जायसवाल: हमारा तो तीसरा टर्म है।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने इसी 14 तारीख को अपने आदेश की अवमानना करने के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को दंडित करने के लिए कहा। यह समस्या कोई नई नहीं है, बहुत लम्बे अरसे से है। इस पर जो विवादास्पद बयान बराबर आ रहे हैं, जगमोहन जी तो मास्टर प्लान में कोई संशोधन करने को तैयार नहीं है। लेकिन मदन लाल खुराना जी की आज प्रैस कांफ्रेंस छपी है कि वे प्रधान मंत्री और गृह मंत्री से मिले हैं और दोनों मास्टर प्लान में संशोधन के लिए तैयार हैं। यह एक नई कंट्रोवर्सी सरकार ने पैदा कर दी है। मदन लाल खुराना जी सरकारी पार्टी में भी रहेंगे और आन्दोलन भी करेंगे, यह बड़ी आलीशान पार्टी है। बेहतर यह होता कि प्रधान मंत्री जी यहां खुद रहते और सरकार का जो विवादस्पद रवैया है, उस पर सफाई के साथ अपनी बात कहते। भारतीय जनता पार्टी ने इसे मामले को और उलझाने का काम किया है, यह मेरा आरोप है।

[श्री रामजीलाल सुमन]

यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि स्वास्थ्य और जिन्दगी, दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। एक तरफ तो प्रदूषण का सवाल है और दूसरी तरफ जिंदगी। दिल्ली में जो लोग हैं उनमें बाहर से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं और रोजी-रोटी की तलाश में आये थे, लेकिन काम नहीं मिला तो छोटा-मोटा काम करना शुरू कर दिया। ये लोग बड़े अमीर लोग नहीं हैं। 27 तारीख को ये पीड़ित लोग संसद के सामने प्रदर्शन करने वाले हैं और 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन करने वाले हैं। एक लाख 26 हजार जो इकाइयां हैं, उनसे खाली 20 लाख लोगों के प्रभावित होने का ही सवाल नहीं है। दिल्ली के लघु उद्योगों के साथ अलीगढ़, खुर्जा, मुरादाबाद, अहमदाबाद और जामनगर का भी रिश्ता है। अलीगढ़ का जो ढलाई का सामान है, उसकी यहां प्रोसेसिंग होती है, उसका प्रसंस्करण होता है। खुर्जे के चीनी के सामान का रिश्ता इससे है, मुरादाबाद का मैंथोल ऑयल, अहमदाबाद से चीनी के बरतन बनाने के लिए क्ले और जामनगर से ब्रास और कॉपर के पार्ट्स का रिश्ता इससे है। कुल मिलाकर इन उद्योगों के बन्द होने से करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए यह मसला सिर्फ दिल्ली का नहीं है।

एक रिपोर्ट यह भी छपी है कि 98 प्रतिशत उद्योग कोई प्रदूषण पैदा नहीं करते। अभी जगमोहन जी ने दिल्ली की सरकार के लिए कहा, दिल्ली भी कोई प्रदेश है? दिल्ली का मुख्यमंत्री तो एक सिपाही को नहीं हटा सकता। दिल्ली की सरकार के पास तो एक इंच भी जमीन नहीं है, जमीन तो डी.डी.ए. को देनी है। इसमें लिए चार हजार से 15 हजार एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। जमीन के कागजात दिल्ली के पास नहीं हैं। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जरा इसके बारे में जानकारी कर लें। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकारों ने भी मास्टर प्लान में संशोधन किये हैं। आखिर कोई रास्ता निकल सकता हो तो निकालना चाहिए। लेकिन बगैर कोई वैकल्पिक व्यवस्था किये हुए लाखों-करोड़ों लोगों की जिन्दगी से खिलवाड़ करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। बेहतर यह होता कि सरकार पहले वैकल्पिक व्यवस्था करती। मेरा आरोप है कि इस सरकार ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। इसमें जिन लोगों की रोजी-रोटी का सवाल है, इससे केवल 20 लाख नहीं, करोड़ों लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं और उन लोगों की जिन्दगी से खिलवाड़ करने का काम यह सरकार कर रही है। यह सरकार इस सवाल पर बिल्कुल गम्भीर नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनको नहीं धमकाया होता तो आज भी ये चार कदम चलने को तैयार नहीं थे। दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई, जिसमें तीन लोग मारे गये। जिसके पेट पर आप लात मार रहे हैं, वह किसी भी सीमा तक जा सकता है। मैं सरकार से दो सवाल करना चाहता हूँ। एक तो भारत सरकार का जो विवादास्पद रवैया है, जगमोहन जी का बयान, एक, मदन लाल खुराना जी का जलवा दूसरा कि आडवाणी जी और प्रधान मंत्री जी ने कह दिया है कि वे मास्टर प्लान में परिवर्तन करने को तैयार हैं। सरकार यह बताये कि जो तालाबन्दी आप कर रहे हैं, उद्योगों को बन्द कर रहे हैं तो क्या आप वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं? जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और हम पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करेंगे।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: उपाध्यक्ष महोदय...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप आज की कार्यसूची देख सकते हैं। मैं उन्हीं सदस्यों का नाम पुकार रहा हूँ जिन्होंने अपने बोलने की पूर्व सूचना दी है।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है। नारियल उत्पादकों की स्थिति के बारे में बोलने हेतु मुझे मौका दिया जाना चाहिए। स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए मैंने सूचना दी है...*(व्यवधान)* मैं नारियल उत्पादकों की स्थिति के बारे में बोलना चाहूँगा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपका स्थगन प्रस्ताव सचिवालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैंने सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय: यह प्राप्त नहीं हुई है।

श्री कमलनाथ: महोदय, विगत कई वर्षों से दिल्ली एक ऐसे नज़ारे का साक्षी रहा है जिसे पहले कदाचित ही देखा गया है। मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता। 1996 में क्या हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेवार था और कौन नहीं था इससे मुझे कुछ नहीं लेना।

महोदय, मैं उस वक्तव्य से प्रारम्भ करना चाहता हूँ जो मंत्री महोदय ने दिया है। उन्होंने पूछा था कि आप कैसी दिल्ली में रहना पसंद करेंगे। महोदय मैं खतरनाक एवं प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के पक्ष में नहीं हूँ। मंत्री महोदय ने यह भी जिक्र किया था कि कुछेक सालों में दिल्ली की आबादी तीन करोड़ हो जाएगी। उन्होंने पूछा था, "आप भविष्य में किस प्रकार की दिल्ली

चाहते हैं?'' महोदय, वह दिल्ली जिसे मैं चाहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि इस सभा में उपस्थित प्रत्येक लोग चाहते हैं, वास्तविकता, जनसंख्या के दबाव तथा विकास के दबाव से जूझ रही है। श्री जगमोहन दिल्ली के उपराज्यपाल थे। वे डी.डी.ए. के प्रधान थे। वे दिल्ली की समझ रखते हैं। जब वे डी. डी. ए. के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने नोएडा तथा यमुना-पार के उपनगरों की स्थापना की। इसकी क्या आवश्यकता थी? उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस समय श्री जगमोहन ने भविष्य की नग्न वास्तविकताओं को देखा। आज दिल्ली की स्थिति बिल्कुल बदल गयी है। बहुत साल पहले यू.एन.डी.पी. ने ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों के तरफ पलायन की बात कही थी। जनसंख्या तथा विकास का दबाव इतना गम्भीर हो गया था कि उन्होंने शहरी खाका के लिए एक नई दृष्टि तथा नई दिशा का विधान किया।

हमने उद्योगों को बंद किए जाने संबंधी विषय पर चर्चा की है। महोदय, मैं सोचता हूँ कि भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि जो तथ्य कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं कभी-कभी सही रूप में प्रस्तुत नहीं किए जाते। दो मुद्दे हैं, गैर नियोजित क्षेत्र तथा और नियोजित क्षेत्र और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग तथा प्रदूषण रहित उद्योग। एक ड्राइ-क्लीनिंग की दुकान या बेकरी प्रदूषण फैलानेवाली इकाई नहीं हो सकती। क्या वे समाज की जरूरतें नहीं है? किन्तु यह गैर-नियोजित है अतएव यह अवैधानिक है। यह इसलिए क्योंकि मास्टर प्लान मानता है कि यह गैर-नियोजित है। इसलिए हमें नियोजित और गैर-नियोजित, प्रदूषणकारी तथा प्रदूषण रहित इकाइयों के बारे में भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है।

प्रदूषण क्या है? मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे श्री जगमोहन से यह जानने की आवश्यकता है कि प्रदूषण क्या है? महोदय, आपके बाथरूम से बाहर आता हुआ पानी जल अधिनियम के तहत प्रदूषण कारक हैं। श्री जगमोहन जी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि पानी कहाँ जा रहा है। बाथरूम से आता हुआ वही पानी यदि तालाब में जाता है तो यह प्रदूषण है किन्तु यदि यह गन्दी नाली (सिवेज) में जाता है तो प्रदूषण नहीं है। अतएव, प्रदूषण क्या है। इस तथ्य को हम गलत रूप में न समझें। दिल्ली के सीमान्त पर स्थित फैक्टरी का प्रदूषण जो दिल्ली के प्रदूषण में बढ़ोत्तरी करता हो, प्रदूषण है। किन्तु वही फैक्टरी यदि 50 मील दूर स्थित हो तो वह आस-पास की हवा को प्रदूषित नहीं करती। अत: इस गलत समझ के आधार पर हम गलत दिशा में न बढ़े।

उपाध्यक्ष महोदय: अब कृपया आप अपना प्रश्न करें।

श्री कमलनाथ: महोदय, मैं सिर्फ उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। महोदय, यह मुद्दा पहली बार तब आया-जब मैं पर्यावरण मंत्री था। यदि आप रिकार्ड देखें तो पायेंगे कि उस समय दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा था कि ये इकाइयाँ कौन-सी हैं? मैंने कहा था कि ये पेट्रोल पम्प आदि हैं। क्या पेट्रोल पम्प प्रदूषणकारी नहीं है? बेकरी, चक्कियाँ, ड्राई क्लीनिंग शॉपस आदि हैं। मैंने कहा था कि इन इकाइयों को बंद करना संभव नहीं है। वे गैर-नियोजित हो सकते हैं। मास्टर प्लान आज से 20 साल पहले बना था जब दिल्ली अलग तरह की थी, देश अलग तरह का था और उस समय श्री जगमोहन स्वयं अलग तरह के थे। उस समय कुछ निश्चित धारणाएं थीं।

मैं श्री जगमोहन का ध्यान इस तरफ आकर्षिक करना चाहूँगा कि प्रश्न वहन क्षमता का है। यह उस क्षेत्र की वहन क्षमता पर निर्भर है जिस क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। दो तलों की वहन क्षमता जिसमें जहाँ 50 व्यक्ति रहते हैं शहरी दबाव का परिणाम कहलायेगा। किन्तु यदि दो तलों पर पाँच लोग ही रहते हैं तो वह शहरी दबाव नहीं है।

अतएव हमें उस क्षेत्र की वहन क्षमता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि उस क्षेत्र का 70 प्रतिशत भाग औद्योगिक है परन्तु नान कान्फर्मिंग है तो हम कहते हैं कि वहाँ से उद्योगों को हटावें तथा उसे रिहायशी बनावें। इस मुद्दे पर व्यक्ति को व्यावहारिक होना चाहिए। आज परिस्थिति का, गत 20 वर्षों के विकास का और विगत 20 वर्षों में हुई जनसंख्या-वृद्धि का हम पर व्यावहारिक सोच अपनाने का दबाव है। श्री जगमोहन स्वयं कहते हैं कि दिल्ली की जनसंख्या तीन करोड़ होने जा रही है। यदि निकट भविष्य में दिल्ली की जनसंख्या तीन करोड़ होने जा रही है तो आप से 20 वर्ष पूर्व जब हमने मास्टर प्लान बनाया था तब दिल्ली की जनसंख्या कितनी थी? अब हमें इस मास्टर प्लान से क्या करना है। अब यह मास्टर-प्लान रद्दी की टोकरी बन चुका है। हमें इस मास्टर-प्लान में जो 2001 तक लागू रहेगा। संशोधन की आवश्यकता है।

मास्टर-प्लान एक स्थिर धारणा नहीं है। समग्र रूप से देखा जाय तो मास्टर प्लान एक गव्यात्मक धारणा हैं। हमें इस नग्न यथार्थ का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। मैंने श्री जगमोहन द्वारा दिये गये वक्तव्य पर गौर किया। वे ही कठोर वास्तविकताएं हैं। वे वस्तुत: ये ही हैं जिसे मैं कह रहा हूँ। उनके वक्तव्य को ही मैं दुहरा रहा हूँ। इस कठोर वास्तविकता के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ। मैं उनसे विनती करता हूं कि वे सिर्फ उद्योगों पर ही ध्यान न दें। इनमें से कुछ उद्योग आम जनता की सेवा में संलग्न हैं। वे दिल्ली की अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभाते हैं। यदि दिल्ली में कोई उद्योग न रहे तो दिल्ली की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? उदाहरण के तौर पर विश्व की सभी प्रमुख राजधानियों पर नजर डालें। आधुनिकतम राजधानी को लें। दोनों जर्मनी के एकीकरण के पश्चात् जब बर्लिन को जर्मनी का राजधानी बनाया गया तो उन्होंने क्या किया? क्या वे सभी उद्योगों को बाहर कर दिए?

[श्री कमलनाथ]

मैं श्री जगमोहन से निष्कर्षत: केवल यह कहना चाहता हूँ कि कृपया वास्तविकता पर गौर करें। मास्टर प्लान का 2001 में पुनरीक्षण किया जाना है। 2001 में अब कितने दिन हैं? हमें पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। संसदीय समिति या प्रवर समिति गठित की जानी चाहिए। इस सभा में दिल्ली से सांसद है राजधानी क्षेत्र से भी सांसद है। इस प्रक्रिया में उन सबको सम्मिलित किया जाना चाहिए।

ऐसा नहीं है कि केवल श्री जगमोहन को ही कल की दिल्ली की चिन्ता है। हम सबको कल की दिल्ली की चिन्ता है। हम सबका अधिक से अधिक समय दिल्ली के आसपास व्यतीत होता है। मेरे विचार में केवल कुछ बन्द होने जा रहे उद्योगों को बनाए रखने के लिए मास्टर प्लान में परिवर्तन आवश्यक नहीं है बल्कि मैं इसमें बहुत बड़े परिवर्तन की संभावना देख रहा हूँ। क्या इस मास्टर प्लान पर पुनर्विचार के लिए वे किसी समिति या विशेषज्ञों के दल का गठन करने का काम शुरू करने जा रहे हैं?

मैं ऐसी दिल्ली नहीं चाहता हूँ जिसमें आतंक हो चाहे यह उद्योगों की बात हो या आवास की। मैं समाचार पत्रों में यह नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि दिल्ली बुलडोजरों से बर्बाद की जा रही है। मैं उस दिल्ली में रहना नहीं चाहता जहां लोगों में आतंक हो; जहां कुछ लोग कहे कि यह गैर-कानूनी है, यह नान-कनफर्मिंग है या यह प्रदूषणकारी है। हममें से कोई भी इस प्रकार की दिल्ली में रहना नहीं चाहता।

मैं उनसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूँ। 2001 में समाप्त हो रहे मास्टर प्लान पर पुनर्विचार करने के लिए वे क्या कदम उठाने जा रहे हैं। उस समय तक, क्या वह जहाँ पहुँचे हैं, वहीं रूक जाएंगे। वे दिल्ली में अनिश्चितता और आतंक की भावना फैलाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): मैं पहले अपनी बात रख चुके वक्ताओं की बातों पर नहीं जाना चाहता। मैं विशाखापत्तनम नामक स्थान का रहने वाला हूँ। यह स्थान भी प्रदूषित है। मैं उस शहर के लिए उस समय एक मास्टर प्लान बनाने में व्यस्त था जबकि मैं काफी लम्बे समय तक शहरी विकास प्राधिकरण का चेयरमैन रहा था।

मास्टर प्लान कोई बाध्यकारी नियम नहीं है। इसे हमारी आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर परिवर्तित किया जाना चाहिए। इस पर वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप समय-समय पर संशोधनों द्वारा पुनर्विचार किया जाना चाहिए। प्रदूषण के प्रश्न पर आपको मानवीय दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। वर्तमान स्थिति जैसी कि हमारे देश में है वहां आप रातोंरात छोटे उद्योगों एवं लघु उद्योगों को हटा नहीं सकते हैं। उनकी आजीविका का क्या होगा? वे कैसे जीवित रहेंगे? अत: आपको मानवीय दृष्टिकोण अपनाना होगा?

फिर आपको प्रदूषणकारी और गैर-प्रदूषणकारी को अलग-अलग करना चाहिए। किसी उद्योग से सामान फेकने का परिणाम उस प्रकार का उपद्रव होगा जैसा कि हमने दिल्ली में देखा है। यह बहुत दुखद घटना है। यह घटित नहीं होनी चाहिए थी। मुझे कहना चाहिए कि यह इतिहास में एक काला धब्बा है।

दूसरा प्रश्न यह है कि प्रदूषण केवल औद्योगिक इकाइयों से ही नहीं फैल रहा है। आटोमोबाइल उद्योग का क्या हो रहा है? दिल्ली की सड़कों पर बीसों वर्ष पुरानी कितनी कारें दौड़ रही हैं...*(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ: बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन का क्या है...*(व्यवधान)*

श्री. एम. वी.वी.एस. मूर्ति: हाँ, यहाँ बड़े थर्मल पावर स्टेशन हैं। मैं अब अपने मुद्दे पर आ रहा हूँ। अनेक माननीय सदस्यों की कारों सहित कितनी ही पुरानी कारें दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही हैं? क्या वे यूरो-III नहीं तो कम से कम यूरो-II के मानक को पूरा करती हैं? तो आप इन कारों को चलने से क्यों नहीं रोकते हैं। आज दिल्ली में सबसे प्रदूषणकारी उद्योग आटोमोबाइल उद्योग है। मेरे कहने का मतलब इन कारों से है न कि इनसे संबंधित उद्योगों से। आपने क्या कार्रवाई की है? अत: मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि इन बातों पर विचार करें। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि दिल्ली को प्रदूषित करने वाली इन पुरानी कारों को चलने से रोकने के लिए कदम उठाएं।

वायु प्रदूषण भी हो रहा है। सामान्यत: कुछ औद्योगिक इकाइयां और विशेषकर आटोमोबाइल उद्योग से धुआं निकलता है। धुएं से केवल वायु प्रदूषण हो रहा है। वास्तव में जल प्रदूषण भी है जो कि एक अलग प्रश्न है। लेकिन वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, इन उद्योगों को जो कि जल प्रदूषण भी फैला रहे हैं, आदरणीय मन्त्री जी आपको इन्हें अलग-अलग करना चाहिए। एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। अब छोटे एवं लघु उद्योग बहुत अधिक कठिनाई में हैं।

भारत बहुत गरीब देश है। आज आप यदि इन उद्योगों को बन्द करना चाहते हैं तो लाखों लोगों को कठिनाई होगी। विकसित देशों ने इन सभी रासायनिक उद्योगों को भारत में लगा दिया है। यदि आप प्रदूषण रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले इन रासायनिक उद्योगों को बन्द करना होगा। क्या आप ये कदम उठा रहे हैं? आप ये कदम नहीं उठा रहे हैं। आज भारत रासायनिक उद्योगों के लिए 'डपिंग यार्ड' बन गया है। यह सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला उद्योग है। ऐसा नहीं है कि हमारे विकसित उद्योग अधिक दवाएं नहीं बना सकते हैं। भारत इन्हें तैयार कर सकता है। लेकिन हम इन्हीं बस्तुओं की ओर झुके हुए हैं।

हमारा देश एक गरीब देश है। सरकार को मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा इस स्थिति का सामना समझदारी से करना चाहिए ताकि अपने लघु एवं छोटे उद्योगों को कोई नुकसान न उठाना पड़े। इन गैर प्रदूषणकारी लघु एवं छोटे उद्योगों को मास्टर प्लान में समायोजित किया जाता है। ऐसा कोई मास्टर प्लान नहीं है। जिसे सदा के लिए लागू किया जाए।

इसलिए, मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि इन बातों पर विचार करें तथा वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप इसे संशोधित करें। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे इस सभा में इस मास्टर प्लान को लाएं ताकि हम सब उसे अनुमोदित कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मन में शहरी विकास मंत्री श्री जगमोहन के प्रति उनके साहस, विचार और, कभी-कभी उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण बहुत सम्मान की भावना रहती है। जिसके लिए वे दलगत विचार को भी बाधक नहीं मानते। यद्यपि मेरे और उनके दृष्टिकोण तथा अन्य बातों में अन्तर है। वे देश की भलाई की चिन्ता कर रहे हैं। लेकिन यह सुनकर मुझे दुख हुआ है कि श्री जगमोहन ने सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के पहले ही अपनी पार्टी के दबाव में आकर अपने बयान में यह निर्णय दे दिया कि वर्तमान स्थिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा बवाना और इसी प्रकार के दूसरे स्थानों पर उद्योगों के पुर्नस्थापना हेतु प्लाट विकसित न कर पाने के कारण पैदा हुई है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि ऐसा कहने का उनका मन्तव्य केवल हमारी पार्टी से है। मैं दिल्ली की सभी सरकारों की बात कर रहा हूँ। क्या यह वास्तविकता है? क्या यह सत्य है। दिल्ली हमारी राजधानी है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में बहुत हद तक दिल्ली की छवि भारत की छवि है। मैं इस अत्यंत गंभीर मुद्दे पर जिसका संबंध दिल्ली में रहने वालों विशेषकर दिल्लीवासियों से है, दलगत स्तर पर बात नहीं करना चाहता। मंत्री महोदय को एक तर्क यह मिल गया है कि वर्तमान स्थिति सरकार की असफलता के कारण पैदा हुई है। मैं न्यायालय के सभी आदेशों का उल्लेख करके इस सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। क्या इसके लिए केवल दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है? क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम इसके जिम्मेदार नहीं हैं? क्या ऐसा नहीं है कि यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के कारण नोडल एजेन्सी शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? मंत्री महोदय मैं आप द्वारा दिए गए उत्तर के अन्तिम भाग जो कि दिल्ली के बारे में आपकी कल्पना से संबंधित है, से सहमत हूँ। मैं आपकी चिन्ता समझ रहा हूँ। हमें उस प्रकार की दिल्ली चाहिए। इस प्रकार के मामलों पर राजनीतिक बाध्यताओं से मत बंधिए। हर बात से ऊपर उठिए। यदि खुराना जी यह महसूस करते हैं कि वे इस समस्या को एक बार में हल कर सकते हैं तो हम सबको प्रसन्न होना चाहिए। यदि श्री वाजपेयी जी आपको हटाकर श्री खुराना जी को कुर्सी दे एवं उन्हें शक्ति दे तों हमें प्रसन्न होना चाहिए। यह हमारी समस्या नहीं है। यह आपकी समस्या है। केवल इतनी ही शक्तियाँ नहीं बल्कि श्री खुराना जी को कुछ और शक्तियां दीजिए ताकि वे श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार को गिरा सकें। उन्हें कुछ और शक्तियां प्राप्त करने दीजिए। मैं इसे गलत नहीं सोचता। लेकिन मंत्री महोदय, क्या आप इस समस्या को इस प्रकार हल कर सकते हैं। पहला प्रश्न यही है। क्या आपके स्वामित्व में जमीन तैयार है? इसका उत्तर है 'नहीं।'

अपराह्न 1.00 बजे

दूसरा प्रश्न यह है। क्या आपके पास इन सभी प्रदूषणकारी उद्योगों के एक या दो या तीन महीने में कहीं और स्थापित करने का जबाव है? उत्तर है नहीं। आपको क्या करना है? मैं इससे सहमत हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय की तलवार हमारे सिर पर लटक रही है। मैं निर्णय पर प्रश्न नहीं करना चाहता। कभी-कभी न्यायालय ऐसे निर्णय देते हैं जिनसे हमें मदद मिलती है; कभी-कभी उनके निर्णय यह बताते हैं कि विधायकों को कैसे व्यवहार करना चाहिए एवं कार्य करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि अब वह समय आ गया है जब हम भी यह सोचें कि अपनी नीतियों को लागू करते समय कार्य कैसे किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले चार दिनों से मीडिया में चल यह रहा है कि क्या 1996 में श्री मदन लाल खुराना जिम्मेदार थे या 2000 में श्रीमती शीला दीक्षित जिम्मेदार हैं। यह समाधान नहीं है। मैं ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ जहाँ गाँव हैं। मैं दिल्ली के भार को समझता हूँ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 6000 से अधिक लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं। जब मंत्री महोदय यह कहते हैं कि कुछ वर्षों में यह संख्या और बढ़ेगी और दिल्ली पर और अधिक भार पड़ेगा तो मैं उनकी बात से सहमत हूं।

हां, मैं मास्टर प्लान में किए जाने वाले परिवर्तन का समर्थन करता हूं। मास्टर प्लान में किया जाने वाला परिवर्तन पीड़ित लोगों को विश्वास दिलाने वाला एक नारा हो सकता है। आप किस प्रकार का मास्टर प्लान लाना चाहेंगे? दिल्ली की सीमाएं सीमित हैं। उत्तर प्रदेश ने हमें नौएडा दिया। इसने घुटन से कुछ छुटकारा पाने में हमारी मदद की है। क्या हरियाणा हमें सोनीपत या गुड़गांव देगा? वहां लोग अभी भी घुटन महसूस कर रहे हैं। हम कहां

[श्री प्रियरंजन दास मुंशी]

जाएं? इसलिए, मैं उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से श्री मदन लाल खुराना और विशेषकर मन्त्री महोदय से आग्रह करता हूं कि इस मुद्दे पर हमें राजनीति नहीं करना चाहिए। दिल्ली की सरकार के पास क्या शक्तियां है? श्री खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। क्या उन्होंने संविधान के अधीन मुख्य मंत्री की शक्तियों का प्रयोग उसी प्रकार किया जिस प्रकार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु ने किया? इसका उत्तर है 'नहीं।' दिल्ली के सरकार की संवैधानिक शक्तियां इस प्रकार की हैं कि यदि कोई मुख्यमंत्री रात भर जागता रहे तो भी यह नहीं जान सकता कि उपराज्यपाल को नार्थ ब्लाक से क्या निर्देश मिला। चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, दिल्ली की सरकार का प्रशासनिक और संवैधानिक ढांचा यही है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि संसद को कम से कम इस मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए यह निर्णय नहीं देना चाहिए कि श्री मदन लाल खुराना असफल रहे या श्रीमती शीला दीक्षित असफल रहीं। वास्तविकता यही है। न्यायालय के आदेश को भूमि के अभाव में इतने कम समय में लागू करना कठिन है।

अपराह्न 1.02 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

महोदय एक बात का उल्लेख करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं । यदि मेरे पिता जी को दमा है या अन्य कोई खाँसी की गंभीर बीमारी है और यदि मेरा डॉक्टर कहता है कि मेरे पिता जी को खांसी ज्यादा है, या मेरे बेटे के लिए विषाक्त तो...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसा महसूस होता है कि आप कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग रहे हैं, केवल भाषण दे रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या इसका अर्थ यह है कि मैं अपने पिता की हत्या कर दूंगा। मुझे अपने पिता का उपचार अलग कमरे में कराना चाहिए और अपने बच्चे के लिए भी स्थान बनाना चाहिए।

दिल्ली की स्थिति कुछ इसी तरह की है। हमें दोनों पर विचार करना है। जगमोहन जी, मैं जानता हूं कि जब बुलडोजर किसी इमारत वगैरह को गिराते हैं तो आपको विश्वास हो जाता है कि आप दिल्ली को स्वच्छ बना रहे हैं। आखिर हमारी संसद है किसलिए? यह जनता के लिए है। आखिर हम किसके लिए आवाज उठा रहे हैं? हम उन लोगों के लिए आवाज उठाते हैं जो हमें चुनते हैं। जी हां, संभवत: वे कुछ हटकर कर सकते थे, वे इन उद्योगों को कहीं और विस्थापित कर सकते थे लेकिन वे उद्योग यहां अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। हमने उन्हें बता दिया है। देखिए, हम आपको यह आदेश देकर यह स्थान बदलना चाहते हैं। बुलडोजर इमारतें गिरा सकते हैं लेकिन तब भी लोग संसद की ओर इस दृष्टि से देखते हैं कि हम उनका कितना ध्यान रखते हैं।

मुझे केवल चार प्रश्न पूछने हैं। जगमोहन जी, सबसे पहले हमें बिना किसी पक्षपात के दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार को और यहां तक कि दिल्ली के सांसदों तथा विद्यालयों को भी शामिल करते हुए मास्टर प्लान में परिवर्तन करने के मुद्दे पर व्यापक रूप से विचार करना होगा कि हम भविष्य में इस मुद्दे पर किस प्रकार विचार कर सकते हैं।

दूसरी बात, जब तक हमें भूमि नहीं मिलती, तब तक क्या आप कुछ समय के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह अपील करेंगे कि वह इमारतें गिराने अथवा उद्योगों को अन्यत्र स्थापित करने के आदेश को लागू न करते हुए हमें थोड़ा और समय दे ताकि हम उन्हें उचित स्थान पर पुन: स्थापित कर सकें? लाइसेंस देने और लाइसेंस वापस लेने का अधिकार केवल दिल्ली नगर निगम के पास है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि चूंकि इसे भाजपा ने किया था, इसलिए हम भी इसे कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि दि. वि. प्रा. इसके अधीन है। इसलिए आप इसे कर रहे हैं। मैंने ऐसा कहा होगा। लेकिन मैंने यह निर्णय लिया था कि अपने लाभ के लिए राजनैतिक आधार पर इस मुद्दे का समाधान नहीं किया जा सकता। यह एक अलग मुद्दा है।

तीसरी बात, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप स्वयं प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों का मूल्यांकन करें कि क्या उन्हें पुन:स्थापित करते समय उनमें प्रदूषण रोधी उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं की सहायता से वे यह उपकरण लगवा सकते हैं। मैं यह इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने हावड़ा जोकि अत्यधिक प्रदूषित औद्योगिक शहरों में से एक है, का एक बार प्रतिनिधित्व किया था।

जब प्रदूषण रोधी उपायों को क्रियान्वित किया गया था तब उनके पास प्रदूषण रोधी उपकरणों को खरीदने और उन्हें लगाने के लिए कोई पैसा नहीं था। अंतत: मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी बिना किसी राजनीति विचार के इस मुद्दे पर विचार करेंगे और भविष्य में संयुक्त कार्यवाही हेतु एक बैठक बुलायेंगे जिसमें दिल्ली सरकार, संसद और विधान सभा, दोनों में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य और संघों (एसोसिएशन) के प्रतिनिधि शामिल हों जिसमें बिना किसी राजनीति विचार के प्रत्येक सदस्य साझेदार हो।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष जी, दिल्ली पर दो दिन की बहस करा लीजिए। स्थिति की गंभीरता को आप आज महसूस नहीं कर रहे हैं। आज जौनपुर, गाजीपुर आदि में रास्ते रुके हुए हैं। गरीब मुसलमानों को पकड़ कर मारा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। आप स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। इसलिए दिल्ली पर दो-तीन दिन की बहस करा लीजिए। जौनपुर-गाजीपुर तक तनाव व्याप्त है। लोगों की 6 लाशों का पता नहीं चल रहा है, घर लूटे जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि महत्व का सवाल नहीं है। यह बहुत महत्व का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय: मिनिस्टर साहब रिप्लाई दे रहे हैं। जीरो-आवर मिनिस्टर साहब की रिप्लाई के बाद लेंगे।

[अनुवाद]

श्री जगमोहन: अध्यक्ष महोदय, मुझे उन सभी प्रतिष्ठित सदस्यों को धन्यवाद देना चाहिए। जिन्होंने विभिन्न प्रश्न पूछे हैं और स्पष्टीकरण मांगे हैं। मेरे विचार से वे बहुत जरूरी हैं क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूँ कि हमें सर्वप्रथम तथ्यों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। हमें पहले मूल बातों के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। तथ्य क्या है? मास्टर प्लान अभी तैयार नहीं किया गया है। यह 30 या 40 वर्ष पुराना नहीं है। यह दूसरा मास्टर प्लान है जिसे 1990 में अधिसूचित किया गया था। इसलिए हमें पहले इस तथ्य के बारे में स्पष्ट होना चाहिए।

दूसरा, यह मास्टर प्लान कैसे तैयार किया गया था? लोगों की आपत्तियां आमंत्रित करने के बाद ही इसे बनाया गया था। इसे संविधि के अंतर्गत बनाया गया था। इसे उन बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था जो भूतपूर्व पर्यावरण मंत्री जी ने पर्यावरण संबंधी कानून के तहत कही थीं। इन सभी को संसद के समक्ष रखा गया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था। दूसरा मास्टर प्लान संसद द्वारा 1990 में स्वीकृत किया गया था। उसमें सभी संबंधित एजेंसियों ने भाग लिया था और सभी से स्वीकृति मांगी गई थी।

इसलिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक इस मामले का संबंध है, ये उच्चतम न्यायालय के आदेश हैं। मैं इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन हमें तथ्य स्पष्ट होने चाहिए। मास्टर प्लान क्या है और इसकी क्या प्रक्रिया है? अपने बयान में मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम सभी संबंधित दलों, उद्योगपतियों, निवासियों और आम जनता के साथ निष्पक्ष और उचित रवैया अपनाने के लिए तैयार हैं। आम जनता की क्या राय है? आप जरा 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' द्वारा किये गये जन-मत संग्रह पर नजर डालें। उसके परिणाम अनुसार जनमत में भाग लेने वाले लोगों में से 87 प्रतिशत लोगों ने आज जो कुछ भी हो रहा है, उसे सही ठहराया है। अलावा आप उच्चतम न्यायालय में वहाँ के निवासियों द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर नजर डालें। उनका यह कहना है कि उनका दम घुट रहा है और उन्होंने यह याचना की कि गैर-कानूनी ढंग से चल रहे इन उद्योगों को क्षेत्र से हटाया जाना चाहिए। वे वैध उद्योग नहीं है, वे सभी अवैध उद्योग है उसके बाद भी मैंने यह बताया है कि इनमें जो भी कठिनाईयां हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: आप जो फोन की बात कर रहे हैं तो फोन गरीब लोग नहीं करते हैं, जामा-मस्जिद के लोग फोन नहीं करते हैं। आप गरीब लोगों की बात कीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कोई उचित तरीका नहीं है। जब मंत्री जी उत्तर दे रहे हों, तो बीच में टीका टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। यदि आप मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो आप यह बाद में कह सकते हैं, अभी नहीं।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया है?

[अनुवाद]

श्री जगमोहन: मैं उस मुद्दे पर भी आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपको मंत्री जी की बात सुनने के लिए कुछ धैर्य रखना होगा। जब कभी मंत्रीगण बोलते हैं तो इस ओर से बीच में टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है। यह ठीक नहीं है।

श्री जगमोहन: महोदय, इसमें और भी कई कठिनाइयां हैं मैंने तथ्य और आंकड़े दे दिए हैं। मैंने कहा था कि यदि वर्तमान प्रवृति और प्रक्रिया कायम रही और यदि हमने कोई ठोस और सही कदम नहीं उठाया तो न केवल दिल्ली अपितु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी बर्बाद हो जायेगा जिसकी श्री रामजीलाल सुमन ने यहां बात कही है।

[श्री जगमोहन]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भारत का एक भाग है। यह एक राष्ट्रीय वचनबद्धता है। इस संसद की वचनबद्धता है कि हम इसका विकास करेंगे। यदि सभी को दिल्ली आने की अनुमति दे दी जाये और हर प्रकार की अवैधता को नियमित कर दिया जाये तो आप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का किस प्रकार विकास करेंगे? क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भारत का हिस्सा नहीं है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के हित में है। मैंने अपने बयान में यह कहा है कि यदि वर्तमान रवैया बरकार रहा, यदि वर्तमान प्रवृति जारी रही, यदि वर्तमान चलन जारी रहा तो न केवल दिल्ली अपितु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी तबाह हो जायेगा और जिससे विकास की प्रक्रिया भी प्रभावित हो जायेगी।

मुलायम सिंह यादव जी वहां बोल रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश की प्रगति शामिल है। मैंने उन सभी राज्यों का दौरा किया है। मैंने देखा कि राजस्थान में 800 औद्योगिक भूखंड खाली पड़े हैं जिनका मास्टर प्लान की अवधारणा के अनुरूप, और संसद द्वारा दिए गए इन आश्वासनों के अनुरूप कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास किया जायेगा, दिल्ली के लोगों के लिए विकास किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड का गठन किया गया। एक अधिनियम भी पारित किया गया था। अब हम ताव में आकर इन सभी बातों को भूल रहे हैं। समझदारी यही कहती है कि हमें क्षणिक आवेग में यह नहीं भूलना चाहिए कि इन मुद्दों में कौन-कौन सी मूल बातें शामिल हैं और वास्तविकता क्या है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैंने यह कहां कहा है कि मैं मास्टर प्लान में संशोधन नहीं करूँगा? मैंने सिद्धांत निर्धारित किये हैं कि मास्टर प्लान में संशोधन किया जा सकता है और किया जायेगा बशर्ते कि वह आयोजना के हित में हो, बशर्ते कि वह अधिनियम के मूल उद्देश्य को समाप्त न करे, बशर्ते कि वह पर्यावरण अधिनियम की मूल भावना का समर्थन न करे। क्या हम इसमें इस तरह से संशोधन करेंगे जिससे मास्टर प्लान का नाश हो जायेगा, जिससे पर्यावरण संबंधी कानून का नाश हो जायेगा, जो संविधि के विरुद्ध होगा और जो उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णयों के खिलाफ होगा? उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उनके आदेशों की 1996 से लगातार अवज्ञा की जा रही है और ऐसा मुख्यत: उन्हें स्वस्थाने विनियमित करने से सहमत होने के लिए बाध्य करने हेतु किया गया है। यह कोई मुद्दा नहीं है। उच्चतम न्यायालय ही इस मामले पर विचार कर रहा है।

मैं दासमुंशी जी की इस बात से पूर्णत: सहमत हूं कि यह कोई राजनैतिक मुद्दा नहीं है। मैं किसी व्यक्ति विशेष को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि हमें तथ्यों को उसी रूप में लेना चाहिए जिस रूप में वे आज हैं और उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। पिछले दो वर्षों से वे आश्वासन दे रहे हैं। उन्होंने एक भी भूखण्ड का विकास नहीं किया है। उच्चतम न्यायालय ने 14 सितम्बर, 2000 को स्थानीय प्राधिकारियों से क्रुद्ध होकर ही कहा : "हमने शहरी विकास मंत्रालय को नोडल एजेंसी नियुक्त किया है जो मास्टर प्लान के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा।"

अगली सुनवाई में हम उच्चतम न्यायालय गये और कहा, "यदि वे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो मेरी क्या सुनेंगे?" इसलिए, सबसे पहले मैं नरेला और अन्य क्षेत्रों में गया। जल-प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों तथा अन्य प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को छ: हजार भूखंड आबंटित किये गये हैं। मैंने उद्योगों को और अधिक समय देने का भी अनुरोध किया था। उच्चतम न्यायालय में हमने शपथ पत्र दायर किया था जिसमें उन्हें कुछ समय देने की याचना की गई थी ताकि प्रदूषण फैलाने वाले सभी उद्योग वहां जाकर पुन: स्थापित हो सकें। ऐसा उल्लेख किया गया था। मैंने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को नरेला भेजने की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं स्वयं वहां गया था। मैं उद्योग विभाग में रह चुका हूँ और वहाँ ऐसी व्यवस्था है। जहां तक मानव जाति पर अपशिष्ट पदार्थों के प्रभाव का संबंध है तो जब उद्योग वहां जायेंगे तो उनके अपशिष्ट पदार्थों को संसाधित किया जायेगा और वे गैर-प्रदूषणकारी उद्योग बन जाएंगे क्योंकि वहां तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जायेगा। एक उद्योग उस उपकरण का खर्च वहन नहीं कर सकता लेकिन उद्योगों का समूह उसे वहन कर पायेगा।

मैंने आपको औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों के आंकड़े दिये हैं। हमें हिसाब-किताब में हेरा-फेरी नहीं करनी चाहिए। मैं यही कह रहा हूं। इन सब बातों की जांच की जा रही है। अन्य क्षेत्रों में भी भूखंड आबंटित किये गये हैं। नरेला 1989 से जी एन सी टी के साथ है।

मेरे विचार से कमलनाथ जी युवा है। उनकी याददाश्त मुझसे अच्छी है। लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्ष 1982 में एशियाई खेलों के दौरान क्या स्थिति थी? 'नैम' (एन ए एम) के दौरान क्या स्थिति थी? 'चोगम' (सीएचओजीएम) के दौरान वया स्थिति थी? दिल्ली सुन्दर शहर था। अब प्रश्न यह है कि यदि आप सही ढंग से योजना बनाये, यदि आप अपनी योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करें, यदि आप सभी के साथ न्याय करें तभी इन मुद्दों का समाधान किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। ...*(व्यवधान)* मुझे स्पष्ट करने दें। मैं यह कह रहा हूँ कि मास्टर प्लान में तभी संशोधन किया जा सकता है जब उसमें जनहित शामिल हो, जब वह न्याय, निष्पक्षता और साम्यता का उद्देश्य पूरा

करे। यह ऐसा नहीं है। किसकी मांग की जा रही है? मैं तीन छूटें दे रहा हूं। कुल चार मांगें की गई हैं। पचहत्तर प्रतिशत मांगे स्वीकार की जा रही हैं। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि यदि आपने किसी आवासीय क्षेत्र में ऐसे उद्योग की स्थापना की है जो प्रदूषण फैला रहा है तो यह कोई मुद्दा नहीं होगा। मुद्दा यह है कि आपके पास कहीं कोई आवास है, आप न्यू फ्रैंड्स कालोनी में रहते हैं और यदि मैं आपके घर के बगल में कोई उद्योग लगा दूं तो आप सुझाव देंगे कि इसे नियमित करें, उस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र बना दें, और गलत काम करने वालों को इनाम दिया जाये तथा जो व्यक्ति उस क्षेत्र में रह रहा है उसे वहां से चले जाने के लिए कहा जाये।...*(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ: सुझाव यह नहीं है। या तो आपने इसे समझा ही नहीं या फिर आपने इसे गलत समझा है। मैंने आपसे पूछा है: "बेकरी क्या है, पेट्रोल पंप क्या है और कपड़े ड्राई क्लीन करने का कार्य क्या है?"...*(व्यवधान)*

श्री जगमोहन: मैं यह मुद्दा नहीं उठा रहा हूं। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि क्या न्याय का हित इस बात में निहित है कि आपको किसी क्षेत्र विशेष को खाली करने के लिए कहा जाए क्योंकि मैंने इसे औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का निर्णय कर लिया है। इसमें केवल यही एक मौलिक मुद्दा अन्तर्ग्रस्त है।

महोदय, आप याचिका को देखा। केवल उद्योगपति ही नहीं अपितु इन क्षेत्रों की रिहायशी जनता भी सर्वोच्च न्यायालय में गई है। यदि आप जानना चाहते हैं और आपके पास समय हो तो विश्वास नगर के रिहायशी लोगों ने क्या कहा है वह पढ़कर सुनाऊ। मैं सभा का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मेरे पास इस समय एक याचिका है जिस पर 28 तारीख को सुनवाई होनी है। यह याचिका इन्हीं कालोनियों के निवासियों के दायर की है। इसमें कहा गया है "यह कैसे हो सकता है कि अवैधता को माफ कर दिया जाए और वैध लोगों को सजा दी जाए?" मेरे पास किसी राजिन्दर सिंह द्वारा मानव अधिकार आयोग को संबोधित एक याचिका है, जिसमें कहा गया है : 'मेरी पत्नी प्रदूषण के कारण मर गई।" उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि किसी भले आदमी ने उनके घर के नीचे एक अवैध उद्योग लगाया हुआ है जिससे निकलने वाले धुएं से उनकी पत्नी को दमा हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। अत:, मामला यही नहीं है। अब, यदि आप दिल्ली के किसी स्कूल में जायें जहां हरेक चौथा अथवा पांचवां बच्चा अपने साथ इन्हेलर लिये हुए है और श्वास की बीमारियों से ग्रस्त है। परन्तु मैंने कहा : धैर्य रखिए। वे सभी उद्योग जो रिहायशी इलाकों में चलाये जा रहे हैं, उन्हें जगदीश सागर समिति की सिफारिशों की शर्तों को पूरा करना होगा।" यही बात स्थानीय संसद-सदस्यों ने मिलकर मुझे कही। वे यही चाहते हैं और इसी बात पर सहमति हुई है।

जैसाकि सुझाव दिया गया है, मैं प्रत्येक व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से मिलने को तैयार हूं। किसी से भी बात करने को तैयार हूं और यदि कहीं कोई न्याय की बात है, तो उस पर विचार करने को तैयार हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मेरा कहना यह है कि मीटिंग कब बुलाने जा रहे हैं? जो एश्योरेंस दिया गया था कि दिल्ली गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर, इंडस्ट्रीज के जो बड़े-बड़े लोग हैं, दिल्ली के सभी एम. पीज हैं, उन्हें मीटिंग में बुलायेंगे जिसमें यह डिसकस करेंगे कि मास्टर प्लान के लिए कौन सा बीच का रास्ता निकल सकता है, मंत्री जी इसके बारे में बतायें कि क्या हुआ?

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): अध्यक्ष महोदय, जब मंत्री जी ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रहे हैं तो मेरी क्या सुनेंगे? मेरा यही कहना है कि जो लोग जिम्मेदार थे और जिनके कारण ये सारी इंडस्ट्रीज बस गई, उन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कोई भी कार्यवाही की हो, तो मंत्री जी बता दें। मैं लगातार कंसल्टेटिव कमेटी की मिटिंग्स में कहता रहा हूं। अफसर लोगों को यह सूट करता है कि ये सब इल्लीगल रूप में बसें। मैं फिर यही कहूंगा कि अब आप एक्सन लें तो इन अफसरों के खिलाफ जरूर लें जिनके कारण ये सब उद्योग बसें हैं।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, यह सब क्या हो रहा है? यह क्या तरीका है कि ये लोग एक तरफ सत्ता चलायेंगे और दूसरी तरफ विपक्ष की राजनीति करेंगे। यह क्या षडयंत्र हो रहा है?

श्री विजय गोयल: क्या जनता के हित की बात नहीं करें?

श्री मुलायम सिंह यादव: हम कहेंगे लेकिन जवाब खुराना जी देंगे। यह जनता की बात है या पोलिटिकल बात हो रही है?...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल: हम जनता की बात कर रहे हैं, कोई पालिटिकल बात नहीं कर रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: यह पूरी तरह पालिटिकल है। यही मारेंगे, यही रोयेंगे, हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, यह क्या बात हुई?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी को अपना उत्तर पूरा करने दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री विजय गोयल, यह क्या है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: अध्यक्ष जी, जो इसके लिए जिम्मेदार है, उनके खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, हम बोलेंगे...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा। मंत्री जी के उत्तर के सिवाय कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री जगमोहन: मैं यह कह रहा था...*(व्यवधान)* मुझे यह स्पष्ट करने दीजिए...*(व्यवधान)* कृपया मुझे बात पूरी करने दीजिए। आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जायेगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मदनलाल खुराना, कृपया चुप रहिए।

श्री जगमोहन: जहां तक अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का सम्बन्ध है, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि कार्यवाही शुरू हो चुकी है और अनेक मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजे जा चुके हैं। श्री विजय गोयल को उनमे से कुछ की जानकारी है। शेष के बारे में मैं एक टिप्पणी तैयार करूंगा। दूसरी बात यह है कि श्री मदन लाल खुराना ने दो बातें सुझायी हैं। एक जांच के बारे में है। क्या मैं उन खामियों की जांच करूंगा, जिसके परिणामस्वरूप ऐसा हुआ, तो इसका उत्तर यह है कि मैं ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। क्या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का शब्दश पालन किया गया, इसमें जिसने भी गड़बड़ी की, ठीक है, वह सब प्रकाश में आ जायेगा। दूसरी बात यह है कि क्या मैं किसी से भी मिलने को तैयार हूं, इसका उत्तर यह है हां, मैं उनमें से किसी से भी मिलने का तैयार हूं। मैं अपने सभी मित्रों से मिलने को तैयार हूं और हम इस पर विचार करेंगे। मैं एक बैठक बुलाऊंगा। उसका कोई प्रश्न ही नहीं है...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, वह बैठक बुलाने को तैयार हैं।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा। यह क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है?

...(व्यवधान)

श्री जगमोहन: मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि मैं तैयार हूं। मेरे खुले विचार हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं किसी से नहीं मिलूंगा मैं किसी से भी मिलने को तैयार हूं। मैंने केवल सूचित किया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मदन लाल खुराना, आप कृपया अपने स्थान पर बैठिए। यहां कोई भी नियमों का पालन नहीं कर रहा है। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ। आप अपने स्थान पर बैठिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

श्री जगमोहन: मैं कोई बैठक बुलाने के तैयार हूं। मैं विचाराधीन कोई भी सुझाव स्वीकार करने के लिए तैयार हूं परन्तु मेरा कहना यह है कि हमें तथ्य और मूल बातों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी बात जो मैं इस सभा को अवश्य बता देना चाहता हूँ, वह यही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम अथवा मास्टर प्लान में संशोधन करने के लिए अकेले मेरी सहमति काफी नहीं हैं। मंत्रिमंडल द्वारा किसी विशेष सिद्धांत का अनुमोदन करने के उपरांत मास्टर प्लान में संशोधन किया जाता है। फिर ऊपर जनापत्ति आमंत्रित करने के लिए अधिसूचना जारी करनी पड़ती है जनापत्ति आमंत्रित करने के उपरांत सरकार पुन: उस मामले पर विचार करती है और अधिसूचना जारी की जाती है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री जगमोहन, क्या बैठक बुलाने पर को आपत्ति है?

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: क्या सांसदों के साथ बैठक करने पर आपको कोई आपत्ति है?

...(व्यवधान)

श्री जगमोहन: जी नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: वह बैठक बुलाने पर सहमत हो गए हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी के उत्तर के सिवाय कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं मंत्री जी के सिवाय किसी को भी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी को भी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जगमोहन: कोई गरीब पर हमला नहीं कर रहा है। जो उनका सत्यानाश करने वाले थे, करके चले गए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: राशिद अल्वी जी, आप हाउस को बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री जगमोहन: मैं केवल याद दिलाऊंगा...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.24 बजे

(इस समय डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री राशिद अल्वी, श्री हन्नान मोल्लाह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।)

श्री जगमोहन: महोदय, बहुत कुछ कहा जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय: अनावश्यक रूप से सत्तारूढ़ पक्ष के लोग भी विपक्ष को भड़का रहे हैं। आपको यह बात भी दिमाग में रखनी चाहिए। आप भी उनको भड़का रहे हैं।

श्री जगमोहन: क्या वे गरीबों की बात कर रहे हैं? मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जो कुछ हुआ, उसमें किसका फायदा हुआ और किसका नुकसान हुआ।

जरा कल्पना कीजिए कि लाल कुंआ मामले में वर्ष 1999 में क्या हुआ था। उस घर के ऊपर एक औद्योगिक इकाई होने के कारण पचास लोग मर गये थे।

अपराह्न 1.25 बजे

(इस समय श्री वसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।)

पचास लोग मर गये। वे लोग कौन थे, जो मृत्यु का शिकार हुए? मैं अमीरों की नहीं, गरीबों की बात कर रहा हूं, जो लोग मरे, वे कौन थे? ऐसे उद्योगों के आसपास होने के कारण दिल्ली में ऐसी घटनाएं सबसे अधिक हुई हैं। वर्ष 1999 में 50 लोग मर गये। वे जल कर मर गए क्योंकि उनके आवास के पीछे एक औद्योगिक इकाई थी और उनके घर के नीचे भी एक औद्योगिक इकाई थी।

मेरे मित्र कलकत्ता की बात कर रहे हैं। दिल्ली में 15,000 आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं, यह संख्या कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई को मिलाकर हुई संख्या से अधिक है और प्रति वर्ष आग लगने की घटनाओं से 300 लोग मर जाते हैं। ये मरने वाले लोग हैं? ये गरीब हैं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री जगमोहन]

अत:, मेरा कहना है कि सभी प्रदूषण करने वाले उद्योगों को हटाना ही होगा। सभी खतरनाक उद्योगों को वहां से जाना ही होगा। जहां तक अन्य उद्योगों का सम्बन्ध है, मैंने अपने वक्तव्य में पहले ही स्वीकार किया है कि जगदीश सागर समिति, जो पहले मुख्य मांग थी, के अनुसार, हम जहां तक अनुसूची का सम्बन्ध ही उस पर पुन: विचार करने और उद्योगों को पुन: परिभाषित करने पर सहमत हो गये हैं। यह बात मैंने अपने वक्तव्य में भी कही है। मैंने यह भी कहा है कि अगर आवश्यकता हुई, तो हम और जमीन लेंगे और पुन: बसायेंगे।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में 38 हजार औद्योगिक यूनिटें दिल्ली सरकार ने सील कर दी हैं। उन्हें खोलने के बारे में मंत्री महोदय कुछ नहीं बता रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री जगमोहन: 15 सितम्बर के आर्डर में उस बारे में कोई जिक्र नहीं है। दिल्ली सरकार खुद सील कर रही है। मेरे पास ऐसा कोर्ट का कोई निर्देश नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा है कि वह इनका काम है और हमने इनसे रिक्वेस्ट की है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ: यह सही नहीं है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं।...*(व्यवधान)* मैं मास्टर प्लान में संशोधन के बारे में मुख्यमंत्री के पत्र की बात कर रहा हूं।

श्री जगमोहन: मास्टर प्लान में संशोधन के लिए दिल्ली के मुख्य मंत्री ने मुझे जो पत्र लिखा है, वह मुझे दिखायें।

श्री कमलनाथ: आपने यहां कहा है कि 9 दिसम्बर, 1999 तक किसी ने भी मास्टर प्लान में संशोधन करने की बात नहीं की।

[हिन्दी]

श्री जगमोहन: आपने कहा कि मास्टर प्लान का चेंज नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं उसमें मास्टर प्लान की बात कहां कही गई हैं। कृपया मुझे दिखाएं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मेरा कहना यह है कि मुख्यमंत्री जी ने 9 दिसम्बर, 1999 तक इसके बारे में बातचीत तक नहीं की।...*(व्यवधान)* मेरा कथन मात्र इतना है। मैं उनको क्यों लिखता।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर): अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की 38 हजार यूनिटों को सील कर दिया गया है पहले उनको खुलवाइए।...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल: अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में इंडस्ट्रियल यूनिटों को सील कर दिया गया है। उन्हें खुलवाया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री विजय गोयल, जब माननीय मंत्री उत्तर दे रहे हों, तो आप हस्तक्षेप क्यों करते हैं? कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

श्री जगमोहन: मैंने अपने लिखित वक्तव्य के अंतिम पैरा में जो कहा है, उसे दोहराकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अल्पकालिकता पर इतना जोर नहीं दिया जाना चाहिए।

हमें दिल्ली के हित में, समाज के हित में, एन.सी.आर. के हित में और पूरे देश के हित में और जिस प्रकार के मूल्यों को हम स्थापित करना चाहते हैं उनके बारे में व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। क्या हम शहरी अनुशासनहीनता को बढ़ावा देना चाहते हैं अथवा अनुशासन की संस्कृति, कानून के प्रति नागरिक सम्मान और साथ में ही पर्यावरण के प्रति आदर की भावना रखना चाहते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारी जो भी प्रतिबद्धता है उस पर हमने अपनी सहमति जताई है। किसी को भी दंडित नहीं किया जाएगा। हमारा कार्य है कि हमारे ऊपर थोंपी गई इस विकट समस्या का रचनात्मक और सृजनात्मक हल निकाला जाए।

इसलिए, यही मैं कह रहा हूँ। देखते हैं कि 28 तारीख को उच्चतम न्यायालय क्या फैसला देता है क्योंकि इस मामले पर 28 तारीख को न्यायालय में सुनवाई होगी। उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद मैं आपके साथ सभी के किसी के भी साथ विचार-विमर्श करने के लिए तैयार हूं। और हम सब मिलकर इसका हल ढूंढ लेंगे। मैं एक बैठक बुलाऊंगा। मैं इतना आश्वासन देता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन जिस भाषा का यहां पर प्रयोग किया गया है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि...*(व्यवधान)** यदि ये सब बातें इस सदन में होती रहेंगी, तो हम लोग बहस कैसे चलाएंगे? अखबार वाले लिखते हैं कि जगमोहन ऐसा है, मैं कहना चाहता हूं कि जगमोहन से हमको कुछ लेना-देना नहीं है, लेकिन जगमोहन एक कर्तव्य-पालन कर रहे हैं। खुराना साहब इसी से प्रसन्न हो जाएंगे कि जगमोहन मीटिंग बुला रहे हैं। हमारे मित्र कमलनाथ एक भाषण इंटरनैशनल फोरम में करके आते हैं और दूसरा भाषण पार्लियामेंट में करते हैं। बैठ जाइए। पहले हमारी बात सुन लीजिए।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

क्योंकि वहां से आने वालों को खुश करना है। कितने लोग गांव से आकर दिल्ली में बसेंगे? 10 हजार लोग रोज दिल्ली में आ रहे हैं। अगर इस हिसाब से सारे देश के लोग आ जायेंगे तो फिर क्या होगा? जगमोहन जी ने जो कहा, कैपिटल रीजन किसलिए बनाया है? यह जगमोहन जी ने नहीं बनाया था बल्कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बनाया था। उस समय मैं भी था। उस समय इसके मंतव्य जाहिर किये गये थे। आज हमारे खुराना साहब कहते हैं कि हमारे एजेंडे. हमारे मैनिफेस्टो में था। यह पार्लियामैंट आपके मैनिफेस्टो से नहीं गाइड होता है। हम लोग गाइड नहीं होते हैं और न आपका एन.डी.ए. भी गाइड होता है।...*(व्यवधान)* जो भी हो लेकिन उस तरफ जो लोग सरकार में बैठे हैं, वे भी आपके मैनिफेस्टो को नहीं मानते हैं। इसलिए उस मेनिफेस्टो का बार-बार यहां पर जिक्र मत कीजिए। हम उस मेनिफेस्टो को कूड़े में फेंक देना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: क्या आप यह कहेंगे कि दिल्ली के मास्टर प्लान को चेंज करने वाले एजेंडे को आप कूड़े में फेंक देंगे।

श्री चन्द्रशेखर: जी हां।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: हम तो आग लगा देंगे।...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: आप तो आग लगाने वाले ही हैं। आपने तो सारे देश में आग लगा रखी है।...*(व्यवधान)* आपका तो काम ही आग लगाना है...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर: मैं कह रहा हूं कि जगमोहन जी इन्हीं की पार्टी के सदस्य हैं।...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना आपको शोभा नहीं देता है।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर: जगमोहन जी इन्हीं की पार्टी के सदस्य हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान चेंज करने के क्या नियम हैं, क्या प्रौसेस है? बिना उसको अपनाए हुए अगर आप यहां सदन में कहेंगे कि मास्टर प्लान को जगमोहन जी चेंज कर दें तो जगमोहन जी कोई डिक्टेटर नहीं है और न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी तानाशाह हैं। उसके लिए नियम बना हुआ है और उन नियमों को पालन किये बिना कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा इस सदन में अकेला आदमी भी उसका विरोध कर सकता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरह की गैरजिम्मेदाराना मांगें इस सदन में करना और दिल्ली की जनता में एक अविश्वास पैदा करना, उनको भड़काना न देश के हित में है और न दिल्ली की जनता के हित में है।

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष महोदय, मीटिंग बुलाकर मास्टर प्लान कैसे चेंज किया जाये, इस पर विचार करना है। ...*(व्यवधान)* हमने तो यही कहा है कि आप मीटिंग बुलाइये। ...*(व्यवधान)* क्या आप इस तरह से बात कहेंगे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब शून्य काल प्रारम्भ होता है। श्री मुलायम सिंह यादव।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, अफसोस है कि मुझे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर जिक्र करना पड़ रहा है क्योंकि जौनपुर में भूतपूर्व प्रमुख की हत्या की गई। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप दो मिनट ही बोलिये क्योंकि सबको बोलना है।

श्री मुलायम सिंह यादव: इस पर हम बोलेंगे और हमारी पार्टी के एक-आध मैम्बर और बोलेंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, 9.11.2000 को 12वीं कक्षा के एक छात्र जिसका नाम जहीरुद्दीन, उम्र 18 वर्ष थी, की हत्या कर दी गई। उसके बदले में कल साढ़े नौ बजे भूतपूर्व ब्लाक प्रमुख श्री कैलाश नाथ सिंह की हत्या कर दी गयी।...*(व्यवधान)* आप पहले जानते हो फिर भी ऐसी बात कहते हो।...*(व्यवधान)* मैं यह कह रहा था कि यह जो दो हत्यायें हुई हैं, मैं इन दोनों हत्याओं की निन्दा करता हूं। जिन्होंने हत्यायें की हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये, इससे मैं सहमत हूं। लेकिन इसके बाद जब एक कार से छः व्यक्ति मय ड्राइवर बारात में जा रहे थे जिनमें तीन व्यक्ति गैर-मुस्लिम थे और तीन मुस्लिम थे। उनमें से किसी एक की बेटी के बेटे की शादी थी तथा उस गाड़ी में उस लड़के के दो नाना और एक मामा जो कि 15 वर्ष के थे, बैठे हुए थे। उन व्यक्तियों ने कार में से तीन व्यक्तियों को गैर-मुस्लिम समझकर छोड़ दिया और बाकी तीन हाजी छेदी, मुस्तफा और मुस्ताक जिसकी उम्र 15 वर्ष थी, को चाकू से गोदकर, उनकी हत्या करके 200 मीटर दूर नदी में फेंक दिया। उसके बाद यह बताया गया कि इतने में उधर मोटर साइकिल से जो दूसरे लोग आये, उन्होने उन गैर-मुस्लिम लोगों को जाने दिया।

मुसलमानों को काट कर नदी में फेंक दिया गया, मिट्टी में दबा दिया गया। यह समाचार पत्रों में छपा है। इसे लेकर सबसे ज्यादा गंभीर बात यह है कि मुसलमानों के घरों को लूटा जा रहा है, उन्हीं की गिरफ्तारी की जा रही है। अभी तक की खबर है कि 70-80 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है। जो हत्या करने वाले हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। आज नतीजा यह है कि बनारस, बदोही, गाजीपुर और जौनपुर के बीच रास्ते में मुसलमानों का चलना पूरी तरह बंद कर दिया गया है चाहे शादी हो या कुछ और हो, वे इधर से उधर नहीं जा पा रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि अगर सरकार चाहती तो यह घटना नहीं होती। अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की, किसी को मुआवजा नहीं दिया। घरों की लूट बंद नहीं हो रही है, गिरफ्तारी बंद नहीं हो रही है। हम नहीं चाहते कि दंगा हो लेकिन सरकार की साजिश है। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री यहां आकर वक्तव्य दें। जिन लोगों ने घर लूटे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करें। कितने लोग मरे हैं, कितने लोगों का पोस्ट मार्टम हुआ, कितने लोग दफनाए गए, यह सब सदन में स्पष्ट बताया जाना चाहिए। जिनकी हत्याएं हुई हैं, उनके लोगों को तत्काल मुआवजा दें चाहें वे मुसलमान हों या हिन्दू हों। पांच लाख रुपये, हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री राहत कोष या संसदीय कार्यमत्री घोषणा करें। जिनको लूटा गया है, उनको मुआवजा दिया जाए। जिन्होंने लूटा है, चाहे वे पुलिस हो या पी.एस.सी. हो, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए, यह हमारी मांगें है।...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): अध्यक्ष महोदय, पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है ताकि दंगा हो। लोकल बॉडीज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है।...*(व्यवधान)* हाथरस जिले में भी इसी तरह का माहौल बनाया गया है।...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हर जनपद में जाकर अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक): अध्यक्ष महोदय, मैं महाराष्ट्र की बिजली की समस्या के बारे में बोलना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, आपने सूचना दी है और आप तो अभी तक नहीं बोले हैं, परंतु आपके नेता बोल चुके हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल श्री ढिकले जी का भाषण ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित होगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री उत्तमराव ढिकले: महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से किसानों को बिजली नहीं मिल रही है...*(व्यवधान)* महाराष्ट्र राज्य को जितनी बिजली चाहिए उतनी बिजली उसके पास नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र में लोड शैडिंग की गई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: शून्य काल में मामला उठाने का क्या यही तरीका है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, कृपया समझने का प्रयत्न कीजिए। आपने सूचना दी है और आपके नेता इसी विषय पर पहले ही बोल चुके हैं। आप उनकी बात में अपनी बात सम्मिलित कर सकते हैं। यह क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री ढिकले के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक): लोड शैडिंग दो-दो, तीन-तीन घंटे नहीं बल्कि दो-दो, तीन-तीन दिन तक चल रही है।...*(व्यवधान)* बिजली के मामले में महाराष्ट्र के सब किसान परेशान हैं। उनमें बहुत असंतोष फैला हुआ है।...*(व्यवधान)* इसके साथ ही महाराष्ट्र में कई इलाकों में बारिश न होने के कारण सूखा पड़ा हुआ है। इसलिए भी किसान परेशान हैं।...*(व्यवधान)* सारे बांध खाली पड़े हुए हैं। पीने के पानी की समस्या है।...*(व्यवधान)* खेतों के लिए पानी नहीं है। इस तरह हमारे सामने दो समस्याएं खड़ी हो गई हैं-एक तरफ पानी की समस्या है और दूसरी तरफ बिजली भी नहीं है। किसान क्या करेंगे। कई जगह रास्ता रोको आन्दोलन चल रहा है।...*(व्यवधान)* मैं केन्द्र शासन से अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रीय ग्रिड से महाराष्ट्र को जो 1700 मेगावट बिजली मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिल पा रही है, केवल 1400 मेगावाट मिल रही है। महाराष्ट्र का उरण प्रोजैक्ट, जिसकी बिजली उत्पादन की क्षमता 900 मेगावट है, उसमें से 400 मेगावाट बिजली महाराष्ट्र को मिलनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त करें।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक): इसलिए मैं केन्द्र सरकार से मांग करूंगा कि महाराष्ट्र के किसानों को बिजली दी जाए। ...*(व्यवधान)* वहां रास्ता जाम चल रहा है, वहां अब भी बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया समझने का प्रयत्न कीजिए कि मामला राज्य से संबंधित है। आप सरकार को इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कैसे बाध्य कर सकते हैं?

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 1.39 बजे

(इस समय श्री तूफानी सरोज और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके नेता ने इस मामले को उठाया है। क्या आप दूसरे सदस्यों को मामला उठाने नहीं देंगे? कृपया इसे समझिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये। अब आप समाप्त करिये।

श्री उत्तमराव ढिकले: इसलिए केन्द्रीय शासन से मैं अनुरोध करूंगा कि जो राष्ट्र ग्रिड से महाराष्ट्र को 1700 मैगावाट बिजली मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिलती है।...*(व्यवधान)* केवल 1400 मैगावाट बिजली महाराष्ट्र को मिलती है, जिससे 300 मैगावाट और बिजली मिलनी चाहिए।...*(व्यवधान)* महाराष्ट्र बिजली के लिए जो उरन प्रकल्प है, उस उरन प्रकल्प के लिए जो 900 मैगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है, लेकिन वायु (गैस) न मिलने से वहां उरन प्रकल्प से 400 मैगावाट बिजली नहीं मिल रही है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री ढिकले के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री उत्तमराव ढिकले: बिजली के लिए वहां ऐसा करने से और अतिरिक्त बिजली देने से महाराष्ट्र को राहत मिलेगी और महाराष्ट्र में जो बिजली निर्माण करने की क्षमता है, ...*(व्यवधान)*जो वालूज, पिन्नर सिनार, महार, राजनादगांव, चिंचोली, बाआ में भी प्रकल्प शुरू करने के लिए काम करना चाहिए ताकि जनता को राहत मिल सके।...*(व्यवधान)* मुझे दुख है कि जब हम बोलते हैं तो सभी लोग खड़े होते हैं, हमेशा यही होता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मि. ढिकले, आप समाप्त करिए, प्लीज।

श्री उत्तमराव ढिकले: मैं महाराष्ट्र के लिए केन्द्रीय शासन से मांग करूंगा कि महाराष्ट्र शासन की मदद करे और बिजली महाराष्ट्र शासन को देने का प्रयास करे। धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है?

श्री मुलायम सिंह यादव: गृह मंत्री जी को यहां बुलाइये। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 2.40 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.42 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.40 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.52 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.52 बजे पुन: समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* **हुए)**

सरकारी विधेयक

(एक) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक*

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब विधायी कार्य का प्रारम्भ करती है। श्री नीतिश कुमार विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 24.11.2000 में प्रकाशित।

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वयं सेवा और परस्पर सहायता पर आधारित जनसंस्थाओं के रूप में सहकारिताओं की स्वैच्छिक विरचना और लोकतांत्रिक कार्यकरण को सुकर बनाने के लिए और उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति के संवर्धन में उन्हें समर्थ करने के लिए और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए ऐसी सहकारी सोसाइटियों से, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है और जो एक से अधिक राज्यों से सदस्यों का हितसाधन कर रही हैं, संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि स्वयं सेवा और परस्पर सहायता पर आधारित जनसंस्थाओं के रूप में सहकारिताओं की स्वैच्छिक विरचना और लोकतांत्रिक कार्यकरण को सुकर बनाने के लिए और उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति के संवर्धन में उन्हें समर्थ करने के लिए और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए ऐसी सहकारी सोसाइटियों से, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं और जो एक से अधिक राज्यों में सदस्यों का हित साधन कर रही हैं, संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नीतीश कुमार: मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

अपराह्न 2.45 बजे

(दो) माल बहुविध परिवहन (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अरूण जेटली प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि माल बहुविध परिवहन अधिनियम, 1993 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

* राष्ट्रपति के सिफारिश से पुर:स्थापित।

महोदय, माल बहुविध परिवहन अधिनियम, 1993, पहली बार वर्ष 1992 में अध्यादेश के रूप में आया था और अन्त में इस माननीय सभा द्वारा विधायी रूप दिया गया। जिसका उद्देश्य दूरसंचार प्रणाली वाले मालवाहक जहाज की व्यवस्था करना था, जिससे माल की किसी स्थान से माल-वाहक जहाज तक ढुलाई की जा सके। माल को माल वाहक जहाजों तक पहुंचने से पूर्व कई प्रकार के संचार माध्यमों, जैसे सड़क या रेल की आवश्यकता पड़ती है। बजाय इसके कि शिपर्स विभिन्न एजेंसियों पर निर्भर रहें, एक बहुविध एजेंसी की अवधारणा की गई, जो उस समय से ही काम कर रही है। यह प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त, पिछले सात-आठ सालों से इस प्रणाली के कार्य को देखते हुए, कई खामियाँ पाई गई हैं। इस सम्बन्ध में विभिन्न सुझाव दिये गए जिन्हें सम्पूर्ण विश्व ने स्वीकार किया है। भारत में भी वित्तीय संस्थानों, बैंकों और अन्य जो इस विशेष व्यापार से जुड़े हुए हैं, के साथ विचार-विमर्श किया गया है।

इसके लिए आदर्श विनियम भी बनाए गये हैं जिन्हें 'यूनटेक' और इन्टरनेशनल चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने तैयार किया है। अब अनुभव के आधार पर, वर्तमान अधिनियम में कुछ परिवर्तन करने के सुझाव दिए जा रहे हैं जिससे यह प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जा सके कि यह व्यापार सुचारू रूप से चल सके क्योंकि यह महत्त्वपूर्ण व्यापार है। जो आयातक और मालवाहक जहाज के मध्य सम्पर्क स्थापित करता है। आयातक माल केवल एक ही स्थान पर देता है। इसलिए माल को सड़क रेल और अन्य परिवहन के साधनों से मालवाहक जहाजों में लदान के लिए ले जाया जाता है।

महोदय, जहां तक अधिनियम का सम्बन्ध है पहले हमने धारा 2 में संसोधनों का सुझाव दिया है इससे कुछ परिभाषाओं में परिवर्तन होगा। परिभाषा में परिवर्तन के बाद इन परिभाषाओं को इस विषय के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य परिभाषा के अनुरूप बनाया जाएगा।

धारा 4 को थोड़ा सा बदलने की आवश्यकता है। पहले, केवल कम्पनियों को ही अनुमति दी जाती थी। अब हम इसका विस्तार कर रहे हैं क्योंकि कुछ मामलों में इसमें फर्में स्वामित्व वाली कम्पनियाँ भी शामिल हैं। इसीलिए कम्पनियों के अतिरिक्त धारा 4 के अन्तर्गत फर्म और स्वामित्व वाली कम्पनी भी लाइसेंस प्राप्त कर सकती हैं।

धारा 4 में एक परन्तुक जोड़ा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति, जो माल बहुविध परिवहन संचालक का कारोबार कर रहा है और कोई विदेशी कम्पनी है, तो सबसे पहले उसके लिए यह आवश्यक है कि पहले वह अपना कार्यालय भारत में स्थापित करे, उसके बाद ही उसे इसके लिए लाइसेंस दिया जाएगा।

धारा 6 में इस आशय का संशोधन किया गया है कि पूर्व अधिनियम में अपील का प्रावधान केवल उस समय था जब लाइसेंस रद्द हो जाए। अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील करने के अधिकार का विस्तार ऐसे मामलों तक भी किया जा रहा है जिसमें कुछ बातों के आधार पर लाइसेंसों का नवीकरण नहीं किया गया हो अथवा मनाही कर दी गई हो।

धारा 7 में संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि बहुविध परिवहन संचालक (एम.टी.ओ.) को विधिवत् बीमा योजना में शामिल किया जाए जिससे कुछ मामलों में यदि रास्ते में माल खो जाए या नष्ट हो जाए तो अनिवार्य बीमा योजना से माल के मूल्य को सुरक्षित किया जा सके।

धारा 9 में संशोधन कुछ ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए किया जा रहा है जिसे माल की किस्म के बारे में दस्तावेज में ही देना होता है। मूल अधिनियम में यह विवरण पहले से ही है। इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि गलती से इसका विवरण नहीं दिया जाएगा तो इससे अनुबंध समाप्त नहीं होगा क्योंकि इससे किसी भी पार्टी को अनुचित लाभ प्राप्त हो सकता है।

धारा 13, 14 और 15 में बहुविध परिवहन संचालक के उत्तरदायित्वों का जिक्र है। इसलिए व्यापार की आवश्यकता के अनुसार, उत्तरदायित्वों के प्रावधानों में थोड़ा सा संशोधन किया गया है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई नुकसान हो जाता है तो उत्तरदायित्व की शुरूआत कब होगी, और कब समाप्त होगा और कौन से क्षेत्र उत्तरदायित्वों से मुक्त होंगे।

अंत में, महोदय, धारा 20 में संशोधन एक नई धारा 20क को शामिल करने के लिए संशोधन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत बहुविध परिवहन संचालक की जिम्मेदारी उसके द्वारा माल लेने के समय से आरम्भ होकर माल पहुंचाने तक रहेगी।

अब, इन संशोधन का सुझाव वर्तमान कानून में इसलिए दिया जा रहा है ताकि बहुविध परिवहन संचालक त्वरित व्यापार कर सकें, क्योंकि पोत परिवहन क्षेत्र के माध्यम से यह हमारे निर्यात उद्योग की जीवन रेखा है। माननीय राज्य सभा, जो उच्च सदन है, ने यह विधेयक 22 अगस्त, 2000, को पहले ही पारित कर दिया है और अब, मैं इस माननीय सभा में प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: इस विधेयक के लिए एक घंटे का समय नियत किया गया है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि माल बहुविध परिवहन अधिनियम, 1993, में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन (शिवगंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक हमारी व्यवस्था को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से जोड़ने के लिए अत्यावश्यक है।

1993 में कांग्रेस शासन के दौरान जब यह विधेयक लाया गया था तो अत्यावश्यकता को ध्यान में रखा गया था और संसद के समक्ष एक सही विधेयक प्रस्तुत किया गया था।

जब अधिनियम में वायु मार्ग द्वारा माल के वहन को भी शामिल किया गया है और विशेष रूप से यह स्पष्ट किया गया है कि वायु मार्ग द्वारा वहन किए गए माल को भी इस विशेष अधिनियम के प्रावधानों की परिधि में लाया जाएगा तो अब इसमें कुछ संशोधन किए जा रहे हैं जो वर्तमान में अत्यावश्यक हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

वस्तुत: अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिदिन विस्तार हो रहा है। विशेष रूप से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के नाते हमें माल का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन यथासंभव शीघ्र करना होगा। इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि हमारा माल विश्व के सभी देशों में पहुंचे और हमारे सभी व्यापारिक भागीदार देशों से भी हमारे देश में माल आए।

परिवहन प्रणाली एक अति महत्त्वपूर्ण प्रणाली है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि यह मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के समान है। राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रणाली इंदिरा गांधी सरकार ने 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू की थी अब हम इसका विश्व स्तर पर विस्तार कर रहे हैं।

विधेयक में एक नया उपखंड लाने के लिए हम सरकार की प्रशंसा करते हैं। खंड 2 में नया उपखंड (ठक) जोड़ा गया है। यह सर्वथा संगत है। अब एक 'बहुविध परिवहन दस्तावेज' को परिभाषित किया गया है। इस उपखंड में कहा गया है :

[श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन]

"बहुविध परिवहन दस्तावेज" से ऐसा परक्राम्य या अपरक्राम्य दस्तावेज अभिप्रेत है जो बहुविध परिवहन संविदा का साक्ष्य है और जिसे लागू होने वाली विधि द्वारा अनुज्ञात इलेक्ट्रॉनिक डाटा अदला-बदली संदेशों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।"

यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास के साथ-साथ समय की आवश्यकतानुरूप इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में हमारी इस प्रकार की तैयारी की अत्यंत प्रशंसा की जानी चाहिए। यह खंड आधुनिक व्यापार के लिए बहुत उपयोगी है।

इसी तरह 'विशेष आहरण' अधिकार की परिभाषा भी स्पष्टत: दी गई है। "भारसाधन में लेना" के बारे में भी नया उपखंड जोड़ा गया है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वह भी बहुत उपयोगी है। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया है कि फर्मों और स्वत्वधारी समुत्थान को इसके अन्तर्गत लाना भी व्यापार के लिए बहुत उपयोगी है।

मैं, मंत्री महोदय का ध्यान खंड 4 की ओर आकर्षित करता हूं। जो इस प्रकार है:-

"उपधारा (3) के अधीन दिया गया प्रमाणपत्र तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और समय-समय पर एक बार में तीन वर्ष की और अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा।"

इसमें प्रमाणपत्र के स्वत: नवीकरण करने का प्रावधान किया जाए ताकि माल के परिवहन उद्योग से जुड़े लोगों को प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए प्रतीक्षा न करनी पड़े। यदि कोई शिकायत हो या कानून का उल्लंघन हो तो नोटिस जारी कर उन्हें निश्चित तौर से रोका जा सकता है। इसलिए नियम बनाते समय कम से कम प्रमाण-पत्र के स्वत: नवीकरण का प्रावधान किए जाएं ताकि नौकरशाही द्वारा पैदा की जाने वाली अड़चनों को दूर किया जा सके।

बीमा के लिए भी प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बीमा क्षेत्र को भी खोल रहे हैं। माल को जहाज पर लादने से पूर्व उसका बीमा करना होगा। इसलिए यह भी बहुत महत्त्वपूर्ण प्रावधान है।

इसी तरह धारा 13 के अन्तर्गत दायित्वहीनता संबंधी खंड भी शामिल किया गया है। इसमें यह व्यवस्था है :-

"परन्तु यह और कि बहुविध परिवहन प्रचालक, परिदान में विलंब से होने वाली हानि या नुकसान के लिए, जिनके अंतर्गत ऐसे विलंब से उत्पन्न होने वाली हानि या नुकसान भी हैं, तब तक दायी नहीं होगा जब तक कि प्रेषक ने, समय से ऐसा परिदान किए जाने में हित की घोषणा न की हो जिसे बहुविध प्रचालक ने स्वीकार कर लिया हो।"

यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक और अन्यथा संविदा में कोई विशिष्ट खंड न हो तब तक बहुविध परिवहन प्रचालक का कोई दायित्व नहीं होगा।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। भारतीय व्यापार विशेष रूप से खराब होने वाली वस्तुओं का व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच रहा है। अत: सरकार को इन वस्तुओं के लिए वायु मार्ग द्वारा वहन की सुविधा उपलब्ध कराने पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जिसे तत्काल विश्व बाजार तक पहुंचाया जा सके। दक्षिण भारत में पुष्प व्यापार होता है। फूलों को कम से कम समय में बाजार में पहुंचना चाहिए, केवल तभी व्यापारी अपने फूल बेच सकते हैं। अत: यदि हम इंडियन एयरलाइन्स में इस प्रकार की परिवहन व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा सकते हैं तो कम से कम निजी एयरलाइन्स को इस प्रकार की कार्गो परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह व्यवस्था यथाशीघ्र कर दी जानी चाहिए।

इसी तरह संपूर्ण विश्व में उपभोक्ता वस्तुओं की भी बहुत अधिक जरूरत होती है। भारत में हम कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। कभी-कभी बाजार उपलब्ध न होने के कारण प्याज को भी फेंकना पड़ता है, उस समय हमें उसे वायु मार्ग या ऐसी किसी अन्य त्वरित परिवहन विधि से अन्य देशों को निर्यात करने की व्यवस्था करनी चाहिए। अत: वायु परिवहन के विकास पर सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि सभी दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास हो।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन्स और अन्तर्राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कार्मस एण्ड इंडस्ट्री के विनियमों से एकमत है। संशोधनों के रूप में आधुनिक आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा गया है।

इसलिए हम सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों से पूर्णत: सहमत है। हमारा मानना है कि इस विधेयक के पारित होने से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ेगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का नाम मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अमैंडमैंट बिल 2000 है। इसमें जो संशोधन किए गए हैं, वे वास्तव में सराहनीय हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। इसमें यार्ड के बारे में कहा गया है। इससे एक स्थान से दूसरे स्थान सामान जाएगा। कौन सा सामान जा सकता है, उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। माननीय मंत्री जी कई संशोधन लाए हैं। माननीय मंत्री जी सैक्शन चार में जो अमैंडमैंट लाए हैं, उसमें यह है कि:

[अनुवाद]

"(क)(1) आवेदक ऐसी कंपनी, फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान है जो भारत में या विदेश में पोत परिवहन या भाड़े पर प्रेषण के कारबार में लगा हुआ है और जिसका ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम वार्षिक आवर्त्त पचास लाख रुपए है...."

[हिन्दी]

50 लाख रुपए जिसका टर्न-ओवर होगा, उसे इसमें माना गया है। इसमें यह भी कहा गया है-

[अनुवाद]

"परन्तु यह और कि ऐसे किसी आवेदक को जो भारत का निवासी नहीं है और जो पोत परिवहन के कारबार में नहीं लगा हुआ है, रजिस्ट्रीकरण तब तक अनुदत्त नहीं किया जाएगा जब तक वह भारत के कारबार का स्थान स्थापित नहीं कर लेता है:

[हिन्दी]

भारतवर्ष में यदि वह एस्टैब्लिश नहीं होगा तो उसे यह अधिकार नहीं दिया गया है। इनके साथ-साथ इसमें यह भी है-

[अनुवाद]

परन्तु यह भी कि ऐसे किसी आवेदक की बाबत जो भारत का निवासी नहीं है, आवर्त उस देश में किसी कंपनी के लेखाओं को प्रमाणित करने के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।"

[हिन्दी]

इसमें कहा गया है कि इसका लाइसेंस तीन साल के लिए गरांटिड होगा और तीन साल के बाद उसे तीन वर्ष के लिए एक्सटैंड किया जा सकता है। इसमें किए गए संशोधन सराहनीय हैं। माननीय मंत्री जी ने सैक्शन 7, 9 और इसी प्रकार से 13, 14, 15, 20(ए) तथा 26 में संशोधन किया है वे सारे सराहनीय है। केन्द्र सरकार का कदम बहुत अच्छा है। मंत्री जी संशोधनों के साथ इस बिल को लाए हैं। इसे पास करना बहुत जरूरी है।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं इस कदम का स्वागत करता हूं और विधेयक का समर्थन करता हूं। यह उचित समय है कि हम 1993 के अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं।

मैं सरकार को भारत से बाहर खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन के बारे में कुछ तथ्यों के बारे में बताना चाहता हूं। त्रिवेन्द्रम और कालीकट हवाई अड्डों से सब्जी जैसी खराब होने वाली कुछ वस्तुओं को खाड़ी देशों को भेजा जाता है, बहुविध परिवहन में कभी-कभी कुछ खामियां आती हैं। भुगतान भी तत्काल नहीं किया जाता है। हमारे कुछ ट्रांसपोर्टरों को भारी नुकसान होता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि दक्षिण भारत विशेष रूप से केरल से खाड़ी देशों को खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन के लिए कुछ सुरक्षोपाय किए जायें।

यह उस दिशा में एक अच्छा कदम है। उपखंड (ट), (ठ) और (ड) में बहुविध परिवहन की स्पष्ट परिभाषा दी गई है। उन्हें अपना माल परिवहन के कम से कम दो साधनों से ले जाना चाहिए। अब भारत में यह माल ट्रकों द्वारा विमान पत्तन तक ले जाया जाएगा और विमान पत्तन से एयर इंडिया के माध्यम से यह ले जाया जाएगा। अत: केरल में खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन के लिए बहुविध परिवहन प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। माल को बहरीन, दुबई, आबूधाबी आदि जैसे देशों को भेजा जा रहा है, दिक्कत यह है कि भुगतान तुरंत नहीं किया जाता है। इसका कारण दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई है। इस दिशा में हमने कुछ और कार्यवाही की है। इस संबंध में हमने कानून पारित किए है, मेरे विचार से हम भारतीय और खाड़ी देशों

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

के व्यापारियों द्वारा किए गए संविदा को आसानी से लागू कर सकते हैं। अत: इससे हमें काफी सहायता मिलेगी। मेरे विचार से माननीय उपाध्यक्ष महोदय भी इसमें रुचि लेंगे क्योंकि लक्षद्वीप से भी कई वस्तुएं खाड़ी देशों को भेजी जाती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी सूचना के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: अब तक कानून भ्रामक था। परिवहन व्यवसाय में इस कमी के कारण हमारे लोगों का करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। जब तक इस कारोबार के बारे में कुछ निश्चितता नहीं होगी तब तक हमारा नुकसान होता रहेगा। इसलिए शुरू में ही मैंने कहा था कि यह एक स्वागतयोग्य कदम है और यह सही दिशा में उठाया गया कदम है, इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता मिलेगी। हम वैश्वीकरण के युग में रह रहे हैं। विश्व व्यापार आपकी व्यवस्था है। अत: बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए 1993 के अधिनियम में संशोधन करना स्वागतयोग्य है।

जब भी नियम बनाए जाएं, हम इस बात को सुनिश्चित करें कि अपील दायर करने की प्रक्रिया आसान बनाई जाए। अब विवाद के मामलों में अपीलीय प्राधिकारी केन्द्र सरकार है? अब तक ऐसा नहीं था। अपील के लिए केन्द्र सरकार अपीलीय प्राधिकरण है। इस का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए क्योंकि इससे व्यापारियों को बहुत कठिनाई होगी। जब भी नियम बनाए जाए कृपया इस बात को सुनिश्चित करें कि व्यापार करने वाले अधिकांश राज्यों, विशेष रूप से उन राज्यों में जहां पर अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन हैं। अपीलीय प्राधिकरण के अधिकारी हों। अन्यथा इन सभी लोगों को अपील दायर करने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा, क्योंकि अपील का संज्ञान लेने के लिए केन्द्र सरकार एकमात्र प्राधिकरण है। मेरा विचार है कि मंत्री महोदय इसे विकेन्द्रित करने के लिए कदम उठाएंगे।

एक अन्य मामला रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है। रजिस्ट्रीकरण के मामले में भी विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। ये सभी लोग यहां आकर इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण नहीं करवा सकते हैं। मेरे विचार से जब नियम बनाए जाएं तो शक्तियों का प्रत्यायोजन बनाया जा सकता है।

धारा 4 में कहा गया है:

"(1) धारा 4 के अधीन रजिस्ट्रीकरण देने या नवीकरण करने से सक्षम प्राधिकारी के इंकार करने से या धारा 5 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्द करने से व्यथित कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार को ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए अपील कर सकेगा।"

जब नियम बनाए जाएं तो मंत्री महोदय अपील की अवधि विहित करें। मंत्री महोदय इस बात को भी सुनिश्चित करें कि व्यापारी या ठेकेदार को कहीं भी अपील दायर करने की अनुमति दी जाए और अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर सक्षम प्राधिकारी का कम से कम एक कार्यालय हो। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मामले के इस पहलू पर कुछ ध्यान देंगे।

मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक कठिनाई है। हो सकता है कि मेरी बात में सुधार करना पड़े। माल भाड़े पर कोई नियंत्रण अथवा रोक नहीं है। यह उचित नहीं है। बदली हुई परिस्थितियों में, कोई व्यापारी, संविदाकर्ता अथवा ट्रांसपोर्टर मनचाही धनराशि वसूल कर सकते हैं। जब नियम बनाये जायें, तो कृपया उसमें यह ध्यान रखिए कि प्रभार निर्धारित करने के लिए कुछ दिशानिर्देश होने चाहिएं। अनुचित और भारी प्रभार न लगाये जायें क्योंकि वह परिवहन हितों के विरुद्ध जायेगा। मुझे आशा है कि माननीय विधि मंत्री इस पहलू पर भी ध्यान देंगें। जब ये सभी बातें इस विधेयक में शामिल की गई हैं तो मेरे विचार से यह एक स्वागत योग्य कदम है और मैं इसका स्वागत करता हूं।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली): अपने दल की ओर से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह वास्तव में स्वागतयोग्य विधेयक है। इसमें जो संशोधन प्रस्तावित हैं वे विशेषतौर पर ऐसे समय पर जबकि विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन को अत्यधिक महत्व दिया जाने वाला है, अत्यधिक सामयिक हैं। माल बहुविध परिवहन (संशोधन) अधिनियम इस दिशा में उचित कदम है। आने वाले दिनों में दूसरे देशों में माल के परिवहन का अत्यधिक महत्व होगा। इस संशोधन के माध्यम से जो विशेष क्षेत्र दिये गये हैं, उनसे परिवहन में लगे संचालकों को विशेषतौर पर प्रोत्साहन मिलेगा। धारा 4, परंतुक 3 (2) में संशोधन का विशेष महत्व है। परन्तुक की उपधारा 3 में निम्नलिखित प्रावधानों का अंत:स्थापन किया गया है:

"परन्तु यह और कि ऐसे आवेदक को जो भारत का निवासी नहीं है और जो पोत-परिवहन के कारोबार में नहीं लगा हुआ है रजिस्ट्रीकरण तब तक अनुदत्त नहीं किया जाएगा जब तक वह भारत में कारोबार का स्थान स्थापित नहीं कर लेता।"

इसके वास्तव में दूरगामी परिणाम होंगे क्योंकि अनेक मामलों में कुछ लोग-यदि उनका उचित पंजीकरण नहीं होता जिन्होंने अपनी वस्तुओं को विदेश भेजा है, उन्होंने उन्हें बिल्कुल गंवा ही दिया।

इसमें आगे कहा गया है:

"परंतु यह भी कि ऐसे किसी आवेदक की बाबत जो भारत का निवासी नहीं है, आवर्त उस देश में किसी कंपनी के लेखाओं को प्रमाणित करने के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।"

इस प्रकार, वास्तव में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जबकि विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव दृष्टिगोचर होने वाले हैं और माल-ढुलाई का संपूर्ण विश्व में महत्व है। इनमें से कुछ प्रावधानों का वास्तव में दूरगामी प्रभाव होगा। जो संशोधन पुन:स्थापित किया गया है, वह एक स्वागत योग्य कदम है। अत:, मैं अपने दल की ओर से, इसका समर्थन करता हूं और इसका स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक आया है वह राजनाथ सिंह के नाम से लिखा गया है, लेकिन उनके स्थान पर नए मंत्री बन गए हैं। पहले इनका जो विभाग था वह अब बदल गया है। पुराने मंत्री के स्थान पर नए मंत्री द्वारा विधेयक लाने का प्रावधान है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं, लेकिन महोदय, इस मंत्रिमंडल में 16-17 मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए। जैसे कर्मचारियों से विभाग बदले जाते हैं, वैसे इस मंत्रिमंडल में मंत्रियों के विभाग थोक में बदल दिए गए।

हमारे साथी हुकमदेव नारायण जी हैं, जिन्होंने हमारे साथ ही लोहिया जी का पाठ पढ़ा और वे लोहिया जी के ही चेले रहे, लेकिन इस मंत्रिमंडल में उनके अनेक बार विभाग बदल दिए गए। पहले वे एनीमल हस्बेंडरी के मंत्री रहे, लेकिन लगता है, नीतीश जी ने उन्हें कुछ करने नहीं दिया। फिर सरफेस ट्रांसपोर्ट के मंत्री बने। अब जहाजरानी मंत्री बन गए हैं। कितना काम कर पाऐंगे, यह समय ही बताएगा। राजनाथ सिंह जी अब भारसाधक सदस्य बन गए हैं, लेकिन हुकमदेव नारायण जी लोहिया की शिक्षा के विरुद्ध जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, युनाइटेड नेशन्स कन्वेशन ऑन दि गुड्स, ऑफ कांटैक्ट लाइनर कॉन्फ्रेंस 1974, युनाइटेड नेशन्स कन्वेन्शन्स ऑन दि इंटरनैशनल मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स 1980, युनाइटेड कन्वेंशन ऑन कंडीशन्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ शिप्स, 1986, युनाइटेड कन्वेन्शन ऑन दि कैरीज गुड्स बाई सी, 1978 और इंटरनैशनल कन्वेन्शन ऑन मैरीटाइम (हैम्बर्ग रूल्स) उसमें सारे देशों ने मिलकर कन्वेन्शन की, लेकिन आपने क्या किया। दुनिया ने अपनी मालवाहिका को बहुविधि बनाने का प्रयास किया और सुधार किया कि जहाज से माल किस प्रकार ढोया जाएगा, अन्तर जलीय मार्ग से माल किस प्रकार ढ़ोया जाएगा, फिर वायुयान से उसे जोड़ा। पहले तो केवल रेल और रोड ही था, लेकिन अब वाहिका की परिभाषा बदल दी है और वायु भी जोड़ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया में कंटेनर सेवा में सुधार आया है, लेकिन हिन्दुस्तान में उस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। देश का सामान बक्से में बन्द करके बाहर भेजने की जो कंटेनर सेवा है वह अपने देश में आज भी अच्छी नहीं है। हमने इस दिशा में कोई प्रगति नहीं की है। चीन सबसे आगे है। उसने इस दिशा में सबसे ज्यादा प्रगति की है। उसने अपनी आवश्यकता से अधिक कंटेनर बना लिए हैं। अब जब यह स्थिति है, तो हमारे देश में बाहर से माल आएगा ही, जाएगा नहीं क्योंकि हमारे पास कंटेनर ही नहीं हैं। आप हमें बताएं कंटेनर सेवा में हिन्दुस्तान का कौन सा स्थान है। जब डब्ल्यू.टी.ओ. आया था, तभी इस विधेयक को लाना चाहिए था, लेकिन तब नहीं लाकर इतनी देर बाद लाए हैं, फिर भी सिर्फ परिभाषा ही बदल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ परिभाषा बदलने से कुछ नहीं होगा। परिभाषा नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और सबसे ज्यादा यहां साग-सब्जी होती है, लेकिन हरी साग-सब्जी को बाहर भेजने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपके पास तो एयर कंडीशन कंटेनर ही नहीं है। हमारे बिहार में सबसे ज्यादा आम, केला और लीची होती है और दुनियाभर में मशहूर है, लेकिन उसे बाहर भेजने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां से मुम्बई जाते-जाते तो वह सड़ जाती है, उसमें बदबू आ जाती है, तो उसे विदेशी लोग कैसे खाएंगे। आप हमें बताइए की आपने देश से हरी सब्जियों और फलों को बाहर भेजने की क्या व्यवस्था की है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सामान बाहर ले जाने की व्यवस्था में सुधार के लिए यह विधेयक लाए हैं, यह देर से क्यों लाया गया है और अब भी ये सिर्फ मालवाहिका की परिभाषा बदल रहे हैं। बहुविधि से उसकी परिभाषा अलग कर उसे नए ढंग से परिभाषित कर रहे हैं। हमें इस विधेयक से ऐतराज नहीं है, बल्कि हम तो चाहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में मुकाबला करने के लिए हमारे देशी नदी जल मार्ग, अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र मार्ग, देश में रेल और बस से माल भेजने की व्यवस्था बहुत अच्छी हो और इस दिशा में आप कोई सुधार करना चाहते हैं, तो हम उस कदम का स्वागत करेंगे।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

लेकिन एयरकार्गो जो पटना में बनना था जिससे वहां का सामान अरब देशों में जाता और वहां के किसान को कुछ आमदनी होती लेकिन उसकी व्यवस्था भी अभी तक नहीं है। अब आब यह विधेयक लेकर आये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि डेफीनीशन सुधारने से देश का क्या भला होगा? डेफीनीशन सुधार से नहीं बल्कि व्यवस्था होने से, एफीशेंसी बढ़ाने से उसमें सुधार हो सकता है। यह वकील आदमी है। जो बात नहीं बनती, उस पर यह बहस कराकर, उलट-फेर करके रख देते हैं लेकिन हम लोगों का कहना है कि "तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता अंखियन की देखी।" हमारा सामान जहां का तहां पड़ा रहता है। उसे ले जाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। इस वजह से हिन्दुस्तान पीछे है। बाहर से तो सामान आ जायेगा लेकिन यहां से नहीं जायेगा तो हिन्दुस्तान के किसान का क्या होगा? सारे सामान को कोई पूछने वाला नहीं है। इस कारण किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। डब्ल्यू.टी.ओ. में आप इंतजाम नहीं कर पाये।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: जी हां। इसलिए अपने देश में अनाज का भी उत्पादन पर्याप्त है। किसान का माल ज्यादा होता तो उसे विदेश भेजने के लिए पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए ताकि वह रास्ते में खराब न हो और समय पर पहुंच जाये। इससे उसके प्रति आकर्षण भी बना रहेगा। इसके लिए इन्होंने एक शब्द नहीं कहा। खाली व्यापारी लोगों को कैसे फायदा हो, उसमें सुधार करते हैं। इससे देश नहीं चलेगा। देश तब चलेगा जब गरीब आदमी के लिए ठीक व्यवस्था की जायेगी। उसमें जो काबिल लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वे अपनी बुद्धि को उनको सहूलियतें देने के लिए लगायें तभी सुधार हो सकता है। इसी तरह बिल तो केवल तीन पेज का है लेकिन इसके जो उद्देश्य और कारणों का कथन है, वह बहुत लम्बा है। यह संक्षिप्त होना चाहिए ताकि लोग पढ़कर जान सकें कि क्या बात है। इसीलिए हमारे यहां लोग कहते हैं कि विद्यार्थी का बस्ता देखो। अब दाना उसमें कम है और भूसा ज्यादा है। इसे ज्यादा लम्बा बनाया गया है। मेरा कहना है कि इसके संक्षिप्त और ठोस होने से देश का भला होगा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अभी मिनिस्टर को भी रिप्लाई देना है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। विमान उतरने के बाद माल बाजार में जायेगा, यह ठीक है लेकिन किसान भी अपना माल बाहर भेज रहे हैं। मेरा कहना है कि किसान और सहकारी सोसायटीज को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके साथ-साथ किसान की जो लाइसेंस फीस है, उसको भी कम करना चाहिए। सहकारी संस्थाओं के लिए कम करनी चाहिए, यही मेरा सुझाव है।

[अनुवाद]

श्री अरुण जेटली: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा के सभी समूहों के माननीय सदस्यगण, जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है, का अत्यधिक आभारी हूं।

जैसाकि अधिकांश माननीय सदस्यों ने सुझाया है, इस विधेयक का उद्देश्य वास्तव में यह सुनिश्चित करना है कि इस देश में जितना उत्पादन होता है, उसमें से फालतू उत्पादित सामान को निर्यात के लिए तैयार करना पड़ेगा और इस उद्देश्य के लिए अधिक सरल सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस विधेयक का उद्देश्य वास्तव में उसको आसान बनाना ही है। कुछ माननीय सदस्यों ने सावधानीपूर्वक नियमों का प्रारूप तैयार करने के संबंध में सुझाव दिया है ताकि आवश्यकताओं के अनुसार भविष्य की जरूरतों पर विचार किया जा सके। अभी उस संबंध में इतनी अधिक अपील नहीं है। परन्तु मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे-जैसे उद्योग का विस्तार होता है जब ऐसे अवसर उत्पन्न होते हैं, तो हम निश्चित रूप से इस मामले पर विचार करेंगे। श्री वरकला राधाकृष्णन द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार किया जायेगा।

इन टिप्पणियों के साथ मैं माननीय सभा द्वारा पारित करने के लिए विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि माल बहुविध परिवहन अधिनियम, 1993 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब यह सभा इस विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 11 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री अरुण जेटली: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य आरंभ करेंगे। हमने गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए आवंटित समय में से एक मिनट भी नहीं लिया है।

अपराह्न 3.30 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के नौंवे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय: श्री एम.ओ.एच. फारूक—उपस्थित नहीं।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल:—उपस्थित नहीं।

चूंकि दोनों माननीय सदस्य यहां नहीं है, तो क्या यह सभा चाहेगी कि वह प्रस्ताव पेश करने के लिए किसी भी सदस्य का चुनाव करे?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रमेश चेन्नितला, क्या आप प्रस्ताव पेश कर सकते हैं?

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): जी हां महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा दिनांक 22.11.2000 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के नौंवे प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा दिनांक 22.11.2000 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के नौंवे प्रतिवेदन से सहमत है?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा अगली मद—मद संख्या 1 पर विचार करेगी—

श्री आदित्यनाथ:—उपस्थित नहीं।

मद सं. 2—प्रो. कैलाशो देवी—उपस्थित नहीं।

मद सं. 3-श्री रमेश चेन्नितला—वह उपस्थित हैं।

अपराह्न 3.31 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

(एक) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक,*

(धारा 8 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमेश चेन्नितला: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.32 बजे

(दो) दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र शासन विधेयक*

[अनुवाद]

श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल (दमण और दीव): मैं प्रस्ताव करता हूं कि दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र के लिए विधान सभा का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 24.11.2000 में प्रकाशित

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के लिए विधान सभा का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या हमें श्री रामदास आठवले से अधिकार-पत्र प्राप्त हुआ है?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अधिकार-पत्र माननीय अध्यक्ष महोदय के पास है और इस पर विचार किया जा रहा है। अत:, आप विधेयक पुर:स्थापित नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने मुझे अधिकार-पत्र दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठिए, इसके बारे में मैं पूछ कर आपको बताऊंगा।

अपराह्न 3.36 बजे

(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक,*

(नये अनुच्छेद 31 का अंत:स्थापन)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 24.11.2000 में प्रकाशित

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित

अपराह्न 3.37 बजे

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक,

(अनुच्छेद 130 का संशोधन)

[अनुवाद]

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली): महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.38 बजे

(पांच) आयकर (संशोधन) विधेयक,

(धारा 10 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल (बुलढाना): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: महोदय, मैं विधेयक पुर: स्थापित** करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 24.11.2000 में प्रकाशित

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद सं. 13 पर विचार करेंगे।

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर): महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा विधेयक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2000 क्रम सं. 15 पर है। यह आज सभा में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना था। किन्तु करीब एक बजे मैंने सचिवालय का एक पत्र पाया जिसमें कहा गया है:

> ''उपरोक्त विषय अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2000 के संबंध में आपके दि. 09.04.2000 के पत्र के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे से प्राप्त पत्र सं. 41018/14/2000/स्थापना/आर.ई.सी. दि. 23.11.2000 की एक प्रति इस कथन के साथ संलग्न करने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 117 के खण्ड 3 के तहत उक्त विधेयक को लोक सभा में विचारार्थ पेश किए जाने पर अपनी सहमति नहीं दी है।''

महोदय, यह विधेयक विचाराधीन है। इस अंतिम क्षण में, मैंने सचिवालय एवं मंत्री महोदय का पत्र पाया। अब इसे मैं सभा की जानकारी में ला रहा हूं और इसे मैं अध्यक्ष महोदय की जानकारी में भी लाया था। वस्तुस्थिति यह है कि एक ऐसे ही विधेयक पर आज राज्य सभा में चर्चा हो रही है। यह मद आज क्रम सं. 20 पर है। और इसका विषय भी वही है।—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण।

पूरा विधेयक वैसा ही है जैसा कि वह विधेयक जिस पर राज्य सभा में चर्चा हो रही है। भारत के राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की राय तथा संविधान के अनुसार कार्य करते है। मंत्रिपरिषद द्वारा प्राप्त सुझावों के अनुसार ही उन्हें कार्य करना होता है। मैं अपने विधेयक के माध्यम से विश्वविद्यालयों, बैंकों एवं सहकारी समितियों की नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जानजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का मांग कर रहा हूं। परन्तु जब इसी तरह के विधेयक पर राज्य सभा में चर्चा हो रही है तो मुझे नहीं मालूम कि किस कारण से मेरे साथ इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है।

महोदय, संसद सत्र के प्रथम दिन मैंने प्रधान मंत्री जी से मुलाकात की तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य की शुभेच्छा प्रकट की। उस समय उन्होंने कहा कि वे मेरे विधेयक को पढ़ चुक हैं। वस्तुत: मैं उनकी चेष्टा की प्रशंसा करना चाहता था क्योंकि वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जानजाति तथा पिछड़े वर्गों के उत्थान में दिलचस्पी रखते हैं। किन्तु, अब मैं बहुत निराश हूं क्योंकि मेरे विधेयक को विचारार्थ नहीं लिया जा रहा है। मेरे विधेयक के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है।

वस्तुत: मैंने शुक्रवार दि. 24.11.2000 अर्थात् आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने दर्ज विधेयक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2000 नाम से है, के संबंध में एक पत्र महासचिव, लोक सभा को लिखा था। इसके द्वारा मैंने अपने अग्रलिखित प्रस्ताव पेश किए जाने सम्बन्धी अपनी इच्छा से अवगत कराया है। प्रस्ताव है:—

> ''अनुसूचित जाति, अनुसूचित जानजाति और पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2000 को जनता का विचार जानने हेतु परिचालित किया जाए''। अब मैं अनुरोध करूंगा कि विधेयक को जनता का विचार जानने हेतु परिचालित किया जाए। साथ ही, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे राष्ट्रपति जी को दी गयी अपनी संबंधित सलाह पर पुनर्विचार करें ताकि मैं अपना विधेयक यहां पेश कर सकूं। क्योंकि मेरा विधेयक विचारार्थ स्वीकार नहीं किए जाने की स्थिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लाखों शिक्षित युवा पुरुष एवं महिलाएं निराश हो जायेंगे। यह आम विधेयकों से हटकर अलग किस्म का विधेयक है।

[हिन्दी]

मुझे पता नहीं है कि इस गवर्नमेंट को गरीबों को न्याय देने में इतनी क्या बुराई लग रही है। यह सरकार तो बार-बार कहती रही कि हम दलितों के लिए हैं तो आप यही न्याय दलितों को देंगे, यही एडवाइस राष्ट्रपति जी को देंगे, इसी दिशा में काम करेंगे? हम बार-बार कहते थे कि यह सरकार गरीबों के लिए नहीं है, बैकवर्ड क्लासेज के लिए नहीं है, यह सरकार दलितों के लिए नहीं है, इसके लिए दूसरा उदाहरण और क्या चाहिए।

[अनुवाद]

क्या यही राय है जो आप भारत के राष्ट्रपति को देते हैं।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): उपाध्यक्ष महोदय, यदि ऐसे ही एक विधेयक पर राज्य सभा में चर्चा हो रही है तो इस सभा में इनके विधेयक पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती?

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने अपने मामले की वकालत पहले ही कर ली है। कृपया आप बैठ जाइए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): शिंदे साहब ने जो सवाल उठाया, उसमें एक दफा मंजूर कर लिया, एक दफा नामंजूर कर लिया। सरकार लोक सभा में आने से क्यों कतरा रही है? यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सवाल है, इस पर बहस भी नहीं हुई।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको बोलने की जरूरत नहीं है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: यह शैड्यूल्ड कास्ट्स से सम्बन्धित है, इसलिए गैर-शैड्यूल्ड कास्ट्स का समर्थन होना जरूरी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुशील कुमार शिंदे अपने मामले की वकालत करने में स्वयं पूर्ण सक्षम है तथा उन्होंने ऐसा किया है। अब मुझे इस पर विचार करने दीजिए।

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। अभी हमारे देश में आर्थिक सुधार का दौर चल रहा है। किन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण संबंधी बहुत से पद बकाया पड़े हैं और उन बकाया आरक्षित पदों को भी भरा नहीं जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुशील कुमार शिंदे, आपका विधेयक मद सं. 15 के तहत सूची में रखा गया है।

श्री सुशील कुमार शिंदे: इस मद को अनदेखा कर दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात पहले ही सुन चुका हूं। अब, इसे कैसे लिया जाना है? मैं संसदीय कार्य मंत्री से भी पूछूंगा कि क्या वे कुछ कहना चाहते हैं। जब यह मामला आता है तो मुझे निपटाने दीजिए।

श्री सुशील कुमार शिंदे: यदि सरकार भारत सरकार को इसे दुबारा भेजने सम्बन्धी मेरे प्रस्ताव को नहीं मानती है तो मेरा दूसरा प्रस्ताव होगा कि विधेयक के बारे में जनता का विचार पता लगाया जाए। इसका निर्णय आपको करना है।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरी कठिनाई यह है कि कार्य-सूची के अनुसार आपका मामला मद सं. 13 और 14 के निपटान के पश्चात् आता है।

श्री सुशील कुमार शिंदे: यह सही है। मैं आपके निर्णय से पूर्णत: सहमत हूं। किन्तु मुद्दा यह है चूंकि मंत्री महोदय और संसद सचिवालय ने मुझे लिखा है कि राष्ट्रपति जी ने संबंधित मंजूरी या संस्तुति नहीं दी है: परिणामत: इसे प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। आज इस विधेयक पर विचार नहीं होगा। दूसरा मद '14' के स्थान पर आ जाएगा। अगले पन्द्रह दिनों में यह संख्या गुम हो जाएगी। अतएव, आज ही मैं इस बारे में बता सकता हूं। नहीं तो सारा मामला खत्म हो जाएगा।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, हमारा भी एक इसी तरह का एक विषय था, बल्कि इससे भी सीरियस है। हमारा विषय भी सुन लिया जाये।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसके खत्म होने के बाद आपको सुनेंगे।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): यह विषय हमारी जानकारी में आया है। मैं समझता हूं कि इस संदर्भ में माननीय सदस्य की भावनाओं से सदन भी अवगत हो गया है। हम इस संदर्भ में जानकारी करके सदन में बता देंगे। वैसे नियमों के अन्तर्गत ये पुन: राष्ट्रपति महोदय को अपील कर सकते हैं और उस पर निर्णय हो सकता है।

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिंदे: उन्हें जनता के विचार जानने चाहिए।

श्री रमेश चेन्नितला: पन्द्रह दिनों के बाद यह विधेयक यहां सूचीकृत नहीं किया जाएगा जिससे उनका मौका निकल जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय: हम लोग इसे ले रहे हैं। अभी इसे रोक कर रखा जाएगा। यह व्यपगत नहीं होगा क्योंकि इस पर पुनर्विचार होने जा रहा है।

श्री सुशील कुमार शिंदे: जी हां, यदि सरकार इस पर पुनर्विचार नहीं करती है तो इसे जनता का विचार जानने हेतु भेजा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: नियमानुसार इसे पुन: लिया जाएगा।

श्री सुशील कुमार शिंदे: नहीं, महोदय: नियमों के अनुसार जब एक बार पत्र जारी कर दिया जाता है तो इसे पुन: विचारार्थ नहीं लिया जाएगा। अत:, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करके इसे राष्ट्रपति जी के पास भेज देना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो इसे जनता का विचार जानने हेतु जारी किया जाना चाहिए। ये दो सामान्य बातें हैं।

श्री संतोष कुमार गंगवार: नियमानुसार, आपको इस पर पुनर्विचार हेतु आवेदन देना है।

श्री सुशील कुमार शिंदे: मैं पहले ही आवेदन दे चुका हूं।

श्री संतोष कुमार गंगवार: कृपया इसके लिए पुन: आवदेन दें।

श्री सुशील कुमार शिंदे: नहीं, यह एक सम्पूर्ण प्रक्रिया है। आप देखेंगे, यह नहीं आयेगा।

श्री संतोष कुमार गंगवार: वस्तुत: आपका विधेयक व्यपगत नहीं होगा।...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे: नहीं, नहीं। आपको यह बताना होगा कि आप इस पर विचार करेंगे अथवा नहीं क्योंकि आप अनुसूचित जातियों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं।

श्री संतोष कुमार गंगवार: अनुसूचित जाति नहीं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

बैकलॉग एक साल का नहीं है, बैकलॉग तो 50 साल का है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: नियमों के तहत, यह सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए एक बहुत ही अच्छा विषय है। हम इस पर विचार-विमर्श कर सकते हैं। अत: सरकार को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए। यह नियम बना रहे हैं। हम नियमों को भी संशोधित कर सकते हैं। किन्तु यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए विचार हेतु अच्छा विषय है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी विधेयक था।

उपाध्यक्ष महोदय: आपका इसमें लिस्टेड नहीं है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मेरा सीरियस मामला है, सुन लीजिए। मेरा लिस्ट में सबसे ऊपर आया था। इनसे भी ज्यादा सीरियस है। गैर-सरकारी कार्य में लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया। जब पिछला सत्र रन कर रहा था, सुबोध मोहिते के बाद मेरे बिल का नम्बर है, जिस पर बहस होनी थी। सूची में आ गया। उसके बाद हमें चिट्ठी मिली कि राष्ट्रपति जी ने उसको सहमति नहीं दी। सूची में आने के बाद जब लाटरी में आ गया, उनका नहीं आया।

श्री सुशील कुमार शिंदे: आया है।

उपाध्यक्ष महोदय: अगर नहीं आते तो नहीं होता।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: लाटरी में सबसे ऊपर आया, बहस होनी थी। तब चिट्ठी मिली की राष्ट्रपति जी ने उसे सहमति नहीं दी। मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वह विधेयक था, लोकपाल विधेयक को रोक कर रखे हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप भी रिकंसिडरेशन के लिए बोलें, मैं उनको कहूंगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सूची में आ गया था।

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): भ्रष्टाचार का मामला था इसीलिए नहीं आ पाया।

उपाध्यक्ष महोदय: मिस्टर परांजपे, मैं इनसे डील कर रहा हूं और आप प्रवोक कर रहे हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: लाटरी में सबसे ऊपर आया।

उपाध्यक्ष महोदय: आप रिकंसिडर करने के लिए, राष्ट्रपति जी के पास भेजने के लिए बोलें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: लाटरी में सबसे ऊपर आया था। इन लोगों ने रोक दिया है कि बहस न हो*।

उपाध्यक्ष महोदय: राष्ट्रपति का जहां उल्लेख हुआ है, वह सारा एक्सपंज कर दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, यह एक गम्भीर मुद्दा है। दूसरे विधेयक के साथ इस तरह से किया जा रहा है। सरकार क्या कर रही है? उन्हें इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए। संसद-सदस्यों का यह एक अधिकार है।...*(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री रमेश चेन्नितला: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात कहनी है। उन औपचारिकताओं को पूरा किए बगैर इन विधेयकों को लाटरी के लिए क्यों लिया जाता है? प्रक्रिया को पूरा करने के पहले ही ये विधेयक लाटरी में क्यों लिए जाते हैं? यह मुद्दा अनावश्यक रूप से यहां क्यों उठा?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: पहले बैलट आता है और तब प्रक्रिया आती है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यह प्रक्रियागत पहलू है। वे इसका परित्याग नहीं कर सकते।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: नियम बताता हूं। कौल एंड शकधर में मैंने देखा है। उसमें है कि इस विधेयक पर राष्ट्रपति जी की सहमति लेनी है तो यह सरकार का काम है। सरकार अगर अक्षम है तो सदस्य भी ले सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। इसलिए हमारा प्रोटेस्ट दर्ज किया जाए। हमने अध्यक्ष महोदय को भी लिखा है। हम भ्रष्टाचार पर बहस चाहते हैं। लोकपाल विधेयक को क्यों रोके हुए हैं? प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट था। इसमें सबके नाम थे, डायरेक्टरी में होते हैं, कि किसके पास कितनी सम्पत्ति है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने बिल आने के पहले डिसकस कर लिया। मैंने आपको मौका दिया मेंशन करने के लिए और आपने भाषण शुरू कर दिया। अब मैं रासा सिंह जी को बुलाता हूं।

अपराह्न 3.54 बजे

(सात) पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक—*जारी*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री सुबोध मोहिते द्वारा प्रस्तुत पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक, 2000 का पुरजोर समर्थन करता हूं। मैंने पिछले सत्र में इस विधेयक पर अपना भाषण शुरू करते हुए भी कहा था कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास की ओर अपेक्षित ध्यान निरंतर दिए जाने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आप जानते हैं कि यह जीवन का दौर है, कोई आगे चला जाता है और कोई पीछे रह जाता है। इसी तरह से विकास का क्षेत्र ऐसा है कि इसके अंदर भी कोई राज्य या कोई क्षेत्र बहुत आगे चला जाता है और कोई बहुत पीछे रह जाता है। जहां संसाधन ज्यादा होते हैं, जहां प्राकृतिक वातावरण अनुकूल होता है, जहां के लोग परिश्रमी होते हैं, जहां आर्थिक संसाधन बहुलता से पाये जाते हैं, वहां का तो क्षेत्र आगे बढ़ जाता है लेकिन जहां पर प्राकृतिक प्रकोप होता है या घोर अकाल या सूखा या वर्षा का सर्वथा अभाव या बाढ़ या चक्रवात निरन्तर आते रहते हैं, ऐसे क्षेत्र पिछड़े रह जाते हैं। इसलिए सरकार को ऐसे क्षेत्रों की तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मोहिते जी ने ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है वह चाहे महाराष्ट्र राज्य का विदर्भ क्षेत्र हो या आन्ध्र प्रदेश का तेलंगाना हो अथवा तमिलनाडु के दक्षिणी जिले हों या उत्तरी बिहार हो या उड़ीसा हो या मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र हों या उत्तर प्रदेश राज्य का पर्वतीय क्षेत्र जो उत्तरांचल बन गया है, वह हो या हिमाचल प्रदेश हो या पूर्वोत्तर राज्य हो अथवा हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य जो वर्तमान में राजस्थान हो गया है, उसके भी कई अंचल बहुत पिछड़े हुए हैं, ऐसे पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए सरकार को एक बोर्ड गठित करना चाहिए। इस बोर्ड के अन्तर्गत यह निरंतर ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर क्षेत्र आधारित कार्यक्रम विकास के चलाये जायें। वहां पर औद्योगीकरण भी तेजी से हो और साथ ही विशेष पैकेज दिये जाये ताकि उस विशेष पैकेज की सहायता से जो राज्य या क्षेत्र पिछड़ गये हैं, वहां के क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार विशेष योजनायें लागू करके क्रियान्वित की जा सकें ताकि वहां का सर्वांगीण विकास हो सके।

बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जो सुविधायें चाहिए चाहे वह बिजली हो या पानी हो या यातायात के साधन हों, इन सबको भी वहां पर अपेक्षाकृत उपलब्ध कराया जाना चाहिए और सबसे बढ़कर वहां के लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराये जायें ताकि जो राज्य अग्रिम श्रेणी में आ गये हैं, जो फॉरवर्ड स्टेट्स कहलाते हैं, उनके साथ पिछड़े एरियाज के लोग भी कदम से कदम मिलाकर चले तभी राष्ट्र की शान है अन्यथा एक भाई तो आगे बढ़ गया और एक भाई बिल्कुल नीचे जला गया तो उस भाई का आगे बढ़ना सार्थक नहीं होगा। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण इसी उद्देश्य से किया गया था कि देश के किसी भी क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में असंतुलन नहीं रहे और इसी असंतुलन को दूर करने की आवश्यकता है।

जहां इतने सारे और दुनियाभर के आयोग बना रखे हैं, वहां एक आयोग ऐसा भी बनाया जाये जो देश के पिछड़े क्षेत्रों की पहचान कर सके। कुछ क्षेत्र मोहिते जी ने बिल के अंदर बताये है। इसके अलावा भी कई पिछड़े क्षेत्र हैं जिनको विकास की श्रेणी में, अग्रिम श्रेणी में लाना जरूरी है। उपाध्यक्ष जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे। आप तो लक्षद्वीप में रहते हैं। वहां के लोगों का जीवनस्तर और एक मुम्बई में रहने वाले लोगों का जीनवस्तर, एक तरफ राजधानी के पौश कॉलोनी में रहने वाले लोग और दूसरी तरफ गुजरात और महाराष्ट्र के औद्योगिक विकासशील, उन्नतिशील राज्य के रहने वाले लोग, उनकी जो आर्थिक स्थिति दृष्टिगत होती है और जो जीवन-स्तर होता है तथा एक तरफ पिछड़े क्षेत्र के रहने वाले लोगों का जो जीवन-स्तर होता है, दोनों में काफी अंतर होता है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वहां इस बिल को सही अर्थ में अपनाकर एक नया बिल सरकार की ओर से लायें ताकि देश के पिछड़े क्षेत्रों का भी विकास हो सके।

जहां पैकेज की व्यवस्था है, वहां पिछड़ा विकास बोर्ड का गठन कैसे हो, इसके बारे में भी सुझाव दे रखे हैं। इसमें योजना आयोग का वाइस-चेयरमैन पिछड़ा विकास बोर्ड का चेयरमैन बने और केन्द्रीय सरकार के द्वारा वाइस-चेयरमैन की नियुक्ति हो। इसमें पार्लियामेंट के भी छः सदस्य हों जिसमें लोक सभा के चार तथा राज्य सभा के दो सदस्य हों। इसके साथ-साथ केन्द्रीय सरकार निम्न में से नौ सदस्य नियुक्त करे जो क्रमशः रेलवे, कम्युनिकेशन, वित्त, औद्योगिक विकास, कृषि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और सिंचाई विभाग से संबंधित हों।

अपराह्न 4.00 बजे

किसी भी क्षेत्र का आधारभूत ढांचे का विकास करने के लिए इन विभागों की आवश्यकता होती है। इसलिए ये विभाग इस बोर्ड में रहने चाहिए और साथ ही आर्थिक दृष्टि से चार ऐसे विशेषज्ञ होने चाहिए, जो विकास के लिए सुझाव दे सकें और भली प्रकार से क्या-क्या उपाय होने चाहिए, इनके बारे में वे जानकारी दे सकें।

महोदय, पहले हमारे देश में एक नीति चली थी कि औद्योगिक दृष्टि से जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, उनका विकास किया जाएगा। इसी प्रकार आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनकी पहचान करके उनको देश के उन्नतिशील क्षेत्रों के समान लाने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास किए जाने चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राजस्थान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान एक थार मरुस्थल है। उस राज्य में कुछ ही क्षेत्रों में इंदिरा गांधी नहर पहुंची है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भंयकर सूखा पड़ा हुआ है या राजसमन्द अजमेर का जो पहाड़ी इलाका है, इन क्षेत्रों में विकास के साधन नहीं हैं। हरियाणा ने मेवात विकास बोर्ड का गठन किया है या आन्ध्र प्रदेश में तेलंगाना विकास बोर्ड का गठन किया गवा है, उसी प्रकार मगरा मेरवाड़ा विकास बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए, ताकि उस क्षेत्र का विकास भली प्रकार से हो सके। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा, जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक प्रकोप आते रहते हैं, उन क्षेत्रों में विशेष सहायता प्रदान की जानी चाहिए। मानसून के ऊपर जो क्षेत्र निर्भर करते हैं, तो कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी घोर अकाल, कभी लम्बा अकाल, कभी भंयकर सूखा और राजस्थान में त्रिकाल— लगातार तीन बार सूखा-सूखा पड़ा। 31 में से 28 जिलों में सूखा पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति के अन्दर वहां के लोगों को पीने का पानी नहीं है, अगर पीने का पानी है, तो फ्लोराइड युक्त है, जिसको पीने से नाना प्रकार की बीमारियों के लोग शिकार हो जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों की पहचान करके, जहां लगातार सूखा पड़ता हो या लगातार बाढ़ आती है या लगातार चक्रवात आते हैं या आन्ध्र प्रदेश जो तटीय प्रदेश है या उड़ीसा राज्य के वे इलाके जहां साइक्लोन आती रहते हैं, ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष आर्थिक दृष्टि से उपाय बरते जाने चाहिए, ताकि वहां के लोग जो बार-बार प्राकृतिक प्रकोप से नुकसान उठाते हैं, वे देश के अन्य विकसित क्षेत्रों की श्रेणी में आगे बढ़ सकें। इन क्षेत्रों के विकास के लिए पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड तो सारे देश में एक होगा, जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा, लेकिन उन-उन राज्यों में उन-उन क्षेत्रों में इस बोर्ड की शाखायें होंगी, वहां सक्षम अधिकारी नियुक्त किए जायेंगे। बोर्ड के सदस्य वहां के प्रभारी होंगे, ताकि उन क्षेत्रों का विकास भली प्रकार से हो सके।

अंत में, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। आजादी के 53 सालों के बाद और 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, इसके बावजूद भी देश में विकास की दृष्टि से देश में क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया है। यह विषय आर्थिक विशेषज्ञों और योजना विशारदों के लिए सोचनीय और चिन्तनीय है कि आखिर अरबों-अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी, बड़े-बड़े बांध बनाए जाने के बाद भी और बड़े-बड़े कल-कारखाने स्थापित करने के बाद भी, देश में यह क्षेत्रीय असंतुलन क्यों पैदा हो गया है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। देश में अभी नए छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया है, लेकिन यह आर्थिक दृष्टि से उन्नत राज्य नहीं कहलाया जा सकता है। उत्तरांचल राज्य में वित्तीय साधनों की कमी है, सब कुछ उधार लेकर काम चलाना पड़ रहा है। झारखण्ड राज्य में आर्थिक संसाधन हैं, लेकिन उनका सदुपयोग होना चाहिए। बिहार राज्य आर्थिक पैकेज की मांग कर रहा है। इसके साथ ही विदर्भ क्षेत्र महाराष्ट्र से अलग होने की मांग कर रहा है। इस प्रकार की

[प्रो. रासा सिंह रावत]

आवाजें लगातार तब ही उठती है, जब उन क्षेत्रों के प्रति उदासीनता बरती जाती है, सत्ता में उनकी भागादारी नहीं होती है, उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए सरकार द्वारा सच्चे मन से प्रयास नहीं किए जाते हैं, तब वहां के लोगों के मन में अलग हमारा विकास बोर्ड, अलग हमारा राज्य, अलग हमारी विधान सभा, अलग हमारा बजट जैसी भावनाओं पैदा होती हैं। साथ ही अलगाववाद की भावना, पृथकतावादी भावना, क्षेत्रीयवाद की भावना और कभी उग्रवाद की भावना पैदा होती है। ये सारी स्थितियां आर्थिक दृष्टि से असंतुलन पैदा होने के कारण ही पैदा होती हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस विधेयक के अन्दर जो मूलभूत भावनायें हैं, पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने की जो अपेक्षित भावना है, उनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। आसन के प्रति आभार प्रकट करते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय सदस्य, श्री सुबोध मोहिते द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर चर्चा हो रही है और मैं इस विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

आजादी के 53 सालों के बाद भी देश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। मुझे यह कहते हुए सही मायनों में दु:ख हो रहा है कि इतने सालों की आजादी के बाद भी गांवों में सड़कें नहीं है, प्राथमिक विद्यालय से लेकर माध्यमिक विद्यालय तक पक्के स्कूल भवन नहीं हैं, अस्पताल नहीं है, बिजली नहीं है। इस विधेयक के माध्यम से एक नई आशा का संचार होने की संभावना है और मेरे विचार से यह पिछड़ा विकास बोर्ड विधेयक बहुत पहले आना चाहिए था। इस विधेयक के माध्यम से इन क्षेत्रों के विकास की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है। इसके लिए मैं माननीय सदस्य को बधाई देना चाहता हूं।

महोदय, महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र, आन्ध्र प्रदेस में तेलंगाना, बिहार का उत्तरी क्षेत्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर के आठ राज्य का जिस प्रकार से विकास होना चाहिए, उस प्रकार से विकास नहीं किया गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बड़े-बड़े शहरों में जो विकास के काम हो रहे हैं, उनकी तुलना में ग्रामीण इलाकों का विकास नहीं हो सका है। लेकिन अब इन क्षेत्रों का विकास एमपीलैड योजना के माध्यम से भी हो रहा है। इस योजना के माध्यम से पुल-पुलिया का विकास हो रहा है, लेकिन इस बोर्ड के माध्यम से जो बड़े काम होंगे, उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों के विकास के लिए पहले भी लोक सभा में कई विधेयक पास हो चुके हैं, लेकिन जिस रूप में उन पर कार्यान्वयन होना चाहिए, उस रूप में कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। इस विधेयक में यह भी सुझाव दिया गया है कि इन क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निधि की व्यवस्था की जाएगी और इन पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास होगा। वास्तव में देखा जाए, जिस देश में मजदूर सुखी-सम्पन्न नहीं होंगे, यातायात के साधन नहीं होंगे, बिजली नहीं होगी, सड़कें नहीं होंगी, अस्पताल की सुविधा नहीं होगी, वह देश कभी भी विकसित नहीं कहलाया जा सकता है। कहने का अर्थ यह कि जब तक देश में गांवों का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास संभव नहीं है।

महोदय, हम निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि देश में पिछड़े क्षेत्रों के इलाकों में किसानों की जो दुर्दशा है, वह कहने लायक नहीं है। लोगों को साधनों के अभाव में किसानों की फसल बाजार तक लाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जो लोग ग्रामीण इलाकों से चुन कर लोक सभा या विधान सभा में जाते हैं, उन्हें निश्चित रूप से इस बात की जानकारी होती है कि पिछड़े क्षेत्र के इलाकों के किसानों की दुर्दशा क्या है। अभी स्थिति यह है कि 30-40 किलोमीटर से लोग प्रखंड मुख्यालय में आते हैं। पूरे हिन्दुस्तान में किसानों की धान की फसल हो रही है। अभी धान की कीमत सड़क के अभाव में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की जो व्यवस्था बनी हुई है उस कारण से किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को यह निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इस विधेयक को मंजूर करें और पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए अधिक से अधिक निधि प्रदान करें। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): महोदय, सुबोध जी द्वारा जो पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसमें कुछ विशेष बातों की तरफ ध्यान दिलाया गया है। विधेयक में यह कहा गया है कि आजादी के 50 वर्षों के बाद भी देश में कुछ इलाके ऐसे हैं जो आज भी असमानता, गरीबी और आर्थिक विषमताओं से गुजर रहे हैं। इन सबके बारे में समानता लाने की दृष्टि से, बराबरी करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि कोई एक आयोग इस प्रकार से गठित किया जाए, जो इन सब बातों को देखे। आप भी जानते हैं कि बार-बार सदन में और सदन के बाहर भी इस बात की चर्चा उठती रही है कि देश के कुछ ऐसे भाग हैं, जहां आज भी लगातार सूखा होता है, बाढ़ आती

ऐसे भाग हैं, जहां आज भी लगातार सूखा होता है, बाढ़ आती है। जहां लगातार विकास के कार्यों को किए जाने के बाद भी उनका विकास उस स्तर पर संभव नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यक है कि यह पता लगाया जाए कि कहां-कहां, किन-किन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की संभावनाएं हैं और वे किस प्रकार से की जा सकती हैं। यह बात ठीक है कि कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां औद्योगिक विकास की संभावनाएं हैं। अभी जैसे आप नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ का ही उदाहरण लें, वहां औद्योगिक विकास की संभावनाएं प्रचुर मात्रा में हैं। वहां कोयला, लौह अयस्क, ताम्बा है, सभी प्रकार की सम्पदा है। यहां तक कि वहां हीरा भी पर्याप्त है, लेकिन उसके बाद भी वह क्षेत्र बिलकुल अविकसित रहा। इसलिए यदि औद्योगिक संभावनाओं का पूरा पता लगाया जाए और उनके लिए जो आवश्यक संसाधन है वे उपलब्ध कराए जाएं-जैसे जल, विद्युत तथा अन्य प्रकार के संसाधनों को जुटाया जाए तो निश्चित रूप से ऐसे क्षेत्रों का विकास हो सकता है।

महोदय, इसी तरह हम बिहार और उत्तर प्रदेश क्षेत्र को ले सकते हैं। गुजरात में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जो लगातार प्रयत्न करने के बाद भी विकास की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ सके। इसके अंदर कुछ तो वर्णित किए गए हैं और कुछ का अभी पता लगाना शेष है। इसलिए आवश्यक है कि इन सब का विकास करने की दृष्टि से, आर्थिक सहूलियत देने की दृष्टि से हम प्रयत्न करें। उस दृष्टि से यदि सरकार प्रयत्न करती है और जैसा कि सुझाव है ऐसा आयोग बना कर एक सुनिश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार ऐसा कार्य करता है तो निश्चित रूप से ऐसे क्षेत्रों का विकास संभव हो सकता है। क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र की प्राकृतिक, भौगोलिक व आर्थिक स्थिति भिन्न है। इसलिए इस विधेयक के अंदर ऐसे क्षेत्रों को बताया भी गया है, चिन्हित किया गया है। आयोग के बारे में भी कहा गया है कि किस प्रकार के आयोग का गठन किया जाना चाहिए, उसके अंदर कितने सदस्य होने चाहिए। मेरा निवेदन है कि इसके बारे में सरकार सुनिश्चित करे कि किस प्रकार का आयोग गठित किया जाए। उसमें कितने सदस्य हों, किस प्रकार से हों अथवा आयोग के अलावा भी किस प्रकार से उन क्षेत्रों के विकास के लिए और कुछ प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। उस दिशा में इस क्षेत्रीय आर्थिक विषमता और असंतुलन को ठीक किया जा सकता है।

यद्यपि बार-बार संसद में इस बारे में चर्चा होती रही है। वनांचल और पर्वतीय क्षेत्र के बारे में चर्चा हो चुकी है। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के बारे में भी चर्चा होती रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, यह एक सामयिक विधेयक है। आज भी भारत के कई हिस्सों में बेहद गरीबी है। अशिक्षा है व पिछड़ापन है। कालाहांडी और बस्तर को हम सब जानते हैं।

अब इसकी भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यवाही करे तो उपयुक्त होगा। जिस तरह की शब्दावली इस बिल में दी गयी है वह विचार का विषय हो सकता है, लेकिन इसमें पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से जो भावना व्यक्त की गयी है, मैं उससे समहत होते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 4.15 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस विधेयक का लक्ष्य नेक है। इस विधेयक को लाते समय माननीय श्री मोहिते ने क्षेत्रीय असमानता दूर करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों के तीव्र विकास का उल्लेख किया है। वे छोटी सी अवधि में ही पिछड़े क्षेत्रों को देश के अन्य क्षेत्रों के स्तर पर लाना चाहते हैं। वह पिछड़े क्षेत्रों की पहचान के लिए पूर्ण समेकित विकास कार्यक्रम बनाना चाहते हैं। जिससे उनका चहुंमुखी विकास सुनिश्चित किया जा सके। वे यह भी चाहते हैं कि छोटे सीमांत कृषकों का दबादबा होना चाहिए। उनका इरादा बुनियादी सुविधाओं विद्युत, जल आपूर्ति, परिवहन आदि के विकास का भी है। उन्होंने वित्तीय ज्ञापन में प्रशासनिक खर्चों के लिए भारत की समेकित निधि से 15 लाख रुपए का प्रावधान किया है तथा बोर्ड को विकास निधि संसद द्वारा समुचित विनियोजन किए जाने के पश्चात् उपलब्ध कराई जाएगी। अत: मैं इस बात से पूर्णत: समहत हूं कि इसके इराद नेक हैं। मुझसे पहले जो भी माननीय सदस्य बोल चुके हैं यथा प्रो. रासा सिंह रावत, डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय और श्री पासवान जी; उन्होंने विस्तार से इस बात का उल्लेख किया है कि इस विधेयक के इरादे अत्यंत नेक हैं। अत: मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं।

लेकिन जिस प्रकार यह विधेयक बनाया गया है मेरे विचार में वह व्यावहारिक नहीं है। यह भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। विधेयक के खंड 3 में प्रावधान है:

"(1) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक बोर्ड की स्थापना करेगी, जिसे पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड कहा जायेगा।"

"(2) बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और बोर्ड केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से देश के अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।"

[श्री खालबेल स्वाइं]

खण्ड 12 में कहा गया है—

"(1) बोर्ड प्रतिवर्ष अपनी विकास गतिविधियों के बारे में एक प्रतिवेदन जैसा कि विहित किया जाये प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रधानमंत्री प्रत्येक प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उसे संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखवाएगा।"

खण्ड 13(1) में प्रावधान है,

"केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को लागू करने के लिए नियम बना सकेगी।"

जिस प्रकार यह विधेयक बनाया गया है उससे स्पष्ट रूप से यह प्रतीत होता है कि पिछड़ा क्षेत्र विकास परिषद केंद्रीय सरकार की कठपुतली होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह संघीय क्षेत्र होगा। इस पर पूरा नियंत्रण केन्द्र सरकार का होगा क्योंकि इस परिषद के चेयरमैन योजना आयोग का उपाध्यक्ष होगा। वाइस-चेयरमैन की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी। संसद से इसके छः सदस्यों के अलावा कृषि उद्योग विकास, वित्त, रेलवे, संचार, शिक्षा इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मंत्रालयों से प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं।

महोदय, मैं भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 राज्य सूची को पढ़ता हूं। शक्तियों के बंटवारे संबंधी प्रविष्टि 5 में जो लिखा गया है वह यह है—

इसमें कहा गया है:

"स्थानीय शासन, अर्थात नगर निगमों, सुधार न्यासों, जिला बोर्डों, खनन-बस्ती प्राधिकारियों और स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन के प्रयोजनों के लिए अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां।..."

इसका अर्थ है कि भारत के संविधान के अनुसार इस प्रकार का कोई भी बोर्ड कहीं भी केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं आ सकता। यह केवल राज्य सरकार के दायरे में आयेगा।

महोदय, यह कोई नई बात नहीं है। गोरखालैण्ड विकास परिषद, बोडोलैण्ड विकास परिषद तो हैं ही। वर्तमान में पश्चिमी उड़ीसा विकास परिषद भी गठित की गई है। श्री मोहिते के कथनानुसार, इसी प्रकार हम बिहार के लिए, तेलंगाना के लिए, उत्तरी बिहार के दक्षिणी जिलों के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों के लिए तथा देश के उत्तर-पूर्व में स्थित राज्यों के लिए भी विकास बोर्डों का गठन कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जहां भी विकास बोर्ड बनाए गए हैं वे संबंधित राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं। उड़ीसा राज्य में पश्चिमी विकास परिषद है, जिसके अंतर्गत सामान्यतया पिछड़े जिले आते हैं। इस विकास बोर्ड के पास किसी प्रकार की प्रशासनिक या वित्तीय शक्तियां नहीं हैं। इस समय उड़ीसा सरकार और कुछ लोगों के बीच रस्साकशी चल रही है। वे पश्चिमी विकास बोर्ड के लिए कुछ वास्तविक वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां नहीं त्यागना चाहते हैं।

महोदय, यदि हम वर्तमान स्थिति को देखें तो हमें ज्ञात होगा कि विकास संबंधी कार्यों के लिए आबंटित किया जाने वाला सारा धन केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। ई.ए.एस. के अधीन आबंटित किया जाने वाला धन, जवाहर रोजगार योजना के अधीन व्यय किया जाने वाला धन, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अधीन व्यय किया जाने वाला धन तथा एम.पी.एल.ए.डी. सहित केन्द्र प्रायोजित अन्य योजनाओं के लिए भी धन केवल केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन इन योजनाओं को लागू करने वाली एजेंसी राज्य सरकार है न कि केन्द्र सरकार। धन संबंधित राज्य सरकारों के पास चला जाता है और वे इसे खर्च करते हैं। किसी भी योजना में केंद्र सरकार द्वारा सीधे धन खर्च नहीं किया जाता है। अतः यह अच्छा हुआ होता यदि श्री मोहिते ने इस प्रकार के बोर्ड का प्रावधान किया होता जिसका नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा किया जाता तथा वित्तीय शक्तियां केवल केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती।

महोदय, खंड पांच में एक प्रावधान है जिसमें रेलवे के बारे में कुछ कहा गया है। उसमें कहा गया है पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे द्वारा शुरू की जाने वाली सभी परियोजनाओं का निर्णय पिछड़ा क्षेत्र विकास परिषद द्वारा किया जाएगा। क्या यह संभव है? पिछले वर्ष मैं रेल संबंधी स्थायी समिति का सदस्य था। मुझे ज्ञात है कि आज भी रेलवे की परियोजनाओं पर चल रहे कार्यों को पूरा करना चाहें तो इस पर 34,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। रेलवे प्रतिवर्ष किराया में वृद्धि करने में सक्षम नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रेलमंत्री यह महसूस करते हैं कि इससे जनता नाराज हो जाएगी। सरकार यात्री भाड़ा में वृद्धि करने में समर्थ नहीं है। अतः प्रत्येक वर्ष यात्री भाड़ा के बजाए माल भाड़ा में वृद्धि करके घाटे को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। प्रत्येक वर्ष माल-भाड़ा में वृद्धि कर दी जाती है। इससे धीरे-धीरे ऐसा हो गया है कि ट्रकों द्वारा माल भेजना, रेलगाड़ी द्वारा माल भेजने की अपेक्षा सस्ता हो गया है। प्रत्येक वर्ष माल-भाड़े में वृद्धि की जा रही है। इस बोर्ड द्वारा यह कहा जा सकता है कि किसी स्थान विशेष पर रेलवे लाइन होनी चाहिए।

यह खर्चीला हो सकता है, यह अलाभकर हो सकता है, फिर भी लोग कह सकते हैं कि पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण उन्हें रेलवे लाइन की आवश्यकता है। केंद्र सरकार इसके लिए धन की व्यवस्था कहां से करेगी? बिना धन की व्यवस्था किए केवल यह कहना कि रेलवे लाइन की आवश्यकता है, किसी काम का नहीं है। इससे देश को कोई दिशा नहीं मिलेगी।

इस प्रकार के बोर्ड होने चाहिए लेकिन वे राज्य सरकारों के नियंत्रण में होने चाहिए। यह एक व्यावहारिक प्रस्ताव होगा। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, विधेयक में एक अच्छा प्रावधान यह है कि संसद के छः सदस्य—चार लोक सभा से एवं दो राज्य सभा से संबंधित सभाओं द्वारा चुने जाने हैं। यह अच्छा सुझाव है। वास्तव में सांसद केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। वे किसी मामले पर अपने विचार नहीं रखते। सभापति महोदय, लोक सभा के सदस्य के रूप में आपको यह अच्छी तरह ज्ञात है कि राज्यों में चलाई जा रही ई.ए.एस. या अन्य किसी केंद्र प्रायोजित योजना में खर्च किए जा रहे धन से हमारा कोई लेना-देना नहीं होता। अतः यह अच्छा होगा यदि सांसदों को इस प्रकार के बोर्डों में प्रतिनिधित्व मिले। वे केंद्र सरकार के हितों का ध्यान रख सकते हैं। वे यह देख सकते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि का समुचित रूप से व्यय हो रहा है या नहीं।

संक्षेप में, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का बोर्ड होना चाहिए जिसे धन केंद्र सरकार द्वारा दिया जाए तथा जिसका संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाए। इस प्रकार के बोर्ड में सांसदों और केंद्र सरकार के कुछ अन्य प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यह पिछड़े क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा होगा।

[हिन्दी]

श्रीमती रमा पायलट (दौसा): सभापति महोदय, श्री मोहिते पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक, 2000 लाये हैं, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ी हुई हूं। मैं समझती हूं कि यदि इस तरह के बोर्ड बना दिये जायें तो केन्द्र सरकार का काम बहुत हलका हो जायेगा। अभी पिछले दिनों हमारे देश में कई उप-राज्यों की मांग की गई है। इसके लिये कई सालों से लड़ाई होती रही है। उत्तरांचल के लोग दिल्ली तक आये। कई जगह माल का नुकसान हुआ, बहुत से काम के दिनों का नुकसान हुआ और जिन लोगों ने जनान्दोलन में भाग लिया, उनके काम की हानि आखिर में देश के लिये हानि बनी। आखिरकार जनान्दोलन के कारण सरकार द्वारा तय किया गया कि देश के अंदर तीन नये राज्य बढ़ा दिये जायें। मैं श्री मोहिते जी की सराहना करूंगी और केन्द्र सरकार से अनुरोध करूगी कि इस विधेयक पर गौर किया जाये। हमारा लम्बा-चौड़ा देश जो उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तक फैला हुआ है, जहां अपार सम्पदा मौजूद है, और हमारे इतने एम.पीज़. एम.एल.एज़. तथा पदाधिकारी हैं कि जहां आखिरी सीमा तक पहुंचना मुश्किल है, सरकार छोटे-छोटे बोर्ड बनाकर काम कर सकती है। श्री मोहिते ने महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों का उल्लेख किया है। मैं चाहती हूं कि यदि इसमें राजस्थान को शामिल किया होता तो अच्छी बात होती। राजस्थान में जहां रेत के मैदान हैं, कहीं पानी नहीं है तो कहीं बिलकुल पहाड़ हैं, ऐसे स्थान के लिये छोटा बोर्ड बना दिया जाता तो अच्छा होता।

सभापति महोदय, हमारे देश में हर तरह का मौसम होता है जहां की सम्पदा विशाल है। अगर सरकार के हाथ में उन विकास बोर्डों का अनुशासन होगा तो अपने देश की हर सीमा को हम छू सकते हैं तथा विकास कार्य करा सकते हैं। यह एक आम बात है कि यदि एक परिवार बड़ा होता है और उसमें बड़े बेटे की शादी हो जाती है तो मां-बाप चाहते हैं कि बेटा-बहू अलग रहकर अपना जीवन सुधार करें क्योंकि इतना बड़ा परिवार अच्छी तरह से गुजर-बसर नहीं कर सकता जितना अलग-अलग रहकर कर सकता है।

इसलिए यदि इस तरह के बोर्ड का गठन किया जाएगा तो हमारे देश के वह भाग जो अछूते रह गए हैं उनका विकास करने में भी सहायता मिलेगी। केन्द्र में खादी बोर्ड बहुत पहले से चला आ रहा है। मैं समझती हूं कि खादी बोर्ड की शाखाएं पूरे देश में हैं और उसका हैड ऑफिस दिल्ली में है। अगर इसी तरह से इस बोर्ड का गठन किया जाए तो उससे पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो सकेगा और अगर हैड ऑफिस दिल्ली में बनाएं और इसकी शाखाएं हर राज्य में खोल दें और उसके तहत उप-शाखाएं खोल दें तो उससे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप से लेकर उत्तर-पूर्व में नागालैण्ड और असम तथा भूटान की सीमाओं की तलहटी तक हम लोग अपने सेन्टर की तारें बिछा सकते हैं और यहां से जो नीतियां बनती हैं, नयी चीजों का विकास होकर हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली में सबसे पहले आता है, उन जानकारियों को हम वहां तक पहुंचा सकते हैं।

आज छोटे उद्योगों के बारे में विवाद चल रहा है। जिन घरों में इतने दिनों से उद्योग चल रहे हैं, मैं उस मामले को नहीं छूना चाहती क्योंकि बहुत लंबी बहस उस पर चल रही है। कई दिनों से दिल्ली में बहुत तमाशा इस बात पर हो रहा है लेकिन इसी तरह से अगर हम अपनी ब्रांचेज सारे देश में फैला देंगे छोटे-छोटे टुकड़ों में तो यह स्थिति जो आज दिल्ली में हो गई है, दूसरे राज्यों में होने से हम बचा पाएंगे। हर व्यक्ति अपना विकास करना

[श्रीमती रमा पायलट]

चाहता है और अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ना चाहता है। आज दिल्ली में जितनी जनसंख्या है उसमें दिल्ली के लोग कम हैं और दूसरे राज्यों के ज्यादा हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे दूसरे प्रदेश जहां रोजी-रोटी के साधन कम हैं, वहां के लोग अपनी रोजी-रोटी ढूंढ़ने के लिए दिल्ली चले आते हैं और वह दिल्ली में बसकर दिल्ली के बाशिन्दे कहलाते हैं और फिर उसी बात को लेकर झगड़ा होता है। कोई इलेक्शन में कहता है कि हम झुग्गी-झोंपड़ियां हटा देंगे और कोई कहता है कि हम झुग्गियां नहीं हटने देंगे। हम उसको राजनैतिक रूप दे देते हैं। मेरा कहना है कि अगर हम पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड का गठन करेंगे तो इससे हम अपने देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों को चाहे वह बाढ़ग्रस्त रहते हों, रेतग्रस्त रहते हों या चट्टानग्रस्त हों, उनका विकास कर सकते हैं। उत्तर-पूर्व के लिए एक बोर्ड का गठन करें और वहां टूरिज्म का ज्यादा प्रचार करें तो हम समझते हैं कि हिन्दुस्तान को ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म का पैसा उत्तर-पूर्व क्षेत्र से मिलेगा।

राजस्थान में सबसे अच्छा मार्बल मिलता है। अगर हम वहां के लिए बोर्ड का गठन करें तो वहां जो पत्थर का काम करने वाले कर्मचारी होंगे और मजदूर होंगे उनको जरूर ही उस बात की ज्यादा जानकारी होगी जितनी कि किसी को दूर बैठा कर होती है। उन पत्थर का काम करने वालों को या जो मछुआरे पानी में काम करने वाले हैं या पहाड़ों में काम करने वाले हैं, इस तरह के लोगों को हम ज्यादा जानकारी दे सकेंगे।

आज तीन राज्यों की मांग उठी है। मैं कहना चाहती हूं कि कुछ सालों बाद और प्रदेशों से भी मांग आएगी कि हमारे प्रदेशों के भी दो हिस्से कर दिये जाएं। इस देश को एक सूत्र में बांधने के लिए और ज्यादा खर्चे से बचाने के लिए बोर्डों का गठन किया जाना चाहिए। जितने भी प्रदेश अभी बनाए गए हैं, उन प्रदेशों में क्या बोर्ड बनाने से ज्यादा खर्च नहीं आ रहा यह मैं सरकार से पूछना चाहती हूं। मैं समझती हूं कि इसका उत्तर हां होगा। एक नए प्रदेश को बसाने के लिए जितने दफ्तरों की आवश्यकता होती है और हर तरह के जमावड़े की जरूरत होती है, उससे कम पैसा किसी बोर्ड का गठन करने में लगेगा। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करती हूं और कहती हूं कि सरकार इस बिल पर गौर करे।

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी): आदरणीय सभापति महोदय, आज इस पिछड़ा क्षेत्र बोर्ड विधेयक पर बोलने का अवसर आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आजादी के 53 वर्ष बाद भी जो समय की सोच थी, जो राष्ट्र की चिन्ता थी कि इस देश में क्षेत्रीय असन्तुलन नहीं होना चाहिए और इसके लिए पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया, लेकिन 53 वर्ष बाद भी आज इस देश में ऐसे क्षेत्र पड़े हुए हैं जिनका अनुकूल विकास अभी तक नहीं हो पाया है। इसके लिए हमारे माननीय सदस्य ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, यह बहुत ही समयानुकूल है।

सभापति महोदय, आज देश में बहुत से हिस्से ऐसे हैं जिनके प्रदेशों को इस विधेयक में प्रदर्शित किया गया है, जैसे उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र को प्रस्तावित किया गया है, उसमें उत्तर प्रदेश के पर्वतीय हिस्सों को दिखाया है, वह तो अब एक राज्य बन चुका है, लेकिन उड़ीसा का जो कालाहांडी का क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश का पूर्वान्चल का हिस्सा जो 23 जिलों से आच्छादित है, उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वहां आजादी के 53 वर्ष के बाद भी इतनी आर्थिक विषमता है कि वहां के निवासी मजबूर हो करके कोलकाता, मुम्बई, दिल्ली जैसे महानगरों में आकर मेहनत और मशक्कत करने को विवश हैं। वहां आबादी अधिक है, खेती का क्षेत्रफल बहुत कम है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद आज तक वहां कोई आर्थिक विकास नहीं किया गया। कुछ जिले जैसे आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, देवरिया, गोंडा, मऊ और बहराइच आदि क्षेत्र मुख्य धारा से, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से काफी पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं।

सभापति महोदय, आज वहां आवश्यकता इस बात की है कि इस तरह के क्षेत्रीय विकास के लिए बोर्ड बनाया जाए जो ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर के विकास करे। उनकी पहचान के लिए कुछ प्रयास तो भारत सरकार ने किया है, लेकिन जो सतत पहचान करने की प्रक्रिया है, वह नहीं है। उसके लिए जो मशीनरी होनी चाहिए, जो ऐसे क्षेत्रों की सतत पहचान कर सके, वह नहीं है। उसको बनाने की विकसित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जनपद मऊ 11 वर्ष पूर्व बना, लेकिन अभी तक उसमें कोई मूलभूत संरचना नहीं बन सकी। सड़कों का जाल नहीं बिछाया जा सका। कोई भी बड़ी औद्योगिक इकाई नहीं है। वहां साड़ी का विश्व प्रसिद्ध केन्द्र होने के बावजूद साड़ी फिनिशिंग की कोई यूनिट नहीं लगाई गई है। शैक्षिक दृष्टि से काफी पिछड़ापन है। आज के आधुनिक युग में, कंप्यूटर के युग में वहां बी.एस.सी., बी.कॉम या एल.एल.बी. की शिक्षा देने के लिए महाविद्यालय तक नहीं हैं। कोई भारी उद्योग अभी तक स्थापित नहीं किया गया है। सामाजिक दृष्टि से भी वह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है।

सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि उस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी प्रयास किए जा सकें वे कम हैं। मैं केवल अपने ही क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि देश के ऐसे जितने भी क्षेत्र हैं जो अभी तक अविकसित पड़े हुए हैं, उन सभी के बारे में कहना चाहता हूं कि उनकी पहचान करके, उनके विकास के लिए पैकेज बनाए जाएं

और उनको कार्यान्वित किया जाए। यदि ऐसा होगा, तो जो लोग रोजी-रोटी की तलाश में शहरों में, महानगरों में आते हैं और झुग्गी-झोंपड़ियों में रहकर यहां की आबोहवा को खराब करते हैं, यहां प्रदूषण फैलाते हैं, वह भी दूर हो जाएगा। क्योंकि पैकेजों को कार्यान्वित करने से उनके अपने ही गांव में उन्हें पर्याप्त रोजगार मिल सकेगा और वे अपने घर-परिवार के बीच रह सकेंगे। इससे महानगरों पर असर नहीं पड़ेगा, यहां का पर्यावरण और वातावरण ठीक रहेगा। उस समस्या से निजात मिलेगी।

साथ ही साथ जो पिछड़े हुए इलाके हैं, उनका भी विकास होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पूर्वांचल में खासकर मऊ डिस्ट्रिक्ट में आई.टी.आई., पोलीटेकनीक आदि कोई भी इस तरह के विद्यालय नहीं हैं। इसलिए आप उस जिले में, पूर्वांचल के विकास के लिए कोई बड़ा उद्योग स्थापित करें ताकि वहां की मानव शक्ति का पलायन न हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला): जनाबेवाला, इस ऐवान में जो बिल मुअज्जिज साथी मोहिते जी ने पेश किया है, इसकी मंशा की मैं ताईद करता हूं। इस बिल के दो हिस्से हैं इसके पीछे जो मंशा है, वह निहायत काबिले-तारीफ है और वह इस मुल्क के पिछड़े हुए इलाकों के लोगों की दिली तरजुमानी कर रही है। हम उन केटेगिरी स्टेट्स का जब जिक्र करते हैं, जिसमें रियासतें जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और नार्थ ईस्ट का सारा इलाका आता है, वे रियासतें माशी तौर पर बड़ी मुश्किलात में हैं लेकिन इन रियासतों के अंदर जो इलाके हैं जैसे हमारे रियासत में बॉर्डर का इलाका टंगधार, गुरेज और उड़ी के ऊपर का इलाका है, उस इलाके के लोग जिन परेशानियों और मजबूरियों में इस वक्त पड़े हुए हैं, अगर इस मुल्क का सियासी निज़ाम उन लोगों की तरफ तवज्जों नहीं देगा तो बदकिस्मती से जो हालात रियासते जम्मू-कश्मीर और नार्थ ईस्ट में इस वक्त हैं, वे और ज्यादा तबाहकुन सूरत इखतियार कर लेंगे। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के वे तमाम इलाके जो माली तौर पर पिछड़े हुए हैं और जिनकी तरफ वकतन-फवकतन तवज्जो नहीं जाती है, उनके लिए कोई ऐसा मौसर इंतजाम हो कि उनके माली मामलात और उनकी मसाइल को हल करने के लिए पहले तवज्जो दी जाये। इस मंशा की हम पुरजोर ताईद करते हैं।

जनाबेआला, इस बिल के जो कानून और आईनी अमल-आवरी का पहलू है, शायद उसमें दुबारा देखने की जरूरत है क्योंकि रियासतों के इखतियार और मरकज के इखतियार और उसके अंदर शायद कुछ पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं, शायद यह बोर्ड, जैसे हमारे उड़ीसा के दोस्त ने इस ऐवान में जाहिर किया, वह दिक्कतें हाईल हो सकती हैं। लेकिन हमारे दोस्त ने जो पिछड़े हुए इलाकों के मसाइल को उबराने के लिए और आपकी तवज्जो मबजूल करने के लिए यह बिल पेश किया है, उस मंशा की पूरी-पूरी ताईद होनी चाहिए बल्कि हम उस मोहतरम ऐवान के तमाम हजरात से यह दरख्वास्त करेंगे कि इस अहम, नाजुक मौके पर जबकि हमारे इस मुल्क के जो बदख्वाह हैं, हमारी सरहदों के पार ऐसी-ऐसी कोशिशें कर रहे हैं कि यहां से तालीम-याफ्ता नौजवान जो बेकारी में हैं और पिछड़े हुए इलाकों के लोग जो माली और माशी तबाहारी में हैं उनको किस-किस तरह से इस्तेमाल करने की साजिशें हो रही हैं ताकि इस मुल्क के अमले-आमान को जक पहुंचे। हम मोदबाना दरख्वास्त करते हैं इस मुल्क की सरकार से और डेमोक्रेटिक सिस्टम में तमाम जो इसके दस्तो-बाजू हैं, ओपोजिशन है या दूसरे इदारें हैं, वे इस मामले पर गौर करें और देखें कि पिछड़े हुए इलाकों के माली और माशी मुश्किलात हैं, उनको फर्स्ट प्रॉयरिटी पर किस तरह से तवज्जो दी जाये और उसके लिए क्या कानूनी तरीका इखतियार किया जा सकता है, वह हमारे दोस्त की नजर में जो इन्होंने बिल पेश किया है, उसका तरीका यह भी हो सकता है कि अगर इसकी कानूनी अमल-आवरी सेहत पर गौर किया जाये और इसका जामेय बनाया जाये तो इससे हमारी मुश्किलात पिछड़े हुए इलाकों के मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। मैं ऐवान से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि इस मंशा की हम भरपूर ताईद करते हैं।

جناب عبدالرشید شاہین (بارہ مولہ) : جناب عالی، اس ایوان میں جو یہ بل ہمارے معزز ساتھی موہیتے جی نے پیش کیا ہے، اسکی منشا کی میں تائید کرتا ہوں۔ اس بل کے دو حصے ہیں۔ اس کے پیچھے جو منشا ہے، وہ نہایت قابل تعریف ہے اور وہ اس ملک کے پچھڑے ہوئے علاقوں کے لوگوں کی دلی ترجمانی کر رہی ہے۔ ہم ان کیٹگری اسٹیٹس کا جب ذکر کرتے ہیں جس میں ریاست جموں و کشمیر، ہماچل پردیش اور نارتھ ایسٹ کا سارا علاقہ آتا ہے، وہ ریاستیں معاشی طور پر بڑی مشکلات میں ہیں لیکن ان ریاستوں کے اندر جو علاقے ہیں جیسے ہماری ریاست میں بارڈر کا علاقہ ٹنگڈار، گریز اور اڑی کے اوپر کا علاقہ ہے، اس علاقے کے لوگ جن پریشانیوں اور مجبوریوں میں اس وقت پڑے ہوئے ہیں۔ اگر اس ملک کا سیاسی نظام ان لوگوں کی طرف توجہ نہیں دیگا تو بدقسمتی سے جو حالات ریاست جموں کشمیر اور نارتھ ایسٹ میں اس وقت ہیں، وہ اور زیادہ تباہ کن صورت اختیار کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے وہ تمام علاقے جو مالی طور پر پچھڑے ہوئے ہیں اور جنکی طرف وقتاً فوقتاً توجہ نہیں جاتی ہے، ان کے لئے کوئی ایسا موثر انتظام ہو کہ انکی مالی معاملات اور انکے مسائل کو حل کرنے کے لئے پہلے توجہ دی جائے۔ اس منشا کی ہم پرزور تائید کرتے ہیں۔

جناب عالی، اس بل کے جو قانون اور آئینی عمل آوری کا پہلو ہے، شاید اس میں دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ریاستوں کے اختیار اور مرکز کے اختیار اور ان کے اندر شاید کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، شاید یہ بورڈ جیسے ہمارے اڑیسہ کے دوست نے اس ایوان میں ظاہر کیا، وہ دقتیں حائل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے دوست نے جو پچھڑے ہوئے علاقوں کے مسائل کو ابھارنے کے لئے اور آپ کی توجہ مبذول کرنے کے لئے یہ بل پیش کیا ہے، اس منشا کی پوری پوری تائید ہونی چاہئے۔ بلکہ ہم اس محترم ایوان کے تمام حضرات سے یہ درخواست کریں گے کہ اس اہم، نازک موقع پر جبکہ ہمارے اس ملک کے جو بدخواہ ہیں، ہماری سرحدوں کے پار ایسی ایسی کوششیں کر رہے ہیں کہ یہاں سے تعلیم یافتہ نوجوان جو بیکاری میں ہیں اور پچھڑے ہوئے علاقوں کے لوگ جو مالی اور معاشی تباہ حالی میں ہیں، انکو کس کس طرح سے استعمال کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں تاکہ اس ملک کے امن و امان کو زک پہنچے۔ ہم مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں اس ملک کی سرکار سے اور ڈیموکریٹک سسٹم میں تمام جو اس کے دست و بازو ہیں، اپوزیشن ہے یا دوسرے ادارے ہیں، وہ اس معاملے پر غور کریں اور دیکھیں کہ پچھڑے ہوئے علاقوں کے مالی اور معاشی مشکلات ہیں، انکو فرسٹ

پرائیرٹی پر کس طرح سے توجہ دی جائے اور اسکے لئے کیا قانونی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، وہ ہمارے دوست کی نظر میں جو انہوں نے بل پیش کیا ہے، کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اسکی قانونی عمل آوری صحت پر غور کیا جائے اور اسکو جامع بنایا جائے تو اس سے ہماری مشکلات پچھڑے ہوئے علاقوں کی مشکلات میں ازالہ ہو سکتا ہے، میں ایوان سے گذارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس منشا کی ہم بھرپور تائید کرتے ہیں۔

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): सभापति महोदय, सदन के संवेदनशील सदस्य श्री सुबोध मोहिते जो बिल लाए हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं विदर्भ में गया था। जब मैं वहां पहली बार गया तो देखा कि वह काफी पहाड़ी मुल्क है। विकास के मामले में पिछड़ा हुआ था। मैं एक अन्य विधायक के साथ वहां गया था। हमने परुष के कपड़े लिए थे। यह मालूम नहीं था कि वह पुरुष का कपड़ा है या स्त्री का कपड़ा है। वहां लोग अर्धनग्न रहते थे। अभी भी लोग अर्धनग्न रहते हैं। महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा है। इसलिए इस भावना से श्री मोहिते इस सवाल को बिल के माध्यम से लाए हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस विधेयक पर तीन घंटे का समय निर्धारित किया गया था। वह समय समाप्त हो रहा है और अभी काफी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। यदि सदन की सहमति हो तो इसके लिए एक घंटे का समय और बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: ठीक है।

सभापति महोदय: ठीक है, इस पर एक घंटे का समय और बढ़ाया जाता है।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले: यदि नीति सही हो तो निश्चित ही भारत का असन्तुलन दूर हो सकता है। रास्ते में कोई झगड़ा हो तो कहा जाता है कि आयोग बना देना चाहिए। आदिम और पिछड़ी जाति के लिए आयोग बना हुआ है। वह आयोग सिफारिश भी करता है कि यह कार्य होना चाहिए लेकिन सरकार आयोग की सब सिफारिशों को कचरे में डाल देती है। देश आर्थिक दृष्टि से खाली है।

बहन रमा पॉयलट ने कहा कि यह बहुत बड़ा मुल्क है। पहले लोग बहुत कम थे। यदि पहाड़ी मुल्कों में कुछ हो जाता था तो जल्दी ही तहसील, डिस्ट्रिक्ट और प्रान्त में सबको मालूम हो जाता था। आजकल ग्राम सेवक हैं, सरपंच हैं लेकिन सरकार की सामान्य जनता की परेशानी दूर करने की इच्छा नहीं है। राजनैतिक काम करना है, यही इच्छा है। विदर्भ बहुत अच्छा मुल्क है। वहां जंगल, खनिज और पानी भी है लेकिन जो सुविधा होनी चाहिए, वह नहीं है। वहां सुधार करने के बारे में नहीं सोचा जाता। मेरी सरकार से विनती है कि आयोग, आयोग करना ठीक नहीं है। वहां के लिए खास ध्यान देकर विकास के कार्यों की ओर कुछ किया जाना जरूरी है।

इस वक्त सुबोध मोहिते जी जो विधेयक लाये हैं, उनके विधेयक का समर्थन करके, उनको धन्यवाद देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री माणिकराव होडल्या गावित (नन्दुरबार): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सुबोध मोहिते जी संसद सदस्य जो पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक, 2000 लाये हैं, इस विधेयक को समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

लगभग आठ राज्यों में पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड बनाने के लिए उन्होंने यह विधेयक रखा है। यहां पर उन्होंने एक अच्छा काम किया है कि उसमें चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन, चार संसद सदस्य लोक सभा से और दो राज्य सभा से और नौ सदस्य केन्द्र सरकार के विभागों के सचिव वगैरह प्रतिनिधि दिखाये गये हैं। यह जो पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड होगा, इसका हैड आफिस दिल्ली में होगा, यह अच्छी बात है। जैसा अनेक मित्रों ने यहां पर बताया कि आजादी के 52 वर्ष पूरे होने के बाद भी पिछड़े क्षेत्रों का विकास और आदिवासी क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ, इसलिए हमें बहुत दुख है। अभी मेरे मित्र महाले जी बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में विदर्भ जैसा पिछड़ा क्षेत्र है, जिसमें आदिवासी क्षेत्र भी हैं, जिसमें धुले जिला आता है, नासिक जिला आता है, ठाणे जिला आता है, नन्दुरबार जिला आता है। विदर्भ में गढ़चिरौली जिला अभी-अभी महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी जिला बनाया है। उसके बाद वर्ष 1998 में नन्दुरबार जिला जो सतपुड़ा पर्वत में है, जहां सरदार सरोवर परियोजना बन रही है, वह हमारे क्षेत्र में है। वहां आज भी लोगों को 25-30 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, इसलिए पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड की यहां पर मोहिते जी ने जो मांग रखी है, इसके लिए में उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

देश में जो पिछड़े इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, वहां पर ट्राइबल सबप्लान भी लागू किया गया है। हमने अभी-अभी लोक सभा की शैड्यूल्ड कास्ट्स शैड्यूल्ड ट्राइब्स वैलफेयर कमेटी में आन्ध्र प्रदेश और गुजरात का दौरा किया और दोनों राज्यों के अधिकारियों के साथ चर्चा की, लेकिन ट्राइबल सबप्लान में जो भारत सरकार ने पैसा दिया है या राज्य सरकार ने उसमें अपने बजट से प्रोवीजन किया है, वह भी खर्च नहीं होता है। हमें इसका

बहुत दुख होता है। मेरे मित्र महाले जी ने बताया कि बहुत से आयोग बनाये गये हैं, लेकिन जहां तक कार्यक्रम क्रियान्वित करने का सम्बन्ध है, उस पर भारत सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का जितना ध्यान पिछड़े क्षेत्रों की ओर होना चाहिए, उतना नहीं है। इसीलिए हम कितने भी आयोग बनायें, विकास बोर्ड बनाये, जब तक हमारे ही देश के वरिष्ठ अधिकारी, किसी बाहरी देश के अधिकारी अब नहीं रहे, वे तो पहले ब्रिटिश अधिकारी थे, वे चले गये, अब तो हमारे देश के नागरिक ही अधिकारी बने हैं, उनके पास जो जिम्मेदारी दी है, उनको जो कार्यक्रम क्रियान्वित करने हैं, वे नहीं हो रहे हैं। इसलिए अभी पिछड़े लोगों को भी बहुत दुख है। इसमें ज्यादा से ज्यादा केन्द्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, राज्य सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए और केन्द्र सरकार ने जो पैसा पिछड़े इलाकों के लिए दिया है, आदिवासी क्षेत्रों के लिए दिया है, उसके क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार की मिनिस्ट्री, हर विभाग और केबिनेट में चर्चा हो, तभी पिछड़े इलाकों का कुछ विकास हो सकता है।

मैं महाराष्ट्र की बात कहना चाहता हूं। केन्द्र में और महाराष्ट्र में अलग-अलग दलों की सरकारें आती रहती हैं। हर सरकार बोलती है कि हम इस गांव को उस गांव तक जोड़ने के लिए सड़क बनाएंगे, लेकिन वह कभी नहीं बनी। हमारे राज्य में, विशेषकर विदर्भ में पीने के पानी की इस साल बहुत दिक्कत है। अगर पिछड़े इलाकों में सही ढंग से पीने के पानी की योजना, सड़क और बिजली की योजनाओं पर कार्य होता तो आज जो हम पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं, वह न करते। लेकिन आजादी के बाद इतने साल बीतने के बाद भी इन इलाकों में कोई छोटा या बड़ा उद्योग नहीं लगा। भारत सरकार की तरफ से कोई छोटा या बड़ा उद्योग पिछड़े क्षेत्रों में होना चाहिए, ताकि उन इलाकों का कुछ तो विकास हो सके। देश में सिंचाई की बड़ी-बड़ी परियोजनाएं हैं, वे भी पैसे के अभाव में लम्बित पड़ी हैं। अभी सरदार सरोवर का फैसला हो गया। उसमें देखा जाए तो गुजरात का सुजलाम-सुफलाम होने वाला है। लेकिन हमारे राज्य को कुछ नहीं मिलने वाला। जबकि हमारे गांव के गांव उसमें चले गए। तब हमारे क्षेत्र के आदिवासियों को आश्वासन दिया गया था कि आपको पुनर्वासित करेंगे और सिंचाई की जमीन देंगे। लेकिन वह जमीन तो दूर की बात कुछ भी नहीं मिला। सरदार सरोवर के अवार्ड में लिखा है, केन्द्र सरकार ने और राज्य सरकार ने कबूल किया है, पैसा भी दिया है, कि हम सिंचाई की जमीन देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दी गई। पांच लोगों को एक बावड़ी दे दी गई। कुछ गांवों को मिलाकर 25 एकड़ जमीन दे दी गई। मैं भी छोटा किसान हूं। मैं जानता हूं कि अगर हम दो सगे भाई हैं, तो एक बावड़ी से खेती नहीं कर सकते, फिर पांच लोग कैसे करेंगे। इस तरह की योजनाओं से तो पिछड़े इलाके और पिछड़े होते चले जाएंगे और उनका विकास नहीं होगा। इसलिए केन्द्र सरकार को इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

महाराष्ट्र में अकाल पड़ा है। करीब 22 जिले अकाल की चपेट में हैं। इन सभी जिलों में 2131 गांव हैं, जहां पीने के पानी की विषम परिस्थिति है। बिजली का नाम ही नहीं है। हमें बताया गया था कि जब सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बनेगा तो महाराष्ट्र को भी बिजली मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश को आजाद हुए 52 साल हो गए, लेकिन आदिवासियों और हमारे घरों में अंधेरा ही है। इस तरह से पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक मांगें आती रहेंगी। अगर पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड सरकार चाहेगी तो बन जाएगा, लेकिन जब तक कार्यान्वयन ठीक नहीं होगा, तब तक ये इलाके पिछड़े ही रहेंगे।

मैं केन्द्र सरकार से विनती करूंगा कि पिछड़े इलाकों, आदिवासी इलाकों की तरफ ज्यादा से ज्यादा धन देने पर विचार करे और योजनाओं को क्रियान्वित करने की कोशिश करे। इसके लिए हो सके तो मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई जाए, जो इस चीज को देखे। इसके साथ ही मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

अपराह्न 5.00 बजे

श्री राम टहल चौधरी (रांची): सभापति जी, सुबोध मोहिते जी द्वारा पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड का विधेयक, 2000 लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इस विधेयक से उन क्षेत्रों का विकास होगा जहां आज तक विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई है और यह विधेयक बहुत ही सराहनीय विधेयक है। इस विधेयक से पहाड़ी क्षेत्रों का विकास होगा। इस बोर्ड में जो लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों को रखा गया है, यह भी एक अच्छा सुझाव दिया गया है। चूंकि जनप्रतिनिधियों को सारी बातों की जानकारी रहती है, इसलिए बोर्ड में उनका रहना आवश्यक है। इसी दृष्टिकोण से उन्हें इसमें रखा गया है। इस बोर्ड द्वारा उन क्षेत्रों का विकास करने के बारे में सोचा गया है जहां आज तक सिंचाई की सुविधा नहीं दी गई, जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची, जहां अभी तक रेल, संचार और स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। उन क्षेत्रों का विकास करने हेतु यह विधेयक लाया गया है। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि मैं झारखंड क्षेत्र से आता हूं और वहां के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा कि झारखंड क्षेत्र एक जनजातीय क्षेत्र रहा है और यह पहाड़ और जंगलों का क्षेत्र है। वहां आज तक सुदूर क्षेत्र, जहां जनजातीय और पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनके विकास के लिए जिन बातों का यहां पर सुझाव दिया गया है कि बोर्ड के माध्यम से वे सुविधाएं सरकार वहां देनी चाहती है, वहां अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। इसी कारण झारखंड क्षेत्र में उग्रवाद बहुत जोरों से बढ़ गया है और 18 जिलों में से 16 जिले उग्रवाद से प्रभावित हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि वहां कोई भी काम नहीं हुआ है। आठ प्रदेशों को इसमें रखा गया है। मेरा आपसे आग्रह होगा कि जो झारखंड क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया और वहां जो स्थिति है तथा वहां के लोग छः महीने रोजी-रोटी की तलाश में कभी पंजाब या हरियाणा या आसाम अपने घर से बाहर निकल

[श्री राम टहल चौधरी]

जाते हैं, इन लोगों का विकास हो। यह खुशी की बात है कि केन्द्र सरकार ने इस कार्य को अपने आधीन लिया है और उसके माध्यम से यह काम अब हो सकेगा। माननीय सदस्यों ने जो शंका व्यक्त की है कि ऐसे बहुत से बोर्ड बनते आये हैं, मैं कहना चाहूंगा कि यह सही है लेकिन यदि मन साफ नहीं हो, ईमानदारी से काम नहीं हो तो कोई भी बोर्ड ने बने, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। जो पैसा सरकार दे उस पैसे का ईमानदारी से उपयोग हो तभी विकास गांव तक पहुंच सकता है। मेरे झारखंड क्षेत्र में जहां सब कुछ ईश्वर ने दिया है, वहां जंगल हैं, पहाड़ हैं, खेती है, बहुत से पर्यटक स्थल भी हैं जिनसे विकास किया जाये तो काफी लोगों को रोजी-रोटी मिल सकती है जिससे देश और प्रदेश दोनों को लाभ होगा। इसलिए झारखंड क्षेत्र को छोड़ा गया है, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि झारखंड को भी इसमें सम्मिलित किया जाये और उसके विकास के लिए भी सोचा जाये। जिन बातों की यहां चर्चा की गई है, चूंकि सुदूर देहातों में अभी आवागमन की सुविधा नहीं है, इसलिए जो जंगल के इलाके में गरीब, जनजातीय तथा पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, वहां मलेरिया का प्रकोप भी बहुत ज्यादा है और पिछले एक साल में हजारों लोग उसका शिकार हुए होंगे, हजारों लोगों की जानें गई होंगी मगर चूंकि आवागमन की सुविधा नहीं है, इसीलिए कोई गांव तक नहीं पहुंच पाता है।

उनकी दवा के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उन क्षेत्रों में स्कूल नहीं है, न बिजली है, न कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा है। किसी तरह की कोई सुविधा इन क्षेत्रों को नहीं मिल पाई है। इसलिए मेरा केन्द्रीय सरकार से आग्रह है कि झारखण्ड को भी इसमें शामिल किया जाए। जिस उद्देश्य से यह बिल लाया गया है, यदि इस दिशा में ईमानदारी से काम किया जाएगा, तो हम समझते हैं कि इन क्षेत्रों का विकास होगा जिन क्षेत्रों का विकास आज तक नहीं हो पाया है। झारखण्ड राज्य में भी ऐसे क्षेत्र हैं, जहां विकास नहीं हो पाया है और वहां के लोग कहते हैं कि आजादी किस चिड़िया का नाम है, हम लोगों ने नहीं देखी है, सिर्फ सुना है। इन क्षेत्रों में विकास की किरण आज तक नहीं पहुंची है, कोई भी विकास का काम नहीं हो पाया है, ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए इस तरह के बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। मैं पुनः सरकार से आग्रह करता हूं कि झारखंड को भी इसमें सम्मिलित किया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पुनः समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): माननीय सभापति महोदय, भारत एक विशाल और महान देश है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं। हमारे यहां जंगल, पर्वत, मैदान, नदियां, पहाड़ और पश्चजल (बैकवाटर) है। हमने देश की एकता और और अखण्डता को बनाए रखा है। हमने विविधता में एकता को कायम रखा है।

कुल मिलाकर भारत के लोग शांतिप्रिय और कानून का आदर करने वाले लोग हैं। हमारे देश में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है किंतु यदि आप अपने देश के प्राकृतिक संसाधन सम्पन्न क्षेत्रों पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये क्षेत्र अल्प विकसित हैं। अपने राज्य में छत्तीसगढ़ को ही देख लीजिए। मैं खुद को ठीक कर लूं कि यह आपके राज्य में नहीं है बल्कि हाल ही तक यह आपके राज्य का एक भाग था। इसके अलावा आप झारखंड और उत्तरांचल को ही ले लीजिए। हमारे देश में ये क्षेत्र अल्प विकसित हैं किंतु इन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। दुर्भाग्यवश, हम इन संसाधनों का समुचित दोहन नहीं कर पा रहे हैं। वन संसाधनों का समुचित दोहन करने की हमारे पास कोई योजना ही नहीं है। इसीलिए ये क्षेत्र अल्प विकसित रह गए हैं।

दूसरा नए राज्यों का गठन कोई निवारण नहीं है। दरअसल सही कहा जाए तो छोटे राज्य में राजनैतिक अस्थिरता की संभावना अधिक रहेगी। गोवा को ही देखिए, वहां चालीस विधायक हैं। छोटी सी अवधि में ही 39 विधायक मंत्री बन गए। पूरे समय वे राजनैतिक अस्थिरता की कुठाली में रहते हैं। एक साल के भीतर ही अध्यक्ष महोदय के अतिरिक्त वे सभी मंत्री बन गए। इसलिए छोटे राज्यों का गठन समस्या का कोई निवारण नहीं है। भविष्य में इससे और अधिक समस्याएं उत्पन्न होंगी मगर इस साल इस पर चर्चा करना उचित नहीं है। मुद्दा यह है कि विकास योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए हमारे पास स्पष्ट योजना होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश, हमारे पास कोई उचित योजना है ही नहीं और इसी कारण से हमारे देश के कई दूरस्थ भाग अविकसित हैं। इसलिए योजना ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रत्येक क्षेत्र पर पूरा ध्यान दिया जा सके। किंतु अभी हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो ये सभी क्षेत्र अविकसित ही रह जाएंगे। संतुलित विकास से यह पिछड़ापन दूर किया जा सकता है। दुर्भाग्यवश, यह संतुलित विकास कहीं नजर ही नहीं आता। हमारे देश में संसाधनों का समान वितरण नहीं हो पा रहा है। यही सबसे बड़ी समस्या है। मैं किसी को भी दोष नहीं दे रहा हूं।

महोदय, अब हम गठबंधन के युग में हैं। यदि आप सफल गठजोड़ वाली सरकारों की ओर देखें तो आप पाएंगे कि शक्तिशाली राजनैतिक भागीदारों को विकास के सभी लाभ प्राप्त हो रहे हैं। यदि वे सरकार से सौदेबाजी करते हैं तो सरकार उनके दबाव में आ जाती है और उनकी मांगों को स्वीकार कर लेती है। सत्ता में बने रहने के लिए यह सब किया जाता है। यह एक नयी अवधारणा सामने आ रही है।

लोक सभा या विधान सभा में जो जिस राजनैतिक दल का अधिक मजबूत संख्या बल होगा उसे सत्ता में अधिक भागीदारी मिलेगी जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। गठबंधन के इस युग में अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्यों में से यह एक ऐसा तथ्य है जिसे अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए।

उदाहरण के लिए, यदि रेल मंत्री किसी राज्य विशेष का है तो उस राज्य को सभी रेल लाईनें मिलेंगी और रेलवे की सभी महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी प्राप्त होंगी। मांगें तो इस कदर हो जाती हैं कि लगता है रेल मंत्री के कार्यालय को ही राज्यों में घूमना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकाल में जब श्री जाफर शरीफ रेल मंत्री थे तो उन्होंने केवल कर्नाटक पर ही ध्यान दिया था। जब कुमारी ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी तो उनका ध्यान केवल पश्चिम बंगाल पर ही है। दलगत राजनीति से हटकर मैं यह कर रहा हूं कि आज यही प्रवृति है। इसीलिए वे क्षेत्र अछूते रह जाते हैं जिन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए था। मिली-जुली सरकारों के इस युग में इस धारणा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पर हमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना होगा।

दुर्भाग्यवश, पूर्वोत्तर राज्य अधिक पिछड़े हुए हैं। जब श्री मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तो उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ योजनाएं प्रस्तुत की थी। दुर्भाग्यवश समुचित आधारभूत संरचना के अभाव के कारण वे योजनाएं लागू नहीं की जा सकीं और पूर्वोत्तर राज्यों का भी विकास नहीं हो पाया। जैसा कि मेरे माननीय सहयोगी ने यह मुद्दा ठीक ही उठाया था कि आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में बिजली, स्कूल और आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं। लोग बाजारों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। बाजार तक पहुंच न होने के कारण वे अपनी वस्तुओं को बेच पाने की स्थिति में हैं ही नहीं। हमारे देश के ये हिस्से वाकई पिछड़े हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि हमारे पास इन क्षेत्रों के औद्योगिक पिछडेपन को दूर करने के लिए ठोस योजना होनी चाहिए। वहां न तो कोई पैसा लगा रहा है और वहां न ही कोई उद्योग स्थापित हो रहा है। भले ही सरकार ऐसे क्षेत्रों में परियोजनाएं चलाने के लिए अधिक सुविधाएं, अधिक राजसहायता और कर राहत दे रही है किंतु सच तो यह है कि ऐसे क्षेत्रों में कोई भी अपना पैसा निवेश नहीं कर रहा है।

हम कृषि प्रधान समाज के वासी हैं। वैज्ञानिक क्रांति के प्रतिफल से गांव वंचित हैं। अभी तक हमारे किसान खेती के परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं। आमतौर पर वे मानसून पर ही आश्रित रहते हैं। उन्हें पास वैज्ञानिक और प्रद्योगिकीय जानकारी हासिल नहीं होती। इसीलिए हमारा उत्पादन कम है और हमारे कृषि क्षेत्रों में पिछड़ापन अधिक है। मैं दो-चार मुद्दों को उजागर करके अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, यदि घनी आबादी वाले राज्यों को देखें तो हम पाएंगे कि वहां शिक्षा सुविधाएं बहुत कम हैं। स्कूल केवल किताबों में ही हैं। कई स्कूल केवल कागजों पर ही हैं। स्कूलों में कोई अध्यापक नहीं जाता है। वास्तव में स्कूलों में विद्यार्थी भी नहीं जाते। इन क्षेत्रों में शिक्षा तो शून्य है। अत्यंत गरीबों के आर्थिक उत्थान के लिए सुसंगठित प्रयास किए जाने चाहिए। हम कई कार्यक्रम लागू कर चुके हैं, उदाहरण के लिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। यह कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन को ध्यान में रखकर शुरू किया गया था किंतु गरीबी के स्तर का मूल्यांकन होना चाहिए और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया जाना चाहिए। ग्रामीण स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाकर ही हम पिछड़ापन दूर कर सकते हैं।

पिछड़े क्षेत्रों के लोग तीन मुख्य मुद्दों—गरीबी, बेरोजगारी और निरक्षरता से जूझ रहे हैं। मात्र बोर्ड के गठन से कोई हल नहीं निकलेगा।

महोदय, पूर्वोत्तर राज्यों के पिछड़ेपन पर मैं अभी श्री संतोष मोहन देव जी से चर्चा कर रहा था। पूर्वोत्तर के अधिकतर राज्यों, जैसे असम के लोगों को आज तक मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं। श्री खारबेल स्वाइं उड़ीसा के के बी के जिलों की चर्चा कर रहे थे जहां पिछड़ापन दूर करने के लिए अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। आखिर में, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं किंतु मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड के मात्र गठन से कोई सहायता नहीं मिलेगी। हमारे पास दूरदर्शी सोच होनी चाहिए और कार्यक्रमों का उचित कार्यान्वयन भी होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर): सभापति जी, पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक-2000 में जो भावनाएं व्यक्त की गयी हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। देश के जो पिछड़े राज्य हैं और उन पिछड़े राज्यों में जो सबसे अधिक पिछड़े क्षेत्र हैं उनके लिए माननीय मोहिते साहब ने बोर्ड बनाने की बात की है। मुझे ऐसा लगता है कि यह एक तरह की एटॉनमस बॉडी होगी। इसमें चर्चा की गयी है कि यह बोर्ड किसके नियंत्रण में काम करेगा। इस विधेयक से लगता है कि यह केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में काम करेगा क्योंकि केन्द्रीय सरकार ही सारे राजस्व की व्यवस्था करेगी। मेरे दिमाग में यह बात आ रही है कि जिन राज्यों में पिछड़े क्षेत्र हैं उन राज्यों की सरकारें क्या करेंगी, इस बोर्ड का रवैया उनके प्रति कैसा होगा, इसकी चर्चा इसमें नहीं है। केन्द्रीय सरकार, बोर्ड और राज्य सरकारें इन तीनों के बीच क्या संबंध होंगे, क्योंकि इसका हैडक्वार्टर सीधे दिल्ली में होगा। इसमें जितने खर्चे होंगे, उन्हें केन्द्रीय सरकार करेगी और इसमें जितने विभागों की चर्चा योजना आयोग सहित की गयी है वे इस बोर्ड के सदस्य होंगे और ये सारे संसद द्वारा ही पारित किये जायेंगे। तो क्या यह सीधे केन्द्रीय

[श्री ब्रह्मानन्द मंडल]

सरकार के नियंत्रण में बोर्ड होगा और वहां राज्य सरकारों का भी काम होगा। इस तरह से राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार दोनों का ही इसमें हस्तक्षेप होगा—ऐसी कोई चर्चा इसमें नहीं है। इसमें साफ और स्पष्ट बात होनी चाहिए कि एटॉनमस बॉडी बन जाती है तो वह किसके मातहत काम करेगी। इसलिए माननीय मोहिते साहब को थोड़ा जबाव भी देना चाहिए और इसमें थोड़ा संशोधन भी करना चाहिए।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इस भावना का समर्थन मैंने इसलिए किया है कि इसमें उत्तर बिहार की चर्चा की गयी है। अब झारखंड अलग हो गया है, इसलिए अब बिहार ही कहा जाएगा। अब मध्य बिहार और उत्तर बिहार ही बिहार है। अब वह मुख्य रूप से कृषि-प्रधान रह गया है।

यदि विकास बोर्ड का गठन होता है तो वह कैसे काम करेगा, मेरे दिमाग में यह बात नहीं आती है लेकिन निश्चित रूप से इन क्षेत्रों के विकास के लिए एक योजना बननी चाहिए। पिछड़े राज्यों में जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनके लिए योजना बननी चाहिए।

हमारे देश में यातायात के दो प्रमुख साधन हैं। वैसे तो हवाई जहाज से भी हम यात्रा करते हैं लेकिन हमारे देश में बहुत कम लोग इसमें यात्रा करते हैं। इन पिछड़े क्षेत्रों के बारे में हवाई जहाज की चर्चा करना मैं उचित नहीं समझता लेकिन रोड और रेल दो यातायात के साधन हमारे गांव और नगर की जनता को मिलने चाहिए। इनफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम साधन करते हैं, उन्हें वहां पहुंचाने का काम करना चाहिए और रोड तथा रेल को योजना में सबसे पहले लेना चाहिए। उन्हें पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंचाना चाहिए। यदि हम इन्हें पहुंचा देते हैं तो चाहे कृषि पर आधारित उद्योग हों, चाहे उस क्षेत्र की धरती पर जो मिनरल्स सम्भावित होते हैं, उनका पूरा उपयोग करने की बात हो, उससे पूंजी वहां तक पहुंच जाएगी। उन क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था करनी चाहिए। नेपाल से जितना पानी आता है वह गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी नदियों में बह जाता है। इससे उत्तरी बिहार को नुकसान पहुंचता है। वह वहां के इनफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों, कम्युनिटी हॉल्स और सड़कों को हर साल बरबाद करता है। जरूरत इस बात की है कि इसे रोकना चाहिए। इसके लिए बड़ा बांध बनाया जाए। योजना आयोग ने भी कहा है कि उस पानी को रोकना चाहिए। वहां बांध बना दिया जाए और उससे पन बिजली पैदा की जाए। हमारे देश में पन बिजली सबसे सस्ती पड़ती है। नेपाल से जो पानी आता है, उससे 20 हजार मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। यातायात और बिजली की वहां व्यवस्था हो जाए तो सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। मैंने उत्तरी बिहार का उदाहरण दिया। देश के पिछड़े क्षेत्रों में इन तीन चीजों की व्यवस्था केन्द्र सरकार करे और उसके लिए धन का आवंटन करे। राजनीतिक इच्छा शक्ति होने से इन पिछड़े राज्यों को हम देश के नक्शे में ला सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय सदस्य की भावना का समर्थन करता हूं। यदि नियम, कायदे के अनुसार यह विधेयक आता तो इसका पूरी तरह समर्थन किया जाता। आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन (शिवगंगा): माननीय सभापति महोदय, इस पहलू के लिहाज से यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है कि योजना आयोग और यहां उपस्थित योजना मंत्री के विचारार्थ भी पिछड़ापन का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए। इस विधेयक के आधार पर हम यह कहना चाहेंगे कि विधेयक में सम्मिलित क्षेत्रों में विशेषकर तमिलनाडु के दक्षिणी जिले में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पुड्डूकोट्टई, शिवगंगा और रामनाद क्षेत्र आते हैं। इन जिलों को औद्योगिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

किंतु यहां कपड़े की 12 मिलों की स्थापना के बाद इन क्षेत्रों को पिछड़े राज्यों के वर्ग से हटा दिया गया है। ऐसा करने मात्र से इन क्षेत्रों को सरकार से कोई आर्थिक सहायता या आर्थिक राजसहायता प्राप्त नहीं हो रही है। किसी क्षेत्र को इस वर्ग में रखने के लिए सरकार के कुछ मापदण्ड हैं। यदि किसी क्षेत्र में मध्यम या लघु स्तर के उद्योग हैं तो उस क्षेत्र को पिछड़े क्षेत्र के वर्गीकरण से हटा दिया जाता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी क्षेत्र में लघु या मध्यम स्तर के कुछ उद्योग स्थापित होने से वह क्षेत्र विकसित नहीं हो जाएगा। वहां की जनता की क्रय-शक्ति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

एक समय हमारा क्षेत्र काफी समृद्ध था। जब पड़ोसी जिले मदुरै के विकास कार्यों की शुरूआत हुई तो इसके लिए वैगई और पेरियार से आने वाले अतिरिक्त जल को बांध बनाकर रोक दिया गया। यह एक विकास की अच्छी शुरूआत है किंतु यह विकास मदुरै का हो रहा है न कि हमारे जिले का। वैगई और पेरियार बांध से अतिरिक्त पानी प्राप्त न होने के कारण हमारा जिला पिछड़ गया है। इसलिए, हम बारिश के पानी पर ही निर्भर हैं। यहां सिंचाई के करीब 3,400 तालाब हैं किन्तु उनकी मरम्मत नहीं की गई है। विदेशों से, विदेशी बैंकों से और केन्द्र सरकार के विभागों से बड़ी मात्रा में धनराशि ली गई किन्तु उस धनराशि को उचित उपयोग नहीं लाया गया। यदि आप आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि इन तालाबों के सुधार पर और सिंचाई के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया है किन्तु हासिल कुछ नहीं हुआ है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र संसाधनों के दृष्टि से समृद्ध हैं। सिंचाई के लिए यही मूल ढांचा उपलब्ध है। अब हम इसे त्वरित जल संग्रहण योजना के रूप में ले रहे हैं। यह यहां हजारों सालों से है किन्तु इसमें सही तरह से सुधार नहीं किया गया। जल की आपूर्ति व्यवस्था में समुचित सुधार नहीं किया गया।

वहां समुचित सिंचाई नहीं हो पाती है। वर्षा जल का उचित संग्रहण नहीं हो पाता है। अर्थात् वहां सूखा है। भूजल का स्तर नीचा हो रहा है। समुद्र का पानी भी नीचे जा रहा है। वहां यही सब हो रहा है। अत: पिछड़े क्षेत्र और अधिक पिछड़े क्षेत्र बनते जा रहे हैं। इसका क्या इलाज है? हमें इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा। मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र "नोडल एरिया" के रूप में लिया जाना चाहिए जो कि एक नमूना क्षेत्र हो, जहां आप कुछ क्षेत्रों में सुधार ला सकें ताकि पिछड़ापन दूर किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए यह विधेयक लाभदायक है। विभिन्न विभागों में परस्पर समन्वय करना चाहिए। उदाहरण के लिए, हमारे यहां "ब्राड गेज" लाईन नहीं है। यहां तक आमान परिवर्तन के लिए भी, जिसकी इस वर्ष घोषणा की गई है केवल 5 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। यह पर्याप्त नहीं है। इसके लिए लगभग 250 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। हमें वह बड़ी लाइन की सुविधा कब तक हासिल हो पाएगी? इस क्षेत्र का विकास कैसे किया जा सकता है? अत: यहां औद्योगिक पिछड़ापन है। परिवहन सुविधा का यहां अभाव है। आधारभूत सुविधाओं का यहां विकास किया जाना है। पहले मुर्गी हुई या अंडा, हमें इसी प्रश्न का उत्तर देना है।

सरकार को इन पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। यह एक मानव जैसा ही है। लकवे के कारण यदि एक हाथ काम न करे तो उस हाथ पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। इस विकलांगता को दूर किया जाना चाहिए, तभी मनुष्य के पूरे शरीर को एक रूप में देखा जा सकता है और राष्ट्र को भी इसी रूप में देखा जा सकता है। इसलिए यह विधेयक मंत्रालय पर एक प्रभाव डालेगा ताकि वे विस्तृत और क्षेत्रानुसार योजनाएं बना सकें। समुचित ध्यान देने पर ही हम यह सब कर सकते हैं।

हम पिछड़े क्षेत्रों का विकास कर सकते हैं। यह मानसिक सोच हटाई जा सकती है और विकास को आगे लाया जा सकता है।

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): महोदय, हम सभी श्री सुबोध मोहिते के प्रति उनके द्वारा इस विधेयक को लाने हेतु कृतज्ञ हैं क्योंकि इस विधेयक के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई है। अत्यन्त महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं तथा मुद्दे उठाए गए हैं और वाद-विवाद पूर्णत: निष्पक्ष रहा है।

अभी हमने इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण सुना है। किसी माननीय सदस्य ने रेल मंत्रियों के उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। उन्होंने दोनों तरह की सरकारों, दोनों पार्टियों के उदाहरण प्रस्तुत किये। इसलिए, इस विधेयक में व्यक्त चिन्ता से हम सभी सहमत हैं। पिछड़ेपन की स्थिति है और यही हमारे देश के विकास में मुख्य बाधा है। यह निर्विवाद है।

मैं इस संक्षिप्त प्रश्न के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि क्या श्री मोहिते के विधेयक में जो सुझाव प्रस्तावित हैं वह सब मामले में हमें अपने वांछनीय उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होगा। गरीबों के प्रति सदस्यों की सहानुभूति इतनी अधिक है कि श्री हरीभाऊ शंकर महाले जब बोल रहे थे तब उन्होंने सारी स्पीच में यह कहा कि एक और आयोग बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर उसी बिल का जो कि एक नहीं, बल्कि पांच-दस और ऐसे आयोग बनाना चाहता है, उसका अंत में समर्थन किया। यह संवेदना और सहानुभूति एक बात है लेकिन हमें वास्तविक रूप में इस बात पर विचार करना है कि क्या इस समस्या के समाधान हेतु केन्द्रीय बोर्ड के गठन से उस समस्या के समाधान में कोई सहायता मिलेगी जिसके बारे में सभी वाद-विवादों में हमने कहा है कि शक्तियों और कार्यों के और अधिक विकेन्द्रीकरण से इसका बेहतर हल निकलेगा।

यह वाद-विवाद बहुत रचनात्मक रहा है और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि खास सुझावों उदाहरणार्थ गरीबी पर संयुक्त प्रहार और हमारी आयोजना में दिशा परिवर्तन को निश्चित रूप से सम्प्रेषित कर दिया जाएगा और मैं यह सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाए। किन्तु इस समय मैं केवल बोर्ड से संबंधित इस विशेष विषय पर ही चर्चा करूंगा।

यदि हम दिए गए भाषणों पर गौर करें तो आपको यह पता चलेगा कि उस बोर्ड के तहत देश के करीब तीन चौथाई भाग को लाया जाएगा। यह एक बात है। जैसे अभी आपने बिहार के बारे में कहा, मगर जब हमारे साथी झारखण्ड की तरफ से बोल रहे थे तो वे कह रहे थे कि वहां रिसोर्सेज होते हुए भी बैकवर्डनैस है। अतएव इस बोर्ड के दायरे में आप देश के तीन-चौथाई भाग को पुन: सम्मिलित करेंगे।

दूसरी बात यह है कि श्री खारबेल स्वाइं ने कहा था, उन्हीं के शब्दों में कि यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी होगी। यदि इसके गठन पर आप ध्यान दें तो इसका गठन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके अध्यक्ष योजना आयोग के उपाध्यक्ष होंगे तथा इसके दूसरे उपाध्यक्ष की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जायेगी तथा नौ सदस्यों की नियुक्ति भी केन्द्र सरकार द्वारा होगी जो केन्द्र सरकार के नौ मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब प्रश्न यह है कि ये सभी व्यक्ति इन समस्याओं से पहले से ही निपटने का प्रयास कर रहे हैं। यदि वे इन समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो सिर्फ उन्हें दूसरे बोर्ड के हवाले कर देने से न तो बोर्ड के स्वरूप में कोई परिवर्तन होगा और न ही इसके कार्यकलापों में, चाहे जिस किसी की भी सरकार हो।

हमारे बिहार के एक मित्र ने अभी-अभी एक तर्कसंगत प्रश्न उठाया था कि राज्य सरकारों जिनके अंतर्गत ये पिछड़े जिले या पिछड़े क्षेत्र हैं, के बीच आपसी संबंध क्या होंगे।

[श्री अरुण शौरी]

[हिन्दी]

उनकी रिलेशनशिप क्या होगी? वह जो सारी सरकारें हैं, वह नेशनल डैवलपमेंट काउंसिल की मेम्बर्स हैं। वहां वे यही मुद्दा उठाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक तरफ हम चाहते हैं कि उन स्टेट गवर्नमेंट्स को और बाकी पंचायत राज वगैरह की इंस्टीट्यूशन्स को ज्यादा पावर्स दी जाएं और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि एक सेन्ट्रल बोर्ड बनाया जाए और वह सेन्ट्रल बोर्ड जो कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, आज की या कल, जो भी बनाएगी, जिसमें वही सेंट्रल प्लानिंग कमीशन, वही सेन्ट्रल मिनिस्ट्रीज के मेम्बर्स अधिकतम होंगे और पांच मेम्बर और अपॉइंट किये जाएंगे सेन्ट्रल गवर्नमेंट से, वह बोर्ड कहां तक सेन्ट्रल गवर्नमेंट से और ऑटोनॉमस होगा?

सभापति महोदय, यह सोचने की बात जरूर है और वह स्टेट गवर्नमेंट्स, जो सब स्टेट गवर्नमेंट्स नैशनल डिवेलपमेंट कौंसिल में रिप्रजेंटेड हैं, वे इस नए बोर्ड के द्वारा क्या कर पाएंगी, जो आज नैशनल डेवलपमेंट कौंसिल के द्वारा नहीं कर पा रही हैं। इस प्रकार से एक तो इसके कंपोजीशन का मुद्दा है। दूसरी बात यह है कि जहां तक पावर्टी का सवाल है और स्टेट्स तथा उनमें बैकवर्ड एरियाज और उनमें भी बैकवर्ड सैक्शन्स का सवाल है, जो भी हाउस में कहा है, उसमें मैंने पाया है कि हरेक माननीय सदस्य ने एक ही बात कही है। उससे सरकार, बुद्धिजीवी और पालिटिकल क्लास, सभी लोग सहमत हैं। जब लाइसेंसिंग का पीरियड था, उस समय कहा गया कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में इंडस्ट्रीज लगाई जाएं, वह इंसेंटिव आज तक कायम है, लेकिन आपको मालूम है कि पिछड़े जिलों में उद्योग नहीं लगे, बल्कि मुम्बई आदि महानगरों में ही उद्योग लगे और विकसित हुए।

सभापति महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे कि उन एरियाज में सरकार को उद्योग लगाने चाहिए।

श्री माणिकराव होडल्या गावित: केन्द्र सरकार को वहां उद्योग लगाने चाहिए।

श्री अरुण शौरी: इस पर भी हमें तवज्जो देनी चाहिए कि केन्द्र सरकार बोर्ड बनाए, उस पर स्टेट गवर्नमेंट का हक हो, वह स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं से पैसा लाए। आप मुझे बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से पैसा लाएगी। अभी स्वैन साहब बता रहे थे कि रेल का यदि पैसेंजर फेयर ऊपर जाता है, तो हम सब चिल्लाते हैं, लेकिन रेलवे लाइन बने, यह हम सभी चाहते हैं। यदि किराए नहीं बढ़ेंगे, तो रेलवे लाइन निर्माण के लिए सरकार कहां से पैसा लाएगी? यह भी तो सोचने की बात है।

सभापति महोदय, पिछली बार भी जब डिसइनवेस्टमेंट के ऊपर बात चली थी, तो मैंने यह एन्यूमरेट किया कि आज पब्लिक सैक्टर की क्या हालत है। वे सब पैसे लगाते हैं और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में पैसे लगाए गए हैं। इससे कुछ नहीं होता, पैसा लगाने से उन्नति नहीं होती। मैं इस बात में नहीं पड़ना चाहता हूं, वह सैपरेट चीज है। इस समय हमारी प्रॉब्लम यह है कि जैसा सब मैम्बर्स ने कहा, कि आज हमारी ग्रोथ ज्यादा हो गई है पहले ढाई-तीन परसेंट थी और आज छ:-साढ़े छ: परसेंट होती है, तो हम कहते हैं कि प्रगति स्लो हो गयी है। मगर उसके बावजूद कंट्री के कुछ एरियाज हैं जहां यह ग्रोथ ठीक प्रकार से नहीं चल रही है। इसमें खासतौर से छोटे-छोटे रीजन्स और छोटे-छोटे रीजन्स ही नहीं, बल्कि पंजाब और हरियाणा में सत्तर और अस्सी के दशक में जो ग्रोथ रेट थी, वह अब एक प्लैटू पर आ गई है और बहुत डेंजरस फिनामिना चल रहा है। पंजाब और हरियाणा के बाद वैस्टर्न यू.पी. को छोड़कर नॉर्थ ईस्ट तक केवल एक इलाका है, जिसमें प्रगति हो रही है और वह कौन सा इलाका है? वह है बंगलादेश, हमारे यहां नहीं। सारे एरिया में आधे से दो प्रतिशत ग्रोथ हो रही है। उसका रिजल्ट क्या है? जैसे अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे कि वेस्टर्न गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में ग्रोथ 7, 8 और 9 प्रतिशत तक चल रही है, और इस इलाके में, बिहार जैसे राज्य के इलाके में, पर कैपीटा ग्रोथ सिर्फ आधा परसेंट हो रही है। इस प्रकार से कंट्री का जो डिवीजन ग्रोथ के आधार पर हो रहा है, उससे आगे चलकर बहुत मुश्किल पड़ेगी। इसलिए मैं आपके इस दृष्टिकोण में बिलकुल शामिल हूं और हमें देखना चाहिए कि इसका कारण क्या है।

सभापति महोदय, इससे आगे जाकर भी मैं एक छोटे से राज्य की बात यहां और कहना चाहता हूं कि एक स्टेट के बीच में भी जो आंकड़े हैं वे बहुत ही डेंजरस पोटेंट का प्रतीक है। उमा जी यहां हैं। मध्य प्रदेश में 1993-94 में सर्वे हुआ था, जिसका जिक्र आज सुबह फायनेंस मिनिस्टर साहब कर रहे थे।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में 41 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही है।

दक्षिण-पश्चिमी मध्य प्रदेश में 68 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा के नीचे थी; ग्वालियर क्षेत्र में सिर्फ 17 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। एक ही रीजन में इस असमानता के आने से और भी ज्यादा गंभीर चीजें होंगी। महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में 15 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे थे; और समुद्रतट से दूर केन्द्रीय भाग में 50 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। अत: राज्यों के बीच, रीजन्स के बीच, राज्य के अन्दर रीजन के अन्दर व जिलों के बीच इस तरह का असमान वितरण एक बहुत खतरनाक बात है। मैं इससे सहमत हूं। लेकिन इसका कारण सेन्ट्रल बोर्ड का नहीं होना नहीं है। यह बिल्कुल ही अलग बात है। ऐसा नहीं है कि आवंटन नहीं किया जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि बोर्डों का गठन नहीं किया गया है।

हमने नौंवी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन की खास-खास बातों की एक प्रति ग्रंथालय में रख दी है। मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा इसका मुद्रण हो रहा है, और हमें आशा है कि इस सत्र के दौरान नौंवी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन की प्रतियां वितरित कर दी जाएंगी। यह आश्चर्यजनक बात है।

[हिन्दी]

एंटी पावर्टी स्कीम्स पर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज हम सालाना कितना आउटले कर रहे हैं? हरेक साल 35 हजार करोड़ रुपये।...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): पहुंचता नहीं है।

श्री अरुण शौरी: एग्जैक्टली। हमारे प्लानिंग सैक्रेट्री श्री सक्सेना साहब ने कैलकुलेशन की है कि अगर सब पावर्टी स्कीम्स बंद कर दी जायें और जो बिलो पावर्टी लाइन फैमिलीज हैं, उनको मनीऑर्डर में रकम भेजें तो हरेक परिवार को आठ हजार रुपये प्रति साल नगद मिलेंगे। उससे वह ढाई किलो राइस हर दिन खरीदकर अबव पावर्टी लाइन पर खुद ही आ जायेंगे। क्या यह आबंटन का प्रश्न है? क्या यह बोर्ड के नहीं होने का प्रश्न है? इस समस्या को स्पष्ट करने के लिए मैं एक उदाहरण दूंगा। रघुवंश जी यहां नहीं हैं इसलिए मैं बिहार पर बोल सकता हूं। बिहार और महाराष्ट्र में...*(व्यवधान)*

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया): हम दो व्यक्ति बिहार के बैठे हैं।

श्री अरुण शौरी: इसलिए मैं डरकर बोल रहा हूं। बिहार की पापुलेशन महाराष्ट्र से थोड़ी ही ज्यादा है, शायद साढ़े नौ करोड़ है और महाराष्ट्र की 8.8 करोड़ है। मगर आप देखिये कि बिहार की फाईव ईयर प्लान की सालना आउटले 2,300 करोड़ रुपये है जबकि महाराष्ट्र की 8,400 करोड़ रुपये है। इसका राज क्या है? यह नहीं कि कोई बिहार के अगेंस्ट डिसक्रिमिनेट कर रहा है। मगर बिहार काउंटर पार्ट फंड जो उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, वह नहीं कर पाता। आप बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए बोर्ड बनाइये, उससे क्या बिहार काउंटर पार्ट फंड कहीं से निकाल लायेगा? अभी दूसरे हाउस में नीतीश कुमार जी बता रहे थे। वे खुद बिहार से हैं। बिहार में फ्लड है। प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा कि आप वैस्ट बंगाल में जाइये तो वह बिहार में भी यह देखने के लिए चले गये कि वहां क्या सिचुएशन है। वह बता रहे थे कि फाइनेंस कमीशन, सी.ए.जी. ने कहा है कि जो भी कैलेमिटी के लिए फंड बना है, उसके लिए आप सेपरेट अकाउंट खोलिये। नीतीश कुमार कह रहे थे कि मैं वहां दो बार जा चुका हूं। हम पैसा देना चाहते हैं लेकिन आप अकाउंट तो खोलिये। वहां अकाउंट तक नहीं खुला है। मेन कारण एडमिनिस्ट्रेशन की हालत है। उसके कारण यह सब चीजें होती हैं। उसी के कारण इनइक्वैलिटीज हैं। उसी के कारण पावर्टी रहती है और और इस मर्ज के लिए बोर्ड बनाना कोई दवाई नहीं है। पिछले 6 साल में रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के लिए, आपने पावर्टी के बारे में कहा कि उसमें वाटर सप्लाई बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार के लिए रूरल वाटर सप्लाई के लिए यहां से जितना पैसा दिया गया था, उसमें से 600 करोड़ रुपये बिहार यूटीलाइज नहीं कर पाया। दिल्ली में बोर्ड बनाने से बिहार की एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या असर पड़ेगा? यह चीज बिहार के बारे में नहीं है। जब प्रियरंजन दासमुंशी जी इसी बिल पर बोल रहे थे तो उन्होंने बहुत जोर से बताया था कि नार्थ बंगाल का क्या हाल है। उन्होंने यह भी कहा कि आरसेनिक, पायजनिंग हो रही है। उसमें आप देखिये कि तथ्य क्या हैं?

वैस्ट बंगाल पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर-जनरल की रिपोर्ट हमारी लाइब्रेरी में रखी है। आप जरूर उसे पढ़िए और पढ़ कर अनुमान लगाइए कि ऐसे बोर्ड बनाने से क्या होगा। रिपोर्ट में बताया है कि पश्चिम बंगाल में कुल व्यय का 95 प्रतिशत भाग वेतन की अदायगी पर खर्च होता है।

5 प्रतिशत के ऐक्सपैंडीचर से आप क्या असैट बनाएंगे? अगर आप एक और बोर्ड बनाते हैं तो 5 प्रतिशत का भी 3 प्रतिशत रह जाएगा क्योंकि और सैलरीज देनी पड़ेंगी। वैस्ट बंगाल की पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइजेस में 3,520 करोड़ रुपये का इन्वैस्टमैंट हुआ है और 55 लाख रुपये रिटर्न आया है यानी इस समय 0.01 प्रतिशत रिटर्न आया है जबकि वैस्ट बंगाल सरकार साढ़े बारह प्रतिशत ब्याज दोकर बॉरो कर रही है। 12 प्रतिशत ब्याज देकर वैस्ट बंगाल गवर्नमेंट बॉरो करे, उसके बाद 3,520 करोड़ रुपये पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइजेस में लगाए और सिर्फ 0.01 प्रतिशत रिटर्न मिले, यह परेशानी है। वह परेशानी बोर्ड बनाने से हल नहीं होगी।

इसी तरह अभी एक माननीय सदस्य ने विदर्भ के बारे में कहा कि ऐसे बोर्ड बनाने में काफी ऐक्सपीरिएंस है। विदर्भ, मराठवाड़ा और रैस्ट ऑफ महाराष्ट्र में 1994 से बोर्ड बने हुए हैं। उनमें सौ करोड़ रुपये सालाना ऐक्सपैंडीचर होता है। मैंने मिनट्स देखे हैं। हमारी प्रिंसिपल ऐडवाइजर श्रीमती कृष्णा सिंह इन्हीं चीजों को डिस्कस करने के लिए महाराष्ट्र गई थीं। एक आइटम था कि बोर्ड कैसे काम कर रहे हैं। उनके मिनट्स देखिए—

[श्री अरुण शौरी]

[अनुवाद]

"दो विकास बोर्डों के अध्यक्ष तीनों विकास बोर्डों के अधिकारियों के साथ उपस्थित थे।"

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में ऐसे डैवलपमैंट बोर्ड हैं जो आप इस बिल में चाहतें हैं कि बनाए जाएं।

[अनुवाद]

"मराठवाड़ा बोर्ड के अध्यक्ष जो शेष महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी हैं, ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि ये विकास बोर्ड क्षेत्रीय असमानता, जो कुछ मामलों में बढ़ी है, दूर करने में वांछित असर नहीं दिखा पाये हैं।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय: क्योंकि इस पर बढ़ाया गया समय भी पूरा हो रहा है इसलिए मैं सदन की सहमति चाहूंगा कि जब तक मंत्री महोदय उत्तर दें, श्री सुबोध मोहिते बोलें और इस बिल को डिस्पोज़ ऑफ कर सकें, उसके बाद श्री गीते जी इन्ट्रोडक्शन का कन्सीड्रेशन प्रस्तुत कर लें, तब तक के लिए इसका सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): सभापति महोदय, छः बजे तक चलाइए। उसके बाद अगर नहीं चलता है तो आप उसी पर रोकिए और मुझे अपने दिन इंट्रोड्यूस करने का मौका दीजिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने आपके विधेयक को कन्सीड्रेशन में लेने के लिए सदन की अनुमति मांगी है। यह मंत्री महोदय के ऊपर है।

श्री अनंत गंगाराम गीते: दस मिनट बाकी हैं, तुरन्त करना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह मंत्री महोदय पर निर्भर करता है।

श्री अरुण शौरी: मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

[हिन्दी]

उनकी प्रपोजल थी कि कोंकण के लिए एक और बोर्ड बनाया जाए। महाराष्ट्र के अधिकारी और बोर्ड के चेयरमैन क्या कहते हैं।

[अनुवाद]

"कोंकण के लिए अलग विकास बोर्ड की स्थापना के सम्बन्ध में शेष महाराष्ट्र के अध्यक्ष का विचार था कि यद्यपि महाराष्ट्र विधान सभा ने इसको अनुमोदित कर दिया है पर यह किसी भी प्रकार से कोंकण के लिए फायदेमंद नहीं होगा भले ही इसके लिए एक अलग बोर्ड हो।"

[हिन्दी]

जो बोर्ड चला रहे हैं, उनका यह ऐक्सपीरिएंस है। दो और छोटे प्वाइंट्स हैं—73वां और 74वां अमैंडमैंट है जिनमें पंचायती राज इन्स्टीट्यूशन्स के लिए पावर देने के बीत है, उसे आप ऐसे प्रपोजल से बिल्कुल रिवर्स कर देंगे क्योंकि इस बिल से यहां और भी सैंट्रलाइजेशन हो जाएगा। इसी तरह फिफ्थ शैड्यूल में आपने अदर ट्राइबल एरियाज के लिए कौन्स्टीट्यूशन में बिल्कुल डिफरैंट प्रावधान किया हुआ है। सिक्स्थ शैडयूल में नॉर्थ ईस्ट की ऑटोनोमस काउंसिल बनाई हुई हैं। उनको भी रिवर्स कीजिएगा अगर ऐसे बोर्ड बनाएंगे। मेरी मोहिते जी से गुजारिश है कि आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रौबल्म उठाई है, सारा हाउस आपके साथ है।

एक बहुत महत्वपूर्ण सजेशन दिया गया है कि प्लानिंग को रीओरिएण्ट करना चाहिए, उसमें मैं आपको वायदा देता हूं कि सरकार उसी दिशा में काम कर रही है और जब आप मिड टर्म एप्रेजल देखेंगे, जिसकी हाईलाइट की कापी लाइब्रेरी में रखी गई है, उसकी प्रिण्टेड कापी आपको मिलेगी, उसको आप देखेंगे तो पाएंगे कि सारा फोकस ही यह है कि कैसे बैकवर्ड एरियाज में बैकवर्ड सेक्शन्स की डवलपमेंट कराई जाये। सरकार की तवज्जह उस प्रश्न पर है। अगर आप चाहें कि उन एरियाज के एम.पीज. के साथ मीटिंग हो तो वह जरूर मैं प्लानिंग कमीशन के साथ मीटिंग करवाऊंगा। जैसा राशिद साहब ने पिछली बार भी जब हिल एरियाज की बात हो रही थी, तब भी आपने यह बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया था, वह मैं करवाऊंगा।

मेरी गुजारिश यह है कि इस बोर्ड से आप डवलपमेंट के लिए एक और लेयर मत डालिये, इसलिए आप यह बिल वापस लें, यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, लेकिन जो केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं हैं और खासकर बिहार जैसे प्रान्त में, जहां पैसा खर्च नहीं होता है, वहां कोई तरकीब निकालनी चाहिए कि यहां से पैसा सीधे जाये और मोनेटरिंग भी यहीं से हो। बड़े कष्ट में हम अपना जीवन वहां व्यतीत कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): महोदय, यह जो बिल लाया गया है, मुझे बड़ा आनन्द हो रहा है कि बहुत कम बिल ऐसे होते हैं, जिन पर आम सहमति जताई जाती है। करीब 20-22 सम्माननीय सदस्यों ने इस पर बात की है और सभी ने अपनी सहमति इसलिए दिखाई कि सभी को अपने क्षेत्र के विषय में प्यार है, सभी चाहते हैं कि बैकवर्ड एरिया का डवलपमेंट हो जाये।

मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हालांकि मेरी 10-15 मिनट बात करने की इच्छा थी, लेकिन इससे दूसरा बिल इण्ट्रोड्यूस नहीं हो पायेगा कि इस बिल का किसी ने विरोध नहीं किया है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। मंत्री जी ने भी अपनी स्पीच में बोला है कि यह माननीय सदस्यों की भावनाओं का सवाल है और मुझे लगता है कि एन.डी.ए. के जो माननीय मंत्री जी हैं,

[अनुवाद]

इसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

[हिन्दी]

इसलिए उनसे अपेक्षाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। संसद के इतिहास में आज तक कोई प्राइवेट मैम्बर्स बिल पास हुआ हो, उसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जो होना है, वह होने वाला है, लेकिन सबकी निगाहें इस तरफ हैं कि इस बिल का निष्कर्ष क्या निकलता है।

अभी हर बात में मैं मंत्री जी को क्रास नहीं करना चाहूंगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की जो बात माननीय मंत्री जी ने बोली है, उस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि जब हमारे आफिसर महाराष्ट्र सरकार में गये होंगे, विदर्भ डवलपमेंट बोर्ड या मराठवाड़ा डवलपमेंट बोर्ड का रिव्यू लिया होगा, उसका अपने जो रिव्यू लिया है, वह सरासर गलत है या आपको जो इन्फोर्मेशन मिली है, वह गलत है।...*(व्यवधान)* बिहार के आफिसर्स गये होंगे तो फिर तो 101 परसेंट इसके चांसेज हैं। जो बजट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बोर्डों को दिया जाता है, मैं तीन दिन पहले का रीसेंट एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 100 करोड़ रुपये की नाबार्ड से डिमांड की है। इसकी मांग करने से पहले महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जहां-जहां रूलिंग पार्टी के एम.एल.एज. और एम.पीज. हैं, उन सब लोगों को दो-दो करोड़ रुपया दिया जायेगा और जहां अपोजीशन के मैम्बर्स हैं, उनको नहीं दिया जायेगा। हमारे शिवसेना के जो फाइनेंस मिनिस्टर विखे पाटील साहब हैं, उन्होंने कहा कि यह कोई क्राइटीरिया नहीं हो सकता, इसलिए नाबार्ड का पैसा रोककर रखा है। बिल्कुल उसी तरह बैकवर्ड एरिया डवलपमेंट बोर्डों के लिए जो पैसा दिया जाता है, उसका हाल है। लास्ट ईयर 1999-2000 का मैं अपको उदाहरण बताऊंगा कि 100 करोड़ रुपया अगर दिया जाता है तो आगे बजट में सिर्फ 20 करोड़ रुपया रिलीज किया जाता है।

प्रोविजन है 2300 करोड़ रुपए का और सप्लीमेंटरी बजट में 20 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, जब वित्त वर्ष समाप्त होने को आता है, यानी 31 मार्च, तब उसके तीन दिन पहले 50 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि टोटल आउटले जो है उसका उपयोग न हो पाए। इस प्रकार का षडयंत्र रचा जाता है। इसलिए जो फैक्ट्स आपके सामने हैं, वास्तविक सच्चाई नहीं है। यह पहली बात है। अभी मैच फिक्सिंग कांड हुआ, उसकी रिपोर्ट आ गई है। उससे भी खतरनाक स्कैंडल हो रहा है। चाहे कोई भी राज्य सरकार हो। मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं, वहां लाबिंग होती हैं। यहां शरद पवार जी नहीं हैं, होते तो मैं उनसे इंटरैक्शन करता। महाराष्ट्र के पांच रिजन्स का बजट देखें, चाहे पश्चिम महाराष्ट्र का देखें, कुल बजट का 60 प्रतिशत भाग उस लॉबी को आबंटित किया जाता है जिनका सरकार पर नियंत्रण है, उदाहरणस्वरूप वहां कोआपरेटिव लाबी, वाइन लाबी है, शूगर लाबी है, मिल लाबी है। अगर इसी प्रकार की टेंडेंसी रही तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा नकसद पूरा नहीं हो पाएगा। हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए जो बलिदान दिया, खून बहाया, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मंत्री जी ने यह पहला पाइंट उठाया था।

उन्होंने दूसरी बात कही कि डिसेंट्रलाइजेशन आफ पावर होना चाहिए। वाजपेयी जी की सरकार डिसेंट्रलाइजेशन आफ पावर में विश्वास रखती है, यह आपने कहा, हमने सुन लिया और हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम एन.डी.ए. के एक पार्ट हैं। आपने यह भी कहा कि पंचायत राज को ज्यादा अधिकार देना चाहते हैं।

श्री अरुण शौरी: मैंने कहा कि कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, शायद 73वां या 74वां संविधान संशोधन था।

श्री सुबोध मोहिते: आप डिसेंट्रलाइजेशन आफ पावर की बात करते हैं, तो डिसेंट्रलाइजेशन आफ पावर एंड सेपरेट रिजंस विरोधाभास विषय है। नीति-निर्माण की बात है। आपने कहा कि ग्रोथ जीरो से आठ परसेंट पर ठहर गई है। लेकिन जो एनालाइसेज है, वीकनेस हैं, उनका खुलासा नहीं हुआ। हम एंटी पावर्टी स्कीम के लिए 35 हजार करोड़ रुपए का उपयोग कर रहे हैं। मेरा कहना

[श्री सुबोध मोहिते]

है कि आपने जैसा कहा कि बोर्ड बनाना दवा नहीं है, तो मेरे हिसाब से सदन में सबसे बड़े डाक्टर तो आप ही हैं। अगर बोर्ड बनाना दवा नहीं है तो 50 साल से यह बीमारी चलती रही पिछड़े क्षेत्र की, इसका इलाज क्यों नहीं किया गया, कोई तो इसकी दवा होगी। मैं सोचता हूं कि वे इसका समुचित समाधान निकाल सकते हैं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास हेतु एक स्वायत्तशासी बोर्ड की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि देश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास हेतु एक स्वायत्तशासी बोर्ड की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुबोध मोहिते: महोदय, मैं विधेयक वापस लेता हूं।

अपराह्न 5.57 बजे

(छह) भारत का उच्चतम न्यायालय (हैदराबाद में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक*

श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी (कुडप्पा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हैदराबाद में उच्चतम न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि हैदराबाद में उच्चतम न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये!"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी: महोदय, मैं विधेयक पुर: स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 5.58 बजे

(आठ) संविधान (संशोधन) विधेयक

(नए अनुच्छेद 75क, आदि का अंत:स्थापन)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति जी, धन्यवाद! मैंने निजी विधेयक इस सदन के सामने चर्चा के लिए और पारित करने के लिए रखा है। उस पर चर्चा करते हुए, जो वित्तीय स्थिति आज हमारे देश की है, जो आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत है, इसके अलग-अलग कारण हैं। उनमें से जो महंत्वपूर्ण कारण हैं, उनसे मैं सदन को इस विषय पर बोलते हुए अवगत कराना चाहता हूं। आप इजाजत दें तो मैं अगली बार चर्चा शुरू करूंगा।

सभापति महोदय: अब सभा 27 नवम्बर, 2000 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 27 नवम्बर, 2000/6 अग्रहायण, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 24.11.2000 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

पी.एल.एस.–48/11/5/2000 (एन०)
280

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।